देना बैंक
DENA BANK

निवेशक संपर्क केंद्र: देना कॉर्पोरेट सेंटर, तिसरी मंज़िल, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051
Investor Relation Center: Dena Corporate Center, C-10, "G" Block, BKC, Bandra (E), Mumbai - 400051
Tel No.: 26545318 / 19 / 20; **Fax No.:** 26545317; **Email Id:** irc@denabank.co.in

Ref. No.: HO/IRC/300/2018 **Date:** 06.07.2018

The Vice President - Listing BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001.	Vice President - Listing The National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Dear Sir / Madam,

Subject: Submission of Annual Report of the Bank for the year 2017-18

Pursuant to Regulation 34(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached herewith Annual Report of the Bank for the year 2017-18 duly approved and adopted in the Annual General Meeting of the Bank held on 27th June, 2018.

This is for your information and appropriate dissemination.

Thanking You.

Yours faithfully,

For DENA Bank

Amit Kumar
(Company Secretary)

Encl.: As above

देना बैंक
DENA BANK
(A Government of India Enterprise)
Trusted Family Bank
Dena hai to Bharosa hai.

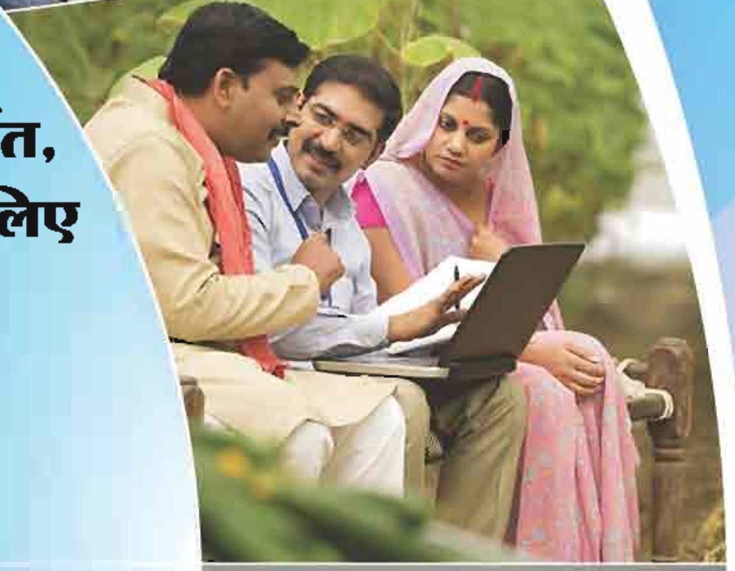

डिजिटल के लिए समर्पित, ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध।

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

Dedicated to Digital, Committed to Customer's Convenience.

Annual Report
2017-18

स्मरणीय पल
Memorable Moments

आईबीए बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार 2018 में लघु बैंकों के मध्य "सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल" के लिए पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री रमेश एस. सिंह, कार्यपालक निदेशक।

Shri Ramesh S. Singh, Executive Director receiving award for "Best Financial Inclusion Initiative" among the small banks in the IBA Banking Technical Award 2018.

27.06.2017 को एस.पी.बी.टी. कॉलेज, मुंबई में आयोजित वार्षिक सामान्य सभा में श्री अश्वनी कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्रीमती तृष्णा गुहा और श्री रमेश एस सिंह, कार्यपालक निदेशक सहित बैंक के अन्य निदेशक एवं सभी महाप्रबंधक उपस्थित थे।

Shri Ashwani Kumar, Chairman and Managing Director, Mrs. Trishna Guha and Mr. Ramesh S. Singh, Executive Directors, other Directors and all General Managers of the Bank were present in the Annual General Meeting held on 27.06.2017 at S.P.B.T. College, Mumbai.

27.03.2018 को एस.पी.बी.टी. कॉलेज, मुंबई में आयोजित बैंक की असाधारण सामान्य सभा में श्री रमेश एस. सिंह एवं डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक सहित बैंक के सभी महाप्रबंधक उपस्थित थे।

Mr. Ramesh S. Singh, Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi, Executive Directors and all General Managers of the Bank were present in the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 27.03.2018 at S.P.B.T. College, Mumbai.

मुंबई में आयोजित विश्लेषक बैठक के दौरान श्री अश्वनी कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्रीमती तृष्णा गुहा और श्री रमेश एस. सिंह, कार्यपालक निदेशक, एवं श्रीमती उषा रवि, महाप्रबंधक (मुख्य वित्तीय अधिकारी) उपस्थित थे।

Shri Ashwani Kumar, Chairman and Managing Director, Mrs. Trishna Guha and, Mr. Ramesh S. Singh, Executive Directors and Mrs. Usha Ravi, General Manager (Chief Financial Officer) were present during the Analyst Meet held in Mumbai.

प्रधान कार्यालय में आयोजित सतर्कता जागृति सप्ताह के दौरान शपथ ग्रहण करते हुए श्री रमेश एस. सिंह, कार्यपालक निदेशक और डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक एवं श्री बी. एम. नंदा, महाप्रबंधक।

Shri Ramesh S. Singh and, Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi, Executive Directors and Mr. B. M. Nanda, General Manager swearing in during the Vigilance Awareness Week held at Head Office.

निदेशक मंडल
Board of Directors

श्रीमती अंजली बंसल*
Ms. Anjali Bansal*

श्री रमेश एस सिंह
Shri Ramesh S. Singh

डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी
Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi

श्री अशोक कुमार सिंह
Shri Ashok Kumar Singh

श्री शिरीष सी. मुरमु
Shri Shirish C. Murmu

श्री अमित चटर्जी
Shri Amit Chatterjee

श्री जी. गोपालकृष्ण
Shri G. Gopalakrishna

डॉ. यशोवर्धन वर्मा**
Dr. Yasho Verdhan Verma**

श्री राकेश कुमार
Shri Rakesh Kumar

*23.05.2018 से
*w.e.f 23.05.2018

**23.03.2018 को मंडल से सेवानिवृत्त हुए और 28.03.2018 से मंडल मे पुनःनिर्वाचित हुए.
**Retired from the Board on 23.03.2018 and was re-elected on Board w.e.f 28.03.2018.

वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित निदेशक भी बैंक के मंडल की सेवा में थे.
During the year 2017-18, the following Directors also served on the Board of the Bank.

श्री अश्वनी कुमार (31.12.2017 तक)
Shri Ashwani Kumar (up to 31.12.2017)

श्रीमती तृष्णा गुहा (31.08.2017 तक)
Smt. Trishna Guha (up to 31.08.2017)

श्री बंकिम आर. देसाई (18.09.2017 तक)
Shri Bankim R. Desai (up to 18.09.2017)

डॉ. उमेश बेल्लूर (23.03.2018 तक)
Dr. Umesh Bellur (up to 23.03.2018)

श्री वी. चन्द्रसेकरन (23.03.2018 तक)
Shri V. Chandrasekaran (up to 23.03.2018)

महाप्रबंधक गण
General Managers

श्री बी. एम. नंदा
Shri B. M. Nanda

श्री डी. के. दुआ
Shri D. K. Dua

श्री एस. के. वाधवा
Shri S. K. Wadhwa

श्री सी. एस. मीणा
Shri C. S. Meena

श्री वी. एस. खीची
Shri V. S. Khichi

श्री एस. धर्मराजन*
Shri S. Dharmarajan*

श्री बिश्वरूप दास
Shri Bishwarup Dash

श्रीमती उषा रवि
Smt. Usha Ravi

श्री आर. के. भारद्वाज
Shri R. K. Bhardwaj

श्रीमती जया चक्रबर्ती
Smt. Jaya Chakraborty

श्री रोहित कुमार पटेल
Shri Rohit Kumar Patel

श्री मन मोहन गुप्ता
Shri Man Mohan Gupta

श्री एच. के. देव
Shri H. K. Deo

श्री संजीव डोभाल
Shri Sanjeev Dobhal

श्रीमती चित्रा कीर्तीवासन**
Smt. Chitra Kirthivasan**

(*30.04.2018 से सेवा निवृत्त)
(*Retd. on 30.04.2018)
(** 01.05.2018 से)
(** w.e.f 01.05.2018)

वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित महाप्रबंधक भी बैंक की सेवा में थे.
During the year 2017-2018, the following General Managers also served the Bank.

श्री निर्मल जोशी (30.06.2017 तक)
Shri Nirmal Joshi (up to 30.06.2017)

श्री एम. के. भाटिया (28.02.2018 तक)
Shri M. K. Bhatia (up to 28.02.2018)

श्री एस. सरकार (31.07.2017 तक)
Shri S. Sarkar (up to 31.07.2017)

श्री सेल्वाराज के (02.03.2018 तक)
Shri Selvaraj K (up to 02.03.2018)

विषय सूची / CONTENTS

	पृष्ठ सं.		Page No.
वर्षवार तुलनात्मक कार्य-निष्पादन	2	Yearwise Comparative Performance	2
कार्यपालक निदेशक का संदेश	4	Message From Executive Director	129
निदेशकों की रिपोर्ट	7	Directors' Report	131
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	10	Management Discussion and Analysis	133
कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	27	Business Responsibility Report	146
कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2017-18	32	Corporate Governance Report 2017-18	151
निदेशको की रुपरेखा	44	Directors' Profile	162
बेसल III प्रकटीकरण	50	Basel III Disclosures	167
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	85	Independent Auditors' Report	194
तुलन पत्र	86	Balance Sheet	195
लाभ एवं हानि लेखा	87	Profit & Loss Account	196
नकदी प्रवाह विवरण	119	Cash Flow Statement	226
सूचना	122	Notice	229
मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म	125	Proxy Form	231
उपस्थिति-सह-प्रवेश पत्र	126	Attendance Slip-cum-Entry Pass	232
ई.सी.एस. अधिदेश फार्म	128	ECS Mandate Form	234

सांविधिक लेखापरीक्षक Statutory Auditors

रमेश सी. अग्रवाल एण्ड कंपनी, दिल्ली	ए.बी.पी. एण्ड एसोसिएट, भुवनेश्वर	कैलाश चंद जैन एण्ड कं., मुंबई	सारदा एण्ड पारीक, मुंबई
Ramesh C Agrawal & Co., Delhi	**ABP & Associates, Bhubaneshwar**	**Kailash Chand Jain & Co., Mumbai**	**Sarda & Pareek, Mumbai**

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
Company Secretary & Compliance Officer
श्री अमित कुमार
Shri Amit Kumar

निवेशक संपर्क केंद्र: देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Investor Relations Centre : Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट: लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूनिट : देना बैंक सी - 101, 247 पार्क, एल. बी. एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400 083, फोन : +91 22 4918 6270 ईमेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Registrars and Share Transfer Agents: Link Intime India Private Limited Unit : Dena Bank C – 101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083 Tel : +91 22 4918 6270, E-mail : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

वर्षवार तुलनात्मक कार्य-निष्पादन YEAR WISE COMPARATIVE PERFORMANCE

(रु करोड़ में) **(Rs. In crore)**

कार्य निष्पादन मानदंड	Performance Parameters	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कारोबार माध्यम एवं संसाधन	Delivery Channels & Resources					
शाखाओ की संख्या (सी.बी.एस. सहित)	No. of Branches (with CBS)	1,633	1,739	1,846	1,874	1,872
एटीएम की संख्या	No. of ATMs	1,421	1,482	1,471	1,538	1,685
कर्मचारियो की संख्या	No. of Employees	12,983	13,632	13,906	13,985	13,613
पूंजी	Capital					
पूंजी	Capital	537.82	561.15	666.93	787.15	2,259.05
आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	5,793	6,114	5,545	5,799	5,851
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	Capital Adequacy Ratio (%)					
बेसल II के अनुसार	As Per Basel II	11.87	11.21	11.27	-	-
बेसल III के अनुसार	As Per Basel III	11.14	10.93	11.00	11.39	11.09
कारोबार मानदंड	Business Parameters					
कारोबार संमिश्र	Business Mix	188,650	196,565	203,242	191,481	180,369
वृद्धि % में	Increase in %	15.27	4.20	3.41	-5.79	-5.80
कुल जमाराशियां	Total Deposit	110,028	115,936	117,431	113,943	106,130
वृद्धि % में	Increase in %	13.19	5.37	1.29	-2.97	-6.86
कुल अग्रिम (सकल)	Total Advances (Gross)	78,622	80,629	85,811	77,538	74,239
वृद्धि % में	Increase in %	18.31	2.55	6.43	-9.64	-4.25
प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम	Advances to Priority Sector	26,173	28,454	34,117	36,992	35,949
% के रूप मे प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	Priority Sector Advances in % terms	38.44	35.03	40.23	40.71	42.27
कृषि	Agriculture	10,800	12,312	15,912	16,375	18,179
वृद्धि % में	Increase in %	60.73	14.00	29.24	2.90	11.02
खुदरा	Retail	9,706	10,910	12,053	13,301	13,240
वृद्धि % में	Increase in %	25.67	12.41	10.48	10.35	-0.46
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)	13,217	15,256	13,983	12,458	10,898
वृद्धि % में	Increase in %	23.84	15.42	-8.34	-10.91	-12.52
वित्तीय स्थिति	Financials :					
परिचालनगत लाभ	Operating Profit	1,774.03	1,330.27	925.30	1,390.21	1,171.16
निवल लाभ / हानि (-)	Net Profit/Loss(-)	551.66	265.48	-935.32	-863.63	-1,923.15
ब्याज से आय	Interest Income	9,978	10,763	10,646	10,182	8,932
ब्याज व्यय	Interest Expenses	7,473	8,316	8,169	7,773	6,456
गैर ब्याज आय	Non Interest Income	917	721	717	1,251	1,164
कुल आय	Total Income	10,895	11,485	11,363	11,433	10,096
कुल व्यय	Total Expenses	9,121	10,155	10,437	10,043	8,925
निवल ब्याज मार्जिन (%)	Net Interest Margin (%)	2.52	2.25	2.16	2.00	2.19
जमाराशि लागत (%)	Cost of Deposit (%)	7.60	7.66	7.20	6.43	5.62

वर्षवार तुलनात्मक कार्य–निष्पादन YEAR WISE COMPARATIVE PERFORMANCE

(रु करोड़ में) **(Rs. In crore)**

कार्य निष्पादन मानदंड	Performance Parameters	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
निधि लागत (%)	'Cost of Fund (%)	7.62	7.71	7.25	6.54	5.84
अग्रिमों पर आय (%)	Yield on Advances (%)	11.29	10.89	10.05	8.98	8.00
निधियों पर आय (%)	Yield on Funds (%)	9.60	9.42	8.84	8.03	7.51
आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	0.51	0.22	-0.75	-0.67	-1.59
लाभांश (रु. में)	Dividend (in Rs)	2.20	0.90	0.00	0.00	0.00
इक्विटि पर प्रतिफल (%)	Return on Equity ((%)	9.82	4.08	-13.54	-13.50	-26.17
प्रति शेयर अर्जन (रु. में)	Earning per share (in Rs.)	14.40	4.94	-15.50	-11.89	-18.06
आस्ति गुणवत्ता अनुपात:	Asset Quality Ratios :					
सकल एन.पी.ए.	Gross NPA	2,616	4,393	8,560	12,619	16,361
सकल अग्रिमों के तुलना में सकल गैर निष्पादक आस्तियों का अनुपात %	Gross NPA to Gross Advances Ratio %	3.33	5.45	9.98	16.27	22.04
निवल एन.पी.ए.	Net NPA	1,819	3,014	5,230.47	7,735	7,839.00
निवल अग्रिमों के तुलना में निवल गैर निष्पादक आस्तियों का अनुपात %	NPA to Net Advances Ratio%	2.35	3.82	6.35	10.66	11.95
एन.पी.ए. प्रावधान कवरेज (%)	NPA Provision Coverage (%)	56.44	52.97	52.79	50.56	60.20
उत्पादकता अनुपात:	Productivity Ratios :					
प्रति कर्मचारी कारोबार	Per Employees Business	14.53	14.42	14.62	13.69	13.25
प्रति शाखा कारोबार	Per Branch Business	121.40	118.13	114.57	102.18	100.20

कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

वर्ष 2017-18 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है.

वर्ष के दौरान:

बैंक ने अक्तूबर, 2017 माह में बाजार से अर्हताप्राप्त संस्थानों के स्थापन (क्यू.आई.पी.) के अंतर्गत इक्विटी शेयरों को निर्गम करके रू. 401.26 करोड़ जुटाए.

भारत सरकार ने रुपये 3045 करोड़ की पूंजी के रूप में निवेश किया है. निवेश की गई पूंजी से 11.09% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखने में आपके बैंक को सहायता मिली है.

इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपने उधारों को रू 125 करोड़ के टीयर I आई.पी.डी.आई. बॉन्डों के मोचन द्वारा और रू 1400 करोड़ बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टीयर I बॉन्ड को क्रय विकल्प का प्रयोग करके चुकाया है.

इस वर्ष, आईबीए बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार 2018 में लघु बैंकों के बीच, आपके बैंक को सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल की श्रेणी में विजेता के रूप में निर्णय दिया गया था. हमारे देश में वित्तीय समावेशन की प्रगति के लिए आपके बैंक द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों हेतु मिली एक पहचान से हमें खुशी हो रही है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक के अन्य कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको सूचित करने से पूर्व, मैं आपको आर्थिक परिस्थितियों, वैश्विक और भारतीय दोनों परिस्थितियों, भारतीय बैंकिंग उद्योग में नई प्रवृत्तियों, इसकी चुनौतियों, अवसरों और भविष्य की रूपरेखा के बारे में जिसमें आपका बैंक कार्य कर रहा है के संबंध में संक्षेप में उल्लेख करता हूँ.

आर्थिक अवलोकन

2016 के मध्य से वैश्विक अर्थव्यवस्था में वसूली व्यापक और सुदृढ़ हुई है. विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की अर्थव्यवस्था में 3.8% वृद्धि 2011 के पश्चात से सबसे तीव्रतर थी. विकसित वैश्विक निवेश और व्यापार के पूर्व, 2018 और 2019 में 3.9% वृद्धि तक पहुंचना अपेक्षित है. विकास की गति की भविष्य में उज्ज्वल संभावनाएं हैं क्योंकि सभी देशों में संरचनात्मक सुधारों और राजकोषीय नीतियों के लिए अवसर विद्यमान हैं जो उत्पादकता को बढ़ाती और समावेशी वृद्धि करती है.

भारतीय अर्थव्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2017-18 में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू कर एक मील का पत्थर स्थापित किया है. वस्तु एवं सेवा कर ने अर्थव्यवस्था के कर आधार और कर भुगतान संस्कृति क्षेत्र की वृद्धि में सहायता की है. एक और उपलब्धि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है. इसने न केवल हमारे देश को नकदी रहित निर्भर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने बल्कि गरीबों को सामाजिक लाभों को अधिक प्रभावी ढंग से पहुचाने में सहायता की है.

2017 में घोषित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के लिए पुन:पूंजीकरण योजना ने पूंजी बफर को फिर से सहायता की और विकास को समर्थन देने हेतु बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार किया. तथापि, बैंकों में एन.पी.ए. और धोखाधड़ी के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने की आवश्यकता है.

दिवाला और दिवालियापन संहिता के कार्यान्वयन से सभी हितधारकों को बहुत उम्मीद हैं और यह अपेक्षा की जाती है कि बैंकिंग क्षेत्र को समय-बद्ध ऋण वसूली तंत्र में सहायता करेगा और कॉर्पोरेट एन.पी.ए. को कम करेगा, जिसका कई बैंकों को सामना करना पड़ रहा हैं.

अर्थव्यवस्था के समष्टि मूलभूत सिद्धांत, मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कम उत्पादन और कम मुद्रास्फीति स्तर सहित विकास की मिश्रित छवि प्रदर्शित की है.

पिछले कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक सुधारों की यात्रा चुनौतीपूर्ण रही है परंतु साथ ही प्रतिफल देने वाली भी रही है. सरकार द्वारा किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ गया है. सरकार द्वारा किए गए उपायों ने भारत में कारोबार करना अधिक सरल बना दिया है. प्राकृतिक संसाधन अब पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से आवंटित किए जाते हैं.

बैंकिंग उद्योग की प्रवृत्तियां

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंकों ने सतत विकास के लिए नई रणनीतियों को लक्षित करते हुए, नियमों, विरासती प्रणाली, विघटनकारी मॉडल, प्रौद्योगिकियों, नए प्रतियोगियों, और एक सतत ग्राहक आधार में रहकर कई चुनौतियों का सामना किया है. बैंकों के तुलनपत्र एनपीए के स्तर में वृद्धि के प्रावधान के साथ दबावग्रस्त हैं जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतर लाभप्रदता है.

तथापि, बैंकिंग उद्योग नियामक उपायों जैसे पुन:पूंजीकरण बॉन्ड निर्गम करना, संशोधित एनपीए रूपरेखा और भारत सरकार द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता के कार्यान्वयन जैसी विभिन्न कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है और भारतीय रिज़र्व बैंक को इस दबावपूर्ण परिदृश्य से उद्योग के बाहर आने का अपेक्षा है.

बैंकिंग उद्योग में केवल निरंतर ग्राहक केंद्रितता, विनियामक पुनः जांच, प्रौद्योगिकी प्रबंधन और अंगीकरण, साइबर जोखिम कम करने और नए वातावरण के अनुरूप हमारे कार्यबल को पुनर्गठित करने के माध्यम से ही दीर्घकालिक सतत विकास की अपेक्षा की जाती है.

बैंक का निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आपके बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि, गैर-कॉर्पोरेट किसानों, छोटे और सीमांत किसानों, कमजोर वर्ग और सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत दिए गए सभी विनियामक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है.
- बैंक ने उच्च लागत वाले जमाराशियों को न लेने पर अपना रुख जारी रखा और तद्नुसार कुल जमा अनुपात का कासा % मार्च 2017 में 37.93% से बढ़कर मार्च 2018 में 40.03% हो गया.
- बैंक के जमा सीडी अनुपात में ऋण मार्च, 2017 में 68.05% से बढ़कर मार्च, 2018 में 69.95% हो गया.
- कृषि अग्रिम 31 मार्च, 2017 के रू. 16,375 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2018 को रू. 18,179 करोड़ हो गया, विनियामक लक्ष्य 18% को पार करके 11.02% की वृद्धि दर्ज की और समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 21.38% रहा.
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम मार्च, 2018 को 40% के विनियामक बेंचमार्क को पार करके रु. 35, 949 करोड़ रहा जो समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 42.27% है.
- बैंक की निवल ब्याज आय मार्च, 2017 की रू. 2,408.36 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2018 में रू. 2,475.82 करोड़ हो गई और इसी अवधि के लिए निवल ब्याज मार्जिन 2.00% से 2.19% तक की वृद्धि हुई.
- बैंक की जमा राशि की लागत वित्त वर्ष 2016-17 में 6.43% से घटकर वित्त वर्ष 2017-18 में 5.62% हो गई.

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने पिछले वर्ष के दौरान हुई 1,119.87 करोड़ की नकद वसूली की तुलना में रु. 931.24 करोड़ की वसूली की.

आपके बैंक ने बट्टे खातों में पिछले वर्ष के दौरान रू. 120.08 करोड़ के समक्ष रू 146.60 करोड़ वसूल किए.

31 मार्च, 2018 को, सकल एनपीए पिछले वर्ष के दौरान रू. 12,618.73 करोड़ के समक्ष रू. 16,361.44 करोड़ रहा. सकल एनपीए प्रतिशत पिछले वर्ष 16.27% की तुलना में 22.04% है.

31 मार्च, 2018 को निवल एनपीए पिछले वर्ष के दौरान रू 7,735.12 करोड़ के समक्ष रू 7,838.78 करोड़ रहा. निवल एनपीए प्रतिशत पिछले वर्ष के दौरान 10.66% की तुलना में 11.95% है.

पूंजी पर्याप्तता मानदंड

बेसल III मानदंडों के अंतर्गत जोखिम (भारित) आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को पूंजी 31 मार्च 2017 को 10.875% की विनियामक आवश्यकता के समक्ष 11.39% से कम होकर 31 मार्च 2018 को 11.09% हो गई.

इसी प्रकार, बैंक की सीईटी 1 पूंजी अनुपात 7.375% विनियामक आवश्यकता के समक्ष 31 मार्च 2017 को 7.24% के समक्ष 31 मार्च 2018 को 8.81% हो गई.

शाखा विस्तार

परिचालनगत व्यय और दक्षता में सुधार के दृष्टिगत, बैंक ने शाखा खोलने पर एक सजग उपाय किया गया है और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई भी नई शाखा नहीं खोली गई. बैंक ने शाखा को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया भी आरंभ की है. तद-नुसार बैंक के निदेशक मंडल ने 17 शाखाओं को अन्य शाखाओं के साथ विलय को अनुमादित कर दिया है, जिनमें से 2 शाखाएं वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विलय कर दी गई थीं. 31 मार्च, 2018 को (72 सैटेलाईट शाखाओं सहित) आपके बैंक की 1,872 शाखाएं हैं.

मानव संसाधन विकास

वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने 21 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 13 विशेषज्ञ अधिकारी, 128 लिपिक और 148 अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती की है. वर्तमान में बैंक में मानव पूंजी 13,613 हैं जिसमें से 3,705 महिलाएं हैं.

डिजिटल पहल

आपके बैंक ने ग्राहकों के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के लिए निर्बाध और सुविधा समाधान प्रदान करने के लिए विभिन्न डिजिटल पहल आरंभ की हैं. सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए. कुछ डिजिटल पहल इस प्रकार है:-

- 29 गांवों का डिजिटाइजेशन
- बैंक ने नए मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोग का शुभारंभ किया है.
- नए इंटरनेट बैंकिंग अनुप्रयोग का शुभारंभ किया है.
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) अनुप्रयोग का शुभारंभ
- भीम आधारित पे अनुप्रयोग शुरू किया गया और 12,796 भीम आधार व्यापारियों को प्रदान किए गए.
- जारीकर्ता के लिए भारत क्यूआर कोड (यूपीआई आधारित भुगतान) और अधिग्रहणकर्ता (पीओएस आधारित भुगतान) सेवा में हैं.
- ग्राहक के लिए वस्तु एवं सेवा कर भुगतान मॉड्यूल का सफल संचालन
- 7,565 पीओएस टर्मिनलों का नियोजन किया गया हैं जिसमें से 302 पीओएस टर्मिनलों को टीयर 5 और 6 केंद्रों में नियोजित किया गया है.

बीपीआर पहल

बैंक ने रूपांतरण योजना - देना प्रगति के लिए बीसीजी के साथ साझेदारी की है और आपके बैंक ने नए उत्पादों का शुभारंभ किया है और नई प्रणाली और प्रक्रियाओं की स्थापना की है.

I. बैंक ने केंद्रीकृत खाता खोलने के लिए एक नया कासा बैक-ऑफिस खोला है.

II. अखिल भारतीय स्तर पर लीड का प्रसंस्करण करने के लिए लीड प्रबंधन प्रणाली 'देना सम्पर्क' आरंभ की है.

III. आईवीआर आधारित कॉल सेंटर: प्रति माह लगभग औसत 50000 इनबाउंड कॉल प्राप्त किए जाते हैं.

IV. आशोधित प्रक्रिया प्रवाह और खुदरा ऋण प्रसंस्करण के लिए लैंड परफेक्ट सॉफ्टवेयर के विशेष उपयोग के साथ विद्यमान खुदरा आस्ति प्रसंस्करण केंद्र पुनर्गठित था.

V. ठाणे अंचल में पायलट के रूप में 29 शाखाओं के लिए एमएसएमई हब लॉन्च किया गया.

VI. डिजिटल चैनलों में पंजीकरण को बढ़ाने के लिए सभी शाखाओं में डिजिटल पाठशाला का आयोजन किया गया था

अन्य पहलें

1. उपभोक्ता ऋण खंड में वाहन ऋण सोर्सिंग के लिए डीलर पेआउट योजना.
2. आवास ऋण प्रस्तावों की सोर्सिंग के लिए आवास ऋण सलाहकारों को सूचीबद्ध करना.
3. छोटे उधारकर्ताओं के लिए नई एक मुश्त भुगतान योजना- देना ऋण मुक्ति योजना कृषि और एमएसएमई सहित सभी क्षेत्रों को कवर करती है.
4. अपने ग्राहकों को बेहतर उत्पाद प्रदान करने के लिए, आपके बैंक ने विभिन्न गठजोड़ व्यवस्था की हैं जैसे कि:

क. यात्री कार वित्त व्यवस्था के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ गठजोड़ व्यवस्था

ख. एमएसएमई ऋण लीड की सोर्सिंग के लिए एसएमईआरए रेटिंग लिमिटेड के साथ गठजोड़ व्यवस्था

ग. एमएसएमई ऋण देने में सुधार के लिए, बैंक ने रिसीवबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) के साथ ट्रेड रिसीवबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) कारोबार के लिए उनके ऑनलाइन प्लेटफार्म पर पंजीकरण किया है

घ. ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी और ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (आर.एचआईएसएस) के हिताधिकारीयों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (पीएमए-सीएलएसएस) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ गठजोड़ व्यवस्था

समावेशित संवृद्धि

आर्थिक संवृद्धि के लाभों का लाभ उठाने के लिए, हमें इसे समावेशित बनाने की आवश्यकता है. अपने आप के लिए मूल्यवान होने के अतिरिक्त, समावेशी विकास आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, आपके बैंक ने इस क्षेत्र में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अपनी पहलों के लिए पहचान प्राप्त की है.

आपके बैंक ने 18.50 लाख खातों के लक्ष्य के समक्ष प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत 44.06 लाख खाते खोले हैं और 26.52 लाख रुपे कार्ड जारी किए हैं.

आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन के तहत आवंटित सभी 6,485 गांवों को कवर किया है, जिनमें से 746 गांव पारंपरिक शाखाओं के माध्यम से कवर किए गए हैं और 5,739 गांव कारोबार प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से कवर किए गए हैं. आपके बैंक ने 31 मार्च 2018 तक आधार के लिए 10.60 करोड़ निवासियों को नामांकित किया है और यू.आई.डी.ए.आई. को गैर-राज्य रजिस्ट्रारों के बीच शीर्ष स्थान प्राप्त किया है.

भावी योजनाएं

वर्ष 2018-19 के लिए, एनपीए में कमी करना बैंक के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी. इस वर्ष आपका बैंक एन.सी.एल.टी. के संदर्भित कॉर्पोरेट एनपीए मामलों के समाधान से बड़ी वसूली की भी अपेक्षा करता है. इसके अतिरिक्त, बैंक खुदरा एनपीए के स्तर को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा और सभी प्रयास किए जाएंगे और विशेष रूप से बट्टे खातों में अधिक वसूली में ध्यान केंद्रित करेगा.

आपके बैंक ने प्रभावी वसूली प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए वसूली के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एक नया दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल निर्मित किया है.

बैंक कासा, खुदरा, एमएसएमई और कृषि अग्रिमों पर अपना ध्यान जारी रखेगा.

बैंक ने बीपीआर रूपांतरण परियोजना के माध्यम से विभिन्न नई प्रक्रियाओं और प्रणाली आशोधनों की शुरुआत की है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष के दौरान इन रूपांतरण परियोजनाओं के वास्तविक लाभ अपेक्षित होंगे.

आभार

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न राज्य सरकारों, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और अन्य सभी हितधारकों को उनके बहुमूल्य संरक्षण, मार्गदर्शन, समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं और समयोचित सलाह और उनके निरंतर समर्थन और सहयोग की अपेक्षा करता हूं.

वित्तीय वर्ष 2017-18 की चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान अपने मूल्यवान संरक्षण और समर्थन के लिए सभी शेयरधारकों, ग्राहकों और शुभचिंतकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनके निरंतर संरक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा करता हूं.

बैंक का मंडल इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बैंक का लगातार मार्गदर्शन कर रहा है और मैं उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन की सराहना करता हूं.

मैं बैंक को दिए जा रहे समर्थन के लिए नाबार्ड, सिडबी और अन्य वित्तीय संस्थानों, बैंकों और प्रतिनिधियों का भी आभारी हूं.

अंत में, बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा किए गए अथक और अनवरत प्रयासों की सराहना करता हूं, जिनके सहयोग के बिना इस चुनौतीपूर्ण समय में हासिल की गई प्रगति संभव नहीं हो सकती थी. संस्थान को दिए जा रहे निरंतर समर्थन के लिए स्टाफ के परिवार सदस्यों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं.

मैं आगामी वर्षों में बैंक की निरंतर प्रगति के लिए सभी हितधारकों के निरंतर सहयोग और समर्थन की अपेक्षा करता हूं.

शुभकामनाओं सहित,

(रमेश एस. सिंह)

निदेशकों की रिपोर्ट 2017-18

सेवा में

सभी सदस्यगण,

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है.

2. वित्तीय निष्पादन की विशिष्टताएं

i) बैंक की बचत बैंक जमाराशियाँ 31 मार्च, 2017 के रु. 36,239 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2018 को रु. 36,471 करोड़ तक पहुंच गई, जो कि 0.64% वृद्धि दर्शाती है.

ii) बैंक की कासा जमाराशियाँ 31 मार्च, 2017 के रु. 43,222 करोड़ से घटकर 31 मार्च, 2018 को रु. 42,485 करोड़ तक पहुंच गई, जो कि 1.71% की कमी दर्शाती है. कुल जमा के रुप में कासा के प्रतिशत में 31 मार्च 2017 के 37.93% से 31 मार्च 2018 को 40.03% की वृद्धि हुई.

iii) प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 31 मार्च, 2017 के रु. 36,992 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2018 को रु. 35,949 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि 2.82% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है और यह समायोजित निवल बैंक साख (ए.एन.बी.सी.) का 42.27% रहा जो कि विनियामक लक्ष्य 40% को पार कर लिया.

iv) कृषि ऋण 31 मार्च 2017 के रु. 16,375 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2018 को रु. 18,179 करोड़ हो गई जो कि 11.02% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाती है और यह समायोजित निवल बैंक साख (ए.एन.बी.सी.) का 21.38% रहा जो कि विनियामक लक्ष्य 18% से अधिक है.

v) प्राथमिकता क्षेत्र एम.एस.एम.ई. अग्रिम 31 मार्च 2017 के रु 15,316 करोड़ से कम होकर 31 मार्च 2018 को रु 11,638 करोड़ हो गया है जो कि 24.01% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है.

vi) कुल खुदरा अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष 0.46% नकारत्मक वृद्धि हुई है और 31 मार्च 2017 के रु 13,301 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2018 को रु 13,240 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया.

vii) बैंक का परिचालनगत लाभ वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रु 1390 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु 1171 करोड़ हो गया है, जो कि 15.76% की कमी दर्शाता है.

viii) वित्त वर्ष 2016-17 के लिए रु 2,906 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निवेशों पर ब्याज आय रु 2682 हो गई, जो कि 7.71% की कमी दर्शाती है.

ix) बेसल III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सी.आर.ए.आर.) में कमी आई और 31 मार्च 2017 को 11.39% की तुलना में 31 मार्च 2018 को 11.09% रहा.

x) बैंक का टीयर I पूंजी अनुपात 31 मार्च 2017 को 9.05% से कम होकर 31 मार्च 2018 को, 8.81% हो गया.

xi) एन.पी.ए. खातों में नकदी वसूली वित्तीय वर्ष 2016-17 के रु. 1,119.87 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 931.24 करोड़ हो गई.

xii) बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली वित्तीय वर्ष 2016-17 के रु. 115 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 142 करोड़ हो गई.

xiii) जमाराशियों की लागत वित्त वर्ष 2016-17 के 6.43% से घटकर वित्त वर्ष 2017-18 को 5.62% रही और परिणामस्वरुप जमाराशियों पर ब्याज व्यय 31 मार्च 2017 के रु. 7,213 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2018 को रु. 5,955 करोड़ रहा.

xiv) मुख्य सांख्यिकी

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च को	
	2017	2018
जमाएं	1,13,943	1,06,130
अग्रिम	77,538	74,239
कारोबार संमिश्र	1,91,481	1,80,369
निवेश	40,190	38,040
प्राथमिकता क्षेत्र	36,992	35,949
कृषि	16,375	18,179
रिटेल	13,301	13,240
एम.एस.एम.ई-पी.एस.	15,316	11,638
सकल एन.पी.ए.	12,619	16,361
निवल एन.पी.ए.	7,735	7,839
कुल अग्रिमों में कुल एन. पी. ए. का %	16.27	22.04
निवल अग्रिमों में निवल एन. पी. ए. का %	10.66	11.95

3. आय का विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए बैंक का वित्तीय कार्य निष्पादन इसके नीचे सार रुप में प्रस्तुत किया गया है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च को	
	2017	2018
परिचालनगत लाभ	1,390.21	1,171.16
ब्याज आय	10,181.67	8,932.23
ब्याज व्यय	7,773.31	6,456.41
निवल ब्याज आय	2,408.36	2,475.82
गैर ब्याज आय	1,251.39	1,163.52
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	2,253.84	3,094.31
कर पूर्व लाभ	(1,275.36)	(3178.75)
करों के लिए प्रावधान	(411.73)	(1255.60)
निवल लाभ	(863.63)	(1923.15)

4. प्रमुख वित्तीय सूचक (% मे)

विवरण	31 मार्च को	
	2017	2018
निवल ब्याज मार्जिन	2.00	2.19
आस्तियों पर प्रतिलाभ	(0.67)	(1.59)
लागत आय अनुपात	62.01	67.82
प्रावधान कवरेज अनुपात	50.56	60.20
जमाराशियों की लागत	6.43	5.62

निधियों की लागत	6.54	5.84
अग्रिमों पर प्रतिफल	8.98	8.00
निधियों पर प्रतिफल	8.03	7.51
निवेश पर प्रतिफल	7.57	7.26
इक्विटी पर प्रतिफल	(13.50)	(26.17)
प्रतिशेयर अर्जन (रु.)	(11.89)	(18.06)
बही मूल्य (रु.)	65.42	27.45

5. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर लागू त्वरीत सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के कारण बैंक ने कोई नई शाखा नहीं खोली. इसके अतिरिक्त बैंक ने अन्य विद्यमान शाखाओं में दो शाखाओं का विलय कर दिया है और बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 1,872 (72 सेटेलाईट कार्यालयों सहित) रही हैं. बैंक की सभी शाखाएं सी. बी. एस. के अंतर्गत कार्यरत हैं.

6. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 3 ई-स्मार्ट केंद्र स्थापित किए हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 98 केन्द्र हो गए हैं. ई-स्मार्ट केंद्र में, ग्राहक नकद राशि, चेक जमा कर सकता है, नकदी निकाल सकता है, पासबुक भी मुद्रित कर सकता है तथा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से 24x7 आधार पर अपने खाते का उपयोग कर सकता है.

7. वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने 1775 पी.ओ.एस. संस्थापित किए हैं और एक नए मोबाईल बैंकिंग चैनल अर्थात एन.पी.सी.आई. द्वारा प्रवर्तित एकीकृत भुगतान प्रणाली (यू.पी.आई.) की शुरुआत की है.

8. लाभांश

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कोई लाभांश संस्तुत नहीं किया.

9. निवल संपत्ति एवं सी आर ए आर

9.1 बैंक की निवल संपत्ति 31 मार्च 2018 को रु. 5108.04. करोड़ रही.

9.2 सी.आर.ए.आर. :

(% में)

	बेसल III	
	मार्च 2017	मार्च 2018
सी.आर.ए.आर टीयर I पूंजी	9.05	8.81
सी.आर.ए.आर टीयर II पूंजी	2.34	2.28
कुल	**11.39**	**11.09**

10. निदेशक मंडल में परिवर्तन

10.1 31 मार्च, 2018 को बैंक के निदेशक मंडल में पूर्ण-कालिक निदेशक होने के नाते दो कार्यपालक निदेशक, तथा अन्य छः निदेशक निम्नानुसार शामिल हैं :

- भारत सरकार के एक नामिती निदेशक
- भारतीय रिजर्व बैंक के एक नामिती निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नियुक्त दो निदेशक; और
- शेयर धारकों द्वारा चुने गये दो निदेशक

10.2 श्री अश्वनी कुमार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात दिनांक 31.12.2017 से प्रभावी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाओं विभाग से दिनांक 09 नवंबर, 2012 को प्राप्त अधिसूचना सं. एफ 4/4/2011-बीओ.आई. के अनुसार बैंक के निदेशक नहीं रहे. बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान श्री अश्वनी कुमार द्वारा प्रदान किए अनुकरणीय नेतृत्व और दिशा के लिए बैंक का मंडल उनकी प्रशंसा करता है.

10.3 श्रीमती तृष्णा गुहा, कार्यपालक निदेशक, अधिवर्षता की अवधि पूर्ण होने पर दिनांक 31 अगस्त, 2017 को मंडल से सेवानिवृत्त हुई. श्रीमती तृष्णा गुहा द्वारा बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए निदेशक मंडल द्वारा इनकी प्रशंसा की गई.

10.4 डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 8 के उप-खंड (1) और खंड 3 के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रम अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाओं विभाग से प्राप्त अधिसूचना सं. एफ.4 / 5 / (6) 2017-बीओआई दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 के अनुसार, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी, तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए है.

10.5 श्री बंकीम आर देसाई, कामगार कर्मचारी निदेशक, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9 के उप-खंड (1) और (2) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रम अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत दिनांक 19.09.2014 से प्रभावी, कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 19.09.2017 से बैंक के निदेशक नहीं रहेंगे. श्री बंकीम आर देसाई द्वारा बैंक के मंडल में निदेशक के रूप में कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल द्वारा इनकी प्रशंसा की गई.

10.6 डॉ उमेश बेलूर, शेयरधारक निदेशक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रम अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित, दिनांक 24 मार्च, 2015 से प्रभावी, 23 मार्च, 2018 को तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात बैंक के निदेशक नहीं रहेंगे. डॉ उमेश बेलूर द्वारा बैंक के मंडल में निदेशक के रूप में कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल द्वारा इनकी प्रशंसा की गई.

10.7 श्री वी चंद्रशेखरन, शेयरधारक निदेशक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रम अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित, दिनांक 24 मार्च, 2015 से प्रभावी, 23 मार्च, 2018 को तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात बैंक के निदेशक नहीं रहेंगे. श्री वी चंद्रशेखरन द्वारा बैंक के मंडल में निदेशक के रूप में कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल द्वारा इनकी प्रशंसा की गई.

10.8 डॉ यशो वर्धन वर्मा, शेयरधारक निदेशक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रम अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित, दिनांक 24 मार्च, 2015 से प्रभावी, 23 मार्च, 2018 को तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात बैंक के निदेशक नहीं रहेंगे. डॉ यशो वर्धन वर्मा द्वारा बैंक के मंडल में निदेशक के रूप में कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल द्वारा इनकी प्रशंसा की गई.

10.9 समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंकिंग कंपनी (उपक्रम अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अनुसार, केंद्र सरकार के अतिरिक्त दो शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए दिनांक 27 मार्च, 2018 को सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुंबई में बैंक ने बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण सामान्य सभा आयोजित की गई. मतदान की सफलता के बाद, दो शेयरधारक निदेशक अर्थात (i) डॉ यशोवर्धन वर्मा और (ii) श्री राकेश कुमार, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों का प्रतिनिधि के रूप में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने गए थे. दिनांक 8 मार्च, 2018 से ये निदेशक तीन वर्ष के लिए कार्यभार ग्रहण करेंगे.

निदेशकों की रिपोर्ट 2017-18

11.00 निदेशकों के उत्तरदायित्त्व का विवरण

निदेशक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं :

i. कि वार्षिक लेखा तैयार करने में महत्त्वपूर्ण विचलनों, यदि कोई हो, के संबंध में, समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है.

ii. कि उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया एवं उनको निरंतर लागू किया तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये जो समुचित एवं विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त तक बैंक की सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत कर सकें एवं अवधि के लिए बैंक की लाभ या हानि की स्थिति दे सकें.

iii. कि उन्होंने धोखाधड़ियों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने हेतु भारत में बैंकों पर लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डो के रख-रखाव के लिए समुचित एवं पर्याप्त देखरेख की है.

iv. कि उन्होंने वार्षिक लेखा, निरंतर कारोबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किया था.

आभार

12.1 निदेशक मंडल बैंक के अपने सम्मानित ग्राहकों, शेयरधारकों तथा शुभचिंतकों को बैंक की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपना आभार तथा धन्यवाद व्यक्त करता है तथा भविष्य में उनके सतत समर्थन एवं सहयोग की अपेक्षा करता है.

12.2 भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समयोचित सलाह, महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए भी निदेशक मंडल हार्दिक आभार व्यक्त करता है.

12.3 निदेशक मंडल वित्तीय संस्थाओं / बैंकों तथा प्रतिनिधियों के प्रति भी बैंक को दिए गए उनके सहयोग एवं समर्थन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है.

12.4 निदेशक मंडल बैंक के कारोबार में प्राप्त प्रगति के लिए सभी स्तरों पर स्टाफ सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी सराहना करता है. निदेशकगण बैंक के तीव्र कारोबार विकास तथा प्रगति में उनसे सतत सहयोग की आशा रखते हैं.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31.05.2018

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रमेश एस. सिंह)
कार्यपालक निदेशक

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण

1. वैश्विक आर्थिक परिदृश्य :

पिछला दशक विभिन्न वैश्विक वित्तीय संकट, व्यापक आर्थिक संकट और नकारात्मक परिस्थिति की श्रृंखला वाला था जिसकी शुरुआत 2008-2009 के वैश्विक आर्थिक संकट से हुआ, तत्पश्चात 2010-2012 के यूरोपीय राष्ट्रीक कर्ज संकट और 2014-16 के वैश्विक वस्तुओं की कीमतों के वास्तविक मूल्यों का पुनः निर्माण हुआ है. उसके पश्चात निवेश और व्यापार में उछाल अनुकूल वितेषण की परिस्थिति की पृष्ठभूमि के कारण, सामान्य तौर पर उदार नीतियां, बेहतर विश्वास, और पूर्व में वस्तु के मूल्य गिरावट का प्रभाव कम होने के समक्ष वैश्विक स्थिति में सुधार जारी है.

चूंकि इन संकटों और लगातार विपरित परिस्थितियां होने के कारण विश्व अर्थव्यवस्था में मजबूत हुई है, जो स्थायी विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों के साथ प्रगति को आगे बढ़ाने वाले दीर्घकालिक मुद्दों के प्रति नीति को पुनर्जीवित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है.

आई.एम.एफ. की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में विश्व अर्थव्यवस्था 3.8% बढ़ने की अपेक्षा है.

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, विकास को पूंजीगत खर्च में बढोत्तरी, स्टॉक में लाभार्जन की स्थिति और बाहरी मांग को सुदृढ़ करने से प्रेरित होता है. हालांकि सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि होने से, यूरो क्षेत्र में अपेक्षा की तुलना में सुधार सुस्पष्ट रुप से मजबूत था.

उभरते बाजारों और विकास अर्थव्यवस्थाओं (ई.एम.डी.ई.) के बीच वृद्धि 2017 में 4.3% तक पहुंच गया है, जो वस्तु निर्यातकों में मजबुत गतिविधि और वस्तु आयातकों में निरंतर ठोस वृद्धि दर्शाता है.

2. घरेलू आर्थिक विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था ने पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति को सफलतापूर्वक दर्ज की है. मुद्रा विनिमय पहल और वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन जैसी विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था के रुपांतरण ने अपनी सफलता प्राप्त की है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी हाल ही में प्रदर्शित मौद्रिक नीति में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.4% दर्ज करने का अनुमान लगाया है, क्योंकि निवेश गतिविधियों में पुनरुद्धार हुआ है जो की पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि और आयात में जनवरी माह की अपेक्षा धीमी गति से प्रदर्शित हुई है. इसके अतिरिक्त, वैश्विक मांग में सुधार हुआ है, जो निर्यात को प्रोत्साहित और नए निवेश को बढ़ावा देता है.

फिर भी, कॉर्पोरेट ऋण अवरुद्ध होने और संबंधित बैंकिंग क्षेत्र की साख गुणवत्ता की चिंताओं ने भारत में निवेश को धीमी गति प्रदान की है. वर्ष 2017 में घोषित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण योजना से पूंजी सुरक्षा को उभारने और बैंकिंग क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने की क्षमता में सुधार करना अपेक्षित है. यह पुनर्पूंजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन को बेहतर बनाने और बैंकों के ऋण वसूली तंत्र को बढ़ाने के लिए वित्तीय सुधारों का एक व्यापक पैकेज होना अपेक्षित है.

भारत सरकार के विभिन्न संरचनात्मक और विनियामक सुधारों के प्रयासों से, देश में निवेश वातावरण में सुधार हुआ है क्योंकि अवरुद्ध परियोजनाओं में फंसे निवेश के शेयरों में कमी आना प्रारंभ हुआ है.

भारतीय रिजर्व बैंक और वैश्विक संगठन जैसे आई.एम.एफ. और विश्व बैंक ने विकास के मामले में आशा व्यक्त किया है, जिसमें समान रूप से जोखिम भी शामिल है. इसके अतिरिक्त, अनुकूल वैश्विक वित्त पोषण परिस्थितियां और कम मुद्रास्फीति के बीच समायोज्य नीतियों ने घरेलू मांग का समर्थन किया है, जिसके बदले में अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन अपेक्षित है.

3. बैंकिंग उद्योग की प्रवृत्तियां

बढ़ते एनपीए स्तर और अपेक्षित साख वृद्धि में कमी से बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

वर्ष के दौरान, मार्च 2018 को समाप्त राजकोषीय वर्ष में जमा वृद्धि पांच दशक के निम्न स्तर से कम रही क्योंकि विमुद्रीकरण के कारण और म्यूचुअल फंड तथा बीमा जैसे अन्य बचत लिखतों के आकर्षण ने बैंक जमाराशियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को समाप्त कर दिया. नवंबर 2016 के विमुद्रीकरण से एकत्रित भारी मात्रा में जमाराशियों के आहरण होने के कारण वर्ष 2017-18 में बैंकिंग प्रणाली में कुल जमाराशियों में कुल 6.7% की वृद्धि हुई.

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने (एस.सी.बी.) के साख वृद्धि में वित्तीय वर्ष 17 के तदनुरूपी अवधि में 5.59% की वृद्धि की तुलना में 9.81% की वृद्धि दर्ज की है. मांग में आधारभूत परिणाम में वृद्धि और उत्पादन अंतराल में कमी के कारण कुल खरीद वृद्धि में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना है. इसके अतिरिक्त, दिवाला और दिवालियापन कोड के साथ, बैंकिंग उद्योग में वसूली तंत्र के समयबद्ध समाधान को सुविधाजनक बनाने तथा उसे मजबूत करने की अपेक्षा है.

डिजिटल स्तर पर, नकदी रहित लेनदेन में बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है और यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर और एईपीएस इत्यादि जैसे विभिन्न नए युग के डिजिटल उत्पादों को ग्राहकों को अपनाने में कई गुना सुधार हुआ है और बैंकों से नई उम्मीदें बढ़ रही हैं.

4. दृष्टिकोण

भारत ने हाल ही में संरचनात्मक सुधारों में प्रगति की है, जिसमें वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन सहित, व्यापार से आंतरिक बाधाओं को कम करने, दक्षता में वृद्धि लाने, और समग्र कर अनुपालन में सुधार की अपेक्षा की जाती है.

मौद्रिक नीति समिति ने यह नोट किया है कि विकास उचित रुप से हो रहा है. जिससे हाल ही के महीनों में ऋण उठाव में वृद्धि दिखाई दी है. प्राथमिक पूंजी बाजार से संसाधनों के बड़े पैमाने पर संग्रहण से निवेश गतिविधियों में आगे समर्थन प्राप्त होने की अपेक्षा है. घरेलू चक्रीय वसूली प्रगति पर है, हाल ही के दिनों में प्रस्तुत की गई विभिन्न संरचनात्मक सुधारों से दीर्घावधि वृद्धि की संभावना को भी सुदृढ़ किया जाना अपेक्षित है.

नकारात्मक स्थिति से, सार्वजनिक वित्तपोषण में कमी निजी वित्तपोषण और निवेश के बहिर्गमन से जोखिमों में वृद्धि हुई है. इसके अतिरिक्त, वैश्विक विकास और व्यापार मजबूत होने के बावजूद, बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद और वित्तीय बाजार में अस्थिरता से निरंतर वैश्विक विकास मे कमी की संभावना है. ऐसे अस्थिर वैश्विक वातावरण में, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि घरेलू समष्टि आर्थिक मौलिक सिद्धांतों को मजबूत किया जाए, दबावग्रस्त कॉर्पो रेट को आगे न बढ़ाने और बैंक के तुलन पत्र का पुनर्निर्माण और जोखिम-भागीदारी में विस्तार किया जाए.

समग्र रुप से, भारत का दृष्टिकोण वृहद रुप से सकारात्मक बना हुआ है, जो मजबूत निजी खपत और सार्वजनिक निवेश के साथ-साथ चल रहे संरचनात्मक सुधारों के कारण बना हुआ है. व्यापार से आंतरिक बाधाओं को कम करने, दक्षता में वृद्धि लाने, और समग्र कर अनुपालन में सुधार की अपेक्षा की जाती है.

5. बैंक का कारोबारी निष्पादन

पिछले दो वर्षों में बैंक का कुल कारोबार संमिश्र निम्नलिखित है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018
कुल जमाराशियां	113942.77	106130.15
सकल अग्रिम	77537.84	74238.58
कुल कारोबार संमिश्र	191480.61	180368.73

6. जमा संग्रहण

जमा संग्रहण	रु करोड़ में
मानदंड	मार्च 2018
चालू जमाएं (ओ.डी.टी.डी. सहित)	6013.53
कुल जमा राशियों का प्रतिशत	5.88%
बचत जमाएं	36471.49
कुल जमा राशियों का प्रतिशत	35.67%
सावधि जमाएं	59762.34
कुल जमा राशियों का प्रतिशत	58.45%
कुल जमा राशियां	102247.36
अंतर बैंक जमा राशियां	3882.79
कुल जमा राशियां	106130.15
% कुल जमाओं में चा.खा / ब.खा.	40.03%

7. ऋण निगरानी एवं आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरुप दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए आरबीआई के परिपत्र सं डीबीआर सख्या बी.पी.बी.सी. 101/21.04.048 /2017-18 दिनांक 12.02.2018 द्वारा जारी संशोधित रुपरेखा के साथ अपनी निगरानी प्रणाली को व्यवस्थित किया है.

बैंक ने 25 लाख रुपये और उससे अधिक की स्वीकृत सीमा वाले 7 दिनों और उससे अधिक के अतिदेय खातों की सूची फिनाकल से दैनिक आधार पर निर्मित किए गए मासिक निगरानी रिपोर्ट (एमएमआर) के आधार पर अगली अनुवर्ती कार्रवाई / समाधान योजना के लिए साप्ताहिक आधार पर संबंधित अंचल कार्यालय / सीबीबी को भेजी जा रही है.

अंचल स्लीपेज निवारण समिति (जेड.एस.एस.पी.) की बैठकें रू 10 लाख रुपये और उससे अधिक के उधार खातों के लिए पाक्षिक आधार पर आयोजित की जाती हैं. प्रधान कार्यालय में स्थित साख निगरानी कक्ष (सी.एम.सी.) 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के उधार खातों में कार्यवृत्त और अद्यतन विकास पर दृष्टि रखता है. प्रधान कार्यालय स्तर पर, 1 करोड़ से अधिक के खातों की संबंधित अंचल / सीबीबी के साथ शीर्ष प्रबंधन द्वारा साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस मीटिंग के माध्यम से विचार विमर्श भी किया जाता है.

शाखा मिरर पोर्टल के माध्यम से अतिदेय खातों की भी निगरानी की जा रही है जिसे जनवरी, 2018 में परिचालित किया गया है.

8. प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम :

8.1 प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के संबंध में बैंक अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निरंतर निर्वहन कर रहा है. बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान बहु-उन्मुखी योजनाएं अपनायी हैं. बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र की अग्रिम 31.03.2018 तक 35 9 4 9 करोड़ रुपये थी रु. मार्च, 2018 में समायोजित निवल बैंक साख में प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का अनुपात नियामक दिशानिदेशों के 40% की तुलना में 42.27% रहा.

8.2 कृषि उधार :

सरकार के कृषि उधार पैकेज के अनुसार बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए लगातार आवश्यक उपाय कर रहा है. वर्ष के दौरान कृषि उधार मार्च, 2017 के रु. 16,375 करोड़ के स्तर से बढ़कर मार्च, 2018 को रु. 18,179 करोड़ हो गए, जो 11.02 % की वृद्धि दर्शाते हैं. बैंक के समायोजित निवल उधार में कृषि बकाया उधार का अनुपात 21.38% था जो कि 31 मार्च 2018 के बेंचमार्क 18% को पार कर गया.

बैंक द्वारा लघु/सीमांत कृषकों को अग्रिम 31 मार्च 2017 के रु 6252 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31 मार्च 2018 को रु 8,268 करोड़ हो गया, जो 32.25% की वृद्धि दशाती हैं. 31 मार्च 2018 के समायोजित निवल बैंक उधार में लघु/सीमांत कृषकों का अनुपात भा.रि.बैं. के बेंचमार्क 8% की तुलना में 9.72% रहा.

8.3 विशेष कृषि साख योजना के अंतर्गत प्रगति

बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 6,971 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में विशेष ऋण योजना के अंतर्गत रु. 6,825 करोड़ वितरित किए, जो कि बैंक के लिए निर्धारित लक्ष्य का 102% प्राप्ति दर्शाता है.

8.4 देना किसान क्रेडिट कार्ड

भारत सरकार के विद्यमान दिशानिदेशों के अनुसार बैंक ने संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यान्वयन किया है. बैंक ने मार्च, 2018 तक रु. 7,510 करोड़ बकाया साख के कुल 3,76,607 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, जबकि मार्च, 2017 तक रु. 6,974 करोड़ की बकाया साख के 3,70,435 कार्ड जारी किये गए थे, इस प्रकार रकम में रु 536 करोड़ (7.69%) की वृद्धि हुई और के.सी.सी. खातों की संख्या में 6,172 कार्ड (1.67%) की वृद्धि हुई.

इसके अतिरिक्त, बैंक ने पात्र किसानों को ए.टी.एम. समर्थित रुपे डेबिट कार्ड भी जारी किए हैं, जो किसानों को ए.टी.एम. तथा बिक्री स्थल (पी.ओ.एस.) पर लेन-देन करने में सहायक होगा.

8.5 कमजोर वर्गों को अग्रिम

कमजोर वर्गों को दिये गए अग्रिम मार्च, 2018 में रु 10,019 करोड़ से कम से कम स्तर के रूप से घटकर मार्च 2018 तक 9,931 करोड़ रुपये हो गए जो कि, 88 करोड़ रु (-0.88% वृद्धि) की नकारात्मक वृद्धि दर्शाती है. कमजोर वर्गों को बैंक का अग्रिम समायोजित निवल बैंक साख का 11.68% रहा.

8.6 अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रमः

मार्च 2018 को अल्पसंख्यक समुदायों को साख प्रवाह रु 4,070 के स्तर पर रहा जो कि प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 11.32 % है.

8.7 सी.जी.टी.एम.एस.ई योजना के अंतर्गत गारंटी सुरक्षा :

लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए बैंक लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए साख गारंटी निधि न्यास (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) की

गारंटी योजना के अंतर्गत सहभागिता कर रहा है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत तक योजना के अंतर्गत गारंटी सुरक्षा के मामलों की संख्या 13,625 हो गई जिनमें रु 763.29 करोड़ की गारंटी सुरक्षा प्रदान की गई.

8.8 एन.सी.जी.टी.सी. योजना के अंतर्गत गारंटी सुरक्षा :

लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए बैंक मुद्रा ऋण के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास (एन.सी.जी.टी.सी.) की गारंटी योजना के अंतर्गत सहभागिता कर रहा है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत तक योजना के अंतर्गत गारंटी सुरक्षा के मामलों की संख्या 7,859 हो गई जिनमें रु 70.14 करोड़ की गारंटी सुरक्षा प्रदान की गई.

8.9 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

8.9.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

बैंक, गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार सृजन करने के उद्देश्य से पी.एम.ई.जी.पी. को सक्रिय रुप से कार्यान्वित कर रहा है. बैंक ने 2017-18 के दौरान पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत 1,206 हितधारियों को रु 74.49 करोड़ स्वीकृत किए हैं.

8.9.2 दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.)

बैंक ने 2017-18 के दौरान डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत 6,507 हितधिकारियों को रु 50.63 करोड़ ऋण प्रदान किए. वर्ष 2017-18 के दौरान पहचाने गए 250 जिलों में रु 63.77 लाख हिताधिकारी ब्याज अनुदान द्वारा लाभान्वित हुए.

8.9.3 दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.वाई. - एन.यू.एल.एम.)

बैंक ने 2017-18 के दौरान डी.ए.वाई. - एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत 491 हिताधिकारियों को रु 3.67 करोड़ ऋण प्रदान किए.

8.10 देना सामान्य क्रेडिट कार्ड (डी.जी.सी.सी.) योजना :

बैंक ग्रामीण तथा उपनगरीय क्षेत्रों में अल्प साधनों वाले उधारकर्ताओं को इस योजना के अंतर्गत रु. 25,000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान कर रहा है. मार्च 2018 तक बैंक ने 13,369 डी.जी.सी.सी. कार्ड जारी किये हैं.

8.11 साख परामर्श केंद्र / वित्तीय साक्षरता :

भारतीय रिजर्व बैंक ने 100% वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से बैंकों को संबंधित अग्रणी जिलों में साख परामर्श केद्र खोलने के निदेश दिए हैं. तद्नुसार साख परामर्श केंद्र स्थापित करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसरण में बैंक गुजरात राज्य में अहमदाबाद, बनासकांठा (पालनपुर), गांधीनगर, कच्छ, मेहसाणा, पाटण, अरावली, बालोद, देवभूमि द्वारका, हिम्मतनगर (साबरकांठा) तथा छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर और राजनांदगांव और दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में सिलवासा में 18 साख परामर्श केंद्र खोले हैं.

8.12 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी :

8.12.01 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.) :

देना बैंक ने 50 लाख कि पूंजी के साथ एक सोसायटी देना ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान (डी.आर.डी.एफ.) की स्थापना की है इसके पश्चात देना बैंक ने रु. 9.20 करोड़ की अतिरिक्त मुल निधि का अंशदान करते हुए रु 9.50 करोड़ की वृद्धि की है.

डी.आर.डी.एफ. ने बैंक के अग्रणी जिलों में 12 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (आर.एस.ई.टी.आई.) स्थापित किए हैं इनमें शामिल हैं गुजरात राज्य में (i) अहमदाबाद, (ii) कच्छ, (iii) मेहसाणा, (iv) बनासकांठा, (v) साबरकांठा, (vi) पाटण तथा छत्तीसगढ़ राज्य में (vii) दुर्ग, (viii) धमतरी, (ix) महासमुंद, (x) रायपुर, (xi) राजनांदगांव तथा दादरा और नगर हवेली केद्र शासित प्रदेश में (ii) सिलवासा में, जहां बैंक अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व निभा रहा है.

बैंक ने अब तक आरसेटी भवनों के निर्माण के लिए रु 4.78 करोड़ राशि का योगदान दिया है.

डी.आर.डी.एफ. द्वारा प्रायोजित सभी आरसेटी को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आरसेटी भुज को छोडकर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एए श्रेणी प्रदान की गई है.

8.13 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) उत्तरदायित्व

बैंक गुजरात राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रुप में तथा दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश में यू.टी.एल.बी.सी. के संयोजक संबंधी उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रहा है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने गुजरात राज्य तथा दादरा एवं नगर हवेली, दमण व दीव केंद्र शासित प्रदेश में बैंकिंग के विकास के लिए विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र और विकासशील योजनाओं की निरंतर निगरानी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

8.14 अग्रणी बैंक योजना

बैंक देश के 18 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका सफलतापूर्वक निभा रहा है जिनमें से 10 जिले गुजरात में, 7 जिले छत्तीसगढ़ में तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में शामिल है.

8.15 देना बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

बैंक ने देना गुजरात ग्रामीण बैंक (डी.जी.जी.बी.) प्रायोजित किया है जिसकी 31.03.2018 को गुजरात की 8 जिलों में कुल 241 शाखाएं हैं. मार्च 2018 को देना गुजरात ग्रामीण बैंक का कुल कारोबार संमिश्र रु 6,715 करोड़ था. 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए डी.जी.जी.बी. का निवल लाभ 18 करोड़ हैं. सभी 241 शाखाएं कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत शामिल हैं.

9 वित्तीय समावेशन

9.1. ग्रामीण वित्तीय समावेशन

बैंक ने एक वित्तीय समावेशन योजना तैयार की है, जिसमें अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा बैंक को आबंटित गांवों में बैंकिंग केद्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की रणनीति निर्धारित की गई है.

बैंक ने वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन के लिए अप्लिकेशन सेवा प्रदाता (ए.एस.पी.) के रुप में मै. टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज (मै. टी.सी.एस.) की सेवाएं ली हैं. बैंक ने एफ. आई. गांवों में व्यक्तिगत कारोबारी प्रतिनिधि (बी.सी.) को नियुक्त किया है और उन्हे यू.आई.डी.ए.आई./आई.बी.आई. मानक 1.5.1 वर्ज़न माइक्रो ए.टी.एम./टैब उपलब्ध कराए हैं.

9.1.1 गांवों को शामिल करने में प्रगति :

बैंक को वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत भौतिक शाखाओं तथा कारोबारी प्रतिनिधि (बी.सी.) मॉडेल के माध्यम से मार्च 2018 तक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए कुल 2105 एसएसए (6485 गांव आबंटित) किये गये

हैं. इन सभी एसएसए को वित्तीय समावेशन में शामिल किया गया है, जिनमें से 681 गांवों को भौतिक शाखाओं के द्वारा तथा 1424 एसएसए और 1424 व्यवसायिक प्रतिनिधि (बी.सी.) के द्वारा शामिल किया गया है.

9.1.2. मूल बचत बैंक जमा खाते (बी.एस.बी.डी.ए.):

बैंक ने मार्च 2018 हेतु निर्धारित लक्ष्य 87.30 लाख खातों की तुलना में कुल 69.64 लाख बी.एस.बी.डी.ए. (मूल बचत बैंक जमा खाते) खोले है.

9.1.3. देना सामान्य क्रेडिट कार्ड:

मार्च 2017 तक बैंक ने रु. 21.09 करोड़ की साख सीमा के साथ 13500 लाख देना सामान्य क्रेडिट कार्ड (आर्टीशन क्रेडिट कार्ड सहित) जारी किये हैं.

9.1.4 शहरी वित्तीय समावेशन योजना:

शहरी क्षेत्रों में बैंक, शहरी क्षेत्रों के बैंक रहित इलाकों में उन लोगों, जिन्हे बैंकिंग सुविधा नहीं हैं, प्राप्त करने में कठिनाई है अर्थात प्रवासी आबादी और मज़दूर को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन कर रहा है. यह कार्य शाखा सेटअप के माध्यम से हो रहा है.

9.2 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.): –

बैंक ने 31.03.2018 तक, 28.08.2014 को आरंभ प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत, 44.06 लाख खाते खोले. उक्त तारीख तक 26.52 लाख खाताधारकों को रूपे कार्ड जारी किए गए. बैंक ने आवंटित 2105 उप सेवा क्षेत्र (एस.एस.ए.) और 776 शहरी वार्ड में के सभी घरों में कम से कम एक खाता खोला. रूपे डेबिट कार्ड बीमा योजना के तहत रु. 1 लाख का दुर्घटना सुरक्षा कवर और रु. 30 लाख का जीवन सुरक्षा कवर पी.एम.जे.डी. वाई. योजना के तहत बैंक के ग्राहक पात्र हैं जो पी.एम.जे.डी.वाई. अभियान अवधि 28-08-2014 से 26-01-2015 के दौरान खोले गए खातों के लिए उपलब्ध है।

9.3 प्रत्यक्ष लाभ अतंरण एवं एल.पी.जी. हेतु प्रत्यक्ष लाभ अतंरण

भारत सरकार के दिशानिदेशों के अनुसार आधार भुगतान प्रणाली (ए.पी.बी.एस.) और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ए.ई.पी.एस.) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (पी.ए.एच.ए.एल.)को बैंक ने सफलतापूर्वक आरंभ और लागू किया. एल.पी.जी. के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 54 जिलों में 15 नवंबर 2014 को पुनः आरंभ किया गया और शेष संपूर्ण भारत के जिलों में 1 जनवरी 2015 से लागू किया गया. साथ ही, आधार संख्या और बिना आधार संख्या वाले खातों में राशि को सीधे खातों में जमा कर सकते है.

9.4. यू.आई.डी.ए.आई. के अंतर्गत आधार नामांकनः

यूआईडीएआई निर्देश के अनुसार सभी अनुसूची वाणिज्यिक बैंक को आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र को अपने शाखा परिसर के अंदर उनके सभी 10 शाखाओं में से कम से कम 1 में स्थापित करना है. बैंक ने 31.03.2018 की निर्धारित समयसीमा के भीतर 191 आधार केंद्र स्थापित किए हैं।

9.5 माइक्रो ए.टी.एम. के माध्यम से रुपे कार्ड लेन-देन

बैंक ने कारोबार प्रतिनिधि को प्रदान किए गए माइक्रो ए.टी.एम./टैब के माध्यम से रुपे कार्ड लेन-देन और आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ए.ई.पी.एस.) मॉड्यूल कार्यान्वित किया है. बैंक के बी.सी. को प्रदान किए गए सभी माइक्रो ए.टी.एम./टैब ए.ई.पी.एस. ऑन-अस (अंतबैंक) और ऑफ-अस (अंतर बैंक) का कार्यान्वयन किया जाता है. हमारे व अन्य बैंकों के रुपे कार्ड धारक तथा आधार संख्या धारक, हमारे बैंक मित्र को प्रदान किए गए माइक्रो ए.टी.एम./टैब के माध्यम से नकद आहरण, नकद जमा, शेष पूछताछ, लघु विवरण आदि लेन-देन अब कर सकते हैं. इससे दूरस्थ क्षेत्र में स्थित हमारे और अन्य बैंक के ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होंगी.

9.6 पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा :

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने पी.एम.जे.डी.वाई. ग्राहकों, को रु 5000/- ओवरड्रफ्ट प्रदान करने की योजना अनुमोदित की है. बशर्ते 6 माह तक खाते का परिचालन संतोषजनक रुप से हुआ हो,. बैंक ने 31 मार्च 2018 तक 36,968 ग्राहकों को रु 38.89 लाख का ओवरड्राफ्ट स्वीकृत किया है. पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के रुप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रगति मुद्रा के अंतर्गत भी रिपोर्ट की जाती है.

9.7 पी.एम.जे.डी.वाई. और अन्य बचत खातों में आधार कार्ड सिडिंग :

साप्ताहिक आधार पर शाखा और बीसी स्थानों पर आधार सीडिंग शिविर आयोजित करने के कारण, बैंक के कुल परिचालित बचत बैंक खातों में आधार सीडिंग में 31.03.2018 को 88.09% 31.03.2017 को 61.36% से और पी.एम.जेडी.वाई. खातों के परिचालन में 31.03.2018 को 80.81% की वृद्धि 31.03.2017 को 61.8 9% हो गया।

10. एम.एस.एम.ई. सेक्टर को अग्रिम

बैंक अग्रिम संविभाग को बढ़ाने के लिए एम.एस.एम.ई. सेक्टर की एक संवृद्धि मंत्र के रुप में पहचान की गई है. एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत ब्याज की दरें एम.सी.एल.आर. + 0.25% के श्रेणियों से लेकर एम.सी.एल.आर. + 4.75% के बीच में हैं उधारकर्ताओं की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के अनुसार और तदनुसार एम.एस.एम.ई. के लिए ब्याज की वर्तमान दर 8.60% से 13.10% तक है. ऋण प्रस्तावों पर कार्रवाई हेतु क्षमता में सुधार के लिए अधिकारियों के लिए नियमित अंतराल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये.

बैंक ने रु. 5 करोड़ और उससे अधिक की ऋण सीमाओं वाले एम.एस.एम.ई. उधारकर्ताओं की उचित जांच पड़ताल करने के लिए क्रिसिल, डून एण्ड ब्रेडस्ट्रीट, मीरा इनफॉर्म प्रा. लि., को फेस क्रेडिट मैनेजमेंट प्रा.लि. तथा एक्सपेरियन सर्विसेज प्रा. लि. के साथ गठजोड़ व्यवस्था किया है.

बैंक ने एम.एस.ई. वित्तीयन में वृद्धि के लिए विभिन्न तिपहिया वाहन और कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनियों जैसे कि टाटा मोटर्स लि., जे.सी.बी. इंडिया लि., ए.एम.डब्ल्यू. मोटर्स लि. और अशोक लिलैंड लि. के साथ गठबंधन किया है.

एम.एस.एम.ई. लीड के सोर्सिंग के लिए बैंक ने स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड (एस.एम.ई.आर.ए.) के साथ गठजोड़ व्यवस्था में प्रवेश किया है।

बैंक ने रिसीवबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आर.एक्स.आई.एल.) के साथ ट्रेड रिसीवबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टी.आर.ई.डी.एस.) कारोबार के लिए उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है।

11. रिटेल साख :

11.1 बैंक के साख संविभाग में वृद्धि के लिए रिटेल ऋणों के एक महत्वपूर्ण भाग के रुप में पहचान की गई है. बैंक की 12 रिटेल बैंकिंग योजनाएं है जो कि ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी कर रही हैं. योजनाओं में बाजार परिदृश्य, ग्राहकों की आवश्यकताओं तथा शाखा स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाता है. रिटेल बैंकिंग योजनाओं का प्रचार करने के लिए गहन प्रयास किए गए.

31 मार्च 2018 तक, प्रत्यक्ष रिटेल ऋण रु. 10748 करोड़ रहा जिससे रु

712 करोड़ अर्थात 31.03.2017 में 6.22% की वृद्धि दर्ज की गई. कुल रिटेल ऋण में रु. 60.97 करोड़ की कमी हुई, इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर -0.46% की वृद्धि दर्ज की गई. हालांकि अप्रत्यक्ष आवास ऋण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 35.39% की वृद्धि दर्ज करते हुए 651 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई

(रु. करोड़ में)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	वृद्धि रकम	% वृद्धि
प्रत्यक्ष रिटेल	11,460	10,748	(712)	(6.22%)
अप्रत्यक्ष आवास	1,841	2,492	651	35.39%
कुल रिटेल	**13,301**	**13,240**	**(61)**	**(0.46%)**

11.2 रिटेल आस्ति प्रसंस्करण केंद्र :

बैंक के रिटेल ऋण संविभाग को बढ़ाने के लिए उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने तथा बेहतर गुणवत्ता, समानता एवं मूल्यांकन और स्वीकृति की गति सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने 14 रिटेल आस्ति प्रसंस्करण केन्दों को परिचालित किया है जैसे अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलुरू, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, सूरत, राजकोट, भोपाल, भांडुप (मुंबई), जुहू विले पार्ले (मुंबई), कोलकाता, नई दिल्ली और दुर्ग में 14 रिटेल आस्ति शाखाएं कार्यरत हैं.

1 सितंबर 2017 से, बैंक ने आरएपीसी की मौजूदा संरचना में सुधार किया है और नए आरएपीसी मॉडल को स्थापित किया है जिसमें नए आरएपीसी का दायरा केवल चार खुदरा योजनाओं तक ही सीमित था केंद्रित दृष्टिकोण रखने के लिए नई आरएपीसी संरचना में, विशिष्ट और विशिष्ट केआरए सभी आरएपीसी कर्मचारियों (बिक्री क्रेडिट और संचालन) और एलएमएस को सौंपा गया था - आवेदनों के स्रोत के लिए एक नई लीड प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई थी।

11.3 आवास वित्त :

प्रत्यक्ष आवास वित्त योजना के अंतर्गत बकाया राशि 31.03.2017 तक रु. 6,280 करोड़ से बढ़कर 31.03.2018 को रु. 6,849 करोड़ हो गयी अर्थात उसमें रु. 569 करोड (9.06%) की वृद्धि हुई.

11.4 शैक्षणिक ऋण :

देना विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बकाया राशि 31.03.2017 तक रु. 510 करोड़ से बढ़कर 31.03.2018 को रु. 524 करोड़ हो गयी अर्थात उसमें रु. 14 करोड़ (2.74 %) की वृद्धि हुई. 30.03.2017 को, 1000.00 करोड़ रुपये के आई.बी.पी.सी., शिक्षा ऋण का प्रतिनिधित्व किया गया और सितंबर 2017 में चुकाया गया.

11.5 वाहन ऋण योजना :

देना वेहिकल ऋण योजना के अंतर्गत बकाया राशि में रु 896 करोड़ से वर्ष के अंत तक रु 976 करोड़ तक पहुंच गई जो कि रु 80 करोड़ (8.97%) की वृद्धि दर्शाती है.

12. निवेश

बैंक का राजकोष विभिन्न बाजारों अर्थात विदेशी विनिमय, निर्धारित आय, ईक्विटी और मुद्रा बाजार में होने वाले क्रियाकलापों को शामिल करते हुए परिचालन करता है. हमारा डीलिंग रुम आई.टी. की उत्तम मूलभूत सुविधाओं से सज्जित है जिसमें बाजार सूचना टर्मिनलों द्वारा समर्थित डीलिंग प्लेटफार्म उपलब्ध हैं. जोखिम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निवेश विभिन्न परिपक्वता अवधियों में रखे गये हैं. बैंक का सकल घरेलू निवेश 31.03.2017 को रु. 38039.56 करोड़ (सिड़बी, नाबार्ड, एन.एच.बी. सहित) की तुलना में 31.03.2018 को रु. 40,189.77 करोड़ रहा. विदेशी मुद्रा लेन-देन निवेशों की बिक्री से वर्ष 2017-18 के दौरान राजकोष का कुल लाभ रु. 471.63 करोड़ था जिसमें से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निवेश की बिक्री से लाभ रु. 422.36 करोड़ था. इसके अतिरिक्त, राजकोष द्वारा अर्जित लाभांश आय रु 1.92 करोड़ था तथा अन्य विविध आय रु 0.24 करोड़ थी. बैंक के निवेश निर्णय जोखिम-लाभ-व्यापार पर आधारित हैं और बैंक सभी अनिवार्य विनियामक और आंतरिक दिशानिदेशों का कर्तव्यनिष्ठा से पालन कर रहा है. राजकोष द्वारा किये गये सभी नये निवेश बैंक की राजकोष नीति के अनुसार ही किये गये हैं.

31.03.2018 के अनुसार एस.एल.आर. प्रतिभूतियां रु. 29717.82 करोड़ (31 मार्च 2017 के अनुसार रु. 34,753.46 करोड़), गैर एस.एल. आर. प्रतिभूतियां 31.02.2018 के अनुसार रु. 8321.74 करोड़ थी (31.03.2017 के अनुसार रु. 5,436.30 करोड़)

निवेश से ब्याज आय 31 मार्च 2016 को रु. 2,906.09 करोड़ के स्तर से गिरकर 31 मार्च, 2017 को रु. 2680.35 करोड़ हो गई, जो कि वर्ष दर वर्ष के आधार पर 7.78% की कमी दर्शाती है. निवेश पर औसत आय 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए 7.57% से घटकर 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए 7.26% हो गई. संविभाग की संशोधित अवधि 4.98 रखी गई है.

13. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार

बैंक ने विदेशी एक्सचेंज से जुड़े ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता रहा है. ग्राहकों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विनिमय दर उद्धृत करने के लिए मुंबई में बैंक का पूरा डीलिंग रूम है. निर्यातकों को भारतीय रुपये के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में वित्त पोषित किया जाता है।

बैंक में अखिल भारतीय स्तर पर विदेशी मुद्रा कारोबार के साथ व्यापार. सभी शाखाएं एनआरआई खातों के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत हैं सी श्रेणी शाखा. इसके अलावा 44 शाखाएं बी के रूप में वर्गीकृत हैं और सभी विदेशी मुद्रा से संबंधित व्यवसाय करने के लिए अधिकृत हैं. बैंक निर्यात, आयात, प्रेषण इत्यादि से संबंधित ग्राहकों के विदेशी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दुनिया भर में संपर्ककर्ता बैंक संबंधों को भी बनाए रखता है।

14. आस्ति गुणवत्ता और वसूली प्रबंधन

बैंकिंग उद्योग में बड़ी मात्रा में स्लिपेज होने के बावजूद, वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने आस्ति गुणवत्ता बनाये रखने और प्रभावी एन.पी.ए. प्रबंधन के लिए सम्मिलित प्रयास किए. हाल ही में एन.पी.ए. में गए खातों के उन्नयन के लिए किये गये सम्मिलित प्रयासों और नकद वसूली के फलस्वरुप एन.पी.ए. प्रबंधन में बैंक अच्छा निष्पादन दर्शा सका. सरफेसी अधिनियम के तहत, समझौता निपटान और परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से वसूली के परिणामस्वरूप नकदी वसूली और काफी हद तक उन्नयन हुआ. बैंक द्वारा एन.पी.ए. घटाने के लिए किये गये सक्रिय उपायों के फलस्वरुप एन.पी.ए. का स्तर न्यूनतम बनाए रखा जा सका. सकल एन.पी.ए. मार्च, 2018 को 22.04% रहा जबकि मार्च, 2017 को वह 16.27% था.

समग्र रुप में मार्च, 2018 को सकल एन.पी.ए. रु.16361.44 करोड़ रहा, जबकि मार्च, 2017 को रु.12,618.73 करोड़ था.

बैंक का निवल एन.पी.ए. मार्च, 2018 को 11.95% रहा, जबकि मार्च, 2017 को 10.66% था. मार्च, 2016 के रु.7735.12 करोड़ की तुलना में समग्र रुप में मार्च, 2017 को निवल एन.पी.ए. रु.7,838.78 करोड़ रहा.

(रु. करोड़ में)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018
सकल अग्रिम	77,537.84	74238.58
सकल एन.पी.ए.	12,618.73	16,361.44
सकल अग्रिमों में सकल एन.पी.ए.	16.27%	22.04%
निवल अग्रिम	72,574.61	65,581.51
निवल एन.पी.ए.	7,735.12	7,838.78
निवल अग्रिमों में निवल एन.पी.ए.	10.66%	11.95%
प्रावधान कवरेज अनुपात (विवेकपूर्ण बट्टे खाते सहित)	50.56%	60.20%

विविध कार्रवाइयों द्वारा एन.पी.ए. की वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया जिनमें समझौता निपटान तथा एस.सी./आर.सी. को एन.पी.ए. की बिक्री भी शामिल है. प्रत्येक माह वसूली कैंप आयोजित किया गया था और प्रमुख केन्द्रों पर नियमित अंतराल पर लोक अदालतें आयोजित की गयीं. नई एकमुस्त निपटान योजना- रु. 5 करोड़ तक के एनपीए के निपटान के लिए डी.आर.एम.वाई योजना प्रारंभ की गई. लंबित मामलों पर कार्यवाही के लिए और त्वरित वसूली के लिए अधिवक्ता के साथ समन्वयन के लिए प्रत्येक डी. आर.टी. में नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है.

बैंक ने रु.931.24 करोड़ (रु. 1119.87 करोड़ 2016-17) की नकद वसूली, रु.673.40 (रु. 755.87 करोड़ 2016-17) का उन्नयन किया. बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली में रु.146.60 करोड़ (रु.114.70 करोड़ 2016-17) तक वृद्धि हुई है.

बैंक ने 1766 केंद्रों में 5 लोक अदालतों का आयोजन किया था, जहां 21803 पर विचार किया गया था और रु.30.54 करोड़ के 3012 खातों का निपटान किया गया.

प्रत्येक माह में वसूली कैंपों का आयोजन किया गया. जून 2017 से विभिन्न तिथियों 10 बड़े वसूली कैंपों का आयोजन किया गया. वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम वसूली कैंप (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए) दिनांक 20.03.2018 को अंचलों की सभी शाखाओं में आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे बेंक के लिए रु.607.93 करोड़ की वसूली और उन्नयन हुआ था. वसूली कैंपों में 64873 उधारकर्ताओं ने हिस्सा लिया जिसमें रु.197.26 करोड़ के 4741 खातों का निपटान किया गया था और रु.324.15 करोड़ के 8343 खातों का उन्नयन हुआ था. ऐसे वसूली कैंपों से रु.278.53 करोड़ (बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली सहित) की तत्काल वसूली हुई.

रु.263.54 करोड़ (एस.ओ.टी.एस. और डी.आर.एम.वाई. सहित) की समझौता राशि के कुल 7100 खातों में निपटान पर विचार किया गया जिसमें रु.143.47 करोड़ की वसूली हुई.

दिनांक 15.02.2018 से प्रभावी डी.आर.एम.वाई. योजना के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2018 तक रु.44.43 करोड़ समझौता राशि के 4249 खाते अनुमोदित थे और कुल रु.32.51 करोड़ की नकद वसूली हुई .

15. विधिक सेवाएं / आर. टी. आई. अधिनियम:

15.1 सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वसूली:

वर्ष 2017-18 के दौरान सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत बैंक ने पात्र खातों में 1591 नोटिस जारी किए, जिसमें रु.1625.86 करोड़ की राशि के शामिल थी. इस वर्ष के दौरान सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत रु.394.52 करोड़ की वसूली हुई.

15.2 लोक अदालत के माध्यम से वसूली:

विधिक सेवाएं प्राधिकारी अधिनियम के अंतर्गत गठित लोक अदालत के माध्यम से विवादों के शीघ्र समाधान और अपने चूककर्ताओं से वसूली करने के लिए बैंक अधिकतम लोक अदालतों की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करता है. वर्ष के दौरान बैंक अधिकतम लोक अदालतों की व्यवस्था करने और उसमें भाग लेने का प्रयास करता है. 21803 खातों पर विचार किया गया और रु.30.54 करोड़ के 3012 खातों का निपटान किया गया.

15.3 ऋण वसूली प्राधिकरण / सिविल न्यायालय में वाद दायर करके वसूली:

31.3.2018 को विभिन्न डी.आर.टी./ सिविल न्यायालयों में बैंक के 2520 वाद दायर खाते थे जिनमें रु.7753.62 करोड़ की रकम शामिल थी और विभिन्न डी.आर.टी./सिविल न्यायालयों में 1166 डिक्रीकृत खाते थे जिनमें रु.1548.58 करोड़ की रकम शामिल थी. दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने डी.आर.टी. के माध्यम से ओ.ए. / आर.सी. में रु.63.15 करोड़ की वसूली की.

15.4 एन.सी.एल.टी. मामले:

आई.बी.सी. 2016 के अंतर्गत 12 खातों में कार्रवाई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंक के पास 9 खातों, अलोक इंडस्ट्रीज (रु.615.26 करोड़), भूषण स्टील लिमिटेड (रु.486.50 करोड़), भूषण पॉवर और स्टील लिमिटेड (रु.402.56 करोड़), लैंको इन्फ्राटेक लिमिटेड (रु.282.84 करोड़), मोन्नेट ईस्पात और एनर्जी लिमिटेड (रु.310.87 करोड़), एबीजी शीपयार्ड लिमिटेड (रु.261.11करोड़), ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड (रु.200.00 करोड़), इलेक्ट्रोस्टील इंटीग्रेटेड लिमिटेड (रु.116.45 करोड़) और एमटेक ऑटो लिमिटेड (रु.65.30 करोड़), में रु.2740.89 करोड़ का एक्सपोज़र है. बैंक ने दावा दायर किया है और सभी खातों में समाधन प्रक्रिया शुरू की गई है. 9 खातों में से, 6 खातों में अंतिम समाधन योजना (सहमति / असंतोष) को हमारे बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था.

आई.बी.सी. 2016 के अंतर्गत दूसरे लॉट में कार्रवाई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार, बैंक के पास रु.1895.45 करोड़ के 12 खातों में एक्सपोजर है. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, (रु.190.51 करोड़), एस्सार प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (रु.230.59 करोड़), मोनेट पावर कंपनी लिमिटेड (रु.8.67 करोड़), रुची सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रु.188.91 करोड़), एसईएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (रु.113.37 करोड़), ट्रांसस्ट्राय (इंडिया) लिमिटेड (रु.199.30 करोड़), यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (रु.55.53 करोड़), उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड (रु.181.23 करोड़), उत्तम गलवा मेटलिक्स लिमिटेड (रु.92.06 करोड़), वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रु.514.40 करोड़) , वीडियोकॉन दूरसंचार लिमिटेड (रु.37.98 करोड़), वीजा स्टील लिमिटेड (रु.82.90 करोड़). अग्रणी बैंक ने एन.सी.एल.टी. में सभी खातों में आवेदन दिया है.

12 मामलों में से, दो मामले अर्थात रुची सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मोनेट पावर कं. लि. को एन.सी.एल.टी. द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था, यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लि. के खाते में दिवालियापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सि.ओ.सी. ने परिसमापन आवेदन दायर करने का फैसला किया था और 20.03.2018 को दायर किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आई.बी.सी. के अंतर्गत कार्रवाई के लिए चिह्नित पहले और दूसरे लॉट के खातों के अतिरिक्त परिचालन लेनदारों / वित्तीय लेनदारों और कॉर्पोरेट देनदार / अग्रणी बैंक ने 24 मामलों में एन.सी.एल.टी. में आवेदन दिया है जहां अपने बैंक का देय रु.1524.10 करोड़ है और बैंक ने आईआरपी में अपना दावा दायर किया है.

15.5 सूचना का अधिकार अधिनियम

अंचलों में उप महाप्रबंधक के अंचल प्रबंधक होने पर, उप अंचल प्रबंधक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) और अंचल प्रबंधक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है.

अंचलों में सहायक महाप्रबंधक के अंचल प्रबंधक होने पर, अंचल प्रबंधक सी.पी.आई.ओ. हैं तथा क्षेत्र महाप्रबंधक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं.

उप महाप्रबंधक (आर.एम.एल.), प्रधान कार्यालय, प्रधान कार्यालयों के विभागों और प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करने वाली शाखाओं/कार्यालयों के लिए सी.पी.आई.ओ. हैं. ऐसे मामलों में महाप्रबंधक (आर.एम.एल.) प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं.

सी.पी.आई.ओ. और बैंक के अंचल कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारियों से संबंधित जानकारी बैंक की वेबसाइट पर विधिवत अपलोड की गई है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 में, बैंक ने कुल 1378 आवेदनों में से 1356 आवेदनों का निपटान (पिछले वर्ष से आगे लाए गए आवेदन सहित) आर.टी.आई. अधिनियम के अनुसार कर दिया है. प्रथम अपील अधिकारी ने कुल 234 अपीलों में से 233 अपीलों का निपटान (पिछले वर्ष से आगे लाए गए अपील सहित) आर.टी.आई. अधिनियम के अनुसार कर दिया है.

16 सरकारी कारोबार

16.1 प्रत्यक्ष कर संग्रहण

बैंक को अखिल भारतीय स्तर पर 219 शाखाओं में भौतिक रुप में आयकर, कार्पोरेशन कर, सम्पति कर, उपहार कर, होटल प्राप्तियों का कर, संपदा शुल्क, आदि संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

बैंक ई-भुगतान के माध्यम से भी प्रत्यक्ष कर के संग्रहण के लिए प्राधिकृत है जिसके लिए मुंबई मुख्य कार्यालय शाखा, मुंबई ई-फोकल पॉईन्ट शाखा है. ऑनलाईन ई-भुगतान के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संग्रहित करने के लिए सभी शाखाएं प्राधिकृत है.

16.2 अप्रत्यक्ष कर संग्रहण

भारत सरकार ने दिनांक 01.07.2017 से उत्पाद शुल्क और सेवा करों की जगह जीएसटी लागू किया. हमारा बैंक जीएसटी के संग्रह के लिए प्राधिकृत है. सभी शाखाएं काउंटर पर और ऑनलाइन ई-भुगतान के माध्यम से जीएसटी के संग्रह के लिए प्राधिकृत हैं. शेयर बाजार शाखा, मुंबई जीएसटी के लिए केंद्रबिन्दु शाखा है.

बैंक को भौतिक और ई-मोड दोनों के माध्यम से सीमाशुल्क के संग्रह के लिए भी प्राधिकृत किया गया है. राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली सीमाशुल्क संग्रहण के लिए केंद्रबिन्दु शाखा है.

16.3 राज्य सरकार के राजस्व का संग्रहण

1. बैंक 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न राज्य सरकार करों के ई-भुगतान की सुविधा भी प्रदान करता है.

2. बैंक महाराष्ट्र राज्य में वर्च्युअल ट्रेजरी परियोजना (सरकारी प्राप्तियाँ और लेखा प्रणाली- जी.आर.ए.एस.) का सदस्य है. बैंक राज्य सरकार के राजस्व के सभी प्रकार के संग्रहण जैसे कि मोटर वाहन कर, सड़क कर, स्टांप शुल्क आदि के लिए प्राधिकृत है.

3. बैंक राज्य सरकार की 26 प्रकार की राजस्व मदों के संग्रहण के लिए गुजरात राज्य में साइबर ट्रेजरी प्रणाली परियोजना का सदस्य है. देना बैंक गुजरात राज्य में भूगर्भीय और खनन कर (जी.एम.टी.) के ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाला प्रथम बैंक है.

16.4 पेंशन का भुगतान

बैंक ने मुंबई में केद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सी.पी.पी.सी.) स्थापित किया है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन सीधे ही जमा की जा रही है. इस सुविधा से न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ही निरंतर पेंशन का लाभ प्राप्त हुआ है, बल्कि इससे शाखा का कार्यभार भी काफी कम हो गया है. केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों (सी.ए.पी.ओ., रेलवे और रक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों) के लिए ई-पी.पी.ओ. अपलोड करना कार्यान्वयन के अधीन है.

16.5 राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.):

बैंक, पेंशन फंड विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) के साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करने के लिए एक उपस्थिति स्थान (पी.ओ.पी.) के रूप में है.

16.6 अटल पेंशन योजनाः

बैंक, पेंशन फंड विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) के साथ अटल पेंशन योजना लागू करने के लिए भी एक उपस्थिति स्थान (पी.ओ.पी.) के रूप में है. दिनांक 31.03.2018 तक बैंक ने 117000 ए.पी.वाई. ग्राहकों को ग्राहक बनाया है.

16.7 सॉवरेन गोल्ड बाण्ड

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सॉवरेन गोल्ड बाण्ड (एस.जी.बी.) की खरीद के लिए विभिन्न श्रृंखलाओं को जारी किया है. ग्राहकों की सुविधा के लिए, बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एस.जी.बी. के लिए ऑनलाईन निवेश सुविधा कार्यान्वित किया है

16.8 सरकारी जमा योजना

हमारे बैंक की सभी शाखाएं अब भारत सरकार के बॉन्ड योजनाओं के बॉन्ड, पी.पी.एफ, एस.सी.एस.एस और एस.एस.ए योजनाओं के अंतर्गत जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं. ग्राहक खाता खोल सकते हैं और बैंक की सभी शाखाओं में जमा कर सकते हैं. ऑनलाइन जमा सुविधा भी विकास के अधीन है.

16.9 सरकारी कारोबार के लिए सॉफ्टवेयर (सरकारी कारोबार मॉड्यूल – जी.बी.एम.)

बैंक के पास सरकारी कारोबार के सभी क्रियाकलापों यथा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का संग्रहण, पी.पी.एफ. खाते का रखरखाव, मंत्रालय और राज्य ट्रेजरी के खातों का रखरखाव, पेंशन भुगतान आदि के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोर बैंकिंग सहित इंटरफेज किया गया है और सभी शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है.

16.10 नई पहल

बैंक अपने ग्राहकों के लिए निम्नलिखित सुविधाओं का विकास कर रहा है जो प्रक्रियाधीन है:

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण

1. पी.पी.एफ., एस.सी.एस.एस. और एस.एस.ए. खाते ऑनलाइन खोलना और रखरखाव.
2. सभी प्रमुख राज्यों में राज्य सरकार करों का भुगतान.
3. ई-एस.बी.टी.आर. की सुविधा का प्रावधान.
4. किसान विकास पत्र (के.वी.पी.) का कार्यान्वयन.

जी.बी.एम. के कार्यान्वयन और अन्य नई पहलों से शाखाओं में काम का बोझ कम होने से न केवल हमारे ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव देता है, बल्कि इससे शाखाओं की उत्पादकता भी बढ़ती है. इससे बैंक के गैर- ब्याज आय बढ़ाने में भी सहायता मिलती है.

कर्मचारियों में जागरूकता लाने तथा ग्राहकों को उचित सेवा और मार्गदर्शन के लिए उन्हें प्रोत्साहित हेतु बैंक द्वारा सरकारी कारोबार, एन.पी.एस. और ए.पी.वाई. और अन्य योजनाओं के लिए कार्यशालाओं और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रुप में आयोजन किया जा रहा हैं.

17. बैंक बीमा विभाग

मूल्यवर्धन के रूप में अपने ग्राहकों को बीमा और निवेश उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने और अपनी गैर-ब्याज आय में वृद्धि के लिए बैंक, बीमा उत्पादों के वितरण कारोबार में प्रवेश किया है.

बैंक ने अपोलो म्यूनिच स्वास्थ्य बीमा कं. लि. के साथ स्वास्थ्य बीमा कारोबार और साधारण बीमा उत्पादों के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. (यू.आई.आई.सी.) एवं चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी (चोला एम.एस.) तथा जीवन बीमा कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था में प्रवेश किया है.

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक बीमा से रु.11.09 करोड़ (पी.एम.जे.जे.बी.वाई. और पी.एम.एस.बी.वाई. के लिए प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति सहित) की कुल आय अर्जित की है.

17.1 जीवन बीमा कारोबार

ग्राहकों की जीवन बीमा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बैंक की कार्पोरेट गठबंधन व्यवस्था है.

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रु.51.42 करोड़ का प्रीमियम संग्रहित किया. वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम ने देना बैंक के 6 अंचलों को बीमा अंचल और 100 शाखाओं को बीमा बैंक शाखाओं के रुप में घोषित किया. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने जीवन बीमा कारोबार से रु.2.33 करोड़ का कमीशन अर्जित किया.

17.2 साधारण बीमा कारोबार

बैंक का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. (यू.आई.आई.सी.) एवं चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी (चोला एम.एस.) के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था है.

- **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. (यू.आई.आई.सी):**
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में यूआईआईसी से गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत बैंक ने रू.2.50 करोड़ की कमीशन आय के साथ रू.19.22 करोड़ का कुल प्रीमियम राशि प्राप्त किया.
- **चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी (चोला एम.एस.)**

वित्तीय वर्ष 2017-18 में चोला एम.एस. से गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत बैंक ने रू.2.25 करोड़ की कमीशन आय के साथ रू.16.89 करोड़ का कुल प्रीमियम राशि प्राप्त किया.

17.3 स्वास्थ्य बीमा कारोबार

बैंक का स्वास्थ्य बीमा कारोबार के लिए अपोलो म्यूनिच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता है.

- अपोलो म्यूनिख स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपोलो म्यूनिच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत रू.1.61 करोड़ की कमीशन आय के साथ रू.10.68 करोड़ का कुल प्रीमियम राशि प्राप्त हुआ.

- 17.4 म्यूचुअल फंड कारोबार:
- बैंक ने म्यूचुअल फंड बिजनेस के वितरण के लिए सभी प्रमुख ए.एम.सी. के साथ समझौता किया है और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कमीशन आय रू.0.26 करोड़ प्राप्त किया है.

18. पूंजी बाजार सेवाएं

बैंक एन.एस.डी.एल. के साथ डिपॉजिटरी सहभागी है और वर्ष 1998 से अपने ग्राहकों को पूंजी बाजार शाखा और विभिन्न केन्द्रों में स्थित 91 शाखाओं से डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान कर रहा है.

बैंक अपने ग्राहकों के लिए सभी शाखाओं के माध्यम से ए.एस.बी.ए. सुविधा प्रदान कर रहा है. फिनेकल प्रणाली में सिंडीकेट ए.एस.बी.ए. आवेदन सुधार और सत्यापन के लिए 14 शाखाएं प्राधिकृत हैं. सिंडीकेट ए.एस.बी.ए. सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध है.

19. आय और व्यय

19.1 आय

बैंक की कुल आय 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रु.11,433.06 करोड़ के स्तर से कम होकर 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रु.10095.75 करोड़ रहा. जिसके परिणामस्वरुप निवल कमी रु.1337.31 करोड़ रही जो 11.70% की कमी दर्शाती है.

19.2 व्यय

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान कुल व्यय में 11.13% की कमी हुई.

19.3 लाभप्रदता विश्लेषण

विगत बर्ष के दौरान बैंक की निवल ब्याजगत आय (एन.आई.आई.) पिछले वर्ष की रु.2,408.36 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु.2,475.82 करोड़ हो गई.

19.4 परिचालनगत लाभ

पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए रु.1,390.21 करोड़ की तुलना में बैंक के इस वर्ष का परिचालनगत लाभ 15.67% से घटकर रु.1171.61 करोड़ हो गया.

19.5 निवल लाभ

बैंक को वित्तीय वर्ष 2016-17 के रु.863.63 करोड़ निवल हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु.1923.15 करोड़ की निवल हानि हुई है.

आय, व्यय तथा प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं की पिछले वर्ष से तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
ब्याज आय	8,932.23	10,181.67
गैर ब्याज आय	1,163.52	1251.39
कुल आय	10,095.75	11,433.06
ब्याज व्यय	6,456.41	7,773.31
परिचालनगत व्यय	2,468.18	2,269.54
कुल व्यय	8,924.59	10,042.85
परिचालनगत लाभ	1,171.16	1,390.21
प्रावधान और आकस्मिकताएं	3,094.31	2,253.84
निवल लाभ	(1,923.15)	(863.63)

20. विपणन और प्रचार पहल

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर मीडिया के माध्यम से अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों और कार ऋण तथा आवास ऋण योजनाओं पर विशेष ध्यान के साथ हमारे बैंक के डिजिटल बैंकिंग समाधान को व्यापक रूप से प्रचारित करने और बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया.

बैंक के ब्रांड छवि बनाने के लिए वर्ष के दौरान अग्रणी समाचार पत्रों में पैन इंडिया विज्ञापन जारी किए गए थे और आवास ऋण और कार ऋण पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ विशेष रूप से अभियान अवधि के दौरान विभिन्न खुदरा बैंकिंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी जारी किए गए थे.

आईबीए से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रचार विभाग ने पी.एम.एल.ए. अधिसूचनाओं के अनुसार बैंक खातों में आधार कार्ड और पैन कार्ड को जोड़ने के लिए ग्राहकों को सूचित करते हुए प्रमुख समाचार पत्रों में पैन इंडिया आधार पर आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण विज्ञापन जारी किया है.

बैंक ने अहमदाबाद में हरक्यूलिस अवॉर्ड्स फंक्शन, रायपुर में स्मार्ट सिटी शिखर सम्मेलन और हरियाणा के मानेसर में एन.एस.जी. कमांडो चैलेंज मैराथन जैसे बड़े कार्यक्रमों में अपनी ब्रांड उपस्थिति दर्ज की.

डिजिटल पठशाला पर टीवीसी के अतिरिक्त हमारे ब्रांड स्थिति को बनाए रखने के लिए गृह और वाहन ऋण पर विज्ञापन जारी किए गए. स्वतंत्रता दिवस, नवरात्रि और दिवाली त्योहारों के अवसर पर अग्रणी टीवी चैनलों में पैन इंडिया आधार पर टीवी विज्ञापन जारी किए गए थे. बैंक ने डिजिटल पाठशाला टीवीसी के माध्यम से बैंक के डिजिटल उत्पादों का उपयोग करने के तरीके के बारे में जागरूकता फैलाने और ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए टीवीसी विज्ञापनों का कुशलता से उपयोग किया. बैंक ने डिजिटल उत्पादों पर ग्राहकों को बढ़ावा देने और शिक्षित करने के लिए रेडियो चैनलों का भी उपयोग किया है.

पैन इंडिया स्तर पर हमारे अंचल कार्यालयों द्वारा टीयर II एवं टीयर III शहरों में होर्डिंग एवं ग्लोसाइन बोर्ड पर विज्ञापन के माध्यम से बैंक का प्रचार किया गया. इस साल बैंक ने उपनगरीय रेलगाड़ियों के अंदर डिस्प्ले पैनलों पर अपने विभिन्न विज्ञापन भी प्रदर्शित किए हैं. सी.एस.एम.टी रेलवे स्टेशन, मुंबई और मुंबई उपनगरों में विभिन्न बस आश्रयों पर होर्डिंग्स को भी किराए पर लिया गया था. विज्ञापन निजी अनुबंध बसों पर भी प्रदर्शित किए गए थे जो मुंबई और इसके उपनगरीय क्षेत्रों के बीच चलती हैं, जो हमारे बैंक उत्पादों के व्यापक प्रचार और ब्रांड छवि सुधारने में मदद करते हैं.

वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न सामाजिक / सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया और अच्छे प्रचार और लाभ प्राप्त किया. बैंक ने कोलकाता नाइट पोलो चैंपियनशिप, बप्पी लहरी नाइट, श्रेया घोषाल कॉन्सर्ट, विभिन्न कबड्डी और टेबल टेनिस टूर्नामेंट जैसे विभिन्न कार्यक्रमों, गणपति और दुर्गा पूजा समारोह के दौरान पांडलों में बैनर प्रदर्शित कर, अहमदाबाद में नवरात्रि महोत्सव में मिर्च रॉक और ढोल इवेंट को प्रायोजित करके अच्छा प्रचार प्राप्त किया.

बैंक ने मुंबई में टाटा और सीमा शुल्क विभाग द्वारा आयोजित मैराथन में भी भाग लिया, जिसने बैंक की ब्रांड छवि में सुधार करने में मदद की.

21. जोखिम प्रबंधन

21.1 बैंक ने संरचनाबद्ध जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रभावी ढांचा स्थापित किया है, जिस पर समेकित जोखिम प्रबंधन की निदेशक समिति द्वारा निगरानी रखी जाती है. आस्ति देयता (आल्को), साख जोखिम प्रबंधन (सी.आर.एम.सी.) एवं परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओ.आर.एम.सी.) और बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एम.आर.एम.सी.) पर प्रबंधन स्तरीय समितियां केद्रीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के मुख्य अंग हैं. जोखिम प्रबंधन विभाग, जोखिम प्रबंधन के विभिन्न कार्यप्रणालियों पर कार्रवाई करता है और प्रबंधन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है. जोखिम क्षेत्रों और जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणालियों पर ध्यान देने के लिए अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों को पदस्थापित किया गया है. जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणालियों पर जोखिम प्रबंधकों को नियमित रूप से अद्यतन जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है.

21.2 बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, परिचालनगत परिस्थितियों में परिवर्तन तथा ऋण और बाजार जोखिमों को प्रभावकारी तरीके से व्यवस्थित करने की दृष्टि से जोखिम संबंधित अपनी नीतियों को वार्षिक आधार पर संशोधित और अद्यतन बना रहा है.

21.3 वी.ए.आर, दबाव परीक्षण आदि के माध्यम से बाजार जोखिम की प्रभावी निगरानी के लिए बैंक के मिड ऑफिस के क्रियाकलापों को अधिक व्यापक आधार पर बनाया गया है.

21.4 बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित साख रेटिंग नीति है. बैंक ने, साख जोखिम के एडवांस एप्रोच में जाने के लिए एवं अधिक वैज्ञानिक जोखिम रेटिंग हेतु नए रेटिंग माडल यथा आर.ए.एम. (रेटिंग मूल्यांकन मॉडल) क्रियान्वित किया है. सॉफ्टवेयर में चूक की संभाव्यता (पी.डी.), चूक पर हानि (एल.जी.डी.) और चूक पर एक्सपोजर (ई.ए.डी.) की गणना करने की क्षमता है. बैंक मुख्यतः आंतरिक रेटिंग के आधार पर मूल्य निर्धारित करता हैं. बैंक ने 4 रिटेल उत्पादों अर्थात आवास, वाहन, शिक्षा और वैयक्तिक के लिए सी.आर.ई.एस.एस. (ऋण रेटिंग स्कोरिंग प्रणाली) भी लागू की है.

22 मानव संसाधन प्रबंधन

22.1 भर्ती

वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने 21 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 13 विशेषज्ञ अधिकारी, 128 लिपिक और 148 अधीनस्थ की भर्ती की है.

22.2 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./पी.एच./ई.एक्स.एस.एम. कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र:

बैंक ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिकों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, मुख्य संपर्क अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए महाप्रबंधक पद के अधिकारियों को पदनामित किया है. शिकायतों के निवारण के लिए तिमाही बैठक अखिल भारतीय देना बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी फेडरेशन के साथ प्रधान कार्यालय और

अंचल कार्यालय स्तर पर आयोजित की जाती है.

22.3 प्रशिक्षणः

वर्तमान वर्ष के दौरान, बैंक ने 7224 कर्मचारी (4607 अधिकारी, 2205 लिपिक, 412 अधीनस्थ) को अपने ज्ञान कौशल, वृद्धि बेहतरी कारोबारी आत्मविश्वास के लिए सतत प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षण दिया है. ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे विभिन्न आंतरिक प्रशिक्षण केद्रों और एन.आई.बी.एम., सी.ए.बी., बी.आई.आर.डी., ए.एस.सी.आई. तथा एम.डी.आई. इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं.

क. एक कार्यपालक को विदेशी जानकारी हेतु नामित किया गया था.

ख. 1246 अधिकारियों ने देना टॉप-अप योजना, देना स्टेप अप आवास योजना, फर्नीचर और फिक्सचर योजना, कौशल रिन योजना और मुद्रा ऋण सहित देना शिक्षा ऋण योजना सहित देना निवास आवास योजना पर कैप्सूल क्रेडिट कार्यक्रम में भाग लिया.

ग. स्केल IV और V अधिकारियों के लिए बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम एसपीबीटी कॉलेज, मुंबई में आयोजित किया गया था, दिनांक 22.01.2018 से 24.01.2018 तक आयोजित कार्यक्रम में 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया.

घ. लेंड परफेक्ट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल पर एक विशेष प्रशिक्षण एसपीबीटी कॉलेज, मुंबई में आयोजित किया गया था. सभी आरएपीसी के प्रमुख, प्रत्येक अंचल से एक अधिकारी जो खुदरा संविभाग में कार्यरत हैं और प्रधान कार्यालय के आरबीडी विभाग के अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया.

ङ. भा.रि. बैंक के सलाह के अनुसार, बैंक ने ए) खजाना प्रबंधन बी) जोखिम प्रबंधन सी) लेखा और लेखा परीक्षा एवं डी) साख प्रबंधन आदि इन क्षेत्रों में काम कर रहे अधिकारियों की कौशल और योग्यता में सुधार के लिए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण प्रमाणन कार्यक्रम शुरू कर दिया है. 31 मार्च 2018 तक 125 अधिकारियों ने प्रमाणन कार्यक्रमों के लिए नामांकन किया है.

22.4 पदोन्नति

बैंक ने अपने कर्मचारियों के विकास और व्यावसायिक प्रगति के लिए, मार्च 2018 तक पहचानी गई रिक्तियों को भरने के लिए अधिकारियों के विभिन्न संवर्गों में प्रक्रिया आरंभ की है. तदनुसार, मार्च, 2018 में समाप्त वर्ष के दौरान 815 अधिकारी उच्च वेतनमान में पदोन्नत किए गए.

22.5 जनशक्ति

बैंक के कर्मचारियों की संख्या 31.03.2018 को 13613 है. कुल संख्या में 6033 अधिकारी, 5325 लिपिक और 2255 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल हैं जिनमें 3705 महिला कर्मचारी शामिल हैं. बैंक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित स्तर के अनुरूप है.

22.6 औद्योगिक संपर्क

बैंक ने सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संपर्क का माहौल बनाया है. कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ के साथ आवधिक संरचित बैंठकों का आयोजन प्रधान कार्यालय और अंचल कार्यालय स्तर पर किया जाता है.

23. सूचना तकनीकी पहल

23.1 कोर बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस.)- देना गरिमा

23.1.1 बैंक ने तकनीकी की सहायता से ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने एवं कारोबार वृद्धि के दृष्टि से बदलाव की प्रक्रिया आरंभ कर दिया है. बैंक के कोर बैंकिंग परिचालनों के शुरू से अंत समाधान के लिए बैंक एक अग्रणी सूचना तकनीक सेवा प्रदाता मे. विप्रो की सेवाओं से जुड़ा हुआ है. यह मे. इंफ़ोसिस टेक्नोलोजिस के फिनेकल सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित है. समन्वित खजाना परिचालनों के लिए सॉफ्टवेयर समाधान के अतिरिक्त कोर बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक सुविधा सेवाएं जैसे इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नकदी प्रबंधन सेवा आदि शामिल है. विनियामक अपेक्षाओं को पुरा करने और कारोबार वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कई तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर समाधान भी हैं.

23.1.2 यह परियोजना बैंक के मुंबई के माहिम शाखा में 12 मार्च, 2007 को वर्तमान परिचालनों को बदलकर लागू किया गया.

23.1.3 मार्च 2018 तक बैंक के सभी 1872 शाखाएं (72 अनुषंगी शाखाओं सहित) और पूरा कारोबार सी.बी.एस. के अंतर्गत लाया गया. इसमें 1,153 केद्र तथा 31 राज्य/केद्र शासित प्रदेश शामिल है. सभी प्रशासनिक इकाई जैसे अंचल कार्यालय, कर्मचारी प्रशिक्षण केद्र तथा प्रधान कार्यालय के विभाग भी सी.बी.एस. के अंतर्गत है.

23.2 स्वचलित टेलर मशीन (ए.टी.एम.)

बैंक के सभी ए.टी.एम. ए.टी.एम. स्विच से जुड़े हैं, जो उसके आगे सी.बी.एस. सर्वर से जुड़ा हुआ है. यह व्यवस्था बैंक के कार्डधारकों को अपने बेस शाखाओं के स्थान पर किसी भी बैंक के ए.टी.एम. से नकदी आहरण, शेष की जांच, मोबाइल टॉप अप आदि जैसे विशिष्ट प्रकार के लेन-देन को पूर्ण करने में सक्षम बनाता है. इसके अतिरिक्त, बैंक के ए.टी.एम. स्विच अन्य ए.टी.एम. नेटवर्क समूहों अर्थात राष्ट्रीय वित्तीय स्विच -एन.एफ.एस. जो एन.पी.सी.आई. और वीज़ा द्वारा संवर्धित है. जो हमारे कार्ड धारकों को इन नेटवर्क समूहों के ए.टी.एम. से कुछ सामान्य लेन-देन करने के लिए की अनुमति प्रदान करता है.

सुपुर्दगी चैनल के सबसे लोकप्रिय और सुविधाजनक तरीके के रूप में एटीएम शुरू करने की वैश्विक प्रवृत्ति के दृष्टिगत, पूरे देश में मार्च, 2018 तक कुल 1685 एटीएम स्थापित किए गए हैं. इन एटीएम में से 1334 ऑनसाइट हैं और 351 ऑफसाइट हैं. पिछले साल के दौरान एक मोबाइल एटीएम प्रारंभ किया गया है.

दिनांक 31 मार्च 2018 तक बैंक का वर्तमान कार्ड बेस 87.63 लाख है. बैंक के पास वीज़ा और एन.एफ.एस. गठजोड़ के माध्यम से एटीएम साझाकरण व्यवस्था है, जो भारत में 207036 एटीएम एक्सेस पॉइंट्स और 30.27 लाख से अधिक व्यापारी प्रतिष्ठानों (एमईएस) और विदेश में 1.5 मिलियन से अधिक एटीएम और 30 मिलियन एमई विदेशों में सक्षम है, बैंक के ग्राहकों को. बैंक वीजा संबद्धता और रुपे प्लैटिनम कार्ड के साथ एच.एन.आई. ग्राहकों को देना इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड भी प्रदान करता है.

बैंक के पास एटीएम के माध्यम से बहुत सारी मूल्य वर्धित सेवाएं है. अर्थात मोबाइल प्रीपेड टॉप-अप और पोस्ट पेड बिल भुगतान इत्यादि. डेबिट कार्ड ग्राहक इंटरनेट पर डेबिट कार्ड का उपयोग करके माल और सेवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं. बैंकों ने ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा के लिए वीजा पासवर्ड द्वारा स्थाई सत्यापन के स्थान पर ओटीपी लागू किया है.

23.3 इंटरनेट बैंकिंग :

इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के अंतर्गत वित्तीय लेन-देन सभी शाखाओं के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन सर्वर डेटा सेंटर (डी.सी.) औरडी.आर साईट पर स्थित है. यह सर्वर, बदले में, सी.बी.एस. एप्लिकेशन और डाटाबेस सर्वर से लैन के द्वारा डेटा सेंटर में आवश्यक फ़ायरवॉल आधारित सुरक्षा नियंत्रण के साथ जुड़ा हुआ है ताकि हमारे ग्राहक के डेटा की

सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नई सुविधाएं

क) दिसंबर 2017 में नया एफ.ई.बी.ए. संस्करण आरंभ किया गया है.

ख) कॉरपोरेट ग्राहकों द्वारा कॉरपोरेट वेतन / थोक निधि हस्तांतरण का उपयोग कॉर्पोरेट कर्मचारियों के वेतन को जमा करने के लिए किया जा सकता है, जिनका खाता हमारे साथ है.

कार्पोरेट एक साथ कई विक्रेताओं का भुगतान कर सकते हैं.

ग) सीमा शुल्क, छत्तीसगढ़ राज्य कर का ई-भुगतान, तमिलनाडु राज्य कर वर्ष के दौरान प्रारंभ किया जाता है.

घ) देना इंस्टा पे का प्रारंभ : बैंक ने अग्रणी बिल भुगतान सुविधा प्रदाताओं बिल डेस्क, एसबीआई ई पे, पेटीएम और पे यू के साथ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपयोगिता बिलों और खरीद का भुगतान प्रदान करने के लिए समझौता किया है जो ग्राहकों की सामान्य आवश्यकताओं में से एक था. हम और अधिक बिल संकलकर्ताओं के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में भी हैं. वर्तमान में ग्राहक निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के लिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं:

1. टेलीफोन (लैंडलाइन / मोबाइल) बिल
2. बिजली बिल
3. क्रेडिट कार्ड बिल
4. बीमा प्रीमियम
5. यात्रा टिकट की बुकिंग
6. गैस रीफिल शुल्क आदि
7. ऑन लाइन खरीदारी पर
8. डीटीएच रिचार्ज
9. ऑन लाइन विद्यालय शुल्क का भुगतान

ङ) खातों के मासिक ई मेल स्टेटमेंट उन ग्राहकों को भेजे जाते हैं जिन्होंने बैंक के साथ ई-मेल आईडी पंजीकृत की है.

च) जीएसटी कर का ई-भुगतान.

छ) इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड ब्लॉक करना.

23.4 देना नेट :

प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवर्तन की दिशा में बैंक के अभियान में संचार आधारभूत संरचना के महत्व को पहचानते हुए, बैंक अपनी सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों से देनानेट के माध्यम से जुड़ा है – इसके व्यापक क्षेत्र नेटवर्क का विभिन्न कनेक्टिविटी मीडिया द्वारा उपयोग किया जा रहा है. 99.5% से अधिक समय सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क मॉनीटरिंग टीम द्वारा देनानेट की लगातार 24x7 आधार पर निगरानी की जा रही है.

हमारे सभी वर्तमान तकनीकी पहल का आधार देना नेट है, जो सूचीबद्ध नेटवर्कों का उपयोग करके बैंक के भीतर और बाहर विभिन्न संस्थाओं को जोड़ती है।

कनेक्टीविटी का प्रकार	31/03/2018 तक लिंक की संख्या
पाईन्ट टू पाईन्ट / एम.पी.एल.एस.	2501
सिफी -3ऋ	91
आई.एस.डी.एन.पी.आर.आई./बी.आर.आई. लाईन	21
वी.एस.ए.टी. (एच.सी.एल. और एच.सी.आई. एल.)	830

देना नेट 1872 शाखाओं (72 सैटेलाईट शाखाओं सहित), 35 प्रशासनिक कार्यालय, 6 कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र, 143 ऑफसाईट ए.टी.एम. और 12 बैंक/कार्यालय के बाहर (एम.ओ.एफ. निविदा के अंतर्गत ए.टी.एम. के लिए आई.डी.आर.बी.टी., आर.बी.आई., यूरोनेट, एन.पी.सी.आई., आर. सी.ए.पी., कंट्रोल एस., कार्वी, बैकहाऊल लिंक.)

23.5 यू.पी.आई. मोबाईल बैंकिंग एप्लिकेशन :

बैंक ने भीम देना -यू.पी.आई. भी लॉन्च किया है जो आपको यूनिफाईड भुगतान इंटरफेज (यू.पी.आई.) का प्रयोग करके सरल, आसान और तत्काल भुगतान लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है. ग्राहक आसानी से विभिन्न मोड जैसे और खाता+आई.एफ.एस.सी. / मोबाईल नं.+एम.एम.आई.डी./ वर्चुअल भुगतान पता (वी.पी.ए.) / आधार + बैंक नाम का प्रयोगकरते हुए एक बैंक से दुसरे बैंक भुगतान कर सकते हैं और नकदी प्राप्त कर सकते है. निम्नानुसार सेवाएं उपलब्ध है :

I. खाता मैनेज करें : उपयोगकर्ता पंजीकृत मोबाईल नंबर के साथ अपना खाता जोड़ सकता है.

II. लाभार्थी मैनेज करें : उपयोगकर्ता 4 विकल्पों के माध्यम से लाभार्थी जोड़ सकता है अर्थात खाता + आई.एफ.एस.सी. / मोबाईल+एम.एम.आई.डी./ वर्चुअल भुगतान पता -वी.पी.ए./ आधार + बैंक नाम.

पे : इस विकल्प का प्रयोग करते हुए, आप किसी को भी खाता + आई.एफ. एस.सी. / मोबाईल+एम.एम.आई.डी./ वर्चुअल भुगतान पता -वी.पी.ए. / आधार + बैंक नाम का प्रयोग करते हुए नकदी भेज सकते हैं.

III. कलेक्ट : इस विकल्प का प्रयोग करते हुए, वच्यूअल पेमेंट एड्रेस (वी.पी.ए.) दर्ज करते हुए आप नकदी प्राप्त कर सकते है.

IV. बकाया शेष जानकारी : खाता ऐड करने के पश्चात, इस विकल्प का प्रयोग करते हुए उपयोगकर्ता अपने खाते की बकाया शेष को जान सकता है.

V. मैनेज एम.पिन : इस विकल्प से यू.पी.आई. पिन को रिसेट/बदला जा सकता है.

VI. लेन-देन हिस्ट्री : इस विकल्प का प्रयोग करते हुए, उपयोगकर्ता पे/कलेक्ट प्रकार के लेन-देन की लेन-देन हिस्ट्री चेक कर सकता है. आप अस्वीकृत लेन-देन के लिए शिकायत भी कर सकते है.

VII. ब्लॉक/अनब्लॉक वी.पी.ए: उपयोगकर्ता वच्यूअल पेमेंट एड्रेस (वी.पी.ए.) को ब्लॉक/अनब्लॉक कर सकता है

VIII. अपंजीकरण : उपयोगकर्ता देना ई-यू.पी.आई. एप्लिकेशन से अपने आप को अपंजीकृत भी कर सकता है.

IX. बैंक, देना ई.-यू.पी.आई. को विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से लोकप्रिय बना रहा है. बैंक ने यू.पी.आई. प्लैटफार्म का प्रयोग करने के लिए ग्राहकों को पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. भी भेजे है.

यू.पी.आई. के लाभ :

1. निधि अंतरण का सबसे सस्ता साधन.
2. देना यू.पी.आई. सुविधा सरकार की नकदी रहित अर्थव्यवस्था की पहल को आगे ले जाता है.
3. ऑनलाइन लेनदेन के लिए कार्ड नंबर, वैधता, सी.वी.वी. जैसे विवरण देने की आवश्यकता नहीं है.
4. 24 X 7 365 उपलब्धता.
5. विभिन्न बैंक खातों तक पहुंचने के लिए केवल एक ऐप (एक देना ई-यू. पी.आई. ऐप कई खाते).
6. सिंगल क्लिक प्रमाणीकरण. कोई टाइमआउट परिदृश्य नहीं है.
7. सुरक्षित वर्चुअल आई.डी. (वी.पी.ए.).
8. तत्काल निधि अंतरण. अवकाश या गैर-कार्यशील बैंकिंग घंटों का कोई प्रतिबंध नहीं.
9. आदाता का तत्काल पंजीकरण.
10. लेन-देन करने के लिए लाभार्थी के बैंक खाता संख्या और आई.एफ. एस.सी. कोड की आवश्यकता नहीं है. निधि अंतरण के लिए लाभार्थी के वी.पी.ए. को जानना पर्याप्त है.

उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं निम्नानुसार है :

सुविधा का प्रकार	सुविधा का नाम	लेन-देन सीमा
वित्तीय	निधि अंतरण	देना यू.पी.आई. ऐप द्वारा रु 1 लाख प्रति दिन सभी लेनदेन के लिए जबकि भीम ऐप से रु 10,000/- की प्रति लेन-देन की सीमा के साथ रु 20,000/- प्रति दिन लेन-देन सीमा.
गैर वित्तीय	1. बकाया शेष 2. पासवर्ड बदलना (एम.पिन /लॉगिन)	-

23.6 अन्य सूचना तकनीकी पहल :

23.6.1 यू.एस.एस.डी. अनुपूरक सेवा डेटा - यू.एस.एस.डी. चैनल :

हमने, अग्रणी उत्पाद राष्ट्रीय एकीकृत यू.एस.एस.डी. प्लेटफार्म (एन.यू.यू.पी.) जो कि कई प्रमुख टेलिकाम नेटवर्क पर काम करती है, के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन.पी.सी.आई.) द्वारा प्रवर्तित असंरचनाबद्ध अनुपूरक सेवा आंकडे - यू.एस.एस.डी. चैनल नामक, एक नए मोबाइल बैंकिंग चैनल की शुरुआत की हैं.

देना बैंक के ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल फोन (मेक या डिजाइन की परवाह किए बगैर) से 99*65# डायल करके इस सरल और सुविधाजनक सेवा का उपयोग कर सकते हैं और मोबाइल क्रीन पर प्रदर्शित एक इंटरैक्टिव मेनू के माध्यम से लेनदेन कर सकते हैं.

यह सुविधा वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों के लिए उपलब्ध है. बैंक ग्राहकों के बीच इस अनुप्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास कर रहा रहा है.

23.6.2 मोबाईल बैंकिंग और यू.एस.एस.डी.:

बैंक ने देना एम कनेक्ट सेवाओं - मोबाईल हैण्डसेट का प्रयोग करते हुए सुविधाजनक और सुरक्षित बैंकिंग लेन-देनों को करने के लिए कार्यान्वित किया है. यह समाधान मोबाईल बैंकिंग पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में है.

23.6.3 मिस्सड कॉल सुविधा

बैंक ने उन ग्राहकों को जिनके मोबाईल नम्बर पंजीकृत है, के लाभ के लिए पहली बार मिस्सड कॉल सुविधा लागू की. इस सुविधा में, ग्राहक 09289356677 पर कॉल करके सक्रिय खातों (अधिकतम 5 खातों तक) में शेष तथा 09278656677 पर कॉल करके सक्रिय खातों (अधिकतम 5 खातों तक) के अंतिम 4 अंतरण की लघु विवरणी की जानकारी प्राप्त कर सकता है. नम्बर डायल करने पर, कॉल 2 रिंग के बाद स्वतः ही कट जाएगा. ग्राहक को उक्त दिये गए 5 सक्रिय खातों के लिए एस.एम.एस. संदेश मिल जाएगा.

इस सुविधा का यह लाभ है कि इसमें कॉल के लिए कोई शुल्क नहीं है और ग्राहक को एक कॉल से ही 5 सक्रिय खातों की जानकारी मिल जायेगी. ग्राहक को केवल शेष / लेन-देन विवरण जानने के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है.

23.6.4 इंटरनेट और मोबाईल बैंकिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन सुविधा :

ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाईल बैंकिंग सुविधा के लिए स्वयं ऑनलाइन पंजीयन कर सकता है. ग्राहक को इस सुविधा के पंजीयन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है. इससे बैंक को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाईल बैंकिंग ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में सहायता मिलेगी.

23.6.5 दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डी.एम.एस.)कार्यान्वयन:

बैंक ने दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए डी.एम.एस. समाधान के कार्यान्वयन का आरंभ कर दिया है और इस प्रणाली द्वारा डी.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से खाते खोलने / दस्तावेजों की कुछ गतिविधियों को शाखाओं / अंचल कार्यालयों / प्रधान कार्यालय स्तर पर किया जा सके.

वाऊचर और पुस्तकों के माइक्रो फिल्मिंग के संबंध में घोष जिलानी समिति की सिफारिशों के अनुपालन में डी.एम.एस. मेकर/चेकर कंसेप्ट के साथ इलेक्ट्रानिक मोड में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखने की सुविधा प्रदान करता है.

23.6.6 ई-स्मार्ट केन्द्र:

बैंक ने पहचान किए गए केंद्रों पर बैंकिंग की 24x7 सुविधा प्रदान करने के लिए ई-स्मार्ट केंद्रों की स्थापना के लिए प्रक्रिया आरंभ की है. ई-स्मार्ट सेटअप में व्यावसायिक क्षमता और आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित कियोस्क हैं.

क. स्वचलित टेलर मशीन (ए.टी.एम.)

ख. नकदी जमा मशीन

ग. पासबुक प्रिंटर

घ. चेक डिपोजिट मशीन

ङ. इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क

मार्च 2018 तक, हमने 98 ई-स्मार्ट केंद्रों को परिचालित किया था.

23.6.7 एच.आर.एम.एस. प्रणाली कार्यान्वयन :

बैंक पिपलसॉफ्ट की एच.आर.एम. प्रणाली का कार्यान्वयन कर रहा है. मॉडयूल-वार कार्यान्वयन स्थिति निम्नानुसार है:

मद सं	मॉडयूल का नाम	एण्ड यूजर
1	पेरोल प्रबंधन	सभी कर्मचारी
2	कर्मचारी सूचना प्रबंधन	सभी कर्मचारी
3	कर्मचारी स्वयं सेवा	सभी कर्मचारी
4	जनशक्ति प्रशिक्षण	एस.पी.बी.टी. और कार्मिक अधिकारी
5	अवकाश और हाजिरी प्रबंधन	सभी कर्मचारी
6	कैन्टीन सहायकी	सभी कर्मचारी
7	कार्यपालकों को वाहन और अन्य वाहनों का आबंटन	एफ.जी.एम.ओ. और ओ.ए.डी.
8	सांविधिक अनुपालन (शिकायत)	सभी कर्मचारी
9	विविध/भत्ते	प्र.का. स्तरीय कर्मचारी
10	कर्मचारी कल्याण योजना	प्र.का. स्तरीय कर्मचारी
11	वेतन-वृद्धि प्रक्रिया	प्र.का. कार्मिक अधिकारी
12	नियुक्ति	सभी कर्मचारी
13	एच.आर.एम. लेखापरीक्षा	एच.आर.एम. विभाग
14	कार्यदल स्कोअरकार्ड	एच.आर.एम. विभाग
15	मानव संसाधन एम.आई.एस.	एच.आर.एम. विभाग

23.6.8 ए.टी.एम., इंटरनेट बैंकिंग, एस.एम.एस., शाखाओं के माध्यम से आधार अद्यतन करना :

बैंक के खाताधारक, शाखा में जाने के अलावा अपने ए.टी.एम., इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल और एस.एम.एस. के माध्यम से अपनी आधार संख्या अद्यतन कर सकते हैं. ग्राहक मुख्यशब्द (की वर्ड) AADHAR (खाली जगह) ACCOUNT NO. (खाली जगह) आधार संख्या. अर्थात. AADHAR 02091002285 216901540030 टाईप कर के 9223175152 नंबर पर भेज सकते है.

23.6.9 फिनेकल में बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन :

बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन को कार्यान्वित किया है. कर्मचारियों को फिनेकल में प्रवेश करने के लिए बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन प्रणाली द्वारा अपने को अधिप्रमाणित करना है.

23.6.10 ग्राहकों को ई-मेल और एस.एम.एस. अलर्ट :

हम ग्राहक को उसके/उनके मोबाईल नंबर बदल जाने के मामले में ई-मेल/एस.एम.एस. अलर्ट भेजते है. मोबाईल नंबर बदलाव और उसके दुरुपयोग द्वारा धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है.

ग्राहक द्वारा किए गए वित्तीय तथा कुछ गैर वित्तीय (जैसे कि चेक बुक जारी करना) लेन-देनों के लिए एस.एम.एस. अलर्ट भी भेजे जाते है. इंटरनेट बैंकिंग पर लॉग-इन करने पर प्रणाली में लॉग-इन करने के लिए ग्राहकों को एस.एम.एस. भेजा जाता है.

खाते का मासिक विवरण ई-मेल के माध्यम से ग्राहकों द्वारा पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर भेजा जाता है.

23.6.11 ई - के.वाई.सी. कार्यान्वयन :

पहचान धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी की जोखिम को कम करने के लिए तथा कागज रहित के.वाई.सी. सत्यापन के लिए बैंक ने ई-के.वाई.सी. सेवा का प्रारंभ किया है.

इस सुविधा के माध्यम से, जो ग्राहक खाता खोलना चाहते हैं वे ऑनलाईन सुविधा के माध्यम से के.वाई.सी. सत्यापन प्राप्त कर सकते हैं यदि वे आधार के लिए पंजीकृत है.

23. 7 नेटवर्क आधारित सेवाएं तथा उपयोग:

23.7.1 ग्राहक संतुष्टि के दृष्टिगत इस मूलभुत सुविधा को माध्यम बनाने के लिए एवं उनके सृजन से ब्याज दरों का दायरा बढाने की दृष्टि से, बैंक ने निम्नानुसार विभिन्न नेटवर्क आधारित उत्पाद व सेवाएं आरंभ की हैः

सी.बी.एस. एप्लिकेशन,
ए.टी.एम. /डेबिट कार्ड,
इंटरनेट बैंकिंग,
मोबाईल बैंकिंग,
टैब बैंकिंग,
माइक्रो ए.टी.एम.,
बिक्री केन्द्र सेवाएं,
वी.पी.एन. के माध्यम से अल्ट्रा स्मॉल शाखाएं,
स्विफ्ट,
चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सी.टी.एस.),
आर.बी.आई. भुगतान प्रणाली जैसे आर.टी.जी.एस. और एन.ई.एफ.टी. आदि,
कॉर्पोरेट ई-मेल,
इंट्रानेट,
आई.पी. टेलिफोनी,
वीडियो कॉन्फरंसिंग,
डेटा अंतरण और रिमोट सपोर्ट,
अन्य एप्लिकेशन अर्थात ए.एल.एम./ए.एम.एल., ऑनलाईन तुलनपत्र आदि यू.पी.आई.

23.7.2 बैंक की अपनी वेबसाइट है जिसमें नेटीजन के अनुकूल विशेषताएं मौजूद हैं जैसे कि शाखा संकेतक, कैलकुलेटर, दोहरी क्लिक नेवीगेशन प्रणाली इत्यादि. वेबमास्टर निरंतर आधार पर वेबसाइट को अद्यतन एवं गतिशील बनाए रखता है.

सूचना प्रौद्योगिकी की सुदृढ़ मूलभूत सुविधाओं के साथ, बैंक ग्राहक को प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर सुविधाएं देने के लिए तैयार है.

23.7.3 वर्ष 2017-18 के दौरान नए कार्यान्वयन निम्नानुसार हैं :

पी.ओ.एस. सुविधा की खरीद और कार्यान्वयन

कार्ड जारी करने वाली एजेंसियों जैसे एन.पी.सी.आई., वीसा और मास्टर कार्ड से प्रमाणीकरण के बाद पी.ओ.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर को संचालित किया गया.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 7565 पी.ओ.एस. टर्मिनल प्रसारित किए हैं, जिनमें से 302 पी.ओ.एस. टर्मिनलों को टीयर 5 और 6 केंद्रों में प्रसारित किया गया है.

23.7.4 कॉल सेंटर : बैंक ने बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए पूर्णतः आई.वी.आर. आधारित कॉल सेंटर शुरु किया है. कॉल सेंटर के माध्यम से ग्राहक किसी भी समय किसी भी स्थान से देना बैंक से जुड़ सकता है. इस आई.वी.आर. आधारित कॉल सेंटर का उपयोग कर ग्राहक विभिन्न लेन-देन अर्थात बकाया शेष की पूछताछ, नया ए.टी.एम. पिन जनरेट करना, कार्ड ब्लॉक करना, उपयोगकर्ता द्वारा पिन भूलने के मामले में ए.टी.एम. पिन रिसेट करना, चेक भुगतान को रोकना, ई-मेल पर खाता विवरण प्राप्त करना. आदि कार्य कर सकते हैं.

23.7.5 भीम आधार : बैंक ने वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान भीम आधार देना की शुरुआत की है, जो एक आधार आधारित डिजिटल भुगतान स्वीकृति समाधान है, जो देना बैंक व्यापारियों को फिंगरप्रिंट स्कैनर से जुड़े अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन का प्रयोग करके भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने भीम आधार सेवाओं के अंतर्गत 13,029 व्यापारियों को शामिल कर लिया है.

सूचना प्रौद्योगिकी की सुदृढ़ मूलभूत सुविधाओं के साथ, बैंक ग्राहक को प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर सुविधाएं देने के लिए तैयार है.

24. ग्राहक सेवा

24.1 बैंक ग्राहक सेवा में सुधार लाने और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है. बैंक ने वर्ष के दौरान ग्राहक सेवाओं, ग्राहक अधिकारों को सुधारने के लिए और ग्राहकों की शिकायतों का निपटान करने के लिए निम्नानुसार पहल की है.

विवरण निम्नानुसार है :

1. बैंक ने दिनांक 05.06.2017 से 12.06.2017 तक ग्राहकों में जागरूकता लाने के लिए बी.सी.एस.बी.आई. कोड, ग्राहक अधिकार इत्यादि के बारे में ग्राहक सेवा सुदृढ़ करने हेतु ग्राहक जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया था.
2. बैंक ने ए.टी.एम., प्रौद्योगिकी और अन्य डिजिटल उत्पादों से संबंधित ग्राहक शिकायतों को कम करने के लिए बैंकों के डिजिटल उत्पादों के बारे में ग्राहक जागरूकता पैदा करने के लिए सभी शाखाओं में दिनांक 16.12.2017 से 20.12.2017 तक डिजिटल पाठशाला का आयोजन किया.
3. बैंक ने कार्ड को अवरुद्ध करने, ए.टी.एम. पिन को पुनः प्राप्त करने के लिए आई.वी.आर. सौल्यूशन आरंभ किया है, जो ग्राहक द्वारा उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर (आर.एम.एन.) के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे शाखा का दौरा और कार्य-अवधि को कम किया जा सकता है.
4. मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप का नया वर्जन शुरु किया गया है.
5. इंटरनेट बैंकिंग को ग्राहकों के सुविधानुकूल बनाने के लिए नई सुविधाएं शामिल की गई हैं.

24.2 ग्राहकों की शिकायतों का निवारण

बैंक ने शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है, जिसमें बैंक के ग्राहक बैंक की वेबसाइट www.denabank.com पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. प्रणाली द्वारा शिकायत संख्या जनरेट की जाती है, जो ग्राहक के पंजीकृत मोबाईल संख्या पर स्वचलित रुप से सूचित की जाती है. शिकायतकर्ता वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकता है. बैंक की टोल फ्री संख्या 18002336427 के माध्यम से शिकायतों का पंजीकरण किया जा सकता है. ई-मेल / टेलिफोन / पत्र या सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. / आई.एन.जी.आर.ए.एम. पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को भी बैंक की ऑनलाईन पोर्टल में दर्ज किया जाता है. निर्धारित अवधि से अधिक के लिए निपटान न गई शिकायतों की समीक्षा महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट आयोजना विभाग द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय में की जाती है, जो शिकायतों के लिए मुख्य नोडल अधिकारी भी हैं, उनके संपर्क विवरण शाखाओं और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं.

24.3 ग्राहक सेवा की कार्यविधि एवं कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा के संबंध में स्थायी समिति

ग्राहक सेवा पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया है जिसके प्रमुख, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक (कों) होते है, महा प्रबंधक (संसाधन, आयोजना, नोडल अधिकारी), महाप्रबंधक (सू.त.), महाप्रबंधक (साख) तथा तीन नामित ग्राहक समिति के सदस्य हैं. मुंबई के बाहर के अंचलों के अंचल प्रबंधक और शाखाओं के ग्राहक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित रहते हैं. प्रत्येक तिमाही बैठकों के लिए मुंबई की अलग-अलग शाखाओं से भी कुछ ग्राहकों को उनके अंचल प्रबंधक / उप अंचल प्रबंधक के साथ विशेष रुप से आमंत्रित किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, इस प्रकार की अंतिम बैठक दिनांक 23.03.2018 को आयोजित हुई थी.

24.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक ने उच्च स्तर पर भी निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है, जो ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं ग्राहक संतुष्टि के स्तर में सुधार के संबंध में सलाह देती है, अंचल कार्यालय और शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समिति की बैठकें मासिक रुप में आयोजित की जाती हैं ताकि शिकायतों / सुझावों, विलंब के मामलों, ग्राहकों की कठिनाइयों के अध्ययन के लिए ग्राहकों और बैंक के बीच संप्रेषण का औपचारिक चैनल आरंभ हो सके और ग्राहक सेवा में सुधार के उपाय किये जा सकें. ग्राहक सेवा कक्ष शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण भी करता है और निरंतर सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय करता है.

24.5 ग्राहकों के हेतु बैंक की प्रतिबद्धता की आचार संहिता

भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ और सदस्य बैंकों के सहयोग से भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बी.सी.एस.बी.आई.) ने ग्राहकों के लिए बैंक प्रतिबद्धता कोड विकसित किए है. एक स्वैच्छिक कोड, जो बैंकों के लिए व्यक्तिगत ग्राहकों से व्यवहार के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है का आरंभ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड द्वारा किया गया था. यह ग्राहक को सुरक्षा प्रदान करता है और बैंक के ग्राहकों से दैनंदिन परिचालन के दौरान अपेक्षित व्यवहार की जानकारी देता है. भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड के अधिकारी कोड के अनुपालन के स्तर को सत्यापित करने और मूल्यांकन करने के लिए बैंक शाखाओं के दौरे करते हैं. इन दौरों के आधार पर बैंकों को रेटिंग दी जाती है.

सर्वोत्तम व्यवहार (कूट और मानक) को प्रतिबिंबित करने के न्यूनतम मानदंड के समक्ष बैंकों के कार्यनिष्पादन को आंकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड की स्थापना की है. बैंक ने ग्राहकों के लिए बैंकों की प्रतिबद्धताओं का कोड अपनाया है तथा वह इसके अनुपालन हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है.

हमारा बैंक भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड का सदस्य है एवं बैंक की ओर से महाप्रबंधक के स्तर का एक शीर्ष कार्यपालक बैंक की ओर से मकोड अनुपालन अधिकारीफ के रुप में नियुक्त किया गया है.

24.6 आंतरिक लोकपाल

दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुसार, बैंक द्वारा दी जाने वाली चुनिंदा सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण या ऐसी शिकायतों के निपटान या तोषण पूर्वक सुलझाने के उद्देश्य से आंतरिक लोकपाल प्रणाली (आई.ओ.) को प्रस्तुत किया है. बैंक का आंतरिक लोकपाल, शिकायत निवारण तंत्र को सक्षम करेगा और बैंकिंग लोकपाल की बढ़ती शिकायतों को कम करने में मददगार साबित होगा.

बैंक के स्तर पर सभी अस्वीकृत / आंशिक रूप से अस्वीकृत शिकायतों को शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय सूचित करने से पहले आंतरिक लोकपाल को भेजी जाती है.

25. शाखा नेटवर्क और विस्तार

25.1 शाखा नेटवर्क

वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने 2 महानगरीय शाखाओं का विलय कर दिया है, जिससे देश के विभिन्न भागों में कुल शाखाओं की संख्या 1872 हो गई है. 31 मार्च, 2018 को बैंक की शाखाओं का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है :

क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	कुल का प्रतिशत %
ग्रामीण	645	34.46%
अर्धशहरी	435	23.24%
शहरी	359	19.18%
महानगरीय	433	23.13%
कुल	1872*	100.00%

* 72 अनुषंगी शाखाएं भी शामिल हैं.

26. निरीक्षण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा

देश भर में फैली हुई बैंक की विविध शाखाओं के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखने हेतु बैंक में आंतरिक प्रणाली पहले से ही मौजूद है. शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों की लेखापरीक्षा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों का अनुपालन करने हेतु निरीक्षण विभाग समय समय पर आंतरिक निरीक्षकों तथा बाहरी सनदी लेखाकारों की फर्मो तथा सी.आई.एस.ए. / डी.आई.एस.ए. अर्हता प्राप्त सूचना प्रबंधन लेखापरीक्षकों आदि के द्वारा विविध प्रकार की लेखापरीक्षाएं संचालित करता है.जब कभी आवश्यक हो जोखिम आधारित आंतरिक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रबंधन लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, साख लेखापरीक्षा तथा औचित्य लेखापरीक्षा की जाती है. इसके अतिरिक्त जब कभी आवश्यक हो अकस्मात लेखा परीक्षा भी की जाती है.इन क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त दस्तावेज तैयार किए गए हैं और यह मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार किए जाते हैं. इन नीतियों को भारत सरकार तथा नियामक द्वारा जारी नए दिशानिदेशों, यदि कोई हों, को शामिल करते हुए समय-समय पर अद्यतन किया जाता है.

वर्ष के दौरान योजना के अनुसार, बैंक ने आंतरिक रूप में प्रशिक्षित लेखा परीक्षकों के माध्यम से 1320 शाखाओं का आर.बी.आई.ए. (जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा) किया गया.शीघ्र अनुपालन के लिए विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.प्रणाली का अनुपालन अहमदाबाद, नई दिल्ली और मुंबई में स्थित 3 निरीक्षण कक्षों के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाती है.गुणात्मक अनुपालन संस्कृति लाने के क्रम में जोखिम आधारित सांवधिक लेखापरीक्षा को आनलाईन रिपोर्टिंग प्रणाली के अंतर्गत लाया गया हैं. साख लेखा भी आंशिक रूप से ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है. वर्ष के दौरान केद्रीय ऑफ-साइट निगरानी सेल (सी.ओ.एस.सी.) को प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालयों में बड़े मूल्य के लेनदेन, निष्क्रिय / नए खाते, असाधारण प्रविष्टियां तथा संदिग्ध लेनदेन की निगरानी को सत्यापित करने के लिए कार्यात्मक किया गया. प्रधान कार्यालय में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आर.बी.एस.) को परिचालित किया गया है.

27. सतर्कता और धोखाधड़ी निगरानी :

बैंक के सतर्कता विभाग का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ) होता है. सी.वी.ओ को सतर्कता विभाग के दिन-प्रति-दिन के कार्य करने के लिए सहा महाप्रबंधक (सतर्कता) और अन्य कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की गई है. क्षेत्रीय कार्यों के लिए, सतर्कता अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय (एच. वी.ओ.) को बैंक में सतर्कता कार्यों का प्रबंध के लिए विभिन्न भौगोलिक केंद्रों पर तैनात किए गए हैं.

विभाग सूचित धोखाधड़ियों की कार्यप्रणालियों तथा उनकी रोकथाम के लिए किए गए उपायों के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देता है और इस प्रकार निवारक सतर्कता क्रियाकलापों पर अधिक बल दिया जाता है. विभाग धोखाधड़ियों में सम्मिलित कर्मचारियों की भूमिका और दंड दिए जाने तक उनके खिलाफ की जानेवाली कार्रवाई पर भी निगरानी रखता है. सतर्कता अधिकारी धोखाधडियों की जांच करते हैं और प्रणालियों और पद्धतियों के उल्लंघन की जानकारी भी प्राप्त करते है और इस प्रकार की धोखाधड़ियां दोबारा होने से रोकने के लिए सुधार के उपाय भी बताते हैं. इसके अतिरिक्त, सभी अनुशासनात्मक मामलों में स्टाफ के विरूद्ध चूक के आरोप जारी करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई. मामले यदि काई हो, तो सतर्कता दृष्टिकोण से उसे निर्धारित करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजे जाते हैं.

सतर्कता प्रशासन के बारे में अंचल सतर्कता अधिकारियों को अद्यतन जानकारी देने के लिए वार्षिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती है. सतर्कता अधिकारियों को कौशल विकास कर सक्षम बनाने के लिए बाह्य स्तर पर आयोजित गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागी होने के लिए नामित किया जाता है.

व्यापक रूप से, सतर्कता प्रशासन को निवारक, दंडात्मक और निगरानी / पहचान योग्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है.

सतर्कता विभाग मुख्य रुप से कर्मचारियों को विसल ब्लोअर नीति के बारे में शिक्षित करने, प्रणाली और प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए जागरूकता लाने, रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के मामलों के कार्य प्रणाली और निवारक उपायों के सुझाव देते हुए निवारक सतर्कता गतिविधियों पर बल दे रहा है.

शाखाओं में निवारक सतर्कता अभ्यास अंचल सतर्कता अधिकारियों एवं प्रधान कार्यालय के सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर आयोजित की जाती है. पी.वी.डी के दौरान, सतर्कता अधिकारीगण, निवारक सतर्कता अभ्यास सतर्कता विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप के आधार पर आयोजित करते है और उसकी रिपोर्ट अंचल प्रबंधक को प्रस्तुत करते है. वे निवारक सतर्कता के लिए नवीनतम घटनाओं के संबंध में किए जा रहे उपायों के बारे में स्टाफ को जागरूक बनाते है.

शाखा स्तर पर निवारक सतर्कता समितियों का गठन किया गया है जो सतर्कता विभाग द्वारा परिचालित धोखाधड़ियों की प्रणालियों के बारे में विचार विमर्श करते है जिससे धोखेबाजों बैंक में की जानेवाली धोखाधड़ी को रोका जा सके.

एक सप्ताह की अवधि वाले प्रत्येक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नैतिक व्यवहार और पर व्याख्यान दिए जाते हैं. अपने कर्तव्यों के निर्वाह में उनके द्वारा अपनाए

जानेवाले सतर्कता उपायों के बारे में स्टाफ सदस्यों को जानकारी देने के लिए सतर्कता जागृति सप्ताह मनाया गया.

बैंक ने अपने हितधारतों की जानकारी के लिए सतर्कता प्रशासन के संबंध में सभी अनुदेशों को शामिल करते हुए सतर्कता अनुदेश पुस्तक भी जारी किया है. सतर्कता अनुदेश पुस्तक को दिसंबर 2016 में अंतिमतः अद्यतन किया गया था. इसके अतिरिक्त, विभाग ने अपने सभी हितधारकों की जानकारी के लिए सी.वी.सी. मैन्युअल 2017 को बैंक की इंट्रानेट साईट पर अपलोड भी किया गया है.

27.2 धोखाधड़ी निगरानी कक्ष

धोखाधडी निगरानी कक्ष स्वतंत्र महाप्रबंधक के निर्देशन और नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है.

धोखाधड़ी की घटनाओं को अंचलों द्वारा प्रधान कार्यालय के धोखाधड़ी निगरानी कक्ष को रिपोर्ट किया जाता है. एफ.एम.सी. उसकी संवीक्षा के साथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक को नोट प्रस्तुत करता है और उसका अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात एफएमआर -1 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट की जाती है.

कार्यात्मक महाप्रबंधक को समाविष्ट कर, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का मूल्यांकन करने और प्रणाली और नियंत्रण के उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिएआवधिक रूप से बैठकें आयोजित करते हैं, जिन्हें धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है.

बड़े मूल्य की धोखाधडियों की विशेष समिति मंडल की उप-समिति, बड़े मुल्य की धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली पर विचार करती है और इस प्रकार की धोखाधडियों को रोकने के उपाय भी बताती है.

धोखाधड़ी निगरानी कक्ष मंडल को वैयक्तिक धोखाधडियों, ऐसे धोखाधडियों को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों, कर्मचारियों के विरूद्ध आरंभ की गई कार्रवाई और दायर मामलों की स्थिति के बारे वित्तीय सेवाएं विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक को कक्ष द्वारा आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है.

28. राजभाषा

1. बैंक आलोच्य वित्तीय वर्ष के दौरान अपने प्रयासों की पहचान के मापदण्ड के रूप में राजभाषा हिंदी को बढाने में अग्रणी रहा.

2. पुरस्कार

आलोच्य वर्ष के दौरान,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) द्वारा राजभाषा के श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए हमारे अंचल कार्यालय नाशिक, लुधियाना, उत्तर भारत, राजकोट, दुर्ग, ठाणे, हैदराबाद, पुणे और चैन्ने को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए.

3. प्रशिक्षण

बैंक ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग को आगे बढाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया. वित्तीय वर्ष के दौरान 126 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें 1905 स्टाफ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया. इसके अलावा कर्मचारियों को अपना कार्य हिन्दी में करने हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

4. वर्ष के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा हमारे प्रधान कार्यालय और जोधपुर शाखा (जयपुर अंचल) का निरीक्षण किया गया.

1. हिंदी सॉफ्टवेयर

तकनीकी परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए, बैंक ने विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों तथा अंचल कार्यालयों एवं कार्पोरेट कार्यालय में कार्यरत सभी कंप्यूटरों में द्विभाषिक शब्द संसाधन की सुविधा प्रदान की है.

कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए डी.आई.आई.टी., मुंबई तथा अन्य कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्रों में हिन्दी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम आयोजित किए गए. बैंक द्वारा संस्थापित सभी ए.टी.एम. में द्विभाषिक एक्सेस सुविधा उपलब्ध है.

6. प्रचार में हिंदी का प्रयोग

आम जनता और ग्राहकों में अपनी विभिन्न योजनाओं का प्रचार करने के लिए, हमारी विभिन्न योजनाओं के पेम्फलेट एवं प्रचार सामग्री हिन्दी में तैयार करके मुद्रित करवाई गई.

7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी गृह पत्रिका देना ज्योति के सभी अंक विभिन्न बैंकिंग विषयों पर विशेषांक के रुप में द्विभाषी रुप में प्रकाशित किये.

8. तीनों भाषिक क्षेत्रों (क, ख, ग) में स्थित बैंक शाखाएं / कार्यालय भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के स्तर में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी ग्राहक सेवा में सुधार के लिए इसे संप्रेषण का मुख्य माध्यम बनाने के लिए प्रयासरत हैं.

9. कार्पोरेट संप्रेषण में राजभाषा हिन्दी की भूमिका को बढाने के लिए तथा हमारे स्टाफ सदस्यों को नवीनतम विषयों एवं विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देने के लिए, हमारे प्रधान कार्यालय स्तर से, राजभाषा विभाग द्वारा सभी शाखाओं/विभागों को दैनिक आधार पर ई-मेल के माध्यम से हिंदी-अंग्रेजी टिप्पणियां, आज का विचार और आज का शब्द के साथ-साथ राजभाषा संबंधी नियमों/ विनियमों/योजनाओं आदि के बारे में जानकारियां भी भेजी जाती है. ताकि राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके.

29. सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदः

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने विभिन्न विक्रेताओं से रु 8871.17 करोड़ की खरीद की. इसमें से एम.एस.ई. से की गई खरीद रु. 783.75 करोड़ है और उनमे से अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्ववाली एम.एस.ई. इकाइयों से की गई खरीद रु.148.08 करोड़ है. एम.एस.ई. के लाभ के लिए इसके विवरण बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा रहे है.

इसमें कोई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं है, जिस पर बैंक की बकाया देय हो, जो 31 मार्च 2018 तक 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया हैं. यह जानकारी सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट होने की आवश्यकता है. जो इस सीमा तक निर्धारित किया गया है कि बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है.

30. नियामक दिशानिदेशों का अनुपालन

कार्पोरेट अभिशासन के अंतर्गत विभिन्न अनिवार्यताओं तथा विनियामक, सरकार आदि के अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय से अनुपालन विभाग कार्य करता है. ए.एम.एल / के. वाई.सी. और पी.एम.एल.ए. के तहत नियमों का अनुपालन भी विभाग की जिम्मेदारी है. बैंक ने विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन की रिपोर्टिंग के

लिए एक शीर्ष कार्यपालक वर्ग (टी.ई.जी) को मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया है तथा वह एफ.आई.यू-इंडिया, नई दिल्ली को अनुपालन के लिए प्रधान अधिकारी (ए.एम.एल/के.वाई.सी.) के रूप में भी पदनामित है. भारत सरकार / भा. रि. बैं. / आई.बी.ए / एफ.आई.यू और अन्य विनियामक/सांविधिक अधिकारियों से प्राप्त विभिन्न निर्देशों/अनुदेशों के अनुपालन के लिए बोर्ड को समय-समय पर अवगत कराया जाता है. पी.एम.एल.ए के मामले में, बैंक द्वारा सी.टी.आर./एन.टी.आर./ सी.सी.आर./ सी.बी.डब्ल्यू.टी.आर. और एस.टी.आर. के अनुपालन की स्थिति को ए.एम.एल. / के.वाई.सी. की दिशा में की गई तैयारी के साथ बोर्ड के समक्ष रखा जाता है.

अनुपालन विभाग, वार्षिक आधार नीतियों अर्थात अनुपालन और ए.एम.एल./के.वाई.सी. में पर अद्यतन और अभिग्रहण के लिए बोर्ड की मंजूरी प्राप्त कर रहा है.

अनुपालन विभाग निरंतर रूप से, यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक / एफ.आई.यू.-इंडिया द्वारा उपलब्ध कराई गई आतंकवादी संगठनों / व्यक्तियों की सूची को बैंक की इंट्रानेट साईट पर अद्यतन किया जाए जिसका उपयोग नए / विद्यमान खातों के परिचालन करते समय क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा तैयार संदर्भ के रूप में किया जा सके.

संसाधन विकास के लिए, अनुपालन विभाग नियमित रूप से अपने प्रशिक्षण कॉलेज / केंद्रों में बैंक कर्मचारियों के लिए अनुपालन और ए.एम.एल/के.वाई.सी. पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है.

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2017-18

खंड क: बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सी.आई.एन.)	लागू नहीं
देना बैंक	देना बैंक
पता	देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी -10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र - 400051
वेबसाइट	www.denabank.com
ईमेल आईडी	investorgrievances@denabank.co.in irc@denabank.co.in
वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट	2017-18

बैंक मुख्य रूप से अपने ग्राहकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में कार्यरत है और बैंक के अधिकांश उत्पादों और सेवाओं को मुख्यतः तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

1. **जमा –** मूल बचत बैंक खाता, देना नकद प्रमाणपत्र, देना सावधि जमा योजना, देना फ्रीडम जमा योजना, देना जीवन बचत खाता, देना ऋण लिंक्ड आवर्ती जमा योजना, देना महा टैक्स बचत योजना, देना लघु बचत योजना, देना प्लेटिनम चालू खाता योजना, देना आवर्ती जमा योजना, देना समृद्धि जमा योजना, देना सेविफिक्स जमा योजना, देना वरिष्ठ नागरिक योजना, देना स्त्री शक्ति, देना सुपर प्रीमियम चालू खाता, ऑनलाइन मीयादी डिपॉजिट, प्रीमियम चालू खाता योजना, प्रीमियम बचत खाता योजना आदि.
2. **ऋण और अग्रिम –** कार्पोरेट ऋण (शैक्षिण आतिथ्य सरकार भू संपदा मनोरंजन और अस्पताल उद्योग के लिए विशेष योजना), देना उपभोक्ता टिकाऊ ऋण, देना डॉक्टर +, देना गोल्ड ऋण योजना, संपत्ति के समक्ष देना ऋण योजना, देना निवास आवास वित्त योजना, सी.ए. के लिए देना प्रोफेशनल ऋण योजना, सी.एस. और सी.एफ.ए, देना किराया योजना (किराया प्राप्तियों के समक्ष वित्त), देना वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स ऋण योजना, देना सुविधा (व्यक्तिगत ऋण) योजना, देना व्यापार वित्त योजना, देना वाहन ऋण योजना, देना विद्या लक्ष्मी शैक्षणिक ऋण योजना, आई.बी.ए. मॉडल कौशल ऋण योजना / कौशल ऋण योजना आदि.
3. **अन्य –** ए.एस.बी.ए, बैंकबीमा, डीमैट सेवा, देना ए.टी.एम. कार्ड सेवाएं, देना बैंक वन क्लिक भुगतान सुविधा, देना ईज़ीपोस बिक्री केंद्र टर्मिनल, देना ई.टैक्स भुगतान, देना गिफ्ट कार्ड, देना इंस्टा भुगतान, देना प्लेटिनम डेबिट कार्ड (रुपे), देना रिवार्डज़, देना एस.एम.एस. सूचना सेवाएं, प्रत्यक्ष कर संग्रह, म्युचुअल फंड का वितरण, ई भुगतान सरकारी ट्रेज़री विभाग, ई-समार्ट सेवा, इनबाउंड प्रेषण, अप्रत्यक्ष कर, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), ऑनलाइन दान, लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता, आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी, रुपे पेसेक्यूअर सेवाएं, सुकन्या समृद्धि खाता, टैब बैंकिंग, वीज़ा सेवाओं द्वारा सत्यापन, भीम आधार देना, भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी), भीम देना यूपीआई, ई-केवाईसी, ओटीपी आधारित आधार सत्यापन, ई-एनपीएस/ई-एपीवाई, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना.

   बैंक की भारत में 1872 शाखाएं (72 सैटेलाइट शाखाओं सहित) और 31 मार्च 2018 तक 27 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं.

खंड ख: 31 मार्च 2018 को बैंक के वित्तीय विवरण

प्रदत्त पूंजी (आई.एन.आर.)	रू. 2259.05 करोड़
कुल कारोबार (आई.एन.आर.)	रू. 180368.73 करोड़
शुद्ध हानि (आई.एन.आर.)	रू. 1923.15 करोड़
कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर कुल व्यय (सीएसआर) (%)	रू. 2.55 करोड़

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी:

देना बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है और सामाजिक और सामुदायिक विकास हेतु सक्षम बनाकर इसे अपने कारोबार मॉडल में समन्वित करता है. बैंक विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने में प्रयासरत है. 2017-18 के दौरान बैंक ने रु. 2.55 करोड़ व्यय किया.

रिपोर्टिंग वर्ष में सी.एस.आर. के अंतर्गत बैंक द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय परियोजनाओं में शामिल हैं - देना ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) बिल्डिंग देना ग्रामीण विकास संस्थान (डी.आर.डी.एफ.) का निर्माण, संरक्षित निधि - आरसेटी के दिन-प्रतिदिन के परिचालन व्यय हेतु, आदि.

खंड ग: अन्य विवरण

क्या बैंक की कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं?	**नहीं**
क्या सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी की बी.आर. पहल में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या बताएं.	लागू नहीं
किसी भी अन्य संस्था / संस्थाओं (जैसे, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों आदि) जो बैंक के साथ कारोबार करते हैं; बैंक की बी.आर. पहल में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसी संस्था / संस्थाओं का प्रतिशत बताएं? 30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक	लागू नहीं

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2017-18

खंड घ: बी.आर. सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण

(अ) बी.आर. नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण

1. डी.आई.एन. संख्याः लागू नहीं
2. नामः श्री रमेश एस. सिंह
3. पदनामः कार्यपालक निदेशक

(ब) बी.आर. प्रमुख का विवरणः

संख्या	विवरण	विवरण
1.	डी.आई.एन. संख्या (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	उषा रवि
3.	पदनाम	महाप्रबंधक
4.	टेलीफोन नंबर	022 - 2654 5607
5.	ई-मेल आई.डी.	gmfmsec@denabank.co.in

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के बारे में

यह एक विनियामक आवश्यकता है, अतः यह वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है. बैंक का बी.आर. निष्पादन प्रतिवर्ष मूल्यांकित करना है. बैंक की बीआर रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर वित्तीय वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट पर देखा जा सकता है:

सिद्धांत-वार (एन.वी.जी. के अनुसार) बी.आर. नीति / नीतियां (हां / नहीं में उत्तर दें)

संख्या	प्रश्न	कारोबार	उत्पाद दायित्व	कर्मचारियों के हित	हितधारकोंकी नियुक्ति	मानव	पर्यावरण	सार्वजनिक	सी.एस.आर.	ग्राहक संबंध
		पी1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या आपके के पास नीति / नीतियां हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श कर नीति तैयार की जा रही है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप है? यदि हां, तो निर्दिष्ट करें?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4	क्या नीति को मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है?									
	यदि हां, तो क्या इसे एमडी / स्वामी / सी.ई.ओ. / उपयुक्त मंडल निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बैंक की एक विशिष्ट समिति / निदेशक / आधिकारिक समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक सूचित करें?	मुख्य पृष्ठ http://www.denabank.com								
7	क्या नीति औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों को भेजी गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	क्या नीति / नीतियों को लागू करने के लिए बैंक में आंतरिक संरचना है.	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	नीति / नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति / नीतियों से संबंधित बैंक का शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या बैंक ने आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यचालन का स्वतंत्र लेखा परीक्षा / मूल्यांकन किया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2017-18

खंड ङ : सिद्धांत-वार कार्य निष्पादन

देना बैंक अपने कारोबार को एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके से संचालन और वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक आश्वस्त है कि कारोबार जो नागरिकों की चिंताओं को प्रत्यक्ष रूप से और पर्यावरण की आवश्यकताओं का समाधान करता हो, दीर्घावधि में समृद्ध करेगा.

रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व के लिए सेबी बीआरआर के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2018 दिनांक 4 नवंबर 2015 में उल्लिखित नौ सिद्धांतों के अंतर्गत बैंक द्वारा की गई गतिविधियों की एक संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करती है.

सिद्धांत 1 – सुदृढ़ कॉरपोरेट अभिशासन

भ्रष्टाचार, अनाचार, निधियों के दुर्विनियोजन और गबन आदि की प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए नियामक/सी.वी.सी. द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सुस्पष्ट रूप से पालन किया जाता है और उपयुक्त नियंत्रण तंत्र बनाया गया है. अनुपालन कार्य का स्वतंत्र रूप से कॉर्पोरेट कार्यालय में निगरानी रखा जाता है. बैंक का यह मानना है कि वह सार्वजनिक धन का संरक्षक है और अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, इसे बड़े पैमाने पर जनता का विश्वास और आस्था को बनाना और बनाए रखना है. बैंक प्रत्येक वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ एक कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है.

सिद्धांत 2 – सतत उत्पाद और सेवाएं

बैंक अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन से अवगत है. एक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराने और दूसरा वह कि उन आर्थिक रूप से अपवर्जित को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके परिवर्तन एजेंट के रूप में, जो अब तक आर्थिक रूप से बाहर रखा गया था. ध्यान देने वाले क्षेत्रों में नई तकनीक के साथ ग्राहकों तक पहुंचने और नए संबंधों को मजबूत बनाना शामिल हैं. देश की प्रगति में भागीदार के रूप में, बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करता है, चाहे वह बड़ा उद्योग हो या एमएसएमई क्षेत्र, निर्यात, व्यापार, कृषि, बुनियादी ढांचा या निजी खंड हो. बैंक वंचितों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु वित्तीय समावेशन के लिए सार्थक पहल करने में अग्रणी रहा हैं.

बैंक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को विकसित और उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभ और सामाजिक विकास की ओर अग्रसर हैं. ग्राहक की जरूरतों को पूर्ति के साथ-साथ पर्यावरण / समाज हेतु लाभकारी कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद इस प्रकार हैं:

- **नकदीरहित अभिनव बैंकिंग:** नकदीरहित और अभिनव बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने कई उत्पाद शुरू किए हैं अर्थात कोर बैंकिंग समाधान, देना आई-कनेक्ट-इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, माइक्रो एटीएम / टैब, यूएसएसडी सुविधा - बिना इंटरनेट के लेनदेन, पीओएस मशीन- पीएमजेडीवाई खाता धारकों को रु-पे कार्ड के माध्यम से लेनदेन, रु-पे कार्ड, एईपीएस, ई-लॉबियाँ आदि, भीम देना यूपीआई, देना भीम आधार मर्चेंट पे एप आदि, सभी बैंक मित्रों को 1.1.5 संस्करण के अंतर-संचालित टैब प्रदान किया गया है. टैब के आधार आधारित लेनदेन एनपीसीआई के माध्यम से कराए जाते हैं.
- **वित्तीय समावेशन:** वित्तीय पहुंच और वास्तविक वित्तीय समावेशन में सुधार करने के लिए बैंक ने कई पहल की हैं. बैंक ने वित्तीय पहुंच में सुधार के लिए विभिन्न बैंकिंग सेवाओं की जानकारी के प्रसार के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर, ग्राम बैठकों और जागरूकता शिविरों का आयोजन करने की रणनीति अपनाई है. बैंक ने प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) को सफलतापूर्वक लागू किया है. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने देना बैंक को ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमजेडीवाई के तहत सबसे अधिक खाता खोलने के लिए सभी बैंकों में प्रथम घोषित किया है. मुंबई में 23 फरवरी 2018 को आयोजित बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एवं एक्सपो अवार्ड 2018 में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा लघु आकार के बैंक की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल के लिए विजेता के रूप में देना बैंक को पुरस्कृत किया गया.
- **डिजिटल बैंकिंग:** डिजिटल इंडिया ड्राइव के अंतर्गत, बैंक ने गुजरात राज्य में डिजिटलीकरण और डिजिटल भुगतान और उत्पादों जैसे मोबाइल वॉलेट, रूपे डेबिट कार्ड, यूपीआई, एईपीएस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, पीओएस आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 52 गांवों को अपनाया है. इन सभी गांवों में जागरुकता लाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया है.
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी उत्पाद और सेवाएं.
- ग्रामीण और कृषि बैंकिंग के तहत आने वाले सभी उत्पाद, सेवाएं और योजनाएं.

सिद्धांत 3 – कर्मचारी कल्याण

बैंक एक सतर्क और विस्तृत संगठन है, लोगों को बेहतर करते हुए अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है. सतत, लाभदायक विकास तब प्राप्त किया जा सकता है जब लोग संगठन प्रदर्शन को मूल्यों के साथ जोड़कर टीम भावना से कार्य करें.

मानव संसाधन पहल

देना बैंक का मानना है कि एक प्रशिक्षित, प्रेरित और उत्पादक कार्यबल बैंक की सबसे बड़ी परिसंपत्ति है. इसे ध्यान में रखते हुए, बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ाकर संगठनात्मक दक्षता में सुधार के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं. यह युवा प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहा है जिन्हें बैंक के अनुभवी कर्मचारियों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है. बैंक ने विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुव्यवस्थित किया है. मानव संसाधन प्रबंधन ने निम्नलिखित को लागू किया है:

- पारदर्शी और विषयनिष्ठ निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) भारत सरकार के दिशानिर्देशों को समाविष्ट करती है.
- बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकार की योजना बनाई है और नेतृत्व की परंपरा के निर्माण की प्रक्रिया में है.
- एचआरएमएस के आरंभ ने, कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण और उनके लाभों को केंद्रीकृत संस्वीकृति प्रदान करने के लिए एक केंद्र के रूप में कर्मचारियों की संतुष्टि में काफी वृद्धि की है.
- इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कई अन्य ऐसी पहल की गई है, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों को व्यस्त, प्रतिस्पर्धी और संतुष्ट रखना है.

कार्य-जीवन संतुलन

कर्मचारियों के लिए कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए बैंक द्वारा कई पहल किए गए हैं और कर्मचारियों की भागीदारी और कर्मचारी संतुष्टि स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है. प्रतिभाशाली कर्मचारियों को प्रेरण हेतु बैंक की एक आकर्षक प्रोत्साहन नीति है जिसमें फास्ट ट्रैक पदोन्नति भी शामिल है.

बैंक अपने कर्मचारियों को सुविधाएं, लाभ और कल्याणकारी योजनाएं भी प्रदान करता है ताकि वे एक अच्छा कार्य-जीवन संतुलन बनाए रख सकें. अपने कर्मचारियों की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए पूरे देश में कई अस्पतालों के साथ एक गठजोड़ व्यवस्था की है. बैंक की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे कैंटीन सब्सिडी, शिक्षा ऋण, चिकित्सा और अस्पताल में भर्ती खर्च की प्रतिपूर्ति आदि.

कर्मचारियों के अन्य लाभों में स्वास्थ्य शिविर, बैंक का स्थापना दिवस, हिंदी दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि पर समारोह शामिल हैं. 31 मार्च 2018 को बैंक में कुल 13,613 कर्मचारियों में से 3,705 महिलाएं और 351 दिव्यांग कर्मचारी थे.

मानव अधिकारों का सम्मान:

बैंक अपने कार्यो के सभी क्षेत्रों में और उसके प्रभाव के क्षेत्र में मानवाधिकारों का सम्मान और समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति की स्थापना की है और किन्ही संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र है. बैंक अपने कर्मचारियों के समूह / संगठन बनाने के अधिकारों का भी सम्मान करता है और सामूहिक रूप से उनकी चिंताओं की आवाज उठाता है. बैंक में कई कर्मचारी संगठन हैं.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक विकलांग और भूतपूर्व- सैन्य कर्मचारियों की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और अखिल भारतीय देना बैंक एससी / एसटी / ओबीसी कर्मचारी संघ के साथ प्रधान कार्यालय और अंचल कार्यालय स्तरों पर आवधिक अंतराल पर शिकायतों के निवारण के लिए त्रैमासिक बैठकों की निगरानी के लिए बैंक ने महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया है.

उद्योग स्तरीय वेतन समझौता

बैंकों को प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय बैंक संघ और मान्यता प्राप्त यूनियनों / संघों के बीच सामूहिक बातचीत प्रक्रिया वेतन समझौता होता है. जो 5 वर्षो की अवधि के लिए मान्य है.

प्रशिक्षण और कर्मचारी कौशल विकास

ज्ञान रखने वाले संगठन के रूप में, बैंक समकालीन ज्ञान प्राप्त करने, निरंतर पुनः कौशल निर्माण और कौशल गतिविधियां बढाने और व्यवहार सुधार पर केंद्रित है. स्टाफ सदस्यों को जरूरत के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करना और इसे संगठनात्मक जरूरतों के अनुरूप करना बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली की एक मजबूत विशेषता है.

सभी कर्मचारी संवर्गो के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है. बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि स्टाफ सदस्य बुनियादी कार्य कौशल और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के वहन में सक्षम हैं. एक कर्मचारी के प्रशिक्षण आवश्यकताओं को अन्य स्थानों पर स्थित अंचलित प्रशिक्षण केंद्र के अलावा प्रशिक्षण महाविद्यालय सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेज, मुंबई द्वारा प्रदान किया जाता है.

रोजगार के समान अवसर

प्रबंधन और पर्यवेक्षी कर्मचारियों / अधिकारियों की भर्ती के लिए, रिक्त पदों की पहचान और इनके लिए उपयुक्त प्राधिकारी स्तर पर दिशानिर्देश मौजूद हैं.

संघ, भागीदारी और सामूहिक बौद्धिकता की आजादी

बैंक कर्मचारी संघ की स्वतंत्रता के सिद्धांत और बातचीत के अधिकार का अनुसरण करता है. बैंक की मानवाधिकार प्रथा कर्मचारियों के अधिकार के लिए सम्मान की स्वतंत्रता और सामूहिक वार्ता के लिए कर्मचारियों के अधिकारों की मान्यता का आश्वासन देता है, जो विधि सम्मत है.

सिद्धांत 4 – हितधारकों की वचनबद्धता

बैंक के लिए, हितधारक प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैंक को अपनी प्रतिबद्धताओं को संवितरित करने में सहायक होता है और कारोबार के रूप में सफल होता है. बैंक सक्रिय रूप से ग्राहकों, शेयरधारकों, निवेशकों, कर्मचारियों, मीडिया इत्यादि जैसे हितधारकों के साथ वचनबद्ध है.

बैंक एक हितधारक को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो बैंक के संचालन से प्रभावित होता है या जो बैंक के संचालन को प्रभावित करता है. प्रभाव की सीमा के आधार पर वे या तो प्राथमिक, माध्यमिक या प्रमुख हैं. कर्मचारी, ग्राहक, बैंक के प्राथमिक हितधारकों में शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं. स्थानीय समुदाय, आपूर्तिकर्ता, उद्योग संघ माध्यमिक हितधारकों में शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं. और शेयरधारकों और प्रवर्तक विनियामक निकाय आदि मप्रमुखफ हितधारकों में शामिल हैं. बैंक औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अपने सभी हितधारकों के साथ एक संवाद माध्यम से जुड़ा रहता है.

बैंक ध्यान पूर्वक अपने सभी संपर्क बिंदुओं जैसे शाखा, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर आदि पर उत्कृष्ट ग्राहक सेवाएं प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, बैंक में :

- ❖ कॉर्पोरेट कारोबार शाखाओं में संपर्क अधिकारियों को नियुक्त करके एक शिकायतकर्ता को बैंक के सफल प्रचारक में बदलने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना.
- ❖ ग्राहकों के किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक 24x7 कॉल सेंटर भी स्थापित करना.

बैंक अपने ग्राहकों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों अभियानों के माध्यम से विभिन्न नए उत्पादों और सेवाओं के बारे में सूचित कर रहा है.

बैंक की आंतरिक गृह पत्रिका देना ज्योति स्टाफ सदस्यों के बीच एकता बनाने के उद्देश्य से प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच आंतरिक संचार का एक उत्कृष्ट माध्यम रहा है. बैंक के इंट्रानेट पोर्टल पर सभी आंतरिक नीतियां, दिशानिर्देश, कोड, संप्रेषण सभी कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं.

बैंक हर तिमाही में अपने प्रदर्शन के मुख्य आकर्षण सहित वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करता है. बैंक समय-समय पर सेबी (एलओडीआर) विनियमन के अनुसार विभिन्न प्रकटीकरण भी उपलब्ध कराता है. बैंक नियमित आधार पर विश्लेषक और निवेशक बैठक भी आयोजित करता है.

बैंक सरकार और अन्य समकक्ष बैंकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है और भारत में बैंकिंग उद्योग के कामकाज में सुधार के लिए विभिन्न नीतियां बनाने और उद्योग स्तर के मुद्दों पर सक्रिय रूप से भाग लेता है. बैंक का शीर्ष और वरिष्ठ प्रबंधन, शहरी, उप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बैंक सेवा प्रदान कर रहा है, आवधिक आधार पर, लोगों के साथ बातचीत करने और विभिन्न सेवाओं के विस्तार हेतु दौरा करते हैं.

बैंक पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और अटल पेंशन योजना जैसी सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं / कार्यक्रमों के अंतर्गत भी योजनाएं प्रदान कर रहा है.

सिद्धांत 5 – मानवाधिकारों के लिए सम्मान

देना बैंक मानवाधिकारों के सिद्धांतों की पुष्टि करता है और मानवाधिकार तथा कर्मचारियों के हितों के संबंध में अचछा व्यवहार एवं अखंडता और खुलेपन के साथ ईमानदारी से परिचालन करता है. जिम्मेदार कॉर्पोरेट संस्था के रुप में, बैंक न केवल मानवाधिकारों के संबंध में केंद्रीय / राज्य / स्थानीय सरकार / अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी / अधिसूचित सभी दिशानिर्देशों को केवल दस्तावेजों में नहीं रखता बल्कि उनका अनुपालन भी करता है.

बैंक मानवाधिकारों के सिद्धांतों को बनाए रखेगा और हितधारकों के लिए मानवाधिकारों की सामान्य जागरुकता के महत्व में वृद्धि करेगा. बैंक अपने आपूर्तिकर्ताओं, कारोबार प्रतिनिधियों सहित कारोबार भागीदारों से उम्मीद करता है कि वह कर्मचारियों के मानवाधिकारों का सम्मान करें और इस संबंध में किसी भी प्रकार के उल्लंघन से बचे.

सिद्धांत 6 – पर्यावरण पर प्रभाव

बैंक, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट संस्थान के रुप में, पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करता है. बैंक ने बेहतर पर्यावरण बनाने के लिए कई पहल की हैं. अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को अपना रहा है. सभी नई शाखाओं/ कार्यालयों में एल.ई.डी. लाईट और 5 स्टार रेटिंग वाले ए.सी. उपलब्ध कराए जा रहे

हैं और विद्यमान शाखाओं / कार्यालयों के लाईट फिटिंग्स/ए.सी. को उर्जा प्रयोग को कम करने के लिए एल.ई.डी. बल्ब और 5 स्टार रेटिंग वाले ए.सी. को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, बैंक अपने स्वामित्व वाले इमारतों पर सौर पैनलों को लगाने की योजना बना रहा हैं.

सिद्धांत 7 – जनहित समर्थन के लिए सिफारीश

देना बैंक, कारोबार परिस्थिति तंत्र और समुदायों में सकारात्मक प्रभाव लाने के उद्देश्य से जनहित समर्थन करता है. देना बैंक के लिए जनहित समर्थन केवल उद्योग के लिए कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार से आदेश प्राप्त करना नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए सर्वोत्तम समर्थन के बारे में भी हैं.

बैंक विभिन्न वित्तीय और उद्योग संबंधित व्यापार चेंबरों और संगठनों का सदस्य हैं. उसमें से कुछ निम्नानुसार हैं :

❖ भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.)
❖ भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान (आई.आई.बी.एफ.)
❖ बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आई.बी.पी.एस.)
❖ राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एन.आई.बी.एम.)
❖ उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (सी.ए.एफ.आर.ए.एल.)
❖ भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की)
❖ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आई.सी.सी.)
❖ भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बी.सी.एस.बी.आई.)
❖ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन.पी.सी.आई.)
❖ क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी.सी.आई.)
❖ भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.)
❖ भारत संबद्ध वाणिज्य मंडल एवं उद्योग (एसोचैम)
❖ राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एन.सी.जी.टी.सी.)
❖ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.)
❖ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सी.जी.टी.एम.एस.ई.)
❖ राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.)

बैंक इन निकायों के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध है और वार्षिक बजट, ऋण नीति / मौद्रिक नीति, उत्पाद मूल्य निर्धारण पर दिशानिर्देश, विभिन्न सर्वेक्षण आदि विभिन्न मामलों पर जानकारी प्रदान करता है.

सिद्धांत 8 – समावेशी विकास

भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन को परिभाषित करता है कि मुख्य धारा के वित्तीय संस्थानों से कम कीमत पर जहां भी आवश्यक हो, समाज के कमजोर वर्गों और कम आय समूहों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के रुप में समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है.

बैंक ने समावेशी संवृद्धि और न्यायसंगत प्रगति का समर्थन करने के लिए विभिन्न पहल / परियोजनाएं शुरू की हैं :

1. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.):

31.03.2018 तक, पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत 44.06 लाख खाते खोले गए और रु. 1023.95 करोड़ की जमाराशियां जुटाई है.

बैंक ने पी.एम.जे.डी.वाई. ग्राहकों को रु 5000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के लिए योजना को अनुमोदन प्रदान किया है जिन्होंने 15.08.2014 से 26.01.2015 के दौरान खाते खोले हैं बशर्ते कि उन खातों का 6 माह की अवधि के लिए संतोषजनक परिचालन किया गया हो. बैंक ने 36968 खातों को ओवरड्राफ्ट सुविधा स्वीकृत किया है.

गांवों में निम्नलिखित उपाए किए गए :

क) सभी बी.सी. स्थानों को ए.ई.पी.एस. लेन-देनों के लिए इंटरऑपरेबल टैब के साथ आवश्यक बुनियादी संरचना प्रदान की जा रही है.

ख) सभी बैंक मित्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है.

ग) इसके अतिरिक्त, बीसी मॉडल को और अधिक व्यवहार्य और निरंतर बनाने के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाओं, अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाओं जैसे ऋण वसूली, आधार सीडिंग के लिए सहमति फॉर्मों का संग्रह, रूपे कार्ड सक्रिय करना आदि बीसी द्वारा निष्पादित किए जाते हैं.

2. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय साक्षरता प्रसार कार्यक्रम चला रहा है. वित्तीय साक्षरता अभियान प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा है.

3. विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना :

❖ प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना पी.एम.एस.बी.वाई.: दुर्घटना बीमा के लिए : 31.03.2018 तक, आवेदनों की कुल संख्या 17,88,262 हैं.

❖ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पी.एम.जे.जे.बी.वाई.: जीवन बीमा सुरक्षा के लिए : 31.03.2018 तक आवेदनों की कुल संख्या 4,65,284 हैं.

❖ अटल पेंशन योजना ए.पी.वाई.: अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) सह-अंशदायी स्थायी पेंशन योजना है. जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिम कम करने के लिए और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है. 31.03.2018 को आवेदनों की संख्या 65,582 है.

सिद्धांत 9 – ग्राहक केंन्द्रित

उत्पादों और सेवाओं से संबंधित सूचना बैंक की वेबसाइट में और शाखा परिसर में भी प्रदर्शित की जाती है. वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता पुस्तिकाओं और ब्रोशर के माध्यम से फैलाई जाती हैं. प्रभावी विपणन तकनीकों और विज्ञापन के माध्यम से बैंक अपने उत्पादों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रदर्शित करता है.

बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए शीर्ष प्राथमिकता देता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने ग्राहक अधिकार नीति, शिकायत निवारण नीति आदि तैयार की है, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. शिकायत निवारण नीति में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते हैं.

बैंक द्वारा पालन की जाने वाली प्रणाली और प्रक्रियाओं की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है, प्रणाली में किसी कमी को यदि कोई हो, जो ग्राहक सेवा में और सुधार करने में मदद करती है.

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2017-18

1. अभिशासन संहिता पर बैंक की नीति

बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीति उत्कृष्ट प्रबंधन व्यवहार का उपयोग करने पर आधारित है जिससे कारोबार का प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण होगा. इससे बैंक के बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन को नैतिक मानदंडों, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और वित्तीय स्थिरता का पालन करते हुए निर्णय लेने में सुविधा होगी. बैंक का यह विश्वास है कि कार्पोरेट अभिशासन का इसके मूल मूल्यों से गहरा संबंध है और वह नैतिक व्यवहार, अपने कर्मचारियों के कल्याण, अपने ग्राहकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने, शेयर धारकों की अपेक्षाएं पूरी करने और समाज की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने से जुड़ा हुआ है. इससे सभी हितधारकों को लाभ होगा जिसमें न केवल निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन शामिल हैं, बल्कि शेयर धारक, ग्राहक, कर्मचारी और समाज भी शामिल है.

कारोबार के विभिन्न क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए बैंक के कार्पोरेट अभिशासन ढ़ांचे में मंडल के मंडल की 18 समितियां भी शामिल हैं.

भेदिया व्यापार की रोकथाम

देना बैंक ने भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम 2015 की अपेक्षाओं के अनुरूप "भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए देना बैंक आचरण संहिता" नामक व्यापक आचरण संहिता तैयार की है. भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी रखा गया है. सभी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के कर्मचारी एवं बैंक के अन्य कर्मचारी, जिनकी बैंक की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना तक पहुंच है, इस कूट से अभिशासित हैं, बैंक ने श्रीमती उषा रवि, महाप्रबंधक, निवेशक संपर्क केंद्र प्रभारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो बैंक की प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए पद्धतियां निर्धारित करने एवं आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं. वर्ष के दौरान उक्त कूट का विधिवत् अनुपालन हुआ है.

आचार संहिता

निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों तथा महाप्रबंधकों के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित आदर्श आचार संहिता को अनुमोदन प्रदान किया है, जो सेबी के परिपत्र सीआईआर/सी डी/नीति कक्ष/2/2014 की आवश्यकताओं के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा बाद में संशोधित किया गया है. कूट में अन्य बातों के साथ साथ ईमानदारी एवं नैतिक वैयक्तिक आचरण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता एवं विधि तथा विनियमों आदि का अनुपालन शामिल है.आचार संहिता बैंक की वेब साइट पर उपलब्ध करायी गयी है.सभी निदेशकों और महाप्रबंधकों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता का अनुपालन किया है.

बैंक ने सेबी (एल.ओ.डी.आर.) अधिनियम, 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिए गए दिशानिदेशों का अनुपालन किया है, जिसके अपेक्षित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं :

2. निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के द्वारा अभिशासित होता है.

दिनांक 31.03.2018 को निदेशक मंडल में 8 निदेशक शामिल हैं, जिनमें दो पूर्णकालिक निदेशक अर्थात सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालक निदेशक तथा 6 गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं. 6 गैर-कार्यपालक निदेशकों में से एक भारत सरकार का नामिती सरकारी निदेशक, एक भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियुक्त दो निदेशक और केद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों द्वारा चुनाव किए गए दो शेयरधारक निदेशक. निदेशकों के निम्नलिखित पद नीचे दिए गए विवरण के अनुसार रिक्त हैं:-

क्रम सं	पद	दिनांक से रिक्त
1	प्रबंध निदेश व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	01.01.2018
2	कामगार कर्मचारी निदेशक	19.09.2017
3	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	01.01.2016
4	अंशकालिक गैर-अधिकारी निदेशक सनदी लेखाकार	30.06.2014
5	भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले - अंशकालिक गैर-अधिकारी निदेशक	05.12.2016
6	भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले - अंशकालिक गैर-अधिकारी निदेशक	28.03.2018

चूंकि प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद रिक्त है अतः निदेशक मंडल की दिनांक 16 जनवरी 2018 को आयोजित बैठक में प्रबंध निदेशक के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक को सौंपा है और यह भी निर्णय लिया है कि वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक मंडल की सभी उप समितियों की बैठको अध्यक्षता करें, जिनकी अध्यक्षता बैंक में प्रबंध निदेश व मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति होने तक, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती थी. इसके अतिरिक्त, श्रीमती तृष्णा गुहा, कार्यपालक निदेशक की दिनांक 31.08.2017 को अधि-वर्षिता के पश्चात भारत सरकार द्वारा सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) के अंतर्गत यथा अपेक्षित बैंक के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की निम्नलिखित तिथियों पर 13 बैठकों का आयोजन किया गया.

24.04.2017	09.05.2017	22.06.2017	29.07.2017	30.08.2017	23.09.2017
27.10.2017	10.11.2017	29.12.2017	16.01.2018	14.02.2018	06.03.2018
22.03.2018					

2.2 निदेशकों के विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के निदेशकों के आवश्यक विवरण तथा मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति के विवरण अनुबंध क, ख एवं ग में दिए गए हैं:

3. निदेशकों की समितियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/वित्त मंत्रालय/ वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप और कार्पोरेट अभिशासन आदि के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने अपने निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है.

3.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति

मंडल ने राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन समिति का गठन किया है. समिति के मुख्य कार्यो में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / साख अनुमोदन समिति के विवेकाधीन अधिकारों से अधिक के साख प्रस्तावों की स्वीकृति, ऋण समझौते प्रस्ताव/बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव, सूट /अपील दायर करना, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन के प्रस्ताव, सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों / कॉर्पोरेट के शेयरों/ डिबेंचरों/बांडों में निवेश, हामीदारी सहित, परिसरों के अधिग्रहण

तथा किराए पर लेने के प्रस्ताव, दान और अन्य सभी वित्तीय अनुमोदनों आदि तथा प्रबंधन समिति को निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य मामले शामिल हैं.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

समिति के सदस्यों की संरचना और बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार अक्तूबर, 1995 में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया.भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या एफ सं 19/20/2007-बीओ-आई दिनांक 18 फरवरी, 2008 द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मई 2008 में समिति का पुनर्गठन किया गया.

आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र सं. आर.बी.आई./2015-16/181-डीएसबी.एआरएस.बीसी 4 / 08.91.020/2015-16 दिनांक 24 सितंबर 2015 द्वारा सलाह दी है कि जिन बैंक में एक से अधिक कार्यपालक निदेशक है, तो निरीक्षण एवं लेखा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक ए.सी.बी. के सदस्य होने चाहिए और जबकि अन्य कार्यपालक निदेशक को बैठक में उनके डोमेन से संबंधित विचार-विमर्श हेतु आमंत्रित किया जा सके.

लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में लेखा परीक्षा कार्यों का पर्यवेक्षण करना, बैंक के वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा करना, समवर्ती / अन्य निरीक्षणों / लेखा परीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षो की समीक्षा करना, लेखांकन मानकों तथा सेवी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के विनियम 18 के तहत विनिर्दिष्ट अन्य मामलों का अनुपालन कराना शामिल है. उक्त समिति तिमाही / वार्षिक लेखों को निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु संस्तुत करने के पहले उस पर चर्चा एवं विचार करती है.

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति में निदेशक मंडल के पांच सदस्य शामिल हैं.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.3 निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्ण कालिक निदेशकों के पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है. भारत सरकार द्वारा कार्य निष्पादन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है; और भारत सरकार के निदेशों के अनुसार उस उद्देश्य के लिए बैंक ने निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया है.

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, वित्त मत्रांलय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र एफ. सं. 121 / 2014-बीओए दिनांक 18 अगस्त, 2015, के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) मंडल के पूर्णकालिक निदेशकों (जैसे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशकों) के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए अपने अभिविन्यास में परिवर्तन किया है. उक्त सूचना के अनुसार, पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन सचिव (वित्तीय सेवा) की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन और वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति का विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.4 हितधारक संपर्क समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 10 नवंबर 2014 को आयोजित अपनी बैठक में कार्पोरेट अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में शेयर बाजारों के साथ हुए सूचीबद्धता करार के खंड 49 के संदर्भ में दिनांक 01 अक्तूबर, 2014 के अनुपालन के लिए हतधारक संपर्क समिति का गठन किया है जो विशेष रुप से घोषित लाभांश आदि के प्राप्त न होने, तुलनपत्र प्राप्त न होने, शेयरों के अंतरण से संबंधित शिकायतों सहित कंपनी के अन्य प्रतिभूतिधारकों, शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों, बांडधारकों की समस्यों के निपटान से संबंधित मामलों के मामले देखेगी.

इसके अतिरिक्त, 06 मार्च, 2018 को आयोजित मंडल की बैठक में मंडल ने हितधारक संपर्क समिति में शेयर हस्तांतरण समिति के विलय को अनुमोदित कर दिया है. हितधारक संपर्क समिति, शेयर अंतरण समिति द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों अर्थात अंतरण की पुष्टि, इक्विटी शेयरों का प्रेषण, शेयरों का पुनर्मूर्तीकरण, शेयर प्रमाणपत्रों का प्रतिस्थापन, नाम निकालना, नाम परिवर्तन और कार्यपालकों की आंतरिक शेयर अंतरण संवीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने, शेयरधारिता स्वरूप की नोटिग, शीर्ष शेयरधारकों की सूची और शेयर अंतरण स्वीकार न करना आदि को पूरा करेगी.

31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए हैं.

3.5 समेकित जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की समिति

बैंक की सभी जोखिम प्रबंधन गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए समेकित जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की समिति गठित की गई है. इसके कार्यों में जोखिम संबंधी अवधारणाओं सहित सभी जोखिम संबंधी कार्यों पर निगरानी रखना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम के परिमाणन की कार्य-विधि तय करना, जोखिम स्थिति हेतु मान्य स्तर निर्धारित करना, जोखिम प्रबंधन पर प्रबंधन के निर्देश और जोखिम कम करने की तकनीक आदि समाविष्ट हैं.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.6 बड़ी रकम वाली धोखाधड़ियों पर निगरानी रखने हेतु मंडल की विशेष समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं.डीबीएस.एफ. जीवी (एफ)ओ / 004 / 23.04.01ए/2003-04, दिनांक 14 जनवरी, 2004 के अनुसार, बड़ी रकम वाली धोखाधड़ियों जिसमें केवल रु 1.00 करोड़ और उससे अधिक राशि समाविष्ट होगी पर निगरानी रखने हेतु, प्रणाली में विद्यान खामियों की पहचान हेतु, सीबीआई की निगरानी की प्रगति /नीति की जांच और वसूली की स्थिति, धोखाधडियों की पुनरावृत्ति हेतु निवारणात्मक कार्य दक्षता की समीक्षा, और स्टॉफ उत्तरदायित्व के जांच की स्थिति की जांच हेतु निदेशकों की एक उप समिति का गठन किया गया था.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.7 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसरण में, दिनांक 14 अगस्त 2004, समिति बैंक में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता और ग्राहकों की शिकायतों के निदान में होने वाली प्रगति की भी समीक्षा करती है.वह ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बाहरी मामलों सहित नए उपायों पर भी विचार करती है.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.8 सूचना प्रौद्योगिकी समिति पर मंडल की विशेष समिति

विद्यमान सूचना तकनीक बुनियादी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने, बैंक के सूचना तकनीक मिशन पर विचार करने, नीतिगत मामलों के संबंध में सूचना तकनीक विभाग को निदेश देने आदि के उचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए सूचना तकनीक के लिए मंडल के निदेशकों की समिति गठित करने की आवश्यकता महसूस की गयी. मंडल ने दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में सूचना तकनीक पर निदेशकों की समिति गठित की.विद्यमान आई.टी.की आधारभूत संरचना के अधिकतम प्रयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए, बैंक के आई.टी.के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आई.टी. विभाग को नीतिगत मामलों में निदेश देने और प्रमुख वितरण चैनलों के अंतर्गत लेनदेन मात्रा की समीक्षा, आई.टी की बुनियादी सुविधाओं को मापनीयता, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए नए विकास, कारोबार की निरंतर योजना, सायबर सुरक्षा और पहलों और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों और विमुद्रीकरण आदि के पश्चात गाव के डिजिटलीकरण के लिए बैंक की तैयारियों की निगरानी रखने के लिए मंडल ने 26 और 27 अगस्त, 2005 को उसका पुनर्गठन किया.

इसके अतिरिक्त, आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/2010-11/494/ डीबीएस.को.आईटीसी.बीसी.एनओ 6/31/02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के अनुसार, सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी के कार्यदल समूह की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर, सदस्यों के रूप में अहर्ता प्राप्त न्यूनतम दो निदेशकों जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक और दूसरा प्रबंधन प्रौद्योगिकी में पर्याप्त आईटी विशेषज्ञता रखने वाली एक सदस्य निदेशक स्वतंत्र आईटी रणनीति समिति का पूर्ण-गठन किया गया था.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.9 अनुपालन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र संख्या.डीबीएस.सीओ. पीपी.बीसी.6/11.01.005/2006-07 दिनांक 20 अप्रैल, 2007 द्वारा बैंकों में अनुपालन कार्य के लिए दिशानिर्देश दिये हैं.इन दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक ने अपनी अनुपालन नीति बनायी है जिसका अनुमोदन निदेशक मंडल ने दिनांक 29 दिसंबर, 2007 को आयोजित बैठक में किया है.नीति के प्रावधानों के अनुसार, अनुपालन पर निदेशकों की समिति का गठन 29 दिसंबर, 2007 को किया गया. 29 जनवरी, 2009 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.10 नामांकन समिति.

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र संख्या. डीबीओडी. सी.बीसी.संख्या. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 द्वारा वर्तमान निर्वाचित निदेशकों और उम्मीदवारों, जो निर्वाचन के लिए अपने नामांकन भरते हैं, की योग्यता एवं औचित्य की स्थिति का निर्धारण करने हेतु जांच पड़ताल प्रक्रिया करने हेतु निदेशकों की नामांकन समिति (सभी स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशकों) गठित करने के बारे में सूचित किया है. इन दिशानिर्देशों के आधार पर, मंडल द्वारा दिसंबर 29, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में नामांकन समिति का गठन किया गया. उक्त समिति का 18 जुलाई, 2011, 29 सितंबर, 2011 और 29 जून, 2016 को पुनर्गठन किया गया.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों का गठन और वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति का विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए हैं

3.11 साख अनुमोदन समिति

राजपत्र अधिसूचना सं 13/1/2006-बीओ. दिनांक 5 दिसंबर 2011 के अनुसरण में और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) संशोधन योजना, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, मंडल ने दिनांक 06 जनवरी 2012 को आयोजित बैठक में मंडल की साख अनुमोदन समिति का गठन किया. जिसे दिनांक 31 जनवरी, 2012 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 13/01/2006-बीओ - आई. द्वारा और आगे संशोधित किया, जिसे दिनांक 06 फरवरी, 2012 को संपन्न मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया.समिति के प्रमुख कार्यों में ऋण समझौते प्रस्ताव/बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव आदि और रुपये दो सौ पचास करोड़ तक की ऋण की स्वीकृति शामिल है.

मंडल की साख अनुमोदन समिति में पांच सदस्य शामिल हैं जिनमें दो पूर्ण कालिक निदेशक अर्थात दो कार्यपालक निदेशक और तीन महाप्रबंधक अर्थात महाप्रबंधक (कार्पोरेट क्रेडिट), महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन) और महाप्रबंधक (वित्त प्रबंधन) है.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन और वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति का विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए हैं

3.12 मानव संसाधन पर मंडल की स्थायी समिति

भारत सरकार ने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मानव संसाधन संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करने और सिफारिश करने हेतु दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को डॉ. अनिल खंडेलवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया.भारत सरकार ने सूचना एफ.सं.9/18/2009-आई.आर दिनांक 21 अक्तूबर, 2011 द्वारा इन सिफारिशों पर अपना अनुमोदन सूचित किया, वह सिफारिशें दिनांक 6 फरवरी 2012 को आयोजित बैठक में हमारे मंडल के समक्ष रखी गईं. खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के आधार पर, मंडल ने मानव संसाधन के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करने, मानव संसाधन प्रबंधन योजना और मानव संसाधन पर संबंधित नीतियों की समीक्षा करने, खंडेलवाल समिति के सुझावों के अनुसार दिनांक 27 मार्च, 2012 को मानव संसाधन पर मंडल की संचालन समिति गठित की.समिति की बैठक तिमाही अंतराल में होती है.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.13 उच्च मूल्य के एन. पी. ए. और हानि वाली आस्तियों की निगरानी समिति

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या एफ. सं.7/112/2012-बीओए दिनांक 21 नवंबर, 2012 के अनुसार मंडल ने उच्च मूल्य के एन पी ए और हानि वाली आस्तियों की निगरानी के लिए 11 दिसंबर, 2012 को आयोजित बैठक में मंडल की एक उप समिति का गठन किया. मंडल ने दिनांक 28 मार्च, 2014 को समिति को पुनर्गठित किया था.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.14 मंडल की निर्गम समिति:

09 नवंबर, 2013 को मंडल ने परिकलित कीमत की पुष्टि करने के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया जो सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियमों के अनुसार निर्धारित तथा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित हो जिसके अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे. उक्त समिति को शेयरों को आगे जारी करने के विभिन्न पहलुओं के संबंध में निर्णय लेने तथा प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है और अधिकार दिए गए है.

इसके अतिरिक्त, मंडल की दिनांक 23 सितंबर, 2017 को आयोजित बैठक में मंडल ने निर्गम समिति को पुनः गठित किया है. मंडल की निर्गम समिति का उद्देश्य निर्गम कीमत जारी और आवंटित की जाने वाली कई प्रतिभूतियों, सेबीआई (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अंतर्गत यथाउल्लिखित अधिमानी/ अर्हताप्राप्त संस्थागत प्रतिस्थापन (क्यू.आई.पी.)/अधिकार/बोनस/एफपीओ/ अन्य कोई आधार पर प्रतिभूतियों के विभाजन और आवंटन का अनुमोदन करना है.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.15 विभागीय पदोन्नति समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग, सतर्कता अनुभाग के दिनांक 08 जून, 1998 के ज्ञापन सं. 10/6/98/वीआईजी के अनुसार एक समिति गठित की गई जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तथा बैंक में भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक शामिल हैं, यह समिति वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति पर विचार करती है तथा विशेष रूप से तिमाही आधार पर बैठक कर सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों तथा विभागीय जांच की समीक्षा करती हैं. तदनुसार, दिनांक 09 नवंबर, 2013 को निदेशक मंडल की बैठक में समिति का गठन किया गया.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.16 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण समिति:

दिनांक 27 जुलाई, 2013 को मंडल ने मंडल की उप-समिति का गठन किया जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति पर अधिक ध्यान तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार के विभिन्न उप-क्षेत्रों में की गई प्रगति, विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य नीति के प्रतिपादन एवं की गई प्रगति की निगरानी की समीक्षा करेगी.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.17 इरादतन चूककर्ताओं के पुष्टिकरण हेतु मंडल समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बीसी/ सीआईएस/47/20.16.002/94 दिनांक 23.04.1994 और संशोधित परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/73 दिनांक 07.01.2015 द्वारा यह सूचित किया है कि इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के संबंध में कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति के आदेश की समीक्षा करने हेतु अध्यक्ष एवं दो स्वतंत्र निदेशकों की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति के गठन करने निदेश दिए हैं. इन दिशानिदेशों के आधार पर, मंडल द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2015 को आयोजित बैठक में इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा के लिए निदेशक मंडल समिति का गठन किया गया.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

3.18 गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु मंडल समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक, के पत्र सं. डी.बी.आर.सं.सीआईडी.बी सी.54/20.16.064/2014-15 दिनाक दिसंबर 22, 2014 द्वारा असहयोगी उधारकर्ताओं की समीक्षा के संबंध में कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति के आदेश की समीक्षा करने हेतु अध्यक्ष एवं दो स्वतंत्र निदेशकों की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति के गठन करने और असहयोगी उधारकर्ताओं जो उधारकर्ताओं के साथ रचनात्मक रूप से देय रकम का समय पर भुगतान में चूक जबकि वे भुगतान करने में सक्षम होने पर भी संपर्क में नहीं हैं, मांगी गई आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध ना कराने के कारण उनके देयों की वसूली के लिए उधारदाताओं के प्रयास की नाकामयाबी, प्रदान कि गई वित्तीयपोषित / संपार्श्विक प्रतिभूति तक की पहुच ना होने, प्रतिभूति की ब्रिकी में बाधा आदि, की पहचान के संबंध में आदेश की पुष्टि/ अंतिम रूप देने निदेश दिए हैं. इन दिशानिदेशों के आधार पर, मंडल समिति ने असहयोगी उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु मंडल कि दिनांक 07 नवंबर 2015 को आयोजित बैठक में गठन किया गया है. वर्ष 2017-18 में कोई बैठक आयोजित नहीं की गई.

दिनांक 31.03.2018 को समिति के सदस्यों के गठन का विवरण और वर्ष 2017-18 के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध ख और ग में दिए गए है.

4 कार्यपालकों की समितिया:

बैंक के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के सुचारु रूप से संचालन के लिए बैंक ने अनेक आंतरिक समितियों का भी गठन किया है. कुछ आंतरिक समितियाँ इस प्रकार हैं :-

4.1 निवेश समिति :

बैंक ने निवेश संबंधी मामलों और मुद्रा बाजार परिचालनों के संबंध में कार्यपालकों की निवेश समिति का गठन किया है. उक्त समिति निवेश एवं निधि प्रबंधन संबंधी सभी लेन-देन मामलों की समीक्षा करती है और आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करती है. समिति की बैठकें सप्ताह में दो बार या निवेश निर्णयों की समीक्षा करने के लिए जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित करना आवश्यक होती हैं.

समिति की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक करते हैं. आलोच्य वर्ष के दौरान समिति की बैठकें नियमित रुप से आयोजित हुईं.

4.2 आस्ति देयता प्रबंधन समिति

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ.) का गठन किया है. समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक करते हैं.समिति के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ बाजार जोखिम प्रबंधन, तरलता जोखिम प्रबंधन, आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर संवेदनशीलता पर निगरानी रखना एवं ब्याज दरों आदि का निर्धारण सम्मिलित है.

प्रभारी महाप्रबंधक एवं प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक समिति के अन्य सदस्य हैं. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक में ए.एल.एम. कार्यान्वयन में प्रगति संबंधी विचार-विमर्श एवं समीक्षा करने हेतु समिति की 63 बैठकें आयोजित हुईं.

4.3 आंतरिक शेयर अंतरण संवीक्षा समिति

बैंक ने उन शेयरों के अंतरण का अनुमोदन करने के लिए बैंक के कार्यपालकों की आंतरिक शेयर अंतरण संवीक्षा समिति का गठन किया है, जो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंटों द्वारा संसाधित किए जाते हैं. समिति समय-समय पर बेकागजीकरण की दिशा में हुई प्रगति की स्थिति और बैंक के शेयरों के मूल्यों में हुई घट-बढ़ की भी आवधिक रुप से समीक्षा करती है.महाप्रबंधक (वित्त प्रबंधन), सहायक महाप्रबंधक (आई.आर.सी.), उप महाप्रबंधक (मंडल सचिवालय), मुख्य प्रबंधक (आई.आर.सी.)/ कंपनी सचिव समिति के सदस्य हैं और महाप्रबंधक (वित्त प्रबंधन) उक्त समिति के अध्यक्ष के रुप में कार्य करते हैं. आलोच्य वर्ष के दौरान समिति की 38 बैठकें संपन्न हुईं.

4.4 परिसर संबंधी मामलों पर कार्यपालकों की आंतरिक समिति (आई.सी.ई.)

समिति के मुख्य कार्य बैंक के परिसरों जैसे पट्टाकृत/स्वामित्ववाले आधारित, किराये में बढोतरी, बकाया राशि का भुगतान, पट्टा नवीकरण और पट्टाकृत परिसरों आदि को वापस लौटाने, मंजूरी/नीति आदि की शर्तों में विचलन/आशोधन के अनुमोदन आदि की स्वीकृति देना तथा ऐसे प्रस्तावों की निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति को सिफारिश करना जहाँ भुगतान की जानेवाली रकम आई.सी.ई के लिए निर्धारित विवेकाधीन अधिकार से अधिक हो.

समिति के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं. कार्यपालक निदेशक तथा छः महाप्रबंधक समिति के सदस्य हैं.

वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की 10 बैठकें संपन्न हुईं और 73 प्रस्तावों को आई.सी.ई. के समक्ष प्रस्तुत किए किए गए थे.

5. निदेशकों के पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक को भारत सरकार के वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार संवेतन / पारिश्रमिक की अदायगी की गई तथा बैंक के निदेशक मंडल एवं अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए उन्हें किसी प्रकार के बैठक शुल्क की अदायगी नहीं की गई. भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग से प्राप्त अधिसूचना एफ.सं. 15/1/2011-बी.ओ.आई दिनांक 20 जूलाई 2015 के अनुसार, अन्य सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक को छोड़कर अन्य प्रत्येक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए रू. 20,000/- बैठक शुल्क और रू 10,000/- प्रत्येक अन्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अदा किए गए.

बैठक शुल्क, जिसके लिए निदेशक को उपर्युक्त अनुसार भुगतान किया जाना है, के अलावा बैंक के कार्य के संबंध में यात्रा करने वाले इस प्रकार के प्रत्येक निदेशक को केद्र सरकार द्वारा समय-समय पर नियत आधार पर उनका/उनकी यात्रा एवं विराम व्यय (जो भी हो) की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी. गैर कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित सभी मामले, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा शासित हैं.

6. पर्दाफाश करने वाले की नीति

बैंक के निदेशक मंडल ने सी.वी.सी. और सेबी के दिशानिदेशों के अनुसार विसल ब्लोअर नीति नामक नीति का अनुमोदन किया है. इस तंत्र के अधीन, कोई भी कर्मचारी, अनैतिक व्यवहार, यदि कोई हो, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचरण तथा नीति के उल्लंघन आदि के संबंध में सी.वी.ओ./ प्रबंधन को कैसे रिपोर्ट कर सकते है इसकी जानकारी दी गई है. यह तंत्र कर्मचारियों को जो इस व्यवस्था का प्रयोग करते है, उत्पीडन के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है और असाधारण परिस्थितियों में, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंचने की सुविधा प्रदान करती है. विसल ब्लोअर नीति 2014-15 बैंक की वेबसाईट पर प्रदर्शित की गई है.

7. साधारण सभा की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक सामान्य सभाओं एवं पिछली तीन असाधारण सामान्य सभाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है. सभी बैठकें एक ही स्थान सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, जे.वी.पी.डी. योजना, विलेपार्ले (पश्चिम) मुंबई -400 056 में संपन्न हुई.

बैठक का ब्यौरा पूर्वान्ह	तारीख और समय
इक्कीसवीं वार्षिक सामान्य सभा *	मंगलवार, 27 जून, 2017 प्रातः 11: 00
बीसवीं वार्षिक सामान्य सभा *	मंगलवार, 28 जून, 2016 प्रातः 11.00
उन्नीसवीं वार्षिक सामान्य सभा	शनिवार, 27 जून, 2015 प्रातः 11.00
असाधारण सामान्य सभा (भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी करने तथा आबंटन के लिए)	मंगलवार, 27 मार्च, 2018 प्रातः 11.00
असाधारण सामान्य सभा (भारत सरकार/भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय सामान्य बीमा निगम को अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी करने तथा आबंटन के लिए)	सोमवार, 27 मार्च, 2017 प्रातः 11.00
असाधारण सामान्य सभा (भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी करने तथा आबंटन के लिए)	गुरूवार, 22 सितंबर, 2016 प्रातः 11.00

* पिछली वार्षिक साधारण सभा में श्री अश्वनी कुमार - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्रीमती तृष्णा गुहा - कार्यपालक निदेशक, श्री रमेश एस. सिंह - कार्यपालक निदेशक, श्री वी चंद्रसेकरन शेयरधारक निदेशक एवं अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति उपस्थित थे.

21वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक उपर्युक्त उक्त असाधारण सामान्य सभा में विशेष संकल्प पारित किया गया था.

डाक मतदान - पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने किसी डाक मतदान का आयोजन नहीं किया.

ई-मतदान - बैंक ने उपर्युक्तानुसार आयोजित वार्षिक सामान्य सभा और असाधारण सामान्य सभा में प्रस्तुत किए गए संकल्पों के लिए शेयरधारकों को ई-मतदान की सुविधा प्रदान किया.

8. प्रकटन :

8.1 भौतिक लेन-देन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटन

बैंक ने संबंधित पक्ष लेन-देनों के भौतिकता और संबंधित पक्ष लेन-देनों के साथ निपटान पर नीति बनाई है जो दिनांक 09 जनवरी, 2015 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है. उपर्युक्त नीति बैंक की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की गई है, उसकी वेब लिंक निम्न प्रकार है : http://www.denabank.com/uploads/files/1421147731326-RPT-Policy.pdf

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंक और उसके निदेशकों के बीच किसी प्रकार के महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष के लेन-देन, आर्थिक लेन-देन या संबंध की कोई ऐसी घटना नहीं हुई, जिसका व्यापक रुप से बैंक के हितों के साथ संभाव्य टकराव संभावित हो.

बैंक ने गुजरात राज्य में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात देना गुजरात ग्रामीण बैंक (डी.जी.जी.बी.) का प्रायोजन किया है जिसमें बैंक का स्वामित्व 35% है. वर्ष के दौरान, डी.जी.जी.बी. ने देना बैंक सहभागिता अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आई.पी.बी.सी.) में रु 190 करोड़ का जोखिम साझा आधार पर प्राथमिकता क्षेत्र में विभिन्न ऋणों से संबंधित निवेश किया है जो 27 दिसंबर 2017 को परिपक्व हो गया था. डी.जी.जी.बी. ने देना बैंक के टीयर 2 बॉंड में रू. 2 करोड़ का निवेश किया है. इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2018 तक बैंक में डी.जी.जी.बी. की रु 644.50 करोड़ जमाराशियां हो गई और रु 594.35 करोड़ के अग्रिम लिए है.

8.2 बैंक द्वारा अनुपालन न किए, जाने से संबंधित कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है तथा शेयर बाजार / सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षो के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले में बैंक पर किसी प्रकार का जुर्माना / आक्षेप नहीं लगाया गया.

8.3 देना बैंक द्वारा सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के विनियम 40(9) की अपेक्षानुसार, अन्य बातों के साथ-साथ अंतरण, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीकरण तथा ईक्विटी शेयरों का विनिमय, उनके प्रस्तुतिकरण की तिथि से 30 दिन के अंदर किये जाने के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्रत्येक छः महीने में प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा. इस प्रमाणपत्र को जारी होने और बी.एस.ई. एवं एन.एस.ई.को पर दायर करने किया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं.

8.4 सेबी के परिपत्र संख्या डीएण्डसीसी/एफआईटीटीसी/सीआईआर-16 दिनांक दिसंबर 31, 2002 के अनुसार, देना बैंक की कुल निर्गत / चुकता ईक्विटी पूंजी के साथ भौतिक रूप में तथा डिपाजिटरी के पास रखी गयी कुल ईक्विटी शेयर पूंजी का समायोजन करने के उद्देश्य से व्यावसायिक कंपनी सचिव की फर्म द्वारा शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का मिलान(पूर्व में सचिवीय लेखा परीक्षा के नाम से जाना जाता था) तिमाही आधार पर की जाती है. इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र बी.एस.ई एवं एन.एस.ई को,तिमाही समाप्ति के बाद 30 दिनों में अग्रेषित किया गया है जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं.

8.5 बैंक द्वारा अनुपालन की गई गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं की शर्तें निम्न प्रकार है

क्रम संख्या	अपेक्षा	अनुपालन
1	**निदेशक मंडल** गैर- कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय से अध्यक्ष के कार्यालय की देख-रेख हेतु बनाया जा सकता है और	निदेशक मंडल का अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक है जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा कार्यालय देख-रेख के संबंध में यह लागू नहीं होता.
2	**शेयरधारकों के अधिकार** विगत छ- माहों में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ छमाही के वित्तीय निष्पादन को सभी शेयरधारकों को भेजा जा सकता है.	सेबी के प्रारुप में तिमाही / अर्धवार्षिक परिणामों को समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाता है और बैंक तथा स्टॉक एक्सेंजों की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाता है.
3	**लेखा परीक्षा अर्हता** कंपनी अप्रतिबंधित वित्तीय विवरण व्यवस्था में बढ़े.	वर्ष के दौरान समीक्षा के अधीन लेखा परीक्षा अर्हता नहीं पाई गई. इसलिए, बैंक ने इस अपेक्षा का अनुपालन किया है.
4	**अध्यक्ष और सी.ई.ओ. के भिन्न पदों का सृजन** कंपनी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / सी.ई.ओ. के पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त करे.	बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है. इसलिए, यह लागू नहीं होता.
5	**आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करें.	बैंक का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है. इसलिए, बैंक ने इस अपेक्षा का अनुपालन किया है.

9. वित्तीय परिणाम एवं संप्रेषण के साधन

बैंक अपने सदस्यों और जोखिम धारकों को उनके हितों से संबंधित घटनाओं से उन्हें अवगत रखने की आवश्यकता को महत्व देता है.

बैंक के तिमाही / अर्द्धवार्षिक / वार्षिक परिणाम निर्धारित समय सीमा में उन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किए जाते हैं जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं. इसके साथ ही तिमाही / अर्द्धवार्षिक / वार्षिक परिणाम सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप अंग्रेजी, हिन्दी और मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में प्रकाशित किए गए थे. बैंक अपने वार्षिक परिणामों की कागजी प्रति शेयरधारकों को भी उपलब्ध कराता है.परिणाम के साथ-साथ शेयर धारिता का स्वरुप और शेयर मूल्य बैंक की वेबसाईट अर्थात www.denabank.com पर भी प्रदर्शित किए गये हैं. यह बैंक के बारे में कार्यालयीन प्रेस विज्ञप्ति एवं अन्य महत्वपूर्ण विवरण भी प्रदर्शित करता है.

10. शेयरधारक के लिए सूचनाएँ

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है. बैंक की उपस्थिति इसकी 1872 शाखाओं के नेटवर्क के साथ भारत के समस्त हिस्सों में है. बैंक के ईक्विटी शेयर, बी.एस.ई. बाजार लिमिटेड (बी.एस.ई.) तथा भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड (एनएसई), में सूचीबद्ध हैं.

स्टॉक क्रिप कोड निम्नानुसार हैं :-

स्टॉक एक्सचेंज	कोड	
	अक्षर	संख्या
बीएसई	देना बैंक	532121
एनएसई	देना बैंक	--

अगले वर्ष 2018-19 के लिए दोनों स्टॉक एक्सेंजों को वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया गया है

11. वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजी में वृद्धि

11.1 भारत सरकार (156209320 इक्विटि शेयरों) भारतीय जीवन बीमा निगम (44865702 इक्विटि शेयरों) भारतीय साधारण बीमा निगम (5206977 इक्विटी शेयरों) को अधिमानी आधार पर रु 38.41/- प्रति शेयर के मूल्य पर (जिनमें रु 28.41/- शेयर प्रीमियम के साथ) 206281999 इक्विटि शेयरों को जारी और आवंटन द्वारा रु 792.33 करोड़ की रकम तक इक्विटी शेयर पूंजी जुटाने के लिए दिनांक 27 मार्च, 2017 को आयोजित असाधारण सामान्य सभा में बैंक ने शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया. भारत सरकार के पत्र सं. 7/38/2014-बी.ओ.ए. दिनांक 4 अगस्त 2017 के अनुमोदन के अनुसरण में शेयरों का आबंटन दिनांक 4 अगस्त 2017 को किया गया.

बैंक ने अक्तूबर 2017 में अर्हताप्राप्त संस्थान प्रतिस्थापन (क्यूआईपी) के अंतर्गत अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को रू 29.20 प्रति शेयर की दर से 13,74,18,819 पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर के निर्गम और आवंटन द्वारा रू. 401.26 करोड़ जूटाएं हैं.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रम एवं अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार से अनुमोदन के अनुसरण में; बैंक ने 27 मार्च, 2018 को अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को रू. 26.99 प्रति शेयर (प्रति शेयर 16.99 रुपये के प्रीमियम सहित) पर प्रत्येक रू 10/- रुपये के 112,81,95,628 इक्विटी शेयरों के आवंटन द्वारा रू. 3,045 करोड़ रुपए जूटाएं हैं. जूटाएं गई पूंजी का उपयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ करने और बैंक की सामान्य कारोबार आवश्यकताओं को निधि प्रदान करने के लिए किया जाएगा.

11.2 बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र / ऋणपत्र (टीयर I एवं टीयर II पूंजी) के रूप में अपरिवर्तनीय बाण्ड जारी किये हैं. उनसे संबंधित विवरण निम्नप्रकार है:

निर्गम का विवरण	मात्रा (रुपये करोड में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता की तिथि	आईएसआईएन संख्या	न्यासी के विवरण
9.25% निम्न टीयर-II बांड (श्रृंखला IX)	106	25.03.2008	24.05.2018	INE077A09062	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि., एशियन बिल्डिंग, भूमी तल, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001. टेलिफोन : 022- 4080 7009 ई-मेलः itsl@idbitrustee.com
11.20% निम्न टीयर-II बांड (श्रृंखला X)	300	30.09.2008	30.04.2019	INE077A09070	
9.50% निम्न टीयर-II बांड (श्रृंखला XI)	200	29.01.2009	29.01.2019	INE077A09088	
9.00% बेमीयादी बांड (श्रृंखला II)	125	28.05.2009	बेमीयादी	INE077A09096	
9.23% निम्न टीयर II बांड (श्रृंखला XII)	850	25.06.2012	25.06.2027	INE077A09104	सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-एमएमओ भवन, 3 तल (पूर्व विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट, मुंबई 400001
9.86% बेसल III के अनुरूप निम्न टीयर II बांड (श्रृंखला XIII)	780	26.02.2014	26.02.2024	INE077A08064	
8.76 % बेसल III के अनुरूप निम्न टियर II बांड (श्रृंखला XIV)	400	20.09.2016	20.09.2026	INE077A08098	

वित्तीय वर्ष के दौरान बांड का मोचन:

दिनांक 31.12.2017 को क्रय विकल्प का उपयोग करके 10.05% बेमीयादी बॉन्ड (श्रृंखला I) का पुनर्मोचन किया गया था.

दिनांक 31.03.2018 को 10.20% बेसल III अनुपालन एटी 1 बेमीयादी बॉन्ड (श्रृंखला III) और 10.95% बेसल III अनुपालन एटी 1 बेमीयादी बॉन्ड (श्रृंखला IV) को विनियामक मामलों के अंतर्गत क्रय विकल्प का प्रयोग करके पुनर्मोचन किया गया था.

ये सभी बॉन्ड भारतीय राष्ट्रीय शेयरबाजार लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं और बैंक शेयरबाजार को अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इसकी देय तिथि से पहले वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान करेगा.

11.3 हमारे बैंक के बांडों की साख रेटिंग की स्थिति:

बांड के प्रकार	एजेंसी	रेटिंग (मार्च 2018)
टीयर - II बांड (बेसल II के अनुसार)	क्रिसिल रेटिंग	क्रिसिल ए ए - / स्थिर
	केयर रेटिंग	केयर ए + / स्थिर
	इंडिया रेटिंग	इंडिया ए ए - / स्थिर
बेमीयादी / आई.पी.डी.आई. (बेसल II के अनुसार)	क्रिसिल रेटिंग	क्रिसिल ए +/ स्थिर
	केयर रेटिंग	केयर ए / स्थिर
	इंडिया रेटिंग	इंडिया ए - / स्थिर
टीयर II बांड (बेसल III के अनुसार)	केयर रेटिंग	केयर ए + / स्थिर

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2017-18

12.1 शेयरों और चलनिधि का बेकागजीकरण

बैंक के शेयरों का व्यापार आवश्यक रूप से बेकागजीकृत स्वरूप में किया जाता है.जारीकर्ता बैंक के रूप में, बैंक ने शेयरों के बेकागजीकरण के लिए एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. के साथ एक करार किया है. सेबी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता भी बैंक के शेयरधारकों को अंतरण / बेकागजीकरण / पुनर्कागजीकरण की सुविधा दे रहे हैं.

	31-03-2018 को		
	डीमेट	कागजी रूप में	कुल
शेयरधारकों की संख्या	2,16,856 (87.48%)	31,027 (12.52%)	2,47,883 (100%)
शेयरों की संख्या	225,06,15,237 (99.63%)	84,31,093 (0.37%)	225,90,46,330 (100%)

12.2 शेयर अंतरण पद्धति और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक ने मेसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर.एण्ड.टी) के रूप में कार्य सौंपा है और शेयर / बॉण्ड अंतरण / प्रेषण, लाभांश/ब्याज भुगतान और निवेशक संबंधी अन्य सभी मामलों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा उनके कार्यालय में की जाती है. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट निवेशकों के अनुरोधों पर कार्रवाई करने के बाद, उन्हें बैंक के कार्यपालकों की आंतरिक शेयर अंतरण संवीक्षा समिति के समक्ष रखता है और वह समिति बैंक के शेयरों के अंतरण / प्रेषण आदि का अनुमोदन करके उसकी पुष्टि के लिए शेयर अंतरण समिति को अपनी संस्तुति भेजती है.

शेयरधारक अपने अंतरण विलेख (केवल कागजी रुप में धारित होने के मामले में) और शिकायत सहित अन्य कोई प्रलेख बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं और इससे संबंधित पत्राचार भी, यदि कोई हो, उसे बैंक के निवेशक संपर्क केद्र को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं.

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इकाईः देना बैंक, सी 101, 247 पार्क, एल. बी. एस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र - 400083 टेलीफोनः 022 - 49186270 टेली फैक्सः 022 - 49186060 ई-मेलः rnt.helpdesk@linkintime.co.in, Bonds.helpdesk@linkintime.co.in	देना बैंक, प्रधान कार्यालय, निवेशक संपर्क केंद्र, 3रा तल, देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 टेलिफोनः 26545318/19/20 टेलिफेक्सः 26545317 ई मेलः irc@denabank.co.in

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने शिकायतों के निवारण हेतु एक विशिष्ट ई-मेल आई.डी. investorgrievance@denabank.co.in प्रदान की है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे किसी भी तरह की शिकायतों के मामले में इस सुविधा का उपयोग करें.

12.3 कार्पोरेट अभिशासन में अभिनव पहल

कार्पोरेट अभिशासन में अभिनव पहल के रुप में, सभी पत्रादि और दस्तावेज जैसे कि ए.जी.एम. की या अन्य सामान्य बैठकों की सूचना, व्याख्यात्मक विवरण, वार्षिक रिपोर्ट, तुलन पत्र, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और शेयरधारकों के लिए अन्य संदेश इलेक्ट्रानिक प्रारुप में शेयरधारक द्वारा बैंक में या निक्षेपागार के पास, जो भी मामला हो, बैंक पंजीकृत ई-मेल एड्रेस पर भेजता है.

सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि निक्षेपागार सहभागी (डी.पी.) या मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास जल्द से जल्द अपने ई-मेल आई.डी. पंजीकृत / अद्यतन कर ले, ताकि बैंक इस अभिनव पहल को अधिक सक्षम कर सकें.

12.4 वित्तीय कैलेंडरः (अस्थायी)

वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019
लेखों पर विचार करने एवं लाभांश, यदि कोई हो, की संस्तुति करने के लिए मंडल की बैठक	11 मई 2018 (शुक्रवार)
बही बंद होने की तारीखें	21 जून 2018 से 27 जून 2018
मुख्तारी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	22 जून 2018
22वीं वार्षिक सामान्य सभा की तारीख	27 जून 2018 प्रात : 11:00 बजे
प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर लेखापरीक्षित परिणामों को अभिलेख में लेने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	संबंधित तिमाही के बाद के 45 दिनों के अंदर
22वीं वार्षिक सामान्य सभा का स्थल	सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर अस्पताल के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई 400056

12.5 वर्ष 2017-18 के दौरान एन.एस.ई एवं बी.एस.ई. के माध्यम से खरीदे /बेचे गए शेयरों की कीमत और मात्राः

	राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.)			बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बी.एस.ई.)		
अवधि	उच्च	निम्न	खरीदे / बेचे गए शेयरों की कुल मात्रा	उच्च	निम्न	खरीदे / बेचे गए शेयरों की कुल मात्रा
अप्रैल -17	44.90	38.10	2,75,48,301	44.70	38.00	57,91,852
मई -17	50.10	33.75	7,01,42,856	50.00	33.70	1,66,34,343
जून -17	38.40	33.10	3,03,33,562	38.40	33.00	73,67,699
जुलाई -17	36.10	32.10	1,87,63,644	36.10	32.25	41,77,220
अगस्त -17	35.25	30.30	1,38,07,692	35.30	30.30	33,60,393
सितंबर -17	33.60	30.00	1,69,20,104	33.45	30.45	27,48,452
अक्तूबर -17	32.00	27.10	10,15,94,414	32.00	27.10	1,41,13,357
नबंवर -17	28.70	24.30	7,09,26,971	28.80	24.30	1,15,14,144
दिसंबर -17	26.40	23.55	3,40,37,649	26.40	23.70	66,11,760
जनवरी -18	27.85	24.85	7,30,77,475	27.85	24.65	1,30,02,922
फरवरी -18	25.50	19.85	3,79,73,140	25.55	19.85	77,71,152
मार्च -18	21.60	18.05	3,15,33,392	21.70	18.00	65,03,534
वर्ष के दौरान सर्वोच्च			**50.10**	**वर्ष के दौरान सर्वोच्च**		**50.00**
वर्ष के दौरान न्यूनतम			**18.05**	**वर्ष के दौरान न्यूनतम**		**18.00**

12.6 दिनांक 31 मार्च, 2018 को शेयरधारिता का स्वरूपः

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक की शेयरधारिता का स्वरूप निम्न प्रकार हैः

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1	भारत सरकार	182,40,31,844	80.74
2	बीमा कंपनियां	19,05,01,676	8.43
3	विदेशी संस्थागत निवेश	2,79,37,286	1.24

4	कार्पोरेट निकाय	2,52,95,657	1.12
5	एन.आर.आई / ओसीबी	56,06,737	0.25
6	बैंक व वित्तीय संस्थान	3,84,19,247	1.70
7	म्युचुअल फंड / यूटीआई	400	0.00
8	आर.बी.आई., न्यासी के साथ पंजीकृत निवासी वैयक्तिक / एन.बी.एफ.सी,	14,72,53,483	6.52
	कुल	**225,90,46,330**	**100.00**

12.7 (क) दिनांक 31-03-2018 को "प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह" की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की शेयरधारिता प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	धारित शेयर की संख्या	कुलधारिता का %
1.	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	182,40,31,844	80.74
	कुल	182,40,31,844	80.74

(ख) दिनांक 31.03.2018 को जनता की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की शेयरधारिता और शेयरों की कुल संख्या के 1 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता प्रदर्शित करने वाला विवरणः

क्र. सं.	शेयर धारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में शेयर
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	15,52,69,698	6.87
2	भारतीय साधारण बीमा निगम	2,85,32,665	1.26
	कुल	**18,38,02,363**	**8.13**

12.8 दिनांक 31 मार्च, 2018 को शेयरधारिता का वितरण :

विवरण	शेयरधारक		शेयरधारिता	
(शेयरों की संख्या)	संख्या	कुल का %	संख्या	कुल का %
500 तक	206069	83.13	34625936	1.53
501-1000	20687	8.34	17325868	0.77
1001-2000	10490	4.23	16364235	0.72
2001-3000	3610	1.46	9361867	0.41
3001-4000	1725	0.70	6251979	0.28
4001-5000	1434	0.58	6825226	0.30
5001-10000	2144	0.86	16156277	0.72
10000 से अधिक	1724	0.70	2152134942	95.27
कुल	**247883**	**100.00**	**2259046330**	**100.00**

12.9 एस एण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी के उतार-चढ़ाव की तुलना में देना बैंक के शेयर का निष्पादन निम्नानुसार प्रदर्शित है.

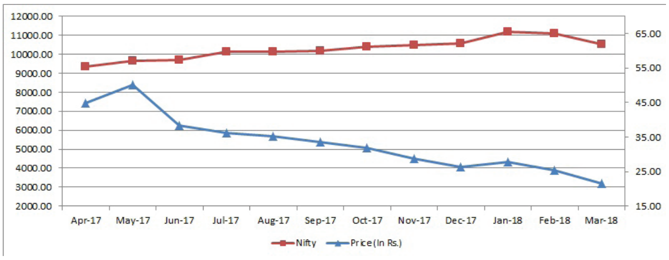

12.10. शेयर धारकों के लिए सूचनाः

बैंक ने निम्नलिखित वर्षों के लिए लाभांश घोषित किया:

क्रम सं.	वर्ष	लाभांश (%)	क्रम सं.	वर्ष	लाभांश (%)
1	1996-1997	12%	13	2008-2009	12%
2	1997-1998	15%	14	2009-2010	20%
3	1998-1999	16%	15	2010-2011	22%
4	1999-2000	6%	16	2011-2012	30%
5	2000-2001	शून्य	17	2012-2013	47%
6	2001-2002	शून्य	18	2013-2014 (अंतरिम)	11%
7	2002-2003	शून्य	19	2013-2014 (अंतिम)	11%
8	2003-2004	शून्य	20	2014-2015 (अंतिम)	9%
9	2004-2005	शून्य	21	2015-16	शून्य
10	2005-2006	शून्य	22	2016-17	शून्य
11	2006-2007	8%	23	2017-18	शून्य
12	2007-2008	10%			

दिनांक 16 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना द्वारा भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि आगे बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में संशोधन किया गया है और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था नियम (संशोधन) अधिनियम, 2006 नामक नया नियम बनाया है जो अधिसूचना की तारीख से प्रभावी है.

उपरोक्त अधिनियम की धारा 10 (बी) (2) के अनुसार बैंक को जारी लाभांश उपरोक्त अधिनियम की शुरुआत के पहले, अदत्त लाभांश से विशेष खाता में देना बैंक (वर्ष) के अदत्त लाभांश खाता में अधिनियम की शुरूआत के बाद छः माहों में, अर्थात दिनांक 16 अक्तूबर, 2006 को पूर्ण रुप से या उसका हिस्सा अंतरित करेगा. बैंक ने उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और अदत्त लाभांश खाता में उसे अंतरित भी किया है.

उपरोक्त अधिनियम की धारा 10 (बी) (1) के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था नियम (संशोधन) अधिनियम, 2006 की शुरुआत के पहले, लाभांश जो कि तदनुरुपी नए बैंक द्वारा घोषित किया गया हो और वह भुगतान ना किया हो या घोषित किये जाने की तिथि से तीस दिनों तक अदावाकृत रहा हो, या किसी शेयरधारक को या द्वारा लाभांश के भुगतान प्राप्त करने के लिए हकदार है, तो तदनुरुपी बैंक तीस दिनों की ऐसी अवधि की समाप्त होने की तिथि से 7 दिन के अंदर लाभांश की कुल रकम जो अदत्त है या अदावाकृत है "अदत्त लाभांश खाता" नामक विशेष खाते में अंतरित करेगा. बैंक ने वर्ष 2014-15 के लाभांश के लिए इन दिशानिदेशों का अनुपालन किया है.

उपरोक्त अधिनियम की धारा 10 (बी) (3) के अनुसार, इस धारा के अनुसरण में तदनुरुपी नए बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते को अंतरित कोई भी धन जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावाकृत रहे तो उसे केद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को तदनुरूपी नए बैंक द्वारा अंतरित किया जाएगा. तदनुसार, बैंक द्वारा 2009-10 तक अदत्त लाभांष खाते में पडे हुए अदत्त / अदावाकृत लाभांश राशि को बैंक द्वारा अंतरित किया गया.

तदनुसार, जिन शेयरधारकों को वर्ष 2010-2011 से 2014-2015 तक लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है वे कृपया सहायता के लिए बैंक के निवेशक सम्पर्क केंद्र या मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क कर सकते हैं. बैंक ने वर्ष 2000-2001 से 2005-2006 के दौरान और 2015-16 से 2017-18 में कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया है.

12.11 जहां पर ई.सी.एस. सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ निवेशकों को इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा के माध्यम से लाभांश वितरित करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों के विवरणों का उपयोग करने हेतु सेबी ने इसे सभी सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए अनिवार्य बना दिया है. एन.ई.सी.एस. सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में निवेशकों को लाभांश वितरण के लिए बैंक भुगतान लिखत पर बैंक खाते का विवरण, यदि उपलब्ध हो, मुद्रित करेगा.

12.12 ऐसे शेयरधारक जिनके शेयर कागजी रुप में हैं और जिन्होंने बैंक को अधिदेश विवरण / अधिदेश विवरण में हुए परिवर्तन बैंक को सूचित नहीं किए हैं, वे उक्त विवरण बैंक को प्रस्तुत करें ताकि लाभांश वारंट के धोखाधडी पूर्वक नकदीकरण से बचा सके. बैंक अधिदेश प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट में अलग से उपलब्ध कराया गया है.

12.13 कृपया यह ध्यान दें कि जिन शेयर धारकों के शेयर कागजी रूप में हैं वे अपने बैंक अधिदेश विवरण और पते में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो तो, शेयरधारकों के अभिलेख को अद्यतन करने के लिए बैंक के निवेशक सम्पर्क केद्र या मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को भेज सकते हैं. ऐसे शेयरधारक जिनकी शेयर धारिता डीमेट (इलेक्ट्रानिक) रूप में है वे बैंक खातों के विवरण, शेयरधारक आदि के पते को अनिवार्य रूप से अद्यतन बनाने के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी से सम्पर्क करें.

घोषणा

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के अनुसार कार्यपालक निदेशक की घोषणा.

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और मेरे बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालन की पुष्टि कर दी है. उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया गया है.

कृते देना बैंक

रमेश एस. सिंह
कार्यपालक निदेशक

दिनांक : 11.05.2018
स्थानः मुंबई

सी.ई.ओ. एवं सी.एफ.ओ. प्रमाणपत्र

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत

निदेशक मंडल
देना बैंक,
मुंबई

हम एतद्द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणों की समीक्षा एवं अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर प्रमाणित करते है कि -

i. इन विवरणों में भौतिक रूप से कोई गलत विवरण नहीं है अथवा इनमें से कोई भौतिक तथ्य हटाए नहीं गए हैं अथवा इनमें ऐसा कोई विवरण नहीं है जो गुमराह करते हों,

ii. ये विवरण के साथ बैंक के कामकाज की एक सच्ची एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करते हैं, साथ ही ये बैंक के वित्तीय परिणामों में प्रकट किए गए प्रचलित लेखांकन मानकों, प्रयोज्य विधियों व विनिमयों के अनुपालन के अनुरूप है.

iii. हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार, वर्ष 2017-2018 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करनेवाला रहा हो, सिवाय उसके जिसकी रिपोर्ट निदेशक मंडल / भारतीय रिजर्व बैंक को कर दी गई है.

iv. हम आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने एवं उनको बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं, हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की प्रभावात्मकता का मूल्यांकन किया है एवं हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के स्वरुप एवं परिचालन से संबंधित उन कमियों जिनसे हम अवगत हैं, के बारे में लेखा परिक्षकों व लेखा परीक्षा समिति को बता दिया है तथा हमने इन कमियों को सुधारने के लिए अपेक्षित कदम उठाए हैं.

v. हम पुनः प्रमाणित करते हैं कि :

1. वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं,
2. इस वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं सिवाय उसके जिन्हें बैंक के वित्तीय परिणामों में प्रकट कर दिया गया है,
3. निदेशक मंडल / भारतीय रिजर्व बैंक को की गई रिपोर्ट को छोड़कर, प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में है, के ऐसे किसी महत्वपूर्ण छल-कपट के कोई उदाहरण नहीं रहे हैं जिससे एवं संबंधितों से हम अवगत नहीं हो गए हैं. जब कभी कोई धोखाधड़ी उजागर हुई है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की गई है. भविष्य में इसके निवारण संबंधी आवश्यक उपाय भी निरंतर रुप से किए जा रहे हैं.

(उषा रवि) महा प्रबंधक (वित्तीय प्रबंधन) और सी.एफ.ओ.	(डा. राजेश कुमार यदुवंशी) कार्यपालक निदेशक	(रमेश एस. सिंह) कार्यपालक निदेशक

दिनांक : 11.05.2018
स्थान : मुंबई

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2017-18

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र
सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के अंतर्गत

सेवा में,
निदेशक मंडल
देना बैंक, प्रधान कार्यालय
देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051.

हमने सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 में यथा निर्धारित 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए देना बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है.

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है. हमारी जांच उक्त विनियमो के शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई कार्यविधि और कार्यान्वयन करने तक सीमित थी. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर मंतव्य की अभिव्यक्ति है.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि सामान्यतया बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता करार के यथा निर्धारित कार्पोरेट अभिशासन की शर्तो का अनुपालन किया है, ज़ब तक कि वे भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशो से असंगत नहीं है.

1. 1 सितंबर 2017 से बैंक में कोई महिला निदेशक नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने किसी भी महिला निदेशक को नियुक्त नहीं किया है.
2. चूंकि 23 मार्च, 2018 को दो मंडल सदस्य सेवानिवृत्त हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम पांच सदस्यों की संख्या समक्ष 31 मार्च, 2018 तक बैंक की लेखा परीक्षा समिति में केवल तीन सदस्य थे. 26 अप्रैल, 2018 को आयोजित मंडल की बैठक के तुरंत बाद बैंक द्वारा उक्त रिक्तियों को भर दिया गया था.

हम यह कहना चाहते हैं कि बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता द्वारा यथा प्रमाणित बैंक के निवेशक से संबंधित कोई भी शिकायत एक माह से अधिक समय के लिए लंबित नहीं है.

हम यह भी कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है और न ही उस कार्यक्षमता और प्रभावात्मकता का, जिसे प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कामकाज के लिए तैयार किया है.

कृते, रमेश सी अग्रवाल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(आर. सी. अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं 070229
एफ.आर.एन. 001770C

कृते, ए.बी.पी. एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
एम. सं 057140
एफ.आर.एन. 315104E

कृते, कैलाश चंद जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(संदीप के. जैन)
भागीदार
एम. सं 110713
एफ.आर.एन. 112318W

कृते, सारदा और पारीक
सनदी लेखाकार

(निरंजन जोशी)
भागीदार
एम. सं 102789
एफ.आर.एन. 109262W

स्थान : मुंबई
दिनांक : 11.05.2018

श्री रमेश एस. सिंह, 22 जनवरी 2016 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. श्री सिंह कला और विधि स्नातक हैं. इंडियन इन्स्टीटयूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट (सी.ए.आई.आई.बी.) हैं. श्री सिंह ने आई.आई.एम. अहमदाबाद में नेतृत्व विकास और उन्नत नेतृत्व कार्यक्रमों में भाग लिया. श्री सिंह ने ए.एस.सी.आई. हैदराबाद में नेतृत्व विकास और केलॉग स्कूल आफ मैनेजमेंट, शिकागो के साथ एन.आई.बी.एम. पुणे द्वारा आयोजित कार्पोरेट एक्सीलेंस हेतु नेतृत्व विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया.

बैंक में नियुक्ति से पूर्व श्री सिंह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उसके अंचल कार्यालय, भोपाल में क्षेत्र महा प्रबंधक थे, जहाँ वे मध्य प्रदेश राज्य में 468 शाखाओं, 6 क्षेत्रीय कार्यालयों और 18 अग्रणी बैंक जिला कार्यालयों में परिचालन का नेतृत्व कर रहे थे. श्री रमेश एस. सिंह राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.), मध्य प्रदेश के संयोजक भी थे. श्री सिंह ने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में महा प्रबंधक (खजाना और अंतरराष्ट्रीय प्रभाग) के रूप में भी कार्य किया है.

डॉ राजेश कुमार यदुवंशी हमारे बैंक में दिनांक 9 अक्टूबर, 2017 को कार्यपालक निदेशक के रुप में नियुक्त किए गए. वे विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से एंटमॉलजी में पीएचडी हैं. वे भारतीय बैंकर संस्थान का प्रमाणित एसोसिएट (सी.ए.आई.आई.बी.) हैं. उन्होंने आई.एस.बी. हैदराबाद में गहन एफ.ई.एक्स. कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में उन्नत प्रशिक्षण (एन.आई.बी.एम, पुणे) और शीर्ष प्रबंधन के लिए नेतृत्व कौशल सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है.

डॉ राजेश कुमार यदुवंशी को बैंकिंग क्षेत्र में 32 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है. हमारे बैंक में नियुक्त होने से पूर्व, वे पंजाब नेशनल बैंक में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और एनसीआर, दिल्ली में क्षेत्र महाप्रबंधक के रूप कार्यरत थे जिसमें चार मंडल, 368 शाखाएं और दो बड़ी कॉर्पोरेट शाखाएं शामिल थीं. इन्होंने यू.के. में पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड लिए 3 वर्ष और जालंधर के सर्कल हेड के रूप में 3 वर्ष काम किया है.

श्री अशोक कुमार सिंह ने बैंक के निदेशक मंडल में 15 जनवरी 2016 से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया. श्री ए. के. सिंह आई.आई.टी. कानपुर से बी.टेक. (मैकेनिकल इंजीनियर) और भारतीय प्रशासनिक सेवा में केरल कैडर में वर्ष 1999 से कार्यभार ग्रहण किया. श्री ए. के. सिंह केरल जल प्राधिकरण, केरल के प्रबंध निदेशक थे. वे पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के निदेशक मंडल में सरकार नामित निदेशक के रूप में पदस्थ थे. वर्तमान में, श्री अशोक कुमार सिंह, वित्तीय समावेशन, ई-समीक्षा, मीडिया और संबद्ध मामलों के लिए सामग्री, सूचना तकनीक (आई.टी.), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक हैं.

श्री शिरीष सी. मुरमू बैंक के निदेशक मंडल में 03 मई 2016 से भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वे जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं. वे भारतीय बैंकर संस्थान का प्रमाणित एसोसिएट (सी.ए.आई. आई.बी.) हैं. वर्तमान में, वे भारतीय रिजर्व बैंक के कोलकता क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के पद पर हैं. पूर्व में भारतीय रिजर्व बैंक में अपनी सेवाओं के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में कार्य किया जैसे कि इशू एवं बैंकिंग विभाग, बैंकिंग सुपरविजन विभाग, शहरी बैंक सुपरविजन विभाग, वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग. वे सूचना तकनीक विभाग में मुख्य महा प्रबंधक के रुप में भी कार्य कर चुके हैं.

श्री अमित चटर्जी की नियुक्ति बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक के रूप में दिनांक 28 जनवरी 2016 को हुई. श्री अमित चटर्जी सेंट स्टीफन्स महाविद्यालय दिल्ली से बी.ए.(आनर्स) अर्थशास्त्र किया है. उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनामिक्स से एम.ए. अर्थशास्त्र, फेकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली से एम.बी.ए. (फाईनेंस) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली से एम.फिल (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) किया है. श्री अमित चटर्जी ने व्हार्टन बिजनेस स्कूल, पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय यू.एस.ए.,जार्ज टाऊन विश्वविद्यालय यू.एस.ए., लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स यू.के., राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर और भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूर सहित प्रतिष्ठत संस्थाओं में विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की है.

श्री अमित चटर्जी भारतीय राजस्व सेवा के सेवामुक्त अधिकारी हैं. उन्होंने भारत सरकार की सेवाओं में 36 वर्षों के व्यापक अनुभव (संयुक्त सचिव स्तर और उससे उपर में 14 वर्ष सहित) से विशेष कौशल प्राप्त कर लिया है. नीतिगत मामलों का निर्देशन करने में उनकी व्यापक पृष्ठभूमि है और वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों, बिजली, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं. अपनी सेवा अवधि के दौरान, उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों पर कार्य किया है. वह मुंबई और दिल्ली के पूर्व मुख्य आयुक्त, आयकर हैं. श्री अमित चटर्जी ने बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग में भी कार्य किया है.

श्री जी. गोपालकृष्ण बैंक के निदेशक मंडल में दिनांक 28 जनवरी 2016 से अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक के रुप में नियुक्त किए गए हैं. वे कला और विधि स्नातक हैं. भारतीय बैंकर संस्थान का प्रमाणित एसोसिएट (सी.ए.आई.आई.बी.) हैं.

श्री गोपालकृष्णा अक्टूबर 2007 से अप्रैल 2014 तक भा.रि.बैं. में कार्यपालक निदेशक थे. वे उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) के निदेशक थे जो बैंकिंग और वित्तीयन में अनुसंधान और अध्ययन हेतु विश्व स्तरीय वैश्विक संस्था का विकास करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा कैफरल स्थापित किया गया है.

2011 के दौरान, उन्होंने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रानिक बैंकिंग तकनीक, जोखिम प्रबंधन और साईबर धोखाधड़ी पर कार्य समूह की अध्यक्षता की. श्री गोपालकृष्णा, भारत में पर्यवेक्षण प्रक्रिया की समीक्षा हेतु 2012 में भा.रि.बैं. द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय संचालन समिति के भाग के रूप में पर्यवेक्षण रेटिंग रुपरेखा की समीक्षा हेतु गठित तकनीकी समूह के अध्यक्ष थे.

डॉ. यशोवर्धन वर्मा को दिनांक 28 मार्च, 2018 से शेयरधारक निदेशक के रुप में चुना गया है. डॉ वर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, पर्सनल मेनेजमेंट और इंडस्ट्रीयल रिलेशन में पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया है. वे आई.आई.टी., खरगपुर से पी.एच.डी. भी हैं

उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा स्टील के साथ की और उन्होंने उषा इंडिया और जिंदाल संस्था के साथ मानव संसाधन विभाग में भी कार्य किया. उन्होंने एम.आई. आर.सी. इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में सी.ई.ओ. तथा एल.जी. इलेक्ट्रानिक्स इंडिया (घरेलू उपकरण) में निदेशक के रुप में, इंडियन ऑपरेशन्स में मुख्य परिचालन अधिकारी और उपाध्यक्ष (मानव संसाधन)के रुप में कार्य किया हैं.

श्री वर्मा को बिजनेस टुडे द्वारा 'हेरेटिक' और 'गलअप' पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था और 1997 में भारत की एक प्रतिष्ठित कारोबार पत्रिका, बिजनेस टुडे के मुखपृष्ठ पर भी उन्हें स्थान दिया गया था. व्यावसायिक प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें अखिल भारतीय प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा सम्मानार्थ शिक्षावृत्ति प्रदान की गई है. वह ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रबंधन परिषद के सदस्य भी थे. वे 2009-11 की अवधि के दौरान उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण निर्माता (सी. ई.ए.एम.ए.) के अध्यक्ष थे.

श्री राकेश कुमार को 28 मार्च, 2018 को बैंक के मंडल में शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है. वे भौतिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर है. वर्तमान में, वे भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यपालक निदेशक (विपणन/ बैंकबीमा और वैकल्पिक चैनल) के रूप में कार्यरत हैं. वर्तमान दायित्व से पूर्व, वे उत्तर अंचल कार्यालय के क्षेत्र प्रबंधक (विपणन), उत्तर क्षेत्र कार्यालय और पूर्वी केंद्रीय क्षेत्र कार्यालय के क्षेत्र प्रबंधक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध) थे.

निदेशकों के विवरण (31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान)

अनुबंध ए

क्र सं	निदेशकों के विवरण, कार्यकाल, देना बैंक में शेयरधारिता, यदि कोई हो	प्रकार	आयु वर्षों में	शैक्षणिक योग्यता	कार्यकाल	अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशक / सदस्यता और अध्यक्षता	शेयरधारिता
1	श्री अश्वनी कुमार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	60	एम.एस.सी. सी.ए.आई.आई.बी.	01.01.2013 से 31.12.2017	1. भारतीय जीवन बीमा निगम निदेशक	0
2	श्रीमती तृष्णा गुहा	कार्यपालक निदेशक	60	एम.एस.सी., कंप्यूटर विज्ञान में पी.जी.डी.	05.08.2013 से 31.08.2017	शून्य	0
3	श्री रमेश एस. सिंह	कार्यपालक निदेशक	56	बी.ए., एल.एल.बी., सी.ए.आई.आई. बी.	22.01.2016 से 21.01.2019	शून्य	0
4	डॉ राजेश कुमार यदुवंशी	कार्यपालक निदेशक	57	एम.एस.सी., एंटमॉलजी में पी.एच.डी., सी.ए.आई.आई.बी.	09.10.2017 से 08.10.2020	शून्य	0
5	श्री अशोक कुमार सिंह	भारत सरकार नामिती	49	बी.टेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)	15.01.2016 से अगले आदेश तक	शून्य	0
6	श्री एस. सी. मुरमु	भारतीय रिजर्व बैंक- नामिती	50	एम.एस.सी, सी.ए.आई.आई.बी.	03.05.2016 से अगले आदेश तक	शून्य	0
7	श्री बंकिम आर. देसाई	कामगार कर्मचारी निदेशक	58	बी. कॉम	19.09.2014 से 18.09.2017	शून्य	0
8	श्री अमित चटर्जी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	63	बीए (ऑनर्स) - अर्थशास्त्र, एमबीए (फाइनेंस एंड मैनेजमेंट) एम फिल (लोक प्रशासन)	28.01.2016 से 27.01.2019	शून्य	0
9	श्री जी. गोपालकृष्ण	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	62	बी.ए., एल.एल.बी., सी.ए.आई.आई. बी.	28.01.2016 से 27.01.2019	1. सोरिल होल्डिंग एण्ड वेन्चर लिमिटेड 2. वेस्ट एन्ड हाऊसिंग फाईनांस लिमिटेड 3. इनवेंट एसेट सिक्यूरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	0
10	डॉ. उमेश बेल्लूर	शेयरधारक निदेशक	52	बी.ई., कंप्यूटर विज्ञान में पी.एच.डी.	24.03.2015 से 23.03.2018	शून्य	100
11	श्री वी. चंद्रशेखरन	शेयरधारक निदेशक	60	बी.कॉम, एफ.सी.ए.	24.03.2015 से 23.03.2018	1. यू.टी.आई. वेंचर फंड मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2. एल.आई.सी. एच.एफ. एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 3. लीगल एन्टीटी आयडेन्टीफाईड इंडिया लिमिटेड 4. केअर रेटिंग्स लिमिटेड 5. तमिलनाडू न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड	200
12	डॉ यशो वर्धन वर्मा	शेयरधारक निदेशक	60	बी.ई., पर्सोनल मेनेजमेंट और इंडस्ट्रीयल रिलेशन में स्नातकोत्तर, ऑर्गनाइजेशनल बिहेवियर में पी.एच.डी.	24.03.2015 से 23.03.2018 और 28.03.2018 से 27.03.2021	1. इंडियननिका लर्निंग प्राईवेट लिमिटेड 2. रिनाक इंडिया लिमिटेड 3. वेकेअर कंस्यूमर साइंस प्राईवेट लिमिटेड	200
13	श्री राकेश कुमार	शेयरधारक निदेशक	57	एम.एस.सी. (भौतिक विज्ञान)	28.03.2018 से 27.03.2021	शून्य	100

31.03.2018 को मंडल की समितियों का गठन **अनुबंध बी**

क्र.स.	समिति	नाम
मंडल प्रबंधन समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 3. श्री एस. सी. मुरमु 4. श्री अमित चटर्जी 5. श्री जी. गोपालकृष्णन	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. कार्यपालक निदेशक-II 3. भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक 4. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक 5. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
लेखा परीक्षा समिति	1. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 2. श्री अशोक कुमार सिंह 3. श्री एस. सी. मुरमु	1. कार्यपालक निदेशक-II 2. भारत सरकार नामित निदेशक 3. भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक
समन्वित जोखिम प्रबंधन समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 3. श्री अमित चटर्जी 4. श्री जी. गोपालकृष्ण	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. कार्यपालक निदेशक-II 3. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक 4. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
हितधारक संबंध समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 3. श्री जी. गोपालकृष्ण	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. कार्यपालक निदेशक -II 3. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
ग्राहक सेवा समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 3. श्री अशोक कुमार सिंह	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. कार्यपालक निदेशक-II 3. भारत सरकार नामित निदेशक
बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ियों की निगरानी समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 3. श्री अशोक कुमार सिंह	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. कार्यपालक निदेशक-II 3. भारत सरकार नामित निदेशक
सूचना प्रौद्योगिकी समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 3. श्री अशोक कुमार सिंह 4. श्री जी. गोपालकृष्ण	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. कार्यपालक निदेशक-II 3. भारत सरकार नामित निदेशक 4. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
पारिश्रमिक समिति	1. श्री अशोक कुमार सिंह 2. श्री एस. सी. मुरमु	1. भारत सरकार के नामित निदेशक 2. भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक
नामांकन समिति	1. श्री अशोक कुमार सिंह 2. श्री अमित चटर्जी 3. श्री जी. गोपालकृष्ण	1. भारत सरकार के नामित निदेशक 2. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक 3. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
अनुपालन समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 3. श्री अशोक कुमार सिंह	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. कार्यपालक निदेशक-II 3. भारत सरकार नामित निदेशक
मानव संसाधन पर संचालन समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 3. श्री अशोक कुमार सिंह	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. कार्यपालक निदेशक-II 3. भारत सरकार नामित निदेशक
उच्च मूल्य वाले एनपीए एवं हानि आस्ति निगरानी समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 3. श्री अशोक कुमार सिंह 4. श्री अमित चटर्जी 5. श्री जी. गोपालकृष्ण	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. कार्यपालक निदेशक-II 3. भारत सरकार नामित निदेशक 4. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक 5. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

31.03.2018 को मंडल की समितियों का गठन

क्र.स.	समिति	नाम
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पर मंडल की उप-समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 3. श्री अशोक कुमार सिंह 4. श्री एस. सी. मुरमु	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. कार्यपालक निदेशक-II 3. भारत सरकार के नामित निदेशक 4. भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक
विभागीय पदोन्नति समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. श्री अशोक कुमार सिंह 3. श्री एस. सी. मुरमु	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. भारत सरकार के नामित निदेशक 3. भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक
इरादतन चूककताओंकी समीक्षा हेतु मंडल समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. श्री अमित चटर्जी	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
असहयोगी उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु मंडल समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. श्री जी. गोपालकृष्ण	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
निर्गम समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 3. श्री जी. गोपालकृष्ण	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. कार्यपालक निदेशक-II 3. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
साख अनुमोदन समिति	1. श्री रमेश एस. सिंह 2. डॉ राजेश कुमार यदुवंशी 3. श्री एस. के. वधवा 4. श्रीमती उषा रवि 5. श्री रोहित पटेल	1. कार्यपालक निदेशक-I 2. कार्यपालक निदेशक-II 3. महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट) 4. महाप्रबंधक (वित्तीय प्रबंधन) 5. महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)

भाग I दिनांक 31.03.2018 को निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

अनुबंध सी

क्रम सं.	नाम	समिति की बैठक	प्रबंधन समिति की बैठक	लेखा परीक्षा समिति की बैठक	पारिश्रामिक समिति की बैठक	एस.आर.सी. की बैठक	समन्वित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक	बड़े मूल्य वाली धोखाधडियों की निगरानी समिति बैठक	शेयर अंतरण समिति की बैठक	ग्राहक सेवा समिति की बैठक	सूचना तकनीक समिति बैठक	अनुपालन समिति बैठक	नामांकन समिति बैठक	मानव संसाधन पर मंडल की संचालन समिति	अत्यधिक मूल्य वाले एनपीए एवं हानि आस्तियों के लिए निगरानी समिति	मंडल की साख अनुमोदन समिति की बैठक	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार समिति की बैठक	विभागीय पदोन्नति समिति	निर्गम समिति	इरादतन चूककर्ता की पुष्टि हेतु मंडल की समिति	असहयोगी उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु मंडल समिति
		उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित
1	श्री रमेश एस. सिंह	13/13	11/12	9/9	--	4/4	4/4	1/1	4/4	4/4	4/4	4/4	--	4/4	4/4	18/18	4/4	1/1	7/7	0/0	0/0
2	डॉ राजेश कुमार यदुवंशी	7/7	6/6	7/7	--	2/2	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2	--	2/2	2/2	7/7	2/2	-	6/6	-	-
3	श्री अशोक कुमार सिंह	7/13	--	4/10	0/0	--	--	1/1	--	0/4	0/4	0/4	2/2	1/4	0/4	--	0/4	0/2	--	--	--
4	श्री एस. सी. मुरमु	12/13	11/12	10/10	0/0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4/4	2/2	--	--	--
5	श्री अमित चटर्जी	13/13	9/10	--	--	--	1/1	--	--	--	--	--	2/2	--	1/1	--	--	--	--	4/4	--
6	श्री जी. गोपालकृष्ण	13/13	11/12	--	--	4/4	3/3	-	-	-	4/4	-	2/2	-	1/1	-	-	-	6/6	-	0/0
7	डॉ यशोवर्धन वर्मा	11/13	--	9/10	--	4/4	--	1/1	--	3/4	--	--	--	3/4	--	--	--	--	--	--	--
8	श्री राकेश कुमार	0/0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

भाग II निदेशकों की उपस्थिति का विवरण जिनका कार्यकाल वर्ष 2017–2018 के दौरान समाप्त हो गया

क्रम सं.	नाम	समिति की बैठक	प्रबंधन समिति की बैठक	लेखा परीक्षा समिति की बैठक	पारिश्रामिक समिति की बैठक	एस.आर.सी. की बैठक	समन्वित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक	बड़े मूल्य वाली धोखाधडियों की निगरानी समिति बैठक	शेयर अंतरण समिति की बैठक	ग्राहक सेवा समिति की बैठक	सूचना तकनीक समिति बैठक	अनुपालन समिति बैठक	नामांकन समिति बैठक	मानव संसाधन पर मंडल की संचालन समिति	अत्यधिक मूल्य वाले एनपीए एवं हानि आस्तियों के लिए निगरानी समिति	मंडल की साख अनुमोदन समिति की बैठक	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार समिति की बैठक	विभागीय पदोन्नति समिति	निर्गम समिति	इरादतन चूककर्ता की समीक्षा हेतु समिति	असहयोगी उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु मंडल समिति
		उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित	उपस्थित/ आयोजित
1	श्री अश्वनी कुमार	9/9	9/9	-	-	-	3/3	-	3/3	3/3	3/3	-	-	3/3	3/3	15/15	-	1/1	-	3/3	-
2	श्रीमती तृष्णा गुहा	5/5	5/5	3/3	-	1/1	1/1	-	1/1	2/2	2/2	1/1	-	1/1	1/1	8/9	1/1	-	1/1	-	-
3	श्री बंकिम आर. देसाई	5/5	2/2	-	-	-	-	-	-	-	2/2	-	-	1/1	-	-	-	-	-	-	-
4	डॉ उमेश बेल्लूर	7/13	5/11	-	-	-	-	-	-	-	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	श्री वी चंद्रसेकरन	13/13	-	10/10	-	-	3/3	1/1	4/4	-	-	4/4	-	4/4	-	-	-	-	3/5	4/4	-

भाग III वर्ष 2017 –18 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल / समितियों की बैठकों के विवरण

क्र सं	नाम	समिति की बैठक	प्रबंधन समिति की बैठक	लेखा परीक्षा समिति की बैठक	पारिश्रामिक समिति की बैठक	एस.आर. सी. की बैठक	समन्वित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक	बड़े मूल्य वाली धोखाधडियों की निगरानी समिति बैठक	शेयर अंतरण समिति की बैठक	ग्राहक सेवा समिति की बैठक	सूचना तकनीक समिति बैठक	अनुपालन समिति बैठक	नामांकन समिति बैठक	मानव संसाधन पर मंडल की संचालन समिति	अत्यधिक मूल्य वाले एनपीए एवं हानि आस्तियों के लिए निगरानी समिति	मंडल की साख अनुमोदन समिति की बैठक	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार समिति की बैठक	विभागीय पदोन्नति समिति	निर्गम समिति	इरादतन चूककर्ता की समीक्षा हेतु समिति	असहयोगी उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु मंडल समिति
		बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि
		24.04.17	24.04.17	09.05.17	-	24.04.17	25.05.17	17.03.18	24.04.17	09.05.17	24.04.17	09.05.17	10.11.17	22.06.17	22.06.17	12.04.17	25.05.17	27.10.17	04.08.17	30.08.17	
		09.05.17	25.05.17	22.06.17		07.09.17	07.09.17		07.09.17	30.08.17	30.08.17	23.09.17	17.03.18	23.09.17	23.09.17	20.04.17	23.09.17	06.03.18	10.10.17	27.10.17	
		22.06.17	22.06.17	29.07.17		07.12.17	18.12.17		07.12.17	18.12.17	18.12.17	07.12.17		29.12.17	27.10.17	06.05.17	18.12.17		13.10.17	18.12.17	
		29.07.17 30.08.17	19.07.17	27.10.17		30.01.18	06.03.18		30.01.18	14.02.18	08.01.18	06.03.18		17.03.18	06.03.18	26.05.17	22.03.18		16.10.17	17.03.18	
		23.09.17	30.08.17	10.11.17												19.06.17			23.02.18		
		27.10.17	23.09.17	05.12.17												30.06.17			23.03.18		
		10.11.17	27.10.17	07.12.17												19.07.17			27.03.18		
		29.12.17	10.11.17	18.12.17												04.08.17					
		16.01.18	18.12.17	14.02.18												18.08.17					
		14.02.18	30.01.18	17.03.18												04.09.17					
		06.03.18	06.03.18													27.09.17					
		22.03.18	22.03.18													13.10.17					
																09.11.17					
																04.12.17					
																30.12.17					
																30.01.18					
																21.02.18					
																31.03.18					
	कुल	13	12	10	0	4	4	1	4	4	4	4	2	4	4	18	4	2	7	4	0

31 मार्च, 2018 को – भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षानुसार पूंजी के सर्जन के प्रकटीकरण के दिशानिदेशों के अनुसार पिलर 3 के अंतर्गत प्रकटीकरण

पृष्ठभूमिः

बेसल III दिशानिदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2018 के लिए निम्नानुसार प्रकटीकरण किया गया है. पूर्ण प्रकटीकरण अर्ध वार्षिक अवधि के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है. प्रकटीकरण भौतिकता संकल्पना के आधार पर है और प्रकटीकरण निम्नलिखित फ ारमैट में दिया जाता है.

सारणी डीएफ-1: कार्यान्वयन का विषय - क्षेत्र

देना बैंक

(i) **गुणात्मक प्रकटीकरण :**

क. समेकन के लिए विचार किए जाने वाले समूह संस्थाओं की सूची.

संस्था का नाम / निगमीकरण का देश	क्या संस्था समेकन के लेखाविषय-क्षेत्र के अंतर्गत शामिल (हां/ नहीं)	समेकन की विधि का विवरण	क्या संस्था समेकन के विनियामक के अंतर्गत शामिल (हां/ नहीं)	समेकन की विधि का विवरण	समेकन की विधि में अंतर का कारण का विवरण	यदि समेकन के एक विषय क्षेत्र के अंतर्गत समेकित हो तो, कारण का विवरण
लागू नहीं						

ख. लेखा और विनियामक दोनों कार्यक्षेत्र के अंतर्गत समेकित के लिए विचार नहीं किए गए समूह संस्था की सूची. (राशि करोड़ में)

संस्था का नाम / निगमीकरण का देश	संस्था का प्रमुख कार्य	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक संस्था की लेखा तुलन पत्र में दर्शाये अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	बैंक के निवेश में पूंजीगत लिखतों की ईक्विटी में विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र आस्तियां (विधिक संस्था की लेखा तुलन पत्र में दर्शाये अनुसार)
देना गुजरात गामीण बैंक	बैंकिंग	254.45 (31.03.2017 को)	35.00%	टियर I /II से घटाए	5082.56 (31.03.2017 को)

(II) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ग. समेकन के लिए विचार किए जाने वाले समूह संस्थाओं की सूची.

संस्था का नाम / निगमीकरण का देश	संस्था का प्रमुख कार्य	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक संस्था की लेखा तुलन पत्र में दर्शाये अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (विधिक संस्था की लेखा तुलन पत्र में दर्शाये अनुसार)
लागू नहीं			

घ. सभी समनुषंगियों में पूंजीगत कमियों की समेकित राशि जिसे विनियामक कार्यक्षेत्र के समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात जिन्हें घटाया गया है.

समनुषंगी का नाम / निगीकरण का देश	संस्था का प्रमुख कार्य	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक संस्था की लेखा तुलन पत्र में दर्शाये अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूंजीगत कमियां
शून्य				

ङ. . बीमा कंपनियों में, जो जोखिम भारित है उस समग्र राशि (अर्थात चालू बहीमूल्य) में बैंक का हित

बीमा कंपनी का नाम / निगमी करण का देश	संस्था का प्रमुख कार्य	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक संस्था की लेखा तुलन पत्र में दर्शाये अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत / वोटिंग पावर का समानुपात	जोखिम भारित विधि के उपयोग का विनियामक पूंजी पर म त्रात्मक प्रभाव बनाम पूर्ण कटौती विधि
लागू नहीं				

च. बैंकिंग समूह के अंदर पूंजी विनियामक या निधियों में अंतरण पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या रूकावट : लागू नहीं

सारणी डीएफ-2 : पूंजी पर्याप्तता :

गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक की गतिविधियां मुख्य रुप से आर्थिक एवं बाजार की स्थितियों के कारण उत्पन्न जोखिमों हेतु पूंजी की आवश्यकता एक नियामक आवश्यकताओं का कार्य है. बैंक का पूंजी आयोजन आर्थिक स्थितियों के परिवर्तन के समय तथा आर्थिक मंदी के समय भी पूंजी की पर्याप्तता को सुनिश्चित करता है. इस प्रक्रिया में बैंक निम्न को मान्यता देता है

+ बैंक को चालू पंजी की आवश्यकता ; एवं
+ निकट भविष्य में संभावित आस्तियों के अधिग्रहण को बनाएं रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता.बैंक की वर्तमान पूंजी की स्थिति तथा भविष्य में पूंजी की आवश्यक समीक्षा के आधार पर बैंक टीयर I या टीयर II की पूंजी जुटाता है. बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति तिमाही आधार पर बैंक के मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है.

बैंक अपनी पूंजी आवश्यकता की समीक्षा तथा पूंजी आयोजना इसके मंडल द्वारा स्वीकृ त कारोबार योजनाओं के आधार पर करता है और उसकी वार्षिक रुप में समीक्षा करता है. समीक्षा के आधार पर, बैंक टीयर और टीयर में पूंजी सृजित करता है.

बैंक ने नयी पूंजी पर्याप्तता के ढ़ांचे के अनुपालन एवं सी.आर.ए.आर. की गणना के लिए साख जोखिम हेतु मानक अभिगम परिचालन जोखिम के लिए आधारसूचक अभिगम एवं बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अभिगम अपनाया है.

बेसल ॥। प्रकटीकरण

बैंक की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता तथा पूंजी का वास्तविक स्तर एवं पूंजी पर्याप्तता दिनांक 31.03.2018 को निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

(i)	**ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता**	5050.99
	ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	5032.96
	फॉरवर्ड फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट (एफ एफ सी सीएफ) + ऋण मूल्य सायोजन (सीवीए) + अर्हताप्राप्त केन्द्रीय प्रतिपक्षकारों (क्यूसीसीपी) के लिए पूंजी आवश्यकता	18.03
	प्रतिभूतिकरण जोखिम	0.00
(ii)	**बाजार जोखिम संबंध में पूंजी की आवश्यकता**	621.67
	ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	543.73
	विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) के लिए पूंजी की आवश्यकता	2.70
	इक्विटी जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	75.24
(iii)	**परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता**	551.17
	बेसिक सूचक अप्रोच के अधीन परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	551.17
(iv)	**अन्य जोखिमों के लिए पूंजी की आवश्यकता**	264.47
	बैंक की जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	1.31
	अचल आस्तियों के लिए पूंजी की आवश्यकता	137.70
	अन्य आस्तियों के लिए पूंजी की आवश्यकता	125.46
(v)	**कुल पूंजी**	
	ऋण, बाजार, परिचालन और अन्य जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता	6488.29
	कुल पात्र पूंजी की वास्तविक स्थिति	8088.12
	पात्र टीयर I पूंजी	6425.56
	पात्र टीयर II पूंजी	1662.56
(vi)	**सी.आर.ए.आर.**	
	सी.आर.ए.आर.	11.09
	सी.ई.टी. I सी.आर.ए.आर.	8.81
	टीयर I सी.आर.ए.आर.	8.81
	टीयर II सी.आर.ए.आर.	2.28

सारणी डीएफ- 3 : साख जोखिम सामान्य प्रकटन

क. ऋण जोखिम के लिए कार्य योजनाएं एवं कार्यवाहियां :

ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने के लिए बैंक की निम्नानुसार सुपरिभाषित ऋण नीति है (जिनमें रिटेल क्षेत्र और एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने पर दिशानिर्देश शामिल हैं), ऋण वसूली नीति, राजकोष नीति (जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, निवेश नीति) और विवेकाधीन पुस्तिका शामिल है.

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं और उनके ग्रुप और उद्योग के लिए ऋण सीमाएं.
- ऋण प्रदान करने में उचित व्यवहार कोड.
- बैंक के विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के लिए ऋण स्वीकृत करने के विवेकाधिकार.
- ऋण प्रदान करने में शामिल कार्यवाही हैं - स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, अस्वीकृति, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेज तैयार करना, निगरानी और वसूली.
- दर निर्धारित करना.

ख. ऋण जोखिम सिद्धांत, संरचना एवं बैंक की प्रणालियां निम्न प्रकार है ऋण जोखिम सिद्धांत:

- आस्ति देयता प्रबंधन (ए.एल.एम.) की आवश्यकता के अनुसार संशाधनों का लाभदायी नियोजन.
- ऋण संविभाग के निष्पादन की निगरानी के लिए समान ऋण मूल्यांकन प्रणाली और प्रक्रिया मानक स्थापित करना और गैर निधि जोखिमों से आय में वृद्धि हेतु दिशानिर्देश जारी करना.
- ऋण संकेद्रण के मामलों पर ध्यान देना और विवेकपूर्ण ऋण जोखिम मानदंड निर्धारित करना.
- आस्तियों की उपयुक्त वृद्धि के लिये सुविविधता वाला ऋण संविभाग बनाना.
- जोखिम पहचान, माप, निगरानी एवं निवारण के लिए मानदंडों के साथ ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना.
- ऋण समीक्षा तंत्र उपलब्ध कराना.
- जोखिम आधारित ऋण मूल्य निर्धारण नीति स्थापित करना.
- पूर्ण सूचना के साथ ऋण संबंधी निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना और ऋण मूल्यांकन और निगरानी के बारे में क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करवाना.
- सभी स्तरों पर विवेकाधिकारी प्राधिकारियों को पर्याप्त अधिकार देना.

बैंक की संरचना और प्रणाली :

- बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में विशिष्ट रुप से पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की एक उप-समिति गठित की गई है.
- विभिन्न ऋण जोखिम योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जिसके कार्यों में उधार नीति तैयार करना तथा उद्यमों में बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की निगरानी करना भी शामिल है.
- ऋण प्रस्तावों, वित्तीय संविदाओं, रेटिंग मानकें और बेंच मानकों के लिए मानकों के नीतियां तैयार करना.
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष निर्धारित सीमा तक ऋण जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण का कार्य करते हैं.
- निदेशक मंडल / नियामक आदि द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों एवं विवेकपूर्ण सीमाओं का प्रवर्तन और अनुपालन.
- जोखिम निर्धारण प्रणाली तैयार करना, प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास करना, ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं का पता लगाना और कमियों को ठीक करना.
- संविभाग का मूल्यांकन, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर व्यापक अध्ययन करना, ऋण संविभाग पर उसके प्रभाव की जांच कराना.
- निर्धारित मानदंडों और दिशा निदेशों के पूर्ण अनुपालन के फलस्वरुप ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार.
- वर्तमान की मंडल की ऋण अनुमोदन समिति अर्थात एच.ओ.-सी.ए.सी.- के अलावा अंचल कार्यालयों में ऋण अनुमोदन समिति (जेड.ओ.-सी.ए.सी.), क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय में (जी.एम.ओ.-सी.ए.सी.) और प्रधान कार्यालय में (एच. ओ.-सी.ए.सी.-) का गठन किया गया है.

ग. बैंक की ऋण आस्तियों के वर्गीकरण के लिए बैंक की नीति निम्न प्रकार हैं :

गैर निष्पादक आस्तियां (एन.पी.ए.): गैर निष्पादक आस्ति (एन.पी.ए.) वह ऋण या अग्रिम है जिसमें :

- किसी आवधिक ऋण के मामले में ब्याज और / या मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि तक बकाया रहती है.
- किसी ओवरड्राफ्ट / नकद ऋण (ओ.डी. / सी.सी.) के मामले में खाता ‘अनियमित‘ बना रहता है,

बेसल III प्रकटीकरण

- खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहता है,
- अल्पावधि फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहता है,
- दीर्घावधि फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है,

कोई भी ओ.डी./ सी.सी. खाता जिसमें बकाया राशि स्वीकृत सीमा/ आहरण अधिकार से निरंतर 90 दिनों से अधिक रहती है उसे 'अनियमित खाता' माना जाता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/ आहरण अधिकार से कम है, लेकिन तुलनपत्र की तारीख को लगातार 90 दिन की अवधि तक कोई भी राशि जमा नहीं की गई हो या उस अवधि के लिए नामें डाली गई ब्याज की रकम के भुगतान के लिए जमा की गई राशि पर्याप्त न हो तो वह खाते अनियमित माने जाते हैं.

किसी भी ऋण सुविधा में बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' हो जाती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को न किया जाये. बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः

उप मानक आस्तियां

उप मानक आस्ति उसे माना जाता है जो कि 12 महीने या उससे कम अवधि तक एन.पी.ए. रहा हो. वसूली के सभी उपाय उप मानक खातों पर भी लागू होते हैं. यदि संपूर्ण बकाया राशि की नकद वसूली की जाती है तो उस खाते का मानक श्रेणी में तुरंत उन्नयन किया जा सकता है. इसी प्रकार यदि किसी खाते को तकनीकी कारणों से एन.पी.ए. के रुप में वर्गीकृत किया गया है तो तकनीकी कारण का समाधान होने पर खाते का उन्नयन किया जायेगा.

संदिग्ध आस्तियां

यदि कोई खाता 12 महीने की अवधि तक उप मानक श्रेणी में रहता है तो उसे संदिग्ध के रुप वर्गीकृत किया जाएगा. एन.पी.ए. खातों के संबंध में जहां उपलब्ध प्रतिभूति का मूल्य बकाया राशि के 50 प्रतिशत से कम हो तो उन खातों को भी संदिग्ध के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा. जिन उप मानक और संदिग्ध खातों का पुनः निर्धारण किया जाता है उनके ब्याज या मूलधन, जो भी पहले देय हो, के देय होने के बाद, प्रथम भुगतान की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के बाद मानक श्रेणी में उन्नयन किया जा सकता है, बशर्ते कि उस अवधि के दौरान उसका निष्पादन संतोषजनक रहा हो.

हानि आस्तियां

हानि आस्तियां वे आस्तियां हैं जिनमें बैंक द्वारा या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा या भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षण द्वारा हानि निर्धारित की गई हो. हानि आस्तियों के मामले में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया / बैंक को देय राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नही हो. चूंकि प्रतिभूति समर्थन उपलब्ध नही रहेगा, पुनर्रचना/ पुनर्वास यदि आवश्यक हो तो, इस पर अत्यधिक सावधानी से विचार किया जाना चाहिए.

घ. जोखिम सूचना का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति / माप प्रणाली

बैंक ने अपने ऋण जोखिमों के लिए संतुलित ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली तैयार की है. ऋण जोखिम को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय यह है कि किसी विशेष आस्ति में संभावित जोखिम की पहचान की जाये. एक सुदृढ़ आस्ति की गुणवत्ता बनायी रखी जाये और उसके साथ ही आस्ति की कीमत निर्धारण में लोच रखी जाए ताकि बैंक की समग्र योजना और ऋण नीति के अनुसार जोखिम लाभ मापदंडों की अपेक्षाएं पूरी की जाए. ग्राहको के लिए क्रिसिल से रेटिंग मॉडल लेकर बैंक ने इसे कार्यान्वयित किया है. रु 25 लाख और उससे अधिक की सीमा वाले ग्राहकों की आरएएम (जोखिम निर्धारण मॉडल) के आधार पर रेटिंग की जाती है. ₹ 25 लाख से कम के ऋण के लिए, बैंक की अलग से ऋण जोखिम रेटिंग निर्धारण हेतु प्रणाली है जो ऋण आस्तियों में चूक संभावना तथा चूक की गंभीरता के निर्धारण में बैंक की सहायता के लिए तैयार की गई है.

ड. ऋण जोखिम के परिमाणात्मक प्रकटन निम्न प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र. स.		निधि आधारित
I.	कुल ऋण (निवल प्रावधान)	74238.58
II.	अग्रिमों का भौगोलिक वितरण	
	• विदेशी	0.00
	• देशी	74238.58
III.	घरेलू ऋणों का उद्योगवार वितरण	अग्रीम निधि आधारित बकाया
	खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	374.22
	लोहा एवं इस्पात	4786.04
	अन्य धातुएं एवं धातु उत्पाद.	557.86
	सभी इंजिनीयरिंग	2610.02
	रूई वस्त्रउद्योग	1438.99
	जूट वस्त्रउद्योग	5.35
	कृत्रिम वस्त्रउद्योग	165.41
	अन्य वस्त्रउद्योग	1983.77
	खाद्य संसाधन	1350.14
	जिसमें से	
	चीनी	178.48
	चाय	6.63
	खाद्य तेल (वनस्पति सहित)	460.49
	कागज एवं कागज उत्पाद	391.75
	रबड, प्लास्टिक और इनके उत्पाद	709.60
	रसायन, रंग, पेंट एवं औषधीय	797.66
	जिसमें से	
	• खाद	101.52
	• पेट्रो-रसायन	252.17
	• औषधि एवं फार्मस्यूटिकल्स	232.55
	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	460.89
	चर्म एवं चर्म उत्पाद	427.50
	जेम एवं ज्वेलरी	781.57
	निर्माण	2542.08
	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं परमाणु ईंधन	1.32
	वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन उपकरण	145.61
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	227.79
	बुनियादी सुविधाएं, जिनमें से:	11625.71
	• विद्युत उर्जा	3624.22
	• संचार	1788.42
	• पानी और स्वच्छता	841.86
	• सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	1182.56
	• परिवहन	3321.82
	एन.बी.एफ.सी	9656.81
	व्यापार	1237.30
	पेय एवं तम्बाकू	15.23
	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	125.30
	अन्य उद्योग	824.27

दिनांक 31.03.2018 तक सकल अग्रिमों के विद्युत (ऊर्जा) उद्योग (4.88%) में अग्रिम का संकेंद्रण है.

बेसल III प्रकटीकरण

च. आस्तियों के खराबी की स्थिति में अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता स्वरुप	निवल अग्रिम	निवल निवेश	विदेश मुद्रा आस्तियां
1 दिन (अगला दिन)	198.84	0.00	62.72
2 से 7 दिन	1310.16	200.47	74.44
8 से 14 दिन	1435.90	126.54	31.29
15 से 30 दिन	727.23	82.28	75.01
31 दिन और 2 महीने तक	1951.87	81.98	184.48
61 दिन और 3 महीने तक	1369.51	83.78	516.26
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	4102.88	109.11	280.47
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	3295.83	2032.78	8.67
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्षो तक	24134.49	2415.11	0.00
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	6442.51	5126.99	0.00
5 वर्ष से अधिक	20612.29	27350.51	0.00
कुल	65581.51	37609.55	1233.34

गैर-निष्पादक अग्रिम एवं निवेश के संबंध में प्रकटन :

छ सकल एन.पी.ए:

श्रेणी	(₹ करोड़ में)
उप मानक	3353.75
संदिग्ध - 1	4259.22
संदिग्ध - 2	4749.02
संदिग्ध - 3	2434.61
हानि	1564.84
कुल एन.पी.ए.	16361.44

ज निवल एन.पी.ए. की रकम ₹ 7838.78 करोड़ है.

झ एन.पी.ए. अनुपात निम्न प्रकार है :

- सकल अग्रिमों में सकल एन.पी.ए. - 22.04%
- निवल अग्रिमों में निवल एन.पी.ए. - 11.95%

ञ सकल एन.पी.ए. में उतार चढाव निम्न प्रकार है

क्रम सं.	**विवरण**	**₹ करोड़ में**
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष	12618.73
(ii)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान वृद्धि	6008.47
(iii)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान घटा	2265.76
(iv)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अंत में इति शेष (i+ii-iii)	16361.44

ट एन.पी.ए. के प्रावधान में उतार चढाव इस प्रकार है :

क्रम सं.	**विवरण**	**₹ करोड़ में**
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष	4877.67
(ii)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	4281.80
(iii)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाते/ समाप्त वर्ष के दौरान डाले गए बट्टेखाते	679.39
(iv)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	--
(v)	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित, अन्य किसी भी तरह का समायोजन	--
(vi)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अंत में इति शेष	8480.08

ठ गैर निष्पादक निवेशों की रकम ₹ 161.52 करोड़ है.

ड गैर निष्पादक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की रकम ₹ 151.77 करोड़ है.

ढ निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों में उतार चढाव इस प्रकार है

क्रम सं.	विवरण	₹ करोड़ में
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष	452.54
(ii)	31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	218.54
(iii)	31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाते	0.00
(iv)	एच.टी.एम. में अंतरित ए.एफ .एस. / एच.एफ .टी. के अंतर्गत निवेश का बही मूल्य घटाकर समायोजित मूल्यहास.	226.32
(v)	घटाएं - अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	14.75
(vi)	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के अंत में इति शेष (i+ii-iii-iv-v)	430.01

न प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार

31 मार्च 2018 को एन.पी.ए. और प्रावधानों की उद्योग - वार (प्रमुख उद्योग) सूची

क्रम सं.	उद्योग का नाम	कुल एन.पी.ए.	कुल प्रावधान
1	खनन और उत्खनन	8.70	2.80
2	खाद्य संसाधन	526.18	299.46
3	पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू	9.32	8.26
4	कपड़ा	1409.8	763.48
5	चमड़ा और चमड़ा उत्पादों	5.76	1.46
6	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	42.56	23.99
7	कागज और कागज उत्पादों	147.53	42.86
8	पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोल उत्पाद (गैर खनन) और परमाणु ईंधन	0.02	0.02
9	रसायन और रासायनिक उत्पाद (रंग, पेंट, आदि)	166.09	59.97
10	रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पादों	59.35	29.69
11	कांच और कांच से बने उत्पाद	59.82	54.22
12	सीमेंट और सीमेंट उत्पादों	161.64	149.52
13	बेसिक धातु और धातु उत्पाद	2838.52	1480.73
14	सभी इंजीनियरिंग	1701.68	606.43
15	वाहन, वाहन पार्ट्स और परिवहन उपकरण	33.71	25.35
16	रत्न एवं आभूषण	465.11	258.82
17	निर्माण	1056.29	728.29
18	बुनियादी संरचना	2454.06	1280.44
	जिनमें से		
	ऊर्जा	741.51	329.20
	संचार	519.88	258.45
	परिवहन	795.38	327.51
	पानी और स्वच्छता	73.00	73.00
	सामाजिक और वाणिज्यिक संरचना	63.18	31.17
	अन्य	261.11	261.11
19	अन्य उद्योगों	685.78	415.58
	अवशिष्ट अन्य अग्रिमों (सकल अग्रिमों के साथ मिलान करने के लिए)	4529.52	2248.71
	कुल	**16361.44**	**8480.08**

प प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित सामान्य प्रावधानों की मात्रा सहित महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों से विभाजित एनपीए की राशि

बेसल III प्रकटीकरण

31 मार्च 2018 की स्थिति								(रु. करोड़ में)
	अवमानक अग्रिम		संदिग्ध अग्रिम		हानि अग्रिम		कुल एनपीए	कुल प्रावधान
	एनपीएराशि	प्रावधान	एनपीए राशि	प्रावधान	एनपीए राशि	प्रावधान		
पश्चिमी भारत	2617.76	402.94	9092.28	5716.67	1363.83	1295.46	13073.87	7415.08
दक्षिण भारत	256.04	38.93	523.63	307.78	220.99	220.92	1000.66	567.63
पूर्वी भारत	46.14	7.20	533.69	458.10	234.46	233.86	814.29	699.16
उत्तर भारत	337.57	50.75	2725.61	1700.51	101.41	100.99	3164.60	1852.25
मध्य भारत	97.24	14.79	380.71	255.14	26.99	26.88	504.94	296.81
फार्म सी के अनुसार कुल	3354.75	514.62	13255.93	8438.20	1947.69	1878.11	18558.37	10830.93
प्रधान कार्यालय में प्रूडेंशियल लिखें बट्टे खाते	1.00	1.00	1813.08	1813.08	382.85	382.85	2196.93	2196.93
प्रधान कार्यालय पर प्रतिलेखन				92.11		61.81		153.92
कुल (अंतिम)	3353.75	513.62	11442.85	6533.01	1564.84	1433.45	16361.44	8480.08

सारणी डीएफ- 4: ऋण जोखिम : मानक अभिगम के अनुसार संविभाग का प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, बैंक देशीय क्रेडिट एक्सपोज़र के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग ई.सी.आर.ए. (बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) केयर, क्रिसिल, भारतीय रेटिंग, आई.सी.आर.ए., ब्रिकवर्ड और एस.एम.ई.आर.ए. और इंफोमेरिक्स का स्वीकार करता है और विदेशी क्रेडिट रेटिंग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार बैंक स्टेन्डर्ड एवं पूअर, मूडी और फिच स्वीकार करता है.

आरबीआई द्वारा स्वीकृत रेटिंग ई.सी.ए.आई. (बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) प्राप्त कर बैंक बड़े कार्पोरेट उधारों को बढ़ाता है और जोखिम-भारित आस्तियों की गणना हेतु रेटिंगों की उपलब्धता पर इन रेटिंगों का प्रयोग करता है.

बैंक ने सीआरएआर गणना के लिए निर्धारित अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए ₹ 5.92 करोड की पूंजी, खाते में जोखिम–भारित आस्तियों में रुप मे ₹ 65.73 करोड शामिल किए है. टीयर 2 पूंजी की पात्रता में, ₹ 7.28 करोड की अनहेज्ड विशेदी मुद्रा का प्रावधान शामिल है.

मानक अभिगम (निर्धारित और अनिर्धारित) के अनुसार जोखिम कम करने के बाद जोखिम धारित आस्तियां निम्नलिखित प्रमुख तीन जोखिम श्रेणियों में निम्न अनुसार हैः

निधि आधारित व गैर निधि आधारित ऋण

(₹ करोड में)

31.03.2018 को	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर–निधि आधारित एक्सपोजर
100% से कम	46189.14	4766.33
100% की दर पर	17796.12	2624.63
100% से अधिक	9123.13	1782.91
घटाया (सी.आर.एम. के समक्ष)	3327.11	1099.23
घटाएं : प्रधान कार्यालय पर प्रतिलेखन	–2196.93	0.00
कुल	**74238.57**	**10273.11**

बिक्री की गई आई.बी.पी.सी. (रू 1774.79 करोड़) 100% की दर से ली गई है.

सारणी डीएफ- 5 ऋण जोखिम घटाना : मानक अभिगम के लिए प्रकटन

क. ऋण जोखिम घटाव तकनीक- ऑन/ ऑफ तुलनपत्र नेटिंग

ऑन/ ऑफ तुलनपत्र नेटिंग ऋण/ अग्रिम और जमाओं तक परिसीमित है जहां बैंक की विधिक रूप से लागू नेटिंग व्यवस्था है जिसमें दस्तावेजी साख के साथ विशिष्ट धारणाधिकार शामिल है.

ख. संपार्श्विकों का मूल्यांकन

वित्तीय संपार्श्विकों एवं गैर-संपार्श्विकों के मूल्यांकन के संबंध में बैंक की वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार चालू बाजार कीमत के आधार पर पात्र संपार्श्विकों का मूल्यांकन लिया जाता है.

बैंक अपने उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित) की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां (जिसे संपार्श्विक प्रतिभूति भी कहा जा सकता है) प्राप्त करता है. सामान्यतः निम्नप्रकार की प्रतिभूतियां (चाहे वह प्राथमिक प्रतिभूति हो या सपार्श्विक प्रतिभूति) ली जाती है

1. चल आस्तियां जैसे स्टॉक, चल मशीनरी आदि.
2. अचल आस्तियां जैसे भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी.
3. बैंक की अपनी जमा राशियां.
4. एन.एस.सी., आई.वी.पी., के.वी.पी., सरकारी बांड, भारतीय रिजर्व बैंक के बांड, जीवन बीमा निगम की पॉलिसियां आदि.
5. गैर निधि आधारित सुविधाओं पर नकद मार्जिन.
6. स्वर्ण आभूषण.
7. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर.

बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए बैंक के पास सुनिर्धारित पॉलिसी है. ऋण नीति के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियों जो बैंक को प्रभारित की गई है जैसे अचल आस्तियों का मूल्यांकन, तीन वर्ष में एक बार किया जाना चाहिये ।

बेसल III प्रकटीकरण

बैंक के ऋण जोखिम पर मुख्य प्रकार के गारंटीदाता इस प्रकार हैं :

- व्यक्ति (व्यक्तिगत गारंटी)
- कॉर्पोरेट
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- ई.सी.जी.सी.
- सी.जी.टी.एम.एस.ई.

सी.आर.एम. प्रतिभूतियां अधिकांशतः बैंक की अपनी जमाओं पर तथा सरकारी प्रतिभूतियों, जीवन बीमा निगम पॉलिसी पर ऋणों के लिए उपलब्ध हैं. सी.आर.एम. प्रतिभूतियां गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों एवं साख पत्रों के लिए भी ली जाती हैं.

बैंक के ऋणों के लिए सी.आर.एम. के रूप में पात्र गारंटीकर्ता (बेसल) के अनुसार मुख्य रूप से केंद्र/राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी., सी.जी.टी.एम.एस.ई. हैं.

दिनांक 31.03.2018 को निधि आधारित बकाया ऋणों में से कटौती के लिए पात्र कुल अस्थिरता समायोजित ऋण जोखिम प्रशामक ₹ 4426.34 करोड़ हैं.

ग. सी.आर.एम. एक्सपोजर (संविभाग वार) (₹ करोड में)

आस्तियों का स्वरूप	निधि आधारित एक्सपोजर	सी.आर.एम. एक्सपोजर	गैर–निधि एक्सपोजर	सी.आर.एम. एक्सपोजर
घरेलू राष्ट्रिक	0.08	0	0.13	0
सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं	6809.7	130.18	836.34	15.27
बैंक पर दावे	594.35	594.35	34.11	19.65
प्राथमिक डीलर्स	2.8	0	1.06	0.2
कार्पोरेट्स	34389.52	681.22	8794.24	840.5
विनियामक खुदरा संविभाग	21032.45	1595.47	547.55	198.22
आवासीय संपत्ति	5336.31	18.94	0	0
व्यापारिक स्थावर संपदा	526.41	0.06	55.83	23.63
विशिष्ट संवर्ग	6797.94	284.73	3.85	1.76
अन्य आस्तियां	945.94	22.16	0	0
कुल	**76435.51**	**3327.11**	**10273.11**	**1099.23**
कम: प्रधान कार्यालय पर प्रतिलेखन	2196.93	0.00	0.00	0.00
अंतिम आंकडे	**74238.58**	**3327.11**	**10273.11**	**1099.23**

सारणी डीएफ-6 प्रतिभूतिकरण ऋण : मानक अभिगम के लिए प्रकटीकरण

दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक के पास अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण का कोई मामला नहीं है.

सारणी डीएफ- 7 : व्यापार बही में बाजार जोखिम

बैंक, बाजार जोखिम को बाजार कीमत में हो रही प्रतिकूल गतिविधियों से होनेवाली संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित करता है. निम्नलिखित जोखिमों को बाजार जोखिम के रूप में निर्धारित किया गया है :

- ब्याज दर जोखिम
- मुद्रा जोखिम
- कीमत जोखिम

ए.एल.सी.ओ. (अल्को) डेस्क

ए.एल.एम. डेस्क या आस्ति एवं देयताएं प्रबंधन विभाग के प्रमुख मुख्य प्रबंधक समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग के डेस्क में अनेक प्रशिक्षित अधिकारी है जो कि ए.एल.सी. के आस्ति एवं देयताएं प्रबंधन के दिशानिदेशों को कार्यान्वयित करने के लिए उत्तरदायी है और वे इस प्रयोजन के आवश्यक अध्ययन, विश्लेषण आदि करते है,

मिड-ऑफिस

मिड-ऑफिस में समन्वित खजाना शाखा कार्यरत अधिकारी आवश्यक कौशल से सुसज्ति है. वे निरंतरता के आधार पर परिचालन में शामिल बाजार जोखिम की सूचना देने, निगरानी रखने, मापन तथा विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है. मिड-ऑफिस खजाना के फ्रंट और बैक ऑफिस से स्वतंत्र है और सीधे ही उप महाप्रबंधक (समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग) और महाप्रबंधक (समन्वित जोखिम प्रबंधन) को रिपोर्ट करते है. मिड-ऑफिस इस नीति में निर्धारित विवेकसम्मत सीमा के पालन के स्तर पर तथा साथ ही साथ बैंक की निवेश नीति पर साप्ताहिक रिपोर्ट उप महाप्रबंधक (समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग) को प्रस्तुत करता है.

बाजार जोखिम प्रबंधन

उक्त दी गई जोखिम प्रबंधन के लिए, बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं जैसे कुल निपटान सीमाएं, हानि रोकने की सीमा तथा जोखिम मूल्य सीमाएं निर्धारित की हैं. जोखिम सीमाएं, खुले बाजार की स्थितियों के जोखिमों का नियंत्रण करता है. ऋण हानि रोकने की सीमा, हुई एवं होनेवाली हानियों को भी शामिल करता है. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हेतु बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार के परिकलन के लिए स्टेंडर्डाइजड ड्यूरेशन अप्रोच नामक उचित प्रणाली अपनायी है. इस प्रकार परिकलित पूंजी प्रभार को जोखिम वाली आस्तियों में अंतरित किया जाता है.

#दिनांक 31 मार्च, 2018 को बाजार जोखिम (मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार) पर पूंजी प्रभार निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	जोखिम श्रेणी	रकम (₹ करोड़ में)
I	**ब्याज दर (ए+बी)**	543.7232
	साधारण बाजार जोखिम	348.3695
(i)	निवल स्थिति	348.3406
(ii)	हॉरिजोंटल अस्वीकृति	0.0021
(iii)	वेर्टिकल अस्वीकृति	0.0268
(iv)	विकल्प	0.0000
	विशिष्ट जोखिम	195.3537
II	**ईक्विटी जोखिम (i+ii)**	75.2429
i.	साधारण बाजार जोखिम	33.4413
ii.	विशिष्ट जोखिम	41.8016
III	**विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)**	2.7000
IV	**मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (I+II+III) के अंतर्गत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार**	621.6661

बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना एन.सी.ए.एफ. परिपत्र के आधार पर की जाती है. जोखित भारित आस्तियों की गणना पूंजी शुल्क 12.5 के गुणज द्वारा की जाती है.

सारणी डीएफ –8 : परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम हानि का जोखिम है जो किसी प्रकार की अपर्याप्तता या आंतरिक प्रक्रिया व्यक्ति या व्यवस्था की असफलता, या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होता है. इसमें विधिक जोखिम शामिल होते है लेकिन कार्यनीतिक और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नही होता है. बैंक के दैनिक कारोबारी कार्यकलापों में परिचालन जोखिम एक भाग है.

परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओ.आर.एम.) के उद्देश्य

- जिन कार्यकलापों / कारोबार लाइन जिनमें बैंक शामिल है, उनकी परिचालन जोखिम समझने की आवश्यकता को पहचानना. ओ.आर.एम. क्रिया को इस प्रकार के जोखिम का शमन करने की प्रक्रिया समझना चाहिए अपितु इसे इस प्रकार के जोखिम को समझने, पहचानने, उपाय, निगरानी तथा नियंत्रण के लिए सुव्यवस्थित अभिगम समझना चाहिए.• विभिन्न कारण जिनकी गंभीरता और प्रवृत्ति जो परिचालन जोखिम विषय पर आधारित जमा किए गए वास्तविक जोखिम आंकड़े पर परिचालन जोखिम सीमा नियत करना/ परिचालन जोखिम घटनाआ के होने के अधःशायी कारणों को दूर करने/ अवरोधित करने के लिए यह अभिगम आवश्यक होगा.
- विशिष्ट कारोबार लाइन के लिए परिचालन जोखिम सूचना प्रणाली को बनाना.
- जोखिम घटनाओं को प्रभावी रूप से पहचानने, निर्धारण करने, निगरानी, नियंत्रण और कम करने के रोल को निश्चित करने के लिए बैंक की दिन प्रतिदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में समन्वित ओ. आर.एम. व्यवस्था.
- यथा समय में परिचालन जोखिम के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच (बी. आई.ए.) से उच्चतर दृष्टिकोण (टी.एस.ए./ ए.एम.ए.) को और बढ़ने का प्रस्ताव.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के आधार पर, बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकताओं के परिकलन के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच अपनाया है. बी. आई.ए. के अंतर्गत पूंजी आवश्यकता की गणना की विधि को संक्षेप में निम्नानुसार दिया जाता हैः

पिछले तीन वर्षों की सकल आय की गणना करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिदेशानुसार परिचालन व्यय को परिचालन लाभ में जोड़ तथा प्रावधानों के रिवर्सल, एच.टी.एम. प्रतिभूतियों के बेचने से लाभ, और कारोबार से लाभ को घटाया जाता है. परिचालन जोखिम का पूंजीगत प्रभार पता करने के लिए औसत सकल आय को 'आल्फा'(15%) फॅक्टर के साथ औसत सकल आय से गुणा किया जाता है. पूंजीगत प्रभार के आधार पर जोखिम धारित आस्तियों की गणना की जाती है. बैंक बी.आई.ए. के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना करता है, पूंजी प्रभार को 12.5 से गुणा करने और परिचालन जोखिम के लिए कल्पित जोखिम भारित आस्तियां (आर.डब्ल्यू.ए.) इस के पश्चात आता है.

दिनांक 31 मार्च 2018 को परिचालन जोखिम के लिए जोखिम वाली आस्तिय ₹6124.13 करोड़ थी.

सारणी डीएफ-9: . बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई.आर.आर.बी.बी.)

आई.आर.आर.बी.बी. माप दो दृष्टिकोण ईएआर और एमवी के माध्यम से किया जाता है. ब्याज दर का जोखिम इन दो दृष्टिकोणों से देखा जाने पर क्रमशः 'अर्जन परिप्रेक्ष्य' और 'आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य' के रूप में जाना जाता है. दोनों दृष्टिकोण आस्तियों और देनदारियों की दर की संवेदनशीलता की स्थिति पर विचार करती हैं जो व्यवहारिक विश्लेषण के आधार पर अवशिष्ट परिपक्ता समय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया हैं.

जोखिम पर आय (पारंपरिक अंतराल विश्लेषण) (अल्पावधि) :

इस अभिगम के अंतर्गत बैंक की निवल ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के तुरंत प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है.

i. **विभिन्न वातावरणों में जोखिम में आय अर्जन का विश्लेषण निम्न प्रकार किया गया है :**

(₹ करोड में)

ईएआर	आगामी वर्ष में एन.आई.आई. पर प्रभाव (अर्थात 31.03.2019)	
	50 आधार अंक द्वारा	200 आधार अंक द्वारा
आस्तियों तथा देयताओं पर ब्याज दरों में वृद्धि (अंतराल आघात)	66.83	267.33
जमाओं तथा निवेशों पर ब्याज दरों में वृद्धि और अग्रिम संविभाग के लिए नहीं (अंतराल आघात)	-103.12	-412.48

ı **ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (संशोधित अवधि अंतराल विश्लेषण) (दीर्घावधि):**

क. ईक्विटी का आर्थिक मूल्य ज्ञात करने हेतु ईक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों तथा देयताओं की संशोधित अवधि की गणना की जाती है. ईक्विटी के आर्थिक मूल्य के असर के प्रभाव का विश्लेषण अवधि अंतराल पद्धति से घरेलू परिचालनों के लिए नियमित अंतरालों पर 100 आधार अंकों/ 200 आधार अंकों की दर पर कम करके किया जाता है.

ख. ब्याज दरों में 100 आधार अंक/ 200 आधार अंक कम किए जाने के कारण बैंक की निवल संपत्ति पर कुल असर घरेलू परिचालनों के लिए दिनांक 31.03.2018 को ₹ 576.31 करोड़ / ₹ 1152.62 करोड़ है.

ग. आस्तियों तथा देयताओं के लिए यू.एस. डालर मूल्य वर्ग में, ब्याज दरों में 100 आधार अंक/ 200 आधार अंक कम किए जाने के कारण बैंक की निवल संपत्ति पर कुल असर घरेलू परिचालनों के लिए दिनांक 31.03.2018 को ₹ 4.29 करोड़/ ₹ 8.59 करोड़ हैं.

घ. आस्तियों तथा देयताओं के लिए अवशिष्ट मुद्रा मूल्य (आई.एन.आर. व यू.एस. डी. से अलग) वर्ग में, ब्याज दरों में 100 आधार अंक/ 200 आधार अंक कम किए जाने के कारण बैंक की निवल संपत्ति पर कुल असर घरेलू परिचालनों के लिए दिनांक 31.03.2018 को ₹ 0.29 करोड़/ ₹ 0.58 करोड़ हैं.कारोबार के दौरान, बैंक ने शामिल जोखिम को निर्धारित करने, उसके प्रभाव को मापने, उसे कम करने की तकनीक अपनाने/ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय/ कम करने के लिए प्रणाली और प्रक्रिया तैयार की हैं. आगे ऐसे जोखिमों की निगरानी और उनको कम करने का कार्य निरंतर आधार पर जारी रहेगा.

सारणी डीएफ - 10 प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम को परिभाषित किया जाता है कि प्रतिपक्षकार का संव्यवहार में लेन-देन के नकदी प्रभाव के अंतिम निपटान से पहले चूक किया जाता है. यह व्युत्पन्नी और वित्त पोषण प्रतिभूतियों के संव्यवहार का यह जोखिम का प्राथमिक जरिया है. ऋण के जरिए बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम के विपरीत, जहां ऋण जोखिम का एक्सपोजर एक पक्षीय है और केवल उधारकर्ता बैंक हानि का सामना करता है, प्रतिपक्षकार के ऋण जोखिम का स्वरूप द्विपक्षीय होता है अर्थात् संव्यवहार की प्रतिपक्षकार के लिए लेन-देन की बाजार कीमत या तो धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक और बाजार घटकों के अंतर्निहित गतिविधियों से आगे के समय में घटता या बढता रहता है.

यदि प्रतिपक्षकार का संव्यवहार या संव्यवहार के संविभाग का चूक के समय आर्थिक कीमत धनात्मक हो तो आर्थिक हानि होगी.

बेसल III प्रकटीकरण

बैंक ग्राहकों को व्युत्पन्नी उत्पाद जैसे कि फोरेक्स फोरवर्ड कोन्ट्रेक्ट का प्रस्ताव रखता है जिससे वे उनके मुद्रा एक्सपोजर का बचाव कर सके. कांउटर पर सभी व्युत्पन्नी प्रतिपक्षकार को ऋण जोखिम की ओर अग्रसर करता है जिस पर बैंक नियमित रूप से निगरानी रखता है.

व्युत्पन्नी व्यवहार करने के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित बैंक की सुनिर्धारित नीति है.

सी.सी.आर. एक्सपोजर के लिए पूंजी का निर्धारण निर्धारित मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण पर आधारित है.

मंडल द्वारा अनुमोदित प्रतिपक्षकार बैंक की आंतरिक रेटिंग के आधार पर प्रतिपक्षकार के रूप में बैंकों के लिए बैंक ने प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम सीमाएं लगाई है. अन्य संस्थाओं के लिए प्रतिपक्षकार एक्सपोजर मंडल द्वारा नियत व्यापक एक्सपोजर सीमा के अधीन है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

1. आज की तारीख में बैंक विदेशी मुद्रा वायदा संविधा और मुद्रा की अदला-बदली में व्यवहार कर रहा है.
2. बैंक द्विपक्षीय निवल राशि ज्ञात करने को मान्यता नहीं देता है. व्युत्पनियों की ऋणतुल्य राशियों की जोखिम भारिता के अधीन वर्तमान एक्सपोजर विधि के अनुसार गणना की जाती है.

(₹ करोड में)

विवरण	विदेशी मुद्रा संविदाएं और मुद्राओं की अदला-बदली
चालू ऋण एक्सपोजर	56.05
संभाव्य भावी एक्सपोजर	91.62
कुल साख तुल्य	147.68

सारणी डीएफ – 11: पूंजी की संरचना

(₹ करोड में)

31.03.2017 से प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट		
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियाँ 1		
1	सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	2259.05
2	प्रतिधारित आय	(1923.15)
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां)	8265.75
4	सी.ई.टी. 1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	0.00
	सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजी डालने को 1 जनवरी 2018 तक पुराने नियम के अनुसार मान्य करना (ग्रांडफादर्ड)	0.00
5	सहायक इकाइयाँ द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सी.ई.टी. 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	0.00
6	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	8601.65
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	
8	(गुडविल संबंधित कर देयता का निवल)	
9	मॉर्टगेज-सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	27.38
10	आस्थिगत कर संपत्ति	2975.52
11	नकदी-प्रवाह बचाव रिज़र्व	
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	
15	परिभाषित-लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	-
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रॉस-होल्डिंग	
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	-
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) निवल	19.33
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थिगत कर संपत्ति (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	--

बेसल III प्रकटीकरण

(₹ करोड में)

31.03.2017 से प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	
23	जनमें सेः वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	
24	जिनमें सेः मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	
25	जिनमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थिगत कर आस्तियां	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक संयोजक	
26 क	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	
26 ख	जिसमें सेः असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनीयों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	
26 ग	जिसमें से : बैंक के साथ गैर-समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के ईक्विटी पूंजी में कमी	
26 घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	
	बासल पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	8.50
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	854.64
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सी.ई.टी. 1)	6425.56
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत		
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम	125.00
31	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृ त (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	
32	जिसमें से : लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृ त (सतत ऋण लिखत)	125.00
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (ए.टी. 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5 वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सी.ई.टी. 1 लिखत)	
35	जिसमें सेः चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	
36	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0.00
अतिरिक्त टियर 1 पूंजीः विनियामक समायोजन		
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स	
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शॉर्टपोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है.	8.50
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्टपोजिशन निवल	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 क + 41 ख)	--
41क	गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	
41ख	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	
	बासल पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 को लागू किए गए विनियामक समायोजन	
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	
43	**अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	0.00
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (ए.टी. 1)**	0.00
45	टियर 1 पूंजी (टी1= सी.ई.टी. 1+ ए.टी. 1) (29+44)	6425.56
टियर 2 पूंजी :लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष	1180.00
47	टीयर 2 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टीयर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सी.ई.टी. 1 और ए.टी. 1 लिखत)	
49	जिनमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	
50	प्रावधान	482.56
51	**विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी**	1662.56

बेसल III प्रकटीकरण

(₹ करोड में)

31.03.2017 से प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट		
टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग्स	
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शॉर्टपोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है.	-
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्टपोजिशन निवल	-
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क+56ख)	
56क	जिसमें से: गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	
56ख	जिसमें से: बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	-
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2)**	1662.56
59	**कुल पूंजी (टी.सी. = टी1+टी2)(45+58ग)**	8088.12
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+60ख+60ग)**	72955.55
60क	जिसमें से : कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	59060.59
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	7770.83
60ग	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	6124.13
पूंजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.81%
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत रूप में)	8.81%
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.09%
64	संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सी.ई.टी. 1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं	1.875%
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं	
67	जिसमें से : जी-एस.आई.बी. बफर अपेक्षाएं	
68	बफर अपेक्षा पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में	3.31 %
राष्ट्रीय न्यूनतम (बेसल III से भिन्न हो तो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल न्यूनतम से भिन्न हो तो)	5.50 %
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल न्यूनतम से भिन्न हो तो)	7.00 %
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल न्यूनतम से भिन्न हो तो)	9.00 %
कटौती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	लागू नहीं
74	मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता का निवल)	लागू नहीं
75	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थिगत कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	
टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स)		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा (पर कैप)	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा	
चरणबद्ध व्यवस्था की शर्तों के अधिन पूंजी लिखत (केवल मार्च 31, 2017 और 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)		
80	सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा सभी चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन	लागू नहीं
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से हटाई गई राशि (मोचन और परिपक्वता के पश्चात उच्चतम सीमा से अधिक)	लागू नहीं

बेसल III प्रकटीकरण

(₹ करोड में)

31.03.2017 से प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट		
82	एटी 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा सभी चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन	लागू नहीं
83	वर्तमान उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 से हटाई गई राशि (मोचन और परिपक्वता के पश्चात उच्चतम सीमा से अधिक)	लागू नहीं
84	टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा सभी चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन	लागू नहीं
85		लागू नहीं

टेंपलेट के लिए नोट

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(₹ करोड़ में)
10	संचयी हानि से सहबद्ध आस्थगित कर आस्ति	0.00
	आस्थगित कर आस्ति (संचयी हानि से सहबद्ध जो संचयी हानियों को छोड़कर) आस्थगित कर देयताओं का निवल	2975.52
	पंक्ति 10 में दर्शाए गए अनुसार कुल	2975.52
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेश पूंजी से पूरी तरह से कटौती नहीं की जाती है और इसके बजाय कटौती के लिए 10% थ्रेशहोल्ड के अधीन विचार किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि होगी	लागू नहीं
	जिनमें से: सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिनमें से: अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिनमें से: टीयर 2 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
26ब	यदि गैर-समेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश में कटौती नहीं होती है और इसलिए तब जोखिम भारित होता है:	लागू नहीं
	(i) सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	लागू नहीं
50	टीयर 2 पूंजी में पात्र प्रावधान शामिल हैं	482.56
	टीयर 2 पूंजी में पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षित समाधान शामिल है	0.00
	कुल 50 पंक्ति	482.56

सारणी डीएफ- 12: पूंजी की संरचना - अपेक्षित समाधान

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार
क	पूंजी तथा देयताएं		
i.	प्रदत्त पूंजी	2259.05	लागू नहीं
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	6943.76	लागू नहीं
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज		
	कुल पूंजी	9202.81	लागू नहीं
ii.	जमा राशियां	106130.14	लागू नहीं
	जिनमें से: बैंकों की जमा राशियां	3882.79	लागू नहीं
	जिनमें से: ग्राहकों की जमा राशियां	102247.35	लागू नहीं
	जिनमें से: अन्य जमा राशियां		
iii.	उधार	3561.00	लागू नहीं
	जिनमें से: भारतीय रिज़र्व बैंक से	800.00	लागू नहीं
	जिनमें से: बैंकों से	0.00	लागू नहीं
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	0.00	लागू नहीं

बेसल III प्रकटीकरण

	जिनमें से: अन्य	0.00	लागू नहीं
	जिनमें से: पूंजी लिखत	2761.00	लागू नहीं
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	1965.85	लागू नहीं
	कुल देयताएं	120859.80	लागू नहीं
ख	आस्तियां		
i.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष	5894.74	लागू नहीं
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	62.73	लागू नहीं
ii.	निवेश	37609.55	लागू नहीं
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	29679.33	लागू नहीं
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	लागू नहीं
	जिनमें से: शेयर	250.97	लागू नहीं
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बॉण्ड	4013.26	लागू नहीं
	जिनमें से: अनुषंगी कंपनियां/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्थाएं	19.33	लागू नहीं
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	3646.66	लागू नहीं
iii.	ऋण तथा अग्रिम	65581.51	लागू नहीं
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	598.66	लागू नहीं
	जिनमें से:ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	64982.85	लागू नहीं
iv.	अचल आस्तियां	1557.34	लागू नहीं
v.	अन्य आस्तियां	10153.93	लागू नहीं
	जिनमें से: साख (गुडविल) तथा अमूर्त आस्तियां	9.86	लागू नहीं
	जिनमें से: आस्थिगत कर आस्तियां	2975.52	लागू नहीं
vi.	समेकन पर गुडविल		
vii.	लाभ तथा हानि के खाते में नामे शेष		लागू नहीं
	कुल आस्तियां	120859.80	लागू नहीं

चरण – 2

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार
क.	पूंजी तथा देयताएं		
i.	प्रदत्त पूंजी	2259.05	लागू नहीं
	जिसमें से : सी.ई.टी. 1 के लिए पात्र राशि	2259.05	लागू नहीं
	जिसमें से: ए.टी. 1 के लिए पात्र राशि	0	लागू नहीं
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	6943.76	लागू नहीं
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज		
	कुल पूंजी	9202.80	लागू नहीं
ii.	जमा राशियां	106130.14	लागू नहीं
	जिनमें से: बैंकों की जमा राशियां	3882.79	लागू नहीं
	जिनमें से: ग्राहकों की जमा राशियां	102247.35	लागू नहीं
	जिनमें से: अन्य जमा राशियां		
iii.	उधार	3561.00	लागू नहीं
	जिनमें से: भारतीय रिज़र्व बैंक से	800.00	लागू नहीं

बेसल III प्रकटीकरण

	जिनमें से: बैंकों से	0.00	लागू नहीं
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	0.00	लागू नहीं
	जिनमें से: अन्य	0.00	लागू नहीं
	जिनमें से: पूंजी लिखत	2761.00	लागू नहीं
iv.	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	1965.85	लागू नहीं
	जिनमें से: गुडविल से संबंधित डीटीएल		
	जिनमें से: अमुर्त आस्तियां से संबंधित डीटीएल		
	कुल देयाताएं	120859.80	लागू नहीं
ख	आस्तियां		
i.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष	5894.74	लागू नहीं
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	62.73	लागू नहीं
ii.	निवेश	37609.55	लागू नहीं
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	29679.33	लागू नहीं
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	लागू नहीं
	जिनमें से: शेयर	250.97	लागू नहीं
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बॉण्ड	4013.26	लागू नहीं
	जिनमें से: अनुषंगी कंपनियां/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्थाएं	19.33	लागू नहीं
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	3646.66	लागू नहीं
iii.	ऋण तथा अग्रिम	65581.51	लागू नहीं
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	594.49	लागू नहीं
	जिनमें से:ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	64987.02	लागू नहीं
iv.	अचल आस्तियां	1557.34	लागू नहीं
v.	अन्य आस्तियां	10153.93	लागू नहीं
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	9.86	लागू नहीं
	गुडविल		
	अन्य अमूर्त (एम.एस.आर. को हटाकर)		
	आस्थगित कर आस्तियां	2975.52	लागू नहीं
vi.	समेकन पर गुडविल		
vii.	लाभ तथा हानि के खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	120859.80	लागू नहीं

* ₹1923.15 करोड़ की हानि वाले आंकड़ों को आरक्षितियों और अधिशेष से कम किया गया है इस प्रकार कुल देनदारियों और कुल आस्तियां तुलनपत्र के आंकड़ों से मेल खाती है.

बेसल III प्रकटीकरण टेम्प्लेट (जोड़े गए स्तंभ सहित) का उद्धरण - सारणी डीएफ 11 (भाग II)			
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत तथा आरक्षित निधियां			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक (₹ करोड़ में)	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या/ पत्रों पर आधारित स्त्रचटत
1	सीधे निर्गमित की गई अर्हक सामान्य शेयर (तथा संयुक्त-गैर-स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड़	2259.05	लागू नहीं
2	प्रतिधारित आय	-1923.15	

3	संचयित अन्य व्यापक आय आरक्षित (तथा अन्य निधियां)	8265.75	लागू नहीं
4	सी.ई.टी. 1 से हटाए जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (केवल असंयुक्त नॉन स्टॉक कंपनियों पर लागू)		
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा तृतीय पक्षकार द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सी.ई.टी. 1 में अनुमत राशि)		
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	8601.65	लागू नहीं
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)		

सारणी डीएफ –14: विनियामक पूंजी लिखतों की पूरे नियम एवं शर्तें

सीरीज IX

निर्गम की विशेषताएं

निर्गम जारीकर्ता	देना बैंक
निर्गम का आकार	₹. 100 करोड़ + अधि-आबंटन विकल्प
लिखत का स्वरूप	वचन-पत्रके रूप में अप्रत्याभूत गैर-संपरिवर्तनीय प्रतिदेय गौण बाण्ड्स लोअर टियर II सीरीज IX
प्लेसमेंट का ढंग	प्राइवेट प्लेसमेंट
परिपक्वता काल	122 महीने
विक्रय विकल्प	कोई नहीं
क्रय विकल्प	कोई नहीं
कूपन दर	बाण्ड पर 9.25% वार्षिक ब्याज की दर (वार्षिक देय) से आवंटन की मानी तारीख से 122 महीने के अंत तक
बाण्ड का अंकित मूल्य	₹ 10 लाख प्रति बाण्ड
देय कूपन	प्रतिवर्ष 31 मार्च को वार्षिक रूप में
प्रारंभिक तारीख	14 मार्च, 2008
समाप्ति की तारीख	19 मार्च, 2008
आवंटन की मानी तारीख	25 मार्च, 2008
मोचन	आवंटन की मानी तारीख के 122 महीने के बाद

₹ 100 करोड़ का निर्गम ₹ 6.00 करोड़ से अभिदत्त हो कर कुल ₹ 106 करोड़ था.

सीरीज X

शर्त सार शीट

जारीकर्ता	देना बैंक
लिखत	वचन-पत्रके रूप में अप्रत्याभूत प्रतिदेय गैर-संपरिवर्तनीय गौण बाण्ड्स (सामान्य टीयर)
निर्गम का साइज	अधि-आबंटन विकल्प के साथ ₹ 300 करोड़
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	सामान्य टीयर 2 10 वर्ष 7 महीने
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा 'एए-'
कूपन दर (% वार्षिक)*	11.20% वार्षिक
देय ब्याज	31 मार्च को वार्षिक रूप में
मोचन/ परिपक्वता	आवंटन की मानी तारीख से 10 वर्ष 7 महीने के अंत में सम मूल्य पर
विकल्प मूल्य पर शेयरों की बिक्री/ खरीद	विकल्प मूल्य पर शेयरों की बिक्री/ खरीद नहीं
अंकित मूल्य	₹ 10,00,000/- प्रति बाण्ड
निर्गम कीमत	सम मूल्य पर (अर्थात ₹ 10,00,000/- प्रति बाण्ड
लिखत स्वरूप	केवल बेकागजीकृत रूप में
सौदा	केवल डीमेट रूप में
निक्षेपागार	बाण्ड के बेकागजीकरण के लिए बैंक एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता करेगा और एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. में खाते खोलेगा.

प्रतिभूति	अप्रत्याभूत
निपटान के द्वारा	चेक (सामान्य/ उच्च कीमत)/ आर.टी.जी.एस./ निधि अंतरण
को निर्गम शुरू	सितंबर 29, 2008
को निर्गम बंद	सितंबर 30, 2008
जमा तारीख	आवेदन की तारीख पर
आवंटन की मानी तारीख	सितंबर 30, 2008
सूचीकरण	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.एस.ई.) के संवर्ग थोक ऋण बाजार (डब्ल्यु.डी.एम.) में शेयरों की प्रस्तावित सूचीबद्धता.
न्यासी	आई.डी.बी. आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड को बैंक ने स्वयं एवं बाण्डों के धारक (कों) की ओर से न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है
आवेदन राशि पर ब्याज*	चेक (चेकों)/ मांग ड्राफ्ट (ड्राफ्टों) की वसूली की तारीख से आवंटन की मानी गई तारीख से एक दिन पहले तक कूपन दर पर (अर्थात 11.20% वार्षिक दर से)

सीरीज – XI

शर्त सार शीट

जारीकर्ता	देना बैंक
लिखत	वचन-पत्र के रूप में अप्रत्याभूत प्रतिदेय गैर-संपरिवर्तनीय गौण बाण्ड्स (लोअर टीयर II)
निर्गम का साइज	₹ 200 करोड़
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद । बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	120 महीने लोअर टीयर II
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा स्टेबल 'एए-' केअर द्वारा 'एए-'
कूपन दर (% वार्षिक)*	9.50% वार्षिक
देय ब्याज	आवंटन की मानी तारीख से वार्षिक रूप में
मोचन/ परिपक्वता	आवंटन की मानी तारीख से 120 महीने के अंत में सम मूल्य पर
विकल्प मूल्य पर शेयरों की बिक्री/ खरीद	विकल्प मूल्य पर शेयरों की बिक्री/ खरीद नहीं
अंकित मूल्य	₹ 10,00,000/- प्रति बाण्ड
निर्गम कीमत	सम मूल्य पर (अर्थात ₹ 10,00,000/- प्रति बाण्ड
लिखत स्वरूप	केवल बेकागजीकृत रूप में
सौदा	केवल डीमेट रूप में
निक्षेपागार	बाण्ड के बेकागजीकरण के लिए बैंक एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता करेगा और एन.एस. डी.एल. और सी.डी.एस.एल. में खाते खोलेगा.
प्रतिभूति	अप्रत्याभूत
निपटान के द्वारा	चेक (सामान्य/ उच्च कीमत)/ आर.टी.जी.एस./ निधि अंतरण
को निर्गम शुरू	जनवरी 27, 2009
को निर्गम बंद	जनवरी 27, 2009
जमा तारीख	आवेदन की तारीख पर
आवंटन की मानी तारीख	जनवरी 29, 2009
सूचीबद्धता	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.एस.ई.) के संवर्ग थोक ऋण बाजार (डब्ल्यु.डी.एम.) में शेयरों की प्रस्तावित सूचीबद्धता.
न्यासी	आई.डी.बी. आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड को बैंक ने स्वयं एवं बाण्डों के धारक (कों) की ओर से न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया हैं
आवेदन राशि पर ब्याज	चेक (चेकों)/ मांग ड्राफ्ट (ड्राफ्टों) की वसूली की तारीख से आवंटन की मानी गई तारीख से एक दिन पहले तक कूपन दर पर (अर्थात 9.50% वार्षिक दर से)

बेसल III प्रकटीकरण

सीरीज - XII

शर्त सार शीट

जारीकर्ता	देना बैंक
निर्गम का साइज	अधि-आबंटन विकल्प के साथ ₹ 350 करोड़ के अतिरिक्त अभिदान के साथ ₹ 500 करोड़ रहा.
निर्गम उद्देश्य	मुद्रा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने और बैंक के लंबी अवधि के संसाधनों को बढाने के लिए टियर II संवर्धन पूंजी.
लिखत	वचन-पत्र ('बाण्ड') के रूप में अप्रत्याभूत प्रतिदेय गैर-संपरिवर्तनीय गौण बाण्ड लोअर टियर II (सीरीज - XII).
नामावली	देना बैंक लोअर टियर II बाण्ड सीरीज XII
प्रचालन/ सौदा	बेकागजीकृत रूप में
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा 'क्रिसिल एए+/स्टेबल' और केअर द्वारा 'क्रिसिल एए+'
प्रतिभूति	अप्रत्याभूत
अंकित मूल्य	₹ 10,00,000/- प्रति बाण्ड
निर्गम कीमत	सममूल्य पर (अर्थात ₹ 10,00,000/- प्रति बाण्ड)
मोचन मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात ₹ 10,00,000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम अभिदान	5 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	15 वर्ष (180 महीने)
विक्रय विकल्प	कोई नहीं
क्रय विकल्प	लिखतों के कम से कम 10 वर्षों के बाद क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रकार के क्रय विकल्प का उपयोग बैंक द्वारा केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) की पूर्व अनुमति लेकर ही किया जा सकता है.
मोचन/ परिपक्वता	आवंटन की मानी गई तारीख (भा.रि.बैं. का पूर्व अनुमोदन लेकर) से 15 वर्ष (180 महीने) के अंत में सममूल्य पर. बाण्ड प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त रहेंगे और भा.रि.बैं की सहमती के बिना धारक की पहल पर भुगतान नहीं किए जा सकेंगे
कूपन / ब्याज दर	9.23% प्र.व.
देय ब्याज	वार्षिक
देय ब्याज दिनांक	प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को
सूचीबद्धता	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.एस.ई.) के संवर्ग थोक ऋण बाजार (डब्ल्यु.डी.एम.) में शेयरों की प्रस्तावित सूचीबद्धता.
न्यासी	ऑलबैंक फायनान्स लि.
निक्षेपागार	नेशनल सिक्युरिटिज डिपोजिटरी लि. और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि.
रिकार्ड तारीख	प्रत्येक देय ब्याज की तारीख, क्रय विकल्प नियत तारीख और मोचन तारीख से 15 दिन पूर्व (या ऐसी कोई अवधि जिसे सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज/ अन्य कोई संबंधित विनियामक प्राधिकारी कहें)
रजिस्ट्रार	शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि.
निर्गम का बैंकर	देना बैंक, कॅपिटल मार्केट शाखा, मुंबई
आवेदन धन पर ब्याज	आवंटन की मानी गई तारीख से एक दिन पहले तक आर.टी.जी.एस. के माध्यम से प्राप्त आवेदन धन की वसूली तारीख तक कूपन दर पर (अर्थात 9.23% प्र.व.) से ब्याज
निपटान	ब्याज का भुगतान और मूल धन का पुनर्भुगतान चेक (चेकों)/ मोचन वारंट (वारंटों)/ मांग ड्राफ्ट (ड्राफ्टों)/ इलेक्ट्रोनिक माध्यम (एन.ई.एफ.टी./ आर.टी.जी.एस.) द्वारा किया जाएगा
अभिदान का रूप	'देना बैंक' के खाता '111511023771', शाखाः 'कैपिटल मार्केट ब्रांच', आई.एफ.एस.सी. कोड 'BKDNO401115' में आर.टी.जी.एस. प्रक्रिया के जरिए निधियों का इलेक्ट्रोनिक अंतरण किया जाएगा.
निर्गम शुरू होने की तारीख ^	18 जून, 2012
निर्गम बंद होने की तारीख ^	22 जून, 2012
जमा तारीख ^	18 जून, 2012 से 22 जून, 2012
आवंटन की मानी तारीख ^	25 जून, 2012

भ बैंक निर्गम को शुरू करने/ बंद करने/ जमा तारीख (तारीखों) में बिना कोई कारण बताए/ नोटिस दिए परिवर्तित (पहले/ बाद में) करने का अपना पूर्ण एवं एकाधिकार सुरक्षित

रखता है. इस प्रकार के प्रकरण में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय अनुसूची की जानकारी दी जाएगी. बैंक बिना कोई नोटिस दिए आवंटन की मानी गई बहुल तारीख (तारीखें) रखने का अपना एकाधिकार एवं पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित रखता है.

सीरीज XIII टीयर II बांड

शर्तपत्र निर्गम का विवरण

जारीकर्ता	**देना बैंक ('बैंक' / 'जारीकर्ता')**
लिखत का प्रकार	अप्रत्याभूत
लिखत	डिबेंचर ('बाण्ड') के रूप में अप्रत्याभूत प्रतिदेय गैर-संपरिवर्तनीय अनुपालनकर्ता टियर बाण्ड्स (सीरीज -XIII).
संपरिवर्तनीयता	गैर-संपरिवर्तनीय
बाण्ड सीरीज	XIII
सुरक्षा नाम	देना बैंक टियर बाण्डस निर्गम सीरीज
रूप और बाण्ड की प्रास्थिति	बाण्डधारकों के दावे (I) टियर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावे से उपर, (II) बैंक के सभी जमाकर्ताओं तथा सामान्य लेनदारों के दावों से निम्न तथा (III) बाण्ड ना तो प्रतिभूत होंगे नहीं जारीकर्ता की गारंटी या संबंधित कंपनी द्वारा सुरक्षित होंगे या अन्य व्यवस्था जो बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरिष्ठता विधिक रूप से या आर्थिक रूप से बढाती हो, होगी
निर्गम के उद्देश्य	टियर 2 पूंजी को बढाना और बैंक की समस्त पूंजी पर्याप्तता को मजबूती प्रदान करने और उसके दीर्घावधि स्त्रचटतों को बढाने के लिए
प्राप्त राशि के उपयोग किए जाने का विवरण	निर्गम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्गम से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाएगा
निर्गम का ढंग	प्राइवेट प्लेसमेंट
सूचीबद्धता (जहां सूचीबद्ध किए जाएंगे उन स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के नामसहित सूचीबद्धता की समय रेखा)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एन.एस.ई.') के संवर्ग थोक ऋण बाजार (डब्ल्यु.डी.एम.) में शेयरों की प्रस्तावित सूचीबद्धता.
निर्गम का आकार	780 करोड़
अत्यभिदत्त को रोक रखने का विकल्प	लागू नहीं
क्रे डिट रेटिंग	के अर द्वारा 'केअर एए+' (कहा जाएगा डबल ए प्लस)
कूपन रेट	9.86%
कूपन देय आवृत्ति	वार्षिक
कूपन का प्रकार	नियत
कूपन देय तारीखें	कूपन/ देय ब्याज तारीख आवंटन की तारीख अर्थात प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 26 फ रवरी होगी. अंतिम देय ब्याज मोचन की तारीख पर दिया जाएगा.
कूपन पुनर्निर्धारण प्रक्रिया (दरें, विस्तार, प्रभावी तारीख, ब्याज दर उच्चतम एवं न्यूनतम	लागू नहीं
दिन गणना आचधार	वास्तविक/ वास्तविक (सेबी के दिनांक 29 अत्तूबर 2013 के परिपत्र सं. CIR/IMD/DF/18/2013 दिनांक 29 अक्टूबर 2013)
वृद्धिशील/ स्टेप डाउन कूपन दर	लागू नहीं

बेसल III प्रकटीकरण

आवेदन धन पर ब्याज	संबंधित कूपन दर (आयकर अधिनियम 1961, के प्रावधानों के अंतर्गत आयकर की कटौती के अधीन), या लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्धिनियम के अंतर्गत सभी आवेदनकर्ताओं को बाण्डों के आवेदन धन पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा. इस प्रकार के ब्याज का भुगतान चेक (चेकों)/ मांग ड्राफ्ट (ड्राफ्टों) की वसूली की तारीख और आर.टी.जी.एस./ अन्य किसी इलेक्ट्रानिक अंतरण के साधन के प्रकरण में आवंटन की मानी गई तारीख से निधी के प्राप्त होने के एक दिन पहले तक का ब्याज का भुगतान किया जाएगा. आवेदन धन पर ब्याज की गणना वास्तविक/ वास्तविक दिन गणना परिपाटी के आधार पर की जाएगी. इस प्रकार की ब्याज का भुगतान सभी वैध आवेदनों जिनमें वापिस की जाने वाली राशि भी शामिल है पर किया जाएगा. जहां पूरी अभिदान राशि को वापिस किया जाना है, रिफंड ऑर्डर के साथ आवेदन धन पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा. जहां आवेदनकर्ता द्वारा आवेदित बांडों की संख्या से कम बांडों का आवंटन किया जाता है तो वापिस की जाने वाली अतिरिक्त राशि के साथ ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा. आवेदन धन की ब्याज पर लागू दर से स्रचटत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) की जाएगी.
चूक ब्याज दर	लागू नहीं
हानि अवशोषकता	बांड ऋण पूंजी लिखतों को टियर पूंजी (अनुबंध 5) तथा (पी.ओ.एन.वी.) अनुपलब्धता की स्थिति में सभी गैर-ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों तथा पूर्वनिर्दिष्ट उत्प्रेरक की स्थिति में अतिरिक्त टियर लिखतों की हानि अवशोषकता सुनिश्चित करने के लिए बेसल पूंजी विनियामक मानदंडों के बारे में आर.बी.आई. के मास्टर परिपत्र सं. डी.बी.ओ. डी. सं. बी.पी.बी.सी.2/ 21.06.201/ 2013-14 दिनांक 1 जुलाई 2013 के अनुसार गैर-ईक्विटी पूंजी लिखतों के लिए लागू हानि अवशोषकता की शर्त पर होंगे. (अनुबंध 16) तदनुसार, ट्रिगर इवेंट जिसे अव्यवहार्यता बिंदु कहा जाता है के होने पर भा.रि.बैं. के विकल्प पर बांडों को या तो स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जाएगा या अस्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जाएगा. पी. ओ.एन.वी. ट्रिगर इवेंट, भा.रि.बैं. के उपर्युक्त परिपत्र में परिभाषित अनुसार होगा और भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित किया जाएगा.
दिवालिया/ परिसमापन में व्यवहार	दिवालिया और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर बांडधारकों को भविष्य में निर्धारित भुगतान (कूपन या मूल) के पुनर्भुगतान में तीव्रता लाने का बांडधारकों को कोई अधिकार नहीं होगा.

बेसल III प्रकटीकरण

पी.ओ. एन.वी. ट्रिगर	बांड, भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर ट्रिगर इवेंट, जिसे अव्यवहार्यता बिंदु ('पी. ओ.एन.वी. ट्रिगर') कहा गया के होने पर अस्थायी अवलिखित या स्थायी रुप से बट्टे खाते डाला जाएगा.पी. ओ.एन.वी. ट्रिगर इवेंट निम्न में से पहले होगाः क. भा.रि.बैं. द्वारा जैसा कि निर्धारित किया गया है अस्थायी/ स्थायी बट्टे खाते डालने का निर्णय आवश्यक है जिसके बिना बैंक गैर-अर्थक्षम हो जाएगा ; और ख. जैसा कि सुसंगत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है समकक्ष समर्थन या पूंजी का सार्वजनिक क्षेत्र अंतर्वेशन करने का निर्णय, बिना इसके बैंक गैर-अर्थक्षम हो गया होता. ट्रिगर इवेंट के होने के परिणाम स्वरूप बट्टे खाते डालना किसी पूंजी के सार्वजनिक क्षेत्र अंतवेशन करने से पूर्व होगा जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई पूंजी अकुशल न हो जाए. इस प्रयोजन के लिए एक गैर-अर्थक्षम बैंक होगीः बैंक, जो उसकी वित्तीय एवं अन्य कठिनाइयों के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में स्वयं के बल पर और आगे कार्यशील संस्था के रुप में न रहे जब तक के उसके परिचालन को पुनर्जिवित करने के लिए उपयुक्त उपाय न किए जाए और इस प्रकार इसे कार्यशील संस्था के रूप में समर्थ किया जाए. बैंक द्वारा की जा रही कठिनाइयों का सामना ऐसी होंगीं जिनके फलस्वरूप आर्थिक हानि होगी और बैंक की सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी को जुटाना बैंक को अर्थक्षम होने से रोकने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका माना जाएगा. इस प्रकार के उपाय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले अन्य उपायों के बिना, इस प्रकार के उपाय में अन्य उपायें के साथ या उनके बिना अस्थायी और/ या स्थायी बट्टे खाते डालना होगा. कोई बैंक वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हो और पी.ओ.एन.वी. को अग्रसर हो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में एक समुचित समय के अंदर यदि वह अर्थक्षमता प्राप्त कर ले; यदि उसे पुनर्जिवित करने के लिए समुचित उपाय किए जाए वह वर्तमान कठिन परिस्थितियों से बाहर आने में समर्थ होगी. उपाय जिनमें अस्थायी/ स्थायी बट्टे खाते डालना/ निधि का सार्वजनिक क्षेत्र अंतर्वेषण किया जाना शामिल हैः क. जमाकर्ताओं/ निवेशकों के विश्वास को पुनःप्राप्त किया जाना; ख. बैंक की रेटिंग/ ऋण-पात्रता को उन्नत करना और उसके द्वारा उधारक्षमता तथा तरलता को उन्नत करना और निधियों की लागत को कम करना; और ग. नई निधियों को अंतर्वेशन करने के मामले में निधि तुलनपत्र वृद्धि के आधार के MQV को बढ़ाना.
परिपक्त्ता काल	आवंटन की मानी तारीख से 10 वर्ष
मोचन/ परिपक्त्ता तारीख (तारीखें)	26/02/2024
मोचन कीमत	₹ 10,00,000 (₹ दस लाख) प्रति बांड सममूल्य पर
मोचन प्रीमियम/ बट्टा	लागू नहीं
अंकित मूल्य	₹ 10,00,000 (₹ दस लाख) प्रति बांड
निर्गम पर प्रीमियम/ बट्टा	लागू नहीं
जारी करने का मूल्य	₹ 10,00,000 (₹ दस लाख) प्रति बांड
न्यूनतम आवेदन ततपश्चात ऋण प्रतिभूतियों के गुणांक में	1 बांड तथा उसके पश्चात 1 बांड के गुणक में
लिखत जारी करने का ढंग	केवल डीमेट
लिखत का व्यापार करने का ढंग	केवल डीमेट
छूट जिस पर प्रतिभूति जारी की गई और ऐसी छूट के बाद प्रभावी आय.	लागू नहीं
विक्रय विकल्प तारीख	लागू नहीं
विक्रय विकल्प कीमत	लागू नहीं
क्रय विकल्प तारीख	लागू नहीं
क्रय विकल्प कीमत	लागू नहीं
विक्रय अधिसूचना समय	लागू नहीं
क्रय अधिसूचना समय	लागू नहीं

बेसल III प्रकटीकरण

अवरोध अवधि	लागू नहीं
आवंटन का आधार (यदि कोई हो)	जारीकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कोई कारण बताए बिना, जो कोई भी हो, अपने विवेक पर किसी भी / सभी आवेदनों को पूर्णतः या अंशिक रूप से रद्द कर दे.
कारोबार दिवस अवधि	कारोबार दिन वह दिन होगा जिस दिन वाणिज्यिक बैंक मुंबई नगर में कारोबार के लिए खुले रहेंगे. 1. यदि किसी ब्याज का भुगतान ऐसे दिन पड़ता है जो कारोबार दिन नहीं है (कारोबार दिन वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक मुंबई नगर में कारोबार के लिए खुले हैं), तब ब्याज का भुगतान अगले दिन अर्थात कारोबार दिन को बीच की अवधि के लिए ब्याज के साथ किया जाएगा. 2. यदि मूल राशि के भुगतान का दिन ऐसे दिन पड़ता है जो कारोबार दिन नहीं है (कारोबार दिन वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक मुंबई नगर में कारोबार के लिए खुले हैं), तब देय भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा. ब्याज और / या मूल राशि का भुगतान विलंब की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान की बिना किसी देयता की शर्त पर है.
रिकोर्ड तारीख	ब्याज भुगतान / मूल की चुकौती के लिए संदर्भ तारीख, संबंधित ब्याज भुगतान की तारीख जिस दिन ब्याज या भुगतान/ परिपक्ता की रकम भुगतान के लिए देय है, से 15 दिन पहले होगी. यदि रिकार्ड तारीख ऐसे दिन पड़ती है जो कारोबार दिन नहीं है, अगला कारोबार दिन रिकार्ड तारीख मानी जाएगी.
लिखत का निपटान का तरीका	ब्याज का भुगतान तथा मूल की चुकौती सीधे जमा /एन.ई.सी.एस. /आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ .टी. प्रक्रिया द्वारा जमा करके किया जाएगा.
निक्षेपागार	नेशनल सिक्युरिटिज डिपोजिटरी लि. और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि.
प्रतिभूति (जहां कहीं लागू हो)	बांडों की प्रकृ ति गैर-जमानती प्रकार की है.
लेन-देन दस्तावेज	जारीकर्ता निर्गम के संबंध में दस्तावेज जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज भी शामिल होंगे लेकिन वह इन तक ही सीमित नहीं होंगेः 1. बांडधारकों को न्यासी नियुक्त करने का पत्र 2. बांड/ डिबेंचर न्यासिता करार; 3. केअर लिमिटेड के साथ रेटिंग करार; 4. जारीकर्ता, रजिस्ट्रार तथा एन.एस.डी.एल. के बीच बांडों को बेकागजीकृत रूप में जारी करने के लिए त्रिपक्षीय करार; 5. जारीकर्ता, रजिस्ट्रार तथा सी.एस.डी.एल. के बीच बांडों को बेकागजीकृत रूप में जारी करने के लिए त्रिपक्षीय करार; 6. रजिस्ट्रार का नियुक्ति पत्र तथा जारीकर्ता और रजिस्ट्रार के बीच किया गया करार; 7. निर्गम का/ के व्यवस्थापक जारी करने का पत्र; 8. एन.एस.ई. के साथ सूचीबद्धता करार.
बांडों का अभिदान करने से पूर्व पूर्ण की जाने वाली शर्तें	जारीकर्ता द्वारा निवेशकों से आवंटन के लिए अभिदान निम्नलिखित की शर्त पर स्वीकार किये जाएंगेः 1. उपर्युक्त रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग के पत्र निर्गम खुलने की तिथि से एक महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए; 2. बांडधारकों के लिए न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए न्यासियों द्वारा उनकी सहमति सूचित किए जाने का पत्र; 3. बांडों को सूचीबद्ध तथा व्यापार करने के लिए उनका सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एन.एस.ई. को पत्र.

बांडों का अभिदान करने के पश्चात पूर्ण की जाने वाली शर्तें	जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकटन दस्तावेज में अन्य किसी भी स्थान पर लिखित समय सीमा के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज निष्पादित किए जाए/ क्रियाकलाप पूरे किये जाएं: 1. आवंटियों के डीमेट खाते में आवंटित बांडों की संख्या आवंटन की मानी गई तारीख से 2 दिन के अंदर जमा की जानी चाहिए; 2. सेबी ऋण विनियम; कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 73 की उपधारा 1 के अनुसार बांडों के आवंटन की मानी गई तारीख से 15 दिन के अंदर एन.एस.ई. को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करना तथा बांडों के आवंटन की मानी गई तारीख से 20 दिन के अंदर सूचीबद्ध करने की अनुमति मांगना. 3. न तो बैंक और न ही कोई संबंधित पार्टी जिस पर बैंक का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव (जैसे कि संबंधित लेखा मानकों के अंतर्गत परिभाषित है) हो, बांड खरीदेगा, ना ही बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बांडों की खरीद के लिए निधियां उपलब्ध करायेगा. बैंक उसके द्वारा जारी बांडों की प्रतिभूति पर अग्रिम भी स्वीकृत नहीं करेगा. 4. इसके अतिरिक्त जारीकर्ता इस प्रकटन दस्तावेज में लिखित सभी क्रियाकलाप करेगा, चाहे वह अनिवार्य हो या अन्यथा हो.
अतिरिक्त परिसंविदाएं	**सूचीबद्ध होने में विलंब :** जारीकर्ता आवंटन की मानी गई तारीख से 15 दिन के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी करेगा और सूचीबद्ध करने की अनुमति मांगेगा. बांडों को सूचीबद्ध करने में आवंटन की मानी गई तारीख से 20 दिन से अधिक का विलंब होने पर, जारीकर्ता आवंटन की मानी तारीख से 30 दिन की अवधि पूरे होने की तिथि से बांडों के सूचीबद्ध होने की तारीख तक बांडधारक/धारकों को कूपन दर से अधिक 1.00% दांडिक ब्याज भुगतान करेगा. **सूचीबद्ध करने की अनुमति न मिलना :** यदि आवंटन की मानी गई तारीख से 20 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो जारीकर्ता प्रकटन दस्तावेज के अनुसरण में आवेदकों से प्राप्त सभी धन राशियां, आवंटन की मानी गई तारीख से 20 दिन की अवधि समाप्त होने की तारीख से कूपन दर के अतिरिक्त 1.00% प्रतिवर्ष दांडिक ब्याज के साथ, वापस करेगा. यदि ऐसी धन राशियां जारीकर्ता द्वारा देय होने के बाद 8 दिन के अंदर (अर्थात अनुमति न मिलने की तारीख से या आवंटन की मानी गई तारीख से 20 दिन, जो भी पहले हो) भुगतान नहीं की जाती है, तो जारीकर्ता और जारीकर्ता संस्था का प्रत्येक निदेशक जो कि उसका एक चूककर्ता अधिकारी है, 8 दिन की अवधि समाप्त होने की तिथि से आवेदन धन पर 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ संयुक्त रूप में और एकल रूप में भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है.
प्रतिचूक	लागू नहीं
डिबेंचर न्यासी की भूमिका और जिम्मेदारियां	न्यासी अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करेंगे बांडधारकों द्वारा न्यासियों में किए गए विश्वास के अनुसार अपने अधिकारों और विवेक का उपयोग और आचरण करेंगे और लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे, बशर्ते की भारतीय न्यासी अधिनियम, 1882 की धारा 20 के प्रावधान न्यासियों पर लागू नहीं हो. न्यासी अपने कर्तव्य और कार्यों का निष्पादन वैसे ही करेंगे जैसे कि उन्हें अपने दायित्वों का निर्वाहन सेबी ऋण विनियम, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम 1993, डिबेंचर न्यासिता करार, प्रकटन दस्तावेज तथा अन्य लेन-देन संबंधी दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक सावधानी सूझबूझ और निष्ठा के अनुसार करना है. न्यासियों को बांडधारकों के हितों की रक्षा के लिए अपेक्षित अधिकार दिए जाएंगे जिसमें बांडों के संस्थागत धारकों के परामर्श से जारीकर्ता के बोर्ड में नामिती निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार भी शामिल होगा लेकिन यह इसी तक सीमित नहीं रहेगा. न्यासी सभी घटनाओं का प्रकटन निरंतर रूप में सुनिश्चित करेंगे. जारीकर्ता बांडों के भुगतान तक, सेबी द्वारा उनके यथासंशोधित परिपत्र संख्या सेबी/ आई.एम.डी./ बांड/ 1/2009/11/05 दिनांक 11 मई, 2009 द्वारा जारी सरलीकृत सूचीबद्धता करार में लिखित समय सीमा के अंदर, न्यासियों को अपनी अद्यतन लेखा-परीक्षित/ सीमित समीक्षा अर्धवार्षिक समेकित (जहां कहीं उपलब्ध हो) तथा अलग अलग रूप में वित्तीय सूचना जैसे लाभ-हानि विवरण, तुलनपत्र तथा नकदी प्रवाह विवरण और लेखा-परीक्षकों की शर्तें, यदि कोई हों, प्रस्तुत करेंगे. इसके अतिरिक्त जारीकर्ता वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 180 दिन के अंदर, न्यासियों को अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे और न्यासी प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के विवरण 'योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीददारों (क्यू.आई.बी.) को उनके विशिष्ट अनुरोध पर 2 दिन के अंदर प्रस्तुत करेंगे.
शासीविधि तथा क्षेत्राधिकार	बांड भारत की विद्यमान विधियों द्वारा शासित होंगे और उनके अनुसार माने जाएंगे. इस संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद मुंबई, महाराष्ट्र के जिला न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की शर्त पर होंगे.

बेसल III प्रकटीकरण

लागू आर.बी. आई. दिशानिदेश	बांड का वर्तमान निर्गम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बासेल पूंजी विनियमों के बारे में जारी मास्टर परिपत्र सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बी.पी.बी.सी.2/21.06.201/2013-14 दिनांक 1 जुलाई 2013 के अनुसरण में है जिसमें टियर 2 पूंजी के रूप में ऋण पूंजी लिखतों को शामिल करने (अनुबंध 5) तथा पूर्व निर्दिष्ट ट्रिगर पर अतिरिक्त टियर 1 लिखतों की हानि अवशोषकता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता ओटड तथा पी.ओ.एन.वी. पर समस्त गैर-ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों (अनुबंध 16) के संबंध में है.
खरीद/ बांडों के वित्तपोषण पर प्रतिबंध	न तो बैंक और ना ही ऐसी कोई संबंधित पार्टी जिस पर बैंक का नियंत्रण हो या महत्वपूर्ण प्रभाव हो (जैसे कि संबंधित लेखामानकों के अंतर्गत परिभाषित है), बांड खरीदेगी, न ही बैंक बांडों की खरीद के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त प्रदान करेगा. बैंक उनके द्वारा बांडों की प्रतिभूति पर अग्रिम स्वीकृत नहीं करेग्
न्यासी	मे. ऑल बैंक फायनान्स लि.
रजिस्ट्रार	मे. शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि.
पात्र निवेशक	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (72) में दी गई परिभाषा के अनुसार म्युच्युअल फंड, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां, विदेशी संस्थागत निवेशक (सेबी / आर.बी.आई. मानदंडों के अनुपालन की शर्त पर), भविष्य निधि, ग्रेच्युटी फंड, सेवानिवृत्ति निधियां तथा पेंशन फंड, सहकारी बैंक, बांडों/ डिबेंचरों में निवेश के लिए प्राधिकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कार्पोरेट निकाय, समितियां, न्यास, केंद्रीय/ राज्य विधान द्वारा स्थापित सांविधिक निगम/ उपक्रम, जो बांडों/ डिबेंचरों में निवेश के लिए प्राधिकृत है, निवासी व्यक्तिगत निवेशक आदि.
निवेशकों के अपात्र वर्ग	सशर्त विदेशी निवेशक, विदेशी नागरिक, भारत से बाहर रहनेवाले निवासी, जोखिम पूंजी निधियां, वैकल्पिक निवेश निधियां, विदेशी कार्पोरेट निकाय, भागीदारों के नाम पर भारत में लागू विधियों के अधीन गठित भागीदारी फर्म,कर्ता के माध्यम से हिंदू अविभाजित परिवार, लागू सांविधिक/ विनियामक अपेक्षाओं आदि के अधीन संविदा के लिए अपात्र व्यक्ति
भुगतान का ढंग	आवेदन धन का प्रेषण निम्नलिखित विवरण के अनुसार जमा करने के लिए आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा किया जा सकता हैः
	वसूलीकर्ता बैंकर : देना बैंक
	लाभार्थी खाता नाम / : देना बैंक टियर II बांड्स इश्यू सीरीज XIII
	लाभार्थी खाता संख्या / : 111511023905
	आई.एफ.एस.सी. कोड : **BKDN**0401115
	बैंक शाखा का नाम और पता : कैपिटल मार्केट शाखा, देना बैंक बिल्डिंग, 17 हार्निमन सर्कल, फोर्ट, मुंबई - 400 023
	शीर्षक : आवेदन धन

बॉन्ड सीरीज XIV

वर्तमान स्थापन की शर्तें

प्रतिभूति का नाम	देना बैंक बेसल III अनुपालनकर्ता टियर II बांड निर्गम श्रृंखला XIV
जारीकर्ता	देना बैंक ('बैंक' / 'जारीकर्ता')
निर्गम का आकार	रु. 400 करोड़
बॉन्ड सीरीज़	XIV
लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, विमोच्य बेसल III, अनुपालनकर्ता श्रेणी 2 बांड (सीरीज XIV) टीयर II कैपिटल में शामिल करने के लिए ऋणपत्र (डिबेंचर) ('बॉन्ड') की प्रकृति में.
परिवर्तनीयता	गैर-परिवर्तनीय
निर्गम का प्रयोजन	टीयर 2 पूंजी पर्याप्तता और बैंक की समग्र पूंजी को मजबूत करने और दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए और पूंजी की वृद्धि करना.
आगमों के प्रयोग का विवरण	इस निर्गम की आय का उपयोग इस निर्गम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा.
बांड की प्रकृति और स्थिति	बांड न तो प्रतिभूतित है और न ही जारीकर्ता की गारंटी के साथ है और न ही संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था है जो कानूनी तौर पर या आर्थिक रूप से जो जारीकर्ता अन्य लेनदारों की तुलना में बांडों के धारकों ('बॉन्डधारकों') के दावे की वरिष्ठता को बढ़ाती है. बॉन्डधारक, जारीकर्ता के शेयरधारकों की किसी भी बैठक के नोटिस या उपस्थित होने या वोट देने या जारीकर्ता के प्रबंधन में भाग लेने के हकदार नहीं होंगे.

बेसल III प्रकटीकरण

लिखत/दावे की वरिष्ठता	बांड के संबंध में बांडधारकों के दावे होना चाहिए: i. टीयर 1 कैपिटल में शामिल करने के लिए पात्र होने वाले लिखितों में निवेशकों के दावों के लिए वरिष्ठ; ii. बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीन; तथा iii. न तो सुरक्षित और जारीकर्ता या संबंधित इकाई या अन्य व्यवस्था की गारंटी द्वारा न ही कवर किया गया है जो कि कानूनी iv. तौर पर या आर्थिक v. रूप से बैंक लेनदारों के दावों की वरिष्ठता को बढ़ाती है. दिवालियापन और परिसमापन की दशा को छोड़कर भविष्य में निर्धारित भुगतान (कूपन या मूलधन) के पुनर्भुगतान में तेजी लाने के लिए बॉन्डधारकों के पास कोई अधिकार नहीं होगा. बॉन्डधारकों के दावे टर्म शीट में उल्लिखित 'गैर-अर्थक्षमता बिंदु' (पीओएनवी) के प्रावधानों के अधीन होंगे.
निर्गम का तरीका	निजी स्थापन (प्राइवेट प्लेसमैंट)
लिस्टिंग (स्टॉक एक्सचेंज/जों के नाम सहित) जहां सूचीबद्ध किया जाएगा और लिस्टिंग के लिए समयरेखा होगी)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') के थोक ऋण बाजार (डब्लूडीएम) सेगमेंट पर प्रस्तावित
अति - अंशदान को बनाए रखने का विकल्प	लागू नहीं
क्रेडिट रेटिंग	'केअर एए-' केअर द्वारा (दोहरे ए ऋणात्मक उच्चारीत)
प्रतिभूति	बांड प्रकृति में अप्रतिभूतित हैं
कूपन दर	8.76%
कूपन भुगतान की आवृत्ति	वार्षिक
कूपन प्रकार	स्थिर (मीयादी)
कूपन भुगतान की तिथियां	कूपन / ब्याज भुगतान की तारीख आबंटन की तारीख होगी, अर्थात् 20 सितंबर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष परिपक्वता / मोचन / कॉल विकल्प तक और नीचे वर्णित ' पीओएनवी ' के अधीन.
कूपन रीसेट प्रक्रिया (दरों, फैलाव, प्रभावी तिथि, ब्याज दर कैप और न्यूनतम आदि सहित)	लागू नहीं
लिखत का निपटान तरीका	ब्याज का भुगतान और मूलधन का पुनर्भुगतान / एन.ई.सी.एस. / आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. प्रणाली द्वारा जमा किया जाएगा.
स्टेप अप / स्टेप डाउन कूपन रेट	लागू नहीं
दिन गणना आधार / ब्याज की गणना	वास्तविक/वास्तविक (सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर / आईएमडी / डीएफ / 18/2013, दि. 29 अक्टूबर 2013 के अनुसार)
आवेदन धन पर ब्याज *	संबंधित कूपन दर पर ब्याज (आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत आयकर की कटौती या लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनःअधिनियम के अधीन) का बांडों के लिए आवेदन धन पर सभी आवेदकों को भुगतान किया जाएगा. इस तरह के ब्याज का भुगतान चेक (कों) / डिमांड ड्राफ्ट (टों) की वसूली की तारीख से किया जाएगा और आरटीजीएस / इलेक्ट्रॉनिक ब्याज अंतरण जैसे अन्य विधियों के मामले में निधि की प्राप्ति की तारीख से एक दिन पहले आवंटन की मानी गई तिथि से भुगतान किया जाएगा आवेदन धन पर ब्याज की गणना वास्तविक / वास्तविक दिन की गिनती के आधार पर की जाएगी. रिफ़ंड सहित सभी मान्य आवेदनों पर इस तरह के ब्याज का भुगतान किया जाएगा. जहां पूरी अंशदान राशि वापस करनी हो उस दशा में आवेदन राशि के साथ उस धन पर ब्याज का भुगतान साथ में किया जाएगा. जहां आवेदक को आवेदन के मुकाबले कम बांड आवंटित किए जाते हैं, आवेदन पर भुगतान की गई अतिरिक्त राशि और उस पर ब्याज के साथ राशि वापस कर दी जाएगी. प्राप्य धन राशि आय पर स्रोत की लागू दर से आयकर (टीडीएस) काट लिया जाएगा.
चूक अदायगी ब्याज दर	लागू नहीं

बेसल III प्रकटीकरण

हानि अवशोषण	बांड गैर-इक्विटी पूंजी लिखितों के लिए लागू हानि अवशेष सुविधाओं के अधीन जारी किए जाएगें जिन पर बेसेल III पूंजी नियमों को कवर करते हुए दि. 01 जुलाई, 2015 के आरबीआई मास्टर परिपत्र सं. डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.1 /21.06.201/2015-16, गैर-अर्थक्षमता के बिंदु पर पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर पर और सभी गैर-इक्विटी नियामक पूंजीगत लिखितों पर हानि अवशोषण सुनिश्चित करने के लिए टीयर 2 कैपिटल (अनुलग्नक 5) के रूप में ऋण पूंजी उपकरणों को शामिल करने के लिए मापदंड और अतिरिक्त टीयर 1 उपकरणों के हानि अवशोषण को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होंगी ('पीओएनवी') (अनुलग्नक 16). तदनुसार, बांडों को आरबीआई के विकल्प पर ट्रिगर ईवेंट पर बट्टे खाते लिखा जा सकता है जिसे 'गैर अर्थक्षमता का बिंदु' (पीओएनवी) कहा जाता है. पीओएनवी ट्रिगर ईवेंट के रूप में पूर्ववर्ती आरबीआई परिपत्र में परिभाषित किया जाएगा और आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाएगा.
ख) गैर-अर्थक्षमता के बिंदु पर हानि अवशोषण (पीओएनवी)	यदि कोई पीओएनवी ट्रिगर इवेंट (जैसा नीचे वर्णित है) होता है, तो निम्नानुसार जारीकर्ता करेगा : (I) ट्रस्टी को अधिसूचित; (II) बट्टे खाते लिखने की तारीख पर बांडों पर अर्जित जो कूपन हों तथा जिनका भुगतान नहीं किया गया हो रद्द करें; तथा (III) बांडधारकों या ट्रस्टी की सहमति लेने बिना, आवश्यकता के , भारतीय रिजर्व बैंक ("पीओएनवी बट्टे खाते लिखी राशि") द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार बांडों के बकाया मूलधन को बट्टे खाते लिखा जाए और जैसा कि प्रासंगिक समय पर आरबीआई द्वारा अन्यथा आवश्यक है. एक से अधिक अवसरों पर राशि बट्टे खाते लिखी जा सकती है. एक बार जब बॉन्ड के मूलधन को पीओएनवी ट्रिगर इवेंट के अनुसार बट्टेखाते लिखा गया हो तो पीओएनवी बट्टेखाते लिखी राशि किसी भी परिस्थिति में बहाल नहीं होगी, चाहे पीओएनवी ट्रिगर इवेंट जारी रखा गया हो . 2. पीओएनवी के लिए बट्टेखाते लिखा गया हो का मतलब पूर्ण और स्थायी बट्टेखाते लिखा गया है. 3. ये लिखत, जो भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर ट्रिगर ईवेंट की दशा पर बट्टेखाते लिखे जाएंगे, जिसे पॉइंट ऑफ़ नॉन-वायबिलिटी (पीओएनवी) ट्रिगर कहा जाएगाः (I) पहले की पीओएनवी ट्रिगर इवेंट : क. एक निर्णय जो पूर्ण स्थायी बट्टेखाते लिखा जाना जो जरूरी है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है जिसके बिना बैंक गैर-अर्थक्षम हो जाएगा; तथा ख. जैसा कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित, पूंजी का सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्वेशन करने का निर्णय, या समकक्ष समर्थन के जिसके बिना बैंक गैर-अर्थक्षम हो जाएगा. इन लिखितों को बट्टेखाते डालने से पहले किसी भी सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी. (II) ऐसा निर्णय हमेशा ऐसा ईंगित करता है कि ट्रिगर ईवेंट के फलस्वरूप बट्टेखाते डालना पूंजी का सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्वेशन करने से पहले होना चाहिए, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई पूँजी कम न हो. (IV) पूर्ण और स्थायी बट्टेखाते डालने की अवस्था में इन लिखत धारकों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा. 4. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, एक गैर-अर्थक्षम बैंक होगाः एक बैंक जो, अपनी वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण रिजर्व बैंक की राय में अपने आप में चलने वाली संस्था नहीं रहती है, जब तक कि उसके परिचालन को पुनर्जीवित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं और इस प्रकार चलने वाली संस्था बनाए रहने के लिए इसे सक्षम बनाते हैं. बैंक द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाईयां ऐसी होनी चाहिए जिससे वित्तीय घाटा होने की संभावना हो और बैंक की सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी को बढ़ाने से बैंक को गैर-अर्थक्षम होने से रोकने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय माना जाना चाहिए. इस तरह के उपायों में रिजर्व बैंक द्वारा उचित रूप में माना जाने वाले अन्य उपायों के साथ या उसके बिना संयोजन में बट्टेखाते डालना शामिल होगा. 5. वित्तीय कठिनाईयों का सामना करने वाले और पीओएनवी की ओर अग्रसर होने वाले बैंक को अर्थक्षमता प्राप्त करने योग्य समझा जाएगा यदि रिजर्व बैंक की राय में उचित समय के भीतर अगर इसे फिर से शुरू करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं. वर्तमान समस्याओं से बाहर आने में सक्षम होने के लिए बट्टेखाते डालना / सार्वजनिक क्षेत्र के निधियों के अंतर्वेशन के जरिए इक्विटी पूंजी के संवर्धन सहित उपायों की संभावना हैः क. जमाकर्ताओं / निवेशकों के विश्वास को पुनः स्थापित करना; ख. बैंक की रेटिंग / ऋण पात्रता में सुधार और इस प्रकार अपनी उधार क्षमता और तरलता में सुधार और निधियों की लागत कम करना; तथा ग. नई निधियों को अंतर्वेशन के मामले में तुलन पत्र वृद्धि कोष के लिए संसाधन आधार में वृद्धि.

	6. बट्टेखाते डालने वाली गैर-इक्विटी पूंजी की राशि आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाएगी. 7. जब बैंक पीओएनवी ट्रिगर का उल्लंघन करता है और ईक्विटी का बट्टेखाते डाल कर आपूरण कर दिया जाता है तो ऐसी ईक्विटी की भरपाई की गई राशि को बैंक की कुल इक्विटी से बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि पूंजी संरक्षण बफर को बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों के तहत लाभांश के रूप में भुगतान करने के लिए आय का अनुपात निर्धारित किया जा सके. हालांकि, एक बार जब बैंक आपूरण इक्विटी राशि की गणना किए बिना 8% का आम इक्विटी अनुपात प्राप्त कर लेता है तो उस बिंदु के बाद, बैंक सभी उद्देश्यों के लिए आपूरण इक्विटी पूंजी शामिल कर सकती है. 8. पीओएनवी निर्धारित करने के लिए मानदंड जब बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब यह फैसला किया जाता है कि बैंक पीओएनवी ट्रिगर ईवेंट की ओर अग्रसर हो रहा है, या पहले ही पीओएनवी तक पहुंच गया है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के विचार मः क) एक संभावना है कि समय रहते पूंजी समर्थन के रूप में हस्तक्षेप, अन्य या उनके बिना सहायताकारी हस्तक्षेपों के साथ बैंक को बचाव करने की संभावना है; तथा ख) यदि इन पर ध्यान दिए बिना बाहर छोड़ दिया जाए, तो इन कमजोरियों के फलस्वरूप बैंक को वित्तीय नुकसान उठाना होगा और इस प्रकार, अपने सामान्य इक्विटी स्तर में गिरावट का कारण होगा. 9. इन लिखतों को बट्टे खाते डालने का उद्देश्य बैंक के पूंजी स्तर को उठाना होगा. भारतीय रिजर्व बैंक की गैर-अर्थक्षमता को निर्धारित करने के लिए निम्नानुसार दो चरण के अभिगम का पालन करेगीः चरण 1 के आकलन में विशुद्ध रूप से उद्देश्य और मात्रात्मक मानदंड शामिल होंगे, यह इंगित करने के लिए कि बैंक प्रथम दृष्ट्या गैर-अर्थक्षमता की ओर अग्रसर हो रहा है और इसलिए, बैंक की वित्तीय स्थिति की बारीकी से जांच की आवश्यकता है. चरण 2 मूल्यांकन में अनुपूरक आत्मपरक मानदंड शामिल होंगे, जो चरण 1 की जानकारी के साथ, यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि बैंक गैर- अर्थक्षमता बनने वाला है या नहीं. इन मानदंडों का एक साथ मूल्यांकन किए जाएगा न कि अलग-अलग. 10. एक बार पीओएनवी की पुष्टि हो जाने के बाद, अगला कदम यह तय करना होगा कि बैंक का बचाव अकेले बट्टेखाते डालने के माध्यम से होगा या पूंजी का सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्वेशन करने के साथ संयोजन के रूप में होगा. 11. पीओएनवी के ट्रिगर का मूल्यांकन समेकित और एकमात्र स्तर दोनों पर किया जाएगा और किसी भी स्तर पर उल्लंघन बट्टे खाते डालने के लिए प्रेरित करेगा. 12. जैसा कि पूंजी पर्याप्तता दोनों एकल और समेकित स्तरों पर लागू है, विदेशी सहायक कंपनियों सहित बैंकों की सहायक कंपनियों द्वारा जारी पूंजीगत लिखितों के संबंध में अल्पसंख्यक हितों को बैंकिंग समूह की समेकित पूँजी में शामिल किया जा सकता है, यदि ये लिखतों पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर (ए.टी.1 पूँजी लिखतों के मामले में) / पी.ओ.एन.वी. में हानि अवशोषण (सभी गैर-सामान्य इक्विटी पूंजी लिखतों के लिए) हैं. इसके अलावा, जहां एक बैंक अपने सब्सिडियरी द्वारा जारी किए गए लिखतों को अपनी एकल पूंजी के अतिरिक्त समेकित समूह की पूँजी में शामिल करने की इच्छा करता है, उस लिखत के नियमों और शर्तों को एक अतिरिक्त ट्रिगर ईवेंट निर्दिष्ट करना होगा. यह अतिरिक्त ट्रिगर ईवेंट पहले का : (1). एक निर्णय जो बट्टेखाते लिखा जाना, जो जरूरी है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है जिसके बिना बैंक या सब्सिडियरी गैर-अर्थक्षम हो जाएगा; तथा (2). जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित, पूंजी का सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्वेशन करने का निर्णय, या समकक्ष समर्थन जिसके बिना बैंक गैर-अर्थक्षम हो जाएगा. ऐसा निर्णय हमेशा ऐसा ईगित करता है कि ट्रिगर ईवेंट के फलस्वरूप बट्टेखाते डालना पूंजी का सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्वेशन करने से पहले होना चाहिए जिससे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई पूँजी कम न हो. 13. ऐसे मामलों में, उपर्युक्त अनुच्छेद में निर्दिष्ट अतिरिक्त ट्रिगर बिंदु पर पूंजी लिखतों को बट्टेखाते डालने की अनुमति के लिए सहायक कंपनी अपने नियामक की मंजूरी / गैर-आपत्ति प्राप्त करेगी. 14. यदि बैंक इन बॉन्डों को को बट्टेखाते डालने से पहले ही परिसमापन में चला जाता है, तो ये लिखत इस शर्त शीट के खंड 8 में दिए गए वरिष्ठता के आदेश और शुल्क की प्राथमिकता को नियंत्रित करने वाले सामान्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार हानि को अवशोषित करेंगे. 15. यदि बैंक, इन बॉन्ड लिखतों को बट्टेखाते में डालने के बाद परिसमापन में जाता है तो इन लिखतों के धारकों को परिसमापन की आय पर कोई दावा नहीं होगा. (अ) एक बैंकिंग कंपनी का समामेलन : (बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 44 ए) 16. यदि इन बांडों को बट्टेखाते में डालने से पहले बैंक को किसी दूसरे बैंक में विलय कर दिया हो तो इस विलय के बाद उभरने वाले नए बैंक की नियामक पूंजी का एक हिस्सा बन जाएगा. 17. यदि इन लिखतों को स्थायी रूप से बट्टेखाते में डालने के बाद, यदि बैंक को किसी भी अन्य बैंक के साथ विलय कर दिया गया हो तो इन्हें समामेलित द्वारा रिटिन- अप नहीं किया जा सकता है. (ब) बैंकिंग कंपनी के पुनर्गठन या एकीकरण की योजनाः (बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 45) 18. . यदि संबंधित प्राधिकरण बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत किसी भी अन्य बैंक के साथ बैंक का पुनर्गठन करना या एकीकरण करना तय करते हैं, तो ऐसे बैंक को गैर-अर्थक्षम या गैर- अर्थक्षमता की ओर अग्रसर समझा जाएगा और इन दोनों पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर और गैर-अर्थक्षमता के बिंदु पर ट्रिगर पर लिखतों के बट्टे खाते को सक्रिय किया जाएगा. तदनुसार, इन नियमों के अनुसार समामेलन / पुनर्गठन से पहले इन उपकरणों को पूरी तरह से स्थाई रूप से बट्टे खाते लिखा जाएगा.
बट्टे खाते लिखने का निर्णय	इस लिखत के सभी निवेशकों में बट्टे खाते लिखने के निर्णय को कार्यान्वयित किया जाएगा;

बेसल III प्रकटीकरण

दिवालियापन / परिसमापन अभिक्रिया	दिवालियापन और परिसमापन को छोड़कर भविष्य में निर्धारित भुगतान (कूपन या मूलधन) के पुनर्भुगतान में तेजी लाने के लिए बॉन्डधारकों के पास कोई अधिकार नहीं होगा
अवधि	आबंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष
विमोचन/परिपक्वता दिनांक (कें)	आबंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष
मोचन राशि	प्रति बांड के लिए ₹ 10,00,000 / - (₹ दस लाख) के बराबर.
मोचन प्रीमियम/ डिस्काउंट	लागू नहीं
अंकित मूल्य	₹ 10,00,000 / - (दस लाख रूपए) प्रति बांड सममूल्य पर
निर्गम कीमत	₹ 10,00,000 / - (दस लाख रूपए) प्रति बांड सममूल्य पर
निर्गम पर प्रीमियम / बट्टा	लागू नहीं
छूट जिस पर प्रतिभूति जारी की गई और ऐसी छूट के बाद प्रभावी प्रतिफल.	लागू नहीं
न्यूनतम आवेदन और उसके बाद ऋण प्रतिभूतियों के गुणकों में	1 बांड तथा उसके पश्चात 10 बांड तथा उसके पश्चात एक बांड के गुणक में
लिखत जारी करने का ढंग	केवल बेकागजीकृत
लिखत का व्यापार करने का ढ़ंग	केवल बेकागजीकृत
आबंटन का आधार (यदि कोई हो)	जारीकर्ता अपने स्वविवेक के आधार पर, किसी/सभी आवेदनों को बिना पूर्व सूचना के आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार रखता है.
विक्रय विकल्प	कोई विक्रय विकल्प उपलब्ध नहीं है
क्रय विकल्प	कोई क्रय विकल्प उपलब्ध नहीं है
क्रय विकल्प किमत	लागू नहीं
क्रय अधिसूचना समय	लागू नहीं
अवरोध अवधि	लागू नहीं
रिकार्ड तारीख	ब्याज का भुगतान / मूल की चुकौती के लिए संदर्भ तारीख, संबंधित ब्याज भुगतान की तारीख जिस दिन ब्याज या भुगतान/ परिपक्वता की रकम भुगतान के लिए देय है, से 15 दिन पहले होगी. यदि रिकार्ड तारीख ऐसे दिन पड़ती है जो कारोबार दिन नहीं है, अगला कारोबार दिन रिकार्ड तारीख मानी जाएगी.
कारोबार दिवस अवधि	कारोबार दिन वह दिन होगा जिस दिन वाणिज्यिक बैंक मुंबई नगर में कारोबार के लिए खुले रहेंगे. 1. किसी ब्याज का भुगतान ऐसे दिन पड़ता है जो कारोबार दिन नहीं है (कारोबार दिन वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक मुंबई नगर में कारोबार के लिए खुले हैं), तब ब्याज का भुगतान अगले दिन अर्थात कारोबार दिन को बीच की अवधि के लिए ब्याज के साथ किया जाएगा. 2. मूल राशि के भुगतान का दिन ऐसे दिन पड़ता है जो कारोबार दिन नहीं है (कारोबार दिन वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक मुंबई नगर में कारोबार के लिए खुले हैं), तब देय भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा. ब्याज और / या मूल राशि का भुगतान विलंब की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान की बिना किसी देयता की शर्त पर है.
लेनदेन दस्तावेज़	जारीकर्ता निर्गम के संबंध में दस्तावेज जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज भी शामिल होंगे लेकिन वह इन तक ही सीमित नहीं होंगेः 1. बाण्डधारकों को न्यासी नियुक्त करने का पत्र 2. बाण्ड/डिबेंचर न्यासिता करार; 3. बाण्ड/डिबेंचर न्यासी विलेख 4. केअर लिमिटेड के साथ रेटिंग करार; 5. जारीकर्ता, रजिस्ट्रार तथा एन.एस.डी.एल. के बीच बांडों को बेकागजीकृत रूप में जारी करने के लिए त्रिपक्षीय करार; 6. जारीकर्ता, रजिस्ट्रार तथा सी.एस.डी.एल. के बीच बांडों को बेकागजीकृत रूप में जारी करने के लिए त्रिपक्षीय करार; 7. रजिस्ट्रार का नियुक्ति पत्र तथा जारीकर्ता और रजिस्ट्रार के बीच किया गया करार; 8. एन.एस.ई. के साथ सूचीबद्धता करार. 9. प्रकटन दस्तावेज दिनांक 16.09.2016

बेसल III प्रकटीकरण

बांड के अभिदान करने से पूर्व पूर्ण की जाने वाली शर्तें	जारीकर्ता द्वारा निवेशकों से आवंटन के लिए अभिदान निम्नलिखित की शर्त पर स्वीकार किये जाएंगेः 1. उपर्युक्त रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग के पत्र निर्गम खुलने की तिथि से एक महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए; 2. बाण्डधारकों के लिए न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए न्यासियों द्वारा उनकी सहमति सूचित किए जाने का पत्र; 3. बाण्डों को सूचीबद्ध तथा व्यापार करने के लिए उनका सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एन.एस.ई. को पत्र.
बांड के अभिदान करने के पश्चात पूर्ण की जाने वाली शर्तें	जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकटन दस्तावेज में अन्य किसी भी स्थान पर लिखित समय सीमा के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज निष्पादित किए जाए/ क्रियाकलाप पूरे किये जाएं: 1. आवंटियों के डीमेट खाते में आवंटित बांडों की संख्या आवंटन की मानी गई तारीख से 2 दिन के अंदर जमा की जानी चाहिए; 2. सेबी ऋण विनियम; कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 73 की उपधारा 1 के अनुसार बांडों के आवंटन की मानी गई तारीख से 15 दिन के अंदर एन.एस.ई. को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करना तथा बांडों के आवंटन की मानी गई तारीख से 20 दिन के अंदर सूचीबद्ध करने की अनुमति मांगना. 3. न तो बैंक और न ही कोई संबंधित पार्टी जिस पर बैंक का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव (जैसे कि संबंधित लेखा मानकों के अंतर्गत परिभाषित है) हो, बांड खरीदेगा, ना ही बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बांडों की खरीद के लिए निधियां उपलब्ध करायेगा. बैंक उसके द्वारा जारी बांडों की प्रतिभूति पर अग्रिम भी स्वीकृत नहीं करेगा. 4. इसके अतिरिक्त जारीकर्ता इस प्रकटन दस्तावेज में लिखित सभी क्रियाकलाप करेगा, चाहे वह अनिवार्य हो या अन्यथा हो.
अतिरिक्त परिसंविदाएं	सूचीबद्ध होने में विलंब : जारीकर्ता आवंटन की मानी गई तारीख से 15 दिन के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी करेगा और सूचीबद्ध करने की अनुमति मांगेगा. बांडों को सूचीबद्ध करने में आवंटन की मानी गई तारीख से 20 दिन से अधिक का विलंब होने पर, जारीकर्ता आवंटन की मानी तारीख से 30 दिन की अवधि पूरे होने की तिथि से बांडों के सूचीबद्ध होने की तारीख तक बांडधारक/धारकों को कूपन दर से अधिक 1.00% दांडिक ब्याज भुगतान करेगा. सूचीबद्ध करने की अनुमति न मिलना : यदि आवंटन की मानी गई तारीख से 20 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो जारीकर्ता प्रकटन दस्तावेज के अनुसरण में आवेदकों से प्राप्त सभी धन राशियां, आवंटन की मानी गई तारीख से 20 दिन की अवधि समाप्त होने की तारीख से कूपन दर के अतिरिक्त 1.00% प्रतिवर्ष दांडिक ब्याज के साथ, वापस करेगा. यदि ऐसी धन राशियां जारीकर्ता द्वारा देय होने के बाद 8 दिन के अंदर (अर्थात अनुमति न मिलने की तारीख से या आवंटन की मानी गई तारीख से 20 दिन, जो भी पहले हो) भुगतान नहीं की जाती है, तो जारीकर्ता और जारीकर्ता संस्था का प्रत्येक निदेशक जो कि उसका एक चूककर्ता अधिकारी है, 8 दिन की अवधि समाप्त होने की तिथि से आवेदन धन पर 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ संयुक्त रूप में और एकल रूप में भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 73 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है.
प्रतिचूक	लागू नहीं
चूक का परिणाम	बैंक की ओर से बकाया बॉन्ड्स के आंशिक या पूर्ण भुगतान में हुई चूक (बकाया तिथियों पर ब्याज किश्त का भुगतान या मूलधन राशि के पुनर्भुगतान करने में) के संबंध में सिर्फ उपर्युक्त वर्णित ''PONV'' की स्थिति में या भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार या अन्य कोई संवैधानिक संस्था द्वारा निर्धारित नियामक आवश्यकताओं के कारण को छोडकर, निर्गम के उद्देश्य के लिए चूक के परिणाम को समझना होगा.
अन्य सामान्य शर्तें	

बेसल III प्रकटीकरण

पात्र निवेशक	1. म्युच्युअल फंड; 2. कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई परिभाषा के अनुसार सार्वजनिक वित्तीय संस्थान. 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक; 4. बीमा कंपनियां; 5. विदेशी संस्थागत निवेशक (सेबी/आर.बी.आई. के मानदंडों के अनुपालन के अधीन) 6. भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि, सेवानिवृत्ति निधियां और पेंशन निधि; 7. सहकारी बैंक; 8. बांडों और डिबेंचरों में निवेश के लिए प्राधिकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; 9. बांडों और डिबेंचरों में निवेश के लिए प्राधिकृत कार्पोरेट निकाय; 10. सीमित दायित्व भागीदारी 11. बांडों और डिबेंचरों में निवेश के लिए प्राधिकृत समितियां 12. बांडों और डिबेंचरों में निवेश के लिए प्राधिकृत न्यास; 13. केंद्रीय / राज्य विधान द्वारा स्थापित सांविधिक निगम / उपक्रम, जो बांडों / डिबेंचरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत है आदि. 14. भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं. एफ़.न. 2/3/2005-डीडीआईआई दिनांक 23 नवंबर 2005 के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय निवेश निधि. 15. भारतीय संघ की जल, थल एवं वायुसेना द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित बीमा निधि यह निर्गम केवल उपर्युक्त श्रेणी के निवेशकों तक सीमित है. संभावित निवेशकों को बॉन्डस खरीद हेतु अपनी पात्रता आर.बी.आई., सेबी, आई.आर.डी.ए., भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय इत्यादि या अन्य संबंधित नियामक संस्था द्वारा जारी मानदंडों/दिशा-निर्देश/पैरामीटर के आधार पर स्वतंत्र रूप से जांच करनी होगी और आर.बी.आई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत रहना होगा.
निवेशकों के अपात्र वर्ग	सशर्त विदेशी निवेशक, विदेशी नागरिक, भारत से बाहर रहनेवाले निवासी, जोखिम पूंजी निधियां, वैकल्पिक निवेश निधियां, विदेशी कार्पोरेट निकाय, भागीदारों के नाम पर भारत में लागू विधियों के अधीन गठित भागीदारी फर्म, कर्ता के माध्यम से हिंदू अविभाजित परिवार, लागू सांविधिक/ विनियामक अपेक्षाओं आदि के अधीन संविदा के लिए अपात्र व्यक्ति
शासी विधि तथा क्षेत्राधिकार	बांड भारत की विद्यमान विधियों द्वारा शासित होंगे और उनके अनुसार माने जाएंगे. इस संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद मुंबई, महाराष्ट्र के जिला न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे.
भारतीय रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देश	बांड का वर्तमान निर्गम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसेल III पूंजी विनिमयों के बारे में जारी मास्टर परिपत्र संख्या डी.बी.ओ.डी. सं.बी.पी.बी.सी. 1/21.06.201/ 2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसरण में है जिसमें टियर- I पूंजी के रुप में ऋण पूंजी लिखितों को शामिल करने (अनुबंध 5) और पूर्व निर्दिष्ट ट्रिगर पर अतिरिक्त टियर 1 लिखितों की हानि अवशोषकता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं तथा पी.ओ.एन.वी. पर समस्त गैर-ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों (अनुबंध 16) के संबंध में है.
खरीद/बाण्डों के वित्तपोषण पर प्रतिबंध	ना तो जारीकर्ता और ना ही कोई संबंधित पार्टी जिस पर जारीकर्ता का नियंत्रण हो या महत्वपूर्ण प्रभाव हो (जैसे कि संबंधित लेखा मानकों के अंतर्गत परिभाषित है) बॉण्ड खरीदेगा और ना ही जारीकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में बॉण्डों की खरीद के लिए वित्त प्रदान करेगा. जारीकर्ता उसके द्वारा जारी बॉण्डों को प्रतिभूति पर अग्रिम भी स्वीकृत नहीं करेगा.
कूपन के भुगतान न होने की रिपोर्टिंग	कूपन के भुगतान ना होने के सभी मामले बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के बैंकिंग परिचालन विभाग और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक को अधिसूचित किए जाने चाहिए.
न्यासी	मेसर्स. सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

बेसल III प्रकटीकरण

न्यासी की भूमिका और उत्तरदायित्व	न्यासी अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करेंगे बांडधारकों द्वारा न्यासियों में किए गए विश्वास के अनुसार अपने अधिकारों और विवेक का उपयोग और आचरण करेंगे और लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे, बशर्ते की भारतीय न्यासी अधिनियम, 1882 की धारा 20 के प्रावधान न्यासियों पर लागू नहीं हो. न्यासी अपने कर्तव्य और कार्यों का निष्पादन वैसे ही करेंगे जैसे कि उन्हें अपने दायित्वों का निर्वाहन सेबी ऋण विनियम, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम 1993, डिबेंचर न्यासिता करार, प्रकटन दस्तावेज तथा अन्य लेन-देन संबंधी दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक सावधानी सूझबूझ और निष्ठा के अनुसार करना है. न्यासियों को बांडधारकों के हितों की रक्षा के लिए अपेक्षित अधिकार दिए जाएंगे जिसमें बांडों के संस्थागत धारकों के परामर्श से जारीकर्ता के बोर्ड में नामिती निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार भी शामिल होगा लेकिन यह इसी तक सीमित नहीं रहेगा. न्यासी सभी घटनाओं का प्रकटन निरंतर रूप में सुनिश्चित करेंगे. जारीकर्ता बांडों के भुगतान तक, सेबी द्वारा उनके यथासंशोधित परिपत्र संख्या सेबी/ आई.एम.डी./ बांड/ 1/2009/11/05 दिनांक 11 मई, 2009 द्वारा जारी सरलीकृत सूचीबद्धता करार में लिखित समय सीमा के अंदर, न्यासियों को अपनी अद्यतन लेखा-परीक्षित/ सीमित समीक्षा अर्धवार्षिक समेकित (जहां कहीं उपलब्ध हो) तथा अलग अलग रूप में वित्तीय सूचना जैसे लाभ-हानि विवरण, तुलनपत्र तथा नकदी प्रवाह विवरण और लेखा-परीक्षकों की शर्तें, यदि कोई हों, प्रस्तुत करेंगे. इसके अतिरिक्त जारीकर्ता वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 180 दिन के अंदर, न्यासियों को अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे और न्यासी प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के विवरण 'योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीददारों (क्यू.आई.बी.) को उनके विशिष्ट अनुरोध पर 2 दिन के अंदर प्रस्तुत करेंगे.
डिपोजिटरी	राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.)
रजिस्ट्रार	मेसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
विनियामक दिशानिर्देश	प्रस्तावित मुद्दे की शर्तों का उद्देश्य आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप है. इसलिए, किसी भी संदेह / विसंगति के मामले में, लागू आरबीआई के दिशानिर्देश प्रचलित होंगे.
निजी स्थापन के आधार पर ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बही व्यवस्था	सेबी ने अपने परिपत्र सं. सी.आई.आर. / आई.एम.डी. / डी.एफ. 1/48/2016 को दिनांक 21 अप्रैल 2016 द्वारा ग्रीन शू विकल्प यदि कोई हो, को शामिल करते हुए, रु 500 करोड़ और उससे अधिक के निर्गम की मात्रा के साथ, प्राथमिक बाजार में सभी निजी स्थापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बही व्यवस्था को अनिवार्य बना दिया है, तथापि निम्नलिखित निर्गमकर्ता को या तो इलेक्ट्रॉनिक बही व्यवस्था या मौजूदा व्यवस्था का अनुपालन करने का विकल्प हैः - 1. एक एकल निवेशक के साथ निर्गम और जहां कूपन निर्धारित की गई है हालांकि हामीदारी के रूप में कार्य करने वाले व्यवस्थापकों को एकल निवेशक के रूप में विचार नहीं किया जाएगा. 2. निर्गम जिसमें निर्गम का आकार ग्रीन शू विकल्प यदि कोई हो, को शामिल कर रु. 500 करोड़ से कम हो यदि वर्तमान निर्गम रु. 500 करोड़ से कम है, तो इसे वर्तमान व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा.
भुगतान का प्रकार	आवेदन धन का प्रेषण निम्नलिखित माध्यम से किया जा सकता है नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जमा करने के लिए आर.टी.जी.एस. व्यवस्था के माध्यम से निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा किया जा सकता है :
	वसूलीकर्ता बैंकर : देना बैंक
	लाभार्थी खाता नाम : देना बैंक टियर II बांड श्रृंखला XIV
	लाभार्थी खाता संख्याः 111511024166
	आई.एफ.एस.सी. कोडः BKDN0401115
	बैंक शाखा का नाम और पता : पूंजी बाजार शाखा, देना बैंक बिल्डिंग 17, हार्निमन सर्कल, फोर्ट, मुंबई -400 023
	शीर्षक : आवेदन धन
निर्गम अनुसूची **:	
निर्गम खुलने की तिथि	20-09-2016
निर्गम बंद होने की तिथि	20-09-2016
जमा तिथि	20-09-2016
आवंटन की मानी गई तिथि	20-09-2016

* यथा लागू स्रोत पर कर कटौती के अधीन.

* * जारीकर्ता उपर्युक्त निर्गम अनुसूची में बिना कोई कारण बताएं / नोटिस दिए परिवर्तित (पहले/बाद में) करने का अपना पूर्ण एवं एकाधिकार सुरक्षित रखता है. इस प्रकार के मामले में, जारीकर्ता द्वारा निवेशकों को संशोधित समय अनुसूची की जानकारी दी जाएगी. जारीकर्ता बिना कोई नोटिस दिए आवंटन की मानी गई बहुल तारीख (तारीखें) रखने का अपना एकाधिकार एवं पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित रखता है. निर्गम की अंतिम तारीख / जमा करने की तिथि (पहले / बाद में) बदलने के मामले में, जारीकर्ता द्वारा आवंटन की मानी गई तिथि (पहले / बाद में) को बदलने का अपना एकाधिकार एवं पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित रखता है. आवंटन की मानी गई तिथि में बदलाव के फलस्वरुप, कूपन भुगतान की तिथि को जारीकर्ता द्वारा उसके एकाधिकार एवं पूर्ण विवेकाधिकार से बदला भी जा सकता है.

बेमीयादी सीरीज – II

शर्त पत्र सार

बेसल III प्रकटीकरण

जारीकर्ता	देना बैंक
निर्गम का साइज	हामीदारी विकल्प के साथ ₹ 125 करोड़
निर्गम उद्देश्य	मुद्रा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने और बैंक के लंबी अवधि के संसाधनों को बढाने के लिए टियर I संवर्धन पूंजी.
लिखत	वचन-पत्र(बांड) के रूप में अप्रत्याभूत गैर-परिवर्तनीय बेमीयादी बांड(प्रवर्तन बेमीयादी ऋण लिखत) (सीरीज II)
नामावली	देना बैंक बेमीयादी बाण्ड सीरीज
प्रचालन/ सौदा	बेकागजीकृत रूप में
क्रेडिट रेटिंग	केअर द्वारा केअर 'ए' और क्रिसिल द्वारा 'ए स्टेबल'
प्रतिभूति	अप्रत्याभूत
अंकित मूल्य	₹ 10,00,000/- प्रति बाण्ड
निर्गम कीमत	सम मूल्य पर (₹ 10,00,000/- प्रति बाण्ड)
मोचन मूल्य	बेमीयादी - लागू नहीं
न्यूनतम अभिदान	1बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	बेमीयादी
विक्रय विकल्प	कोई नहीं
क्रय विकल्प	#आवंटन की मानी तारीख से 10 वर्ष के अंत में सममूल्य पर और उसके बाद प्रत्येक वार्षिकी की तारीख पर (भा.रि.बैं. से पूर्व अनुमोदन के अधीन)
मोचन/ परिपक्वता	बेमीयादी
मोचन तारीख	बेमीयादी - लागू नही
क्रय विकल्प देय तारीख	मई 28, 2019 और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वार्षिकी तारीख पर (भा.रि.बैं. से पूर्व अनुमोदन के अधीन)
कूपन / ब्याज दर	*पहले 10 वर्षों के लिए 9.00% प्र.व. और उसके बाद आवंटन की मानी गई तारीख से 10 वर्ष के अंत पर यदि देना बैंक द्वारा क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया हो तो 9.50% प्र.व. की कूपन वर्धक दर पर आवंटन की मानी तारीख पूरे होने के 10 वर्ष बाद क्रय विकल्प के संयोजन के साथ बांड की पूरी अवधि के दौरान कूपनवर्धक विकल्प केवल एक बार उपलब्ध होगा. वर्धन 50 बेसिस पॉइंट होगा.
देय ब्याज	वार्षिक (भा.रि.बैं. के शर्तों के अधीन)
देय ब्याज दिनांक	प्रत्येक वर्ष अप्रैल 01 को (भा.रि.बैं. के शर्तों के अधीन)
अवरूद्धता अवधि खंड	बांड अवरूद्धता अवधि खंड की शर्तों के अधीन होंगे जिससे बैंक ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि (i) भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक आवश्यकताओं से नीचे यदि बैंक का सी.आर.ए.आर. है या (ii) इस प्रकार के भुगतान के प्रभाव के परिणाम स्वरूप बैंक की पूंजी जोखिम आस्तियां अनुपात (सी.आर.ए.आर.) भा.रि.बैं द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक आवश्यकताओं से नीचे गिर जाता है या नीचे रहता है. तथापि, यदि इस प्रकार के भुगतान के प्रभाव का परिणाम हानि या सकल हानि में बढोतरी के रूप में हो, परंतु सी.आर.ए.आर. विनियामक शर्तों से उँचा रहता है तो बैंक भा.रि.बैं. के पूर्व अनुमति से ब्याज का भुगतान कर सकता है. इसके अलावा अदत्त ब्याज संचयी नहीं होगी.
सूचीबद्धता	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.एस.ई.) के संवर्ग थोक ऋण बाजार (डब्ल्यु.डी.एम.) में शेयरों की प्रस्तावित सूचीबद्धता.
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
निक्षेपागार	नेशनल सिक्युरिटिज डिपोजिटरी लि. और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि.
रजिस्ट्रार	शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि.
निर्गम का बैंकर	देना बैंक, कॅपिटल मार्केट शाखा, मुंबई
आवेदन धन पर ब्याज	चेक (चेकों)/ मांग ड्राफ्ट (मांग ड्राफ्टों) आर.टी.जी.एस. द्वारा वसूली की तारीख से आवंटन की मानी तारीख को छोड़कर, उस तक से पहले 10 वर्षो पर कूपन दर अर्थात 9.00% प्र.व. लागू. आवंटन की मानी तारीख से दो कार्य दिवसों के अंदर इसको चुकता किया जाए..
निपटान	ब्याज का भुगतान और मूल धन का पुनर्भुगतान (केवल क्रय विकल्प के प्रकरण में) चेक (चेकों)/ब्याज/ मोचन वारंट (वारंटों)/ मांग ड्राफ्ट (ड्राफ्टों)/आर.टी.जी.एस./ ई.सी.एस. प्रणाली द्वारा जमा किया जाएगा
अभिदान का ढंग	आर.टी.जी.एस./ ई.सी.एस. प्रणाली के जरिए, चेक (चेकों)/ मांग ड्राफ्ट (ड्राफ्टों) को 'देना बैंक खाता - आई.पी.डी.आई इश्यू' के पक्ष में आहरित किए जाए और 'केवल अदाता के खाते में' की क्रॉसिंग के साथ जो प्रकटन दस्तावेज में अन्य स्थान पर अभिनिर्धारित केंद्रों पर सममूल्य पर देय या निधियों के अंतरण का इलेक्ट्रानिक तरीका आर.टी.जी.एस प्रणाली से 'देना बैंक' , खाता सं. '111511023752', शाखाः 'कैपिटल मार्केट ब्रांच' , आई.एफ.एस.सी. कोडः '**BKDNO**401115-' द्वारा किया जायेगा
को निर्गम शुरू^	मई 20, 2009 (बुधवार)

को निर्गम बंद ^	मई 26, 2009 (मंगलवार)
जमा तारीख ^	मई 20, 2009 से मई 26, 2009
आवंटन की मानी तारीख ^	मई 28, 2009 (गुरूवार)

#बैंक द्वारा क्रय विकल्प का प्रयोग किए जाने के मामले में बैंक द्वारा अपने इस अभिप्राय की अधिसूचना सार्वजनिक नोटिस के द्वारा मुंबई के कम से कम किसी एक अंग्रेजी के समाचार पत्र और एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र और/ या पंजीकृत डाक/ कूरियर द्वारा बांड के एकमात्र/ प्रथम लाभार्थी मालिक को देय तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले दी जाएगी.

*स्रोत पर आय की कटौति के अधीन है, यदि लागू हो.

^ बैंक निर्गम को शुरू करने/ बंद करने/ जमा तारीख (तारीखों) में बिना कोई कारण बताए/ नोटिस दिए परिवर्तित (पहले/ बाद में) करने का अपना पूर्ण एवं एकाधिकार सुरक्षित रखता है. इस प्रकार के प्रकरण में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय अनुसूची की जानकारी दी जाएगी. बैंक बिना कोई नोटिस दिए आवंटन की मानी गई बहुल तारीख (तारीखें) रखने का अपना एकाधिकार एवं पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित रखता है.

सारणी डीएफ 15: पारिश्रमिक के लिए अपेक्षित प्रकटन

पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/अन्य जोखिम उठाने वाले कार्यपालकों के पारश्रमिक की क्षतिपूर्ति के संबंध में जारी दिनांक 13 जनवरी, 2012 के परिपत्र सं.डी.बीओ.डी.सं.72/29.67.001/2011-12 में दिए गए दिशानिदेश,यह प्रकटन हमारी बैंक के लिए लागू नहीं है.

सारणी डीएफ -16: इक्विटी - बैंकिंग बही स्थिति हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटनः

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, खरीद की तिथि पर निवेश ''व्यापार हेतु धारित'' (एच.एफ.टी.), ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' (ए.एफ.एस.),''परिपक्वता तक धारित'' (एच.टी.एम.) श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं. निवेश, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक धारण करने की मंशा रखता है, एच.टी.एम. के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं. भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, एच.टी.एम. श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेश पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं.
- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, समनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों की इक्विटियों में निवेश को एच.टी.एम. श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण करना अपेक्षित है. ये कार्यनीतिक संबंध रखने या कार्यनीतिक कारोबार प्रयोजन के लिए कार्यनीतिक उद्देश्य के हेतु धारित किए जाते हैं.
- एच.टी.एम. श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश, उनके अधिग्रहण लागत पर लिए जाते हैं न कि बाजार भाव पर इक्विटी के मूल्य में अस्थायी के अतिरिक्त किसी ह्रास हेतु प्रावधान किए जाते हैं. एच.टी.एम. श्रेणी में निवेश की बिक्री पर किसी हानि को लाभ व हानि विवरणी में रखते हैं. एच.टी.एम. श्रेणी में निवेश की बिक्री पर किसी प्राप्ति को लाभ व हानि विवरणी में रखते हैं और भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, ''पूंजी आरक्षित'' में, करों और सांविधिक आरक्षित के निवल समायोजित किए जाते हैं.

भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए बैंकिंग बही (एच.टी.एम. श्रेणी) के अंतर्गत जोखिम पूंजी निधि (वी.सी.एफ.) की इकाईयों में निवेश धारण करने की अनुमति है और इस अवधि के लिए लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं.

मात्रात्मक प्रकटन

1. निवेशों का मूल्य

(रकम लाख ₹ में)

निवेश	शाखा के तुलन पत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्य (यदि उचित मूल्य से पर्याप्त रूप से भिन्न है)
उद्धृत	1626.86	1565.64	शून्य
गैर-उद्धृत	शून्य	शून्य	लागू नहीं

2. निवेशों के प्रकार और प्रकृति

(रकम लाख ₹ में)

निवेश	सार्वजनिक रूप से व्यापार	निजी धारण
समनुषंगी, उपक्रम सहयोगी और संयुक्त	शून्य	105.00
पी.एस.यू./कार्पोरेट के अन्य शेयर जो 02.09.2014 को एच.टी.एम. श्रेणी के अंतर्गत बैंक की बहियों में थे और भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, उसी प्रकार से रखे जा सकते हैं.	शून्य	0.00
जोखिम पूंजी निधियाँ	शून्य	1521.86

बेसल III प्रकटीकरण

1. अभिलाभ/हानि विवरण

(रकम लाख ₹ में)

विवरण	रकम
संचयी प्राप्त अभिलाभ (रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री एवं परिसमापन से हुई हानि).	शून्य
कुल अप्राप्त अभिलाभ (हानियाँ)	शून्य
कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन अभिलाभ (हानियाँ)	शून्य
उक्त में से कोई रकम टीयर I और टीयर II पूंजी में शामिल	शून्य

सारणी डीएफ –17 : लेखांकन आस्तियों और लीवरेज अनुपात प्रकटन मानदंड का तुलना सार

	मद	(₹ करोड़ में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	120859.80
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक इकाईयों में निवेशों हेतु समायोजन जो कि लेखा प्रयोजनों हेतु समेकित किए जाते हैं लेकिन विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं	(19.33)
3	सक्रिय लेखांकन ढांचा के अनुसार तुलन पत्र में स्वीकृत लेकिन लीवरेज अनुपात प्रकटन मानदंडों में शामिल नहीं प्रत्ययी आस्तियों हेतु समायोजन	-
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों हेतु समायोजन	648.00
5	प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेनों (अर्थात रिपो और समान प्रतिभूत ऋण) हेतु समायोजन	-
6	तुलन पत्रेत्तर मदें (अर्थात तुलन पत्रेत्तर प्रकटन की समान रकम का साख में संपरिवर्तन) हेतु समायोजन	12535.37
7	अन्य समायोजन	(8041.41)
8	लीवरेज अनुपात प्रकटन	125982.43

सारणी डीएफ –18 : लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन मानदंड टेम्पलेट

लीवरेज अनुपात रुपरेखा

	मद	
	तुलन पत्र का एक्सपोजर	
1	तुलन पत्र की मदें (व्युत्पन्नों और एस.एफ.टी. को छोड़कर परन्तु संपार्शिवक को शामिल करते हुए)	120907.82
2	(बासेल III टीयर 1 के निर्धारण में घटाई गई आस्ति रकम)	(4099.24)
3	कुल तुलन पत्र का एक्सपोजर (व्युत्पन्नों और एस.एफ.टी. को छोड़कर) (लाईन 1 और 2 का जोड़)	116808.58
	व्युत्पन्न एक्सपोजर	
4	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी विचलन सीमांत का निवल)	144.00
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबद्ध पी.एफ.ई हेतु वर्धित रकम	504.00
6	व्युत्पन्न संपार्शिवक हेतु सकल करना बशर्ते सक्रिय लेखांकन रूपरेखा के अनुसार सेट के रूप में तुलन पत्र से जहां घटाई गई हो	0.00
7	(व्युत्पन्न लेनदेनों में प्रदान की गई नकदी विचलन सीमांत हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौतियां)	0.00
8	(क्लाइंट क्लीयर्ड व्यापार एक्सपोजर का छूट-प्राप्त सी.सी.पी. लेग)	0.00
9	लिखित साख व्युत्पन्नों का समायोजित प्रभावी आनुमानिक रकम	0.00
10	(लिखित साख व्युत्पन्नों का समायोजित प्रभावी आनुमानिक आफ सेट और वर्धित कटौतियां)	0.00
11	कुल व्युत्पन्न एक्सपोजर (लाईन 4 से 10 का जोड)	648.00

	प्रतिभूतियां वित्तीयन लेनदेन एक्सपोजर	
12	विक्रय लेखा लेनदेनों हेतु समायोजन पश्चात सकल एस.एफ.टी. आस्तियां (निवल करने की आवश्यकता नहीं),	0.00
13	(सकल एस.एफ.टी. आस्तियों की देय नकदी और प्राप्य नकदी का निवल रकम)	0.00
14	एस.एफ.टी. आस्तियों हेतु सी.सी.आर. एक्सपोजर	0.00
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	0.00
16	कुल प्रतिभूतियां वित्तीयन लेनदेन एक्सपोजर (लाईन 12 से 15 का जोड़)	0.00
	अन्य तुलन पत्रेत्तर एक्सपोजर	
17	सकल आनुमानिक रकम पर तुलन पत्रेत्तर एक्सपोजर	21061.22
18	(साख तुल्य रकम के रुपांतरण हेतु समायोजन)	-12535.37
19	तुलन पत्रेत्तर मदें (लाईन 17 से 18 का जोड़)	8525.85

बेसल III प्रकटीकरण

पूंजी और कुल एक्सपोजर		
20	टीयर 1 पूंजी	6425.56
21	कुल एक्सपोजर (लाईन 3, 11, 16 और 19 का जोड़)	125982.43
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	5.10%

सारणी डी.एफ.–13: विनियामकपूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताए									
		इक्विटी	निम्न टियर II बॉण्ड				टियर II बॉण्ड		टियर I
31 मार्च, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंककी अपेक्षानुसार पूंजी की संरचना पर पिलर 3 केअंतर्गत प्रकटीकरण			श्रेणी IX	श्रेणी X	श्रेणी XI	श्रेणी XII	श्रेणी XIII	श्रेणी XIV	बेमीयादी श्रेणी I
		1	2	3	4	5	6	7	8
विनियामकपूंजी लिखतों केप्रमुख विशेषताओं का सांचागत प्रकटन									
1	जारीकर्ता	देना बैंक	देना बैंक	देना बैंक	देना बैंक	देना बैंक	देना बैंक	देना बैंक	देना बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदाः– सी.यू. एस.आई.पी., आई.एस.आई.एन., अथवा निजी नियुक्तियों केलिए ब्लूबर्ग पहचानकर्ता	INE077A01010	INE077A09062	INE077A09070	INE077A09088	INE077A09104	INE077A08064	INE077A08098	INE077A09054
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम विनियामक ट्रीटमेंट	--	--	--	--	--	--	--	--
4	संक्रमणकालिकबेसल III नियम	टियर I	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II	टियर I
5	उत्तर संक्रमण कालिकबेसल III नियम	सी.ई.टी ख	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	ए.टी. 1
6	एकल/ समूह/ समूह एवं एकल स्तर पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	सामान्य शेयर	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	बेमीयादी ऋण लिखत
8	विनियामकपूंजी में शामिल की गई राशि (रु करोड़ में, अद्यतन रिपोर्ट की गई तिथि केअनुसार)	2259.05	0	0	0	0	780.00	400.00	0
9	लिखत का सममूल्य	2259.05	106.00	300.00	200.00	850.00	780.00	400.00	125.00
10	लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारकों की इक्विटि	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने की मूल तिथि	05.12.1996	25.03.2008	30.09.2008	29.01.2009	25.06.2012	26.02.2014	20.09.2016	28.05.2009
12	सतत अथवा दिनांकित	बेमीयादी	24.05.2018	30.04.2019	29.01.2019	25.06.2027	26.02.2024	20.09.2026	बेमीयादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	परिपक्वता नहीं	24.05.2018	30.04.2019	29.01.2019	25.06.2027	26.02.2014	20.09.2026	बेमीयादी
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन केअधीन जारीकर्ता कॉल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां
15	वैकल्पिककॉल दिनांक, आकस्मिककॉल दिनांकएवं मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	* 25.06.2022	लागू नहीं	लागू नहीं	***28.05.2019
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो लाभांश / कूपन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17	स्थायी अथवा अस्थायी लाभांश / कूपन	अस्थाई	स्थाई	स्थाई	स्थाई	स्थाई	स्थाई	स्थाई	स्थाई
18	कूपन दर और कोई अन्य संबंध	लागू नहीं	9.25%	11.20%	9.50%	9.23%	9.86%	8.76%	9.00%
19	लाभांश रोधकका अस्तित्व	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	भुनाने केलिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां
22	गैर- संचयी अथवा संचयी	गैर- संचयी	गैर- संचयी	गैर- संचयी	गैर- संचयी	गैर- संचयी	गैर- संचयी	गैर- संचयी	गैर- संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तन है तो, परिवर्तन अनिवार्य अथवा वैकल्पिकपरिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तन है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां	लागू नहीं
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	भा.रि.बैं. के दिशानिदेशों के अनुसार	हां,लिखत की शर्तों एवं निबंधन के अनुसार	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पूर्ण	पूर्ण	लागू नहीं

33	यदि अवलिखित है तो, स्थाई अथवा अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	स्थाई	स्थाई	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन है तो, राईट अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	8 । 9	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7
36	गैर- कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
37	यदि हां, गैर- कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
*	लिखत के 10 वर्ष के उपरोक्त भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन सहित								
* *	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से आवंटन मानी गयी दिनांक से 10 वर्ष के अंत में, यदि बैंक द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया गया हो तो, कूपन को मोचन तक इसके बाद 50 बेसिस पोइन्ट वर्धित किया जाएगा.								

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के माननीय राष्ट्रपति / देना बैंक के सदस्यों

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1 हमने देना बैंक (बैंक) के 31 मार्च, 2018 के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की, जिसमें समाविष्ट हैं 31 मार्च, 2018 का तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, लेखों की टिप्पणियां एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश. इन विवरणों में शामिल है हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं तथा शाखा के सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा लेखा परीक्षित 758 शाखाओं के विवरण. हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है. तुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा में उन 1094 (72 सैटेलाईट शाखाओं सहित) शाखाओं की विवरणियां भी शामिल हैं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है. गैर लेखा परीक्षित शाखाओं के अग्रिम कुल अग्रिमों के 11.67%, जमाराशियों के 37.87%, ब्याजगत आय कुल ब्याजगत आय के 12.21% और ब्याजगत व्यय कुल ब्याजगत व्यय के 37.03% होते हैं.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की उत्तरदायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक के समय - समय पर जारी दिशानिदेशों और भारत में स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार निर्धारित वित्तीय विवरणों को, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और बैंक के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें, तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. इस जिम्मेदारी में शामिल है रुपरेखा बनाना, लागू करना तथा आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था, जो वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में हैं विषय संबंधी किसी गलत व्याख्या जो कि गलती या धोखाधड़ी के कारण हो, से मुक्त होना चाहिए.

लेखा परीक्षकों की उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व अपने किए गए लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी व्याख्या प्रकट करना है. हमें अपना लेखा परीक्षण इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेन्ट ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार करना है. उन मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं को पूरा करें एवं योजना बनाएं तथा वित्तीय विवरण विषय संबंधी गलत व्याख्या से मुक्त है, इस तरह का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा को संपन्न करें.

4. लेखा परीक्षा में निहित है कि वित्तीय विवरणों में बताई जाने वाली राशि या प्रकटीकरण के संबंध में लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को पूर्ण करें. प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित है जिसमें शामिल है विषयगत जोखिम का निर्धारण एवं वित्तीय विवरणों के संबंध में गलत व्याख्या, चाहे वह धोखाधडी या गलती से हो. इन जोखिमों का निर्धारण करने में बैंक की तैयारी के संबंध में लेखा परीक्षक को आंतरिक नियंत्रण पर विचार करना होगा और वित्तीय विवरणों की साफ-सुथरी प्रस्तुति के लिए उसे लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं की रुपरेखा बनानी होगी, जो उपलब्ध परिस्थितियों के अनुसार युक्तियुक्त हो. लेखा परीक्षा में शामिल है प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों का आकलन करना एवं लेखांकन नीतियों के युक्तियुक्त करण का मूल्यांकन करना. साथ ही समग्र रुप में वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना.

5. हमें विश्वास है कि प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

मत

6. हमारी राय में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार और हमारी सर्वोत्तम सूचना के आधार पर तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

क. टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र अपने आवश्यक ब्यौरों के साथ पूर्ण और सही हैं तथा इसे ऐसे उचित रुप से तैयार किया गया है कि उससे 31 मार्च 2018 को बैंक के कार्यकलापों का सही और स्पष्ट चित्र उपस्थित हो सके और भारत में सामान्य रुप में स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुसरण में है.

ख. टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा लाभ के वास्तविक अतिशेष को दर्शाता है जो खाते के समाप्त वर्ष के लिए, भारत में सामान्य रुप में स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुसार है; और

ग. नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह की वास्तविक स्थिति दर्शाता है.

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

7. तुलन-पत्र और लाभ व हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं;

ऊपर पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित और उसमें यथा प्रकटन की सीमाओं की अपेक्षा के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु हमने सभी आवश्यक सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख. बैंक के लेनदेन, जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं.

ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्यात्त पाए गए.

8. आगे हम यह सूचित करते हैं कि:

क. इस रिपोर्ट में जांचे गए तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, खाता-बहियों और विवरणों के साथ करार हैं.

ख. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमे अग्रेषित की गई थी और इस रिपोर्ट को बनाते समय इस रिपोर्ट की ठीक से जांच की गई;

ग. हमारे विचार में, तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं.

कृते, रमेश सी. अग्रवाल एण्ड कंपनी	**कृते, ए.बी.पी. एण्ड एसोसिएट**	**कृते, कैलाश चंद जैन एण्ड कं.**	**कृते, सारदा एण्ड पारीक**
सनदी लेखाकार	**सनदी लेखाकार**	**सनदी लेखाकार**	**सनदी लेखाकार**
(आर. सी. अग्रवाल)	**(प्रभात कुमार पांडा)**	**(संदीप के. जैन)**	**(निरंजन जोशी)**
भागीदार	**भागीदार**	**भागीदार**	**भागीदार**
एम. सं 070229	**एम. सं 057140**	**एम. सं 110713**	**एम. सं 102789**
एफ.आर.एन. 001770C	**एफ.आर.एन. 315104E**	**एफ.आर.एन. 112318W**	**एफ.आर.एन. 109262W**

स्थान : मुंबई

दिनांक : 11.05.2018

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

	अनुसूची	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार रु. '000' में	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार रु. '000' में
पूंजी और देयताएं			
पूंजी	1	22,590,463	7,871,499
आरक्षितियां और अधिशेष	2	69,437,548	68,979,899
जमाराशियां	3	1,061,301,424	1,139,427,674
उधार	4	35,610,000	50,608,767
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	5	19,658,527	28,417,307
कुल		**1,208,597,962**	**1,295,305,146**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6	58,947,354	60,108,622
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	627,257	2,534,691
निवेश	8	376,095,544	397,372,257
अग्रिम	9	655,815,144	725,746,161
स्थिर आस्तियां	10	15,573,355	15,770,062
अन्य आस्तियां	11	101,539,308	93,773,353
कुल		**1,208,597,962**	**1,295,305,146**
आकस्मिक देयताएं	12	516,300,358	430,288,143
संग्रहण के लिए बिल		25,953,406	26,790,737
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखा भाग के रुप में टिप्पणियां	18		

उपर्युक्त फॉर्म में उल्लिखित अनुसूचियां तुलन-पत्र की अभिन्न अंग हैं.

रमेश एस. सिंह
कार्यपालक निदेशक

डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार सिंह
निदेशक

एस.सी. मुरमु
निदेशक

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

अमित चटर्जी
निदेशक

डॉ यशोवर्धन वर्मा
निदेशक

राकेश कुमार
निदेशक

ए. भद्रा
सहा. महा प्रबंधक

पंकज मित्तल
उप महा प्रबंधक

उषा रवि
महा प्रबंधक

कृते, रमेश सी. अग्रवाल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(आर. सी. अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं 070229
एफ.आर.एन. 001770C

कृते, ए.बी.पी. एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
एम. सं 057140
एफ.आर.एन. 315104E

कृते, कैलाश चंद जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(संदीप के. जैन)
भागीदार
एम. सं 110713
एफ.आर.एन. 112318W

कृते, सारदा एण्ड पारीक
सनदी लेखाकार

(निरंजन जोशी)
भागीदार
एम. सं 102789
एफ.आर.एन. 109262W

स्थान : मुंबई
दिनांक : 11.05.2018

लाभ एंव हानि लेखा

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एंव हानि लेखा

		अनुसूची	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए रु .'000' में	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए रु. '000' में
I	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	89,322,247	101,816,729
	अन्य आय	14	11,635,209	12,513,985
	कुल		**100,957,456**	**114,330,714**
II	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	64,564,120	77,733,129
	परिचालन व्यय	16	24,681,767	22,695,453
	उपबंध एवं आकस्मिकताएं		30,943,101	22,538,380
	कुल		**120,188,988**	**122,966,962**
III	**लाभ / हानि**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ		(19,231,532)	(8,636,248)
	आगे लाया गया निवल लाभ / हानि		0	0
	कुल		**(19,231,532)**	**(8,636,248)**
IV	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण		0	0
	विशेष आधारभूत आरक्षितियों में अंतरण		0	0
	पूंजीगत आरक्षितियों में अंतरण		0	0
	राजस्व आरक्षितियों में अंतरण		0	0
	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)		0	0
	तुलनपत्र पर ले जाया गया शेष		(19,231,532)	(8,636,248)
	कुल		**(19,231,532)**	**(8,636,248)**
	प्रति शेयर अर्जन (₹) (मूल) (प्रति शेयर का अंकित मूल्य ₹ 10/-)		(18.06)	(11.89)
	प्रति शेयर अर्जन (₹) (कम किया हुआ) (प्रति शेयर का अंकित मूल्य ₹ 10/-)		(18.06)	(11.88)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
	लेखा भाग के रुप में नोट	18		
	उपर दी गई अनुसूचियां लाभ एवं हानि लेखा के अनिवार्य अंग हैं			

रमेश एस. सिंह
कार्यपालक निदेशक

डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार सिंह
निदेशक

एस.सी. मुरमु
निदेशक

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

अमित चटर्जी
निदेशक

डॉ यशोवर्धन वर्मा
निदेशक

राकेश कुमार
निदेशक

ए. भद्रा
सहा. महा प्रबंधक

पंकज मित्तल
उप महा प्रबंधक

उषा रवि
महा प्रबंधक

कृते, रमेश सी. अग्रवाल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(आर. सी. अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं 070229
एफ.आर.एन. 001770C

कृते, ए.बी.पी. एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
एम. सं 057140
एफ.आर.एन. 315104E

कृते, कैलाश चंद जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(संदीप के. जैन)
भागीदार
एम. सं 110713
एफ.आर.एन. 112318W

कृते, सारदा एण्ड पारीक
सनदी लेखाकार
(निरंजन जोशी)
भागीदार
एम. सं 102789
एफ.आर.एन. 109262W

स्थान : मुंबई
दिनांक : 11.05.2018

31 मार्च, 2018 के तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

			31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची - 1 पूंजी				
प्राधिकृत				
	प्रत्येक ₹ 10/-के मूल्य वाले 300,00,00,000 शेयर		30,000,000	30,000,000
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी			22,590,463	7,871,499
	प्रत्येक ₹ 10/- के मूल्य वाले 78,71,49,884 (पिछले वर्ष)ईक्विटी शेयरों की कुल चुकता पूंजी जिसमें से 182,40,31,844 (पिछले वर्ष 53,96,26,896) शेयर भारत सरकार के स्वामित्व में हैं			
		कुल	**22,590,463**	**7,871,499**
अनुसूची - 2 आरक्षितियां और अधिशेष				
I	**सांविधिक आरक्षितियां**			
	अथशेष		16,569,006	16,569,006
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		0	0
		कुल - I	**16,569,006**	**16,569,006**
II	**पूंजी आरक्षितियां**			
	अथशेष		1,307,266	1,307,266
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	0
		कुल - II	**1,307,266**	**1,307,266**
III	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां**			
	अथशेष		10,984,695	9,295,099
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		0	1,689,596
	वर्ष के दौरान कटौतियां		(54,484)	0
		कुल - III	**10,930,211**	**10,984,695**
IV	**शेयर प्रीमियम**			
	अथशेष		25,697,770	22,439,927
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		27,666,957	3,257,843
		कुल - IV	**53,364,727**	**25,697,770**
V	**राजस्व आरक्षितियां**			
	अथशेष		20,932,007	20,932,007
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां		0	0
		कुल - V	**20,932,007**	**20,932,007**
VI	**विशेष आधारभूत आरक्षितियां**			
	अथशेष		3,555,300	3,555,300
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां		0	0
		कुल - VI	**3,555,300**	**3,555,300**
VII	**लाभ एंव हानि खाते**			
	अथशेष		(17,989,437)	(9,353,189)
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		(19,231,532)	(8,636,248)
	वर्ष के दौरान कटौतियां		0	0
		कुल - VII	**(37,220,969)**	**(17,989,437)**
VIII	आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि		0	7,923,292
		कुल - VIII	0	7,923,292
		कुल (I + II + III + IV + V +VI+VII+VIII)	**69,437,548**	**68,979,899**

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार रु. '000' में	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार रु. '000' में
अनुसूची – 3 जमा			
अ I मांग जमा			
i. बैंकों से		900,879	3,605,364
ii. अन्य से		60,135,294	69,834,776
II बचत बैंक जमा		364,714,880	362,385,978
III सावधि जमा			
i. बैंकों से		37,926,999	19,456,785
ii. अन्य से		597,623,372	684,144,771
	कुल	**1,061,301,424**	**1,139,427,674**
ब I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		1,061,301,424	1,139,427,674
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		0	0
	कुल	**1,061,301,424**	**1,139,427,674**
अनुसूची – 4 उधार			
I भारत में उधार			
i. भारतीय रिज़र्व बैंक		8,000,000	2,750,000
ii. अन्य बैंक		0	0
iii. अन्य संस्थाएं औरअभिकरण		0	4,998,767
iv. बांड			
क) नवोन्मेशी स्थायी ऋणलिखत (आई.पी.डी.आई.)		1,250,000	2,500,000
ख) बेसल III के अनुसार ए.टी. – 1 बांड		0	14,000,000
ग) अपर टियर II बांड		0	0
घ) अप्रतिभूत गौण ऋण		14,560,000	14,560,000
ड) बेसल III के अनुसार टियर II बांड		11,800,000	11,800,000
II भारत के बाहर से उधार		0	0
	कुल	35,610,000	50,608,767
अनुसूची – 5 अन्यदेयताएं और प्रावधान			
I देय बिल		3,809,066	5,010,637
II अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)		0	5,182,328
III देय ब्याज		3,992,856	4,921,078
IV मानक आस्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान		4,752,805	6,339,252
V अन्य (प्रावधान सहित)		7,103,800	6,964,012
	कुल	19,658,527	28,417,307
अनुसूची – 6 भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और अतिशेष			
I हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सहित)		4,822,794	6,244,078
II भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष			
I. चालू खाते में		46,124,560	47,364,544
II. अन्य खातों में (एल.ए.एफ. के तहत)		8,000,000	6,500,000
	कुल	58,947,354	60,108,622

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची – 7 बैंकों में अतिशेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार रु. '000' में	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार रु. '000' में
I भारत में		
I. बैंकों में अतिशेष		
क. चालू खातों में	366,357	459,491
ख. अन्य जमा खातों में	0	0
II. मांग और अल्पसूचना पर प्राप्य धन		
क.बैंकों के पास	0	0
ख.अन्य संस्थाओं के पास	0	0
कुल – I	**366,357**	**459,491**
II भारत के बाहर		
I. चालू खातों में	0	0
II. अन्य जमा खातों में	260,900	2,075,200
III. मांग और अल्प सूचना पर प्राप्यधन	0	0
कुल – II	**260,900**	**2,075,200**
कुल (I + II)	**627,257**	**2,534,691**

अनुसूची – 8 निवेश	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार	रु. '000' में	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार	रु. '000' में
I भारत में निम्न में निवेश				
i. सरकारी प्रतिभूतियां *		296,793,306		345,123,928
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		0		0
iii. शेयर		2,509,661		3,541,027
iv. डिबेंचर और बाण्ड		40,132,614		39,708,616
v. अनुषंगी और/अथवा सह उद्यम		193,319		193,319
vi. विशेष सरकार प्रतिभूति एचटीएम निवेश गैर एसएलआर		28,020,000		0
vii. अन्य				
क. उद्यम पूंजी	381753		426519	
ख. म्यूचुअल फंड की यूनिटें	0		30025	
ग. वाणिज्यिक पत्र	975543		327977	
घ. ए.आर.सी. की प्रतिभूति पावती पत्र	6294243		6016121	
ड़. जमा प्रमाणपत्र	747820		2004725	
च. पी.टी.सी.	47285		0	
छ. सी.बी.एल.ओ.	0	8,446,644	0	8,805,367
कुल – I		**376,095,544**		**397,372,257**
II भारत के बाहर निवेश		0		0
कुल (I + II)		376,095,544		397,372,257
सकल निवेश		**380,395,639**		**401,897,691**
घटाएं :अवक्षयण के लिए प्रावधान		(4,300,095)		(4,525,434)
निवल निवेश		**376,095,544**		**397,372,257**
*सीमांत रुप में रखें प्रतिभूतियों सहित		14,486,300		11,270,500

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार रु. '000' में	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार रु. '000' में
अनुसूची – 9 अग्रिम		
क. i. खरीदे और भुनाए गए बिल	8,687,851	8,510,333
ii. नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर भुगतान किए जाने वाले ऋण	256,138,122	339,425,454
iii. सावधि ऋण	390,989,171	377,810,374
कुल – क	**655,815,144**	**725,746,161**
प्रतिभूति वार अग्रिम		
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत बिही ऋणों के समक्ष अग्रिमों सहितें	585,792,945	641,320,461
ii. बैंक /सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	21,195,200	17,113,000
iii. अप्रतिभूत	48,826,999	67,312,700
कुल–ख	**655,815,144**	**725,746,161**
क्षेत्र वार अग्रिम		
ग. I. भारत में अग्रिम		
i. प्राथमिकता क्षेत्र	260,048,540	282,518,992
ii. सार्वजनिक क्षेत्र	68,520,830	74,446,497
iii. बैंकों को	5,986,649	2,227,100
iv. अन्य को	321,259,125	366,553,572
कुल – ग	**655,815,144**	**725,746,161**
II. भारत के बाहर अग्रिम	0	0
कुल – ग I + ग II	**655,815,144**	**725,746,161**
अनुसूची – 10 स्थिर आस्तियां		
क. मूर्तआस्तियां		
I. परिसर		
i. पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति केअनुसार लागत पर (पूर्व वर्षों में कतिपय परिसरों के पूनर्मूल्यांकन के कारण मूल्य में वृद्धि सहित)	13,916,599	13,843,900
ii. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्धन	0	0
iii. वर्ष के दौरान परिवर्धन	22,455	72,699
iv. वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
सकल ब्लाक	13,939,054	13,916,599
v. अद्यतन अवक्षयण	**(1,694,400)**	**(1,616,088)**
कुल – I	**12,244,654**	**12,300,511**

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार रु. '000' में	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार रु. '000' में
II. अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)		
i. पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	8,231,909	7,955,776
ii. वर्ष के दौरान परिवर्धन	555,420	436,893
iii. वर्ष के दौरान कटौतियां	(145,744)	(160,760)
सकल ब्लाक	8,641,585	8,231,909
iv. अद्यतन अवक्षयण	(5,569,709)	(4,926,845)
कुल – II	**3,071,876**	**3,305,064**
III कार्य प्रगति पर	81,579	24,726
कुल - क (I+II+III)	**15,398,109**	**15,630,301**
ख. अमूर्त आस्तियां		
I. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		
i. पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	888,760	878,884
ii. वर्ष के दौरान परिवर्धन	115,774	9,876
iii. वर्ष के दौरान कटौतियां		
iv कार्यान्वयन के अधीन सॉफ्टवेयर	11,669	0
v. अद्यतन परिशोधन	(840,957)	(748,999)
कुल -ख	**175,246**	**139,761**
कुल जोड़ (क+ख)	15,573,355	15,770,062
अनुसूची – 11 अन्य आस्तियां		
I. अंतर - कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	2,868,127	0
II. उपचित ब्याज	10,528,667	12,462,746
III. अग्रिम रुप में प्रदत्त कर/स्रोत पर कर कटौती (मेट पात्रता एवं शुद्ध प्रावधान सहित)	12,375,159	12,044,319
IV. आस्थगित कर आस्ति (शुद्ध)	29,755,210	17,199,210
V. लेखन सामग्री और स्टाम्प	42,165	39,836
VI. दावों के निपटान स्वरुप प्राप्तगैर-बैंकिंग आस्तियां	98,600	98,600
VII. आर.आई.डी.एफ./आर.एच.डी.एफ./एम.एस.एम.ई. पुर्नवित्तीयन/ एम.एस.एम.ई. (जोखिमपूंजी) निधि	38,597,676	40,717,154
VIII. अन्य	7,273,704	11,211,488
कुल	**101,539,308**	**93,773,353**
अनुसूची – 12 आकस्मिक देयताएं		
I. बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है	149,609,845	27,863,212
II. अंशत संदत्त शेयरों के कारण दायित्व	0	0
III. बकाया अग्रिम विनिमय संविदाओं के कारण दायित्व	259,466,531	297,560,842
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां		
क) भारत में	74,645,313	69,030,787
ख) भारत से बाहर	0	0
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	29,260,369	33,163,302
VI. अन्य ऐसी मदें जिनके लिए बैंक संमिश्रित रुप से उत्तरदायी है (डी.ई.ए.एफ.)	3,318,300	2,670,000
कुल	**516,300,358**	**430,288,143**
संग्रहण के लिए बिल	25,953,406	26,790,737
अनुसूची – 13 अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	58,329,110	69,687,859
II. निवेशों पर आय	26,818,964	29,060,905
III. भारतीय रिजर्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	1,019,055	370,547
IV. अन्य	3,155,118	2,697,418
कुल	**89,322,247**	**101,816,729**

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार रु. '000' में	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार रु. '000' में
अनुसूची – 14 अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	2,505,449	2,275,952
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि(शुद्ध)	4,228,365	6,319,714
III. भूमि एवं भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि (शुद्ध)	(6,046)	(3,841)
IV. विदेशी विनिमयलेन-देन पर लाभ (शुद्ध)	454,342	330,424
V. विदेशों/भारत में स्थित अनुषंगियों/कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रुप में अर्जित आय	19,237	37,914
VI. विविध आय	4,433,862	3,553,822
कुल	**11,635,209**	**12,513,985**
अनुसूची – 15 व्यय किया गया ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	59,555,504	72,130,419
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारों परब्याज	609,382	495,971
III. अन्य	4,399,234	5,106,739
कुल	**64,564,120**	**77,733,129**
अनुसूची – 16 परिचालनगत व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था	15,874,971	14,840,846
II. किराया, कर और बिजली	2,169,252	2,080,310
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	207,735	240,394
IV. विज्ञापन औरप्रचार	44,384	175,630
V. बैंक की संपत्ति पर अवक्षयण	797,210	31,317
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	9,956	14,375
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा के लेखा-परीक्षकों सहित)	119,997	140,323
VIII. विधि प्रभार	189,831	148,130
IX. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	398,960	339,158
X. मरम्मत और अनुरक्षण	471,397	337,912
XI. बीमा	1,153,521	1,279,203
XII. अन्य व्यय	3,244,553	3,067,855
कुल	**24,681,767**	**22,695,453**

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

17.1 लेखांकन का आधार

बैंक की लेखांकन विवरणियां, जब तक कहीं अन्यथा उल्लेख न हो, लेखांकन के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत संकल्पना के अंतर्गत तैयार की गई हैं और भारत में स्वीकृत मानक लेखांकन परंपराओं (जी.ए.ए.पी) के सभी भौतिक मानदंडों के अनुरुप हैं, जिसमें प्रभावी सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियंत्रक मानदंड / दिशानिदेश, लागू होने की सीमा तक, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई) द्वारा जारी लेखांकन मानक और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्य रुप में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं.

17.2 अनुमानों का उपयोग

जी.ए.ए.पी के अनुसार वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणियों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताएं सहित) की रकम तथा रिपोर्ट की अवधि के लिए सूचित आय और व्यय के लिए कुल आकलन और धारणा बनाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और संतुलित है.

17.3 निवेश

क. वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समस्त निवेशों को i) परिपक्वता तक धारित ii) विक्रय हेतु उपलब्ध और iii) व्यापार हेतु धारित में वर्गीकृत किया गया है तथा लेखों में उन्हें छ श्रेणियों में मूल्यहास प्रावधान के बाद निवल मूल्य पर प्रकट किया गया है.

ख. मूल्य-निर्धारण

निवेशों का मूल्य-निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित रुप में किया जाता हैः

आधार

'परिपक्वता तक धारित'

इस श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों को बहियों में उनकी अर्जन लागत पर आगे ले जाया गया है. यदि कोई प्रीमियम अर्जन पर अदा किया गया है तो वह सीधी रेखा पद्धति के प्रयोग से परिशोधित किया गया है.

'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'व्यापार के लिए धारित'

इन निवेशों को बाजार के लिए पहचान करके अलग रखा जाता है. प्रत्येक छ श्रेणियों के लिए मूल्यह्रास/परिवर्धन को मिला लिया गया है. प्रत्येक श्रेणी के लिए निवल मूल्यह्रास यदि कोई हो, का प्रावधान किया गया है, किन्तु निवल अधिमूल्यन को छोड़ दिया गया है.

ग. कार्यविधि

बैंक के सभी निवेशों का मूल्यांकन नियमित रुप में औसत लागत विधि से किया जाता है. निवेश के मामले में उचित प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों सहित को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज / या एम आई एम एम डी ए (फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट तथा डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया) की मूल्य सूची के अंतिम भाव दरों की मूल्य-सूची के आधार पर लिया गया है.

जहाँ बाजार भाव उपलब्ध न हो और गैर सूचित प्रतिभूतियों के मामले में मूल्य का निर्धारण एफ.आई.एम.एम.डी.ए.(नियत आय मुद्रा बाजार और भारतीय व्युत्पन्नी संघ) के साथ संयुक्त रुप से घोषित मूल्य/परिपक्वता आय पर तथा एआरसी /एससी की म्युचुअल फंड की यूनिटों/एसआर के निवल आस्ति मूल्य एवं कंपनियों के शेयरों के निवल बही मूल्य के आधार पर किया जाता है.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयर पूंजी जमाराशियों सहित निवेश और खजाना बिल, वाणिज्य पत्र, जमा प्रमाणपत्र, सी.बी.एल.ओ., ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि का मूल्यन चलित लागत पर किया गया है.

घ. आय निर्धारण एवं विवेकपूर्ण मानदंड

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर सभी निवेशों के आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण एवं निवेशों के प्रावधान के संबंध में तैयार किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन किया है.

निवेश लेन-देनों पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि के ब्याज आदि को लेने-देन के वर्ष में लाभ हानि लेखे में नामे / जमा किया गया है.

परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत निवेशों में से निवेशों की बिक्री से हुए लाभ को लाभ एवं हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है, जबकि बिक्री पर हानि को लाभ एवं हानि खाते में समाहित किया जाता है.

17.4 अग्रिम

क) बैंक ने आस्ति वर्गीकरण आय निर्धारण और अग्रिम के लिए प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों का अनुसरण किया है तथा तदनुसार सभी अग्रिमों को मानक, उपमानक, संदिग्ध एवं अशोध्य आस्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है.

ख) अग्रिम एन.पी.ए. खातों के लिए प्रावधान के साथ दर्शाए गए हैं. एन.पी.ए खातों के संबंध में पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में गिरावट के बदले में प्रावधान, एन.पी.ए. खातों के संबंध में विविध खाते में शेष, प्राप्त डी.आई.सी.जी.सी दावे/ ई.सी.जी.सी दावे और समायोजन होने तक अनिर्णित रखे गए, आंशिक भुगतान प्राप्त और उचंत खाते में रखा गया.

ग) मानक आस्तियों के लिए विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसरण में सामान्य प्रावधान किए गए हैं. मानक आस्तियों पर प्रावधान और एन.पी.ए खातों की बिक्री में अतिरिक्त प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची सं. 5 में 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान' में शामिल किए जाते हैं.

घ) एनपीए खातों में की गई वसूली सर्वप्रथम बकाया मूलधन में समायोजित की जाती है एवं अधिशेष राशि यदि कोई हो, तो उसे आय माना जाता है.

ङ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए.आर.सी.) / प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.) / बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / एन.बी.एफ.सी. को बेची गई वित्तीय संपत्तियों के मामलों में यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एन.बी.वी.) अर्थात् बही मूल्य-प्रावधान से कम है तो उसे लाभ एवं हानि खाते में डेबिट किया गया है. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो प्रावधान की अधिक राशि को प्रत्यावर्तित करने के बजाय उसका उपयोग आस्ति ए.आर.सी / एस.सी. / बैंकों / एफ. आई / एन.बी.एफ. सी को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों में होने वाली हानि की भरपाई हेतु किया जाएगा.

पुन-व्यवस्थापन में चूक के मामले में, एफ.आई.टी.एल. खातों में बकाया को एफ.आई.टी.एल. खाते में नामे डालने का प्रावधान है.

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

17.5 अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

क) स्थिर आस्तियों का उल्लेख, जहां भी पुनर्मूल्यांकित किया गया है, उसे छोड़कर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है.

ख) परिसर में कतिपय संपत्तियों से संबंधित भूमि की ऐसी लागत शामिल है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है.

ग) संबंधित आस्तियों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति के अंतर्गत अचल आस्तियों का मूल्यह्रास किया जाता हैं.

घ) आस्तियों पर अवशिष्ट मूल्य की कटौती के पश्चात अवक्षयी राशि पर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है. आस्तियों के प्रत्येक वर्ग की मूल लागत का 5% की दर पर अवशिष्ट मूल्य माना गया है.

ड़) वर्ष के दौरान अतिरिक्त/बिक्री/विलोपन की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास आस्तियों के उपयोग की अवधि के लिए अनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है.

च.) पट्टाधारित भूमि की लागत का परिशोधन, पट्टे की अवधि हेतु किया गया है.

छ) पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर लगाया गया अवक्षयण पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती लेखा पर प्रभारित किया गया है.

ज) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खर्चों को अमूर्त आस्तियां माना गया है तथा उन्हें पांच वर्षों में परिशोधित किया गया है, जिसे उन आस्तियों का उपयोगी आर्थिक जीवन माना जाता है.

झ) स्थिर आस्तियों में प्रगतिशील पूंजीगत कार्य भी शामिल है.

17.6 अपसामान्य आस्तियां :

स्थिर आस्तियों की यदि कोई अपसामान्य आस्तियां हो, लेखांकन मानक 28 –अपसामान्य आस्तियां, आईसीएआई द्वारा जारी निदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है और लाभ और हानि खाते को प्रभारित किया जाता है.

17.7 पट्टाधारिता लेखांकन

परिचालनगत पट्टा पर लिए गए आस्तियों के लिए पट्टे का भुगतान , पट्टे की अवधि के दौरान लेखांकन मानक 19 – पट्टा, आई.सी.ए.आई द्वारा जारी निदेशों के अनुसरण में लाभ और हानि खाते के हिसाब में लिया जाता है.

17.8 गैर–बैंकिंग आस्तियां

गैर–बैंकिंग आस्तियों का उल्लेख लागत पर किया जाता है.

17.9 राजस्व निर्धारण

i) साख पत्र / बैंक गारंटियों / सरकारी कारोबार/ बीमा पॉलिसियों / म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण पर कमीशन, लॉकर किराया, कर की वापसी पर ब्याज, लाभांश, म्युचुअल फंडों की इकाइयों पर आय, किराया आय तथा विभिन्न जमा खातों पर सेवा प्रभार को वसूली के आधार पर लिया जाता है .

ii) गैर निष्पादक ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज/ छूट और अग्रिमों / निवेश का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण दिशा निदेशों के अनुसार वसूली की सीमा तक किया जाता है.

iii) बट्टे खाते डाले गये अग्रिमों / निवेशों में हुई वसूली को विविध आय के रुप में लेखांकित किया जा रहा है.

17.10 व्यय का हिसाब

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 22 अगस्त 2008 के अनुसरण में, दिनांक 22.08.2008 को या उसके बाद परिपक्व और अदत्त सावधि जमा राशियों पर देय ब्याज का हिसाब बचत बैंक दर पर उपचय आधार पर दिया गया है.

(ii) शेयरों, बांडों आदि के निर्गम के व्यय को जिस वर्ष में व्यय किया गया उस वर्ष में हिसाब में लिया जाता है.

(iii) वाद दायर खातों के मामलों में विधिक व्ययों को लाभ एवं हानि लेखे में डाला जाता है.

(iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना (वी.आर.एस) पर खर्च रकम को भुगतान वाले वर्ष में शामिल किया जाता है.

17.11 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव

क) बकाया वादा विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों का मूल्यांकन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष के अंत में जारी दरों पर किया जाता है तथा इस प्रकार के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरुप होने वाले लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि लेखों में दर्शाया गया है.

ख) विदेशी मुद्रा गैर – मौद्रिक मदें जो ऐतिहासिक लागत के अनुसार लिए गए हैं, लेन देन की तारीख को विनिमय दर पर दर्शाई गई हैं.

ग) गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, परांकनों और विदेशी मुद्रा की अन्य बाध्यताओं को भी तुलन पत्र में दर्शाने हेतु वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा जारी दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है.

घ) आय एवं व्यय से संबंधित मदों को लेन–देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर निर्धारित किया गया है.

17.12 कर्मचारी लाभ

ग्रेच्युटी, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति होने पर देय अवकाश नकदीकरण तथा अन्य कर्मचारी सुविधाएं, आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी ए.एस 15आर. लेखा मानकों की अपेक्षा अनुसार बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि खाते को प्रभारित की जाती हैं.

17.13 आय पर कर

वर्तमान कर के लिए प्रावधान लागू कर कानून , न्यायिक घोषणाओं/ विधिक मतों तथा पूर्व निर्धारणों के आधार पर गणना की गई राशि पर लागू कर की दर का प्रयोग करते हुए किया गया है.

आस्थगित कर की पहचान एक अवधि में उत्पन्न कर से आय और लेखांकन आय के बीच के अंतर को दर्शानेवाली और एक या अधिक तदनन्तर अंतरालों में प्रतिगामी की क्षमता के आधार पर की जाती है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं की गणना अधिनियमित या तुलन पत्र तारीख तक अधिनियमित कर दरों और कर विधियों के प्रयोग से किया जाता है.

17.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

क. लेखांकन मानक 29– आई.सी.ए.आई द्वारा जारी प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के अनुसार, बैंक तभी प्रावधानों की पहचान करता है जब पूर्व किसी घटना के कारण उसे वर्तमान में कोई बाध्यता हो, यह संभावना हो सकती है कि संसाधनों के बर्हिगमन से बाध्यता का निपटान हो जाए और बाध्यता की रकम का विश्वस्त अनुमान लगाया जा सकता है.

ख. आकस्मिक देयताओं का प्रकटन ऐसे मामले में किया जाता है जब वर्तमान या भविष्य में बाध्यता है और यह संभावना नहीं है कि उसके निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े.

ग. आकस्मिक देयताओं को न ही हिसाब में लिया है और न ही उसका प्रकटन किया है.

अनुसूची - 18

लेखा भाग के रूप में टिप्पणियाँ

18.1 अंतर शाखा / अंतर बैंक लेन-देन के अंतर्गत प्रविष्टियों का समायोजन, नामिक खाता तथा पुरानी प्रविष्टियों की प्रक्रिया प्रगति पर है. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य बैंकों के साथ शेष का समायोजन किया गया है. कुछ मामलों में कुछ प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य बाकी है. उपर दी गई लंबित समयोजन की मदों का परिणामी प्रभाव निश्चेय नहीं है. तथापि, आर.बी.आई. दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके प्रतिकूल वहां प्रावधान किया गया है.

18.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, खातों में मानक आस्तियों पर निम्न अनुसार प्रावधान किए गए हैं :

i. कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्यम (एस.एम.ई.) क्षेत्र के प्रत्यक्ष अग्रिमों पर बकाया ऋण का 0.25%.

ii. वाणिज्यिक स्थायी संपदा (सी.आर.ई.) सेक्टर तथा ऐसे मामलों में जहां परिचालन की तारीख बढ़ाई गई है, बकाया राशि का 1.00%.

iii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा के अग्रिमों पर 0.75% - आवासीय गृह क्षेत्र.

iv. रियायती दरों पर बकाया आवास ऋण का 2.00%

v. अन्य सभी अग्रिमों (अर्थात उपर्युक्त 18.2 i, ii, iii, और iv को छोड़कर) में बकाया ऋण का 0.40%

vi. पुनर्गठन पैकेज के अनुसार अनुमत ऋण स्थगन में शामिल अवधि के लिए 5% और पुनर्गठित मानक खातों में उसके 2 वर्ष के बाद.

vii. आरबीआई निर्देश के अनुपालन में कुछ मानक आस्तियों पर उच्च प्रावधान 10% और 15% की दर से किया गया है.

viii. एम.एस.एम.ई. उधारकर्ताओं के लिए जी.एस.टी. का लाभ उठाने हेतु 5%

ix. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार एसडीआर खातों और पंजाब और तेलंगाना सरकार पर एफसीआई एक्सपोजर के समक्ष अतिरिक्त प्रावधान किया गया है

18.3 1022 गैर-लेखा परीक्षित शाखाओं के अग्रिमों के वर्गीकरण तथा उनके लिए किए गए प्रावधानों को शाखा प्रबंधकों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के अनुसार शामिल किया गया है.

18.4 वर्ष के दौरान, बैंक को 1923.15 करोड़ (गत वर्ष 863.62 करोड़) का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी अनुसूची 2 आरक्षित और अधिशेष के तहत लाभ और हानि खाता के लिए अगले लाभ से घाटा-पूर्ति की गई है. इसे देखते हुए, बैंक ने आरक्षित पूंजी सहित किसी भी आरक्षित के लिए कोई राशि विनियोजित नहीं की है.

18.5 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन इस प्रकार है:

क पूंजी :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान,

1) देना बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अध्याय IV के अनुसार भारत सरकार (जी.ओ.आई.) को अधिमानी आधार पर रु 26.99 प्रति शेयर (रु 16.99 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित) की कीमत पर प्रत्येक रु 10 के अंकित मूल्य वाले कुल रु 3045 करोड़ के 112,81,95,628 ईक्विटी शेयर जारी किए है.

2) बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यू.आई.पी.) के अंतर्गत रु 29.20 प्रति शेयर (रु 19.20 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित) की कीमत पर प्रत्येक रु 10 के अंकित मूल्य वाले कुल रु 401.26 करोड़ के 13,74,18,819 ईक्विटी शेयर जारी किए है.

3) बैंक को इक्विटी शेयरों के लंबित आवंटन से कुल रु 792.33 करोड़ की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई थी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिसकी तुलना में बैंक ने रु 38.41 प्रति शेयर की कीमत पर रु 10/- के अंकित मूल्य वाले (रु 28.41 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित), भारत सरकार के पत्र एफ.सं. 7/38/2014-बी.ओ.ए. दिनांक 4 अगस्त 2017 के द्वारा अनुमोदन की प्राप्ति के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सेबी (आई.सी.डी. आर.) विनियम, 2009 के अध्याय VII के अनुसार अधिमानी आधार पर, भारत सरकार को 15,62,09,320 इक्विटी शेयर, भारतीय जीवन बीमा निगम को 4,48,65,702 इक्विटी शेयर और भारतीय साधारण बीमा कंपनी को 52,06,977 इक्विटी शेयरों का आवंटन किया गया.

4) विनियामक क्रय विकल्प का प्रयोग करने के बाद आरक्षित, गौण, अपरिवर्तनीय बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टीयर I बॉन्डों के लिए बैंक ने कुल रु 1,400 करोड़ के उधार की चुकौती की है.

क्र सइऊ.	विवरण	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
		बेसल III	**बेसल II**	**बेसल III**	**बेसल II**
i	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	8.81	-	7.24	-
ii	टीयर 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	8.81	7.39	9.05	7.97
iii	टीयर 2 पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	2.28	4.31	2.34	4.10
iv	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) (%)	11.09	11.70	11.39	12.07
v	बैंक में भारत सरकार की शेयरधरिता प्रतिशत	80.74%	80.74%	68.55%	68.55%
vi	जुटाई गई ईक्विटी पूंजी की राशि (रु करोड़ में) प्रीमियम सहित	3,446.26	3446.26	1,199.33	1199.33
vii	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि जिसमें से				
	पी.एन.सी.पी.एस.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पी.डी.आई.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

viii	टीयर 2 पूंजी की जुटाई गई राशि जिसमें से ऋण पूंजी लिखत (₹ करोड़ में) अधिमान शेयर पूंजी लिखत : बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/ प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आर.एन..सी.पी.एस.) / प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	शून्य शून्य	शून्य शून्य	400 शून्य	400 शून्य

बैंक ने आरबीआई के परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी.83 / 21.06.201 / 2015-16 द्वारा यथा निर्धारित सीईटी 1 पूंजी के लिए पुनर्मूल्यन आरक्षित और आस्थगित कर आस्तियों पर विचार किया है.

ख निवेश

	विवरण	(रु. करोड़ में)	
1	निवेश का मूल्य	31.03.2018	31.03.2017
	(i) निवेश का सकल मूल्य		
	(क) भारत में	38,039.56	40,189.77
	(ख) भारत से बाहर	0.00	0.00
	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	(क) भारत में	430.01	452.54
	(ख) भारत से बाहर	0.00	0.00
	(iii) निवेश का निवल मूल्य		
	(क) भारत में	37,609.55	39,737.23
	(ख) भारत से बाहर	0.00	0.00
2.	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान में घट-बढ़		
	(i) अथ शेष	452.54	118.33
	(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	218.54	334.21
	(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाते	0.00	0.00
	(iv) घटाएं : एच.टी.एम. में अंतरित ए.एफ.एस./एच.एफ.टी. श्रेणी के तहत निवेश के अंकित मूल्य को कम कर के	226.32	0.00
	समायोजित मूल्यह्रास	14.75	0.00
	(v) घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन	430.01	452.54
	(vi) अंतिम शेष		

i. निवेश संविभाग की श्रेणीवार धारिता की स्थिति निम्न प्रकार हैं :

(रु. करोड़ में)

श्रेणियां	**31.03.2018**	**31.03.2017**
निवेश का सकल मूल्य		
क. परिपक्वता तक धारित	25,459.05	25,872.85
ख. बिक्री के लिए उपलब्ध	12,579.19	13,911.25
ग. व्यापार के लिए धारित	1.32	405.67
कुल	38,039.56	40,189.77
घटाएं मूल्यह्रास	430.01	452.54
निवेश का निवल मूल्य	37,609.55	39,737.23

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

ii. रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य के संदर्भ में) :

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष	वर्ष के दौरान दैनिक औसत शेष	31.03.18 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	100.00	800.00	58.56	800.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
सरकारी प्रतिभूतियां कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूती	62.00 0.00	2,700.00 0.00	718.11 0.00	800.00 0.00

iii. गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग :

1. गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों की जारीकर्ता संरचना (31.03.2018 को):

(रु. करोड़ में)

क्र.सं	जारी कर्ता (1)	रकम (2)	निजी नियोजन का स्तर (3)	निवेश श्रेणी से कम वाली प्रतिभूतियों का स्तर (4)	गैर रेटिंग वाली प्रतिभूतियों का स्तर (5)	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का स्तर (6)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2,303.25	1,995.20		0.00	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	1,031.77	996.78		0.00	1.20
3	बंक	97.17	67.50		0.00	0.00
4	निजी कार्पोरेट	1,384.82	1,281.87		0.02	0.02
5	सहायक / संयुक्त उद्यम	19.33	19.33		18.28	18.28
6	अन्य	3,485.40	3,485.40		0.00	0.00
7	उप जोड़	8,321.74	7,846.08		18.30	19.50
8	घटाएं : मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान	391.52				
9	कुल	7,930.22	7846.08		18.30	19.50

2. गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश :

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
अथ शेष	160.29	115.92
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2.51	45.77
उपर्युक्त अवधि के दौरान घटाव	1.28	1.40
इति शेष	161.52	160.29
कुल किया गया प्रावधान	151.77	141.42

एच.टी.एम. संवर्ग से / को अंतरण और विक्रय

i. वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी में धारित निवेशों का बही मूल्य एच.टी.एम. श्रेणी से / को अंतरित प्रतिभूतियों/ विक्रय की कीमत 5% से अधिक थी. बैंक ने एच.टी.एम. से रु 2118.74 करोड़ (8.19%) के बही मूल्य वाली प्रतिभूतियों की बिक्री की थी. बैंक का एच.टी.एम. पोर्टफोलियो 1 अप्रैल 2017 को रु 25872.85 करोड़ था. दिनांक 31.03.2018 को एच.टी.एम. पोर्टफोलियो का बही मूल्य और बाजार मूल्य क्रमशः रु 25459.05 करोड़ और रु 25233.66 करोड़ हैं. बही मूल्य बाजार मूल्य से रु 225.39 करोड़ से अधिक है जिसके लिए एच.टी.एम. पोर्टफोलियो के कारण प्रावधान नहीं किया गया है.

ii. बैंक ने वर्ष के दौरान परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों के लिए रु 73.13 करोड़ (पिछले वर्ष रु 62.15 करोड़) का लेखांकन नीति 17.3 के अनुसार परिशोधन किया है. उक्त रकम को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा संबंधित प्रतिभूतियों के मूल्य को उस सीमा तक कम कर दिया गया है.

iii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों की एक श्रेणी से अन्य श्रेणी में फेरबदल किया है. प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी से परिपक्वता तक धारित श्रेणी में परिवर्तन के कारण कुल रु 376.87 करोड़ में से रु 226.32 करोड़ की रकम मार्च 2017 को जिसे पहले ही मूल्यह्रास के रुप में प्रदान किया गया था, जिसे प्रावधान खाते से समायोजित किया गया है और शेष रु 150.55 करोड़ को लाभ और हानि खाते से हानि के रुप में समायोजित किया गया है, रु 376.84 करोड़ (पिछले वर्ष रु 10.21 करोड़) तक की राशि के ऐसे अंतरण परवर्ती अवक्षयण को इन प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य में कमी करते हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

iv. बैंक ने उसके द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में रु 19.33 करोड़ (पिछले वर्ष रु 19.33 करोड़) का निवेश किया है. जिसमें से रु 18.28 करोड़ (पिछले वर्ष रु 18.28 करोड़) का निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु शेयर पूंजी जमाराशियों के रुप में हैं .निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

v. भारतीय रिजर्व बैंक डी.बी.आर.सं..बी.पी.बी.सी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के अनुसार, ए.एफ.एस. और एच.एफ.टी. निवेशों पर रु 110.36 करोड़ के कुल निवल बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करने की हानि में से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु 38.49 करोड़ मूल्यह्रास दर्शाया है और रु 71.87 करोड़ की शेष राशि को अगले तीन तिमाहियों में समान रूप से दर्शाए जाने के लिए आस्थगित कर दिया है

18.6 व्युत्पन्न :

क वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2016-17
I	स्वैप समझौते का कल्पित मूल्य	शून्य	शून्य
II	समझौते के अंतर्गत यदि प्रतिपक्षकार अपने अनुबंधों को पूरा करने में असफल रहे तो, होनेवाली हानियां	शून्य	शून्य
III	स्वैप करार करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
IV	स्वैप से होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रीकरण	शून्य	शून्य
V	स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

ख विनिमय व्यापारित ब्याज पर व्युत्पन्न

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2016-17
I	वर्ष के दौरान लिए गए विनिमय व्यापारित ब्याज पर व्युत्पन्न की राशि का कल्पित मूल्य (लिखतवार)	शून्य	शून्य
II	31 मार्च 2015 को विनिमय व्यापारित ब्याज पर व्युत्पन्न की राशि का कल्पित मूल्य बकाया (लिखतवार)	शून्य	शून्य
III	वर्ष के दौरान लिए गए विनिमय व्यापारित ब्याज पर व्युत्पन्न की राशि का कल्पित मूल्य और उच्च प्रभावी नहीं (लिखितवार)	शून्य	शून्य
IV	विनिमय व्यापारित ब्याज पर व्युत्पन्न की राशि का कल्पित मूल्य बकाया की बाजार आधारित मूल्य और उच्च प्रभावी नहीं (लिखतवार)	शून्य	शून्य

ग व्युत्पन्न में जोखिम सीमा का प्रकटन :

i. **गुणात्मक प्रकटन**

बैंक की राजकोषी नीति तथा व्युत्पन्न नीति में वित्तीय व्युत्पन्न लिखत के प्रकार, उनके उपयोग की संभावना, उसके अनुमोदन की प्रक्रिया तथा खुली स्थिति सीमा, व्यापार आकार की सीमा, तथा प्रतिपक्ष का ऋण जैसी सीमाओं तथा अनुमोदित लिखतों में व्यापार के लिए प्रत्यायोजित अधिकार दिए गए हैं.

बैंक को साख जोखिम, बाजार जोखिम, देश जोखिम तथा परिचालन जोखिम हो सकता है. बैंक की निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां हैं जोकि व्यापार बहियों में नियमित रुप में होनेवाले लेनदेनों के लिए वित्तीय जोखिम मापने हेतु तैयार की गई हैं. जोखिम प्रबंधन विभाग मापक उपकरण जैसे एम.टी.एम, वी.ए.आर, उत्तलता तथा संशोधित अवधि और संवेदनशीलता विश्लेषण दैनिक आधार पर और मासिक आधार पर तनाव परीक्षण, वीएआर बैंक टेस्टिंग के माध्यम से लेनदेनों के लिए वित्तीय जोखिम की माप करता है. रिपोर्ट शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है जोकि जोखिम की मात्रा के बारे में ए.एल.सी.ओ. को अवगत कराते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक, फेडाई तथा एफ.आई.एम.एम.डी.ए. द्वारा समय समय पर जारी दिशानिदेशों का पालन किया जाता है.

ii. **परिमाणात्मक प्रकटन**

(रु. करोड़ में)

क्रस	विवरण	2017-18		2016-17	
		मुद्रा व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल रकम)	25,946.69	शून्य	29,756.08	शून्य
	क) वित्तीय हानि से बचाव के लिए	19,234.97	शून्य	19,714.74	शून्य
	ख) व्यापार के लिए	6,711.68	शून्य	10,041.34	शून्य
(ii)	बाजार स्थिति का बही में अंकन				
	क) आस्ति (+)	(-)3.67	शून्य	(-)708.73	शून्य
	ख) देयता (-)	6.80	शून्य	737.21	शून्य
(iii)	ऋण जोखिम	147.68	शून्य	183.15	शून्य
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन की संभावना (100*पी.वी.01)	82.79	शून्य	90.59	शून्य
	क) वित्तीय हानि से बचाव व्युत्पन्न पर	69.34	शून्य	60.01	शून्य
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	13.44	शून्य	30.58	शून्य

(v)	वर्ष के दौरान 100* पी.वी. 01 का अधिकतम	117.71	शून्य	114.00	शून्य
	क) वित्तीय हानि से बचाव पर	99.15		68.42	
	ख) व्यापार पर	18.56		45.58	
	वर्ष के दौरान 100* पी.वी. 01 का न्यूनतम	82.79	शून्य	80.00	शून्य
	क) वित्तीय हानि से बचाव	69.34	शून्य	54.73	शून्य
	ख) व्यापार पर	13.44	शून्य	25.27	शून्य

1. बैंक के पास अंतरपणन, निधीकरण तथा व्यापार लेन-देन आवरक और स्वपूंजी ट्रेडिंग गतिविधियों के लिए किए गए वायदा संविदा जैसे व्यापार वायदा संविदा और अंतर बैंक संविदा के अतिरिक्त व्युत्पन्न लेन-देन नहीं है.
2. बैंक वित्तीय हानि से बचाव तथा व्यापार की स्थिति के लिए त्रैमासिक आधार पर संग्रहित रूप से बकाया वायदा विनिमय संविदा के पी.वी.01 की संगणना करता है.

18.7 आस्ति गुणवत्ता :

क गैर निष्पादक आस्तियां : **(रु. करोड़ में)**

विवरण	**2017-18**	**2016-17**
i. निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर निष्पादक आस्तियां (%)	11.95	10.66
ii. गैर निष्पादक आस्तियों में घट-बढ़ (सकल)		
अथ शेष	12618.73	8560.49
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6008.47	6767.37
वर्ष के दौरान कमी	2265.76	2709.13
इति शेष	16361.44	12618.73
iii. निवल गैर निष्पादक आस्तियों में घट-बढ़		
अथ शेष	7735.12	5230.47
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3819.56	4574.40
वर्ष के दौरान कमी	3715.90	2069.75
इति शेष	7838.78	7735.12
i. गैर - निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान में घट-बढ़ (मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त)		
अथ शेष	4877.67	3322.32
ज़ोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	4281.80	2457.75
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे डालना/पुनरांकन करना	679.39	902.40
इति शेष	8480.08	4877.67

ख आस्ति पुर्ननिर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुर्ननिर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण:

(रु. करोड़ में)

विवरण		**2017-18**	**2016-17**
i.	खातों की संख्या	7	22
ii.	एस.सी./आर.सी. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान को घटाकर)	98.70	247.99
iii.	कुल प्रतिफल	286.49	324.49
iv.	पिछले वर्षों में अन्तरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00
v.	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ (एन.बी.वी.)*	187.79	76.50

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

ग खरीदी /बेची गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

i खरीदी गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण :

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
वर्ष के दौरान खरीदे गए खातो की संख्या	शून्य	शून्य
कुल बकाया	शून्य	शून्य
इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
कुल बकाया	शून्य	शून्य

ii बेची गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
बेचे गए खातो की संख्या	शून्य	शून्य
कुल बकाया	शून्य	शून्य
प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

घ प्रावधान कवरेज अनुपात (पी.सी.आर.)

विवरण	2017-18	2016-17
प्रावधान कवरेज अनुपात	60.20%	50.56%

तुलन पत्र की तारीख को प्रावधान कवरेज अनुपात 60.20% है जिसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आर.बी.आई.2009-10/240 डी.बी.ओ.डी..सं..बी.पी..बी. सी..64/21.4.048/2009-10 दिनांक 01.12.2009 के अनुसार की गई है. पी.सी.आर. पर दिनांक अप्रैल 21, 2011 के भा.रि.बैं. के परिपत्र सं. डी.बी.ओ.डी. सं.बी.पी.बी. सी.87 /21.04.048 /2010-11 की शर्तों के अनुसार रु 1930.66 करोड़ (पिछले वर्ष रु 3041.43 करोड़) की कमी का प्रतिचक्रीय अतिरिक्त प्रावधान का निर्माण बैंक द्वारा यथाशीघ्र किया जाना है.

ड प्रतिभूति कंपनियां (एस.सी.) / पुनर्निमाण कंपनियां (आर.सी.) को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताएं.

आर.बी.आई. परिपत्र सं.आरबीआई/2014-15/508 डीबीआर सं.बीपीबीसी.78/21.04.048/2014-15 दिनांक मार्च 20, 2015 के अनुसार, एस.सी. और आर. सी. के लिए एनपीए की बिक्री का विवरण निम्नानुसार हैः:

(रु. करोड़ में)

विवरण	सुरक्षा रसीद में निवेश का बही मूल्य	
	2017-18	2016-17
अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए के समर्थन से	638.86	611.06
अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / अंतर्निहित रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए के समर्थन से	शून्य	शून्य
कुल	638.86	611.06

च आर.बी.आई. परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/508 डीबीआर सं.बीपीबीसी. 78/21.04.048/2014-15 दिनांक मार्च 11, 2015 के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने एनपीए बिक्री के कारण शून्य अतिरिक्त प्रावधान को प्रतिवर्तीत कर दिया है.

छ धोखाधड़ियों में गतिविधि

(रु. करोड़ में)

	2017-18		2016-17	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अथ शेष	576	1675.09	533	1207
जोड़ें: वर्ष के दौरान रिपोर्ट किया गया	28	147.08	43	468.09
कम: वर्ष के दौरान बंद	0	0.00	0	0
अंतिम शेष	604	1822.17	576	1675.09

ज खाद्य ऋण एक्सपोजर: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्य ऋण में बैंक का समग्र एक्सपोजर रु 568.97 करोड़ (गत वर्ष रु 917.37 करोड़) था. इनमें से, पंजाब सरकार (जीओपी) के लिए जोखिम 327.85 करोड़ (गत वर्ष रु 339.78 करोड़) था. पंजाब सरकार के बकाया खाद्य ऋण और स्टॉक के मूल्य और प्राप्तियों के बीच अंतर था जिसके लिए न तो पंजाब सरकार और न ही एफ़सीआई दायित्व को स्वीकार कर रहे थे. आरबीआई ने सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को अपने पत्र दिनांक

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

12.04.2016 द्वारा पंजाब सरकार को बकाया खाद्य ऋण पर मार्च 2017 तक 15% के प्रावधान करने के लिए सूचित किया. तत्पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डी.बी.आर. (बी.पी.) संख्या 3992/21.04.048/2016-17 दिनांक 03.10.2016 के द्वारा अध्यक्ष को सूचित किया गया कि जनवरी 2018 के पश्चात प्रावधानों का उन्नयन और प्रतिलेखन के लिए खाता पात्र होगा बशर्ते कि इस विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान कार्य-निष्पादन संतोषजनक हो. तथापि उन्नयन के पश्चात विवेक के मामले में इस पुनर्गठित ऋण के दौरान बैंकों द्वारा 5% का विशिष्ट प्रावधान बनाए रखा जाना चाहिए. तदनुसार, बैंक ने बकाया राशि के अपने शेयरों पर 5% की दर से रु 16.39 करोड़ (पिछले वर्ष रु 50.9 7 करोड़) का प्रावधान किया है

इसके अतिरिक्त, दिनांक 27.03.2018 के सहायता संघ की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, अग्रणी बैंक एस.बी.आई. ने सूचित किया कि तेलंगाना सरकार को खाद्य ऋण एक्सपोजर के मामले में, शेयरों के पर्याप्त मूल्य की कमी के कारण, तेलंगाना सरकार खाद्य ऋण खाते को आर.बी.आई. द्वारा नियम विपरित माना गया था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि बकाया राशि पर 15% के विवेकपूर्ण प्रावधान को बनाए रखा जाए. तदनुसार, बैंक ने बकाया शेष के अपने शेयरों पर 15% की दर से रु 5.65 करोड़ (पिछले वर्ष रु शून्य) का प्रावधान किया है.

झ भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं डी.बी.आर.संख्या बी.पी.बी.सी.101/21.04.048/2017-18 के दिनांक 12 फरवरी 2018 के द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर संशोधित रुपरेखा जारी की है. संशोधित रुपरेखा के अनुसरण में बैंक ने रु 827.77 करोड़ के गैर-निष्पादित विशिष्ट 12 खातों को वर्गीकृत किया है और तदनुसार रु 286.33 करोड़ के ऐसे दबावग्रस्त खातों के लिए प्रावधान किया है. दिनांक 31.03.2018 को दबावग्रस्त आस्तियों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 12.02.2018 का प्रभाव निम्नानुसार है:

रु करोड़ में

	खातों की संख्या	राशि	संशोधित दिशानिर्देशों के कारण अतिरिक्त प्रावधान
संशोधित दिशानिर्देशों के कारण एन.पी.ए. में स्लीपेज हुए खाते	12	827.77	212.23
जिन खातों को दिनांक 12.02.2018 के पहले कार्यान्वित किया गया था वे खाते मानक हैं	3066	3307.44	शून्य

11. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पत्र संख्या डी.बी.आर.सं.बी.पी.बी.सी.100/21.04.048/2017-18 दिनांक 07 फरवरी, 2018 के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.), के अंतर्गत पंजीकृत एम.एस.एम.ई. उधारकर्ताओं को राहत हेतु 50 एम.एस.एम.ई. उधारकर्ता खातें (दिनांक 31.03.2018 को रु 51.14 करोड़ की बकाया शेष) राहत के प्रावधानों के अंतर्गत कवर हेतु पात्र हैं, बैंक को 5% अर्थात रु 2.55 करोड़ का प्रावधान करना था. तदनुसार मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान रु 2.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

18.8 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान :

(रु करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	(158.64)	51.11
तुलन पत्र की तिथि को मानक आस्तियों के लिए प्रावधान का शेष	475.29	633.93

18.9 कारोबार अनुपात :

विवरण	2017-18	2016-17
i. कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रुप में ब्याज की आय	7.38%	7.87%
ii. कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रुप में गैर ब्याज आय	0.96%	0.97%
iii. कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रुप में परिचालन गत लाभ	0.97%	1.07%
iv. आस्तियों पर प्रतिफल	-1.59%	-0.67%
v. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम) (रु करोड़ में)	13.25	13.69
iv. प्रति कर्मचारी लाभ (रु लाखों में)	-14.13	-6.18

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

18.10 आस्ति देयता प्रबंधन :

आस्ति एवं देयताओं की निश्चित मदों की परिपक्वता का स्वरुप :

(रु करोड़ में)

विवरण	दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक 6 माह तक	6 माह से अधिक 12 माह तक	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	जोड़
जमाराशि	174.13	1662.97	1478.06	2398.51	3394.91	6433.19	11375.74	20917.44	25246.03	14010.19	19038.96	106130.14
उधार	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	106.00	0.00	200.00	300.00	0.00	2155.00	3561.00
अग्रिम	198.84	1310.16	1435.90	727.23	1951.87	1369.51	4102.88	3295.83	24134.49	6442.51	20612.29	65581.51
निवेश	0.00	200.47	126.54	82.28	81.98	83.78	109.11	2032.78	2415.11	5126.99	27350.51	37609.55
विदेशी मुद्रा आस्तियां	62.72	74.44	31.29	75.01	184.48	516.26	280.47	8.68	0.00	0.00	0.00	1233.34
विदेशी मुद्र देयताएं	79.88	5.53	5.77	9.34	32.58	24.04	116.77	340.00	336.92	35.26	0.00	986.08

18.11 ऋण:

1. भूसंपदा क्षेत्र को ऋण :

(रु करोड़ में)

श्रेणी	2017-18	2016-17
क. प्रत्यक्ष ऋण		
i. आवासीय बंधक		
– प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने के लिए पात्र वैयक्तिक्र आवास ऋण	4081.63	3297.87
– अन्य	4056.40	3752.21
कुल	**8138.03**	**7050.08**
ii. वाणिज्यिक भूसंपदा, वाणिज्यिक भूसंपदा (कार्यालय भवन, खुदरा स्थल, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु आवासीय भवन, बहु किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होगी.	719.19	1228.33
iii बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश (एम.बी.एस.) और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण		
क. आवासीय	0.00	0.00
ख. वाणिज्यिक भूसंपदा	0.00	0.00
ख. राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) और आवासीय वित्त कम्पनियों (एच.एफ.सी.) में अप्रत्यक्ष निवेश		
निधि आधरित	3963.02	2508.73
गैर-निधि आधारित	0.00	0.00
भूसंपदा क्षेत्र के कुल ऋण	**12820.24**	**10787.14**

2. पूंजी बाजार में निवेश:

(रु करोड में)

क्र सं.	विवरण	2017-18	2016-17
1	इक्विटी शेयरों/ परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों में प्रत्यक्ष विनिधान जिसकी मूल निधि कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है	50.04	63.35
2	इक्विटी शेयरों/ (आई.पी.ओ./ ई.एस.ओ.पी.एस. सहित) बांडों और डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों पर या निर्बन्ध आधार पर अग्रिम	0.09	0.05
3	अन्य किसी प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां परिवर्तनीय शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है.	0.18	0.07
4	शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों द्वारा प्रतिभूत सीमा तक अन्य किसी प्रयोजन के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं करती है.	शून्य	0.00

5	शेयर दलालों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम एवं शेयर दलालों तथा शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी की गई गारंटियां.	0.00	40.00
6	संसाधनों के प्राप्त होने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों की प्रतिभूतियों पर या अन्य निर्बन्ध आधार पर कंपनी को स्वीकृत ऋण.	0.00	0.00
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण.	0.00	0.00
8	शेयरों के प्राथमिक निर्गम या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता.	0.00	0.00
9	मार्जिन व्यापार के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण.	0.00	0.00
10	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों) को दिए गए सभी ऋण	39.80	44.34
	पूंजी बाजार को कुल ऋण	90.11	147.81

18.12 जोखिम श्रेणी वार देश वित्त :

1. विदेशी मुद्रा लेन देनों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां प्रत्येक देश के लिए परिकलित निधि आधारित जोखिम बैंक की कुल आस्तियों के 1% से अधिक हैं बैंक को उनके लिए प्रावधान करना है. किसी भी देश में बैंक के निवल निधिक ऋण कुल आस्तियों के 1 % से अधिक नहीं है, कोई भी प्रावधान (पिछले वर्ष शून्य) नहीं किया गया है.

(रु करोड़ में)

जोखिम संवर्ग *	31/03/2018 को एक्सपोजर (निवल)	31/03/2018 को प्रावधान धारित	31/03/2017 को एक्सपोजर (निवल)	31/03/2017 को प्रावधान धारित
नगण्य	258.12	0.00	311.96	0.00
निम्न जोखिम	162.12	0.00	195.77	0.00
मामूली जोखिम	8.36	0.00	12.37	0.00
उच्च जोखिम	16.16	0.00	0.00	0.00
अति उच्च जोखिम	0.00	0.00	0.25	0.00
प्रतिबंधित	0.00	0.00	0.00	0.00
बंद उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	444.76	0.00	520.34	0.00

2. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एस.जी.एल.) / समूह उधारकर्ता सीमा (जी.बी.एल.) से अधिक ऋण के विवरण

वर्ष 2017-18 के दौरान, समूह खाते/एकल उधारकर्ता के संदर्भ में बैंक ने विवेकपूर्ण ऋण सीमा से अधिक ऋण नहीं दिया है.

18.13 प्रतिभूत रहित अग्रिम

(रु करोड़ में)

सई	विवरण	2017-18	2016-17
1.	दिनांक 31.03.18 को कुल अरक्षित अग्रिम	5282.70	6,731.27
2 अ	जिनमे से अमूर्त प्रतिभूति द्वारा प्राप्त	0.00	0.00
2 ब	ऐसी संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार)	0.00	0.00
3	अन्य अरक्षित ऋण (1-2क)	5282.70	6,731.27

18.14 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये गये जुर्माने का प्रकटीकरण

इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई दंड नहीं भरा है (पिछले वर्ष शून्य).

18.15 लेखांकन मानकों (ए.एस.) के अनुसार प्रकटीकरण :

1. लेखांकन मानक - 5 - अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि, पिछली अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

ए.एस. -5 के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता वाले पूर्व अवधि की आय / व्यय मदों की कोई सामग्री नहीं थी

3. लेखांकन मानक 9 - राजस्व निर्धारण

मद सं.17.9. में किए गए उल्लेख के अनुसार लेखांकन नीति में आय की कुछ मदें वसूली आधार पर निर्धारित की गई है.

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

4. लेखांकन मानक 10 – स्थिर आस्तियों के लिए लेखांकन

परिसर में अधिग्रहित दावों की संतुष्टि में रु 9.86 करोड़ (पिछले वर्ष रु 9.86 करोड़) की गैर-बैंकिंग संपत्ति शामिल नहीं है. संबंधित आस्तियों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची – 2 के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास किया जाता है.

6. लेखांकन मानक 11 – विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव

वर्ष 2017 – 18 के लिए विनिमय अंतर से हुई निवल आय रु 45.43 करोड़ (पिछले वर्ष य33.04 करोड़) लाभ हानि लेखा में जमा की गई है.

7. लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ

आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित सूचनाएं प्रकट की गई है

क्र सं	विवरण	2018	2017	2016	2015	2014
क	पेंशन योजना					
(i)	मूल बीमांकिक अनुमान उपयोग में लाए गए हैं.					
	छूट दर	7.69%	7.50%	8.00%	8.00%	8.75%
	नियोजन आस्तियों पर प्रतिफल की दर.	7.45%	8.06%	9.00%	9.00%	9.00%
	वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
(ii)	लाभ दायित्व में परिवर्तन					
	वर्ष के आरंभ में देयताएं.	2896.12	2481.75	2158.66	1917.94	1761.94
	ब्याज लागत	211.14	175.55	161.01	144.85	149.98
	वर्तमान सेवा लागत	165.62	341.29	228.43	210.93	202.02
	प्रदत्त लाभ	[300.88]	[282.22]	[292.09]	[214.78]	[190.88]
	बीमांकिक (लाभ) / दायित्व पर हानि.	381.32	179.75	225.74	99.72	[5.12]
	वर्ष के अंत में देयताएं	3353.32	2896.12	2481.75	2158.66	1917.94
(iii)	नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य:					
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य	2953.13	2654.04	2230.81	1767.44	1606.82
	अपेक्षित प्रतिफल	220.01	213.92	200.77	159.06	144.61
	अंशदान	481.40	365.92	506.80	450.37	183.54
	प्रदत्त लाभ	[300.88]	[282.22]	[292.09]	[214.77]	[190.87]
	नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	8.60	1.47	7.75	68.71	23.34
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य	3362.26	2953.13	2654.04	2230.81	1767.44
(iv)	तुलन पत्र में शामिल रकम					
	वर्ष के अंत में देयता	3353.32	2896.12	2481.75	2158.66	1917.94
	वर्ष के अंत में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	3362.26	2953.13	2654.04	2230.81	1767.44
	अनिर्धारित परिवर्ती देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80
	तुलन पत्र में निर्धारित रकम	8.94	57.01	172.29	72.15	[79.70]
ख.	ग्रेच्युटी योजना					
(i)	मूल बीमांकिक अनुमान उपयोग में लाए गए हैं					
	डिस्काउंट दर	7.75%	7.50%	8.00%	8.00%	8.75%
	नियोजन आस्तियों पर प्रतिफल की दर.	8.18%	8.78%	9.00%	9.00%	9.00%
	वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
(ii)	लाभ दायित्व में परिवर्तन :					
	वर्ष के आरंभ में देयताएं.	332.45	311.88	280.30	277.76	311.12
	ब्याज लागत	23.86	21.63	16.77	20.39	25.85
	वर्तमान सेवा लागत	9.14	23.09	17.09	15.35	17.06
	पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ	[49.19]	[46.84]	[57.42]	[45.76]	[47.68]
	नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	[0.40]	22.69	55.14	12.56	[28.59]
	वर्ष के अंत में देयता	315.86	332.45	311.88	280.30	277.76

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

क्र सं	विवरण	2018	2017	2016	2015	2014
(iii)	नियोजन आस्तियों के उचित मूल्य					
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य	332.84	277.61	302.97	309.82	276.03
	अपेक्षित प्रतिफल	27.23	24.37	22.72	27.88	24.84
	अंशदान	33.66	75.84	16.23	0.00	57.10
	प्रदत्त लाभ	[49.19]	[46.84]	[57.42]	[45.77]	[47.68]
	नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	[4.38]	1.86	[6.89]	11.04	[0.47]
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य	340.16	332.84	277.61	302.97	309.82
(iv)	तुलन पत्र में शामिल रकम					
	वर्ष के अंत में देयता	315.86	332.45	311.88	280.30	277.76
	वर्ष के अंत में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	340.16	332.84	277.61	302.97	309.82
	अनिर्धारित लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अनिर्धारित परिवर्ती देयता	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलन पत्र में निर्धारित राशि	96.90	0.39	[34.27]	22.67	48.06

वर्तमान वर्ष के लिए ग्रैच्युटी और पेंशन योजना के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि

(रु करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रैच्युटी	पेंशन
(i)	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल		
	योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	27.23	220.01
	योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	(4.38)	8.60
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	22.85	228.61
(ii)	आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय:		
	वर्तमान सेवा लागत	9.14	165.62
	ब्याज लागत	23.86	211.14
	योजना आस्तियों पर संभावित लाभ	(27.23)	(220.01)
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	3.98	372.72
	निर्धारित परिवर्ती देयता	24.20	0.00
	लाभ एवं हानि में निर्धारित व्यय	33.95	529.47

विभिन्न दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है:

(रु करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2017-18	2016-17
1	पेंशन	529.30	481.20
2	अवकाश नकदीकरण	(9.51)	7.46
3	ग्रैच्युटी	33.95	41.18
4	सिल्वर जुबली	(0.01)	0.04
5	पुनर्वास	(0.19)	0.13
6	अवकाश यात्रा रियायत	0.28	0.66
	कुल	553.82	530.67

i. बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी लाभों अर्थात् पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और लेखांकन मानक ए.एस.-15 (संशोधित) के अनुसार कर्मचारियों के लिए अन्य लाभों के लिए प्रावधान किया गया है.

ii. आर.बी.आई. के पत्र संख्या डी.बी.आर.सं.बी.पी.9730/21.04.018/2017-18 दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के अनुसार, उपदान अधिनियम (भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.03.2018 के अनुसार) के भुगतान में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार उपदान सीमा में वृद्धि के कारण रु 96.80 करोड़ की कुल अतिरिक्त देयता में से, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु 24.20 करोड़ दर्शाया है और रु 72.60 करोड़ की शेष राशि को समान रूप से पिछली तीन तिमाहियों में प्रदर्शित किए जाने के लिए आस्थगित किया है.

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

8. लेखांकन मानक 17 – खंड रिपोर्टिंग:

लेखांकन मानक -17 पर भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के परिचालनों को प्राथमिक खण्ड जिसमें राजकोष कार्पोरेट / संपूर्ण बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग शामिल है और अन्य बैंकिंग परिचालन में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है.

भाग क : कारोबार खण्ड

(रु करोड़ में)

कारोबार खंड / विवरण	राजकोष		कॉर्पोरेट / संपूर्ण बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
राजस्व	3211.00	3791.92	3569.14	4812.40	2649.22	2339.90	666.39	488.85	10095.75	11433.07
परिणाम	602.56	625.73	(2785.90)	(1094.84)	(293.62)	(150.61)	404.55	369.52	(2072.41)	(250.20)
गैर आंबटित व्यय									1106.34	1025.15
परिचालनगत लाभ									(3178.75)	(1275.36)
आयकर									(1255.60)	(411.73)
असाधारण लाभ/हानि										
निवल लाभ									(1923.15)	(863.63)
अन्य सूचनाएं										
खण्ड आस्तियां	43,794.66	46289.51	39877.13	44,612.88	26909.94	29199.74	5734.21	6120.82	116315.94	126222.95
गैर आंबटित आस्तियां									4543.86	3307.57
कुल आस्तियां									120859.80	129530.52
खण्ड देयताएं	47654.43	50361.23	39394.47	43388.41	24307.52	27103.37	85.04	827.65	111441.46	121680.66
प्रयुक्त पूंजी									9202.80	7685.15
गैर आंबटित देयताएं									215.54	164.71
कुल देयताएं									120859.80	129530.52

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

(रु करोड़ में)

	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	31.03.2018	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
राजस्व	10095.75	11433.07	शून्य	शून्य	10095.75	11433.07
आस्तियां	120859.80	129530.52	शून्य	शून्य	120859.80	129530.52

टिप्पणी:

1) खण्ड परिणाम अंतर खण्ड लागत के कारण समायोजन के पश्चात तैयार किये गये हैं, जिन्हें बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्तरण मूल्य व्यवस्था के आधार पर मान लिया गया है.

2) कल्पित अन्तर वर्ग आस्तियों, देयताओं और राजस्व को छोड़ दिया गया है.

3) राजकोष परिचालन में बैंक के संपूर्ण राजकोष निवेश पोर्टफोलियो का समावेश है.

4) गैर आबंटित देयताओं में पूंजी एवं आरक्षितियां शामिल हैं.

9. लेखांकन मानक – 18 – संबंधित पक्षकार व्यवहार

मद/ संबंधित पक्षकार	प्रवर्तक (स्वामित्व या नियंत्रक के अनुसार)	अनुषंगिया	सहयोगी/ संयुक्त जोखिम	प्रमुख बंधन कार्मिक	प्रमुख बंधन कार्मिक के संबंधित	कुल
उधार	–	–	–	–	–	–
जमाएं	–	–	644.50 (796.77)	–	–	644.50 (796.77)
जमाओं का नियोजन	–	–	–	–	–	–
अग्रिम	–	–	594.35 (342.72)	–	–	594.35 (342.72)
निवेश	–	–	2.00 (2.00)			2.00 (2.00)
गैर-निधि प्रतिबद्धताएं	–	–	–	–	–	–
पट्टादायी/ उपयोग की गई एच.पी. व्यवस्था	–	–	–	–	–	–
पट्टादायी / उपलब्ध कराई गई एच.पी. व्यवस्था	–	–	–	–	–	–
अचल संपत्तियों की खरीद	–	–	–	–	–	–
अचल संपत्तियों की बिक्री	–	–	–	–	–	–
डी.जी.जी.बी. द्वारा प्रदत्त ब्याज	–	–	10.91 (6.91)	–	–	10.91 (6.91)
डी.जी.जी.बी.(आई.बी.पी.सी.) द्वारा प्राप्य ब्याज	–	–	3.86 (7.14)	–	–	3.86 (7.14)
डी.जी.जी.बी. द्वारा प्राप्य ब्याज	–	–	44.93 (72.28)	–	–	44.93 (72.28)
डी.जी.जी.बी. द्वारा टियर II बॉण्डों पर प्राप्य ब्याज			0.18 (0.18)			0.18 (0.18)
प्रदान की गई सेवाएं *	–	–	–	–	–	–
ली गई सेवाएं *	–	–	–	–	–	–
प्रबंधन संविदाएं *	–	–	–	–	–	–

(कोष्ठक में दिये गए आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 के हैं.)

* डी.जी.जी.बी द्वारा जारी आई.बी.पी.सी. में देना बैंक ने रुपये 594.35 करोड़ (पिछले वर्ष 342.72 करोड़) में से जोखिम-भागीदारी आधार पर रु शून्य (पिछले वर्ष रु 120.00 करोड़) की भागीदारी की है जो प्राथमिक क्षेत्र को दिये गये विविध ऋणों को दर्शाती है

देना बैंक द्वारा जारी आई.बी.पी.एस. में डी.जी.जी.बी. ने जोखिम-भागीदारी आधार पर रु शून्य (पिछले वर्ष रु 120.00 करोड़) की भागीदारी की है जो गैर-प्राथमिक क्षेत्र को दिये गये विविध ऋणों को दर्शाती है.

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक

नाम पदनाम	पदनाम	मद	अवधि	राशि (रु लाखों में)	ऋण रकम (रु लाखों में)
श्री अश्वनी कुमार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	वेतन परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन राशि	01.04.2017 से 31.12.2017	21.23	शून्य
श्रीमती तृष्णा गुहा	कार्यपालक निदेशक	वेतन परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन राशि	01.04.2017 से 31.08.2017	10.05	शून्य
श्री रमेश एस. सिंह	कार्यपालक निदेशक	वेतन परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन राशि	01.04.2017 से 31.03.2018	23.31	19.77
डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी	कार्यपालक निदेशक	वेतन परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन राशि	09.10.2017 से 31.03.2018	11.05	शून्य

ज. लेखांकन मानक 20– प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन	31.3.2018		31.3.2017	
	मूलह्रासित	ह्रासित	मूल	ह्रासित
प्रति शेयर अर्जन (रु)	[18.06]	[18.06]	[11.89]	[11.88]
निर्देशांक रुप में (करोड़ में) मान्य लाभ व हानि लेखे के अनुसार निवल लाभ	[1923.15]	[1923.15]	[863.63]	[863.63]
मूल्य वर्ग के रुप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1064904587	1064904587	726218673	726783829
शेयर का अंकित मूल्य (रु)	10/-	10/-	10/-	10/-

झ. लेखांकन मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरणियां (सी.एफ.एस.)

इस मानक के अर्थ के तहत बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है, अतः यह लेखांकन मानक लागू नहीं होता है.

ञ. लेखांकन मानक 22 – आय पर कर के लिए लेखांकन

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आय पर लेखांकन मानक 22 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं का निर्धारण किया गया है.

31 मार्च 2018 को य 2975.52 करोड़ (पिछले वर्ष य 1719.92 करोड़) की रकम की आस्थगित कर आस्तियों के निवल शेष में निम्नलिखित समाविष्ट है :

(रु करोड़ में)

	2017-18	2016-17
आस्थगित कर आस्तियां		
गैर निष्पादक आस्तियों / अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	2996.72	1743.67
अवकाश नकदीकरण	47.46	50.75
प्रीमियम 40(क)(1क) के अंतर्गत अस्वीकार्य व्यय	0.00	0.09
एफ.आई.टी.एल के लिए प्रावधान	42.81	57.15
पुनर्गठित खातों पर एन.पी.वी. के लिए प्रावधान	46.51	27.55
कुल आस्थिगत कर आस्तियां	3133.50	1879.21
घटाएं: आस्थगित कर देयताएं		
साफ्टवेयर सहितस्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	34.68	36.25
धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत बुनियादी संरचना के लिए गठित विशेष आरक्षितियों की राशि	123.04	123.04
धारा 40(क)(1क) के अंतर्गत अस्वीकार्य व्यय	0.26	
कुल आस्थगित कर दायित्व	157.98	159.29
अनुसूची 11 (अन्य आस्तियों) में दर्शायी गयी आस्थगित कर आस्तियों का निवल शेष	2975.52	1719.92

समग्र समीक्षा और बैंक के कर सलाहकार की विशेषज्ञ सलाह के आधार पर, बैंक ने भावी कर योग्य आय का अनुमान लगाया है, जिसकी तुलना खराब और संदिग्ध ऋण (एन.पी.ए.) के प्रावधानों के कारण उत्पन्न होने वाले समय के अंतर को प्राप्त किया जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने रु 1,255.60 करोड़ (दिनांक 31.03.2018 को संचयी रूप से 2,975.52 करोड़ आस्तियों) की स्थगित कर आस्तियों को दर्शाया है. भविष्य में कर योग्य आय की उपलब्धता उचित निश्चितता के आधार पर इस तरह के स्थगित कर आस्तियों की तुलना में उपर्युक्त के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है

ट. लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणियों में सहयोगी कंपनियों में निवेश का लेखांकन

समेकित वित्तीय विवरण उक्त बिन्दु 18(जे) में दर्शाये गए कारणों की वजह से तैयार नहीं कर पाया गया. बैंक ने 31.03.2018 तक देना गुजरात ग्रामीण बैंक की इक्विटी में 19.33 करोड़ (पिछले वर्ष य 19.33 करोड़) निवेश किया है. उसी पर लागत के बारे में बताया गया है.

ठ. लेखांकन मानक 24–बंद किए गए क्रियाकलाप

वर्ष के दौरान बैंक ने कोई क्रिया कलाप बंद नहीं किया.

ड. लेखांकन मानक –25– अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग

बैंक दारा इस लेखांकन मानक का पालन किया गया है.

ढ़. लेखांकन मानक – 28 : अपसामान्य आस्तियां

प्रबंधन की राय में उनकी कोई अपसामान्य आस्तियां नहीं हैं.

ण. लेखांकन मानक 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

i. आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधानों में घट-बढ़

(रु करोड़ में)

विवरण	कानूनी मामले/आकस्मिकताएं
31.03.2017 को कुल प्रावधान	7.79
वर्ष के दौरान प्रावधान	3.38
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.04
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.37
31 मार्च 2018 को शेष	10.76
बाह्यगमन / अनिश्चितताओं का काल	अनिश्चित
अपेक्षित प्रतिपूर्ति	अनिश्चित

iii. आकस्मिक देयताओं के संबंध में तुलनपत्र की अनुसूची-12 की मद संख्या (I) से (V) अपने स्वरुप के अनुसार वर्गीकृत विभिन्न प्रकार की आकस्मिक देयताओं को दर्शाती हैं. ये राशियां की गई मूल संविदा अथवा दावों से संबंधित कागजातों के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं. इन आकस्मिक देयताओं के कारण बहिर्गमन संबंधित न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा मुकदमों के निपटारे के परिणाम, संविदाओं के निष्पादन, गारंटी लागू होने, साख पत्रों के हस्तांतरण, दावों के निपटान आदि पर निर्भर रहेगा.

18.16 वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में नामे डाले गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं के विवरण :

(रु करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	4281.80	2457.75
(ii)	आयकर/ संपदा कर के लिए प्रावधान	0.00	64.93
(iii)	आस्थिगत कर देयताएं/ (आस्तियां) (निवल)	[1255.60]	[476.66]
(iv)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	[158.64]	51.11
(v)	पुनर्गठित खातों में एन.पी.वी में छूट के लिए प्रावधान	54.80	[76.70]
(vi)	एफ.आई.टी.एल के लिए प्रावधान	[41.44]	[96.02]
(vii)	निवेशों पर अवक्षयण के लिए प्रावधान	203.79	334.22
(viii)	आकस्मिक देयताएं	3.38	0.06
(ix)	अरक्षित विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान	4.37	[10.33]
(x)	अन्य	1.85	5.49
	कुल	**3094.31**	**2253.84**

18.17 वर्ष के दौरान आयकर/ मैट के लिए किए गए प्रावधान की राशि :

1. बैंक ने आयकर अधिनियम की धारा 115 जे.बी. की शर्तों के अनुसार बही-लाभ पर रु शून्य (पिछले वर्ष रु 116.31 करोड़) आयकर देयता की गणना कर ली है जिसमें से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जे.ए.ए. के अंतर्गत रु शून्य (पिछले वर्ष रु 51.38 करोड़) की मैट क्रेडिट पात्रता के रूप में गणना की है.मैट क्रेडिट पात्रता आस्तियां मानी जाती है.

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

2. वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम ;

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के आयकर/ संपदा कर के लिए प्रावधान	0.00	64.93
जोडें / घटाएं : पिछ्लें वर्षों हेतु प्रदत्त/ (वापस लिया गया)	0.00	0.00
निवल रकम	0.00	64.93

18.18 परिसर में एक संपत्ति में 1/3 अंश (एस.पी.बी.टी कॉलेज मुंबई) भी शामिल है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त स्वामित्व में है, विवरण निम्न प्रकार है.:

(रु करोड़ में)

बैंक के शेयर	31.03.2018	31.03.2017
लागत	2.36	2.36
संचित मूल्यहास	1.18	1.14
अवलिखित मूल्य	1.18	1.22

बैंक की संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2016 के दौरान किया गया था और पुनर्मूल्यांकित संपत्ति का बही मूल्य दिनांक 31.03.2018 को रु 76.01 करोड़ (पिछले वर्ष में रु 76.40 करोड़) है.

18.19 अस्थाई प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(क) अस्थाई प्रावधान खाते में अथशेष	शून्य	शून्य
(ख) लेखांकन वर्ष के दौरान किए गए अस्थाई प्रावधान की मात्रा	शून्य	शून्य
(ग) लेखांकन वर्ष के दौरान की गई आहरण द्वारा कम की राशि	शून्य	शून्य
(घ) अस्थाई प्रावधान खाते में इतिशेष	शून्य	शून्य

18.20 वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रु 2119.52 करोड़ पिछले वर्ष रु 1711.30 करोड़ बैंक द्वारा अग्रिम/ सरकारी गारंटी द्वारा कवर अनुसूची 9 पैरा I (II) में दिखाये अनुसार में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत रु 1197.78 करोड़ पिछले वर्ष रु 786.69 करोड़ शामिल है.

18.21 आरक्षितियों से आहरण द्वारा कमी

वित्त वर्ष 2017-18 में कोई आरक्षितियों से आहरण द्वारा कमी नहीं है.

18.22 i) ग्राहक शिकायतें :

क्र	विवरण	2017-18		
		सामान्य	ए.टी.एम./ डेबिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग	कुल
क)	वर्ष के आरंभ में लम्बित शिकायतों की संख्या	24	4471	4495
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	5,014	85,250	90,264
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	5,009	89,215	94,224
घ)	वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतों की संख्या	29	506	535

ii) **बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अवार्ड :**

क्र	विवरण	2017-18
क)	वर्ष के आरंभ में गैर कार्यान्वित अवार्डों की संख्या	शून्य
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डों की संख्या	शून्य
ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्डों की संख्या	शून्य
घ)	वर्ष के अन्त में गैर कार्यान्वित अवार्डों की संख्या	शून्य

18.23 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एल.ओ.सी.)का प्रकटन

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के दौरान क्रेताओं के साख के संबंध में य 1486.43 करोड़ (230.63 मिलियन अमरीकी डालर के समान) (पिछले वर्ष रु 1990.90) करोड़ की राशि के कुल 1097 गारंटियां/ आश्वासन पत्र/ वचन पत्र जारी किए गए है.

मार्च 31,2018 तक गारंटियां/ आश्वासन पत्र/ वचन पत्र की बकाया राशि रु 391.92 करोड़ 60.21 मिलियन अमरीकी डालर के समान (पिछले वर्ष रु 624.22 करोड़) थी.

18.24 बैंक बीमा कारोबार

बैंक-बीमा कारोबार से वित्तीय वर्ष 2016-17 के तदनुरुपी अवधि के दौरान रु 7.40 करोड़ (पी.एम.जे.जे.बी.वाई. आय के रु 1.66 करोड़.के साथ) के समक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने रु 11.09 करोड (पी.एम.जे.जे.बी. वाई से रु 1.84 करोड़ और पी.एम.एस.बी.वाई. से रु 0.29 करोड़ की आय (प्रशासनिक व्यय के रुप में प्राप्य) के साथ कमीशन आय अर्जित की है.

18.25 जमा राशियों का केंद्रीकरण

(रु करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं	6,090.67	11,501.50
बैंक की कुल जमाओं में बीस बड़ी जमाओं का प्रतिशत	5.74%	10.09%

18.26 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रु करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	**9,487.37**	**13,669.76**
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	**11.22%**	**15.58%**

18.27 ऋण का केंद्रीकरण

(रु करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल ऋण	16,357.54	19,329.85
उधाकर्ताओं / ग्राहकों को बैंक के कुल ऋणों में बीस बड़े उधारर्ताओं / ग्राहकों के ऋणों का प्रतिशत	14.40%	14.92%

18.28 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रु करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
शीर्ष चार एन.पी.ए खातों के कुल ऋण	2,638.87	2,120.64

18.29 क्षेत्रवार अग्रिम एवं एन.पी.ए.

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2017-18			2016-17		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एन.पी.ए.	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल %	बकाया कुल अग्रिम	सकल एन.पी.ए.	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल %
	प्राथमिकता क्षेत्र						
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्रिया कलाप	13346.75	2157.28	16.16	13043.89	1677.04	12.86
2.	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रुप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	5066.23	1666.21	32.89	5939.01	1244.29	20.95
3.	सेवाएं	5831.44	1070.50	18.36	6519.12	686.53	10.53
4.	वैयक्तिक ऋण	4644.96	212.80	4.58	3515.79	152.39	4.33
	उप - योग(क)	**28889.38**	**5106.79**	**17.68**	**29017.81**	**3760.25**	**12.96**
	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र						
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्रिया कलाप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	22974.07	10660.71	46.40	21546.88	7796.78	36.19
3.	सेवाएं	638.95	166.48	26.06	2169.17	410.92	18.94
4.	वैयक्तिक ऋण	25707.89	2624.39	10.21	26637.81	2484.61	9.33
	उपयोग (ख)	49320.91	13451.58	27.27	50353.86	10692.31	21.23
	घटाएं पी.डब्ल्यू.ओ.	2196.93	2196.93	0.00	1833.83	1833.33	0.00
	घटाएं आई.बी.पी.सी.	1774.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	74238.57	16361.44	22.04	77537.84	12618.73	16.27

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

- @ पिछले वर्ष (2016-17) के लिए सकल एन.पी.ए. अनुपात और सकल एन.पी.ए. अग्रिम कुल अग्रिमों पर आधारित है अर्थात प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम साथ ही गैर- प्राथतिकता प्राप्त अग्रिम.

18.30 एन.पी.ए. में घटबढ

(रु करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
किसी वर्ष विशेष के 01 अप्रैल को सकल एन.पी.ए. (अथशेष)	12,618.73	8,560.49
वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एन.पी.ए.)	6,008.47	6,767.37
उप - योग - क	18,627.20	15,327.86
घटाएं:		
(i) उन्नयन	673.40	755.87
(ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों में की गई वसूली को छोडकर)	931.24	1,119.87
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	560.00	665.00
(iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा बट्टे खाते	101.12	168.39
उप - योग - ख	2,265.76	2,709.13
अगले वर्ष के 31 मार्च को सकल एन.पी.ए. (इतिशेष)(क-ख)	16,361.44	12,618.73

(रु करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
1 अप्रैल को तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते अथशेष	3,026.92	2519.58
जोड़ : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	560.00	665.00
उप-जोड़ (क)	3,586.92	3184.58
घटाएं : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में की गई वसूली (ख)	108.77	108.05
मार्च 31 को इतिशेष (क-ख) #	3,332.36	3026.92

बट्टे खाते डालने के फलस्वरूप सकल इतिशेष है (विवेकपूर्ण बट्टे डाले गए खाते के निपटान स्वरूप खातों पर हुई हानि)

18.31 आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन - (संदर्भ डीबीआर बीपी.बीसी। 63 / 21.04.018 / 2016-17 दिनांक 18 अप्रैल, 2017

(रु करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	राशि
1.	बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2017 को सकल एनपीए	12618.72
2.	31 मार्च 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के रूप में सकल एनपीए	13016.48
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	397.75
4.	बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2017 को निवल एनपीए	7735.11
5.	आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के रूप में 31 मार्च, 2017 को शुद्ध एनपीए	7773.10
6.	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	37.99
7.	बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2017 को एनपीए के लिए प्रावधान	4877.67
8.	31 मार्च 2017 को आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान	5237.43
9.	प्रावधान में अंतर (8-7)	359.76
10.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कर (पीएटी) के बाद रिपोर्ट किया गया निवल लाभ	(863.62)
11.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (काल्पनिक) कर के बाद (प्रावधान) में विचलन को ध्यान में रखते हुए समायोजित निवल लाभ	(1223.38)

18.32 विदेशी आस्तियां एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रु करोड़ में)

विवरण	**2017-18**	**2016-17**
कुल आस्तियां (नोस्ट्रो शेष और डिपो प्लेसमेंट)	9.60	171.18
कुल एन.पी.ए	-	-
कुल राजस्व	49.30	35.72

18.33 बैंक ने किसी विशेष प्रयोजन की संस्था को प्रायोजित नहीं किया है.

प्रायोजित की गई विशेष प्रयोजन संस्था का नाम	
घरेलू	विदेशी
लागू नहीं	

18.34 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन

क्र	विवरण			2017-18
				राशि करोड़ रु में
1.	प्रतिभूतिकरण के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एस.पी.वी. की संख्या*			शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एस.पी.वी. की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि			
3.	तुलन पत्र की तारीख को एम.आर.आर. का अनुपालन करने के लिए बैंक के कुल ऋणों की राशि			
	क	तुलनपत्र में शामिल नहीं किए गए बैंक ऋण		
		प्रथम हानि		
		अन्य		
	ख.	तुलनपत्र में शामिल बैंक ऋण		
		प्रथम हानि		
		अन्य		
4.	एम.आर.आर. के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन में बैंक ऋण की राशि			
	क	तुलनपत्र में शामिल नहीं किए गए बैंक ऋण		
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरणों को बैंक ऋण	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
		ii)	अन्य पक्षकार प्रतिभूतिकरणों को बैंक ऋण	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
	ख. तुलनपत्र में शामिल बैंक ऋण	तुलनपत्र में शामिल बैंक ऋण		
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरणों को बैंक ऋण	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
		ii)	अन्य पक्षकार प्रतिभूतिकरणों को बैंक ऋण	
			प्रथम हानि	
			अन्य	

18.35 साख चूक स्वैप

बैंक का दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 अवधि के लिए कोई साख चूक स्वैप संव्यवहार नहीं है.

18.36 इन्ट्रा समूह एक्सपोजर

बैंक की एक समूह संस्था है अर्थात देना गुजरात ग्रामीण बैंक जिसने रु 594.35 करोड़ मीयादी जमा के समक्ष ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की है. इन्ट्रा समूह एक्सपोजर की तुलना में उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल एक्सपोजर प्रतिशत 0.80%. हैं.

इन्ट्रा समूह एक्सपोजर पर किसी सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है.

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

18.37 जमाकर्ता की शिक्षा और जानकारी निधि का अंतरण (डी.ई.ए.एफ.)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान डी.ई.ए.एफ. में अंतरित अदावाकृत देयता राशि के विवरण निम्नानुसार है.

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
डी.ई.ए.एफ. में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	267.37	235.90
जोड़: वर्ष के दौरान डी.ई.ए.एफ. में अंतरित राशि	73.89	47.62
घटाएं: दावों की डी.ई.ए.एफ. द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	9.43	16.15
डी.ई.ए.एफ. में अंतरित राशि का अंतिम शेष	331.83	267.37

18.38 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

एक्सपोजर के लिए आवश्यक वृद्धिशील पूंजी और प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बी.पी.बी.सी. 85/21.06.200/2013-14 दिनांक15.01.2014 और डी.बी.ओ.डी. सं. बी.पी.बी.सी. 116/21.06.200/2013-14 दिनांक 03.06.2014 पर आधारित है जो निम्नानुसार हैं: -

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, उपलब्ध आंकड़े, वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं से प्राप्त प्रमाणीकरण, जहां प्राप्त हो, के आधार पर बैंक ने और अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर हेतु रु 4.37 करोड़ (पिछले वर्ष रु 10.33 करोड़ की वृद्धि) की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रति पूंजीगत आवश्यकताएं रु 5.92 करोड़ (पिछले वर्ष पूंजीगत आवश्यकताओं में कमी होने के फलस्वरूप रु 5.10 करोड़) को प्रत्यावर्तित किया.

18.39 एल.सी.आर. का गुणत्मक प्रकटन

बेसल III के दिशानिदेशों के अनुसार बैंकों की अल्पकालिन चलनिधि की निगरानी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एल.सी.आर.की शुरुआत की है. एल.सी.आर. मानक का उद्देश्य यह है कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि भारमुक्त उच्च स्तर अर्थसुलभ आस्तियों का पर्याप्त स्तर बनाए रखा गया है जिसे 30 दिन की समय-सीमा में चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी में अंतरित किया जा सक ता है. न्यूनतम, चलनिधि आस्तियों का स्टॉक बैंक को दबावग्रस्त परिस्थितियों में 30 दिनों तक कार्य करने के लिए योग्यता देगा इस समय द्वारा यह माना जाता है कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

उच्च स्तर चलनिधि आस्तियों के साथ अगले 30 दिनों की कैलेंडर अवधि समाप्त होने कुल निवल नकदी बहिर्गमन के विभाजन द्वारा एल.सी.आर. की गणना की जाती है. एल.सी.आर. दिशानिदेशों के अनुसार, अगले 30 दिनों की कैलेंडर सीमा के लिए कुल अपेक्षित नकदी अंतर्वाह में से कुल नकदी बहिर्गमन ऋण करने पर निवल नकदी बहिर्गमन प्राप्त किया जाता है.

सी.आर.आर. से अधिक आरक्षित नकदी सहित नकद, अधिदेशी एस.एल.आर. आवश्यकताओं के अतिरिक्त एस.एल.आर. से अधिक सरकारी प्रतिभूति, सीमांत स्थायी सुविधा और राष्ट्रीक द्वारा जारी/ गारंटीकृत विक्रेय प्रतिभूति के अंतर्गत आर.बी.आई. द्वारा स्वीकृत सीमा तक सरकारी प्रतिभूति आदि एच.क्यू.एल.ए. में शामिल हैं. यह सभी आस्तियां भारमुक्त तथा नकद में अंतरित करने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए. बैंक के एच.क्यू.एल.ए. में ऐसी आस्तियां शामिल हो जो अर्थसुलभ हो या अल्पकालीन सूचना में चलनिधि आस्तियों में रुपांतरित की जा सकें.

बहिर्गमन के अंतर्गत एल.सी.आर. की गणना के लिए जिन मदों को ध्यान में रखा जाता है उनमें शामिल है सभी प्रकार की जमाराशियां जो 30 दिनों की अवधि में आहरणीय है, सी.सी./ ओ.डी. का अप्रयुक्त भाग और ऋण का गैर-संवितरित भाग तथा एल.सी. का अपेक्षित न्यागमन व 30 दिनों की अवधि में बैंक द्वारा जारी गारंटीयों का अभिचार आदि. जिसकी गणना पुराने डेटा के आधार पर की जा सकती है.

अंतर्वाह के अंतर्गत एल.सी.आर. की गणना के लिए जिन मदों को ध्यान में रखा जाता है उनमें शामिल है ऋण तथा अग्रिमों में वसूली, अन्य बैंक के साथ चलनिधि व्यवस्था या ऋण व्यवस्था जहां से बैंक को चलनिधि दबाव को कम करने के लिए निधि प्राप्त हो सकता है. बैंक की निधियन स्रोत विभिन्न प्रकार के हैं और निधियन स्रोत के केंद्रीकरण को टाला गया है.

बैंक की कोई सहयोगी कंपनी नहीं है. आर.बी.आई. के दिशानिदेशों के अनुसार, बैंकों को मार्च 2018 को 90% न्यूनतम एल.सी.आर. बनाए रखना है और हमारे बैंक का एल.सी.आर. 146.85% है.

18.40 चलनिधि कवरेज अनुपात

(रु करोड़ में)

		जून 2017 तिमाही की औसत		सितंबर 2017 तिमाही की औसत		दिसंबर 2017 तिमाही की औसत		मार्च 2018 तिमाही की औसत	
		कुल अभारित मूल्य 8	कुल अभारित मूल्य (औसत)9	कुल अभारित मूल्य 8	कुल अभारित मूल्य (औसत)9	कुल अभारित मूल्य 8	कुल अभारित मूल्य (औसत)9	कुल अभारित मूल्य 8	कुल अभारित मूल्य (औसत)9
उच्च स्तर अर्थसुलभ आस्तियां									
1	कुल उच्च स्तर अर्थसुलभ आस्तियां		24640.11		22777.04		22176.83		22559.04
नकदी बहिर्गमन									
2	रिटेल जमाराशियां और छोटे कारोबार वाले ग्राहकों से जमाराशियां , जिनमें सेः	79858.04	6851.69	78791.34	6755.99	79328.48	6805.20	80296.54	6890.31
(i)	स्थिर जमाराशियां	22682.22	1134.11	22462.92	1123.15	22553.17	1127.66	22786.93	1139.35
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	57175.83	5717.58	56328.41	5632.84	56775.31	5677.54	57509.61	5750.96
3	गैर-थोक निधियन, जिनमें से :	26319.02	10527.61	23689.58	9475.83	23118.85	9247.54	22291.27	8916.50
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	26319.02	10527.61	23689.58	9475.83	23118.85	9247.54	22291.27	8916.50
(iii)	गैर-जमानती कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	जमानती थोक निधियन		0.00		0.00		0.00		0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिनमें से	23359.15	1461.00	19315.74	1287.60	23199.46	1616.48	22132.76	1409.63
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यक्ताओं से संबंधित बहिर्गमन	74.79	74.79	24.26	24.26	116.14	116.14	0.00	0.00
(ii)	कर्ज उत्पादों के निधियन पर हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधा	13149.70	1049.84	9107.95	812.33	12989.33	1197.53	11676.76	1095.95
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	10101.32	303.04	10250.19	517.67	10094.00	302.82	10456.00	313.68
8	स्थिर जमाराशियां		18840.30		17586.09		17669.22		17216.44
नकदी अंतर्वाह									
9	जमानती निधियन (अर्थात प्रतिवर्ती रेपो)	1256.60	1256.60	1308.92	1021.59	652.75	352.75	1020.33	453.67
10	पूर्णतः निष्पादन एक्सपोजर से अंतर्वाह	4503.67	2616.86	2581.10	1465.63	2597.44	1870.75	1728.22	1129.42
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	0.00	0.00	138.63	138.63	213.33	213.33	266.24	266.24
12	कुल नकदी अंतर्वाह	5760.27	3873.46	4028.66	2652.85	3463.53	2436.83	3014.79	1849.33
									कुल समायोजित मूल्य[10]
21	कुल एच.क्यू.एल.ए.		24640.11		22777.04		22176.83		22559.04
22	कुल निवल नक्दी अईतवाऊह		14966.84		14960.23		15232.39		15367.12
23	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		166.24%		152.79%		145.94%		146.85%

8 अभारित मूल्यों बकाया शेष परिपक्व होने या 30 दिनों (प्रवाह और बहिर्गमन के लिए) के भीतर प्रतिदेय के रूप में और जहा अपेक्षित हो परिपत्र और एल.सी.आर. टेम्पलेट में उल्लिखित रूप में गणना की जानी चाहिए.

9 भारित मूल्यों की गणना संबंधित के हेयरकट (एच.क्यू.एल.ए. के लिए) या प्रवाह और बहिर्वाह दर (प्रवाह और बहिर्वाह के लिए) लागू होन के बाद की जानी चाहिए.

10 समायोजित मूल्यों (i) हेयरकट और प्रवाह और बहिर्वाह दरों और (ii) अन्य लागू कैप (उदाहरणतः एच. क्यू.एल.ए. के लिए स्तर 2 बी और स्तर 2 आस्तियों पर ए.सी.पी. और पूंजी प्रवाह पर कैप) की गणना लागू होन के बाद की जानी चाहिए.

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

18.41 वित्तीय समावेशन:

बैंक को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मार्च 2018 तक कुल 6,485 गांव, 2105 उप सेवा क्षेत्र (एस.एस.ए.) आबंटित किए गए. लक्ष्य के समक्ष, 746 उप सेवा क्षेत्र (एस.एस.ए.) को पारंपारिक बैंकिंग शाखा द्वारा तथा 1359 उप सेवा क्षेत्र (एस.एस.ए.) को बी.सी. मॉडेल द्वारा शामिल किया गया है.

18.42 यू.आई.डी.ए.आई. के अंतर्गत आधार हेतु नाम दर्ज करना :

बैंक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यू.आई.डी.ए.आई.) का गैर-राज्य रजिस्ट्रार है. द्वितीय चरण में, बैंक ने 79 नामांकन अभिकरणों को चुना है और विभिन्न नामांकन अभिकरणों के माध्यम से आधार नामांकन किया जा रहा है. मार्च 2018 को बैंक ने 10.59 करोड़ निवासियों का आधार नंबर के लिए नाम दर्ज कर दिया है.

18.43 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) :

आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई / 2015-16 / 366 एफआईडीडी.कॉ.पैनल.बीसी .23 / 04.0 9 .01 / 2015-16 दिनांक 7 अप्रैल 2016 के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान को पीएसएलसी की बिक्री / क्रय (श्रेणी के अनुसार) के विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ में)

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2017-18		वित्तीय वर्ष 2016-17	
	खरीदे गए	बेचे गए	खरीदे गए	बेचे गए
पीएसएलसी सामान्य	900.00	0.00	2050.00	300.00
पीएसएलसी सूक्ष्म उोग	0.00	0.00	700.00	0.00
पीएसएलसी कृषि	0.00	0.00	0.00	0.00
पीएसएलसी लघु और सीमांत किसान	2,295.00	0.00	300.00	0.00
कुल	**3,195.00**	**0.00**	**3050.00**	**300.00**

18.44 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीद

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने विभिन्न विक्रेताओं से य 88.71 करोड़ की खरीद की. (पिछले वर्ष रु 44.25 करोड़) इसमें से एम.एस.ई. से की गई खरीद रु 7.84 करोड़ है और उनमें से एस.सी./एस.टी. उद्यमियों के स्वामित्ववाली एम.एस.ई. इकाइयों से की गई खरीद रु 1.48 करोड़ है. एम.एस.ई. के लाभ के लिए इसके विवरण बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा रहे है.

31 मार्च 2018 तक ऐसी कोई भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं है जिस पर 45 दिन से ज्यादा बकाया रहा हो. यह सूचना सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम, 2006 में निर्धारित बैंक में उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसी उद्यमों को पहचान कर प्रकट करना जरूरी था.

18.45 देना बैंक में भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर नोट :

18 जनवरी, 2016 को सूचित एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) द्वारा तैयार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आईएफआरएस (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों) के साथ इंडस्ट्रीज़ (भारतीय लेखा मानक) के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 फरवरी 2016 को अधिसूचना जारी कर बैंकों द्वारा इंडस्ट्रीज़ के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत निर्देश दिए.

बैंक ने कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली एक संचालन समिति का गठन किया है और इसमें भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन के लिए चार महाप्रबंधक शामिल हैं. 30 सितंबर, 2016 को समाप्त हुए छमाही और जून 2017 को समाप्त तिमाही के लिए प्रारूप को भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत कर दिया गया है. बैंक के अधिकारियों को आईसीएआई / एनआईबीएम (बैंकिंग प्रबंधन संस्थान) आदि से भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण दिया गया है.

निर्धारित समय रेखा के अनुसार इंडस्ट्रीज़ के कार्यान्वयन में बैंक को निर्देश देने के लिए बैंक द्वारा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं..

तथापि दिनांक 05.04.2018 की विकास विनियामक नीतियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के विवरण के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन को एक वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थगित कर दिया गया है.

18.46 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.):

चूंकि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान घाटे में रहा है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2016-17 और वित्तीय वर्ष 2017-18 में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) गतिविधियों के लिए निधि आवंटित नहीं किया गया है.

तथापि, विद्यमान वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सी.एस.आर. के अंतर्गत रु 2.55 करोड़ की राशि व्यय की है;

तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	गतिविधि व्यय की गई राशि	व्यय की गई राशि
1	देना ग्रामीण विकास फाउंडेशन (डी.आर.डी.एफ.) - आधारभूत निधि	रु 2.20
2	देना आर-सेटी भवन/नों का निर्माण	रु 0.35
	कुल	रु 2.55

18.47 पिछले वर्ष के आंकडों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए आवश्यकतानुसार उन्हें पुनःसमूहित / पुनःवर्गीकृत / पुनःव्यवस्थित किया गया है.

रमेश एस. सिंह
कार्यपालक निदेशक

डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी
कार्यपालक निदेशक

अशोक कुमार सिंह
निदेशक

एस.सी. मुरमु
निदेशक

जी. गोपालकृष्ण
निदेशक

अमित चटर्जी
निदेशक

डॉ यशोवर्धन वर्मा
निदेशक

राकेश कुमार
निदेशक

ए. भद्रा
सहा. महा प्रबंधक

पंकज मित्तल
उप महा प्रबंधक

उषा रवि
महा प्रबंधक

कृते, रमेश सी. अग्रवाल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(आर. सी. अग्रवाल)
भागीदार
एम. सं 070229
एफ.आर.एन. 001770C

कृते, ए.बी.पी. एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
एम. सं 057140
एफ.आर.एन. 315104E

कृते, कैलाश चंद जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(संदीप के. जैन)
भागीदार
एम. सं 110713
एफ.आर.एन. 112318W

कृते, सारदा एण्ड पारीक
सनदी लेखाकार

(निरंजन जोशी)
भागीदार
एम. सं 102789
एफ.आर.एन. 109262W

स्थान : मुंबई
दिनांक : 11.05.2018

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रु '000 में)

			31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
भाग I – परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह						
कर के पश्चात निवल लाभ				**(19231532)**		**(8636248)**
जोड़ें / (घटाएं) गैर नकदी मदें और अन्यत्र विचारित मदें :						
1	स्थिर आस्तियों पर अवक्षयण		797210			**31317**
2	स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ (+) / हानि (–)		6046		3841	
3	निवेशों पर अदा किये गये प्रीमियम का परिशोधन		731282		621465	
4	सॉफ्टवेयर व्ययों का परिशोधन		91968		81531	
5	दीर्घावधि ऋणों पर अदा ब्याज		4399234		5106718	
6	प्रावधान और आकस्मिकताएं (आई./डब्ल्यू./ डी.टी.एल. को छोड़कर)		43499101		26655680	
7	आयकर और डी.टी.एल. के लिए प्रावधान		(12556000)		(4117300)	
8	संपदा कर के लिए प्रावधान		0		0	
9	अवकाश नकदीकरण बीमांकित मूल्यन		(95100)		74600	
10	बीमारी अवकाश के लिए प्रावधान		0		0	
11	सिल्वर जुबिली माइल स्टोन अवार्ड के लिए प्रावधान		(100)		400	
12	अवकाश किराया रियायत कि लिए प्रावधान		0		0	
13	पुनर्वास सेवा के लिए प्रावधान		(1900)			**1300**
14	वेतन आशोधन के लिए प्रावधान			**600000**		**0**
				37471741		**28459552**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ			**18240209**		**19823304**
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन के लिए समायोजन :					
1	निवेशों में (वृद्धि) / कमी		18507560		(49073703)	
2	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		26565006		73726686	
3	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		5031000		992512	
4	जमाराशियों में (वृद्धि) / कमी		(78126250)		(34881929)	
5	उधार राशियों में (वृद्धि) / कमी (वित्तीय क्रियाकलापों के अतिरिक्त)		251233		(13104488)	
6	अन्य देयताओं में (वृद्धि) / कमी		(7356899)	**(35128350)**	3791840	**(18549082)**
परिचालन से जनित नकदी				**(16888141)**		**1274222**
आयकर वापसी /(भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर)				**(240956)**		**(171402)**
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह				**(17129097)**		**1102820**
भाग II – विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह						
अचल सम्पत्तियों का क्रय (अमूर्त संपत्ति सहित)			(762171)		(532210)	
अचल सम्पत्तियों का विक्रय			9170		17245	
निवेश गतिविधियों में विनियोजित निवल नकदी				**(753001)**		**(514965)**
परिचालन और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				**(17882097)**		**587855**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
भाग III– वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
जुटाई गई ईक्विटी शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	42385921		4459999	
आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	(7923292)		7923292	
बेसल III अनुपालन में ए.टी.– I बाण्ड	0		4000000	
निम्न टीयर –II बांड भुगतान	0		(3000000)	
बेसल III अनुपालन ए.टी.– I बाण्ड निर्गमित बाण्ड	(14000000)			
नवोन्मेषी बेमीयादी कर्ज लिखत	(1250000)		0	
दीर्घावधि ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज	(4399234)		(5106718)	
वित्तीय गतिविधियों में विनियोजित निवल नकदी	0	**14813395**		**8276573**
नकदी और नकदी सममूल्य में निवल वृद्धि / कमी	0	**(3068702)**		**8864428**
नकदी और नकदी सममूल्य (अथ शेष)	62643313		53778885	
नकदी और नकदी सममूल्य (इति शेष)	59574611		62643313	
सममूल्य के अथ शेष एवं इति शेष में अंतर		**3068702**		**8864428**

उषा रवि	रमेश एस. सिंह	डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी
महा प्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

हमने देना बैंक के 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण की जाँच की है. यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता करार (खंड-32) की अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक द्वारा तैयार किया गया है तथा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट में समाविष्ट बैंक के तदनुरूपी लाभ एवं हानि लेखों तथा तुलन पत्र पर आधारित हैं और उसके अनुरूप है.

कृते, रमेश सी. अग्रवाल एण्ड कंपनी	कृते, ए.बी.पी. एण्ड एसोसिएट	कृते, कैलाश चंद जैन एण्ड कं.	कृते, सारदा एण्ड पारीक
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
(आर. सी. अग्रवाल)	(प्रभात कुमार पांडा)	(संदीप के. जैन)	(निरंजन जोशी)
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम. सं 070229	एम. सं 057140	एम. सं 110713	एम. सं 102789
एफ.आर.एन. 001770C	एफ.आर.एन. 315104E	एफ.आर.एन. 112318W	एफ.आर.एन. 109262W

स्थान : मुंबई
दिनांक : 11.05.2018

देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालयः देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

बैंक के पास ई मेल आई.डी. का पंजीकरण
(भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए)

कम्पनी सचिव
देना बैंक, निवेशक संपर्क कक्ष,
देना कार्पोरेट सेन्टर,
सी-10, जी ब्लॉक, बाद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स
बाद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

प्रिय महोदय,
मैं देना बैंक से अनुरोध करता हूँ कि सामान्य बैठकों की सूचना, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों के लिए मेरा निम्नलिखित ई मेल पता रजिस्टर करें और सूचना भौतिक माध्यम से भेजने के बजाय इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजें.

फोलियो सं.	
प्रथम / एकल शेयरधारक का पूरा नाम	
ई मेल आई.डी.(उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पंजीकृत किया जाना है)	
मोबाइल / दूरभाष सं.	
दिनांक	हस्ताक्षर

सभी कॉलम भरना अनिवार्य है.

अनिवार्य सूचना

टिप्पणीः
1. यदि आपके पास बैंक के शेयर डीमेट (इलेक्ट्रानिक) रूप में हैं तो बैंक उपर्युक्त दस्तावेज आपके द्वारा प्रदत्त ई मेल पते पर इलेक्ट्रानिक रूप में भेजने का प्रस्ताव करता है, जो आपके जमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा.
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक को सूचित करें कि उनके पास शेयर भौतिक रूप में है. यदि शेयर डिमेट (इलेक्ट्रानिक) रूप में हैं तो उनके डी.पी., जैसे भी स्थिति हो, को उनके ई मेल आईडी में परिवर्तन के बारे में सूचित करें.

देना बैंक
DENA BANK

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि देना बैंक के शेयर धारकों की 22वीं वार्षिक सामान्य सभा बुधवार, 27 जून, 2018 को प्रातः 11.00 बजे सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, जे.वी.पी.डी. स्कीम, कूपर हास्पिटल के पास, जुहू विले पार्ले (पश्चिम) मुंबई 400056 में निम्नांकित कार्यों को संपादित करने हेतु आयोजित होगीः-

1. 31 मार्च 2018 के तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों, बैंक के कामकाज एवं गतिविधियों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखा पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन एवं अंगीकार करना.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते देना बैंक

(अमित कुमार)
कंपनी सचिव

स्थानः मुंबई
दिनांकः 30.05.2018

टिप्पणियां

1. मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रसरकार के अतिरिक्त तदनुरुपी नए बैंक के किसी भी शेयरधारक को केंद्र सरकार के अलावा, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का, उसके द्वारा धारित शेयरों के लिए 10 प्रतिशत से अधिक मत देने का अधिकार नहीं होगा. अधिनियम में हुए किसी संशोधन के कारण, विनियमन अधिनियम, योजना और विनियमों में भी कोई या विद्यमान प्रक्रिया जो सूचना में दी गई है, के किसी भाग में परिवर्तन होता है, तो वह संशोधन प्रभावी होगा.

विनियम 68 के अनुसार, उपर्युक्त की शर्त पर, प्रत्येक शेयरधारक, जो निर्धारित तिथि अर्थात् बुधवार, 20 जून, 2018 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, तक उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत का अधिकार होगा.

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं, तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम प्रथम है, वह मतदान के संदर्भ में, एकल धारक माना जाएगा. अतः, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो जिस व्यक्ति का नाम प्रथम है, वह ही बैठक में भाग ले सकता है और वह ही नामांकन, भाग लेने और बैठक में मतदान करने के लिए पात्र होगा.

2. मुख्तारी की नियुक्ति

सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने का / के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर सभा में किसी अन्य को उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का पात्र होगा / होगी. प्रतिनिधित्व प्रभावी हो, इस दृष्टि से प्रतिनिधि नियुक्त करने के पात्र अर्थात मुख्तारी फार्म में सूचना 22वीं वार्षिक सामान्य सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, 22 जून, 2018 को काम-काज का समय समाप्त होने के समय या उससे पूर्व बैंक को विनिर्दिष्ट स्थल पर अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति उक्त बैठक में किसी कंपनी या निगमित निकाय, जो कि बैंक का शेयर धारक है, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा या मतदान नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसे प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने के बारे में पारित संकल्प की प्रतिलिपि, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की गई हो जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया था, 22वीं वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 22 जून, 2018 को कार्यालय समय की समाप्ति तक या उसके पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कम्पनी सचिव, निवेशक संपर्क केन्द्र, देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 के पास जमा नहीं कर दी जाती.

4. उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है. शेयरधारकों/मुख्तारनामा धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे सभा स्थल पर प्रस्तुत करें. शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि / मुख्तारी उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची में मुख्तारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करें. सभा स्थल में प्रवेश की अनुमति केवल वैध उपस्थिति पर्ची -सह - प्रवेश पास के आधार पर ही दी जाएगी.

5. बही बंद रखना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण रजिस्टर वार्षिक सामान्य सभा और लाभांश की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरूवार, 21 जून, 2018 से बुधवार, 27 जून, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगे.

6. लाभांश

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक के मंडल के निदेशकों ने किसी लाभांश की संस्तुति नहीं की है.

7. अंतरण

कागजी रूप में धारित शेयर प्रमाण पत्रों को अंतरण विलेख सहित बैंक के पंजीयक एवं अंतरण एजेन्ट को भेजा जाना चाहिए.

8. दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो तो

केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत वित्तीय वर्ष 1996-97 से 1999-2000, 2006-07 से 2009-10 तक के लिए लाभांश निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आई.ई.पी.एफ.) में अंतरित कर दिया गया है.

इसके अतिरिक्त, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार, यदि अदत्त लाभांश खाते में अंतरण के सात वर्षों तक लाभांश की राशि अदत्त रहती है या उसके लिए कोई दावा नहीं किया जाता तो उसे आई.ई.पी.एफ. में अंतरित किया जाता है.

ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 हेतु लाभांश वारंट का नकदीकरण नही किया है / लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी करने/ पुनः वैध करने हेतु बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट से संपर्क करें.

वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांश 24 जुलाई, 2018 को आई.ई.पी.एफ. को भेज दिए जाएंगे.

9. पते में परिवर्तन

ऐसे शेयरधारक जिनकी शेयर धारिता इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं उनसे अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते में, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसकी सूचना रजिस्ट्रार तथा बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेण्टों को न दें, अपने डिपाजिटरी को दें कि शेयर धारक, जिनकी शेयर धारिता भौतिक रूप में है, उनसे अनुरोध है कि वे उनके पंजीकृत पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना निम्नलिखित पते पर रजिस्ट्रार तथा बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेण्टों को दें.

मे. लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ईकाई : देना बैंक
सी 101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)
मुंबई, महाराष्ट्र - 400 083
टेलीफोनः 022-49186270
टेलीफैक्सः 022-49186060
ई-मेलः rnt.helpdesk@linkintime.co.in

10. अपना ई मेल पता पंजीकृत करके दस्तावेज ई मेल के माध्यम से प्राप्त करें

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के विनियम 36 में सूचीबद्ध कंपनी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी अपने उन सभी शेयरधारकों को भेजने के लिए अनुमति दी गई है जिनके इस उद्देश्य के लिए कंपनी के पास ई मेल पते पंजीकृत हैं.

इसके अतिरिक्त, सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अन-ुसार रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया शेयरधारकों को मेल द्वारा भेजी जाएगी.

जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपने ई मेल आई.डी पंजीकृत नहीं कराए हैं और उनके शेयर भौतिक रुप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई मेल आईडी रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट के पास पंजीकृत करवाएं. यदि उनके शेयर इलेक्ट्रानिक रुप में हैं तो वे अपने डिपाजिटरी सहभागी के पास अपना ई मेल आईडी दर्ज करवाएं ताकि इसके बाद उनको दस्तावेज उक्त ई मेल पते पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजे जा सके. उनकी सुविधा के लिए ई मेल के विवरण सूचित करने के लिए फार्मेट वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रुप में संलग्न है.

11. इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान

कंपनियों (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 नियम 20 के साथ पठित सेबी (एल.ओ.डी.आर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, आपके बैंक को ई-मतदान सुविधा उपलब्ध कराने में खुशी होती है ताकि शेयर धारक सूचना में उल्लिखित मदों पर अपने मतदान इलेक्ट्रानिक रुप में कर सके. बैंक ने ई-मतदान प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए ई-वोटिंग एजेंसी के रुप में मेसर्स नैशनल सिक्यूरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड को नियुक्त किया है. ई-मतदान वैकल्पिक है. शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों के ई-मतदान की गणना बुधवार, 20 जून, 2018 को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी जो कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित / अंतिम तारीख है. बैंक के जिन शेयरधारकों के पास निर्धारित / अंतिम तारीख को भौतिक या बेकागजी रुप में शेयर हैं वे अपना मतदान इलेक्ट्रानिक रूप में कर सकते हैं.

मतदान की सुविधा ए.जी.एम. में उपलब्ध कराई जाएगी और सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं किए हैं, वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं

सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले ही वोट कर दिया है वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु वे पुनः वोट डालने के लिए हकदार नहीं होगें

रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करेः

क) ई-वोटिंग के लिए निम्नलिखित यू.आर.एल. https://www.evoting.nsdl.com को खोलें.

ख) लॉगइन विवरण अर्थात यूजर आई.डी. और पासवर्ड प्रविष्ट करें. आपका यूज़र आई.डी. 108405 + फोलियो सं. (यदि शेयर कागजीकृत रूप में हैं तो) / डी. पी. आई.डी.+ क्लाइंट आई.डी.(यदि शेयर डीमैट रूप में हैं). यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो, आप लॉग इन के लिए अपने विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं.

ग) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने के लिए evotingnsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या विवरण जैसे डीमैट खाता संख्या या फोलिओ संख्या, पैन नंबर, इत्यादि उपलब्ध कराकर एनएसडीएल के टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर संपर्क करके उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.

नोटः शेयरधारक जो उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड भूल गए हैं वे www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए? या भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड? विकल्प का उपयोग कर सकते हैं.

घ) सही तरीके से विवरण भरने के बाद, "लॉगिन" पर क्लिक करें.

ड़) यूजर आई.डी और पासवर्ड भरें. लॉगिन पर क्लिक करें.

च) यदि आप पहली बार लॉगइन कर रहे हैं तो पासवर्ड चेंज का मेन्यू आएगा. अपनी इच्छा के अनुसार पासवर्ड बदलें जो कि कम से कम 8 अंकों का/ अक्षरों का या उनका मिश्रण हो. कृपया एन.एस.डी.एल. ई-वोटिंग प्लेटफार्म पर भावी सभी ई-वोटिंग चक्रों के लिए नए पासवर्ड को नोट करें. आपको सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी और व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए हर संभव सावधानी बरतें.

छ. ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा. मतदान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए "ई-वोटिंग" पर क्लिक करें.

ज. देना बैंक के ई.वी.ई.एन. (ई-वोटिंग इवेंट संख्या) का चयन करें. ई.वी.ई.एन. के लिए, आप एन.एस.डी.एल. के ई-वोटिंग प्लेटफार्म पर तब तक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं जब तक कि आप मतदान अवधि के दौरान संकल्प पर मतदान नहीं कर देते.

झ. इसके बाद जैसे ही "कास्ट वोट" पेज खुलेगा. आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं.

ञ. अपने उपयुक्त का चयन करके आप अपना मतदान कर सकते हैं और सबमिट पर क्लिक करें तथा नया पैनल सामने आने पर "कनफर्म" भी करें.

ट. पुष्टि होने के बाद "वोटिंग कास्ट सक्सेसफुल्ली" का संदेश प्रदर्शित होगा.

ठ. कृपया नोट करें एक बार मतदान किये जाने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता.

ड. संस्थागत सदस्य (अर्थात सदस्यों एच.यू.एफ., एन.आर.आई. आदि व्यक्तियों के अतिरिक्त) को भी विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / हस्ताक्षरकर्ताओं, जिनको मतदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर / हस्ताक्षरों के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि सहित की स्कैन की हुई कॉपी (पी.डी.एफ. / जे.पी.जी. फॉर्मेट) संवीक्षाकर्ता को ई-मेल scrurinizer@sanco.net द्वारा तथा उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in पर भेजनी है. आप दस्तावेजों को रजिस्टार के ई-मेल आई.डी. enotices@linkintime.co.in पर भी भेज सकते हैं.

यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://www/evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या आप श्री राजीव रंजन; मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (इकाई: देना बैंक) से दूरभाष सं 022-49186000 पर संपर्क कर सकते हैं.

ढ. भावी सूचना भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोलियो के यूजर प्रोफाइल ब्योरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आई-डी को अद्यतन भी कर सकते हैं.

ण. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 24.06.2018 (प्रातः 9.00 बजे) शुरु होगी और मंगलवार 26.06.2018 को (सायं 5 बजे) समाप्त होगी. इस अवधि के दौरान अर्थात निर्धरित तिथि बुधवार 20.06.2018 को कागजी रुप में या डीमैट रुप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रुप से अपना वोट डाल सकते हैं. तत्पश्चात ई-वोटिंग मॉडयूल को एन.एस.डी.एल. द्वारा मतदान के लिए बंद किया जाएगा. शेयरधारक द्वारा एक बार किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद उक्त शेयरधारक को बाद में उसे बदलने या परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी.

त. शेयरधारकों को वोटिंग अधिकार कट-ऑफ दिनांक के अनुसार बैंक की ईक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा.

थ. कोई व्यक्ति, जिन्होंने कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया है और सूचना प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन गए हैं और निर्दिष्ट तिथि अर्थात बुधवार 20 जून, 2018 तक शेयरधारिता रखते हैं तो वे evoting@nsdl.co.in को एक अनुरोध भेजकर लॉगिन और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.

द. तथापि, यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एन.एस.डी.एल. में पंजीकृत हैं, तो आप अपने मतदान के लिए अपने विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं, यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप अपना पासवर्ड www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फॉरगेट यूजर डिटेलस/ पासवर्ड" या भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड का उपयोग करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं या एनएसडीएल से निम्न टोल फ्री सं.: 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते है.

न. बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम, एण्ड कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी विधि से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रुप में नियुक्त किया है.

प. जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के विकल्प का चयन नहीं किया है, वे इस नोटिस के स्पष्टीकरण वक्तव्य खंड में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार **बुधवार, 27 जून, 2018** को मतदान के लिए अपना वोट दे सकते हैं.

ई-वोटिंग परिणाम बैंक की वार्षिक सामान्य सभा में या उसके बाद घोषित किए जाएंगे. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वार्षिक सभा में उक्त संकल्प को पारित करने और एन.एस.ई. / बी.एस.ई. को संसूचित करने के दो दिनों के अंदर बैंक की वेबसाइट www.denabank.com और एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट अर्थातः https://www.evotingnsdl.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे.

12. अन्य :

क. कृपया ध्यान दे कि, आर्थिक आधार पर, वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सामान्य सभा में वितरित नही की जाएंगी. इसलिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैठक के स्थल पर अपनी प्रतियां साथ लाएं.

ख. शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक के आयोजन स्थल पर कोई उपहार/कूपन का वितरण नहीं किया जाएगा.

ग. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे बैग / ब्रीफकेस / टेप रिकॉर्डर, कैमरे इत्यादि ना लाएं क्योंकि ये मदें सुरक्षा जांच के अधीन हैं और उन्हें स्थल पर अनुमति नहीं दी जा सकती है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते देना बैंक

स्थानः मुंबई
दिनांकः 30.05.2018

(अमित कुमार)
कंपनी सचिव

देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालयः देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

फार्म बी

मुख्तारी(प्रॉक्सी) फार्म

(शेयर धारक द्वारा भरा व हस्ताक्षर किया जाना है)

रजि.फोलियो नं	डीपी आईडी नं.	शेयरों की संख्या
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)	ग्राहक आई डी नं. (यदि बेकागजीकृत है)	

मैं / हम ______________________ राज्य के ______________________ जिले में स्थित ______________________ का / के निवासी देना बैंक का / के शेयरधारक / शेयरधारकों के रूप में एतद्द्वारा ______________________ जिले में स्थित ______________________ का / के निवासी श्री/श्रीमती ______________________ को अथवा उसकी अनुपस्थिति में ______________________ राज्य के ______________________ जिले में स्थित ______________________ का /के निवासी श्री / श्रीमती ______________________ को देना बैंक की **बुधवार, 27 जून 2018** को प्रातः 11:00 बजे सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जे.वी.पी.डी. स्कीम, कूपर अस्पताल के पास, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में आयोजित होने वाली शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य सभा और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरे / हमारे लिए तथा मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना मुख्तारी नियुक्त करता हूं / करते हैं.

इस ________ पर 2018 के ________ दिन हस्ताक्षर किए.

₹1 का राजस्व टिकट

____

प्रथम नामित/ एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम ______________________

पता ______________________

____

____

मुख्तारी के हस्ताक्षर

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुति करने हेतु अनुदेश :

1. मुख्तारी लिखत तभी वैध होगा जब
   (क) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में वह उसके द्वारा या उसके / उसकी अटर्नी द्वारा लिखित रुप में विधिवत हस्ताक्षरित किया गया हो.
   (ख) संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्यता रजिस्टर में प्रथम नामित द्वारा अथवा लिखित रुप में विधिवत प्राधिकृत उसके / उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
   (ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रुप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो. यह ध्यान देना होगा कि प्रॉक्सी की नियुक्त करने के अधिकार/विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रुप में प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी.
2. ऐसी मुख्तारी लिखत, किसी शेयरधारक द्वारा समुचित रुप से हस्ताक्षरित होगी, जो किसी कारण से उनका/उनकी नाम लिखने में असमर्थ हो, यदि उनका/उनकी पहचान लगाया उसपर लगाया गया हो और किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, इंश्यूरेंस के रजिस्ट्रार या उप - रजिस्ट्रार या किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या देना बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो.
3. मुख्तारी के साथ
   (क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हों,
   (ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की एक प्रति वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् शुक्रवार, **22 जून 2018** को कार्य समय के दौरान या उससे पहले कंपनी सचिव, निवेशक संपर्क केंद्र, देना बैंक, प्रधान कार्यालय, देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी-ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 में जमा की जानी चाहिए.
4. कोई भी मुख्तारी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत स्टाम्पित न हो.
5. बैंक में जमा की गई मुख्तारी लिखत **अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी.**
6. दो अनुदान - ग्राहियों के पक्ष में वैकल्पिक रुप से प्रदत्त मुख्तारी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म का निष्पादन नहीं होगा.
7. जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रुप से मदतान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो.
8. देना बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्रतिनिधि या मुख्तारी के रुप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालयः देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

22वीं वार्षिक सामान्य सभा

दिनांक : बुधवार, 27 जून, 2018 को प्रातः 11:00 बजे

स्थान: सभागार, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेज, जे वी पी डी योजना, कूपर अस्पताल के पास, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056

उपस्थित पर्ची

(स्थान पर प्रवेश के समय पर प्रस्तुत की जानी है)

नाम और पता स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/ए.आर.)			
शेयरों की संख्या			
रजि.फोलियो नं. (यदि बेकागजीकृत न हो)		**डीपी आईडी नं. व ग्राहक आई डी नं.** (यदि बेकागजीकृत हो)	
सभा में उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

....यहां से काटें ....

देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालयः देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

22वीं वार्षिक सामान्य सभा

दिनांक : बुधवार, 27 जून, 2018 को प्रातः 11:00 बजे

स्थान: सभागार, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेज, जे वी पी डी योजना, कूपर अस्पताल के पास, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056

प्रवेश पत्र

(सभा के दौरान साथ रखा जाए)

नाम और पता स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/ए.आर.)			
शेयरों की संख्या			
रजि.फोलियो नं (यदि बेकागजीकृत न हो)		डीपी आईडी नं. व ग्राहक आई डी नं. (यदि बेकागजीकृत हो)	
सभा में उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों / प्रॉक्सी अथवा शेयरधारक / कों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि स्थान में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र के साथ बैंक में पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षरों के अनुरुप उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची विधिवत हस्ताक्षर करें. हालांकि, स्थान में प्रवेश सत्यापन / जांच, जो भी आवश्यक हो, की शर्त पर करने दिया जाएगा, प्रवेश पास - बैलट पेपर पास का शेयरधारकों / प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा इसे बैठक के समापन तक पास रखना होगा. बैलेट पेपर पास के भाग को मतपत्र प्राप्त करने के लिए जमा करना होगा. किसी भी परिस्थिती में, उपस्थिति पर्ची सह-प्रवेश पास सह मतदान पेपर पास की दूसरी प्रति बैठक के प्रवेश द्वार पर जारी नहीं की जाएगी.

प्रधान कार्यालयः देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालयः देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

22वीं वार्षिक सामान्य सभा

दिनांक : बुधवार, 27 जून, 2018 को प्रातः 11:00 बजे

स्थान: सभागार, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेज, जे वी पी डी योजना, कूपर अस्पताल के पास, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056

मतदान पत्र पास

(मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतदान काउंटरों पर जमा करने के लिए)

नाम और पता स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/ए.आर.)			
शेयरों की संख्या			
रजि.फोलियो नं. यदि बेकागजीकृत न हो)			
		डीपी आईडी नं. व ग्राहक आई डी नं. (यदि बेकागजीकृत हो)	
सभा में उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

देना बैंक DENA BANK

ई.सी.एस. अधिदेश फॉर्म

(भौतिक रूप में रखे गए इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए)

(कृपया विवरण स्पष्ट अक्षरों में लिखकर प्रस्तुत करें.)

कम्पनी सचिव
देना बैंक, निवेशक संपर्क कक्ष,
देना कार्पोरेट सेन्टर,
सी-10, जी ब्लॉक, बाद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स
बाद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

प्रिय महोदय,

फोलियों सं.: _______________

ई.सी.एस के बारे में आपके परिपत्र के संदर्भ में मैं / हम आपसे अनुरोध करता हूँ / करते हैं कि लाभांश का भुगतान निम्नलिखित माध्यम से किया जाए.

☑ इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सेवाओं के माध्यम से मेरे बैंक खाते में सीधे जमा करें.

बैंक का नाम	
शाखा का नाम एवं नगर का पता	
दूरभाष सं.	
खाता सं.	
खाते का प्रकार	बचत ( ) / चालू( ) / नकद उधार( ) / ओवरड्राफ्ट ( )
बैंक द्वारा जारी एम.आई.सी.आर. चेक पर लिखे गये बैंक और शाखा की 9 अंक की कोड संख्या	
आई.एफ.एस.सी.कोड	

(कृपया चेक की फोटोकॉपी या रद्द किया हुआ चेक संलग्न करें.)

प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम :

पता :

दूरभाष सं मोबाइल..............

घोषणा

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उपर दिये गये विवरण सही और पूर्ण हैं. यदि अपूर्ण और गलत सूचना के कारण लेन-देन में विलंब होता है या लेन-देन नहीं होता है तो उसके लिए मैं देना बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराउंगा. मैं समझता हूँ कि बैंक के नियंत्रण से बाहर कोई अप्रत्याशित घटना होने पर, जिससे ई.सी.एस. के माध्यम से लाभांश का भुगतान न हो सके, मुझे देय लाभांश को भौतिक लाभांश वॉरंट के माध्यम से भेजने का भी बैंक के पास अधिकार आरक्षित है. उपर दिये गये खाते के विवरण भुगतान लिखत में शामिल किये जाएं.

भवदीय,

स्थान :
दिनांक :

(प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर)

टिप्पणी: जिन शेयरधारकों के बैंक के ईक्विटी शेयर डीमेट रूप में हैं वे लाभांश वारंट प्राप्त करेंगे / इसीएस के माध्यम से लाभांश की रकम उनके खाते में जमा की जाएगी या अन्यथा उनके संबंधित डिपोजिटरी के पास उनके बैंक खाते के विवरण और पते के अनुसार जमा की जाएगी.

MESSAGE FROM EXECUTIVE DIRECTOR

Dear Shareholders,

It gives me great pleasure to place before you the Annual Report of your Bank for the year 2017-18.

During the year:

Bank had raised capital of Rs. 401.26 Crore in the month of October, 2017 by issue of Equity shares under Qualified Institutions Placements (QIP) from market.

Government of India has infused an amount of Rs. 3045 Crore as capital. The capital infused has helped your Bank in maintaining capital adequacy ratio of 11.09%.

Further, Bank has repaid its borrowings through redemption of Tier I IPDI Bonds of Rs. 125 Crore and Basel III compliant Additional Tier I bonds of Rs. 1400 Crore, by exercising call option.

This year, your Bank was adjudged as winner in the category of "Best Financial Inclusion Initiatives" amongst small Banks in the IBA Banking Technology Awards 2018, a recognition we cherish for the continuous efforts put by your Bank towards progress of financial inclusion in our country.

Before apprising you about other performance highlights of the Bank for the financial year 2017-18, let me briefly mention the economic environment in which your bank is functioning, both Global and Indian environments, the recent trends in the Indian banking industry, its challenges, opportunities and Road Ahead.

Economic Overview

The recovery in Global Economy has become broader and stronger since mid-2016. According to the World Economic Outlook report, the world Economy growth at 3.8% was the fastest since 2011.On the back of improved global investment and trade, the growth is expected to tick upto 3.9% in 2018 & 2019. The future prospects of growth momentum are bright as all countries have room for structural reforms and fiscal policies that raise productivity and enhance inclusiveness.

Indian Economy

In the financial year 2017-18, the Indian Economy has achieved a milestone in terms of introduction of Goods & Services Tax (GST). The GST has helped in increasing the tax base of the Economy and discipline in tax payment culture. Another achievement is the Digital India programme. It not only helped our country to move towards a less cash dependent economy but also expected to bring in the social benefits to the poor more effectively.

The recapitalization plan for major public sector banks announced in 2017 helped replenish capital buffers and improved the banking sector's ability to support growth. However, strong mechanisms need to be brought in to control increasing level of NPAs and frauds in Banks. The implementation of Insolvency and Bankruptcy Code has created a huge expectation from all stakeholders and is expected to help banking sector in time bound debt recovery mechanisms and to come out of the Corporate NPAs which many Banks are saddled with.

The Economy's Macro fundamentals, Inflation and Industrial Production showed mixed picture of growth during financial year 2017-18 with low production and low inflation levels.

The journey of economic reforms during the past few years has been challenging but at the same time rewarding. As a result of the reforms undertaken by the Government, foreign direct investment has gone up. Measures taken by the Government have made it much easier to do business in India. Natural resources are now allocated in a transparent and honest manner.

Banking Industry Trends

During financial year 2017-18, banks were contended with multiple challenges tied to regulations, legacy systems, disruptive models, technologies, new competitors, and a restive customer base while pursuing new strategies for sustainable growth. Banks' balance sheets are strained with provisioning from increased NPA levels resulting in lower profitability.

Though, Banking Industry is experiencing the heat of various challenges, the regulatory steps such as, issuance of Recapitalization bonds, Revised NPA framework and implementation of Insolvency & Bankruptcy Code by the Government of India and the RBI, is expected to bring Industry out of this stressful scenario.

Long-term sustainable growth in the banking industry is expected only through continuous Customer centricity, Regulatory recalibrations, Technology Management & adoptions, mitigating cyber risks and reorganizing our workforce to suit new environments.

Performance of the Bank

The key highlights of your Bank's performance during financial year 2017-18:

- I am glad to inform you that during FY 2017-18, your Bank has achieved and surpassed all regulatory targets given under Priority Sector Agriculture, Non- Corporate Farmers, Small & Marginal Farmers, Weaker Section and Micro Enterprises.
- Bank continued its stand on shedding high cost deposits and accordingly the CASA % to Total deposits ratio increased from 37.93% in March, 2017 to 40.03 % in March, 2018.
- The Credit to Deposit CD ratio of the Bank increased from 68.05% in March, 2017 to 69.95 % in March, 2018.
- Agricultural Advances increased from Rs.16,375 Crores as on 31st March, 2017 to Rs. 18,179 Crores as on 31st March, 2018, registering a growth of 11.02% and constituted 21.38% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) surpassing the regulatory target of 18%.
- Priority Sector advances as of March, 2018 stood at Rs. 35,949 Crore which is 42.27% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) surpassing the regulatory benchmark of 40%.
- Net interest income of the bank increased from Rs 2,408.36 Crore in March, 2017 to Rs 2,475.82 crore in March, 2018 and the Net interest margin for the same period increased from 2.00% to 2.19%.
- Cost of Deposits of the bank decreased from 6.43 % in FY 2016-17 to 5.62 % in FY 2017-18.

Asset Quality

During the financial year 2017-18, Bank made cash recovery of Rs. 931.24 Crore as against Rs. 1,119.87 Crore during previous year.

Your Bank recovered Rs. 146.60 Crore from Written-Off accounts as against Rs. 120.08 Crore during previous year.

As on 31st March, 2018, Gross NPA stood at Rs. 16,361.44 Crores as against Rs. 12,618.73 Crores during the previous year. Gross NPA percentage is at 22.04% as compared to 16.27% during the previous year.

As on 31st March, 2018 Net NPA stood at Rs. 7,838.78 Crores as against Rs. 7,735.12 Crores during the previous year. Net NPA percentage is at 11.95% as compared to 10.66% during the previous year.

Capital Adequacy Norms

The Capital to Risk (Weighted) Asset Ratio (CRAR) under Basel III norms moved from 11.39% as on 31st March 2017 to 11.09% as on 31st March 2018 as against regulatory requirement of 10.875%.

Similarly, CET 1 capital ratio of the Bank moved from 7.24% as on 31st March 2017 to 8.81% as on 31st March 2018 as against regulatory requirement of 7.375%.

Branch Expansion

With the view to contain the operational expenses and improve efficiency, Bank took a conscious stand on Branch Openings and no new branch was opened during financial year 2017-18. Bank has also initiated Branch Rationalization process. Accordingly Board of Directors of the Bank has approved merger of 17 branches with other branches of which 2 branches were merged during financial year 2017-18. As on 31st March, 2018 your Bank is having 1,872 branches (including 72 satellite branches).

MESSAGE FROM EXECUTIVE DIRECTOR

Human Resource Development

During the year 2017-18, the Bank has recruited 21 Probationary Officers, 13 Specialist Officers, 128 Clerks and 148 Subordinate Staff. The current Human Capital of the Bank is 13,613 of which 3,705 are women.

Digital Initiatives

Your Bank has taken various digital initiatives for providing seamless and convenience solutions to customers as well as for its staff members. Some of the successfully implemented Digital initiatives are

- Digitisation of 29 Villages
- Bank has launched new Mobile Banking Application
- New Internet Banking Application launched
- Launched Unified Payment Interface (UPI) Application
- BHIM Aadhaar Pay application launched and 12,796 BHIM Aadhar Deployed to Merchants.
- Bharat QR Code for Issuer (UPI based payments) and acquirer (POS based payments) are live.
- Successful operationalization of GST Payment module for customers.
- Deployment of 7,565 POS Terminals of which 302 POS Terminals are deployed in Tier 5 & 6 centres

BPR Initiatives

Bank has partnered with Boston Consulting Group (BCG) for the transformation project – "Dena Pragati" and your Bank has introduced host of new products and set in place new systems and processes.

I. Bank has opened a new CASA Back-office for centralized account opening.

II. Lead Management System 'Dena Sampark' launched pan-India for processing of leads

III. IVR based Call Center: around 50000 average inbound calls received p.m.

IV. Existing Retail Asset Processing Centres were restructured with modified process flow and exclusive usage of Lend Perfect software for retail loan processing

V. MSME Hub launched for 29 branches in Thane zone as pilot

VI. Digital Pathshala was organised across all branches for increasing registrations across digital channels

Other Initiatives

1. Dealer Payout scheme for sourcing vehicle loan leads in consumer loan segment
2. Empanelment of Home loan counselors for sourcing Home loan Proposals.
3. New OTS scheme for small borrowers – "Dena Rin Mukti Yojana" covering all sectors including Agriculture and MSME.
4. To provide better product offerings to its customers, your Bank has entered into various tie-ups such as:
    a. Tie up with Maruti Suzuki India Ltd for Passenger Car finance arrangement.
    b. Tie up with SMERA Ratings Ltd for sourcing of MSME loan leads
    c. To improve MSME lending, Bank has registered with the Receivables Exchange of India Limited (RXIL) on their online platform for Trade Receivables Discounting System (TReDS) business
    d. Tie-up with National Housing Bank for implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana – Credit Linked Subsidy Scheme (PMAY-CLSS) for beneficiaries of EWS/LIG/MIG and Rural Housing Interest subsidy scheme (RHISS).

Inclusive Growth

In order to reap the benefits of economic growth, we need to make it inclusive. In addition to being valuable for its own, inclusive growth fuels further economic growth. As already mentioned, Your Bank has done exceptionally well in this area and also received recognition for its initiatives in the area of Financial Inclusion.

Your Bank has opened 44.06 lac accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana [PMJDY] against the target of 18.50 lac accounts and also issued 26.52 lac RuPay Cards.

Your Bank has covered all the allotted 6,485 villages under Financial Inclusion of which 746 villages are covered through Brick & Mortar Branches and 5,739 villages are covered through BC model. Your Bank has enrolled 10.60 crore residents for Aadhaar as of 31^{st} March 2018 and is having top position among Non-State Registrars to UIDAI.

Future Outlook

For the year 2018-19, reduction in NPA will be the top most priority for the Bank. This year your bank is also expecting sizeable recovery from resolution of Corporate NPA cases referred to the NCLT. In addition, bank will also focus to bring down the retail NPA levels and all out efforts will be made and more particularly in Recovery in written-off accounts.

Your Bank has created a new vertical "Stressed Asset Management Vertical" with objective to have focused recovery efforts to ensure effective recovery process.

Bank will continue its focus on CASA, Retail, MSME and Agriculture advances.

Bank has introduced various new processes and system modifications through the BPR Transformation Project wherein the actual benefits of this transformation project are expected to be realized during this financial year.

Acknowledgement

As I conclude, I express my sincere thanks and gratitude to Government of India, Reserve Bank of India, various State Governments, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India and all other Stakeholders for their valuable patronage, guidance, support and timely advice and seek their continued support and co-operation.

My profound thanks are also due, to all the Shareholders, Customers and Well-Wishers for their valuable patronage and support during this challenging period of financial year 2017-18 and hope to receive their continued patronage.

The Board of the Bank has been proactively guiding the Bank during these testing times and I want to place on record the appreciation for their encouragement and guidance.

I am also thankful to the NABARD, SIDBI and other Financial Institutions, Banks and Correspondents for their continued support to the Bank.

Last but not least, I wish to place on record, the deep appreciation for untiring and relentless efforts put in by all the staff members of the Bank, without whom the progress achieved in these demanding times, would not have been possible. Family members of the staff also need to be acknowledged for their continued support to the Institution.

I look forward for the continued cooperation and support from all stakeholders for sustained progress of the Bank in the years to come.

With best wishes,

(Ramesh S. Singh)

DIRECTORS' REPORT 2017-2018

To

The Members

1. The Board of Directors has great pleasure in presenting the Annual Report along with the Audited Financial Statement of Accounts and the Cash Flow Statement of the Bank for the year ended March 31, 2018.

2. **Performance Highlights**

i. Savings Bank Deposits of the Bank increased from Rs. 36,239 cr as on 31st March, 2017 to Rs. 36,471 cr as on 31st March, 2018 registering a growth of 0.64%.

ii. CASA Deposits of the Bank decreased from Rs. 43,222 cr as on 31st March, 2017 to Rs. 42,485 cr as on 31st March, 2018 registering a reduction of 1.71%. CASA as percentage of Total Deposit has increased from 37.93% as on 31st March, 2017 to 40.03% as on 31st March, 2018.

iii. Priority Sector Advances decreased from Rs. 36,992 crore as on 31st March, 2017 to Rs. 35,949 crore as on 31st March, 2018, registering a negative growth of 2.82%. Priority Sector Advances as of 31.03.2018 42.27% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) surpassed the regulatory target of 40%.

iv. Agricultural Advances increased from Rs. 16,375 crore as on 31st March, 2017 to Rs. 18,179 crore as on 31st March, 2018, registering a Y-o-Y growth of 11.02%. Agriculture Advances constituted 21.38% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), surpassing the regulatory target of 18%.

v. MSME advance under priority sector decreased from Rs. 15,316 crore as on 31st March, 2017 to Rs. 11,638 crore as on 31st March, 2018, registering a negative growth of 24.01%.

vi. Total Retail advance has registered Y-o-Y negative growth of 0.46 % and stood at the level of Rs. 13,240 crore as on 31st March, 2018 as against Rs.13,301 crore as on 31st March, 2017.

vii. Bank's Operating profit for the FY 2017-18 has decreased by 15.76 % to Rs. 1,171 cr as compared to Rs. 1,390 cr for the FY 2016-17.

viii. Interest income on investments for the FY 2017-18 has decreased by 7.71% to Rs. 2682 cr as against Rs. 2,906 cr for the FY 2016-17.

ix. Capital to Risk (Weighted) Asset Ratio (CRAR) under Basel III has decreased and stood at 11.09 % as on 31st March, 2018 as compared to 11.39% as on 31st March, 2017.

x. Tier I capital ratio of the Bank decreased from 9.05% as on 31st March 2017 to 8.81% as on 31st March 2018.

xi. Cash recovery in NPA accounts stood at 931.24 cr in FY 2017-18 compared to Rs. 1,119.87 cr in FY 2016-17.

xii. Recovery in Written-Off accounts increased from Rs. 115 cr for FY 2016-17 to Rs. 142 cr in FY 2017-18.

xiii. Cost of Deposits reduced from 6.43% for FY 2016-17 to 5.62% for FY 2017-18 and as a result Interest Expenses on Deposits reduced from Rs. 7,213 cr as on 31st March, 2017 to Rs. 5,955 cr as on 31st March, 2018.

xiv. Key Statistics

(Rs. In Crore)

Particulars	As of 31st March	
	2017	2018
Deposits	113,943	106,130
Advances	77,538	74,239
Business Mix	191,481	180,369
Investments	40,190	38,040
Priority Sector	36,992	35,949
Agriculture	16,375	18,179
Retail	13,301	13,240
MSME-PS	15,316	11,638
Gross NPA	12,619	16,361
Net NPA	7,735	7,839
% of Gross NPA to Gross Advance	16.27	22.04
% of Net NPA to Net Advance	10.66	11.95

3. **Income Analysis**

The financial performance of the Bank for the year 2017-18 is summarized below:

(Rs. In Crore)

Particulars	As of 31st March	
	2017	2018
Operating Profit	1,390.21	1,171.16
Interest Income	10,181.67	8,932.23
Interest Expenditure	7,773.31	6,456.41
Net Interest Income	2,408.36	2,475.82
Non-Interest Income	1,251.39	1,163.52
Provisions and contingencies	2,253.84	3,094.31
Profit before Tax	[1,275.36]	[3178.75]
Provision for Taxes	[411.73]	[1255.60]
Net Profit	[863.63]	[1923.15]

4. **Key Financial Indicators**

(in %)

Particulars	As of 31st March	
	2017	2018
Net Interest Margin	2.00	2.19
Return on Assets	[0.67]	[1.59]
Cost to Income Ratio	62.01	67.82
Provision Coverage Ratio	50.56	60.20
Cost of Deposit	6.43	5.62
Cost of Funds	6.54	5.84
Yield on Advance	8.98	8.00
Yield on Fund	8.03	7.51
Yield on Investments	7.57	7.26
Return on Equity	[13.50]	[26.17]
Earning Per Share (Rs.)	[11.89]	[18.06]
Book Value (Rs.)	65.42	27.45

5. During the year 2017-18, Bank has not opened any new Branch, due to Prompt Corrective Action (PCA) enforced on Bank by Reserve Bank of India. Further, Bank has merged two Branches in other existing Branch and Branch network of the Bank stood at 1,872 (including 72 Satellite Offices). All the branches of the Bank are covered under CBS.

6. During the year 2017-18, Bank has established 3 new E-Smart centers taking the total to 98. In E-Smart centers, customers can deposit cash, deposit cheques, withdraw cash, get their passbooks printed and access their account through internet banking facility on 24*7 basis.

7. During the year 2017-18, Bank installed 1775 POS and has launched a new mobile banking channel i.e. Unified payment Interface (UPI) promoted by NPCI.

8. **Dividend**

Board of Directors has not recommended any Dividend for the FY 2017-18.

9. Net Worth and CRAR

9.1 Net Worth of the Bank stood at Rs. 5108.04 cr as on 31st March, 2018.

9.2 CRAR :

(in %)

	Basel III	
	March 2017	**March 2018**
CRAR Tier- I Capital	9.05	8.81
CRAR Tier -II Capital	2.34	2.28
Total	**11.39**	**11.09**

10. Changes in Board of Directors

10.1 The Board of Directors of the Bank, as on 31st March 2018, comprised two Executive Directors, being whole-time Directors and six other directors as under:

- One Government of India Nominee Director,
- One Reserve Bank of India Nominee Director;
- Two Directors appointed by Govt. of India; and
- Two Shareholders' elected Directors;

10.2 Shri Ashwani Kumar, Chairman & Managing Director, ceased to be a Director of the Bank w.e.f. 31.12.2017, after completion of his 5 years tenure in terms of Notification No. F.No.4/4/2011-BO.I. dated 09th November, 2012 received from Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services. The Board of Directors placed on record their appreciation for the exemplary leadership and direction provided by Shri Ashwani Kumar, during his tenure as Chairman & Managing Director on the Board of the Bank.

10.3 Smt Trishna Guha, Executive Director, retired from the Board on August 31, 2017, upon attaining superannuation. The Board of Directors placed on record their appreciation for valuable contribution made by Smt Trishna Guha, during her tenure as Executive Director on the Board of the Bank.

10.4 Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi has been appointed as Executive Director in terms of Notification No. F.No.4/5/(6)2017-BO.I. dated 09th October, 2017 received from Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services w.e.f. 09th October, 2017 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier under Clause (a) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 and sub-clause (1) of clause 8 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

10.5 Shri Bankim R Desai, Workmen Employee Director, appointed under Clause (e) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) & (2) of clause 9 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980, w.e.f. 19.09.2014, ceased to be a Director of the Bank from 19.09.2017 on completion of his tenure. The Board of Directors placed on record their appreciation for valuable guidance provided by Shri Bankim R Desai, during his tenure as Director on the Board of the Bank.

10.6 Dr. Umesh Bellur, Shareholder Director, elected under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. 24th March, 2015, ceased to be a Director of the Bank upon completion of his tenure of three years on 23rd March, 2018. The Board of Directors placed on record their appreciation for valuable guidance provided by Dr. Umesh Bellur, during his tenure as Director on the Board of the Bank.

10.7 Shri V Chandrasekaran, Shareholder Director, elected under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of Banking Companies (A Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. 24th March, 2015, ceased to be a Director of the Bank upon completion of his tenure of three years on 23rd March, 2018. The Board of Directors placed on record their appreciation for valuable guidance provided by Shri V Chandrasekaran, during his tenure as Director on the Board of the Bank.

10.8 Dr. Yasho Verdhan Verma, Shareholder Director, elected under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of Banking Companies (A Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, w.e.f. 24th March, 2015, ceased to be a Director of the Bank upon completion of his tenure of three years on 23rd March, 2018. The Board of Directors placed on record their appreciation for valuable guidance provided by Dr Yasho Verdhan Verma, during his tenure as Director on the Board of the Bank.

10.9 During the Financial Year under review, in terms of Clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, the Bank conducted an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank other than the Central Government, for election of two Shareholder Directors at Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, Mumbai on March 27, 2018. After the successful exercise of election, two Shareholder Directors i.e. (i) Dr Yasho Verdhan Verma and (ii) Shri Rakesh Kumar, were elected as Shareholder Directors representing shareholders other than Central Government. These Directors have hold office for three years w.e.f. March 28, 2018.

11. Directors' Responsibility Statement

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2018, confirm the following:

i. That in the preparation of the annual accounts, the applicable standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

ii. That they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank during the period.

iii. That they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for preventing and detecting frauds and other irregularities.

iv. That they have prepared the annual accounts on a going concern basis.

Acknowledgments

12.1 The Board of Directors expresses its patronage and sincere thanks to the Bank's valued customers, shareholders and well-wishers for their valuable contribution towards the progress of the Bank and seek their continued support and co-operation in future.

12.2 The Board of Directors acknowledges with gratitude, the timely advice, valuable guidance and support received from Government of India, Reserve Bank of India & other regulators.

12.3 The Board of Directors is also thankful to the Financial Institutions / Banks and Correspondents for their cooperation and support to the Bank.

12.4 The Board of Directors wish to place on record, the deep appreciation of the valuable contribution made by the staff, at all levels, for the progress achieved in Bank's business. The Directors look forward to their continued cooperation in faster business development and progress of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 31.05.2018

(Ramesh S. Singh)
Executive Director

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 2017-2018

1. **Global Economic Scenario:**

The last decade has been punctuated by a series of broad-based economic crises and negative shocks, starting with the global financial crisis of 2008–2009, followed by the European sovereign debt crisis of 2010–2012 and the global commodity price realignments of 2014–2016. Since then the Global recovery is underway, aided by a rebound in investment and trade, against the backdrop of benign financing conditions, generally accommodative policies, improved confidence, and the dissipating impact of the earlier commodity price collapse.

As these crises and the persistent headwinds that accompanied them subside, the world economy has strengthened, offering greater scope to reorient policy towards longer-term issues that hold back progress along the economic, social and environmental dimensions of sustainable development.

According to the World Economic Outlook Report of IMF, the World Economy is expected to grow at 3.8% in 2018.

In advanced economies, growth is driven by a pickup in capital spending, a turnaround in inventories, and strengthening external demand. While growth accelerated in all major economies, the improvement was markedly stronger than expected in the Euro Area.

Growth among Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs) is estimated to have accelerated to 4.3 percent in 2017, reflecting firming activity in commodity exporters and continued solid growth in commodity importers.

2. **Domestic Economic Development:**

The Indian Economy has successfully marked its presence across globe. Despite various challenges such as, Currency Exchange Initiative and implementation of GST, the transformation of Indian Economy has flagged its success.

The RBI, in its recent Monetary Policy has projected the GDP growth to 7.4% in FY 2018-19 on account of revival in investment activity as reflected in the sustained expansion in capital goods production and still rising imports, albeit at a slower pace than in January. Second, global demand has been improving, which should encourage exports and boost fresh investment.

Nevertheless, the corporate debt overhang and associated banking sector credit quality concerns exert a drag on investments in India. The recapitalization plan for major public sector banks announced in 2017 is expected to help replenish capital buffers and improve the banking sector's ability to support growth. This recapitalization is expected to be a broader package of financial reforms to improve the governance of public sector banks, and to enhance banks' debt recovery mechanisms.

With the efforts of GoI, on various structural and Regulatory reforms, the investment climate in the country has improved as the stocks of stranded investment in stalled projects have started to decline.

The RBI and Global organizations such as IMF & World Bank, has expressed optimism on the growth front with risks remaining evenly balanced. Further, accommodative policies amid benign global financing conditions and low inflation have supported domestic demand which in turn is expected to support the growth of the Economy.

3. **Banking Industry Trends:**

Banking sector is experiencing challenges in terms of rising NPA levels and lower than expected credit growth.

During the year, Deposit growth fell to a five-decade low in fiscal year ended March 2018 as the demonetization windfall withered away and the lure of other savings instruments such as Mutual Funds and Insurance eroded the competitiveness of bank deposits. Aggregate deposits in the banking system grew by 6.7% in 2017-18 on account of reversal from the huge deposits collected in light of the November 2016 demonetization.

Credit growth of Scheduled Commercial Banks (SCBs) has registered a growth of 9.81% against 5.59% growth in corresponding period in FY17. The growth off-take is further expected to go up due to Base effects, Increase in demand and decrease in output gap. Further, with Insolvency and Bankruptcy code in place, recovery mechanisms in Banking Industry are expected to strengthen, facilitating time bound resolutions.

On the Digital front, cashless transactions are witnessing an increasing trend and customer adoptions to various new age digital products such as, UPI, Wallets, QR and AEPS etc. have improved manifold and creating new expectations from banks.

4. **Outlook:**

India has made progress on structural reforms in the recent past, including implementation of the Goods and Services tax, which are expected to reduce internal barriers to trade, increase in efficiency, and also improvement in the overall tax compliances.

The Monetary Policy Committee notes that growth has been recovering and the output gap is closing. This is also reflected in a pick-up in credit off take in recent months. The large mobilization of resources from the primary capital market is expected to support investment activity further. While the domestic cyclical recovery is underway, the long-term growth potential is also expected to be reinforced by various structural reforms introduced in the recent past.

On the downside, the deterioration in public finances risks crowding out private financing and investments. Furthermore, even as global growth and trade have been strengthening, rising trade protectionism and financial market volatility could derail the ongoing global recovery. In this unsettling global environment, it is especially important that domestic macroeconomic fundamentals are strengthened, deleveraging of distressed corporates and rebuilding of bank balance sheets persisted with, and the risk-sharing markets deepened.

Overall, the outlook for India remains largely positive, underpinned by robust private consumption and public investment as well as ongoing structural reforms.

5. **Business Performance of the Bank:**

The composition of Total Business Mix of the Bank for the last two years is as under:

(Rs. in cr)

Particulars	31st March 2017	31st March 2018
Total Deposits	113,942.77	106,130.15
Total Advances	77,537.84	74,238.58
Total Business Mix	191,480.61	180,368.73

6. **Deposit Mobilisation:**

(Rs. in cr)

PARAMETERS	Mar-18
CURRENT DEPOSITS (INCLD. ODTD)	6,013.53
% OF AGG DEPOSITS	5.88%
SAVING DEPOSITS	364,71.49
% OF AGG DEPOSITS	35.67%
TERM DEPOSITS	597,62.34
% OF AGG DEPOSITS	58.45%
AGGREGATE DEPOSITS	102,247.36
INTERBANK DEPOSITS	3882.79
TOTAL DEPOSITS	106,130.15
% CASA TO TOTAL DEPOSITS	40.03%

7. **Credit Monitoring & Asset Quality:**

Bank has aligned its' monitoring mechanism in tune with RBI's Revised Framework for Resolution of Stressed Assets, issued vide circular no. DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018.

Based on Monthly Monitoring Report (MMR) generated on daily basis from Finacle on accounts having sanctioned limit of Rs.25 lacs and above, list of accounts with overdue of 7 days and above are being mailed to respective ZOs/CBBs on weekly basis, for further follow up action / resolution plan.

Meetings of Zonal Slippage Prevention Committees (ZSPC) are conducted on fortnightly basis for borrowal accounts of Rs.10 lacs and above. Credit Monitoring Cell (CMC) at Head Office keeps track of the minutes and latest developments in borrowal accounts of Rs 1 crore and above. At HO level, the accounts above Rs 1 crore are also discussed by the top management with the concerned Zones/ CBBs through weekly Video Conference Meetings.

The overdue accounts are also being monitored through Branch Mirror Portal which has been operationalized in January, 2018.

8. **Advances to Priority Sector:**

8.1 The Bank has been consistently fulfilling its social obligations in respect of priority sector lending. The Bank has adopted multipronged strategies during the year to augment credit flow to this sector. Bank's Priority Sector Advances as of 31.03.2018 stood at Rs.35,949 crore. The ratio of priority sector advances to Adjusted Net Bank Credit stood at 42.27% as of March, 2018 surpassing the regulatory benchmark of 40%.

8.2 Lending to Agriculture:

In line with the Government's Farm Credit Package, the Bank has been continuously taking necessary measures to step up the flow of credit to Agriculture. During the year, the outstanding under agriculture credit has increased from the level of Rs.16,375 crore as of March, 2017 to Rs.18,179 crore as of March, 2018, registering a y-o-y growth of 11.02%. The outstanding exposure under Agriculture credit is 21.38% of the Adjusted Net Bank Credit, surpassing the benchmark of 18%, as on 31st March 2018.

Out of total Agricultural credit, advances to Small / Marginal farmers has increased from the level of Rs.6,252 crore as of March, 2017 to Rs.8,268 crore as of March, 2018, registering a growth of 32.25%. The ratio of Advances to Small/ Marginal Farmers to Adjusted Net Bank Credit was 9.72% as on 31st March, 2018 as against the benchmark of 8%.

8.3 Progress under Special Agricultural Credit Plan:

The Bank has disbursed agriculture loans of Rs.6,971 crore during the year 2017-18 under Special Agriculture Credit Plan as against the target of Rs.6,825 crore thus achieving 102 % of the targets.

8.4 Dena Kisan Credit Cards:

The Bank has implemented Revised Kisan Credit Card Scheme as per GOI guidelines. The Bank has issued total 3,76,607 Kisan credit cards with an outstanding credit of Rs.7,510 crore as of March 2018 as against of 3,70,435 cards amounting to Rs.6,974 crore as of March 2017 showing growth of Rs.536 crore (7.69%) in amount and 6,172 cards (1.67%) in number of KCC accounts.

Further in order to facilitate the farmers, Bank has been issuing ATM enabled RuPay debit cards to Kisan Credit Card holders which can also be used at Point of Sale (POS).

8.5 Advances to weaker section:

Advances to the weaker section marginally decreased from a level of Rs.10,019 crore as of March 2018 to Rs.9,931 crore as of March 2018, registering a negative growth of Rs.88 crore (-0.88% growth). The Bank advances to Weaker Section stood at 11.68 % of the Adjusted Net Bank Credit.

8.6 Prime Minister's 15 point Programme for the welfare of Minorities:

The credit flow to minority communities has stood at the level of Rs.4,070 crore as of March 2018 which constitutes 11.32 % of Priority Sector Advances.

8.7 Coverage under CGTMSE Scheme:

The Bank has been participating under the guarantee scheme of Credit Guarantee Fund Trust for Small and Micro Enterprises (CGTMSE) to provide collateral free loans to Small and Micro Enterprises. The total number of cases covered under the scheme stood at 13,625 with a guarantee cover of Rs.763.29 crore, as at the end of the financial year 2017-18.

8.8 Coverage under NCGTC Scheme:

Bank has been participating under the guarantee scheme of National Credit Guarantee Trust for Mudra loans (NCGTC) to provide collateral free loans to Small and Micro Enterprises. The total number of cases covered under the scheme stood at 7,859 with a guarantee cover of Rs.70.14 crore as at the end of the financial year 2017-18.

8.9 Government Sponsored Schemes:

8.9.1 Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP):

The Bank is actively implementing PMEGP which is aimed at eradication of poverty and for generating self-employment. The Bank has sanctioned loans to 1,206 beneficiaries amounting to Rs.74.49 crore under PMEGP during 2017-18.

8.9.2 Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY- NRLM):

Bank has extended loans to 6,507 beneficiaries under DAY-NRLM amounting to Rs.50.63 crore during 2017-18. Total 3,874 beneficiaries from 250 identified districts have been benefited by interest subvention of Rs.63.77 lac during the financial year 2017-18.

8.9.3 Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihood Mission (DAY- NULM):

The Bank has sanctioned loans to 491 beneficiaries under DAY-NULM amounting to Rs.3.67 crore during the FY 2017-18.

8.10 Dena General Credit Card (DGCC) Scheme:

The Bank is providing overdraft facility up to Rs.25,000/- under this scheme to borrowers of small means under rural and semi-urban areas. The Bank has issued 13,369 DGCC Cards as of March 2018.

8.11 Credit Counselling Center / Financial Literacy Center:

RBI has directed the Banks to open Credit Counselling centres in the respective Lead districts to ensure 100% financial inclusion. Accordingly, in pursuance with the guidelines of RBI to set up credit counselling centres, Bank has rolled 18 Credit Counselling centres at Ahmedabad, Banaskantha (Palanpur), Gandhinagar, Kutch, Mehsana, Patan, Aravali, Botad, Devbhumi Dwarka & Himmatnagar (Sabarkantha) in the State of Gujarat, Durg, Dhamtari, Mahasamund, Gariyaband, Balod, Raipur & Rajnandgaon in the State of Chhattisgarh and Silvassa in the UT of Dadra & Nagar Haveli.

8.12 Corporate Social Responsibility:

8.12.1 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):

Dena Bank has set up a Society known as Dena Rural Development Foundation (DRDF) with a corpus of Rs.50 lacs. Subsequently, Bank has contributed Rs.9.20 crore towards corpus fund thereby increasing the corpus to Rs.9.70 crore.

DRDF in turn has set up 12 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in its lead districts viz (i) Ahmedabad, (ii) Bhuj (Kutch), (iii) Mehsana, (iv) Palanpur (Banaskanta), (v)

Himmatnagar (Sabarkanta) (vi) Patan in the State of Gujarat, (vii) Durg, (viii) Dhamtari (ix) Mahasamund (x) Raipur (xi) Rajnandgaon in the State of Chattisgarh and (xii) Silvassa in the U. T. of Dadra & Nagar Haveli where bank is shouldering lead bank responsibility.

Bank has so far contributed an amount of ₹4.78 crore towards construction of RSETI buildings.

All RSETIs sponsored by DRDF have been graded as AA for FY 2017-18 by MoRD, GOI except RSETI Bhuj (RSETI Bhuj graded as AB).

8.13 State Level Bankers' Committee (SLBC) Responsibilities:

The Bank has been discharging its responsibilities as a Convener of SLBC for the State of Gujarat and also as Convener of UTLBC for the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. The SLBC has played catalytic role for the development of banking in the State of Gujarat, UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu through constant monitoring of various Priority Sector and developmental schemes.

8.14 Lead Bank Scheme:

The Bank is successfully discharging its lead bank responsibility in 18 districts of which 10 districts are located in Gujarat, 7 districts in Chhattisgarh and one in Union Territory of Dadra & Nagar Haveli.

8.15 Regional Rural Banks sponsored by the Bank:

Bank has sponsored Dena Gujarat Gramin Bank (DGGB) having network of 241 branches spread over 8 districts of Gujarat as on 31.03.2018. The total business mix of DGGB stood at Rs.6,715 crore as of March 2018. During the financial year ended 31st March, 2018, net profit of DGGB was Rs.18 crore. All the 241 branches are covered under Core Banking System.

9. Financial Inclusion:

9.1. Rural Financial Inclusion:

The Bank has a Financial Inclusion Plan which envisages road map for providing banking services through banking outlets in villages allocated to it by various SLBCs under Lead Bank Scheme.

The Bank has engaged M/s Tata Consultancy Services (M/s TCS) as the Application Service Provider (ASP) for implementation of Financial Inclusion (FI). Bank has engaged individual Business Correspondents (BCs) in FI villages and provided UIDAI/IBA standard 1.5.1 version, AEPS,Ru-Pay card transactions enabled Micro ATMs/TABs to them.

9.1.1 Progress in coverage of SSA villages:

The Bank has been allotted total 2105 SSAs(covered villages 6485) under Financial Inclusion for coverage by March 2018.All these SSAs have been covered, of which 681 villages through Brick & Mortar Branches and remaining 1424 SSAs through 1424 Business Correspondents (BCs).

9.1.2 Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDAs): The Bank has opened 69.64 lac BSBDAs (Basic Savings Bank Deposit Accounts) against the target of 87.30 lac accounts for March 2018.

9.1.3 Dena General Credit Cards: As of March 2018, Bank has issued 13,500 Dena General Credit Cards (including Artisan Credit Cards) with credit limit amounting to Rs.21.09 crore.

9.1.4 Urban Financial Inclusion: In Urban areas, Bank is pursuing Financial Inclusion by covering unbanked pockets of urban centers, which are predominantly inhabited by people having no / difficult access to banking services i.e. migrant population and labourers, through Branch set up.

9.2 PradhanMantri Jan DhanYojana (PMJDY) :

As on 31.03.2018, Bank has opened 44.06 lac accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) which was launched on 28.08.2014. RuPay cards have been issued to 26.52 lac account holders as on the said date. Bank has covered all households with at least one saving bank account in 2105 Sub Service Areas (SSAs) and 776 urban wards allotted to Bank. Bank customers under PMJDY scheme are eligible for accident insurance coverage of Rs. 1.00 lakh under RuPay Debit card insurance scheme and Life Insurance coverage of Rs.30,000/- which is available for accounts opened during the PMJDY campaign period 28-08-2014 to 26-01-2015.

9.3 Direct Benefit Transfer & Direct Benefit Transfer for LPG:

Bank has successfully launched and implementing Direct Benefit Transfer Scheme (PAHAL) as per Govt. of India Guidelines through Aadhaar Payment Bridge System (APBS) and Aadhaar Enabled Payment System (AEPS). Direct Benefit Transfer for LPG is re-launched in 54 districts w.e.f. 15th November, 2014 and in all remaining districts of the country since 1st January, 2015. The subsidy amount can be credited directly to account with or without Aadhaar number. To enable the beneficiaries to receive the subsidy/benefit to their accounts under DBT, Bank is facilitating Aadhaar seeding through various channels like internet banking, ATMs and SMS through mobile. Bank is also undertaking Aadhaar seeding in accounts under campaign mode by organizing camps, meetings in villages allotted to Bank.

9.4 Aadhaar Enrolment under UIDAI:

As per UIDAI directive, every schedule commercial bank was to set up Aadhaar Enrolment and Update Centres inside its Branch premises at a minimum 1 out of their every 10 branches. Bank has set up 191 Aadhaar centres within the stipulated timeline of 31.03.2018.

9.5 Ru-Paycard and AEPS transactions through Micro ATMs:

Bank has implemented Ru-Pay card transaction module and Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) through Micro ATMs/ TABs provided to Business Correspondents (BCs). AEPS ON-Us (Intra-bank) & OFF-Us (Inter-bank) in implemented in all Micro ATMs/TABs deployed to BCs.

The RuPay card holder and Aadhaar number holder customers of our Bank as well as other Banks can now make transactions like cash withdrawal, cash deposit, balance inquiry, mini statement etc. through Micro- ATMs/TABs provided to Bank Mitrs of our Bank. This will facilitate better banking services to customer of our Bank/ other Banks in remote areas.

9.6 Overdraft Facility in PMJDY Accounts:

As per the guidelines of Govt. of India, Bank has approved the scheme for grant of overdraft facility upto Rs. 5,000/- to PMJDY customers subject to satisfactory conduct of accounts for a period of 6 months and other financial criteria. Bank has sanctioned Overdraft limit to 36,968 customers for Rs.38.89 lakh as of 31st March 2018. The Overdraft under PMJDY is categorized as Priority Sector advances and the progress is also reported under MUDRA.

9.7 Aadhaar seeding in PMJDY & other saving accounts:

Due to conducting of Aadhaar seeding camps at Branch and BC locations regularly on weekly basis, Aadhaar seeding in Operative Saving Bank accounts of the Bank has improved to **88.09% as of 31.03.2018** from **61.36%** as of **31.03.2017** and in Operative PMJDY improved to **80.81% as of 31.03.2018** from accounts to **61.89%** as of **31.03.2017.**

10. Advances to MSME Sector:

MSME sector has been identified as one of the growth engines for increasing credit portfolio of the Bank. The rate of Interest under MSME sector ranges from MCLR+0.25% to MCLR+ 4.75% as per the Internal Credit Rating of borrowers and accordingly the present rate of interest for MSME ranges from 8.60 % to 13.10 %.

Training programmes on regular intervals were conducted for officers for improving skills for processing of loan proposals.

Bank has entered into Tie up with CRISIL, Dun & Bradstreet, Mira Inform Pvt Ltd, Co-Face Credit Management Pvt. Ltd and Experian Services India Pvt Ltd for doing due diligence of MSME borrowers with credit limits of Rs.5.00 cr and above.

Bank has entered into tie-up arrangement with SMERA Ratings Limited (SMERA) for sourcing of MSME leads.

Bank has registered with the Receivables Exchange of India Limited (RXIL) on their online platform for Trade Receivables Discounting System (TReDS) business.

11. Retail Credit:

11.1 Retail Credit has been identified as one of the growth engines for increasing credit portfolio of the Bank. The Bank has 12 Retail Banking Schemes catering to various needs of a customer. The schemes are modified from time to time keeping in view the market scenario, customer requirements and feed-back received from field functionaries. Concerted efforts were made to popularize the retail banking schemes through wide publicity.

As of 31 March 2018, the Direct Retail credit stood at Rs.10,748 crore thus registered a de growth of Rs.712 crore i.e. by 6.22%, over 31.03.2017. Total retail credit has reduced by Rs.60.97 crore there by registered YoY growth of -0.46%. However the Indirect Housing Loan increased by Rs.651 crores registering growth of 35.39% YOY.

(Rs.in cr)

Particulars	31st March, 2017	31st March, 2018	Growth Amt.	% growth
Direct Retail	114,60	107,48	(712)	(6.22%)
Indirect Housing	1,841	2,492	651	35.39%
Total Retail	13,301	13,240	(61)	(0.46%)

11.2 Retail Asset Processing Centers:

In order to take advantage of the potential available for enlarging Bank's Retail lending portfolio and also to ensure better quality, uniformity and speed in appraisal and sanctions, Bank has operationalized 14 Retail Asset Processing Centers at Ahmedabad, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Lucknow, Pune, Surat, Rajkot, Bhopal, Bhandup (Mumbai), Juhu Vile Parle (Mumbai), Kolkata, New Delhi and Durg.

Since 1st September 2017, Bank has revamped the existing structure of the RAPCs and put in place the new RAPC model wherein the scope of the new RAPC was limited to only four Retail schemes in order to have a focused approach. In the new RAPC structure, specific and distinct KRA's were assigned to all RAPC Staff (Sales, Credit, and Operations) and LMS – a new Lead Management System was introduced for sourcing of applications.

11.3 Housing Finance:

The outstanding under Direct Housing Finance Scheme has increased from Rs.6,280 crore as of 31.03.2017 to Rs.6,849 as of 31.03.2018 i.e. an increase of Rs.569 crore (9.06%).

11.4 Education Loan:

The outstanding under Dena Vidya Lakshmi Education Loan Scheme has increased from Rs.510 crore as of 31.03.2017 to Rs.524 crore as of 31.03.2018 i.e. an increase of Rs.14 crore (2.74%). On 30.03.2017, IBPC of Rs.1000.00 crores, representing Education Loans was procured and was repaid in September 2017.

11.5 Vehicle Loan Scheme:

Outstanding under the Dena Vehicle Loan Scheme has increased from Rs.896 crore to Rs.976 crore as at the end of the year i.e. increase of Rs.80 crore (8.97%).

12. Investment:

The Bank's Treasury handles operations covering activities in various markets i.e. Foreign Exchange, Fixed Income, Equity and Money Market. The Dealing room is equipped with one of the best IT infrastructure having Dealing platforms supported by Market Information Terminals.

The investments have been maintained in various maturity mixes consistent with risk perceptions. Gross domestic investments of the Bank were Rs.38039.56 crore (exclusive of deposits to SIDBI, NABARD, NHB) as on 31.03.2018 as compared to Rs.40,189.77 crore (exclusive of deposits to SIDBI, NABARD, NHB) as on 31.03.2017. The total Profit of Treasury from Forex transactions and sale of investments was Rs.471.63 crore during the year 2017-18 out of that, Profit from Sale of Investments was Rs.422.36 crore during the year 2017-18. In addition to that, dividend income earned by treasury was Rs.1.92 crore and other miscellaneous income was Rs.0.24 crore. Bank's investment decisions are based on risk-return-trade off and Bank is scrupulously following all mandatory regulatory and internal guidelines. All new investments made by the Treasury were strictly in accordance with the Treasury Policy of the Bank.

The SLR securities as on 31.03.2018 were Rs.29717.82 crore (Rs.34,753.46 crore as on 31.03.2017). Non SLR Securities as on 31.03.2018 were Rs.8321.74 crore (Rs.5,436.30 crore as on 31.03.2017).

The interest income from investment has gone down from Rs.2,906.09 crore during the year ended 31st March 2017 to Rs.2680.35 crore during the year ended 31st March 2018 i.e. decrease of 7.78% on YOY basis. The average yield on investments has moved down from 7.57% for year ended 31.03.2017 to 7.26% for the year ended 31.03.2018. The Modified duration of the portfolio was kept at 4.98.

13. International Banking Business:

The Bank continues to offer a variety of services to meet the customer's requirements involving foreign Exchange. Bank has full-fledged dealing room in Mumbai to Quote very competitive exchange rates to the customers. Exporters are financed In Indian Rupee as well as in Foreign Currency.

Bank has pan India presence to deal with Forex Business. All the Branches are authorized to deal with NRI accounts as "C" category Branch. Besides there are 44 Branches categorized as "B" and authorized to conduct all Forex related Business.

Bank also maintains correspondent Bank relations across the world to meet the overseas requirement of customers related Export, Import , remittances etc.

14. Asset Quality & Recovery Management:

Bank made concerted efforts to maintain asset quality and effective NPA management during the year 2017-18 despite large slippages experienced by the banking industry in general. The Bank's performance in NPA management is directly attributed to the concerted efforts made for upgradation of recently slipped NPAs and cash recovery. Action under SARFAESI Act, recovery through compromise settlements and sale of assets resulted in cash recovery and Upgradations to a considerable extent. The Gross NPA stood at 22.04% as of March 2018 as compared to 16.27% as of March 2017.

The Gross NPA in absolute terms stood at Rs.16361.44 crore as of March 2018 as against Rs.12618.73 crore as of March 2017.

The Net NPA ratio of the Bank stood at 11.95% as of March 2018 as against 10.66% as of March 2017. Net NPAs in absolute terms stood at Rs.7,838.78 crore as of March 2018 compared to Rs.7735.12 crore as of March 2017.

(Rs. in cr)

	31st March 2017	31st March 2018
Gross Advances	77,537.84	74,238.58
Gross NPA	12,618.73	16,361.44
Gross NPA to Gross Advances	16.27%	22.04%
Net Advances	72,574.61	65,581.51
Net NPA	7,735.12	7,838.78
Net NPA to Net Advances	10.66%	11.95%
Provision Coverage Ratio (including prudential write off)	50.56%	60.20%

Special attention was given to recovery in NPAs through multiple actions including negotiated settlements and sale of NPAs to SCs/ RCs. Monthly Recovery camps were conducted and Lok Adalats organized at major centers on regular intervals. New OTS scheme, DRMY introduced for settlement of NPAs upto Rs.5 crore. Nodal Officers were appointed for each DRT for follow up of the pending cases and to co-ordinate with the Advocates for speedy recovery.

The Bank recorded cash recovery of Rs. 931.24 crore (Rs.1,119.87 crore 2016-17), upgradations of Rs. 673.40 Crore (Rs.755.87 crore 2016-17). Recovery in Written Off accounts increased to Rs. 146.60 crore (Rs.114.70 crore 2016-17).

Bank conducted 5 Lok Adalats in 1766 centres where in wherein 21803 accounts were considered and 3012 accounts were settled for Rs.30.54 crores.

Recovery Camps are organized on monthly basis. Ten Mega Recovery Camps were organized on various dates from the month of June 2017 and the last Recovery Camp (for the financial year 2017-18) being on 20.03.2018 in all the branches of Zones during the current year wherein recovery & Upgradations was Rs.607.93 crores for Bank as a whole. 64873 borrowers attended the recovery camps wherein 4741 accounts were settled for Rs.197.26 crores and 8343 accounts involving Rs.324.15 crores were upgraded. Spot recovery of Rs.278.53 crores (including recovery in written off accounts) was effected through such recovery camps.

A total of 7100 accounts with compromise amount of Rs.263.54 crores (inclusive of SOTS and DRMY) were considered for settlement against which a cash recovery of Rs.143.47 crores was effected.

Under DRMY scheme which was effective from 15.02.2018, 4249 accounts with compromise amount of Rs.44.33 crores were approved up to 31st March, 2018 and total cash recovery of Rs.32.51 crores was effected .

15. Legal Services / RTI Act:

15.1 Recovery under SARFAESI Act, 2002:

During the year 2017-18 Bank issued 1591 Notices in eligible accounts under SARFAESI Act involving an amount of Rs. 1625.86 crore . A total sum of Rs.394.52 crores has been recovered under SARFAESI Act during the year .

15.2 Recovery through Lok Adalats:

For an early resolution of disputes and recoveries from its defaulters the medium of Lok Adalats constituted under Legal Services Authorities Act is utilised. Bank endeavoured to arrange/ participate in maximum Lok Adalats during the year. 21803 accounts were considered and 3012 accounts were settled for Rs. 30.54 crores.

15.3 Recovery through Suits in Debt Recovery Tribunal/ Civil Court:

As on 31-03-2018, there are 2520 suit filed accounts various DRTs/Civil Courts involving an amount of Rs.7753.62 crores and 1166 decreed accounts involving an amount of Rs.1548.58 crores in various DRTs . Bank has recovered Rs.63.15 crores through DRT in OA/RC for the year ended 31st March, 2018.

15.4 NCLT Cases:

As per directives of RBI for taking action under IBC 2016 in 12 accounts, Bank is having exposure in 9 accounts involving Rs.2740.89 crores Alok Industries (Rs.615.26 cr), Bhushan Steel Ltd (Rs.486.50 cr), Bhushan Power & Steel Ltd (Rs. 402.56 cr) , Lanco Infratech Ltd (Rs.282.84 cr), Monnet Ispat & Energy Ltd (Rs.310.87 cr), ABG Shipyard Ltd (Rs.261.11 cr), Jyoti Structures Ltd (Rs.200.00 cr), Electrosteel Integrated Ltd (Rs.116.45 cr) & Amtek Auto Ltd (Rs.65.30 cr). Bank has filed claim and resolution process has been initiated in all the accounts. Out of the 9 accounts, in 6 accounts final Resolution Plan (consent/dissent) was approved by our Bank.

As per directives of RBI for taking action under IBC 2016 in 2nd lot, Bank is having exposure in 12 accounts involving Rs.1895.45 crores. Asian Colour Coated Ispat Ltd, (Rs.190.51 cr), Essar Projects (India) Ltd. (Rs.230.59 cr), Monnet Power Company Limited (Rs.8.67 cr), Ruchi Soya Industries Ltd. (Rs.188.91 cr), SEL Manufacturing Company Ltd. (Rs.113.37 cr), Transstroy (India) Ltd. (Rs.199.30 cr), Unity Infra projects Ltd. (Rs.55.53 cr), Ushdev International Ltd. (Rs.181.23 cr), Uttam Galva Metallics Ltd. (Rs. 92.06 cr), Videocon Industries Ltd. (Rs.514.40 cr), Videocon Telecommunications Ltd. (Rs.37.98 cr), Visa Steel Ltd. (Rs.82.90 cr). Lead Bank has filed application in all the accounts with NCLT.

Out of above 12 cases, two cases i.e. Ruchi Soya Industries Limited and Monnet Power Company Ltd were admitted by NCLT. In the account of Unity Infra projects Ltd, Insolvency process has already been initiated and CoC decided to file liquidation application and the same was filed on 20.03.2018.

Apart from the 1st & 2nd Lot of accounts identified by RBI for action under IBC, Operational creditors / Financial creditors & Corporate debtors/ Lead Bank have filed application before NCLT in 24 cases where our Bank dues are Rs.1524.10 crores and Bank has filed its claim before IRP.

15.5 Right to Information Act:

In Zones headed by Dy. General Manager, the Dy. Zonal Manager is the Central Public Information Officer [CPIO] & the Zonal Manager is the First Appellate Authority.

In Zones headed by Asst General Manager, the Zonal Manager is the CPIO and the Field General Manager is the First Appellate Authority.

Dy. General Manager (RML) at Head Office is the CPIO for Head Office Departments and Branches / Offices reporting directly to the Head Office. General Manager (RML) is the First Appellate Authority in such cases.

Information regarding the CPIOs and First Appellate Authorities of the Zonal Offices and Head Office of the Bank have been duly uploaded in the Bank's website.

In the year 2017-18, the Bank disposed off 1356 Applications out of a total of 1378 Applications received (including Applications brought forward from previous year) under the RTI Act. The First Appellate Authority disposed off 233 Appeals out of a total of 234 Appeals (including Appeals brought forward from previous year) under the RTI Act.

16. Government Business:

16.1 Direct Tax collection:

The Bank is authorized to collect all Direct Taxes including Income Tax, Corporation Tax, Wealth Tax, Gift Tax, Hotel Receipts Tax, Estate Duty, etc in physical mode at 219 branches all over India.

The Bank is also authorized for collection of Direct Taxes through E-Payment for which Mumbai Main Office branch, Mumbai is the E-Focal Point Branch. All branches are authorized for collection of Direct Taxes through online e-payment mode.

16.2 Indirect Tax collection:

The Government of India implemented GST from 01.07.2017 replacing Excise and Service Taxes. Our Bank is authorized for collection of GST. All branches are authorized for collection of GST over the counter and through online e-payment mode. Share Bazar Branch, Mumbai is the Focal Point Branch for GST.

The Bank is also authorized for collection of Customs Duty both through physical as well as e-mode. Rajendra Place, New Delhi is the Focal Point Branch for Customs Duty collection.

16.3 Collection of State Government revenues:

1. The Bank provides facility of E-Payment of various State Government taxes in 10 States and 2 Union territories.
2. The Bank is a member of Virtual Treasury Project (Government Receipts and Accounting System – GRAS) in State of Maharashtra. The Bank is authorized to collect all types of State Government revenues such as Motor Vehicle tax, Road Tax, Stamp Duty, Registration Fees etc.
3. The Bank is also a member of Cyber Treasury Project in State of Gujarat for collection of 26 types of State Government revenues. Dena Bank is the first Bank to provide the facility of E-Payment of Geological and Mines Tax (GMT) in the State of Gujarat.

16.4 Payment of Pension:

The Bank has established its Central Pension Processing Center (CPPC) at Mumbai through which the pension for all Central Government and State Government retirees is being credited directly. Such facility has not only provided efficient seamless services to the pension beneficiaries but also has reduced Branch workload considerably. Uploading of E-PPOs for Central government pensioners (CPAO, Railway &Defense Pensioners) is under implementation.

16.5 National Pension System (NPS):

The Bank is registered as a Point of Presence (POP) with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) for implementing National Pension Scheme (NPS).

16.6 Atal Pension Yojana:

The Bank is also registered as a Point of Presence (POP) with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) for implementing Atal Pension Yojana (APY). Bank has subscribed more than 117,000 APY subscribers till 31.03.2018.

16.7 Sovereign Gold Bond:

The Reserve Bank of India in accordance with Government of India guidelines,floats various tranches for purchasing Sovereign Gold Bonds (SGB). For the convenience of the customer the Bank has implemented Online Investment Facility for SGB through Internet Banking.

16.8 Government Deposit Schemes

All branches of our Bank are now authorized for accepting deposits under the Bond, PPF, SCSS and SSA schemes Bond Schemes of the Government of India. Customers can open accounts and make deposits at all branches of the Bank. Online deposit facility is also under development.

16.9 Software for Government Business (Government Business Module- GBM):

The Bank is having an application software for all Government Business activities like Collection of Direct Tax and Indirect taxes, PPF, SCSS, SSA account maintenance, maintenance of Ministry and State Treasury accounts, pension payment, etc. This application software has been interfaced with Core Banking Solution (CBS) and is implemented across all branches.

16.10 New Initiatives:

The Bank is developing the following facilities for the customers / clients of the Bank which are under process.

1. Online opening and maintenance of PPF, SCSS and SSA Accounts
2. Payment of State Government taxes in all major States.
3. Provision of facility of e-SBTR.
4. Implementation of Kisan Vikas Patra (KVP)

The Implementation of GBM and other new initiatives not only gives our customers a better banking experience, but also Increases the productivity of branches by considerably reducing their workload. It also helps in increasing the non-interest income of the Bank.

Various training programs and workshops are being organized by the Bank for Government Business, NPS and APY and other schemes to create awareness among the staff and motivate them to give proper service and guidance to customers.

17. Bancassurance Department:

In order to provide a wide range of Insurance and Investment products to customers as value addition and to augment non-interest income, Bank has entered in the business of distribution of insurance products.

Bank has entered into Corporate Agency Arrangement with LIC of India (LIC) for Life Insurance business, with United India Insurance Co. Ltd (UIIC) & Chola MS General insurance company (Chola MS) for General Insurance products and with Apollo Munich Health Insurance Co .Ltd for Health Insurance business.

Bank has earned total income of Rs.**11.09** Crores (including reimbursement of administrative expenses for PMJJBY & PMSBY) from Bancassurance Business. during F.Y.2017-18

17.1 Life Insurance Business:

The Bank has corporate tie-up arrangement with LIC of India to cater to the life insurance requirements of its customers.

During the F.Y 2017-18, Bank has collected total premium of **Rs.51.42** crores. LIC of India declared 6 Zones of Dena Bank as Bima Zones & 100 Branches as Bima Bank Branches during the year. The Bank has earned commission of **Rs.2.33 crore** from Life Insurance business during the Financial Year 2017-18.

17.2 General Insurance Business:

Bank has Corporate Agency arrangement with United India Insurance Co. Ltd (UIIC)&Chola MS General insurance company Ltd (Chola MS)

- **United India Insurance Co. Ltd (UIIC):**

  Under tie-up arrangement with UIIC, a total premium of **Rs.19.22** crores were procured with commission income of **Rs.2.50 crores** during FY 2017-18.

- **Chola MS General insurance company (Chola MS):**

  Under tie-up with Chola MS, a total premium amount of **Rs 16.89** crores were procured with commission income of **Rs 2.25** crores during the F.Y 2017-18.

17.3 Health Insurance Business:

Bank has Corporate Agency arrangement with Apollo Munich Health Insurance Co .Ltd for Health Insurance business

- **Apollo Munich Health Insurance Co .Ltd**

  Under tie-up arrangement with Apollo Munich Health Insurance Co .Ltd a total premium of **Rs.10.68** crores were procured with commission income of **Rs. 1.61crores** during FY 2017-18.

17.4 Mutual Fund Business:

Bank has tie-up arrangement with all leading AMCs for distribution of Mutual Fund Business and received commissions income Rs.0.26 crores during F.Y 2017-18.

18. Capital Market Services:

Bank is a Depository Participant of NSDL and has been extending Depository Services to its customers since 1998 from capital Market Branch and 91 other branches of the Bank spread over various centres.

Bank provides ASBA facilities through all its branches. 14 branches are authorised to modify and verify syndicate ASBA application in Finacle system. List of branches providing Syndicate ASBA facility is available at the website of the Bank.

19. Income and Expenses:

19.1 Income:

Total Income of the Bank has decreased from Rs. 11,433.06 crore for the year-ended 31st March 2017 to Rs. 10,095.75 crore for the year ended 31st March 2018, resulting in net decrease of Rs. 1337.31 crore, which represents a reduction of 11.70%.

19.2 Expenses:

Total expenses have registered a decrease of 11.13 % over the previous year.

19.3 Profitability Analysis:

Bank's net interest income (NII) stood at Rs. 2,475.82 crore as compared to Rs.2,408.36 crore posted during the previous year.

19.4 Operating Profit:

Operating profit of the Bank has registered a reduction of 15.76% and stood at Rs.1171.16 crore as compared to Rs. 1390.21 crore posted during the previous year.

19.5 Net Profit:

Bank has incurred a net loss of Rs. 1923.15 crore during FY 2017-18 as compared to Net Loss of Rs.863.63 crore for FY 2016-17.

A comparison of income, expenses and provisions & contingencies with the previous year is given hereunder:

(Rs. in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
Interest Income	8,932.23	10,181.67
Non Interest Income	1,163.52	1,251.39
Total Income	10,095.75	11,433.06
Interest Expenses	6,456.41	7,773.31
Operating Expenses	2,468.18	2,269.54
Total Expenses	8,924.59	10,042.85
Operating Profit	1,171.16	1,390.21
Provisions & Contingencies	3,094.31	2,253.84
Net Profit	[1,923.15]	[863.63]

20. Marketing & Publicity Initiatives:

During the year 2017-18, an emphasis was given to aggressively publicize and promote our Bank's Digital Banking solutions along with other products and schemes with special focus on Housing Loan and Car Loan through Press, Electronic and Outdoor media.

Pan India advertisements were released in leading newspapers during the year to build the brand image of the Bank and also to promote various Retail Banking Products, especially during campaign period, with an emphasize on Housing Loan and Car Loan.

As per the guidelines received from IBA, Publicity Department has released Aadhar Seeding and authentication advertisement on Pan India Basis in the leading newspapers informing customers to link Aadhar Card and Pan Card to the Bank accounts as per PMLA notifications.

Bank had made its brand presence felt at grand events like Hercules Awards Function at Ahmedabad, Smart City Summit at Raipur and NSG Commando Challenge Marathon at Manesar, Haryana.

TV Commercials were released on Pan India basis in leading TV Channels on the occasion of Independence Day, Navratri and Diwali festivals etc. In addition to that TVC on Digital Pathshala, Home and Vehicle loan campaigns, were released to substantiate our brand positioning. Bank had efficiently used TVC advertisements to spread awareness and educate customers about How to Use Digital Products of the Bank through Digital Pathshala TVC. Bank has also used Radio channels to promote and educate customers on Digital Products.

Bank's visibility increased in Tier II & Tier III cities through advertising on Hoardings and Glow signs Boards by our zonal offices at pan India level. This year Bank has also displayed its various advertisements on Display Panels inside suburban Trains. Hoardings were also hired at Railway station at CSMT, on various Bus Shelters in Mumbai and Mumbai Suburbs. Advertisements were also displayed on Private contract Buses which plough between Mumbai and it suburban areas which helped in giving vide publicity to our Bank's products and improving Brand visibility.

During the year, Bank also participated in various Social / Cultural events and gained good publicity and mileage. Bank also gained Good Publicity by sponsoring various events like Kolkata Knight Polo Championship, Bappi Lahari Night, Shreya Ghosal Concert, Various Kabaddi and Table Tennis Tournaments, displaying banners at pandals during Ganpati and Durga Puja Festival, Sponsorship of Mirchi Rock and Dhol Event at Ahmedabad during Navratri Festival.

Bank has also participated in Marathon organized by TATA and Customs Department at Mumbai which helped in improving Brand image of the Bank.

21. Risk Management:

21.1 The Bank has put in place structured risk management systems & architecture that is overseen by Integrated Risk Management Committee of the Board. Management Level Committees viz Asset Liability Committee (ALCO), Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk management Committee (ORMC) and Market Risk Management Committee (MRMC) constitute the crore level of focused risk management architecture. The Risk Management Department looks after various aspects of Risk management and reports to Management. Risk Managers are posted at Zonal offices to focus on risk areas and risk management functions. The Risk Managers are being regularly updated and trained on various Risk Management functions.

21.2 The Bank reviews and updates its risk related Policies on Annual basis or as and when need arises in line with the RBI guidelines, changes in operating environment and with a view to manage credit and market risks in an effective manner.

21.3 The functions of Mid-Office are broad based for an effective monitoring of market risk by way of VaR, Stress Testing etc.

21.4 Bank is having Credit Rating Policy duly approved by the Board. Bank has implemented the new Rating model viz. 'RAM' (Rating Assessment Model) for more scientific risk rating and to facilitate migration to advanced approaches of credit risk. The software has the capability to calculate Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD). Bank has also implemented CRESS (Credit Retail Scoring System) for four retail products viz. Housing, Vehicle, Education and Personal.

22. Human Resources Management:

22.1 Recruitment:

During the year 2017-18, the Bank has recruited 21 Probationary Officers, 13 Specialist Officer, 128Clerks and 148Subordinate Staff.

22.2 Grievances Redressal Mechanism for SC/ST/OBC /PH/EXSM Employees:

The Bank has nominated Officers of the rank of General Manager to function as Chief Liaison Officers to oversee implementation of Reservation Policy for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Physically Handicapped and Ex-Servicemen Employees. Quarterly Meetings with All India Dena Bank SC/ST/OBC Employees' Federation are held at periodic intervals at Head Office and Zonal Office levels to redress grievances.

22.3 Training:

During the current year, the Bank has imparted training to 7,224 employees (4,607 officers, 2205 Clerks, 412 Subordinate Staff) as an on-going process for development / improvement of their knowledge, skill and business confidence. Such training programs are conducted in-house through various training centres and also through reputed institutes like NIBM, CAB, BIRD, IIBF and RBI etc.

a. One executive was nominated for foreign training.

b. 1246 Officers attended the Capsule Credit Program on Dena Niwas Housing Loan scheme including Dena Top-up scheme, Dena Step-up Housing scheme, Furniture & Fixture scheme, Dena Education Loan Scheme including Kaushal Rin Yojana and Mudra Loan.

c. Business Development Program for Scale IV and V executives was conducted at SPBT College, Mumbai, 27 participants attended the program conducted from 22.01.2018 to 24.01.2018.

d. A specialized training on Lend Perfect software module was conducted at SPBT College, Mumbai. The heads of all RAPCs, One officer dealing the retail portfolio from each zone and officers of RBD Department, HO attended the program.

e. As per the advice of RBI, Bank has begun Capacity Building Certification program in the areas viz. a) Treasury Management b) Risk Management c) Accounts & Audit & d) Credit Management, for improving the skill and competency of the officers working in these areas. 125 officers have enrolled for the certification programs as on 31st March 2018.

22.4 Promotion:

In Bank's pursuit for growth and career progression of its employees, Bank had initiated process for promotion in Officer's cadre inter scale for filling up identified vacancies up to March, 2018. Accordingly, 815 officers have been promoted to higher scale during the year ended March, 2018.

22.5 Manpower:

The staff strength of the Bank is 13,613 as of 31.03.2018. The total strength comprises of 6033Officers, 5325Clerks and 2,255 Subordinate Staff, including 3,705 women employees. The representation of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Classe, Physically Handicapped & Ex-Servicemen employees in the Bank is in conformity with the prescribed level.

22.6 Industrial Relations:

Bank maintains a harmonious and cordial industrial relations atmosphere. Periodical structured meetings with Employees' Union and Officers' Association are conducted at Head Office and Zonal Office levels.

23. IT Initiatives:

23.1 Core Banking Solution (CBS)- 'DENA GARIMA':

23.1.1 The Bank had embarked upon a process of transformation through technology with a view to enhance customer satisfaction and to leverage business growth. The Bank has engaged the services of M/s Wipro, a leading service provider in IT enabled services, for providing an end-to-end solution for Core Banking Operations of the Bank. It is backed by 'Finacle' software support from M/s Infosys Technologies Ltd. The Core Banking system bundles a host of customer friendly services like Internet Banking, Phone Banking, Mobile Banking, Cash Management Services etc. besides software system for Integrated Treasury operations. A number of third party software solutions are also integrated mainly with a view to address Regulatory concerns and to leverage business growth.

23.1.2 The Project was kicked off with migration of existing operations at Bank's Mahim Branch in Mumbai on 12th March 2007.

23.1.3 As of March 2018, all the 1872 branches (including 72 satellite branches) of the bank and the entire business have been brought under CBS. This covers 1153 centers and 31 States / union territories. All administrative units such as Zonal Offices, Zonal Staff Training Centers and HO department too have been covered in CBS.

23.2 Automated Teller Machine (ATMs):

All the ATMs of the Bank are connected to ATM switch, which in turn is connected to CBS servers. This architecture enables Bank's cardholders to carry out specified types of transactions like cash withdrawal, balance enquiry, Mobile top up etc. from any of the Bank's ATMs irrespective of the location of their base branches. Additionally, Bank's ATM switch is connected to the central switch of other ATM network groups viz. National Financial Switch- NFS which is promoted by NPCI and Visa, which further empowers our card holders to carry out certain basic transactions from the ATMs of these network groups and vice versa.

In keeping with the universal trend of introducing ATMs as the most popular & convenient mode of delivery channels, a total of 1685 ATMs have been installed as on March, 2018 in all over the country. Out of these ATMs, 1334 are Onsite and 351 are Offsite. One Mobile ATM has been introduced during last year.

The present card base of Bank stands at 87.63 lakhs as on 31st March 2018. The Bank has ATM sharing arrangement through VISA &NFS tie-ups, enabling more than 207036 ATM access points & more than 30.27 lacs Merchant Establishments (MEs) in India and more than 1.50 million ATMs & 30 Million MEs abroad, to Bank's customers. The Bank also provides Dena International Gold Debit Card to HNI customers with Visa affiliation and Rupay Platinum card.

The Bank has number of value added services through the ATMs viz. Mobile Pre-paid Top-ups and Post Paid Bill Payment etc. Debit Card customers can also make online payment for purchases of goods and services using Debit cards on Internet. Bank has implemented OTP in place of static verified by visa password for better security of the customers.

23.3 Internet Banking:

Financial transactions under internet banking facility are available to customers of all branches. The Internet banking application server is located at the Data Centre (DC) and DR Sites. This server, in turn, is connected to CBS application and database servers over LAN in Data Centre with the required Firewall based security control to ensure the safety of our customer's data.

New Facilities through Internet Banking

a) New FEBAversion have been launched during December 2017.

b) Corporate Salary / Bulk Fund transfer to Multiple Beneficiaries can be used by the corporate customers for crediting salary of their employees who are maintaining accounts with us.

The corporates can also effect multiple vendor payments.

c) E-Payment of Customs Duty, Chhattisgarh State tax, Tamil Nadu State tax is introduced during the year.

d) Introduction of Dena InstaPay: Bank has tied up with Bill Desk, SBI e pay, PayTm and PayU leading Bill Payment facilitators to provide payment of utility bills and purchases through Internet Banking which was one of the common requirements of customers. We are also in process to have tie up with more bill aggregators. Currently customers can effect online payments for the following broad categories:

1. Telephone (Landline / Mobile) bills
2. Electricity bills
3. Credit Card bills
4. Insurance premium
5. Booking of travel tickets
6. Gas refill charges etc.
7. On line shopping.
8. DTH recharge
9. On line School Fee payment

e) Monthly E mail statements of accounts are sent to customers who have registered E-mail ids with the bank.

f) E-Payment of GST tax.

g) Blocking of Debit card through Internet banking.

23.4 DenaNet:

Recognizing the significance of communication infrastructures in the Bank's drive towards transformation through technology, the bank has connected all its branches and administrative offices through DENANET – its Wide Area Network using various connectivity media. "DENANET" is continuously being monitored on 24X7 basis by a Network Monitoring team for ensuring more than 99.5% up time.

The backbone of all our current technology initiatives is DenaNet which connects various entities within & outside the Bank, using below listed networks.

Connectivity Type	Number of Links as on 31/03/2018
Point to point / MPLS	2501
Sify-3G	91
ISDN PRI / BRI lines	21
VSATs (HCL and HCIL)	830

DenaNet connects 1872 branches (including 72 Satellite Branches), 35 administrative offices, 6 Staff Training Centres, 143 offsite ATMs and 12 outside banks / offices (IDRBT, RBI, Euronet, NPCI, RCAP, CtrlS, Karvy, backhaul link for ATM under MOF tender.)

23.5 UPI Mobile Banking Application:

Bank has also launched BHIM Dena UPI which is an app that lets you make simple, easy and quick payment transactions using Unified Payments Interface (UPI). Customers can easily make direct bank to bank payments instantly and collect money using different modes like Account+ IFSC / Mobile Number +MMID / Virtual Payment Address (VPA) / Aadhaar+ Bank Name. Services available are as follows:

I. Manage Accounts: User can add his/her accounts linked with registered mobile number.

II. Manage Beneficiary: User can add beneficiary through available four options i.e. Account + IFSC / Mobile + MMID / Virtual Payment Address- VPA / Aadhaar + Bank Name

Pay: Using this option, you can send money to anyone using Account + IFSC / Mobile + MMID / Virtual Payment Address-VPA / Aadhaar + Bank Name.

III. Collect: Using this option, you can collect money by entering Virtual Payment Address (VPA).

IV. Balance Inquiry: After adding the accounts, user can view the account balances through this option.

V. Manage MPIN: UPI pin can be reset / change through this option.

VI. Transaction History: Using this option, User can check transaction history for pay/collect type of transactions. You can raise dispute for the declined transaction.

VII. Block/Unblock VPA: User can block/ unblock any virtual Payment address(VPA)

VIII. De-Register: User can de-register himself/herself from Dena e-UPI application.

IX. Bank is popularizing Dena E-UPI through various advertisements. Bank has sent SMS to customers' registered mobile number for using UPI platform.

Benefits of UPI:

1. Cheapest mode of Money Transfer.
2. Dena UPI facility is a step forward to Government's less cash economy initiative.
3. No Need to give details such as card no., validity, CVV for online transactions.
4. 24 X 7 x 365 availability.
5. Single app for accessing different Bank accounts (One Dena E-UPI App Many Accounts).
6. Single click authentication. No timeout scenario.
7. Secure Virtual ID (VPA).
8. Instant Fund Transfer. No restriction of holiday or non-working banking hours.
9. Immediate Registration of Payee.
10. Bank account number and IFSC code of the recipient is not required for initiating the transaction. Knowing beneficiary VPA is enough for transfer of funds.

The various facilities available are given here under :

Type of facility	Facility Name	Transaction Limit
Financial	Funds Transfer	Rs.1 lac per day for all transactions through Dena UPI app whereas in BHIM app the transaction limit is Rs.20,000/- per day with a limit of Rs.10,000/- per transaction.
Non Financial	1.Balance Enquiry 2.Change of passwords (MPIN / Login)	--

23.6 Other IT Initiatives:

23.6.1 USSD Supplementary Service Data - USSD channel:

We have launched a new mobile banking channel known as the Unstructured Supplementary Service Data - USSD channel promoted by National Payments Corporation of India (NPCI) under flagship product National Unified USSD Platform (NUUP) which is operational on major telecom networks.

Dena Bank customers can use this simple and convenient service by dialing *99*65# from their registered mobile phone (irrespective of make or design) and transact through an interactive menu displayed on the mobile screen.

Facility is available for financial and non-financial transactions. Bank is putting efforts to popularize the application among customers.

23.6.2 Mobile Banking & USSD:

Our Bank has implemented Dena MConnect services - the convenient and secure way to conduct banking transactions using mobile handset. The solution is compatible with RBI guidelines on Mobile Banking.

23.6.3 Missed Call Facility

Bank has introduced the Missed Call facility, for the benefit of customers whose mobile numbers are registered. With this facility, the customer has to call 09289356677 for Balance for operative accounts (up to a maximum of 5 accounts) and 09278656677 for Mini statement of operative accounts for last 4 transactions (up to maximum of 5 accounts). On dialing the number, the call will get automatically disconnected after 2 rings. The customer will receive SMS messages for the 5 operative accounts as mentioned above.

The advantage with the facility is that there is no charge for the calls and the customer will receive the information for up to 5 operative accounts with a single call. The customer need not visit the branch just to know the balance / transaction details.

23.6.4 Online registration facility for Internet and Mobile Banking Facility

Customers can register themselves online for Internet Banking and Mobile Banking facility. The customer need not visit the branches for registration for this facility. It will help the Bank to increase Internet and Mobile Banking customers.

23.6.5 Document Management System (DMS) Implementation:

Bank has initiated implementation of DMS solution for digitization of documents and to bring some of the processes such as account opening / documents movement across branches / zonal offices / head office through DMS system.

DMS facilitates storage of important documents in electronic mode with maker/checker concept to comply with GhoshJilani committee recommendations regarding micro filming of voucher and books.

23.6.6 eSmart Centres:

Bank has initiated process for setting-up of E-Smart centers to provide 24*7 convenience of banking at identified centers. The E-Smart setup have following kiosks based on the business potential and requirement.

a) Automated Teller Machines (ATMs)

b) Cash Deposit Machines

c) Passbook Printers

d) Cheque Deposit Machines

e) Internet Banking Kiosks

As of March 2018, we had operationalized 98 e-smart centers.

23.6.7 HRM System Implementation

Bank is implementing HRM system of PeopleSoft. Module-wise implementation status is given under:

S No	Module Name	End User
1	Payroll Management	All Employees.
2	Employee Information System	All Employees.
3	Employee Self Service	All Employees.
4	Manpower Training	SPBT & Personnel Officer
5	Leave & Attendance Administration	All Employees
6	Canteen Subsidy	All Employees
7	Allotment of Car and other vehicle to executives	FGMO& OAD
8	Statutory Compliances (Grievance)	All Employee
9	Misc. / Perks	HO Level Employee
10	Staff Welfare Scheme	HO Level Employee
11	Increment Process	HO Level Personnel Officer
12	Recruitment	All Employee
13	HRM Audit	HRM Dept
14	Workforce Scorecard	HRM Dept
15	Human Resource MIS	HRM Dept

23.6.8 Aadhar updation through Branch, ATM, Internet Banking, SMS

Besides visiting branches, our Bank's Account holder can update their Aadhar no. through ATM, Internet Banking Portal and SMS. Customer can send SMS on 9223175152 with keyword AADHAAR(space)<ACCOUNT NO>(space)<AADHAAR NO>. eg .AADHAAR 02091002285 216901540030.

23.6.9 Biometric Authentication in Finacle

Bank has implemented biometric authentication of all its employees. Employees need to authenticate themselves in Biometric Authentication System for accessing Finacle.

23.6.10 Email and SMS Alerts to the customer

Bank sends email and SMS alert to the customer when his/her mobile number has been changed. It has been started to prevent fraudulent change of Mobile number and misuse of the same.

SMS alerts are also sent for the financial transactions and some non-financial transactions (like issue of cheque book) done by the customer. On logging-in internet banking facility, customers are sent SMS alert for having logged-in in the system.

Monthly statement of account is sent to the customers having registered email id through e-mail.

23.6.11 eKYC Implementation

In order to reduce the risk of Identity fraud, document forgery and have paperless KYC verification Bank has launched eKYC service.

Through this facility customer desiring to open account can opt for KYC verification through the online facility if he/she is registered for Aadhaar.

23. 7 Network based Services & Applications:

23.7.1 With a view to channelise this infrastructure for customer satisfaction and maximize the ROI made in creation thereof, Bank has introduced the following network based products and services:

- CBS application,
- ATM / Debit Cards,
- Internet Banking,
- Mobile Banking,
- Tab Banking,
- Micro ATMs,
- Point of Sale Services,
- Ultra Small Branches through VPN,
- SWIFT,
- Cheque Truncation System(CTS),
- RBI Payment systems like RTGS & NEFT etc,
- Corporate E-MAIL,
- Intranet,
- IP Telephony,

- Video Conferencing,
- Data Transfer &Remote Support,
- Other applications viz. ALM / AML, Online Balance sheet etc.
- UPI

23.7.2 Bank's Web site -Bank has its website with netizen friendly features like Branch, ATM Locators, Calculators, Two-click navigation system etc. The webmaster keeps the website updated and dynamic on an ongoing basis.

With robust IT infrastructure; the Bank is well poised to take the leap forward to drive technology towards affording greater customer convenience.

23.7.3 New implementations during the year 2017-18 are given hereunder :

- **Procurement and Implementation of POS facility**

  POS infrastructure operationalized after certification from the card issuing agencies such as NPCI, VISA, and Master Card.

  Bank has deployed 7565 POS Terminals during FY 2017-18 of which 302 POS Terminals are deployed in tier 5 & 6 centres.

23.7.4 Call Centre: Bank has implemented a full-fledged IVR based call center to provide better customer service. Customer through the call center can connect with Dena Bank from any location, at any time. Using this IVR based call centre, customers can do various transactions like, Balance Enquiry, Enquiry on last 5 transactions, New ATM Pin generation, Block Card, ATM Pin reset in case user has forgotten Pin, Stop Payment of Cheque, Receive Account Statement on E-mail.

23.7.5 BHIM Aadhaar: Bank has introduced BHIM Aadhaar DENA during FY 17-18, an Aadhaar based digital payment acceptance solution which enables DENA BANK merchants to accept payments using their android smartphone connected to a fingerprint scanner. Bank during FY 2017-18 has on-boarded over 13,029 Merchants under BHIM Aadhaar services.

With robust IT infrastructure; the Bank is well poised to take the leap forward to drive technology towards affording greater customer convenience.

24. Customer Service

24.1 The Bank is continuously focusing on improving customer service and striving to meet the customer expectations. The Bank has taken following initiatives during the year to improve the customer services, customer rights and dispose the complaints within turnaround time of complaint.

The details are as under:

1. The Bank has organized customer awareness week from 05.06.2017 to 12.06.2017 in its branches to create customer awareness about BCSBI Codes, customer rights etc.to improve customer service.

2. The Bank has organized Digital Patshala from 16.12.2017 to 20.12.2017 at all the branches to create customer awareness about Banks digital products to reduce customer complaints related to ATM ,Technology, and other digital products.

3. Bank has introduced IVR Solution for Blocking of Card, re-generation of ATM Pin which can be carried out by the customer through their Registered Mobile Number (RMN), which eliminate the visits to the Branch and turnaround time.

4. New version of Mobile banking app has been launched to improve mobile banking services.

5. New features has been added in Internet banking to make it user friendly to the customers

24.2Redressal of Customer Grievances

Bank has set up the grievance redressal mechanism, in which the customer of the Bank can lodge the complaint through the link available on the Banks website www.denabank.com. A complaint number is generated by the system and automatically conveyed to customer's registered mobile number. The complainant can also view the status of their complaints on the same link available on the website. The complaints can also be registered through Toll Free Number 18002336427 of the Bank. Complaints received over e- mail / telephones /letters or through CPGRAMS / INGRAM portal are also entered in the Bank's online portal. The complaints outstanding for more than prescribe period are reviewed at Corporate Office by General Manager, Corporate Planning, who is also the Principal Nodal Officer for grievances, his contact details are displayed in branches and on Bank's Website.

24.3 Standing Committee on Procedures & Performance Audit of Customer Service

Standing Committee on Customer Service is headed by the MD and CEO / Executive Director(s), General Manager (Resource & Planning - Nodal Officer), General Manager (IT), General Manager (Credit) and three nominated customers are the permanent members of the Committee. Zonal Manager of outside Mumbai zones and customers of branches remain present on Video Conference. Moreover a few customers from different branches of Mumbai along with their Zonal Manager / Dy. Zonal Manager are also invited in the said meeting which is held every quarter. For the FY 2017-18 the last such meeting was held on 23.03.2018.

24.4 In addition to above, the Bank also has a Customer Service Committee of the Board at the apex level to advise measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of customer satisfaction. Customer Service Committees are also formed at all Zonal Offices as well as branches which meet once every month. Besides suggesting ways and means of improving customer service, such meetings also encourage a formal channel of communication between the customers and the Bank and also study complaints/ suggestions, cases of delay, difficulties faced / reported by customers. The Customer Service Cell also carry out root-cause analysis of complaints and take remedial steps for continuous improvement.

24.5 Code of Bank's Commitments to the Customers

The Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) in collaboration with the Reserve Bank of India, Indian bank Association and member banks evolved the Codes of Banks Commitment to customers. This is a Code of Customer Rights, which sets minimum standards of banking practices for banks to follow while they deal with individual customers. It provides protection to customer and explains how banks are expected to deal with customer for their day-to-day operations. The officials from Banking Codes and Standard Board of India visit Banks branches to verify and assess the level of adherence of the codes. Based on these visits a rating is given to the Banks.

RBI has constituted Banking Codes and Standards Board of India for measuring the performance of banks against a bench mark reflecting the Best Practices (Codes & Standards). The Bank has adopted "Code of Bank's Commitments to the Customers" and is fully committed to its adherence.

The Bank is a member of BCSBI and a top executive in the rank of General Manager is appointed as the "Code Compliance Officer" on behalf of the Bank.

24.6 Internal Ombudsman

In terms of Damodaran Committee recommendation, the Internal Ombudsman (IO)/ Chief Customer Service Officer (CCSO) system is introduced with the objective of enabling resolutions of complaints relating to certain services rendered by the Bank

with intention to facilitate the satisfaction or settlement of such complaints.

All the Rejected / Partially rejected complaints at banks level are referred to Internal Ombudsman before the final decision is conveyed to the complainant.

25. Branch Network and Expansion

25.1 Branch Network

During the year 2017-18, Bank has merged 2 metro Branches taking the tally to 1872 Branches spread across length and breadth of the country.

The sector-wise breakup of the branch network of the Bank as on 31st March 2018 is as under:

Sector	No of Branches	% to Total
Rural	645	34.46%
Semi Urban	435	23.24%
Urban	359	19.18%
Metro	433	23.13%
Total	**1872***	**100.00%**

* including 72 Satellite Branches

26. Inspection and Internal Audit

The Bank has an in-built system of effective control and supervision of the functioning of its various branches spread all over the country. In compliance with guidelines of RBI on conduct of various audits of branches, Zonal Offices and Head Office Departments Risk Based Internal Audit, Risk Based Concurrent Audit, Management Audit, Information System Audit, Revenue Audit, Credit Audit and Propriety Audit are conducted by Inspection & Internal Audit Department through internal inspectors, external CA firms and CISA / DISA qualified IS auditors from time to time. Snap Audits are conducted as and when required. These activities are well documented and are guided by the policies approved by the Board. These policies are updated on annual basis duly incorporating the guidelines issued by the Govt. of India and the Regulator from time to time.

During the year as per plan the Bank has carried out RBIA of 1320 branches in house by internally trained inspectors. For speedy compliances, nodal officers are appointed at Zonal Offices. Adherence to system and control is monitored on ongoing basis through 3 Inspection Cells located at Ahmedabad, New Delhi and Mumbai. In order to bring qualitative compliance culture, Risk Based Concurrent audit has been brought under Online Reporting System. Central Off-site Surveillance Cell (COSC) has been made functional at Head Office and Zonal Offices to verify large value transactions. Risk Based Supervision (RBS) has been made operational at Head Office.

27. Vigilance & Fraud Monitoring

27.1 The vigilance set up of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO). CVO is assisted by AGM (Vigilance) and other staff to attend day-to-day work at Vigilance Department. For field duties, Vigilance Officers - Head Office (HVO) are posted at various geographical centres for administering vigilance functions in the Bank. Further, at each Zonal Office, a Zonal Vigilance Officer (ZVO) is posted for looking after the vigilance matters of the Zone.

Vigilance officers undertake investigation of frauds to assess the breaches in the system and procedure and suggest corrective measures to prevent recurrence of such frauds. The department also examines staff accountability in the frauds and the action to be initiated against the staff found accountable, if any, till imposition of penalty. Further, in all the disciplinary cases initiated by issuing imputation of lapses against the staff, the cases are referred to the Chief Vigilance Officer for determining vigilance angle, if any.

Annual workshops are conducted to update the Zonal Vigilance Officers on the latest developments in vigilance administration. The Vigilance Officials are nominated to participate in quality training programmes conducted externally to enable them have their skills.

Broadly, the Vigilance administration can be categorized as Preventive, Punitive and Surveillance / detection.

The main thrust of Vigilance Department is on Preventive Vigilance activities by educating the staff on the whistle blower policy, awareness to compliance of systems and procedures, modus operandi of reported frauds and suggesting preventive measures.

Preventive Vigilance Drill (PVD) of the branches is conducted by the Zonal Vigilance Officers and HO Vigilance Officers on regular basis. During the PVD, the Vigilance Officers, carry our preventive vigilance drill based on the format provided by Vigilance Department and submit his report to ZM. They sensitize the staff in respect of the latest developments regarding steps to be taken for preventive vigilance.

Preventive Vigilance Committees have been formed at branches to discuss the modus operandi circulated by Vigilance Department which would equip them to thwart attempt by unscrupulous elements to commit fraud on the Bank.

Lecture on ethics and preventive vigilance is delivered by Vigilance Department officials in all training courses of one week duration. Vigilance awareness week is celebrated to spread awareness among the staff on the vigilance measures to be adopted by them in the discharge of their duties.

The Bank has brought out a Vigilance Manual encompassing all instructions concerning vigilance administration for the benefit of all stakeholders. The vigilance manual has been last updated in December 2016. Further, the department has also uploaded CVC Manual 2017 on the bank's intranet for the benefit of all stakeholders.

27.2 Fraud Monitoring Cell

Fraud Monitoring Cell is functioning under the direction and control of an independent General Manager.

Incidences of frauds are reported by zones to the Fraud Monitoring Cell at Head Office. FMC with due scrutiny of the same, places note to CMD/ED and upon approval, reports the fraud to RBI through FMR-1.

The Fraud Risk Management Committee comprising Functional General Managers meet periodically to evaluate the reported frauds and identify the areas in the systems and controls which need to be strengthened to prevent recurrence of frauds.

Special Committee on Large Value Frauds - a sub-committee of the Board, dwells into the modus operandi of large value frauds and prescribes remedies / mitigating factors.

The Fraud Monitoring Cell periodically reports to the Board on individual frauds,steps taken to prevent such frauds, action initiated against staff and status of cases filed. Periodical reports are submitted to Department of Financial Services / Central Vigilance Commission and Reserve Bank of India.

28. RAJBHASHA

1. The Bank continued to be in the forefront to promote the official language - Hindi as a measure of recognition of the efforts put in during the financial year under review.
2. **Awards:** During the year under review,

   Our Zonal Offices, Nasik, Ludhiana, North India, Rajkot, Durg, Thane, Hyderabad, Pune and Chennai has been awarded various Prizes by Respective **Town Official Language Implementation Committee (Bank)** for better implementation of Official Language Rajbhasha Hindi

3. **Training:**

   Our Bank continued to conduct special training programs to promote the use of Official Language Hindi.

   During the financial year, 126 Hindi Workshops were conducted and 1905 employees were trained. Desk Training Programmes were also conducted to impart practical training to the employees for doing the official work in Hindi.

4. During the year, Third Sub-committee of Parliament Official Language Committee visited our Head Office and Jodhpur Branch (Jaipur Zone).

5. **Hindi Software:**

   Keeping pace with the technological changes, the Bank has provided computer based bilingual word processing facilities on all computers in use at various administrative offices viz. Zonal Offices and Corporate Office.

   All the ATMs installed by the Bank have been provided with bilingual access facilities.

6. **Use of Hindi in Publicity:**

   In order to popularize our various schemes among public at large and customers, pamphlets and publicity material of our various schemes were prepared and printed in Hindi.

7. Four issues of **"DENA JYOTI"** covering various themes on banking and current banking events were published. Bank also prints Annual Reports, AGM / EGM Notices and other communication in bilingual.

8. Bank Branches / Offices in all the three linguistic regions (A,B,C) are constantly improving level of implementation of official Language policy of Government of India and striving to make it as a prime medium of communication to improve our customer service.

9. In order to promote awareness for Official Language Implementation among the staff, our Rajbhasha department at H.O. level, sends email on daily basis to all the branches/ departments about Information regarding Official Language Rules, regulations and policies etc., Hindi-English noting apart from daily thought & daily words etc. So that the Annual target be achieved set by Rajbhasha Vibhag (Ministry of Home Affairs) for our Bank.

29. Procurement from Micro, Small & Medium Enterprises:

The procurements made by the Bank from various vendors during the financial year 2017-18 amount to Rs.8871.17 lacs. Out of this procurement made from MSE amount to Rs.783.75 lacs and out of which the procurements made from MSE unit owned by SC/STs Entrepreneurs amounts to Rs.148.08 lacs. The details are being published on the website of the Bank for the benefits of MSEs.

There are no Micro, Small and Medium enterprises to which the Bank owes dues, which are outstanding for more than 45 days as at March 31, 2018. This information as required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the bank

30. Compliance to Regulatory Guidelines:

The Compliance Department, functioning from Corporate Office of the Bank is ensuring the compliance to various obligations under Corporate Governance as well as instructions of Regulators, GOI etc. The Department is also holding the responsibility for implementing the Rules under PMLA and AML / KYC. The Bank has designated an official of Top Executive Grade (TEG) as Chief Compliance Officer for reporting compliance to the Regulators' requirements and he is also designated as Principal Officer (AML/ KYC) for compliance to FIU-India, New Delhi. Board is being apprised periodically on Compliance to the various directives / instructions received from GOI / RBI / IBA / FIU and other Regulatory / Statutory Authorities. Compliance Department also conducts Compliance testing based on RBI - Tranche-III data points as a part of Risk Based Supervision and acts as a nodal point of contact between Regulator and the Bank. On PMLA front, the compliance status of CTR/NTR/CCR/CBWTR and STRs is placed before the Board along with Preparedness towards AML / KYC by the Bank.

The Compliance Department is updating the Policies viz. "Compliance" and "AML/KYC" on yearly basis and obtaining the Board approval for adoption.

As an ongoing process, Compliance Department ensures that the list of terrorist organizations / individuals provided by RBI / FIU-India are updated in the Bank's INTRANET which is used as a ready reckoner by the field functionaries while handling operations in the new/existing accounts.

As a part of Resource Development, the Compliance Department organises various training programmes on Compliance and AML/KYC to the Bank staff at its Training College / Centres on continuous basis."

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE BANK

Corporate Identity Number (CIN)	Not Applicable
Name	Dena Bank
Registered address	C-10, Dena Corporate Centre, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai , Maharashtra - 400051
Website	www.denabank.com
E-mail id	investorgrievance@denabank.co.in, irc@denabank.co.in
Financial Year reported	2017-18

The Bank is primarily engaged in providing Banking and financial services to its customers and majority of the Bank's products and services broadly fall under three categories:

1. **Deposits -** Basic Saving Bank Account, Dena Cash Certificate, Dena Fixed Deposit Scheme, Dena Freedom Deposit Scheme, Dena Jeevan SB Account, Dena Loan Linked Recurring Deposit Scheme, Dena Maha Tax Bachat Yojana, Dena Minor Savings Scheme, Dena Platinum Current Account Scheme, Dena Recurring Deposit Scheme, Dena Samruddhi Deposit Scheme, Dena Savifix Deposit Scheme, Dena Senior Citizen Scheme, Dena Stree Shakti, Dena Super Premium Current Account, Online Term Deposits, Premium Current Account Scheme, Premium Savings Account Scheme, etc.
2. **Loans and Advances –** Corporate Loan (specific scheme for Educational, Hospitality, Real Estate, Entertainment, and Hospital Industry), Dena Consumer Durable Loan, Dena Doctor +, Dena Gold Loan Scheme, Dena Loan Against Property Scheme, Dena Niwas Housing Finance Scheme, Dena Professionals Loan Scheme for CA, CS and CFA, Dena Rent Scheme (Finance against Rent receivables), Dena Senior Citizen Pensioners' Loan Scheme, Dena Suvidha (Personal Loan) Scheme, Dena Trade Finance Scheme, Dena Vehicle Loan Scheme, Dena Vidya Laxmi Educational Loan Scheme, IBA Model Skill Loan Scheme/Kaushal Wrin Yojana, etc.
3. **Others –** ASBA, Bancassurance, Demat Services, Dena ATM Card Services, Dena Bank One Click Payment Facility, Dena EASYPOS Point of Sale Terminals, Dena eTax Pay, Dena Gift Card, Dena Insta Pay, Dena Platinum Debit Card (RuPay), Dena Rewardz, Dena SMS Alert Services, Direct Tax Collection, Distribution of Mutual Funds, E Payment Government Treasury Departments, ESmart Services, Inbound Remittances, Indirect Tax, Internet Banking, Mobile Banking, National Pension System (NPS), Online Donations, Public Provident Fund (PPF) Account, RTGS / NEFT, RuPay PaySecure Services, Sukanya Samriddhi Account, Tab Banking, Verified by Visa Services, BHIM Aadhaar Dena, BHIM (Bharat Interface for Money), BHIM DENA UPI, e-KYC and OTP based Aadhaar Authentication, eNPS / eAPY, Goods & Service Tax (GST), Senior Citizen Savings Scheme

   The Bank has its presence across the country, with 1872 branches (including 72 Satellite Offices) and more than 27 million customers as on March 31, 2018.

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE BANK AS ON 31.03.2018

Paid up Capital (INR)	Rs. 2259.05 Crore
Total Business (INR)	Rs. 180368.73 Crore
Net Loss (INR)	Rs. 1923.15 Crore
Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR)	Rs. 2.55 Crore

Corporate Social Responsibility:

Dena Bank is committed to the objective of corporate social responsibility (CSR) and integrates it into its business model by creating enablers for social and community development. The Bank is engaged in empowering people through various developmental initiatives. The Bank has spent **Rs. 2.55** Crores during FY 2017-18 towards Corporate Social Responsibility.

Some of the notable projects undertaken by the Bank under CSR in the reporting year include - Construction of Dena Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) building Dena Rural Development Foundation (DRDF), Corpus Fund -for meeting day to day operational expenses of RSETIs, etc.

SECTION C: OTHER DETAILS

Does the Bank have any Subsidiary Company/ Companies?	No
Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).	Not Applicable
Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Bank does business with; participate in the BR initiatives of the Bank ? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	Not Applicable

SECTION D: BR INFORMATION

1. Details of Director / Directors responsible for BR

   (a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

   1. DIN Number : NA

   2. Name : Shri Ramesh S Singh

   3. Designation : Executive Director

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

(b) Details of the BR head:

No.	Particulars	Details
1.	**DIN Number (if applicable)**	NA
2.	**Name**	Usha Ravi
3.	**Designation**	General Manager
4.	**Telephone number**	022 - 2654 5607
5.	**e-mail id**	gmfmsec@denabank.co.in

About Business Responsibility Report

This is a regulatory requirement. It is published annually along with the Annual Report. The BR performance of the Bank is to be evaluated annually. The BR report of the Bank can be accessed on our website at the Financials > Annual Report > Annual Report for the year ended 31st March 2018:

Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

No.	Questions	Business	Product Responsibility	Wellbeing of Employees	Stakeholder Engagement	Human	Environment	Public Policy	CSR	Customer Relations
		P1	P 2	P 3	P 4	P5	P 6	P7	P8	P9
1	Do you have a policy / policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the Bank have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	https://www.denabank.com Main Page > Customer Care								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the Bank have in-house structure to implement the policy/ policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the Bank have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the Bank carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Dena bank is committed to operating and growing its business in a socially responsible way. The Bank is convinced that businesses that address both the direct concerns of citizens and the needs of the environment will prosper over the long term.

The report provides an overview of the activities carried out by the Bank under each of the nine principles as outlined in the SEBI BRR vide circular No. CIR / CFD / CMD / 10 / 2018 dated November 04, 2015 for Business responsibility.

PRINCIPLE 1 - SOUND CORPORATE GOVERNANCE

The guidelines issued by the Regulator / CVC for ensuring effective checks on corruption, malpractices, misappropriations of funds and embezzlements etc. are scrupulously followed and suitable control mechanism is in place. The Compliance function is independently monitored at Corporate Office. Bank recognizes that it is a custodian of public money and in order to fulfill its fiduciary obligations and responsibilities, it has to maintain and continue to enjoy the trust and confidence of public at large. The Bank also publishes Corporate Governance Report alongwith its Annual Report every year.

PRINCIPLE 2 – SUSTAINABLE PRODUCTS AND SERVICES

The Bank is aware of the crucial roles it plays in the economy. One providing financial products and services and another that of change agent by providing banking services to those who were financially excluded hitherto. The thrust areas include new ideas to reach customers with new technology and deepening relations. As a partner in the progress of the country, the Bank extends credit for the requirements of different sectors of economy whether it is big industry, MSME sector, exports, trade, agriculture, infrastructure and personal segment. The Bank has been a pioneer in taking meaningful initiatives for Financial Inclusion catering to the needs of the disadvantaged.

The Bank strives to develop and offer financial products and services that, directly or indirectly, lead to long term environmental benefit and social development. Some of the key products catering to customer needs as well as benefitting the environment / society, are as follows:

- **Cashless and Green banking:** To promote cashless and green banking, Bank has introduced many product viz. Core banking solution, Dena I-Connect- internet banking, mobile banking, ATMs, Micro ATMs/ TABs, USSD facility – transactions without internet, POS machine- Transaction through Ru-Pay card to PMJDY account holders, Ru-Pay Card, AEPS, E-lobbies etc, BHIM-Dena-UPI, DENA BHIM Aadhaar Merchant Pay App etc.. All Bank Mitrs have been provided with 1.1.5 version inter-operable TABs. Aadhaar based transaction of TABs are routed through NPCI.
- **Financial Inclusion:** To improve financial access and real financial inclusion Bank has taken many initiatives. To improve financial access Bank has adopted strategy by arranging financial literacy camps, village meeting and awareness camps for dissemination of information of various Banking services to improve financial access to poor and under privileged people. The Bank has successfully implemented Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY). The department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI, has declared Dena Bank as first among all banks in opening maximum accounts under the PMJDY in rural areas. Dena Bank has been awarded as Winner for “Best Financial Inclusion Initiatives” in category of Small Size Bank by Indian Banks Association (IBA) in Banking Technology Conference & Expo Awards 2018 held at Mumbai on 23rd February 2018.
- **Digital Banking:** Under Digital India Drive, Bank has adopted 52 villages for digitization in Gujarat Under Digital India Drive, Bank has State and to create awareness about Digital Payments and products such as Mobile Wallets, Rupay Debit Cards, UPI, AEPS, Mobile Banking, Internet Banking, PoS etc. Bank has arranged rural activation programmes in all these villages.
- All products and services catering to the needs of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)
- All products, services and schemes falling under Rural and Agri banking.

PRINCIPLE 3 – EMPLOYEE WELFARE

Bank is an agile and diverse organization, with people motivated to do good while working. Sustainable, profitable growth can be achieved only when people work as a team in an organization where performance is aligned with values.

HR INITIATIVES

Dena Bank believes that, a trained, motivated and productive workforce is the Bank’s biggest asset. Keeping this in view, Bank has taken many proactive steps in improving organizational efficiency by augmenting Human Resource Management. It is attracting young talents which are being mentored by the experienced employees of the Bank. Bank has streamlined various policies, processes & systems. HRM has implemented the following:

- Transparent & objective Performance Management System (PMS) incorporating Government of India guidelines on the same.
- Bank has initiated succession planning for critical roles and is in the process of building leadership pipeline.
- Introduction of HRMS, a centre for facilitating centralized sanctioning of employee benefits and redressal of employees grievances, has greatly enhanced employee satisfaction.
- Similarly, many other such initiatives have been undertaken during FY 2017-18, the objective of which is to keep the employees engaged, competitive and contended

WORK-LIFE BALANCE

There are several initiatives undertaken by the Bank to promote work-life balance for employees and makes every effort to establish employee connect and employee satisfaction. The Bank has an attractive Promotion Policy including Fast Track Promotion to take care of meritorious employees.

The Bank also provides facilities, benefits and welfare measures to its employees so that they are able to maintain a good work-life balance. The care of the medical requirements of its employees is undertaken through a hospitalization scheme with a tie-up arrangement with many hospitals across the country. The Bank has various welfare schemes viz. canteen subsidy, education loan, medical & hospitalization expenses reimbursement, etc.

Some of the other measures for the employees include Health Camps, celebrations on Bank’s Foundation Day, Hindi Divas, Independence Day, Republic Day, etc. As on 31st March 2018, the Bank had a total of 13,613 employees, out of which 3,705 were women employees and 351 were employees with disabilities.

RESPECT FOR HUMAN RIGHTS:

The Bank is committed to respecting and upholding human rights in all areas of its operations and within its sphere of influence. The Bank has established the “Sexual Harassment Redressal Committee at work places” and has put in place adequate grievance redressal mechanism to address any related concerns. The Bank also respects the right of

its employees to form groups/associations and collectively voice their concerns. There are several employee associations in our Bank.

The Bank has nominated Officers of the rank of General Manager to function as Chief Liaison Officers to oversee implementation of Reservation Policy for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Physically Handicapped and Ex-Physically Handicapped and Ex-Servicemen Employees. Quarterly Meetings with All India Dena Bank SC/ST/OBC Employees' Federation were held at periodic intervals at Head Office and Zonal Office levels to redress grievances.

Servicemen Employees. Quarterly Meetings with All India Dena Bank SC/ST/OBC Employees' Federation were held at periodic intervals at Head Office and Zonal Office levels to redress grievances.

INDUSTRY LEVEL WAGE SETTLEMENT

Wage negotiations take place between Indian Banks' Association representing the Banks and the recognized Unions/Associations through a process of collective bargaining and negotiated settlement of demands. This wage revision is valid for a period of 5 years.

TRAINING AND EMPLOYEES' SKILL DEVELOPMENT

As a learning organization, the Bank focuses on acquiring contemporary knowledge, continuous reskilling and up skilling activities and attitudinal improvements. Providing need based training to the staff members and to match it with the organizational needs is one of the strong features of Bank's training system.

The training needs are assessed and catered for all employee cadres. The Bank is committed to ensure that the staff members are competent in basic work skills and knowledge of their individual responsibilities. The training needs in the entire organizational life cycle of an employee – from entry to exit – are catered by the training system with its Apex College "Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College", Mumbai besides other Zonal training center at various places.

EQUAL OPPORTUNITY OF EMPLOYMENT

For recruitment of management and supervisory staff / officers, clear guidelines exist concerning the identification and authorization of vacancies to be filled, with appropriate authority levels for these.

FREEDOM OF ASSOCIATION, PARTICIPATION AND COLLECTIVE BARGAINING

Bank follows the principle of freedom of association and right to negotiate. The human rights practices of Bank assure respect for the right of employees to freedom of association and recognition of employees' rights to collective bargaining, where allowable by law.

PRINCIPLE 4 – STAKEHOLDER ENGAGEMENT

For the Bank, stakeholder management is of vital importance as it helps the Bank to deliver its commitments and succeed as a business. Bank actively engages with stakeholders groups such as customers, shareholders, investors, employees, media, etc.

The Bank identifies a stakeholder as somebody who is influenced by the Bank's operations or who influences the Bank's operations. Depending on the extent of influence, they are either 'Primary', 'Secondary' or 'Key'.'

Primary 'stakeholders of the Bank include, but are not limited to, employees, Customers. 'Secondary' stakeholders include, but are not limited to Local Communities, Suppliers, Industry Associations, and 'Key' stakeholders include shareholders and promoters, Regulatory bodies etc. The Bank continues to formally or informally engage with almost all of its stakeholders using a host of communication channels.

The focus of the bank is to provide excellent customer services at all touch points of the Bank viz., branch, ATM, Internet Banking, mobile banking, Call center etc. Further, the Bank has:

- ❖ Appointed Relationship Officers at Corporate Business Branches and providing them adequate training to convert the complainants into campaigners.
- ❖ Also set up a 24x7 call centre to address any queries of the customers.

The Bank is also educating its customers about various new products & services through campaigns in both the print & electronic media.

The Bank's in house magazine "Dena Jyoti" continues to be an excellent means of internal communication between management and employees with the objective of creating oneness among the staff members. The Bank's Intranet portal hosts all internal policies, guidelines, codes and communications which are accessible to all employees.

The Bank publishes quarterly results along with highlights of performance every quarter in prominent newspapers. The Bank also provides various disclosures as per SEBI (LODR) Regulation from time to time. The Bank also holds analysts and investors meet on regular basis.

The Bank maintains continuous liaison with the Govt. and other peer banks and proactively participates in various policy formulations and industry level issues to improve the functioning of banking industry in India. The top and senior management of the Bank visit urban, sub urban and rural areas, where the Bank is serving, on a periodic basis, to interact with the people and to enhance the effectiveness of the various services.

The Bank is also providing schemes under social security schemes/ programs of the government such as PMJJBY, PMSBY and Atal Pension Yojana.

PRINCIPLE 5 – RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

Dena Bank upholds the principles of human rights and fair treatment and conducts operations with honesty, integrity and openness and with respect for human rights and interests of employees. As a responsible Corporate entity, the Bank not only follows all the guidelines, instructions, directives issued / notified by the Central / State / Local Government/s or other Statutory Authorities regarding Human Rights but also follows them in spirit.

The Bank will uphold the principles of human rights and increase general awareness of human rights for stakeholders across the value chain. The Bank expects its business partners including suppliers, business correspondents etc. to respect human rights of their workforce and avoid any violation regarding the same.

PRINCIPLE 6 – IMPACT ON ENVIRONMENT

The Bank, as a responsible corporate entity is aware of its obligations towards environment. The Bank has undertaken several initiatives for creating better environment. It has been adopting various measures to reduce its carbon footprint. All new branches / offices are being provided with LED Lighting and 5 star ACs and lighting fittings / ACs of the existing branches / offices are also being replaced in phased manner with LED Lighting / 5 star ACs for reducing energy usage. Further, the Bank plans to install roof top Solar Panels on owned buildings.

PRINCIPLE 7 – ADVOCACY FOR PUBLIC GOOD

Dena Bank practices proactive advocacy with an aim to bring about a positive impact in the business ecosystem and communities. Proactive advocacy for Dena Bank is not just about lobbying the Government for securing certain benefits for industry, but is also about advocating certain best practices for benefit of the society at large.

The Bank is a member of various financial and industry related trade chambers and associations. Some of them are outlined below:

- Indian Banks Association (IBA)
- Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
- Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
- National Institute of Bank Management (NIBM)
- Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL)
- Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
- International Chamber of Commerce (ICC)
- Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)
- National Payments Corporation of India (NPCI)
- The Clearing Corporation of India Ltd (CCI)
- Confederation of Indian Industry (CII)
- The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
- National Credit Guarantee Trustee Company(NCGTC)
- National Small Industries Corporation (NSIC)
- Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)
- National Housing Bank (NHB)

The Bank proactively engages with these bodies and provides inputs on a wide range of issues such as Annual Budget, Credit Policy / Monetary Policy, guidelines on product pricing, various surveys etc.

PRINCIPLE 8 – INCLUSIVE GROWTH

RBI defines Financial Inclusion as the process of ensuring access to financial services and timely & adequate credit where needed by vulnerable groups such as the weaker sections and low income groups at an affordable cost from mainstream financial institutions.

The Bank has taken various initiatives/projects to support inclusive growth and equitable development:

1. Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY):

As on 31.03.2018, 44.06 lacs accounts have been opened and Rs 1023.95 crore deposits mobilized under PMJDY.

Bank has approved the scheme for grant of overdraft facility upto Rs.5000/- to PMJDY customers who have opened accounts during 15.08.2014 to 26.01.2015 subject to satisfactory conduct of accounts for the period of 6 months. Bank has sanctioned overdraft to 36,968 PMJDY accounts.

The following steps were also taken up in the villages:

a. All the BC locations are being provided with Inter-operable TABs and the required infrastructure for Aadhar Enabled Payment System (AEPS) transactions.

b. Training of all Bank Mitrs have been provided.

c. Besides, basic banking services, additional value added services like Loan recovery, collection of consent forms for Aadhaar seeding, Rupay card activation etc have been performed by BCs which make BC model more viable and sustainable.

2. Financial Literacy Programme:

The Bank is undertaking Financial Literacy dissemination programme as per guidelines issued by RBI / IBA. The financial literacy campaign is being taken on priority basis.

3. Special Social Security scheme:

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana [PMSBY]: for accidental insurance: As on 31.03.2018 the total number of applications sourced was 17,88,262.

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana [PMJJBY]: for life insurance cover: As on 31.03.2018 the total number of applications sourced were 4,65,284

Atal Pension Yojana [APY]: Atal Pension Yojana (APY) is a co-contributory fixed Pension Yojana to address the longevity risks among the workers in unorganized sector and to encourage the workers in unorganized sectors to voluntarily save for their retirement. The number of applications sourced as of 31.03.2018 is 65,582.

PRINCIPLE 9 – CUSTOMER FOCUS

Information related to products and services are displayed on the Bank's website and also at the branch premises. The awareness about the financial products is spread through pamphlets and brochures. The Bank promotes its products in electronic and print media through effective marketing techniques and advertising.

The Bank continues to accord top priority for providing prompt and efficient service to its customers. With this end in view, the Bank has formulated a Customer Rights Policy, Grievance Redressal Policy, etc which are available on the website of the Bank. Every endeavour is made to redress the grievances of the customers within the framework laid down in the Grievance Redressal Policy.

Systems and procedures being followed by the Bank are reviewed at regular intervals to upgrade and remove systemic deficiency, if any, which help in further improvement of the customer service.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2017-18

1. Bank's Philosophy on Code of Governance

Bank's Corporate Governance philosophy is based on application of best management practices which will facilitate effective management and control of business. This enables the Board and the Senior Management of the Bank to take decisions adhering to ethical standards, transparency, accountability, responsibility and financial stability. The Bank believes that Corporate Governance is closely linked to its core values and is associated with ethical practices, concern for its employees, extending quality service to its customers, striving to meet the shareholders expectations and societal aspirations. This optimizes the value for all its stakeholders who include not only the Board of Directors and the Senior Management but also the Shareholders, Customers, Employees and the society at large.

Bank's Corporate Governance structure apart from the Board comprises of the 18 Committees of the Board to monitor various areas of business.

Prevention of Insider Trading

Dena Bank has framed a comprehensive code of conduct for prevention of insider trading namely, "Dena Bank Code of Conduct for Prevention of Insider Trading" in accordance with the requirements of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. The code for Prevention of Insider Trading is posted on the website of the Bank. All the Directors, Employees at senior management level and other Employees of the Bank who could have access to the unpublished price sensitive information of the Bank are governed by the code. Bank has appointed Smt. Usha Ravi, General Manager in-charge of Investor Relation Centre as Compliance Officer who is responsible for setting forth procedures and implementation of the code of conduct for trading in Bank's securities. During the year there has been due compliance with the said code.

Code of Conduct

The Board of Directors has approved a Model Code of Conduct circulated by the Indian Banks' Association for its Directors and General Managers, which is modified subsequently by the Board as per SEBI circular CIR/CFD/POLICY CELL/2/2014 requirements. The code covers amongst other things the Bank's commitment to honest and ethical personal conduct, fair competition, transparency and compliance of laws and Regulations etc. The code of conduct is posted on the website of the Bank. All the Directors and General Managers have affirmed that they have complied with the Code of Conduct for the year ending 31st March, 2018.

Bank has complied with the guidelines on Corporate Governance stipulated in SEBI (LODR) Regulations, 2015, the disclosure requirements of which are given below:

2. Board of Directors

The constitution of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

As of 31.03.2018, the composition of the Board consists of eight (08) Directors including two (02) whole time Directors viz. Executive Directors appointed by Government of India and six (06) non-executive Directors. Out of six (06) non-executive Directors, one Official Director represents Government of India Nominee, one Director represents Reserve Bank of India, two Directors appointed by Government of India and two shareholder Directors elected by the Shareholders other than the Central Government. Following post of Directors are vacant as details given below:

Sl. No.	Post	Vacant from date
1	Managing Director & CEO	01.01.2018
2	Workmen Employee Director	19.09.2017
3	Officer Employee Director	01.01.2016
4	Part time non-official Director - Chartered Accountant	30.06.2014
5	Part time non – official Director to be appointed by GOI	05.12.2016
6	Part time non – official Director to be appointed by GOI	28.03.2018

Since the post of MD & CEO is vacant, Board in its meeting held on 16th January, 2018 granted administrative and financial powers of MD & CEO to Senior Executive Director and also decided that, Senior Executive Director may preside over the meetings of all the sub-committees of the Board, which were earlier chaired by erstwhile Chairman & Managing Director, till MD & CEO posted in Bank.

Further, after the superannuation of Smt. Trishna Guha, Executive Director on 31.08.2017, GOI has not appointed Woman Director on the Board of the Bank, as required under Regulation 17 (1) (a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

During the year under review, 13 meetings of the Board of Directors were held on the following dates:

24.04.2017	09.05.2017	22.06.2017	29.07.2017	30.08.2017	23.09.2017
27.10.2017	10.11.2017	29.12.2017	16.01.2018	14.02.2018	06.03.2018
22.03.2018					

2.2 Particulars of Directors

The necessary particulars of Board of Directors and status of attendance in the Board meetings during the year under review are given in the **Annexure A, B and C.**

3. Committees of Directors

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India / Government of India / Ministry of Finance & Department of Financial Services and the guidelines on Corporate Governance etc., the Bank has constituted various Committees of the Board of Directors, the details of which are given below:

3.1 Management Committee of the Board

The Board had constituted Management Committee as per provisions of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980. The main functions of the Committee include sanctioning of credit proposals, Loan Compromise / Write-off proposals, Filing of suits / appeals, proposals for approval of capital and revenue expenses, investments in Government and other approved securities / shares/ Bonds and debentures of companies / Corporates, including underwriting, proposals for acquisition, hiring of premises, donations and all other financial approvals etc. which are beyond the discretionary powers of the Chairman & Managing Director / Credit Approval Committee and any other matter referred to the Management Committee by the Board.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in **Annexure B and C**.

3.2 Audit Committee of the Board

The Board had constituted Audit Committee of the Board of Directors in October 1995 in accordance with the guidelines of the

Reserve Bank of India. The Committee was re-constituted in May 2008, as advised by Government of India vide communication No. F. No.19/20/2007-BO-I dated February 18, 2008.

Further, Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2015-16/181. DSB.ARS.BC 4 / 08.91.20/2015-16 dated 24th September 2015 has advised that should a Bank have more than one ED, the ED in-charge of Internal Inspection and Audit should be the member of the ACB whereas other EDs can be invitees to the meeting if the agenda includes any item for discussion from their domain.

The functions of Audit Committee include overseeing the audit functions, review of Bank's financial performance, review critical finding of concurrent/ other inspections/ audits, compliance with accounting standards and all other matters specified under Regulation 18 of SEBI [LODR] Regulations, 2015. The Committee discusses and considers Quarterly/ Annual Accounts before recommending the same to the Board for approval.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.3. Remuneration Committee of Directors

Remuneration of whole time Directors of PSU Banks is decided by the Government of India. Performance incentive scheme is introduced by the Government of India and for that purpose as per Government of India directives; Bank has constituted "Remuneration Committee" of Board of Directors.

Further, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its communication F.No.121/2014-BOA dated 18th August, 2015, has been made change in its orientation for evaluating the performance of Whole Time Directors (viz. Chairman and Managing Director, Managing Director & CEO and Executive Directors) on the Board of Public Sector Banks (PSBs). As per the said communications, the performance of Whole Time Directors will be evaluated by a Committee chaired by Secretary (Financial Services).

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.4 Stakeholders' Relationship Committee

The Board in its meeting held on November 10, 2014, constituted a Stakeholders' Relationship Committee in compliance of SEBI guidelines on Corporate Governance and Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges w.e.f. October 01, 2014, specifically looking into the redressal of grievance of shareholders, debenture holders/ bond holders and other security holders of the company including complaints related to transfer of shares, non-receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividends etc.

Further, Board in its meeting held on March 06, 2018 approved the merger of Share transfer Committee into Stakeholders' Relationship Committee. The Stakeholders' Relationship Committee to perform all the functions as performed by the Share Transfer Committee i.e. ratification of transfers, transmission of Equity Shares, Remateralisation of Shares, Replacement of shares Certificate, Deletion of Name, Name change and issue of Duplicate Certificates approve by In-house Share Transfer Scrutiny Committee of Executives, noting of shareholding pattern, top Shareholders list and Share Transfer rejections etc.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018, and details of attendance at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.5 Committee of Directors on Integrated Risk Management

The Committee of Directors on Integrated Risk Management was constituted to oversee all risk management activities of the Bank, including identifying underlying risks perceptions, prescribing risk assessment and quantification methodologies, fixing tolerance level for risk exposures, guiding the line management on risk management and mitigation techniques etc.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.6 Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds

In accordance with Reserve Bank of India Letter No.DBS.FGV(F) O./004/23.04.01A/2003-04 dated January 14, 2004, a Sub-committee of the Board for monitoring Large Value Frauds was constituted to review the large value frauds involving amounts of Rs.1.00 crore and above, identify the systemic lacunae, if any, monitoring progress of CBI / Police investigation and recovery position, review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds and status of examination of staff accountability.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.7 Customer Service Committee

Formed in line with RBI guidelines dated 14th August 2004, the Committee reviews the customer services in the Bank as also the progress in attending to customer complaints and grievances. It also considers new measures for improvement in customer service, including external issues.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.8 Committee of the Board on Information Technology Committee.

With a view to facilitate optimum utilization of the existing IT infrastructure, envisioned in the IT Mission of the Bank, to direct IT department on policy matters etc., a need was felt to constitute committee of Directors of the Board for IT. The Board at its meeting held on 1st April 2003, constituted Committee of Directors on Information Technology. The same was reconstituted by Board on 26th & 27th August, 2005 to facilitate optimum utilization of the existing IT infrastructure, envision the IT mission of the Bank, to direct IT department on policy matters and review the transactions volumes under major delivery channels, scalability of the IT infrastructure, New Developments in Technology Field, Business Continuity Planning, Cyber Security, initiatives, the Bank's preparedness in areas of Information Technology and digitization of villages post demonetization etc.

Further, in terms RBI Circular No. RBI/2010-11/494/DBS. CO.ITC.BC.NO.6/31/02.008/2010-11 dated April 29, 2011 on implementation of recommendations of working group of information security, Electronic Banking, Technology, Risk Management and Cyber Frauds was re-constituted an independent IT strategy Committee having a minimum of two qualified directors as the members, of which one is an independent director and one member director having substantial IT expertise in managing Technology.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.9 Compliance Committee.

Reserve Bank of India, vide their communication no. DBS.CO.PP. BC.6/11.01.005/2006-07 dated April 20, 2007 has laid down guidelines for Compliance function in Banks. Based on these guidelines, the Bank had formulated its Compliance Policy which was approved by Board at its meeting held on December 29, 2007. In accordance with the provisions of the Policy, a committee of Directors on Compliance was constituted on December 29, 2007. The committee was re-constituted on January 29, 2009.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.10 Nomination Committee:

The Reserve Bank of India, vide their communication DBOD. No.BC.NO.47/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007 has notified to constitute a Nomination Committee of Directors (all independent / non-executive directors) to undertake a process of due diligence to determine the "Fit and proper" status of existing elected Directors and those who file their nominations for election. Based on these guidelines, the Nomination Committee was constituted by Board at its meeting held on December 29, 2007. The said committee was reconstituted on 18th July, 2011, 29th September, 2011 and 29th June, 2016.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.11 Credit Approval Committee

In line with the Gazette Notification No. 13/1/2006-BO.1 Dt. December 5, 2011 and as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2011, the Board, in its meeting held on January 6, 2012 had constituted Credit Approval Committee of the Board, which was further modified vide Gazette Notification No. 13/01/2006-BO.I dated January 31, 2012 and approved by Board at its meeting held on February 06, 2012. The main functions of the Committee include sanctioning of credit proposals (Funded and Non-Funded), upto Rs.Two Hundred Fifty Crores and Loan Compromise / Write off proposals etc.

The Credit Approval Committee of the Board comprises of five members including two whole time Directors viz. two Executive Directors and 3 General Managers i.e. the General Manager (Corporate Credit). General Manager (Risk Management) and General Manager (Financial Management).

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.12 Steering Committee of Board on HR:

On October 22, 2009, Government of India, constituted a Committee under the Chairmanship of Dr. Anil Khandelwal, to study the HR issues of Public Sector Banks and to make recommendations. Governments of India, vide communication F.No.9/18/2009-IR Dt. October 21, 2011 conveyed their approvals for the recommendations and advised that HR plan incorporating these recommendations be prepared and got approved by the Board of Directors. The recommendations were placed before our Board in its meeting held on February 6, 2012. Further, based on the recommendations of the Khandelwal Committee, "Steering Committee of the Board on HR" was constituted on March 27, 2012 to discuss critical issues on HR, review HRM Plan and related policies on HR, on the lines suggested by the Khandelwal Committee. The Committee meets at quarterly intervals.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.13 Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets

In terms of communication F.No.7/112/2012-BOA dated November 21, 2012 received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India, Board has constituted a sub-committee of Board for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets in its meeting held on December 11, 2012.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.14 Issue Committee of the Board

On November 09, 2013, the Board constituted a committee of Directors to confirm the price calculated in accordance with SEBI (ICDR) Regulations and as certified by Statutory Auditor at which the equity shares on preferential basis will be issued and to allot shares on receipt of subscription. The said Committee is authorized and empowered to decide on various aspects of further issue of shares and to take administrative decisions.

Further, Board in its meeting held on 23rd September, 2017 re-constituted the Issue Committee of the Board. The scope of the Issue Committee of the Board to approve the issue price, the number of securities to be issued and allotted, the basis of allocation and allotment of Securities on Preferential / Qualified Institutional Placement (QIP)/ Rights/ Bonus/ FPO/ any other basis as mentioned under SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.15 Departmental Promotion Committee

As per memorandum NO.10/6/98/VIG dated 08th June, 1998 of Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, Vigilance Section, a committee consisting of Chairman and Managing Director and the Nominee Directors of Government of India and RBI in the Bank was formed to deal with the promotions at senior levels and also review of Vigilance Disciplinary cases and departmental enquiries on quarterly basis. Accordingly, the Committee was formed in the meeting of Board of Directors held on November 09, 2013.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.16 Priority Sector Lending Committee

On July 27, 2013, the Board constituted a Sub-committee of the Board on Priority Sector Lending for more focused attention on achieving targets on Priority Sector Lending and on various sub-sectors of priority sectors and formulation of strategies for priority sector lending.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.17 Committee of the Board for Confirmation of Wilful Defaulters

The Reserve Bank of India, vide their circular DBOD No.BC/ CIS/47/20.16.002/94 dated 23.04.1995 and vide modified circular No.RBI/2014-15/73 dt.07.01.2015 has notified to constitute a Review Committee of the Board headed by the Chairman with two independent directors to review the order of the committee

headed by Executive Director in respect of identification of Wilful Defaulters. Based on these guidelines, the Committee of the Board for Review of Wilful Defaulters was constituted by Board at its meeting held on April 17, 2015.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

3.18 Committee of Board to Review Non Cooperative Borrowers:

The Reserve Bank of India, vide their communications DBR. No.CID.BC.54/20.16.064/2014-15 dated December 22, 2014 has notified to constitute a Review Committee of the Board headed by Chairman & Managing Director with two independent directors to review the order of the Committee headed by Executive Director and confirm / finalize the order in respect of identification of Non Cooperative Borrowers who does not engage constructively with his lender by defaulting in timely repayment of dues while having ability to pay, thwarting lenders' efforts for recovery of their dues by not providing necessary information sought, denying access to assets financed/ collateral securities, obstructing sale of securities etc. Based on these guidelines, the Committee of the Board to Review Non Cooperative Borrowers was constituted by Board at its meeting held on November 07, 2015. No meeting was held during 2017-18.

The composition of members of the committee as of 31.03.2018 and details of attendance at the meetings at its meetings during the year 2017-18 are given in Annexure B and C.

4. Committees of Executives

For proper and efficient functioning of day-to-day functions of the Bank, the Bank has also formed various In-house Committees. Some of the In-house Committees are as under:

4.1 Investment Committee

The Bank has constituted an Investment Committee of Executives for Investment and Money Market Operations. The said Committee reviews all the deals / transactions and the matters relating to investments and funds management transactions and gives necessary guidelines. These meetings are required to take place twice a week or as often as necessary for reviewing investment decisions.

The Committee is chaired by the Chairman & Managing Director and in his absence by the Executive Director. During the year under review, the Committee has been meeting regularly.

4.2 Assets Liability Management Committee

The Bank has constituted Assets Liability Management Committee (ALCO) with Chairman and Managing Director and in his absence Executive Director as Chairman of the Committee. The functions of the Committee inter-alia include overseeing Market Risk Management, Liquidity Risk Management, Interest Rate Sensitivity of Assets and Liabilities and fixation of interest rates etc.

The functional General Managers and other executives from Head Office are other members of the Committee. During the year, the Committee met on 63 occasions to discuss and review ALM functions in the Bank.

4.3 In-House Share Transfer Scrutiny Committee

The Bank had constituted an In-House Share Transfer Scrutiny Committee of the executives of the Bank for approving/ recommending shares transfer, which are processed by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank. The Committee also periodically reviews the progress of demat position of Bank's shares and shareholding pattern of the Bank. General Manager (Financial Management), Asst. General Manager (Board Secretariat), Asst. General Manager (IRC) and Chief Manager (IRC) & Company Secretary are the members of the Committee. General Manager (Financial Management) acts as the Chairman of the Committee. During the year, the Committee met on 38 occasions.

4.4 Internal Committee of Executives on Premises (ICE)

The main functions of the Committee are approval of proposals for acquisition of premise on leasehold basis, increase in rent, payment of arrears, renewal of lease and surrender of leased premises, approval of deviations/modifications with regard to terms of sanction/Policy etc. and recommending the proposal to the Management Committee of Board of Directors, where the total annual outgo is beyond the Discretionary Powers prescribed for the ICE.

The Committee is headed by the Chairman & Managing Director. The Executive Directors and six General Managers are members of the Committee.

During the year 2017-18, the Committee met on 10 occasions and 73 no. of proposals were placed before the ICE.

5. Remuneration of Directors

The Chairman & Managing Director and the Executive Directors were paid salary / remuneration as per extant guidelines of the Government of India and are not paid sitting fees for attending the Board and other Committee meetings of the Bank. All other Non-Executive Directors except Government and RBI nominee Directors, are paid sitting fees of Rs.20,000/- for attending each Board Meeting and Rs.10,000/- each for attending any other Committee meeting as per notification F.No.15/1/2011-BO.I dated 20th July 2015 received from Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services.

In addition to sitting fees to which a director is entitled to be paid as mentioned above, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed his / her travelling & Halting expenses if any, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time. All matters relating to remuneration of Non-Executive Directors are governed by the provisions contained in the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

6. Whistle Blower Policy

The Board of the Bank has approved a policy known as Whistle Blower Policy as per CVC and SEBI guidelines. Under this a mechanism has also been incorporated as to how an employee can report to the CVO/ Management about unethical behavior if any, actual or suspected fraud or violation of conduct or ethics. This mechanism also provides adequate safeguards against victimization of employee who avail of this mechanism and also provide for direct access to the Chairman of the Audit Committee in exceptional circumstances. Whistle Blower Policy 2017-18 has been hosted at the website of the Bank.

7. General Body Meetings

The details of last three Annual General Meetings and last three Extraordinary General Meetings are given below. The venue of all meetings was Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (West), Mumbai-400 056:

Details of the Meeting	Date & Time
Twenty first Annual General Meeting *	Tuesday, 27th June, 2017 at 11.00 a.m.
Twentieth Annual General Meeting	Tuesday, 28th June, 2016 at 11.00 a.m.
Ninetieth Annual General Meeting	Saturday, 27th June, 2015 at 11.00 a.m.
Extra Ordinary General Meeting (To create, offer, issue and allot Equity Shares on Preferential basis to GOI and to appoint two Shareholder Directors)	Tuesday, 27th March, 2018 at 11.00 a.m.
Extra Ordinary General Meeting (To create, offer, issue and allot Equity Shares on Preferential basis to GOI, LIC of India and GIC of India)	Monday, 27th March, 2017 at 11.00 a.m.
Extra Ordinary General Meeting (To create, offer, issue and allot Equity Shares on Preferential basis to Govt. of India)	Thursday, 22nd September, 2016 at 11.00 a.m.

*The Last AGM was attended by Shri Ashwani Kumar- Chairman & Managing Director, Smt. Trishna Guha- Executive Director, Shri Ramesh S. Singh – Executive Director and Shri V Chandrasekaran – Shareholder Director & Chairman of the Audit Committee.

Special Resolution was passed at the 21st Annual General Meeting and above said Extraordinary General Meetings.

Postal Ballot – Bank has not conducted any postal ballot during the last financial year.

E-Voting – Bank has provided E-Voting facility to shareholders for the resolutions placed in the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting held as above.

8. Disclosures:

8.1 Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

The Bank has formulated a policy on materiality of Related Party Transactions and also on dealing with Related Party Transactions, which is approved by the Board in its meeting held on January 09, 2015. The said policy is also posted at the website of the Bank, the web-link of the same is as follows: http://www.denabank.com//uploads/files/1421147731326-RPT-Policy.pdf

There have been no significant related party transactions, pecuniary transactions or relationship between the Bank and its Directors for the year ended March 31, 2018 that may have a potential conflict with the interest of the Bank at large.

The Bank has sponsored one Regional Rural Bank in the state of Gujarat Viz. Dena Gujarat Gramin Bank (DGGB) where Bank's extent of ownership is 35%, During the year, DGGB has issued Inter Bank Participation Certificate (IBPC) of Rs. 190.00 cr to Dena Bank on risk sharing basis representing various loans to priority sector which was matured on 27/12/2017. DGGB has invested Rs. 2 cr in Dena Bank Tier-II Bonds. Further, as on 31/03/2018, DGGB's deposit with bank stood at Rs.644.50 cr and have availed advances of Rs.594.35 cr.

8.2 There were no cases of non-compliance by the Bank and no penalties / strictures were enforced on the bank by Stock Exchanges/ SEBI or any other statutory authority on any matter related to the capital markets during the last three years.

8.3 As required under Regulation 40(9) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a certificate is obtained within one month of the end of each half of the financial year from a practicing Company Secretary, with regard to inter-alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within 30 days of the lodgment. The certificate is obtained and filed in BSE and NSE, where the equity shares are listed.

8.4 In terms of SEBI's circular No. D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of Share Capital Audit is conducted on a quarterly basis by a firm of practicing company secretary, for the purpose of, inter-alia, reconciliation of total admitted equity share capital with the depositories and in the physical form with the total issued / paid up equity capital of Dena Bank. Certificate issued in this regard is forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed, within 30 days from the quarter end.

8.5 The Clause of Non-mandatory requirements complied by the Bank is as follows:

Sl. No.	Requirement	Compliance
1	**Board** A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expense and	The Chairman of the Board is an Executive Director appointed by GOI, hence the clause is **not applicable** as it relates to maintenance of office by non-executive Chairman.
2	**Shareholder Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	Quarterly/ Half yearly results in SEBI format are published in the newspapers and put on the websites of the Bank and Stock Exchanges.
3	**Audit Qualifications** Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There has been no audit qualification during the year. Hence, **complied with**.
4	**Separate posts of Chairman and CEO** The company may appoint separate persons to the post of Chairman and Managing Director/CEO.	The appointment of Chairman, Managing Director & CEO of the Bank is made by Ministry of Finance, GOI. Hence the clause is **not applicable**.
5	**Reporting of Internal Auditor** The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal Inspection function of the Bank directly reports to the Audit Committee. Hence, **complied with**.

9. Financial Results and Means of Communication:

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed about the events of their interests.

The Quarterly / Half Yearly / Annual results of the Bank are submitted to the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, within the stipulated time frame. Further, the quarterly results / half-yearly / annual results were also published in English, Hindi and in Marathi (Regional Language) newspapers as per the statutory requirement. The Bank also communicates the annual results to the Shareholders. The results as well as shareholding pattern are displayed on the website of the Bank i.e. www.

denabank.com. It also displays official press releases and other important details about the Bank. Press Meet and Analyst's Meets are also organized by the Bank.

10. Shareholder information

The Bank is a Scheduled Commercial Bank having its Head Office at Mumbai. The Bank has presence all over India with a network of 1872 Branches (including 72 satellite branches).

The Equity shares of the Bank are listed on BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE). The stock scrip codes are as follows:

Stock Exchange	Code	
	Alpha	Numeric
BSE	DENA BANK	532121
NSE	DENABANK	--

Annual Listing fee for next financial year 2018-19 has been paid to both the stock exchanges.

11. Capital Augmentation during the FY 2017-18

11.1 The Bank had taken approval of shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on 27th March, 2017 to raise equity share capital upto an amount of Rs. 792.33 Crore by issue and allotment of 20,62,81,999 equity shares at a price of Rs. 38.41 per share (including premium of Rs. 28.41) on preferential basis to Government of India (15,62,09,320 Equity Shares), LIC of India (4,48,65,702 Equity Shares) and GIC of India (52,06,977 Equity Shares). The Bank had received and kept the said amount as application money till the allotment of equity shares. The allotment of shares was made on 4th August, 2017 pursuant to approval of GOI vide their letter F. No. 7/38/2014-BOA dated 4th August, 2017.

The Bank has raised Rs. 401.26 Crore in October, 2017 by issue and allotment of 13,74,18,819 fully paid equity shares @ Rs. 29.20 per share to Qualified Institutional Buyers (QIBs) under Qualified Institutions Placement (QIP).

Pursuant to approvals from Reserve Bank of India and Government of India under Section 3(2B)(c) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970; the Bank has raised Rs. 3,045 Crore by allotment of 112,81,95,628 Equity shares of Rs.10/- each at a price of Rs. 26.99 per share (including premium of Rs. 16.99 per share) to President of India (Government of India) on preferential basis on 27th March, 2018. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the bank and to fund the general business needs of the Bank.

11.2 The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes / Debentures (Tier-I and Tier-II Capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

Particulars of the Issue	Size (Rs. In Cr)	Date of Allotment	Date of Maturity	ISIN No.	Details of Trustees
9.25% Lower Tier-II Bonds (Series IX)	106	25.03.2008	24.05.2018	INE077A09062	IDBI Trusteeship Ltd. Asian Building, Ground Floor,17 R Kamani Marg, Ballard Estate Mumbai 400001 Phone 022-40807009 Email – itsl@idbitrustee.com
11.20% Lower Tier-II Bonds (Series X)	300	30.09.2008	30.04.2019	INE077A09070	
9.50% Lower Tier-II Bonds (Series XI)	200	29.01.2009	29.01.2019	INE077A09088	
9.00% Perpetual Bonds (Series II)	125	28.05.2009	Perpetual	INE077A09096	
9.23% Lower Tier-II Bonds (Series XII)	850	25.06.2012	25.06.2027	INE077A09104	Centbank Financial Services Ltd. Central Bank of India-MMO Bldg, 3rd Floor (East Wing), 55 MG Road, Fort, Mumbai 400001.
9.86% Basel III Compliant Lower Tier-II Bonds (Series XIII)	780	26.02.2014	26.02.2024	INE077A08064	
8.76% Basel III Compliant Lower Tier-II Bonds (Series XIV)	400	20.09.2016	20.09.2026	INE077A08098	

Redemption of Bonds during the financial year:

10.05% Perpetual Bonds (Series I) was redeemed on 31.12.2017 by exercising call option.

10.20% Basel III Compliant AT1 Perpetual Bonds (Series III) and 10.95% Basel III Compliant AT1 Perpetual Bonds (Series IV) was redeemed on 31.03.2018 by exercising call option under Regulatory Event.

All these Bonds are listed at the National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank will pay the Annual Listing Fees for next financial year 2018-19 to the Stock Exchange before its due date.

11.3 Credit Rating position of the Bonds of our Bank:

Types of Bonds	Agency	Ratings (March, 2018)
Tier-II Bonds (Basel II Compliant)	CRISIL RATINGS	CRISIL AA- / Stable
	CARE RATINGS	CARE A + / Stable
	INDIA RATINGS	IND AA- / Stable
Perpetual/ IPDI (Basel II Compliant)	CRISIL RATINGS	CRISIL A+/ Stable
	CARE RATINGS	CARE A / Stable
	INDIA RATINGS	IND A- / Stable
Tier II Bonds (Basel III Compliant)	CARE RATINGS	CARE A + / Stable

12.1 Dematerialisation of Shares and Liquidity

The shares of the Bank are traded compulsorily in dematerialized mode. The Bank, as an issuer, has entered into agreements with NSDL and CDSL for dematerialization of shares. In terms of SEBI guidelines, the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank is also extending the facility of transfer / dematerialization / rematerialization etc., to shareholders of the Bank.

	As on 31-03-2018		
	Demat	Physical	Total
Number of Shareholders	2,16,856 (87.48%)	31,027 (12.52%)	2,47,883 (100%)
Number of Shares	225,06,15,237 (99.63%)	84,31,093 (0.37%)	225,90,46,330 (100%)

12.2 Share Transfer Systems and Redressal of Investor Grievances.

The Bank has engaged M/s. Link Intime India Private Limited as Registrar & Share Transfer Agent (R & T Agent) of the Bank and the Share/ Bond transfers / transmission, Dividend / Interest payments and all other investors' related matters are attended to and processed by R & T Agent at their office. The R & T Agent after processing the requests of investors put the same to the In-house Share Transfer Scrutiny Committee of the Executives of the Bank which approves and recommends the transfer / transmission etc. of shares of the Bank to the Share Transfer Committee/ Stakeholder's Relationship Committee for ratification.

Shareholders may lodge their transfer deeds (only in case of holding in physical form) and any other document, including complaints at the following address of Registrar & Share Transfer Agent of the Bank and also refer correspondence, if any, at the Bank's Investor Relations Centre at the address given below.

M/s. Link Intime India Private Limited Unit: Dena Bank, C 101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra - 400083 Tel: 022 - 49186270 Tele- Fax: 022 - 49186060 E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in, Bonds.helpdesk@linkintime.co.in	Dena Bank, Head Office, Investor Relations Centre, 3rd Floor, Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051 Tel: 2654 5318/19/20 Tele-fax: 2654 5317 E-mail: irc@denabank.co.in

The Bank has provided a dedicated and exclusive e-mail id investorgrievance@denabank.co.in for the Grievance Redressal, as per SEBI guidelines. Shareholders are requested to avail of this facility in case of any grievance.

12.3 Green Initiative in Corporate Governance

As part of the Green Initiative in Corporate Governance, the Bank has been sending all communications and documents such as Notice of AGMs and other General Meetings, Explanatory Statement thereto, Annual Report, Balance Sheets, Directors' Report, Auditor' Report and other shareholder communications in electronic form to the email address registered by the shareholders either with the Bank or with the depositories as the case may be.

Shareholders are requested to register / update their email ids with the Depository Participants (DPs) or M/s Link Intime India Pvt. Ltd. as the case may be at the earliest, to enable the Bank to be part of this green initiative.

12.4 Financial Calendar: (Tentative)

Financial Year	1st April, 2018 to 31st March, 2019
Board Meeting for considering the Accounts and recommendation of dividend, if any	*11th May, 2018 (Friday)*
Dates of Book Closures	21st June, 2018 to 27th June, 2018
Last date for receipt of proxy form	22nd June, 2018
Date and Time of Twenty Second Annual General Meeting	27th June, 2018 at 11:00 A.M.
Board Meeting for taking on record the Un-audited results for first 3 quarters	Within 45 days of the end of relevant quarter
Venue of Twenty Second Annual General Meeting	Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, Near Cooper Hospital, J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (West), Mumbai- 400 056

12.5 Shares Price and Volume of Shares traded on NSE & BSE during the year 2017-18:

	National Stock Exchange (NSE)			Bombay Stock Exchange (BSE)		
Period	**High**	**Low**	**Total Volume of shares traded**	**High**	**Low**	**Total Volume of shares traded**
Apr-17	44.90	38.10	27,548,301	44.70	38.00	5,791,852
May-17	50.10	33.75	70,142,856	50.00	33.70	16,634,343
Jun-17	38.40	33.10	30,333,562	38.40	33.00	7,367,699
Jul-17	36.10	32.10	18,763,644	36.10	32.25	4,177,220
Aug-17	35.25	30.30	13,807,692	35.30	30.30	3,360,393
Sep-17	33.60	30.00	16,920,104	33.45	30.45	2,748,452
Oct-17	32.00	27.10	101,594,414	32.00	27.10	14,113,357
Nov-17	28.70	24.30	70,926,971	28.80	24.30	11,514,144
Dec-17	26.40	23.55	34,037,649	26.40	23.70	6,611,760
Jan-18	27.85	24.85	73,077,475	27.85	24.65	13,002,922
Feb-18	25.50	19.85	37,973,140	25.55	19.85	7,771,152
Mar-18	21.60	18.05	31,533,392	21.70	18.00	6,503,534
Highest during the year			**50.10**	**Highest during the year**		**50.00**
Lowest during the year			**18.05**	**Lowest during the year**		**18.00**

12.6 Shareholding Pattern as on March 31, 2018:

The shareholding pattern of the Bank as on March 31, 2018 is as follows:

Sl. No.	Category	No. of Shares held	% of Share-holding
1	Government of India	1,824,031,844	80.74
2	Insurance Companies	190,501,676	8.43
3	Foreign Institutional Investors	27,937,286	1.24
4	Bodies Corporate	25,295,657	1.12
5	NRI/ OCBs	5,606,737	0.25
6	Banks & Financial Institutions	38,419,247	1.70
7	Mutual Funds/ UTI	400	0.00
8	Resident Individuals / NBFC Regd. with RBI, Trust, etc.	147,253,483	6.52
	TOTAL	**225,90,46,330**	**100.00**

12.7 (A) Statement showing shareholding of persons belonging to the category "Promoter and Promoter Group" as on 31.03.2018:

Sl. No.	Name of Shareholder	Number of Shares held	% of total holding
1.	President of India (GoI)	182,40,31,844	80.74
	TOTAL	**182,40,31,844**	**80.74**

B) Statement showing shareholding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares as on 31.03.2018:

S/ No.	Category of the Shareholders	Number of Shares held	Shares as percentage of total no. of shares
1	Life Insurance Corporation of India	15,52,69,698	6.87
2	General Insurance Corporation of India	2,85,32,665	1.26
	Total	**18,38,02,363**	**8.13**

12.8 Distribution of Shareholding as on 31.03.2018

Description	Shareholders		Shareholding	
(Shares Range)	Number	% to total	Number	% to total
Upto 500	206069	83.13	34625936	1.53
501-1000	20687	8.34	17325868	0.77
1001-2000	10490	4.23	16364235	0.72
2001-3000	3610	1.46	9361867	0.41
3001-4000	1725	0.70	6251979	0.28
4001-5000	1434	0.58	6825226	0.30
5001-10000	2144	0.86	16156277	0.72
Above 10000	1724	0.70	2152134942	95.27
Total	**247883**	**100.00**	**2259046330**	**100.00**

12.9 Performance of Dena Bank Share in comparison with the movement of S & P CNX Nifty is shown here below:

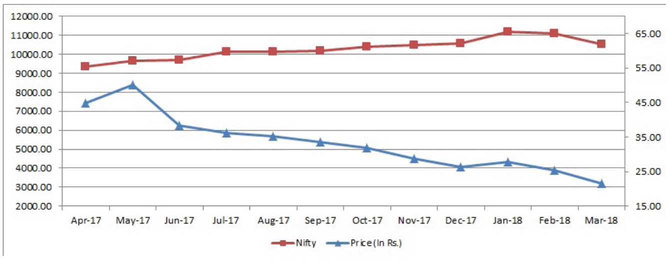

12.10 Shareholders information:

The Bank had declared Dividend for the following years:

Sl	Year	Dividend (%)	Sl	Year	Dividend (%)
1	1996-1997	12%	13	2008-2009	12%
2	1997-1998	15%	14	2009-2010	20%
3	1998-1999	16%	15	2010-2011	22%
4	1999-2000	6%	16	2011-2012	30%
5	2000-2001	Nil	17	2012-2013	47%
6	2001-2002	Nil	18	2013-2014 (Interim)	11%
7	2002-2003	Nil	19	2013-2014 (Final)	11%
8	2003-2004	Nil	20	2014-2015 (Final)	9%
9	2004-2005	Nil	21	2015-16	Nil
10	2005-2006	Nil	22	2016-17	Nil
11	2006-2007	8%	23	2017-18	Nil
12	2007-2008	10%			

The Government of India vide its notification dated October 16, 2006 has further amended the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970/ 1980, and enacted the new law called the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 effective from the date of notification.

As per section 10(B) (2) of the aforesaid Act, the Bank has to transfer the whole or part of any dividend declared before the commencement of the above said Act, unpaid dividend to a special account called "Unpaid Dividend Account of Dena Bank (year)" within six months from the commencement of the Act. i.e. 16th October, 2006. Bank has complied with the above requirement and transferred the same to "Unpaid Dividend Account"

As per section 10 (B) (1) of the aforesaid Act, where, after the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, a dividend has been declared by a corresponding new bank but has not been paid or claimed within thirty days from the date of declaration, to, or by, any shareholder entitled to the payment of the dividend, the corresponding new bank shall, within seven days from the date of the expiry of such period of thirty days, transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed within the said period of thirty days, to a special account to be called "Unpaid Dividend Account". The Bank has complied with this guideline for dividend for the year 2014-15.

As per section 10 (B) (3) of the aforesaid Act, Any money transferred to the Unpaid Dividend Account of a corresponding new bank in pursuance of this section which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred by the corresponding new bank to the Investor Education and Protection Fund established by the Central Government. Accordingly, Bank has transferred Unpaid/ Unclaimed Dividend amount lying in the unpaid dividend account upto 2009-10.

Accordingly, the shareholders who have not received the dividend from the year 2010-11 to 2014-15 may please contact Investor Relations Centre of the Bank or M/s. Link Intime India Private Limited for assistance. Bank had not declared any dividend during the years 2000-2001 to 2005-06 and in the year 2015-16 to 2017-18.

12.11 SEBI has made it mandatory for all listed companies to use the Bank account details furnished by the Depositories for distributing dividends through National Electronic Clearing Service (NECS) to the investors where ECS facility is available. In the absence of NECS facility the Bank shall print the Bank Account details, if available, on payment instrument for distribution of dividends to the investors.

12.12 The shareholders having physical shares, who have not provided the Bank Mandate details/ change in Bank Mandate details, may furnish the same to avoid fraudulent encashment of the dividend warrants. Performa for furnishing the Bank Mandate is provided separately in the Annual Report.

12.13 It may please be noted that the shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details and change in address, if any, to the Investor Relations Centre of the Bank or M/s. Link Intime India Private Limited, Mumbai for updating record of the shareholders. The shareholders who are holding the shares in demat (electronic) form may approach their Depository Participant for necessary updation of the particulars of Bank account, address of shareholder etc.

DECLARATION

Declaration of the Executive Director pursuant to Regulation 34(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2018 in accordance with Regulation 34(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The said Code of Conduct has been posted on the Bank's website.

For Dena Bank

Date:11.05.2018
Place: Mumbai

(Ramesh S. Singh)
Executive Director

CEO & CFO CERTIFICATE
[under Regulations 17(8) of SEBI (LODR) Regulations, 2015]

The Board of Directors
Dena Bank,
Mumbai

We hereby certify that for the financial year, ending 31st March, 2018 on the basis of the review of the financial statements and the cash flow statement and to the best of our knowledge and belief that :-

i. These statement do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations, as disclosed in the financial results of the Bank.

iii. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2017-18 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct, except as reported to Board / RBI.

iv. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls. We have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the bank and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, those deficiencies, of which we are aware, in the design or operation of the internal control systems and that we have taken the required steps to rectify these deficiencies.

v. We further certify that :

1. there have been no significant changes in internal control system during the year;
2. there have been no significant changes in accounting policies during this year, except as disclosed in the financial results of the Bank.
3. there have been no instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system except as reported to Board / RBI. Whenever any frauds were detected necessary disciplinary action was taken against the concerned employee. Further necessary preventive measures are also being taken on ongoing basis.

(Usha Ravi) General Manager (FM) & CFO	(Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi) Executive Director	(Ramesh S. Singh) Executive Director

Date: 11.05.2018
Place: Mumbai

Auditors' Certificate on Corporate Governance

[under Regulations 34(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015]

To

The Board of Directors,
Dena Bank,
Head office, Dena Corporate Centre
C-10, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Dena Bank for the year ended March 31, 2018, as stipulated in SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The compliance of the conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, in terms of aforesaid Regulations. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Bank.

We certify that, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI Regulations, except the following, so far as they are not inconsistent with the guidelines issued by the Government of India & Reserve Bank of India.

1. There is no woman Director in the Bank since 1st September, 2017 as the Government of India has not appointed any Woman Director.

2. Since two Board members retired on 23rd March, 2018, Bank was having only three members in the Audit Committee of the Board as on 31st March, 2018 against the minimum required number of five members as per RBI guidelines. The said vacancies were filled in by the Bank in the immediately following Board meeting held on 26th April, 2018.

   We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as certified by Registrar & Transfer Agents of the Bank.

   We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

for, Ramesh C Agrawal & Co
Chartered Accountants

[R C Agrawal]
Partner
M No.070229
FRN 001770C

for, A B P & Associates
Chartered Accountants

[Prabhat Kumar Panda]
Partner
M No.057140
FRN 315104E

for, Kailash Chand Jain & Co
Chartered Accountants

[Sandeep K. Jain]
Partner
M No.110713
FRN 112318W

for, Sarda & Pareek
Chartered Accountants

[Niranjan Joshi]
Partner
M No.102789
FRN109262W

Date: 11.05.2018
Place: Mumbai

DIRECTORS' PROFILE

Shri Ramesh S. Singh was appointed as an Executive Director in our Bank on 22nd January, 2016. He is a Graduate in Arts and Law. He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). Shri Ramesh S. Singh has attended training programs on Advance Leadership and Leadership Development at IIM Ahmedabad, Leadership Development at ASCI Hyderabad and Leadership Development for Corporate Excellence arranged by NIBM Pune with Kellogg School of Management, Chicago.

Prior to joining our Bank as Executive Director, Shri. Ramesh S. Singh was holding the position of Field General Manager in Central Bank of India at its Zonal Office, Bhopal where he was heading Bank's Operation in the State of Madhya Pradesh comprising of 6 Regional Offices, 468 branches and 18 Lead Bank District Offices. Shri Ramesh S. Singh was also Convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) for the State of Madhya Pradesh. He has also worked as General Manager (Treasury and International Division) at Central Office, Mumbai.

Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi was appointed as an Executive Director in our Bank on 09th October, 2017. He is a Post Graduate in Science and holds a PhD in Entomology from Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He has attended various training programs including Intensive FEX program, Advanced Training in International Banking (NIBM Pune) and Leadership Skills for Top Management at ISB Hyderabad.

Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi is having more than 32 years of vast experience in banking. Prior to joining our Bank, he was holding position of General Manager in Punjab National Bank and was working as Field General Manager, Delhi NCR comprising of four Circles, 368 branches and two large Corporate Branches. He has also worked for 3 years in the U.K. with Punjab National Bank (international) Ltd. & 3 years as a Circle Head of Jalandhar.

Shri Ashok Kumar Singh represents Government of India on the Board of the Bank since 15th January, 2016. He holds a B.Tech. degree in Mechanical Engineering from IIT, Kanpur. He has joined the Indian Administrative Services in the year 1999 in Kerala Cadre. Shri Ashok Kumar Singh was Managing Director of Kerala Water Authority, Kerala. He was previously on the Board of State Bank of Travancore as Govt. Nominee Director. Presently, Shri Ashok Kumar Singh is holding the position of Director {Financial Inclusion, e-Samiksha, Content for media and allied matters, Information Technology (IT)}, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Shri Shirish C. Murmu represents Reserve Bank of India on the Board of the Bank since 03rd May, 2016. He is post graduate in science from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He is a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB). Presently, he holds the position of the Regional Director of RBI for Kolkata region. Previously, he has worked in various departments of RBI, such as Issue and Banking Department, Department of Banking Supervision, Department of Urban Banks Supervision, Department of Banking Supervision, Financial Inclusion and Development Department. He has also worked as Chief General Manager, Department of Information Technology.

Shri Amit Chatterjee is appointed as a part-time non-official Director on the Board of the Bank w.e.f. 28th January, 2016. Shri Amit Chatterjee, holds the degree of B.A. (Hons.) in Economics from St. Stephen's College, Delhi. He is Post Graduate in Economics from Delhi School of Economics, MBA (Finance) degree from Faculty of Management Studies, Delhi and MPhil (Public Administration) degree from Indian Institute of Public Administration, New Delhi. Shri Amit Chatterjee has attended several professional training programmes at prestigious institutions including Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA; Georgetown University USA, London School of Economics U.K., National Academy of Administration, Mussoorie; National Academy of Direct Taxes, Nagpur and Indian Institute of Management, Bangalore.

Shri Amit Chatterjee is a retired Senior Officer of Indian Revenue Service. He has acquired special skills over 36 years of vast experience (including 14 years at Joint Secretary level and above) in Government of India Services. He has extensive background in directing policy matters and has held senior positions in the Ministries of Finance, Corporate Affairs, Power, Commerce & Industry. During his service period, he has served on various committees formed by Government of India in various capacities. He is a former Chief Commissioner of Income Tax, Mumbai and Delhi. Shri Amit Chatterjee has also served in the Election Commission of India as Election Observer in various states including Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

Shri G. Gopalakrishna is appointed as a part-time non-official Director on the Board of the Bank w.e.f. 28th January, 2016. He is Graduate in Arts and Law. He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Shri G. Gopalakrishna was Executive Director of Reserve Bank of India from October 2007 to April 2014. He was Director of Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL) which was formed by Reserve Bank of India (RBI) to develop a world class global institution for research and learning in banking and finance.

During 2011, Shri G. Gopalakrishna has Chaired the Working Group on Information Security, Electronic Banking Technology, Risk Management and Cyber Frauds. Shri G. Gopalakrishna was also Chairman of the Technical Group set up to review Supervisory Rating Framework as part of the High Level Steering Committee appointed by RBI in 2012 to review the Supervisory process in India.

Dr. Yasho Verdhan Verma is elected as a Shareholder Director on the Board of the Bank w.e.f. March 28, 2018. He holds a degree in Mechanical Engineering from University of Allahabad and holds post-graduation degree in Personnel Management and industrial Relations from Punjab University. He also holds degree of Doctorate in Philosophy from IIT, Kharagpur.

He started his career with TATA Steel in Jamshedpur and also worked in with Usha India and Jindal Organization in HR department. He has served as the CEO of MIRC Electronics Limited and also served in various capacities in LG Electronics India such as Director (Home Appliances), Chief Operating Officer of Indian Operations and Vice President (Human Resources).

He was awarded as 'HERETIC' by Business Today and Gallup and featured on cover page of Business Today', a prestigious business magazine in India, in 1997. He has been conferred with an Honorary Fellowship by All India Management Association for significant contribution towards Professional Management. He was also a Council Member of Management of "All India Management Association". He was President of "Consumer Electronics and Appliances Manufacturers (CEAMA)" during the period 2009-11.

Shri Rakesh Kumar has been elected as a Shareholder Director on the Board of the Bank w.e.f. March 28, 2018. He is a Post Graduate in Physics. At present, he is holding the position of Executive Director (Marketing / Bancassurance & Alternate Channels) in Life Insurance Corporation of India. Before the present assignment, he was Regional Manager (Marketing) of Northern Zonal Office, Regional Manager (Personnel & Industrial Relations) of Northern Zonal Office and East Central Zonal Office.

PARTICULARS OF DIRECTORS (DURING THE YEAR ENDED AS ON 31.03.2018) **Annexure A**

Sr. No.	Particulars of Directors, Tenure & shareholding in Dena Bank , if any.	TYPE	Age Yrs	Qualification	Tenure	Directorship / Membership & Chairmanship in Committee of other companies	Shareholding
1	Shri Ashwani Kumar	Chairman & Managing Director	60	M.SC, CAIIB	01.01.2013 to 31.12.2017	1. Life Insurance Corporation of India - Director	0
2	Smt. Trishna Guha	Executive Director	60	M.Sc., PGD in Computer Science	05.08.2013 to 31.08.2017	NIL	0
3	Shri Ramesh S. Singh	Executive Director	56	BA, LLB, CAIIB	22.01.2016 To 21.01.2019	NIL	0
4	Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi	Executive Director	57	M.Sc., PHD in Entomology, CAIIB	09.10.2017 To 08.10.2020	NIL	0
5	Shri Ashok Kumar Singh	Govt. of India Nominee	49	B. Tech (Mechanical Engineering)	15.01.2016 To Until further orders	NIL	0
6	Shri S C Murmu	Reserve Bank of India – Nominee	50	M. SC, CAIIB	03.05.2016 To Until further orders	NIL	0
7	Shri Bankim R Desai	Workmen Employee Director	58	B.Com	19.09.2014 To 18.09.2017	NIL	0
8	Shri Amit Chatterjee	Part-time Non-official Director	63	BA (Hons) – Economics MBA (Finance & Management) MPhil (Public Administration)	28.01.2016 To 27.01.2019	NIL	0
9	Shri G Gopalakrishna	Part-time Non-official Director	62	BA, LLB, CAIIB	28.01.2016 To 27.01.2019	1. SORIL Holdings and Ventures Limited 2. West End Housing Finance Limited 3. Invent Assets Securitisation and Reconstruction Private Limited	0
10	Dr Umesh Bellur	Shareholder Director	52	B.E., Ph. D in (Computer Science)	24.03.2015 To 23.03.2018	NIL	100
11	Shri V Chandrasekaran	Shareholder Director	60	B.COM FCA	24.03.2015 To 23.03.2018	1. UTI Ventures Fund Management Co. Pvt.Ltd. 2. LIC HFL Asset Management Co. Ltd. 3. Legal Entity Identified India Ltd. 4. CARE Ratings Ltd. 5. Tamilnadu Newsprint & Papers Limited	200
12	Dr Yasho Verdhan Verma	Shareholder Director	60	B.E., Master in Personnel Management & Industrial Relations, Ph. D in Organizational Behavior	24.03.2015 To 23.03.2018 & 28.03.2018 To 27.03.2021	1. Indiannica Learning Private Limited 2. RINAC India Limited 3. Vecare Consumer Science Private Limited	200
13	Shri Rakesh Kumar	Shareholder Director	57	M.SC (Physics)	28.03.2018 To 27.03.2021	NIL	100

COMPOSITION OF COMMITTEE OF THE BOARD AS ON 31.03.2018 **Annexure B**

Committee	Members Name	Category
Management Committee	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 3. Shri S C Murmu 4. Shri Amit Chatterjee 5. Shri G Gopalakrishna	1. Executive Director - I 2. Executive Director – II 3. RBI Nominee Director 4. Part Time Non-official Director 5. Part Time Non-official Director
Audit Committee	1. Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 2. Shri Ashok Kumar Singh 3. Shri S C Murmu	1. Executive Director - II 2. GoI Nominee Director 3. RBI Nominee Director
Committee on Integrated Risk Management	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 3. Shri Amit Chatterjee 4. Shri G Gopalakrishna	1. Executive Director - I 2. Executive Director – II 3. Part Time Non-Official Director 4. Part Time Non-Official Director
Stakeholders' Relationship Committee	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 3. Shri G Gopalakrishna	1. Executive Director - I 2. Executive Director – II 3. Part Time Non-Official Director
Customer Service Committee	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 3. Shri Ashok Kumar Singh	1. Executive Director – I 2. Executive Director – II 3. GoI Nominee Director
Committee Monitoring Large Value Frauds	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 3. Shri Ashok Kumar Singh	1. Executive Director – I 2. Executive Director – II 3. GoI Nominee Director
Information Technology Committee	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 3. Shri Ashok Kumar Singh 4. Shri G Gopalakrishna	1. Executive Director – I 2. Executive Director – II 3. GoI Nominee Director 4. Part Time Non-Official Director
Remuneration Committee	1. Shri Ashok Kumar Singh 2. Shri S C Murmu	1. GoI Nominee Director 2. RBI Nominee Director
Nomination Committee	1. Shri Ashok Kumar Singh 2. Shri Amit Chatterjee 3. Shi G Gopalakrishna	1. GoI Nominee Director 2. Part Time Non-official Director 3. Part Time Non-official Director
Compliance Committee	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 3. Shri Ashok Kumar Singh	1. Executive Director – I 2. Executive Director - II 3. GoI Nominee Director
Steering Committee on HR	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 3. Shri Ashok Kumar Singh	1. Executive Director – I 2. Executive Director – II 3. GoI Nominee Director
Committee for monitoring High Value NPAs & Loss Assets	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 3. Shri Ashok Kumar Singh 4. Shri Amit Chatterjee 5. Shri G Gopalakrishna	1. Executive Director – I 2. Executive Director – II 3. GoI Nominee Director 4. Part Time Non-Official Director 5. Part Time Non-Official Director
Sub-Committee of Board on Priority Sector Lending	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 3. Shri Ashok Kumar Singh 4. Shri S C Murmu	1. Executive Director – I 2. Executive Director - II 3. GoI Nominee Director 4. RBI Nominee Director
Departmental Promotion Committee	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Shri Ashok Kumar Singh 3. Shri S C Murmu	1. Executive Director - I 2. GoI Nominee Director 3. RBI Nominee Director
Committee of the Board for Review of Willful Defaulters	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Shri Amit Chatterjee	1. Executive Director - I 2. Part Time Non-official Director
Committee of the Board to Review Non-Cooperative Borrowers	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Shri G Gopalakrishna	1. Executive Director 2. Part Time Non-official Director
Issue Committee	1. Smt. Ramesh S. Singh 2. Shri Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 3. Shri G Gopalakrishna	1. Executive Director – I 2. Executive Director – II 3. Part Time Non-Official Director
Credit Approval Committee	1. Shri Ramesh S. Singh 2. Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi 3. Shri S K Wadhwa 4. Smt Usha Ravi 5. Shri Rohit Patel	1. Executive Director – I 2. Executive Director – II 3. General Manager (Corporate Credit) 4. General Manager (Financial Management) 5. General Manager (Risk Management)

Annexure C

PART-I: DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS AS ON 31.03.2018

Sr. No.	Name	Board Meeting	Management Committee Meeting	Audit Committee Meeting	Remuneration Committee Meeting	Stakeholders Relationship Committee Meeting	Integrated Risk Management Committee Meeting	Committee Monitor-ing Large Value Frauds Meeting	Share Transfer Committee Meeting	Customer Service Commit-tee Meeting	Information Technology Committee Meeting	Compliance Committee Meeting	Nomination Committee Meeting	Steering Commit-tee of the Board on HR	Commit-tee for Monitoring High Value NPAs & Loss Assets	Credit Approval Commit-tee of the Board	Committee on Prior-ity Sector Lending	Departmental Promotion Committee	Issue Com-mittee	Committee of the Board for Confirmation of Willful Defaulters	Committee of the Board for Review of Non-Cooperative Borrower
		Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ held	Attended / held	Attended / held	Attended / held	Attended / held	Attended/ held
1	Shri Ramesh S. Singh	13/13	11/12	9/9	--	4/4	4/4	1/1	4/4	4/4	4/4	4/4	-	4/4	4/4	18/18	4/4	1/1	7/7	0/ 0	0/0
2	Dr Rajesh Kumar Yaduvanshi	7/7	6/6	7/7	--	2/2	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2	-	2/2	2/2	7/7	2/2	-	6/6	-	--
3	Shri Ashok Kumar Singh	7/13	-	4/10	0/0	-	-	1/1	-	0/4	0/4	0/4	2/2	1/4	0/4	-	0/4	0/2	-	-	--
4	Shri S C Murmu	12/13	11/12	10/10	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	2/2	-	-	--
5	Shri Amit Chatterjee	13/13	9/10	-	--	-	1/1	-	-	-	-	-	2/2	-	1/1	-	-	-	-	4/4	--
6	Shri G Gopalakrishna	13/13	11/12	-	--	4/4	3/3	-	-	-	4/4	-	2/2	-	1/1	-	-	-	6/6	--	0/0
7	Dr Yasho Verdhan Verma	11/13	-	9/10	--	4/4	-	1/1	-	3/4	-	-	-	3/4	-	-	-	-	-	-	--
8	Shri Rakesh Kumar	0/0	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--

PART-II: DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2017-2018

Sr. No.	Name	Board Meeting	Management Committee Meeting	Audit Committee Meeting	Remuneration Committee Meeting	SRC Meeting	Integrated Risk Management Committee Meeting	Committee Monitoring Large Value Frauds Meeting	Share Transfer Committee Meeting	Customer Service Committee Meeting	Information Technology Committee Meeting	Compliance Committee Meeting	Nomination Committee Meeting	Steering Committee of the Board on HR	Committee for Monitor-ing High Value NPAs & Loss Assets	Credit Approval Commit-tee of the Board	Committee on Prior-ity Sector Lending	Departmental Promotion Committee	Issue Com-mittee	Commit-tee of the Board for confirmation of Willful Defaulters	Committee of the Board for Review of Non-Cooperative Borrower
		Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held	Attended / Held
1	Shri Ashwani Kumar	9/9	9/9	-		-	3/3	-	3/3	3/3	3/3	-	-	3/3	3/3	15/15	-	1/1	-	3/3	--
2	Smt Trishna Guha	5/5	5/5	3/3		1/1	1/1	-	1/1	2/2	2/2	1/1	-	1/1	1/1	8/9	1/1	-	1/1	-	--
3	Shri Bankim R Desai	5/5	2/2			-	-	-	-	-	2/2	-	-	1/1	-	-	-	-	-	-	--
4	Dr Umesh Bellur	7/13	5/11			-	-	-	-	-	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
5	Shri V Chandrasekaran	13/13	-	10/10		-	3/3	1/1	4/4	-	-	4/4	-	4/4	-	-	-	-	3/5	4/4	--

PART-III: DETAILS OF MEETINGS OF BOARD/ COMMITTEES HELD DURING 2017-2018

Sr. No.	Name	Board Meeting	Management Committee Meeting	Audit Committee Meeting	Remuneration Committee Meeting	SRC Meeting	Integrated Risk Management Committee Meeting	Committee Monitor-ing Large Value Frauds Meeting	Share Transfer Committee Meeting	Customer Ser-vice Committee Meeting	Information Technology Committee Meeting	Compliance Committee Meeting	Nomination Committee Meeting	Steering Com-mittee of the Board on HR	Committee for Monitoring High Value NPAs & Loss Assets	Credit Approval Committee of the Board	Committee on Priority Sector Lending	Departmental Promotion Committee	Issue Com-mittee	Committee of the Board for confirmation of Willful Defaulters	**Committee of the Board for Review of Non-Cooperative Borrower**
		Dates of Meeting	Dates of Meeting	Date of Meeting	Dates of Meeting	Dates of Meeting	Dates of Meeting	Dates of Meeting	Dates of Meeting	Dates of Meeting	Dates of Meeting	Dates of Meeting	Date of Meeting	Date of Meeting	Date of Meeting	Date of Meeting	Date of Meeting	Date of Meeting	Date of Meeting	Date of Meeting	Date of Meeting
		24.04.17 09.05.17 22.06.17 29.07.17 30.08.17 23.09.17 27.10.17 10.11.17 29.12.17 16.01.18 14.02.18 06.03.18 22.03.18	24.04.17 25.05.17 22.06.17 19.07.17 30.08.17 23.09.17 27.10.17 10.11.17 18.12.17 30.01.18 06.03.18 22.03.18	09.05.17 22.06.17 29.07.17 27.10.17 10.11.17 05.12.17 07.12.17 18.12.17 14.02.18 17.03.18	--	24.04.17 07.09.17 07.12.17 30.01.18	25.05.17 07.09.17 18.12.17 06.03.18	17.03.18	24.04.17 07.09.17 07.12.17 30.01.18	09.05.17 30.08.17 18.12.17 14.02.18	24.04.17 30.08.17 29.12.17 08.01.18	09.05.17 23.09.17 07.12.17 06.03.18	10.11.17 17.03.18	22.06.17 23.09.17 29.12.17 17.03.18	22.06.17 23.09.17 27.10.17 06.03.18	12.04.17 20.04.17 06.05.17 26.05.17 19.06.17 30.06.17 19.07.17 04.08.17 18.08.17 04.09.17 27.09.17 13.10.17 09.11.17 04.12.17 30.12.17 30.01.18 21.02.18 31.03.18	25.05.17 23.09.17 18.12.17 22.03.18	27.10.17 06.03.18	04.08.17 10.10.17 13.10.17 16.10.17 23.02.18 23.03.18 27.03.18	30.08.17 27.10.17 18.12.17 17.03.18	--
	Total	13	12	10	0	4	4	1	4	4	4	4	2	4	4	18	4	2	7	4	0

Disclosures under Pillar 3 in terms of Guidelines on composition of Capital Disclosure Requirements of Reserve Bank of India – as on 31st March 2018

Background :

The following disclosures as of 31st March 2018 have been given as per Basel III guidelines. The full disclosures are required to be made at half yearly intervals. The disclosures are based on the materiality concept and details are given in following disclosure formats.

Table DF-1: Scope of Application

Dena Bank

(i) **Qualitative Disclosures:**

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Not Applicable						

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

(Amt. in Crores)

Name of the entity / country of incorporation	Principle Activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Dena Gujarat Gramin Bank	Banking	254.45 (As on 31.03.2017)	35.00%	Deducted from Tier I / II	5082.56 (As on 31.03.2017)

(ii) **Quantitative Disclosures**:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Not Applicable			

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
Not Applicable				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: Not Applicable

Table DF-2 : Capital Adequacy

Qualitative disclosures:

The capital requirement is a function of the regulatory requirements; the risks arising from bank's activities are mainly due to economic and market conditions. Capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In this process, the Bank recognizes:

- Current capital requirement of the bank; and
- Capital requirements to sustain projected asset acquisition in near future.

On the basis of current capital position of the bank & need for future capital, the bank raises capital in Tier -1 or Tier -2 with approval of Board of Directors of the Bank. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis.

The Bank reviews its capital requirements and capital strategy based on its business plans as approved by its Board. On the basis of review, the bank raises capital in Tier I & Tier II capital.

For compliance with the New Capital Adequacy Framework, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The Bank's Minimum Capital Requirement and Actual level of Capital & Capital Adequacy as on 31.03.2018 are as under:

(₹ in crore)

(i)	**Capital requirement for Credit risk**	**5,050.99**
	Capital requirement for Credit Risk	5,032.96
	Capital requirement for Forward forex contract (FFC CCF) + Credit Value Adjustment (CVA) + Qualified Central Counterparties (QCCP)	18.03
	Securitisation exposures	0.00
(ii)	**Capital requirement for Market risk in respect of:**	**621.67**
	Capital requirement for Interest Rate Risk	543.73
	Capital requirement for Foreign Exchange risk (including gold)	2.70
	Capital requirement for Equity Risk	75.24
(iii)	**Capital requirement for Operational Risk:**	**551.17**
	Capital requirement for Operational Risk under Basic indicator approach	551.17
(iv)	**Capital Requirement for Other Exposures**	**264.47**
	Capital requirements for exposures to banks	1.31
	Capital requirement for Fixed Assets	137.70
	Capital requirement for Other Assets	125.46
(v)	**Total Capital**	
	Minimum Capital Requirement for Credit, Market, Operational Risk and Other Risks	**6,488.29**
	Actual Position of Total Eligible capital	8,088.12
	Eligible Tier I Capital	6,425.56
	Eligible Tier II Capital	1,662.56
(vi)	**CRAR**	
	CRAR	11.09
	CET 1 CRAR	8.81
	Tier I CRAR	8.81
	Tier II CRAR	2.28

Table DF- 3 : Credit Risk : General disclosures

a. Strategies and Processes for credit risk:

The bank has a well-defined Loan Policy (which includes guidelines on lending to Retail Segment & MSME sector), Loan Recovery Policy, Treasury Policy (which incorporates, *inter-alia*, investment policy) & Discretionary Power Booklet covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors/ Industries of the economy, different types of borrowers , group and Industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit
- Discretionary Powers for Lending for different levels of authority of the bank
- Processes involved in dispensation of credit – pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing

b. The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- ➢ Profitable deployment of resources in line with Asset Liability Management (ALM) requirements.
- ➢ To set up standard and uniform credit evaluation system and procedures to monitor portfolio performance and set up guideposts to augment income from non-fund exposures
- ➢ To address issues of credit concentration and to set up prudential credit exposure norms.
- ➢ To build and maintain a well diversified portfolio for an orderly asset growth
- ➢ To set up a Credit Risk Management System with parameters for risk identification, measurement, monitoring and mitigation
- ➢ To provide for Loan Review Mechanism
- ➢ To set up a risk based Loan Pricing.
- ➢ To provide for dissemination of information to enable informed credit decision making at all levels and to facilitate proper training of field staff on credit appraisal and monitoring
- ➢ To provide for adequate delegation of discretionary authority at all levels.

Architecture and Systems of the Bank:

- ➢ A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the Bank.
- ➢ Credit Risk Management Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.
- ➢ Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- ➢ Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- ➢ Close review and monitoring of stressed assets to prevent deterioration in quality.
- ➢ Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/Regulator etc.
- ➢ Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, and correction of deficiencies.
- ➢ Evaluation of Portfolio; conducting comprehensive studies on economy, industry; testing the resilience of the loan portfolio etc.
- ➢ Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.
- ➢ Credit Approval Committees have been set up at Zonal Offices (ZO-CAC), Field General Managers Office (GMO-CAC), Head Office (HO-CAC-II & HO-CAC-III) apart from existing Credit Approval Committee of Board i.e. HO-CAC-I.

c. The policy of the Bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

i. interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

ii. the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),

iii. the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

iv. the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,

v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank. Non Performing Assets of the Bank are further classified into three categories as under:

Sub-standard Assets: A sub-standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdue is recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets: An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. In case of NPA accounts, where the realizable value of security available is less than 50% of the balance outstanding / dues, these accounts would also be classified as Doubtful.

Substandard and Doubtful accounts, which are subjected to restructuring/ rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets: A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditor or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, should be considered with utmost care.

d. The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System:

The Bank has in place a credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

The Bank has implemented internal rating models RAM (Risk Assessment Models) for customers with limits of Rs. 25 Lacs & above. For loans below Rs 25 lacs, the bank has separate credit risk rating system for evaluating credit risk and is designed to assist the bank in determining the probability of default and the severity of default, among its loan assets.

e. The Quantitative Disclosures in respect of Credit Risk are as under:

(₹ In crores)

Sr. No		Fund Based
(i)	Total credit (Net of provision)	**74238.58**
(ii)	Geographic Distribution of Advances ➢ Overseas ➢ Domestic	 **0.00** **74238.58**
(iii)	**Industry type distribution of domestic exposures^**	**Advances – Fund Based Outstanding**
	Mining & Quarrying (incl. Coal)	374.22
	Iron & Steel	4,786.04
	Other Metal & Metal Products	557.86
	All Engineering	2,610.02
	Cotton Textile	1,438.99
	Jute Textile	5.35
	Man Made Textile	165.41
	Other Textiles	1,983.77
	Food Processing	1,350.14
	Of which Sugar	178.48
	Tea	6.63
	Vegetable oils (incl. Vanaspati)	460.49
	Paper & Paper Products	391.75
	Rubber , Plastic & their products	709.60
	Chemical, Dyes, Paints & Pharmaceutical of which: ➢ Fertilizers ➢ Petro- Chemical ➢ Drug & Pharmaceuticals	797.66 101.52 252.17 232.55
	Cement and Cement products	460.89
	Leather & Leather Products	427.50
	Gems & Jewellery	781.57
	Construction	2,542.08
	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	1.32
	Vehicles, Vehicles Parts & transport Equipment	145.61
	Computer Software	227.79
	Infrastructure of which: ➢ Energy ➢ Communications ➢ Water and sanitation ➢ Social and Commercial Infrastructure ➢ Transport	11,625.71 3,624.22 1,788.42 841.86 1,182.56 3,321.82
	NBFCs	9,656.81
	Trading	1,237.30
	Beverage & Tobacco	15.23
	Wood & Wood Products	125.30
	Other Industries	824.27

f. Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets

(₹ In crores)

Maturity Pattern	Net Advances	Net Investments	Foreign Currency Assets
1 day (next day)	198.84	0.00	62.72
2 to 7 days	1,310.16	200.47	74.44
8 to 14 days	1,435.90	126.54	31.29
15 to 30 days	727.23	82.28	75.01
31 days and up to 2 months	1,951.87	81.98	184.48
61 days and up to 3 months	1,369.51	83.78	516.26
Over 3 months & up to 6 months	4,102.88	109.11	280.47
Over 6 months & up to 1 year	3,295.83	2,032.78	8.67
Over 1 year & up to 3 years	24,134.49	2,415.11	0.00
Over 3 years & up to 5 years	64,42.51	5,126.99	0.00
Over 5 years	20,612.29	2,7350.51	0.00
Total	**65,581.51**	**3,7609.55**	**1,233.34**

Disclosure in respect of Non-performing Advances and Investments:

f. Gross NPA

Category	(₹ In Crore)
Sub Standard	3,353.75
Doubtful – 1	4,259.22
Doubtful – 2	4,749.02
Doubtful – 3	2,434.61
Loss	1,564.84
Total NPA	**16,361.44**

g. The amount of net NPA is ₹ 7838.78 Crore

h. The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances - 22.04 %
- Net NPAs to Net Advances - 11.95 %

i. The movement of gross NPAs is as under

Sl. No.	Particulars	₹ In Crore
(i)	Opening Balance at the beginning of the year	12,618.73
(ii)	Addition during the year ended 31.03.2018	6,008.47
(iii)	Reduction during the year ended 31.03.2018	2,265.76
(iv)	Closing Balance as at the period ended 31.03.2018 (i + ii – iii)	16,361.44

j. The movement of provision for NPA is as under:

Sl. No.	Particulars	₹ In Crore
(i)	Opening Balance at the beginning of the year	4,877.67
(ii)	Provision made during the year ended 31.03.2018	4,281.80
(iii)	Write-off made during the year ended 31.03.2018	679.39
(iv)	Write-back of excess provisions made during the year ended 31.03.2018	--

(v)	Any other adjustments, including transfers between provisions	--
(vi)	Closing Balance as at the end of the year ended 31.03.2018	8,480.08

k. The amount of non-performing investments is ₹ 161.52 Crore.

l. The amount of provisions held for non-performing investments is ₹ 151.77 Crore

m. The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

Sl. No.	Particulars	₹ In Crore
(i)	Opening Balance at the beginning of the year	452.54
(ii)	Provision made during the year ended 31.03.2018	218.54
(iii)	Write-off made during the year ended 31.03.2018	0.00
(iv)	Depreciation adjusted by reducing book value of Investment under AFS/ HFT category shifted to HTM	226.32
(v)	Less : Write-back of excess provision	14.75
(vi)	Closing Balance as at the end of the year ended 31.03.2018 (i + ii – iii – iv - v)	430.01

n. By major industry or counterparty type:

List of Industry-wise (Major Industries) NPA and provision as on 31st March 2018

(₹ In Crores)

Sr. No.	Industry Name	Total NPA	Total Provision
1	Mining and Quarrying	8.70	2.80
2	Food Processing	526.18	299.46
3	Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	9.32	8.26
4	Textiles	1,409.8	763.48
5	Leather and Leather products	5.76	1.46
6	Wood and Wood Products	42.56	23.99
7	Paper and Paper Products	147.53	42.86
8	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	0.02	0.02
9	Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.)	166.09	59.97
10	Rubber, Plastic and their Products	59.35	29.69
11	Glass & Glassware	59.82	54.22
12	Cement and Cement Products	161.64	149.52
13	Basic Metal and Metal Products	2,838.52	1,480.73
14	All Engineering	1,701.68	606.43
15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment	33.71	25.35
16	Gems and Jewellery	465.11	258.82
17	Construction	1,056.29	728.29
18	Infrastructure	2,454.06	1,280.44
	Of which		
	Energy	741.51	329.20
	Communication	519.88	258.45
	Transport	795.38	327.51
	Water and Sanitation	73.00	73.00
	Social and Commercial Infrastructure	63.18	31.17
	Others	261.11	261.11
19	Other Industries	685.78	415.58
	Residuary other advances (to tally with gross advances)	4,529.52	2,248.71
	Total	**16,361.44**	**8,480.08**

o. Amount of NPAs broken down by significant geographical areas including the amounts of general provisions related to each geographical area.

Position as on 31st March 2018								(Rs. in Crores)
	Substandard Advances		**Doubtful Advances**		**Loss Advances**		**Total NPA**	**Total Provision**
	NPA Amount	Provision	NPA Amount	Provision	NPA Amount	Provision		
Western India	2,617.76	402.94	9,092.28	5716.67	1,363.83	1,295.46	**13,073.87**	**7,415.08**
Southern India	256.04	38.93	523.63	307.78	220.99	220.92	**1,000.66**	**567.63**
Eastern India	46.14	7.20	533.69	458.10	234.46	233.86	**814.29**	**699.16**
Northern India	337.57	50.75	2,725.61	1,700.51	101.41	100.99	**3,164.60**	**1,852.25**
Central India	97.24	14.79	380.71	255.14	26.99	26.88	**504.94**	**296.81**
Total as per Form C	3,354.75	514.62	13,255.93	8,438.20	1,947.69	1,878.11	**18,558.37**	**10,830.93**
Prudential Write-off & write back at Head Office	1.00	1.00	1,813.08	1,813.08	382.85	382.85	**2,196.93**	**2,196.93**
Write back at Head Office				92.11		61.81		**153.92**
Total (Final)	**3,353.75**	**513.62**	**11,442.85**	**6,533.01**	**1,564.84**	**1,433.45**	**16,361.44**	**8,480.08**

Table DF- 4: Credit risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised approach

Under Standardized Approach, the bank accepts rating of all RBI recognised ECRAs (External Credit Rating Agencies) namely CARE, CRISIL, India Rating, ICRA, Brickwork, SMERA and Infomerics for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Fitch as per RBI guidelines.

The bank encourages large corporate borrowers to solicit ratings from RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institutions) and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

"The Bank has included ₹.65.73 crores in the Risk weighted Assets on account of Unhedged foreign currency exposure for which capital of ₹ 5.92 crores has been earmarked for CRAR calculation. In the eligible Tier 2 capital, provision for unhedged foreign currency of ₹ 7.28 crores has been included."

The risk weighted assets considering risk mitigants subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

(i) Fund based & Non- Fund based exposures

(₹ in crores)

As on 31.03.2018	Fund based Exposure	Non Fund based Exposure
At below 100%	46,189.14	4,766.33
At 100%	17,796.13	2,624.63
At more than 100%	9,123.13	1,782.91
Deducted Against CRM	3,327.11	1,099.23
Less: PWO at HO	-2,196.93	0.00
Total	**74,238.58**	**10,273.11**

Table DF- 5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach

a. Credit Risk Mitigation technique – On/Off balance sheet netting

On/Off Balance Sheet netting is confined to loans/advances and deposits, where bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation.

b. Valuation of Collaterals

The valuation of eligible collaterals is taken based on the current market price as per the extant guidelines of the Bank regarding valuation of financial collaterals and non-financial collaterals.

Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as non-fund based) on its borrowers. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Movable assets like stocks, movable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery
3. Bank's own deposits.
4. NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
5. Cash Margin against Non-fund based facilities
6. Gold Jewellery
7. Shares as per approved list

The bank has well-laid down policy on valuation of securities charged to the bank. According to Loan policy, Valuation of collateral securities such as immovable properties charged to Bank should be taken once in three years.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGTMSE

CRM securities are mostly available in Loans against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies. CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Eligible guarantors (as per Basel guidelines) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC, CGTMSE.

The total volatility adjusted Credit Risk Mitigants eligible for deduction from the fund based outstanding exposures as on 31.03.2018 are ₹ 4426.34 Crores.

c. CRM exposure (portfolio-wise) (₹ in Crore)

Nature of Assets	Fund Based	CRM Exposure	Non Fund Based	CRM Exposure
Domestic Sovereign	0.08	0	0.13	0
Public Sector Entity	6,809.7	130.18	836.34	15.27
Claims on Bank	594.35	594.35	34.11	19.65
Primary Dealers	2.8	0	1.06	0.2
Corporates	34,389.53	681.22	8,794.24	840.5
Regulatory Retail Portfolio	21,032.45	1,595.47	547.55	198.22
Residential Property	5,336.31	18.94	0	0
Commercial Real Estate	526.41	0.06	55.83	23.63
Specified Category	6,797.94	284.73	3.85	1.76
Other Assets	945.94	22.16	0	0
Total	**76,435.51**	**3,327.11**	**10,273.11**	**1,099.23**
Less: PWO at HO	2,196.93	0.00	0.00	0.00
Final Figures	**74,238.58**	**3,327.11**	**10,273.11**	**1,099.23**

Table DF- 6: Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

The Bank does not have any case of its assets securitised as on 31st March, 2018.

Table DF- 7: Market risk in Trading Book

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are identified as Market risk:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

ALCO Desk

ALM Desk or Asset Liability Management Section of Integrated Risk Management Department is headed by a Chief Manager. The Desk comprises of number of trained Officers and is responsible for implementing the Asset Liability Management directions of ALCO and to undertake necessary studies, analysis, etc. for this purpose.

Mid Office

The Mid-Office in Integrated Treasury Branch is equipped with Officers with necessary skills and is responsible for monitoring, measuring, analyzing and reporting market risk involved in the operations on a continuous basis. The Mid-Office is independent of the Front & Back Offices of Treasury and reports to Dy. General Manager (Integrated Risk Management Department). The Mid-Office submits weekly reports to Dy. General Manager (Integrated Risk Management Department) and GM (IRM) on the levels of adherence to the prescribed prudential limits in this Policy as well as the Investments Policy of the Bank.

Market Risk Management

In order to manage above risks, Bank's Board of Directors has laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits, controls the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes into account realized and unrealized losses. Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Book as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets.

Capital charge on Market Risk (Standardised Duration Approach) as on 31st March 2018 is as under:

Sl. No.	Risk Category	Amount (₹ In crore)
I	**Interest Rate (a+b)**	**5,437,232**
a	**General market risk**	**3,483,695**
(i)	Net Position	3,483,406
(ii)	Horizontal disallowance	00,021
(iii)	Vertical disallowance	00,268
(iv)	Options	00,000
b	**Specific risk**	**1,953,537**
II	**Equity Risk (i + ii)**	**752,429**
i.	General market risk	334,413
ii.	Specific risk	418,016
III	**Foreign Exchange Risk (including Gold)**	**27,000**
IV	**Total capital charge for market risks under Standardised duration approach (I + II+ III)**	**6,216,661**

The Capital Charge on market risk is calculated based on NCAF circular. The RWAs are calculated by multiplying capital charge by 12.5.

Table DF- 8: Operational risk

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or from external events. It includes legal risk but excludes strategic and reputation risk. Operational risk is inherent in the Bank's business activities in day to day operations.

Objectives of Operational Risk Management (ORM)

- To recognise the need to understand operation risk in activities / business lines in which the bank is engaged. ORM functions shall not be understood as a process of eliminating such risks but as a systemic approach to understand, identify, measure, monitor and control such risk.
- To set up operational risk limits for various causes leading to operational risk event based on actual risk data collected, its severity and its trend. This approach would be necessary to eliminate / restrict the underlying causes for operational risk event to occur.
- To devise operational risk reporting system for specified business lines.
- Integrate ORM system in to day to day risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring, control and mitigating operational risk events.
- Propose to move from Basic Indicator Approach (BIA) to higher approaches (TSA / AMA) for Operational risk in due course.

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach (BIA) to compute the capital requirements for Operational Risk. The methodology for calculating capital requirements under BIA can be summarised as given below:

The Gross Income of last three years is calculated by adding operating expenses to Operating Profit and subtracting reversal of provisions, profit from sale of HTM securities and income from insurance business as per RBI guidelines. The average gross income is then multiplied by a factor 'Alpha' (15%) to get Capital Charge for operational risk. Once the bank calculates the capital charge for operational risk under BIA, the capital charge is multiplied with 12.5 and the notional risk weighted asset (RWA) for operational risk is thus arrived.

Risk Weight Assets for the Operational Risk as at 31st March 2018 is ₹ 6124.13 Crores.

Table DF- 9: Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

The IRRBB measurement is carried out through two approaches EaR and MVE. The interest rate risk, when viewed from these two perspectives, is known as 'earnings perspective' and 'economic value perspective', respectively. Both approaches take into account position of rate sensitivity of assets and liabilities which are bucketed in residual maturity time buckets based on behavioral analysis. Both approaches measure the IRRBB on a monthly basis.

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis)(Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

i. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios as under :

(₹ in Crore)

EaR	Impact on NII up to next balance sheet date (i.e. 31.03.2019)	
	By 50 bps	**By 200 bps**
Increase in Interest rates on assets and liabilities (Shock given on gaps)	66.83	267.33
Increase in Interest rates on deposits and investments and not for advance portfolio (Shock given on gaps)	-103.12	-412.48

ii. Economic Value of Equity (Modified Duration Gap Analysis) (Long term) :

a. Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 100 bps/ 200 bps rate shock at regular intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

b. The net impact on net worth of the bank against 100 bps / 200 bps downward movement in interest rates is ₹ 576.31 crores / ₹ 1152.62 crores as on 31.03.2018 for domestic operations.

c. For assets and liabilities denominated in US dollars, the net impact on net worth of the bank against 100 bps / 200 bps downward movement in interest rates is ₹ 4.29 crores / ₹ 8.59 crores as on 31.03.2018.

d. For assets and liabilities denominated in Residual currency (other than INR/USD), the net impact on net worth of the bank against 100 bps / 200 bps downward movement in interest rates is ₹ 0.29 crores / ₹ 0.58 crores as on 31.03.2018..

In the course of its business, Bank has set in place systems & procedures to identify the risks involved, measure the impact thereof, adhere to mitigation techniques / take necessary steps to mitigate such risks. Further, monitoring of such risks and mitigation thereof is done on an on-going basis.

Table DF-10 General Disclosure for Exposures related to Counterparty credit Risk

Qualitative Disclosure –

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterpartyto a transaction could default before the final settlement of thetransaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

BASEL III DISCLOSURES

Bank offers derivative product viz. Forex Forward Contracts to customers to enable them to hedge their currency exposure. All over-the-counter derivative leads to counterparty credit exposures which bank monitors on a regular basis.

The bank has a well laid down policy for undertaking derivative transactions approved by board.

Capital for CCR exposure is assessed based on Standardised Duration Approach.

Bank has put in place Counterparty Credit Risk limits for banks as counterparty, based on internal rating of the counterparty bank with the approval of the board. Counterparty exposures for other entities are subject to comprehensive exposure ceiling fixed by the board.

Quantitative Disclosure –

1. As of date bank is dealing in Foreign Exchange Forward contracts and currency swaps.
2. The Bank does not recognise bilateral netting. The credit equivalent amount of derivatives that are subjected to risk weighting are calculated as per the Current Exposure Method.

(₹ in crores)

Particulars	Foreign Exchange contracts & Swaps
Current Credit Exposure	56.05
Potential Future Exposure	91.62
Total Credit Equivalent	147.68

Table DF- 11: Composition of Capital

(Rs. in crores)

Basel III common disclosure template to be used from 31.03.2017		
	Common Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves	
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	2,259.05
2	Retained earnings	(1,923.15)
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	8,265.75
4	Directly issued capital subject to phase out from CET 1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET 1)	0.00
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	8,601.65
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments	
7	Prudential valuation adjustments	
8	Goodwill (net of related tax liability)	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	27.38
10	Deferred tax assets	2,975.52
11	Cash-flow hedge reserve	
12	Shortfall of provisions to expected losses	
13	Securitisation gain on sale	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	
15	Defined-benefit pension fund net assets	-
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital(amount above 10% threshold)	-
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	19.33
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	--
22	Amount exceeding the 15% threshold	
23	*of which: significant investments in the common stock of financial entities*	
24	*of which: Mortgage servicing rights*	
25	*of which: Deferred tax assets arising from temporary differences*	
26	National specific regulatory adjustments	
26a	*of which: Investments in equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries entities*	
26b	*of which: Investments in equity capital of the unconsolidated insurance non-financial subsidiaries*	
26c	*of which: Shortfall in the equity capital of the majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank*	

26d	*of which: Unamortised pension funds expenditures*	
27	Regulatory adjustments Applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	8.50
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1 (10% of CET 1 capital added back)	854.64
29	Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	6,425.56
Additional Tier 1 capital : instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	125.00
31	*of which: classified as equity under applicable accounting standards(Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)*	
32	*of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)*	125.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET 1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT 1)	
35	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out.*	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0.00
Additional Tier 1 capital :regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	8.50
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	--
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	0.00
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	0.00
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)**	6,425.56
Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	1,180.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	
49	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*	
50	Provisions	482.56
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	1,662.56
Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	
56a	*of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries.*	
56b	*of which: shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank.*	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	-
58	**Tier 2 capital (T2)**	1,662.56
59	**Total capital (TC= T1 + T2) (45+58)**	8,088.12
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	72,955.55
60a	*of which: total credit risk weighted assets*	59,060.59

BASEL III DISCLOSURES

60b	*of which: total market risk weighted assets*	7,770.83
60c	*of which: total operational risk weighted assets*	6,124.13
Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.81%
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.81%
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.09%
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	
65	*of which: capital conservation buffer requirement*	1.875%
66	*of which: bank specific countercyclical buffer requirement*	
67	*of which: G-SIB buffer requirement*	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	3.31 %
National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50 %
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00 %
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00 %
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	N.A.
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	N.A
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements(only applicable between March 31, 2017 and March 31,2022)	
80	Current Cap on CET 1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.
81	Amount Excluded from CET 1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.
83	Amount excluded from AT1 due to cap(excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	N.A.
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.

Notes to the Template

Row No of the template	Particular	(Rs. In Crores)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	2,975.52
	Total as indicated in row 10	2,975.52
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	N.A
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	N.A.
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	N.A.
	of which: Increase in Tier 2 capital	N.A.
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	N.A.
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	N.A.
	(ii) Increase in risk weighted assets	N.A.
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	482.56
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	482.56

BASEL III DISCLOSURES

Table DF- 12: Composition of Capital – Reconciliation Requirements

(Rs. in Crores)

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i.	Paid-up Capital	2,259.05	NA
	Reserves & Surplus	6,943.76	NA
	Minority Interest		
	Total Capital	9,202.81	NA
ii.	Deposits	106,130.14	NA
	Of which: Deposits from banks	3,882.79	NA
	Of which: Customer deposits	102,247.35	NA
	Of which: Other deposits		
iii.	Borrowings	3,561.00	NA
	Of which: From RBI	800.00	NA
	Of which: From banks	0.00	NA
	Of which: From other institutions & agencies	0.00	NA
	Of which: Others	0.00	NA
	Of which: Capital instruments	2,761.00	NA
iv	Other liabilities & provisions	1,965.85	NA
	Total Liabilities	120,859.80	NA
B	Assets		
i.	Cash and balances with Reserve Bank of India	5,894.74	NA
	Balance with banks and money at call and short notice	62.73	NA
ii.	Investments:	37,609.55	NA
	Of which: Government securities	29,679.33	NA
	Of which: other approved securities	0.00	NA
	Of which: Shares	250.97	NA
	Of which: Debentures & Bonds	4,013.26	NA
	Of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	19.33	NA
	Of which: others (commercial papers, mutual funds etc.	3,646.66	NA
iii.	Loans and advances	65581.51	NA
	Of which: Loan and advances to banks	598.66	NA
	Of which: Loan and advances to customers	64,982.85	NA
iv.	Fixed assets	1,557.34	NA
v.	Other assets	10,153.93	NA
	Of which: Goodwill and intangible assets	9.86	NA
	Of which: Deferred tax assets	2,975.52	NA
vi.	Goodwill on consolidation		
vii.	Debit balance in Profit & Loss account		NA
	Total Assets	120859.80	NA

Step – 2

(Rs. in Crores)

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i.	Paid – up Capital	2,259.05	NA
	Of which: Amount eligible for CET 1	2,259.05	NA
	Of which: Amount eligible for AT1	0	NA
	Reserves & Surplus*	6,943.76	NA
	Minority Interest		

BASEL III DISCLOSURES

	Total Capital	9,202.81	NA
ii.	Deposits	10,6130.14	NA
	Of which: Deposits from banks	3,882.79	NA
	Of which: Customer deposits	10,2247.36	NA
	Of which: Other deposits		
iii.	Borrowings	3,561.00	NA
	Of which: From RBI	800.00	NA
	Of which: From banks	0.00	NA
	Of which: From other institutions & agencies	0.00	NA
	Of which: others	0.00	NA
	Of which: Capital instruments	2,761.00	NA
iv.	Other liabilities & provisions	1,965.85	NA
	Of which: DTLs related to goodwill		
	Of which: DTLs related to intangible assets		
	Total Liabilities	120,859.80	NA
B	Assets		
i.	Cash and balances with Reserve Bank of India	5,894.74	NA
	Balance with banks and money at call and short notice	62.73	NA
ii.	Investments:	37,609.55	NA
	Of which: Government securities	29,679.33	NA
	Of which: other approved securities	0.00	NA
	Of which: Shares	250.97	NA
	Of which: Debentures & Bonds	4,013.26	NA
	Of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	19.33	NA
	Of which: others (commercial papers, mutual funds etc.	3,646.66	NA
iii.	Loans and advances	6,5581.51	NA
	Of which: Loan and advances to banks	598.66	NA
	Of which: Loan and advances to customers	64,982.85	NA
iv.	Fixed assets	1557.34	NA
v.	Other assets	10,153.93	NA
	Of which: Goodwill and intangible assets *Out of which:*	9.86	NA
	Goodwill		
	Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets	2,975.52	NA
vi.	Goodwill on consolidation		
vii.	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	120,859.80	NA

*The loss figure of ₹ 1923.15 cr , has been reduced from reserves & surplus, thus total liabilities and total assets tallied with balance sheet figures.

Extract of Basel III common disclosure template (with added column)- Table DF -11 (Part II)

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		Component of regulatory capital reported by bank (Rs. in Crores)	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	2,259.05	NA
2	Retained earnings	-1,923.15	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	8,265.75	NA
4	Directly issued capital subject to phase out from CET 1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties(amount allowed in group CET 1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	8,601.65	NA
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill(net of related tax liability)		

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Series IX

Features of the Issue

Issuer	Dena Bank
Issue Size	Rs. 100 crores + Green Shoe
Nature of Instrument	Unsecured Non-Convertible Redeemable Subordinated Bonds Lower Tier II Series IX in the nature of Promissory Notes
Mode of Placement	Private Placement
Tenor	122 months
Put Option	None
Call Option	None
Coupon Rate	The bond will bear the interest rate of 9.25% per annum (payable Annually) till the end of 122 months from the deemed date of allotment.
Face Value of the Bond	Rs.10 lakhs per Bond
Coupon Payable	Annually on 31st March every year.
Date of Opening	14th March, 2008
Date of Closing	19th March, 2008
Deemed date of allotment	25th March, 2008
Redemption	122 months after deemed date of allotment

The issue of Rs.100 crores was oversubscribed by Rs.6.00 crores aggregating to Rs.106 crores.

Series X

Summary Term Sheet

Issuer	Dena Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Normal Tier II) in the nature of Promissory Notes
Issue Size	Rs. 300 crores including green shoe option
Minimum Application	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 year 7 months Normal Tier 2
Credit Rating	'AA-' by CRISIL
Coupon Rate (% p.a) *	11.20% p.a.
Interest Payment	Annually on 31st March
Redemption / Maturity	At par at the end of 10th year 7 months from the Deemed Date of Allotment
Put & Call	No Put and call option
Face Value	Rs.10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (i.e. Rs.10,00,000/- per Bond)
Instrument Form	In Dematerialised Form only
Trading	Demat Mode only
Depository	The Bank will enter into a tripartite agreement with NSDL and CDSL for dematerialization of bonds and will be opening the accounts with NSDL and CDSL
Security	Un-secured
Settlement by Way of	Cheque (Normal / High Value) / RTGS / Funds Transfer
Issue opens on	September 29th, 2008
Issue closes on	September 30th, 2008
Pay In Date	On the date of application
Deemed Date of Allotment	September 30th, 2008
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e.@ 11.20%p.a.) from the date of realization of cheque(s)/demand draft(s) up to one day prior to the Deemed Date of Allotment.

Series XI

Summary Term Sheet

Issuer	Dena Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Lower Tier II) in the nature of Promissory Notes
Issue Size	Rs. 200 crores
Minimum Application	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	120 months Lower Tier 2

BASEL III DISCLOSURES

Credit Rating	'AA-' Stable by CRISIL 'AA-' by CARE
Coupon Rate (% p.a) *	9.50% p.a.
Interest Payment	Annually from Deemed Date of Allotment
Redemption / Maturity	At par at the end of 120 months from the Deemed Date of Allotment
Put & Call	No Put and call option
Face Value	Rs.10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (i.e. Rs.10,00,000/- per Bond)
Instrument Form	In Dematerialised Form only
Trading	Demat Mode only
Depository	The Bank will enter into a tripartite agreement with NSDL and CDSL for dematerialization of bonds and will be opening the accounts with NSDL and CDSL
Security	Un-secured
Settlement by Way of	Cheque (Normal / High Value) / RTGS / Funds Transfer
Issue opens on	January 27, 2009
Issue closes on	January 27, 2009
Pay In Date	On the date of application
Deemed Date of Allotment	January 29, 2009
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds.
Interest on Application Money	At the coupon rate (i.e.@ 9.50%p.a.) from the date of realization of cheque(s) / demand draft(s) upto one day prior to the Deemed Date of Allotment.

Series XII

Summary Term Sheet

Issuer	Dena Bank
Issue Size	Rs. 500 crore with a green shoe option to retain additional subscription of Rs.350 crore.
Issue Objects	Augmenting Tier II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank.
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier II Bonds (Series – XII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nomenclature	Dena Bank Lower Tier II Bonds Series XII
Issuance / Trading	In Dematerialised Form
Credit Rating	"CRISIL AA+ / Stable" by CRISIL and "CRISIL AA+" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs.10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (i.e. Rs.10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (i.e. Rs.10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	5 Bonds and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	15 Years (180 months)
Put Option	None
Call Option	Call option may be exercised by the Bank after the instrument has run for at least 10 years and such call option may be exercised by the Bank only with the prior approval of RBI (Department of Banking Operations & Development)
Redemption / Maturity	At par at the end of 15 Years (180 months) from the Deemed Date of Allotment (with prior approval from RBI). The Bonds shall be free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Coupon / Interest Rate	9.23% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On April 01, every year.
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Trustee	AllBank Finance Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Record Date	15 days (or any such period as may be SEBI / Stock Exchange / any other concerned regulatory authority) prior to each interest payment date, call option due date and redemption date
Registrars	Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.
Bankers to the Issue	Dena Bank, Capital Market Branch, Mumbai
Interest on Application Money	At the coupon rate (i.e.@ 9.23%p.a.) from the date of realization of application money through RTGS upto one day prior to the Deemed Date of Allotment.

Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by cheque(s)/redemption warrants(s) / demand draft(s) / credit through electronic mode (NEFT /RTGS)
Mode of Subscription	Electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the Account of " Dena Bank ", Account No. "111511023771", Branch: " Capital Market Branch", IFSC Code:"BKDNO401115"
Issue Opening Date ^	18th June , 2012
Issue Closing Date^	22nd June , 2012
Pay In Date ^	18th June , 2012 to 22nd June , 2012
Deemed Date of Allotment ^	25th June , 2012

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone / postpone) the issue opening / closing / pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

Series XIII Tier II Bonds

TERM SHEET: ISSUE DETAILS

Issuer	**DENA BANK *(the "Bank"/ the "Issuer")***
Type of Instrument	Unsecured
Instrument	Non-Convertible Redeemable Unsecured Basel III compliant Tier 2 Bonds (Series XIII) in the nature of Debentures ("Bonds")
Convertibility	Non-Convertible
Bond Series	XIII
Security Name	Dena Bank Tier II Bonds Issue Series XIII
Nature and status of Bonds	Claims of the Bondholders shall be (i) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital (ii) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank and (iii) the Bonds shall neither be secured nor covered by a guarantee of the Issuer or its related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank
Objects of the Issue	Augmenting Tier 2 Capital and overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy and for enhancing its long-term resources
Details of the utilization of the Proceeds	The proceeds of the issue would be utilized to meet the object of the issue.
Mode of Issue	Private Placement
Listing (including name of stock Exchange(s) where it will be listed and timeline for listing)	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. **('NSE')**
Issue Size	780 Crores
Option to retain oversubscription	Not Applicable
Credit Rating	**"CARE AA+"** *(Pronounced Double A Plus)* by **CARE**
Coupon Rate	9.86%
Coupon Payment Frequency	Annual
Coupon Type	Fixed
Coupon payment dates	The coupon/ interest payment date shall be the date of allotment i.e 26th February of every financial year. The last interest payment shall be made on the Redemption Date.
Coupon Reset Process (including rates, spread, effective date, interest rate cap and floor etc).	Not Applicable
Day Count Basis	Actual/ Actual *(as per SEBI Circular no CIR/IMD/DF/18/2013 dated 29th Oct 2013)*
Step Up/Step Down Coupon Rate	Not Applicable
Interest on Application Money	Interest at the respective coupon rate (subject to deduction of Income Tax under the Provisions of the Income Tax Act 1961, or any Statutory modification or reenactment as applicable) will be paid to all the applicants on the Application Money for the Bonds. Such interest shall be paid from the date of realization of cheque (s)/Demand Draft (s) and in case of RTGS/other means of electronic transfer interest shall be paid from the date of receipt of funds to one day prior to the Deemed Date of Allotment. The interest on Application Money will be computed as per Actual/Actual Day count convention. Such interest would be paid on all the valid applications including the refunds. Where the entire subscription amount has been refunded, the interest on Application Money will be paid along with the refund orders. Where an applicant is allotted lesser number of bonds than applied for, the excess amount paid on application will be refunded to the applicant along with the interest on refunded money. Income Tax at Source (TDS) will be deducted at the applicable rate on interest on Application Money.

BASEL III DISCLOSURES

Default Interest Rate	Not Applicable
Loss Absorbency	The Bonds shall be subjected to loss absorbency features applicable for non-equity capital instruments vide RBI Master Circular No. DBOD.No.BP.BC.2 /21.06.201/2013-14 dated July 01, 2013 on Basel III capital regulations covering criteria for inclusion of debt capital instruments as Tier 2 capital (Annex 5) and minimum requirements to ensure loss absorbency of additional Tier 1 instruments at pre-specified trigger and of all non-equity regulatory capital instruments at the Point of Non-viability ("PONV") (Annex 16). Accordingly, the Bonds may at the option of the RBI either be permanently written off or temporarily written off on the occurrence of the trigger event called the Point of Non Viability. PONV trigger event shall be as defined in the aforesaid RBI Circular and shall be determined by the RBI.
Treatment in Bankruptcy/ Liquidation	The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation
PONV Trigger	The Bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'Point of Non-Viability Trigger ("PONV Trigger"). **The PONV Trigger event is the earlier of:** a. A decision that a temporary/ permanent write off is necessary without which the Bank would become non viable, as determined by the RBI; and b. The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non viable, as determined by the relevant authority. The write-off consequent upon the trigger event shall occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted. For this purpose, a non-viable bank will be: A bank which, owing to its financial and other difficulties, may no longer remain a going concern on its own in the opinion of the Reserve Bank of India unless appropriate measures are taken to revive its operations and thus, enable it to continue as a going concern. The difficulties faced by a bank should be such that these are likely to result in financial losses and raising the Common Equity Tier 1 capital of the bank should be considered as the most appropriate way to prevent the bank from turning non-viable. Such measures would include temporary and/ or permanent write-off in combination with or without other measures as considered appropriate by the Reserve Bank of India. A bank facing financial difficulties and approaching a PONV shall be deemed to achieve viability if within a reasonable time in the opinion of RBI; it will be able to come out of the present difficulties if appropriate measures are taken to revive it. The measures including temporary/ permanent write-off/ public sector injection of funds are likely to: a. Restore confidence of the depositors/ investors; b. Improve rating/ creditworthiness of the bank and thereby improving its borrowing capacity and liquidity and reduce cost of funds; and c. Augment the resource base to fund balance sheet growth in the case of fresh injection of funds.
Tenor	10 Years from the Deemed Date of Allotment
Redemption / Maturity Date(s)	26/02/2024
Redemption Amount	At par Rs.10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) per Bond.
Redemption Premium /Discount	Not Applicable
Face Value	Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) per Bond.
Premium/ Discount on issue	Not Applicable
Issue Price	At par Rs.10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) per Bond.
Minimum Application and in multiples of Debt securities thereafter	**1** Bond and in multiples of **1** Bond thereafter
Issuance mode of the Instrument	Demat only
Trading mode of the Instrument	Demat only
Discount at which security is issued and the effective yield as a result of such discount.	Not Applicable
Put option Date	Not Applicable
Put option Price	Not Applicable
Call Option Date	Not Applicable
Call Option Price	Not Applicable
Put Notification Time	Not Applicable
Call Notification Time	Not Applicable
Lock-in-Period	Not Applicable
Basis of Allotment (if any)	The issuer reserves the right to reject any/all applications fully or partially at its sole discretion, without assigning any reason whatsoever.

Business Day Convention	Business Day' shall be a day on which commercial banks are open for business in the city of Mumbai. 1. If any interest payment date falls on a day which is not a Business Day ('Business Day' being a day on which Commercial Banks are open for business in the city of Mumbai), then the payment of interest will be made on the next day i.e. a Business Day with interest for the intervening period. 2. In case if the principal redemption date falls on a day which is not a Business Day ('Business Day' being a day on which Commercial Banks are open for Business in Mumbai), then the payment due shall be made on previous working day. Payment of interest and/or principal amount shall be without liability for making payment of interest for the delayed period.
Record Date	Reference date for payment of interest/ repayment of principal which shall be the date falling 15 days prior to the relevant Interest Payment Date on which interest or the Redemption/ Maturity Date on which the Maturity Amount is due and payable. In the event the Record Date falls on a day which is not a business day, the next business day will be considered as the Record Date.
Settlement mode of the Instrument	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism.
Depository	National Securities Depository Limited (NSDL)and Central Depository Services (India) Limited (CDSL)
Security (where applicable)	The Bonds are unsecured in nature.
Transaction Documents	The Issuer has executed/shall execute the documents including but not limited to the following in connection with the issue: 1. Letter appointing Trustees to the Bond Holders. 2. Bond/Debenture Trusteeship agreement; 3. Rating agreement with CARE Limited; 4.Tripartite agreement between the Issuer, Registrar and NSDL for issue of Bonds in dematerialized form; 5.Tripartite agreement between the Issuer, Registrar and CDSL for issue of Bonds in dematerialized form; 6. Letter appointing Registrar and agreement entered into between the Issuer and the Registrar. 7. Letter appointing Arranger(s) to the issue. 8. Listing Agreement with NSE.
Conditions precedent to subscription of Bonds	The subscription from investors shall be accepted for allocation and allotment by the Issuer subject to the following: 1. Rating letter(s) from the aforesaid rating agencies not being more than one month old from the issue opening date; 2. Letter from the Trustees conveying their consent to act as Trustees for the Bondholder(s); 3. Letter to NSE for seeking its In-principle approval for listing and trading of Bonds.
Conditions subsequent to subscription of Bonds	The Issuer shall ensure that the following documents are executed/ activities are completed as per time frame mentioned elsewhere in this Disclosure Document: 1. Credit of demat account(s) of the allottee(s) by number of Bonds allotted within 2 working days from the Deemed Date of Allotment; 2. Making listing application to NSE within 15 days from the Deemed Date of Allotment of Bonds and seeking listing permission within 20 days from the Deemed Date of Allotment of Bonds in pursuance of SEBI Debt Regulations; In terms of sub-section (1) of Section 73 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956). 3. Neither the Bank nor any related party over which the Bank exercises control or significant influence (as defined under relevant Accounting Standards) shall purchase the Bonds, nor would the Bank directly or indirectly fund the purchase of the Bonds. The Bank shall also not grant advances against the security of the Bonds issued by it. 4. Besides, the Issuer shall perform all activities, whether mandatory or otherwise, as mentioned elsewhere in this Disclosure Document.
Additional Covenants	**Delay in Listing:** The Issuer shall complete all formalities and seek listing permission within 15 days from the Deemed Date of Allotment. In the event of delay in listing of Bonds beyond 20 days from the Deemed Date of Allotment, the Issuer shall pay penal interest of 1.00% per annum over the Coupon Rate from the expiry of 30 days from the Deemed Date of Allotment till the listing of Bonds to the Bondholder(s). **Refusal of Listing:** If listing permission is refused before the expiry of the 20 days from the Deemed Date of Allotment, the Issuer shall forthwith repay all monies received from the applicants in pursuance of the Disclosure Document along with penal interest of 1.00% per annum over the Coupon Rate from the expiry of 20 days from the Deemed Date of Allotment. If such monies are not repaid within 8 days after the Issuer becomes liable to repay it (i.e. from the date of refusal or 20 days from the Deemed Date of Allotment, whichever is earlier), then the Issuer and every director of the Issuer who is an officer in default shall, on and from the expiry of 8 days, will be jointly and severally liable to repay the money, with interest at the rate of 15 per cent per annum on application money, as prescribed under Section 73 of the Companies Act, 1956.
Cross Default	Not Applicable

Role and Responsibilities of Debenture Trustee	The Trustees shall perform its duties and obligations and exercise its rights and discretions, in keeping with the trust reposed in the Trustees by the holder(s) of the Bonds and shall further conduct itself, and comply with the provisions of all applicable laws, provided that, the provisions of Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882, shall not be applicable to the Trustees. The Trustees shall carry out its duties and perform its functions as required to discharge its obligations under the terms of SEBI Debt Regulations, the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, the Debenture Trusteeship Agreement, Disclosure Document and all other related transaction documents, with due care, diligence and loyalty. The Trustees shall be vested with the requisite powers for protecting the interest of holder(s) of the Bonds including but not limited to the right to appoint a nominee director on the Board of the Issuer in consultation with institutional holders of such Bonds. The Trustees shall ensure disclosure of all material events on an ongoing basis. The Issuer shall, till the redemption of Bonds, submit its latest audited/ limited review half yearly consolidated (wherever available) and standalone financial information such as Statement of Profit & Loss, Balance Sheet and Cash Flow Statement and auditor qualifications, if any, to the Trustees within the timelines as mentioned in Simplified Listing Agreement issued by SEBI vide circular No. SEBI/IMD/BOND/1/2009/11/05 dated May 11, 2009 as amended. Besides, the Issuer shall within 180 days from the end of the financial year, submit a copy of the latest annual report to the Trustees and the Trustees shall be obliged to share the details so submitted with all 'Qualified Institutional Buyers' (QIBs) within two working days of their specific request.
Governing Law and Jurisdiction	The Bonds are governed by and shall be construed in accordance with the existing laws of India. Any dispute arising thereof shall be subject to the jurisdiction of District Courts of Mumbai, Maharashtra.
Applicable RBI Guidelines	The present issue of Bonds is being made in pursuance of Master Circular No. DBOD.No.BP.BC.2 /21.06.201/2013-14 dated July 01, 2013 issued by the Reserve Bank of India on Basel III capital regulations covering criteria for inclusion of debt capital instruments as Tier 2 capital (Annex 5) and minimum requirements to ensure loss absorbency of additional Tier 1 instruments at pre-specified trigger and of all non-equity regulatory capital instruments at the PONV (Annex 16).
Prohibition on Purchase/ Funding of Bonds	Neither the Bank nor a related party over which the Bank exercises control or significant influence (as defined under relevant Accounting Standards) shall purchase the Bonds, nor shall the Bank directly or indirectly fund the purchase of the Bonds. The Bank shall also not grant advances against the security of the Bonds issued by it.
Trustees	M/s. All Bank Finance Limited.
Registrar	M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.
Eligible Investors	Mutual Funds, Public Financial Institutions as defined in section 2 (72) of the Companies Act, 2013, Scheduled Commercial Banks, Insurance Companies, Foreign Institutional Investors (subject to compliance with the SEBI/ RBI norms), Provident Funds, Gratuity Funds, Superannuation Funds and Pension Funds, Cooperative Banks, Regional Rural Banks authorized to invest in bonds/ debentures, Companies and Bodies Corporate authorized to invest in bonds/ debentures, Societies authorized to invest in bonds/ debentures, Trusts authorized to invest in bonds/ debentures, Statutory Corporations/ Undertakings established by Central/ State legislature authorized to invest in bonds/ debentures, Resident Individual Investors. etc.
Non- Eligible classes of investors	Qualified Foreign Investors, Foreign Nationals, Persons resident outside India, Venture Capital Funds, Alternative Investment Funds, Overseas Corporate Bodies, Partnership firms formed under applicable laws in India in the name of the partners, Hindu Undivided Families through Karta, Person ineligible to contract under applicable statutory/ regulatory requirements etc.
Payment Mode	The remittance of application money can be made through Electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit as per details given hereunder:
	Collection Banker: **DENA BANK**
	Beneficiary A/c Name: **Dena Bank Tier II Bonds Issue Series XIII**
	Beneficiary A/c Number: **111511023905**
	IFSC Code: **BKDN0401115**
	Bank Branch Name & Address: CAPITAL MARKET BRANCH, DENA BANK BLDG.17, HORNIMAN CIRCLE, FORT, MUMBAI-400 023
	Narration: Application Money

Bond Series XIV

Terms of Present Placement

Security Name	Dena Bank Basel III Compliant Tier II Bonds Issue Series XIV
Issuer	DENA BANK (the "Bank"/ the "Issuer")
Issue Size	Rs. 400 Crores [Rs. Four Hundred Crore]
Bond Series	XIV
Type of Instrument	Unsecured, Non-Convertible, Taxable, Redeemable Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XIV) for inclusion in Tier II Capital in the nature of Debentures ("Bonds").
Convertibility	Non-Convertible

Objects of the Issue	Augmenting Tier 2 Capital and overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy and for enhancing its long-term resources.
Details of the utilization of the Proceeds	The proceeds of the issue would be utilized to meet the object of the issue.
Nature and status of Bonds	The Bonds are neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim of the holders of the Bonds (the "Bondholders") vis- à-vis other creditors of the Issuer. Bondholders will not be entitled to receive notice of or attend or vote at any meeting of shareholders of the Issuer or participate in the management of the Issuer.
Seniority of Instrument/Claim	The claims of the Bondholders in respect of Bonds, shall be : i. senior to claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital; ii. subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the bank ; and iii. neither secured nor covered by a guarantee of the issuer or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of claims vis-à-vis bank creditors. The Bondholder shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation. The claims of bondholders shall be subject to provisions mentioned in the "Point of Non viability" (PONV) in the term sheet.
Mode of Issue	Private Placement
Listing (including name of stock Exchange(s) where it will be listed and timeline for listing)	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. ('NSE')
Option to retain oversubscription	Not Applicable
Credit Rating	"CARE AA-" (Pronounced Double A Minus) by CARE
Security	The Bonds are unsecured in nature.
Coupon Rate	8.76%
Coupon Payment Frequency	Annual
Coupon Type	Fixed
Coupon payment dates	The coupon/ interest payment date shall be the date of allotment i.e 20th September every financial year till maturity/redemption/ call option and subject to "PONV" mentioned below..
Coupon Reset Process (including rates, spread, effective date, interest rate cap and floor etc).	Not Applicable
Settlement mode of the Instrument	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism.
Step Up/Step Down Coupon Rate	Not Applicable
Day Count Basis /computation of Interest	Actual/ Actual (as per SEBI Circular no CIR/IMD/DF/18/2013 dated 29th Oct 2013)
Interest on Application Money*	Interest at the respective coupon rate (subject to deduction of Income Tax under the Provisions of the Income Tax Act 1961, or any Statutory modification or reenactment as applicable) will be paid to all the applicants on the Application Money for the Bonds. Such interest shall be paid from the date of realization of cheque (s)/Demand Draft (s) and in case of RTGS/other means of electronic transfer interest shall be paid from the date of receipt of funds to one day prior to the Deemed Date of Allotment. The interest on Application Money will be computed as per Actual/Actual Day count convention. Such interest would be paid on all the valid applications including the refunds. Where the entire subscription amount has been refunded, the interest on Application Money will be paid along with the refund orders. Where an applicant is allotted lesser number of bonds than applied for, the excess amount paid on application will be refunded to the applicant along with the interest on refunded money. Income Tax at Source (TDS) will be deducted at the applicable rate on interest on Application Money.
Default Interest Rate	Not Applicable
Loss Absorbency	The Bonds shall be subjected to loss absorbency features applicable for non-equity capital instruments vide RBI Master Circular No. DBOD.No.BP.BC.1 /21.06.201/2015-16 dated July 01, 2015 on Basel III capital regulations covering criteria for inclusion of debt capital instruments as Tier 2 capital (Annex 5) and minimum requirements to ensure loss absorbency of additional Tier 1 instruments at pre-specified trigger and of all non-equity regulatory capital instruments at the Point of Non-viability ("PONV") (Annex 16). Accordingly, the Bonds may at the option of the RBI be written off upon the occurrence of the trigger event called the 'Point of Non Viability' (PONV). PONV trigger event shall be as defined in the aforesaid RBI Circular and shall be determined by the RBI.

BASEL III DISCLOSURES

b) Loss Absorption at Point of Non-Viability (PONV)	1. If a PONV Trigger Event (as described below) occurs, the Issuer shall: (i) notify the Trustee; (ii) cancel any coupon which is accrued and unpaid on the Bonds as on the write-off date; and (iii) Without the need for the consent of Bondholders or the Trustee, write-off of the outstanding principal of the Bonds by such amount as may be prescribed by RBI ("PONV Write off Amount") and as is otherwise required by the RBI at the relevant time. A write-off may occur on more than one occasion. Once the principal of the Bonds have been written off pursuant to PONV Trigger Event, the PONV Write-off Amount will not be restored in any circumstances, including where the PONV Trigger Event has ceased to continue. 2. Write off for PONV means full and permanent write off. 3. These instruments, at the option of the Reserve Bank of India will be written off upon the occurrence of the trigger event, called the 'Point of Non-Viability (PONV) Trigger' stipulated below: (i) The PONV Trigger event is the earlier of: a. a decision that full permanent write-off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the Reserve Bank of India; and b. the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would become non-viable, as determined by the relevant authority. The Write-off of any Common Equity Tier 1 capital will not be required before the write-off of these instruments. (ii) Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted. (iv) No compensation will be paid to these Instrument holders in case of full and permanent write-off. 4. For the purpose of the above, a non-viable bank will be: A bank which, owing to its financial and other difficulties, may no longer remain a going concern on its own in the opinion of the Reserve Bank unless appropriate measures are taken to revive its operations and thus, enable it to continue as a going concern. The difficulties faced by a bank should be such that these are likely to result in financial losses and raising the Common Equity Tier 1 capital of the bank should be considered as the most appropriate way to prevent the bank from turning non-viable. Such measures would include write-off in combination with or without other measures as considered appropriate by the Reserve Bank. 5. Bank facing financial difficulties and approaching PONV will be deemed to achieve viability if within a reasonable time in the opinion of Reserve Bank, it will be able to come out of the present difficulties if appropriate measures are taken to revive it. The measures including augmentation of equity capital through write-off /public sector injection of funds are likely to: (a) Restore depositors'/investors' confidence; (b) Improve rating /creditworthiness of the bank and thereby improve its borrowing capacity and liquidity and reduce cost of funds; and (c) Augment the resource base to fund balance sheet growth in the case of fresh injection of funds. 6. The amount of non-equity capital to be written-off will be determined by RBI. 7. When Bank breaches the PONV trigger and the equity is replenished through write-off, such replenished amount of equity will be excluded from the total equity of the bank for the purpose of determining the proportion of earnings to be paid out as dividend in terms of rules laid down for maintaining capital conservation buffer. However, once the bank has attained total Common Equity ratio of 8% without counting the replenished equity capital, that point onwards, the bank may include the replenished equity capital for all purposes. 8. Criteria to Determine the PONV When the bank is adjudged by Reserve Bank of India to be approaching the PONV trigger event, or has already reached the PONV, but in the views of RBI: a) there is a possibility that a timely intervention in form of capital support, with or without other supporting interventions, is likely to rescue the bank; and b) if left unattended, the weaknesses would inflict financial losses on the bank and, thus, cause decline in its common equity level. 9. The purpose of write-off of these Instruments will be to shore up the capital level of the Bank. RBI would follow a two-stage approach to determine the non-viability of Bank as under: The Stage 1 assessment would consist of purely objective and quantifiable criteria to indicate that there is a prima facie case of a bank approaching non-viability and, therefore, a closer examination of the bank's financial situation is warranted. The Stage 2 assessment would consist of supplementary subjective criteria which, in conjunction with the Stage 1 information, would help in determining whether the bank is about to become non-viable. These criteria would be evaluated together and not in isolation.

	10. Once the PONV is confirmed, the next step would be to decide whether rescue of the bank would be through write-off alone or write-off in conjunction with a public sector injection of funds. 11. The trigger at PONV will be evaluated both at consolidated and solo level and breach at either level will trigger write-off. 12. As the capital adequacy is applicable both at solo and consolidated levels, the minority interests in respect of capital instruments issued by subsidiaries of banks including overseas subsidiaries can be included in the consolidated capital of the banking group only if these instruments have pre-specified triggers (in case of AT1 capital instruments) / loss absorbency at the PONV (for all non-common equity capital instruments). In addition, where a bank wishes the instrument issued by its subsidiary to be included in the consolidated group's capital in addition to its solo capital, the terms and conditions of that instrument must specify an additional trigger event. This additional trigger event is the earlier of: (1) a decision that a write-off, without which the Bank or the subsidiary would become non-viable, is necessary, as determined by the Reserve Bank of India; and (2) the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank or the subsidiary would become non-viable, as determined by the Reserve Bank of India. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted. 13. In such cases, the subsidiary would obtain its regulator's approval/no-objection for allowing the capital instrument to be written-off at the additional trigger point referred to in paragraph above. 14. If Bank goes into liquidation before these Bonds have been written-off, these instruments will absorb losses in accordance with the order of seniority indicated in clause 8 of this term sheet and as per usual legal provisions governing priority of charges. 15. If Bank goes into liquidation after these Bonds instruments have been written-off, the holders of these instruments will have no claim on the proceeds of liquidation. (a) Amalgamation of a banking company: (Section 44 A of BR Act, 1949) 16. If Bank is amalgamated with any other bank before these Bonds have been written-off, these instruments will become part of the corresponding categories of regulatory capital of the new bank emerging after the merger. 17. If Bank is amalgamated with any other bank after these instruments have been written-off permanently, these cannot be written-up by the amalgamated entity. (b) Scheme of reconstitution or amalgamation of a banking company: (Section 45 of BR Act, 1949) 18. If the relevant authorities decide to reconstitute Bank or amalgamate Bank with any other Bank under the Section 45 of BR Act, 1949, such a Bank will be deemed as non-viable or approaching non-viability and both the pre-specified trigger and the trigger at the point of non-viability write off of these instruments will be activated. Accordingly, these instruments will be fully written-off permanently before amalgamation / reconstitution in accordance with these rules.
Decision to Write off	The decision of write- off shall be exercised across all investors of this Instrument;
Treatment in Bankruptcy/ Liquidation	The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation
Tenor	10 Years from the Deemed Date of Allotment
Redemption / Maturity Date(s)	10 Years from the Deemed Date of Allotment
Redemption Amount	At par Rs.10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) per Bond.
Redemption Premium /Discount	Not Applicable
Face Value	Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) per Bond.
Issue Price	At par Rs.10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) per Bond.
Premium/ Discount on issue	Not Applicable
Discount at which security is issued and the effective yield as a result of such discount.	Not Applicable
Minimum Application and in multiples of Debt securities thereafter	10 Bonds and in multiple(s) of 1 Bond thereafter
Issuance mode of the Instrument	Demat only
Trading mode of the Instrument	Demat only
Basis of Allotment (if any)	The issuer reserves the right to reject any/all applications fully or partially at its sole discretion, without assigning any reason whatsoever.
Put option	No Put Option available.
Call Option	No Call Option available.
Call Option Price	Not Applicable
Call Notification Time	Not Applicable
Lock-in-Period	Not Applicable

Record Date	Reference date for payment of interest/ repayment of principal which shall be the date falling 15 days prior to the relevant Interest Payment Date on which interest or the Redemption/ Maturity Date on which the Maturity Amount is due and payable. In the event the Record Date falls on a day which is not a business day, the next business day will be considered as the Record Date.
Business Day Convention	Business Day' shall be a day on which commercial banks are open for business in the city of Mumbai. 1. If any interest payment date falls on a day which is not a Business Day ('Business Day' being a day on which Commercial Banks are open for business in the city of Mumbai), then the payment of interest will be made on the next day i.e. a Business Day with interest for the intervening period. 2. In case if the principal redemption date falls on a day which is not a Business Day ('Business Day' being a day on which Commercial Banks are open for Business in Mumbai), then the payment due shall be made on previous working day. Payment of interest and/or principal amount shall be without liability for making payment of interest for the delayed period.
Transaction Documents	The Issuer has executed/shall execute the documents including but not limited to the following in connection with the issue: 1. Letter appointing Trustees to the Bond Holders. 2. Bond/Debenture Trusteeship agreement; 3. Bond/Debenture Trustee Deed; 4. Rating agreement with CARE Limited; 5. Tripartite agreement between the Issuer, Registrar and NSDL for issue of Bonds in dematerialized form; 6. Tripartite agreement between the Issuer, Registrar and CDSL for issue of Bonds in dematerialized form; 7. Letter appointing Registrar and agreement entered into between the Issuer and the Registrar; 8. Listing Agreement with NSE; 9. Disclosure Document dated 16-09-2016
Conditions precedent to subscription of Bonds	The subscription from investors shall be accepted for allocation and allotment by the Issuer subject to the following: 1. Rating letter(s) from the aforesaid rating agencies not being more than one month old from the issue opening date; 2. Letter from the Trustees conveying their consent to act as Trustees for the Bondholder(s); 3. Letter to NSE for seeking its In-principle approval for listing and trading of Bonds.
Conditions subsequent to subscription of Bonds	The Issuer shall ensure that the following documents are executed/ activities are completed as per time frame mentioned elsewhere in this Disclosure Document: 1. Credit of demat account(s) of the allottee(s) by number of Bonds allotted within 2 working days from the Deemed Date of Allotment; 2. Making listing application to NSE within 15 days from the Deemed Date of Allotment of Bonds and seeking listing permission within 20 days from the Deemed Date of Allotment of Bonds in pursuance of SEBI Debt Regulations; 3. Neither the Bank nor any related party over which the Bank exercises control or significant influence (as defined under relevant Accounting Standards) shall purchase the Bonds, nor would the Bank directly or indirectly fund the purchase of the Bonds. The Bank shall also not grant advances against the security of the Bonds issued by it. 4. Besides, the Issuer shall perform all activities, whether mandatory or otherwise, as mentioned elsewhere in this Disclosure Document.
Additional Covenants	Delay in Listing: The Issuer shall complete all formalities and seek listing permission within 15 days from the Deemed Date of Allotment. In the event of delay in listing of Bonds beyond 20 days from the Deemed Date of Allotment, the Issuer shall pay, penal interest of 1.00% per annum over the Coupon Rate from the expiry of 30 days from the Deemed Date of Allotment till the listing of Bonds, to the Bondholder(s). Default in Payment: In case of default in payment of Interest and /or principal redemption on the due dates, additional interest of atleast @2% p.a. over the coupon rate will be payable by the Bank for the defaulting period. Refusal of Listing: If listing permission is refused before the expiry of the 20 days from the Deemed Date of Allotment, the Issuer shall forthwith repay all monies received from the applicants in pursuance of the Disclosure Document along with penal interest of 1.00% per annum over the Coupon Rate from the expiry of 20 days from the Deemed Date of Allotment. If such monies are not repaid within 8 days after the Issuer becomes liable to repay it (i.e. from the date of refusal or 20 days from the Deemed Date of Allotment, whichever is earlier), then the Issuer and every director of the Issuer who is an officer in default shall, on and from the expiry of 8 days, will be jointly and severally liable to repay the money, with interest at the rate of 15 per cent per annum on application money, as prescribed under Section 73 of the Companies Act, 1956.
Cross Default	Not Applicable
Event of Default	Default on the part of the Bank to forthwith satisfy all or any part of payments in relation to the Bonds when it becomes due (i.e. making payment of any instalment of interest or repayment of principal amount of the Bonds on the respective due dates) except in case of "PONV" mentioned above or due to any regulatory requirements prescribed under Applicable RBI Regulations or by Government of India or by any Statutory Authority, shall constitute an Event of Default for the purpose of the Issue.

OTHER GENERAL TERMS	
Eligible Investors	1. Mutual Funds; 2. Public Financial Institutions as defined in the Companies Act, 2013; 3. Scheduled Commercial Banks; 4. Insurance Companies; 5. Foreign Institutional Investors (subject to compliance with the SEBI/ RBI norms); 6. Provident Funds, Gratuity Funds, Superannuation Funds and Pension Funds; 7. Cooperative Banks; 8. Regional Rural Banks authorized to invest in bonds/ debentures; 9. Companies and Bodies Corporate authorized to invest in bonds/ debentures; 10. Limited Liability Partnership 11. Societies authorized to invest in bonds/ debentures; 12. Trusts authorized to invest in bonds/ debentures; 13. Statutory Corporations/ Undertakings established by Central/ State legislature authorized to invest in bonds/ debentures; 14. National Investment Fund set up by resolution no F. No 2/3/2005-DDII dated Nov 23, 2005 of the Government of India published in Gazette of India. 15. Insurance funds set up and managed by Army, Navy or Airforce of the Union of India. This issue is restricted only to the above class of investors. The potential investors are required to independently verify their eligibility to subscribe to the bonds on the basis of norms / guidelines / parameters laid by their respective regulatory body including but not limited to RBI, SEBI, IRDA, Government of India, Ministry of Finance, Ministry of Labour etc. and be guided by applicable RBI guidelines.
Non- Eligible classes of investors	Qualified Foreign Investors, Foreign Nationals, Persons resident outside India, Venture Capital Funds, Alternative Investment Funds, Overseas Corporate Bodies, Partnership firms formed under applicable laws in India in the name of the partners, Hindu Undivided Families through Karta, Person ineligible to contract under applicable statutory/ regulatory requirements etc.
Governing Law and Jurisdiction	The Bonds are governed by and shall be construed in accordance with the existing laws of India. Any dispute arising thereof shall be subject to the jurisdiction of District Courts of Mumbai, Maharashtra.
Applicable RBI Guidelines	The present issue of Bonds is being made in pursuance of Master Circular No. DBOD.No.BP.BC.1 /21.06.201/2015-16 dated July 01, 2015 issued by the Reserve Bank of India on Basel III capital regulations covering criteria for inclusion of debt capital instruments as Tier 2 capital (Annex 5) and minimum requirements to ensure loss absorbency of additional Tier 1 instruments at pre-specified trigger and of all non-equity regulatory capital instruments at the PONV (Annex 16) .
Prohibition on Purchase/ Funding of Bonds	Neither the Bank nor a related party over which the Bank exercises control or significant influence (as defined under relevant Accounting Standards) shall purchase the Bonds, nor shall the Bank directly or indirectly fund the purchase of the Bonds. The Bank shall also not grant advances against the security of the Bonds issued by it.
Reporting of Non-payment of Coupons	All instances of non-payment of coupon shall be notified by the Bank to the Chief General Managers-in-Charge of Department of Banking Regulations and Department of Banking Supervision of the Reserve Bank of India, Mumbai.
Trustees	M/s. CENT BANK Financial Service Ltd
Role and Responsibilities of Trustee	The Trustees shall perform its duties and obligations and exercise its rights and discretions, in keeping with the trust reposed in the Trustees by the holder(s) of the Bonds and shall further conduct itself, and comply with the provisions of all applicable laws, provided that, the provisions of Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882, shall not be applicable to the Trustees. The Trustees shall carry out its duties and perform its functions as required to discharge its obligations under the terms of SEBI Debt Regulations, the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, the Debenture Trusteeship Agreement, Disclosure Document and all other related transaction documents, with due care, diligence and loyalty. The Trustees shall be vested with the requisite powers for protecting the interest of holder(s) of the Bonds including but not limited to the right to appoint a nominee director on the Board of the Issuer in consultation with institutional holders of such Bonds. The Trustees shall ensure disclosure of all material events on an ongoing basis. The Issuer shall, till the redemption of Bonds, submit its latest audited/ limited review half yearly consolidated (wherever available) and standalone financial information such as Statement of Profit & Loss, Balance Sheet and Cash Flow Statement and auditor qualifications, if any, to the Trustees within the timelines as mentioned in Simplified Listing Agreement issued by SEBI vide circular No. SEBI/IMD/BOND/1/2009/11/05 dated May 11, 2009 as amended. Besides, the Issuer shall within 180 days from the end of the financial year, submit a copy of the latest annual report to the Trustees and the Trustees shall be obliged to share the details so submitted with all 'Qualified Institutional Buyers' (QIBs) within two working days of their specific request.
Depository	National Securities Depository Limited (NSDL)and Central Depository Services (India) Limited (CDSL)
Registrar	M/s. Link Intime India Pvt Ltd.
Regulatory guidelines	The terms of the proposed issue are intended to be consistent with guidelines of RBI. Hence, in case of any doubt/ discrepancy, the applicable RBI guidelines will prevail.

BASEL III DISCLOSURES

Electronic book mechanism for issuance of debt securities on private placement basis	SEBI vide its circular No. CIR/IMD/DF1/48/2016 dated April 21, 2016 has made electronic book mechanism mandatory for all private placements of debt securities in primary market with an issue size of Rs.500 crores and above, inclusive of green shoe option, if any. However, the following issuers have an option to follow either electronic book mechanism or the existing mechanism:- a. issues with a single investor and where coupon rate are fixed. However arrangers acting as underwriters shall not be considered as single investors. b. issues wherein the issue size is less than Rs. 500 crores, inclusive of green shoe option, if any. Since the present Issue is less than Rs. 500 crores , it will be through the existing mechanism.
Payment Mode	The remittance of application money can be made through Electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit as per details given hereunder:
	Collection Banker: **DENA BANK**
	Beneficiary A/c Name: **Dena Bank Tier II Bonds Issue Series XIV**
	Beneficiary A/c Number: 111511024166
	IFSC Code: **BKDN0401115**
	Bank Branch Name & Address: CAPITAL MARKET BRANCH, DENA BANK BLDG.17, HORNIMAN CIRCLE, FORT, MUMBAI-400 023
	Narration: Application Money
ISSUE SCHEDULE **:	
Issue opening date	20-09-2016
Issue closing date	20-09-2016
Pay in date	20-09-2016
Deemed date of allotment	20-09-2016

** Subject to deduction of Tax at source as applicable.*

*** The Issuer reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the above issue schedule without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Issuer. The Issuer also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice. In case if the Issue Closing Date/ Pay in Date is/are changed (pre-poned/ postponed), the Deemed Date of Allotment may also be changed (pre-poned/ postponed) by the Issuer at its sole and absolute discretion. Consequent to change in Deemed Date of Allotment, the Coupon Payment Dates and/or Redemption Date may also be changed at the sole and absolute discretion of the Issuer*

Perpetual Series II

Summary Term Sheet

Issuer	Dena Bank
Issue Size	Rs.125 crores including Green Shoe Option
Issue Objects	Augmenting Tier-I Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Non-Convertible Perpetual Bonds (Innovative Perpetual Debt Instruments) (Series-II) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nomenclature	Dena Bank Perpetual Bonds Series II
Issuance / Trading	In Dematerialised Form
Credit Rating	CARE "A" by CARE and "A stable" by CRISIL
Security	Unsecured
Face Value	Rs.10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs.10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	Perpetual – Not Applicable
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	Perpetual
Put Option	None
Call Option	# At par at the end of 10th year from Deemed Date of Allotment and every year thereafter on each anniversary date (subject to prior approval from RBI)
Redemption / Maturity	Perpetual
Redemption Date	Perpetual – Not Applicable
Call Option Due Date	May 28,2019 and every year thereafter on each anniversary date (subject to prior approval from RBI)
Coupon / Interest Rate	* 9.00% p.a. for the first 10 years and step up coupon rate of 9.50% p.a. for subsequent years if Call Option is not exercised by the Bank at the end of 10th year from the Deemed Date of Allotment Note: The step-up option shall be available only once during the whole life of bonds, in conjunction with the call option, after the lapse of 10 years from the deemed date of allotment. The step-up shall be 50 basis points.
Interest Payment	Annual (subject to RBI norms)
Interest Payment Date	On April 01, every year (subject to RBI norms)

Lock-in-clause	The Bonds shall be subjected to a lock-in clause in terms of which, Bank shall not be liable to pay interest, if (i) the Bank's CRAR is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI or (ii) the impact of such payment results in Bank's capital to risk assets ratio (CRAR) falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI. However, the Bank may pay interest with prior approval of RBI when the impact of such payment may result in net loss or increase the net loss, provided the CRAR remains above the regulatory norm. Further the interest unpaid shall not be cumulative
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.
Banker to the Issue	Dena Bank, Capital Market Branch, Mumbai
Interest on Application Money *	At the coupon rate applicable for the first 10 years (i.e.@ 9.00%p.a.) from the date of realization of cheque(s) / demand draft (s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment. It will be paid within two working days from the Deemed Date of Allotment.
Settlement	Payment of interest and repayment of principal (Only in case of call option) shall be made by way of cheque (s)/ interest / redemption warrant(s)/demand drafts(s)/credit through RTGS /ECS system
Mode of Subscription	Through RTGS / ECS system Cheque (s)/ demand draft (s) may be drawn in favour of **"Dena Bank A/c – IPDI Issue"** and crossed **"Account Payee Only"** payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the Account of **" Dena Bank "**, Account No. "111511023752", Branch: **" Capital Market Branch"**, IFSC Code:**"BKDNO401115-"**
Issue Opens on ^	May 20, 2009 (Wednesday)
Issue Closes on ^	May 26, 2009 (Tuesday)
Pay In Date ^	May 20, 2009 to May 26, 2009
Deemed Dt of Allotment ^	May 28, 2009 (Thursday)

In case of exercise of Call Option by the Bank, the Bank shall notify its intention to do so through a public notice at least in one All-India English and one regional language daily newspaper in Mumbai and/or through notice sent by registered post / courier to the sole / first Beneficial Owner of the Bonds at least 30 (thirty) day prior to the due date.

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone / postpone) the issue opening / closing / pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

Table DF-15: Disclosure Requirement for Remuneration

As per Guidelines of Compensation of Whole Time Directors / Chief Executive Officers / Other Risk Takers issued vide circular DBOD.No. BC.72/ 29.67.001/2011-12 dated January 13,2012, this disclosure is not applicable to our Bank.

Table DF-16: Equities - Disclosure for Banking Book Positions

Qualitative Disclosure:

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into “Held for Trading” (HFT), “Available for Sale” (AFS) and “Held to Maturity” (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to classify under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not mark to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to “Capital Reserve” in accordance with the RBI Guidelines.
- As per RBI guidelines, Banks are allowed to hold investments in units of Venture Capital Fund (VCF) under Banking Book (HTM category) for initial period of 3 years and valued at cost during this period

Quantitative Disclosure:

1. **Value of Investments**

(Amount in Rs. lacs)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	1,626.86	1,565.64	Nil
Quoted	NIL	NIL	N.A

BASEL III DISCLOSURES

2. **Type and Nature of Investments**

(Amount in Rs. lacs)

Investments	Publicly Traded	Privately Held
Subsidiaries, Associate and Joint Ventures	NIL	105.00
Other Shares of PSU / Corporate, which were in the books of the bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	NIL	0.00
Venture Capital Funds	NIL	1,521.86

3. **Gain / Loss Statement**

(Amount in Rs. lacs)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses arising from sales and liquidations in the reporting period.	NIL
Total unrealized gains (losses)	NIL
Total latent revaluation gains (losses)	NIL
Any amount of the above included in Tier I and Tier II capital	NIL

Table DF-17: Summary Comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

	Item	(₹ in Crore)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	120,859.80
2	Adjustment for investments in banking , financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(19.33)
3	Adjustments for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	648.00
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	12,535.37
7	Other adjustments	(8,041.41)
8	Leverage ratio exposure	125,982.43

Table DF-18: Leverage ratio common disclosure template

	Leverage ratio framework	
Item		(₹ in Crore)
On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	120,907.82
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(4,099.24)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	116,808.58
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	144.00
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	504.00
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet as sets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	648.00
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	0.00
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	CCR exposure for SFT assets	0.00
15	Agent transaction exposures	0.00
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	0.00
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	21,061.22
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-12,535.37
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	8,525.85
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	6,425.56
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	125,982.43
22	**Basel III Leverage ratio**	5.10%

BASEL III DISCLOSURES

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital instruments

		Equity	Lower Tier II Bonds				Tier II Bonds		Tier I
	Disclosures under Pillar 3 in terms of Guidelines on composition of Capital Disclosure Requirements of Reserve Bank of India - as on 31st March 2018		Series IX	Series X	Series XI	Series XII	Series XIII	Series XIV	Perpetual Series II
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments								
1	Issuer	DENA BANK	DENA BANK	DENA BANK	DENA BANK	DENA BANK	DENA BANK	DENA BANK	DENA BANK
2	Unique Identifier (e.g. CUSIP,ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE077A01010	INE077A09062	INE077A09070	INE077A09088	INE077A09104	INE077A08064	INE077A08098	INE077A09096
3	Governing law (s) of the instrument Regulatory treatment	--	--	--	--	--	--	--	--
4	Transitional Basel III rules	Tier I	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	CET I	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	AT 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	SOLO	SOLO	SOLO	SOLO	SOLO	SOLO	SOLO	SOLO
7	Instrument type	Common Shares	Tier II Debt Instrument	Tier II Debt Instrument	Tier II Debt Instrument	Tier II Debt Instrument	Tier II Debt Instrument	Tier II Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in Crores, as of most recent reporting date)	2259.05	0	0	0	0	780.00	400.00	0
9	Par value of instrument	2259.05	106.00	300.00	200.00	850.00	780.00	400.00	125.00
10	Accounting classification	Shareholder's Equity	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	05.12.1996	25.03.2008	30.09.2008	29.01.2009	25.06.2012	26.02.2014	20.09.2016	28.05.2009
12	Perpetual or dated	Perpetual	24.05.2018	30.04.2019	29.01.2019	25.06.2027	26.02.2024	20.09.2026	Perpetual
13	Original maturity date	No maturity	24.05.2018	30.04.2019	29.01.2019	25.06.2027	26.02.2014	20.09.2026	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	NO	NO	NO	NO	YES	NO	No	YES
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	* 25.06.2022	-NA-	-NA-	* * 28.05.2019
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA	9.25%	11.20%	9.50%	9.23%	9.86%	8.76%	9.00%
19	Existence of a dividend stopper	NA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-
25	If convertible, fully or partially	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-
26	If convertible, conversion rate	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-
27	If convertible, mandatory or optional conversion	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-
28	If convertible, specify instrument type convertible into	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-

BASEL III DISCLOSURES

		Equity	Lower Tier II Bonds				Tier II Bonds		Tier I
Disclosures under Pillar 3 in terms of Guidelines on composition of Capital Disclosure Requirements of Reserve Bank of India - as on 31st March 2018			Series IX	Series X	Series XI	Series XII	Series XIII	Series XIV	Perpetual Series II
		1	2	3	4	5	6	7	8
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments									
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-	- NA-
30	Write-down feature	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	YES	YES	- NA -
31	If write-down, write-down trigger(s)	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	As per RBI guidelines	Yes, as per Terms & Condition of Instrument	- NA -
32	If write-down, full or partial	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	FULL	FULL	- NA -
33	If write-down, permanent or temporary	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	Permanent	Permanent	- NA -
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	-NA-	- NA -	- NA -
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	8	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	-NA-	7
36	Non-compliant transitioned features	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -
37	If yes, specify non-compliant features	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -
*	with RBI approval after the instrument is run for 10 years								
* *	at the end of 10th year from deemed date of allotment with the prior permission from RBI, if not exercised by the Bank, coupon shall be stepped up by 50 basis points thereafter till redemption								

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To The President of India / Members of Dena Bank

Report On the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Dena Bank ('the Bank') as at 31 March, 2018, which comprise the Balance Sheet as at 31 March, 2018, and the Profit and Loss Account, and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 758 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 1094 branches (including 72 satellite branches) which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 11.67 per cent of advances, 37.87 per cent of deposits, 12.21 per cent of interest income and 37.03 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the bank in accordance with Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:
   (a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31 March 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
   (b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
   (c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

   Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
   (a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
8. We further report that:
   a) the Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
   b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
   c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

for, Ramesh C Agrawal & Co	**for, ABP & Associates**	**for, Kailash Chand Jain & Co.**	**for, Sarda & Pareek**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
[R C Agrawal]	**[Prabhat Kumar Panda]**	**[Sandeep K. Jain]**	**[Niranjan Joshi]**
Partner	Partner	Partner	Partner
M No 070229	M No 057140	M No 110713	M No 102789
FRN 001770C	FRN 315104E	FRN 112318W	FRN 109262W

Place: Mumbai
Date: 11.05.2018

BALANCE SHEET

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2018

	SCH.	As at 31.03.2018 ₹ in '000'	As at 31.03.2017 ₹ in '000'
CAPITAL AND LIABILITIES			
CAPITAL	1	22,590,463	7,871,499
RESERVES AND SURPLUS	2	69,437,548	68,979,899
DEPOSITS	3	1,061,301,424	1,139,427,674
BORROWINGS	4	35,610,000	50,608,767
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	19,658,527	28,417,307
TOTAL		**1,208,597,962**	**1,295,305,146**
ASSETS			
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	58,947,354	60,108,622
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	7	627,257	25,34,691
INVESTMENTS	8	376,095,544	397,372,257
ADVANCES	9	655,815,144	725,746,161
FIXED ASSETS	10	15,573,355	15,770,062
OTHER ASSETS	11	101,539,308	93,773,353
TOTAL		**1,208,597,962**	**1,295,305,146**
CONTINGENT LIABILITIES	12	516,300,358	430,288,143
BILLS FOR COLLECTION		25,953,406	26,790,737
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS	18		
Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet			

Ramesh S. Singh
Executive Director

Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi
Executive Director

Ashok Kumar Singh
Director

S. C. Murmu
Director

G Gopalakrishna
Director

Amit Chatterjee
Director

Dr. Yasho Verdhan Verma
Director

Rakesh Kumar
Director

A Bhadra
Asst General Manager

Pankaj Mittal
Dy. General Manager

Usha Ravi
General Manager

for, Ramesh C Agrawal & Co	for, ABP & Associates	for, Kailash Chand Jain & Co	for, Sarda & Pareek
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
[R C Agrawal]	**[Prabhat Kumar Panda]**	**[Sandeep K. Jain]**	**[Niranjan Joshi]**
Partner	Partner	Partner	Partner
Mem. No. 070229	Mem. No. 057140	Mem. No. 110713	Mem. No. 102789
FRN 001770C	FRN 315104E	FRN 112318W	FRN 109262W

Place : Mumbai
Date : 11.05.2018

PROFIT & LOSS ACCOUNT

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

		SCH	Year ended 31.03.2018 ₹ in '000'	Year ended 31.03.2017 ₹ in '000'
I INCOME				
INTEREST EARNED		13	89,322,247	101,816,729
OTHER INCOME		14	11,635,209	12,513,985
	TOTAL		**100,957,456**	**114,330,714**
II EXPENDITURE				
INTEREST EXPENDED		15	64,564,120	77,733,129
OPERATING EXPENSES		16	24,681,767	22,695,453
PROVISIONS & CONTINGENCIES			30,943,101	22,538,380
	TOTAL		**120,188,988**	**122,966,962**
III PROFIT/LOSS				
NET PROFIT FOR THE YEAR			(19,231,532)	(8,636,248)
NET PROFIT/LOSS BROUGHT FORWARD			0	0
	TOTAL		**(19,231,532)**	**(8,636,248)**
IV APPROPRIATIONS				
TRANSFER TO STATUTORY RESERVE			0	0
TRANSFER TO SPECIAL INFRA RESERVE			0	0
TRANSFER TO CAPITAL RESERVES			0	0
TRANSFER TO REVENUE RESERVE			0	0
PROPOSED DIVIDEND (INCL. DIVIDEND TAX)			0	0
BALANCE CARRIED OVER TO BALANCE SHEET			(19,231,532)	(8,636,248)
	TOTAL		**(19,231,532)**	**(8,636,248)**
Earnings Per Share (₹) (Basic) - FV ₹ 10/-			(18.06)	(11.89)
Earnings Per Share (₹) (Diluted) - FV ₹ 10/-			(18.06)	(11.88)
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES		17		
NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS		18		
Schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss A/c				

Ramesh S. Singh
Executive Director

Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi
Executive Director

Ashok Kumar Singh
Director

S. C. Murmu
Director

G Gopalakrishna
Director

Amit Chatterjee
Director

Dr. Yasho Verdhan Verma
Director

Rakesh Kumar
Director

A Bhadra
Asst General Manager

Pankaj Mittal
Dy. General Manager

Usha Ravi
General Manager

for, Ramesh C Agrawal & Co
Chartered Accountants

[R C Agrawal]
Partner
Mem. No. 070229
FRN 001770C

for, ABP & Associates
Chartered Accountants

[Prabhat Kumar Panda]
Partner
Mem. No. 057140
FRN 315104E

for, Kailash Chand Jain & Co
Chartered Accountants

[Sandeep K. Jain]
Partner
Mem. No. 110713
FRN 112318W

for, Sarda & Pareek
Chartered Accountants

[Niranjan Joshi]
Partner
Mem. No. 102789
FRN 109262W

Place : Mumbai
Date : 11.05.2018

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

		As at 31.03.2018 ₹ in '000'	As at 31.03.2017 ₹ in '000'
SCHEDULE - 1 CAPITAL			
AUTHORISED			
300,00,00,000 Shares of ₹ 10/- Each		30,000,000	30,000,000
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP		22,590,463	7,871,499
225,90,46,330 (P Y 78,71,49,884) Equity Shares of ₹ 10/- Each Fully Paid up			
[of which, 182,40,31,844 (PY 53,96,26,896) shares are held by the Government of India]			
	TOTAL	**22,590,463**	**7,871,499**
SCHEDULE - 2 RESERVES AND SURPLUS			
I STATUTORY RESERVE			
OPENING BALANCE		16,569,006	16,569,006
ADDITION DURING THE YEAR		0	0
	TOTAL - I	**16,569,006**	**16,569,006**
II CAPITAL RESERVE			
OPENING BALANCE		1,307,266	1,307,266
ADDITION DURING THE YEAR		-	0
	TOTAL - II	**1,307,266**	**1,307,266**
III REVALUATION RESERVE			
OPENING BALANCE		10,984,695	9,295,099
ADDITION DURING THE YEAR		0	1,689,596
DEDUCTION DURING THE YEAR		(54,484)	0
	TOTAL - III	**10,930,211**	**10,984,695**
IV SHARE PREMIUM			
OPENING BALANCE		25,697,770	22,439,927
ADDITION DURING THE YEAR		27,666,957	3,257,843
	TOTAL - IV	**53,364,727**	**25,697,770**
V REVENUE RESERVE			
OPENING BALANCE		20,932,007	20,932,007
ADDITION DURING THE YEAR		0	0
DEDUCTION DURING THE YEAR		0	0
	TOTAL - V	**20,932,007**	**20,932,007**
VI SPECIAL INFRA RESERVE			
OPENING BALANCE		3,555,300	3,555,300
ADDITION DURING THE YEAR		0	0
DEDUCTION DURING THE YEAR		0	0
	TOTAL - VI	**3,555,300**	**3,555,300**
VII PROFIT & LOSS ACCOUNT			
OPENING BALANCE		(17,989,437)	(9,353,189)
ADDITION DURING THE YEAR		(19,231,532)	(8,636,248)
DEDUCTION DURING THE YEAR		0	0
	TOTAL - VII	**(37,220,969)**	**(17,989,437)**
VIII SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT		**0**	**7,923,292**
	TOTAL - VIII	**0**	**7,923,292**
TOTAL (I + II + III + IV + V +VI+VII+VIII)		**69,437,548**	**68,979,899**

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

		As at 31.03.2018 ₹ in '000'	As at 31.03.2017 ₹ in '000'
SCHEDULE - 3 DEPOSITS			
A I DEMAND DEPOSITS			
i. FROM BANKS		900,879	3,605,364
ii. FROM OTHERS		60,135,294	69,834,776
II SAVINGS BANK DEPOSITS		364,714,880	362,385,978
III TERM DEPOSITS			
i. FROM BANKS		37,926,999	19,456,785
ii. FROM OTHERS		597,623,372	684,144,771
	TOTAL	**1,061,301,424**	**1,139,427,674**
B I DEPOSITS OF BRANCHES IN INDIA		1,061,301,424	1,139,427,674
II DEPOSITS OF BRANCHES OUTSIDE INDIA		0	0
	TOTAL	**1,061,301,424**	**1,139,427,674**
SCHEDULE - 4 BORROWINGS			
I BORROWINGS IN INDIA			
i. RESERVE BANK OF INDIA		8,000,000	2,750,000
ii. OTHER BANKS		0	0
iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES		0	4,998,767
iv. BONDS			
a) INNOVATIVE PERPETUAL DEBT INSTRUMENT (IPDI)		1,250,000	2,500,000
b) BASEL III COMPLIANT AT-1 BONDS		0	14,000,000
c) UPPER TIER II BONDS		0	0
d) SUBORDINATED DEBTS UNSECURED		14,560,000	14,560,000
e) BASEL III COMPLIANCE TIER II BONDS		11,800,000	11,800,000
II BORROWINGS OUTSIDE INDIA		0	0
	TOTAL	**35,610,000**	**50,608,767**
SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES & PROVISIONS			
I BILLS PAYABLE		3,809,066	5,010,637
II INTER OFFICE ADJUSTMENTS (NET)		0	5,182,328
III INTEREST PAYABLE		3,992,856	4,921,078
IV CONTINGENT PROVISIONS AGAINST STANDARD ASSETS		4,752,805	6,339,252
V OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)		7,103,800	6,964,012
	TOTAL	**19,658,527**	**28,417,307**
SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA			
I CASH IN HAND (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)		4,822,794	6,244,078
II BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA			
i. IN CURRENT ACCOUNTS		46,124,560	47,364,544
ii. IN OTHER ACCOUNTS (UNDER LAF)		8,000,000	6,500,000
	TOTAL	**58,947,354**	**60,108,622**

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

		As at 31.03.2018 ₹ in '000'	As at 31.03.2017 ₹ in '000'
SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE			
I	IN INDIA		
i.	BALANCES WITH BANKS		
a.	IN CURRENT ACCOUNTS	366,357	459,491
b.	IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	0	0
ii.	MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
a.	WITH BANKS	0	0
b.	WITH OTHER INSTITUTIONS	0	0
	TOTAL - I	**366,357**	**459,491**
II	OUTSIDE INDIA		
i.	IN CURRENT ACCOUNTS	0	0
ii.	IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	260,900	2,075,200
iii.	MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	0	0
	TOTAL – II	260,900	2,075,200
	TOTAL (I + II)	**627,257**	**2,534,691**

		As at 31.03.2018 ₹ in '000'		As at 31.03.2017 ₹ in '000'	
SCHEDULE-8 INVESTMENTS					
I	INVESTMENTS IN INDIA IN				
i.	GOVERNMENT SECURITIES *		296,793,306		345,123,928
ii.	OTHER APPROVED SECURITIES		0		0
iii.	SHARES		2,509,661		3,541,027
iv.	DEBENTURES AND BONDS		40,132,614		39,708,616
v.	SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES		193,319		193,319
vi.	SPL GOVT SEC HTM INV NONSLR		28,020,000		0
vi.	OTHERS				
a.	VENTURE CAPITAL	381,753		426,519	
b.	UNITS OF MUTUAL FUNDS	0		30,025	
c.	COMMERCIAL PAPER	975,543		327,977	
d.	SECURITY RECEIPTS OF ARCs	6,294,243		6,016,121	
e.	CERTIFICATE OF DEPOSIT	747,820		2,004,725	
f.	PTC	47,285		0	
g.	CBLO	0	8,446,644	0	8,805,367
	TOTAL - I		**376,095,544**		**397,372,257**
	II INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		0		0
	TOTAL (I + II)		376,095,544		3,97,372,257
	GROSS INVESTMENTS		**380,395,639**		**401,897,691**
	LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION		(4,300,095)		(4,525,434)
	NET INVESTMENTS		**376,095,544**		**3,97,372,257**
	*Includes Securities Kept as Margin		14,486,300		11,270,500

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

		As at 31.03.2018 ₹ in '000'	As at 31.03.2017 ₹ in '000'
SCHEDULE - 9 ADVANCES			
A. i. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED		8,687,851	8,510,333
ii. CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND		256,138,122	339,425,454
iii. TERM LOANS		390,989,171	377,810,374
	TOTAL - A	**655,815,144**	**725,746,161**
SECURITY WISE ADVANCES			
B. i. SECURED BY TANGIBLE ASSETS [Includes advances against book debts]		585,792,945	641,320,461
ii. COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES		21,195,200	17,113,000
iii. UNSECURED		48,826,999	67,312,700
	TOTAL - B	**655,815,144**	**725,746,161**
SECOTR WISE ADVANCES			
C. I. ADVANCES IN INDIA			
i. PRIORITY SECTOR		260,048,540	282,518,992
ii. PUBLIC SECTOR		68,520,830	74,446,497
iii. BANKS		5,986,649	2,227,100
iv. OTHERS		321,259,125	366,553,572
	TOTAL - C	**655,815,144**	**725,746,161**
II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		0	0
	TOTAL - C I + C II	**655,815,144**	**725,746,161**
SCHEDULE -10 FIXED ASSETS			
A. TANGIBLE ASSETS			
I. PREMISES			
i. AT COST AS AT 31st MARCH OF THE PRECEEDING YEAR (Includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)		13,916,599	13,843,900
ii. ADDITION ON ACCOUNT OF REVALUATION DURING THE YEAR		0	0
iii. ADDITIONS DURING THE YEAR		22,455	72,699
iv. DEDUCTIONS DURING THE YEAR		0	0
GROSS BLOCK		**13,939,054**	**13,916,599**
v. DEPRECIATION TO DATE		(1,694,400)	(1,616,088)
	TOTAL – I	**12,244,654**	**12,300,511**
II. OTHER FIXED ASSETS (INCLUDING FURNITURE AND FIXTURES)			
i. AT COST AS ON 31st MARCH OF THE PRECEDING YEAR		8,231,909	7,955,776
ii. ADDITIONS DURING THE YEAR		555,420	436,893
iii. DEDUCTIONS DURING THE YEAR		(145,744)	(160,760)
GROSS BLOCK		**8,641,585**	**8,231,909**
iv. DEPRECIATION TO DATE		(5,569,709)	(4,926,845)
	TOTAL – II	**3,071,876**	**3,305,064**
III. WORK IN PROGRESS		81,579	24,726
	TOTAL - A (I + II+III)	**15,398,109**	**15,630,301**

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

		As at 31.03.2018 ₹ in '000'	As at 31.03.2017 ₹ in '000'
B. INTANGIBLE ASSETS			
I. COMPUTER SOFTWARE			
i. AT COST AS AT 31st MARCH OF THE PRECEEDING YEAR		888,760	878,884
ii. ADDITION DURING THE YEAR		115,774	9,876
iii. DEDUCTION DURING THE YEAR			
iv SOFTWARE UNDER IMPLEMENTATION		11,669	0
v. AMORTISED TO DATE		(840,957)	(748,999)
	TOTAL - B	**175,246**	**139,761**
GRAND TOTAL (A+B)		**15,573,355**	**15,770,062**
SCHEDULE-11 OTHER ASSETS			
I. INTER - OFFICE ADJUSTMENTS (NET)		2,868,127	0
II. INTEREST ACCRUED		10,528,667	12,462,746
III. TAX PAID IN ADVANCE / TDS (Incl of MAT Entitlement & Net of provision)		12,375,159	12,044,319
IV. DEFERRED TAX ASSET (NET)		29,755,210	17,199,210
V. STATIONERY AND STAMPS		42,165	39,836
VI. NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS		98,600	98,600
VII. RIDF/ RHDF/ MSME REFINANCE/ MSME (RISK CAPITAL) FUND		38,597,676	40,717,154
VIII. OTHERS		7,273,704	11,211,488
TOTAL		**101,539,308**	**93,773,353**
SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES			
I. CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS		149,609,845	27,863,212
II. LIABILITY ON ACCOUNT OF PARTLY PAID SHARES		0	0
III. LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS		259,466,531	297,560,842
IV. GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS			
a) IN INDIA		74,645,313	69,030,787
b) OUTSIDE INDIA		0	0
V. ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS		29,260,369	33,163,302
VI. OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE (DEAF)		3,318,300	2,670,000
	TOTAL	**516,300,358**	**430,288,143**
BILLS FOR COLLECTION		25,953,406	26,790,737

		Year ended 31.03.2018 ₹ in '000'	Year ended 31.03.2017 ₹ in '000'
SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED			
I. INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES/ BILLS		58,329,110	69,687,859
II. INCOME ON INVESTMENTS		26,818,964	29,060,905
III. INTEREST ON BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA AND OTHER INTER BANK FUNDS		1,019,055	370,547
IV. OTHERS		3,155,118	2,697,418
	TOTAL	**89,322,247**	**101,816,729**

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

	Year ended 31.03.2018 ₹ in '000'	Year ended 31.03.2017 ₹ in '000'
SCHEDULE - 14 OTHER INCOME		
I. COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	2,505,449	2,275,952
II. PROFIT/(LOSS) ON SALE OF INVESTMENTS (NET)	4,228,365	6,319,714
III. PROFIT/ (LOSS) ON SALE OF LAND, BUILDINGS AND OTHER ASSETS (NET)	(6,046)	(3,841)
IV. PROFIT ON FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS (NET)	454,342	330,424
V. INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDENDS ETC. FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES AND/ OR JOINT VENTURES ABROAD/ IN INDIA	19,237	37,914
VI. MISCELLANEOUS INCOME	4,433,862	3,553,822
TOTAL	**11,635,209**	**12,513,985**
SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED		
I. INTEREST ON DEPOSITS	59,555,504	72,130,419
II. INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/ INTER BANK BORROWINGS	609,382	495,971
III. OTHERS	4,399,234	5,106,739
TOTAL	**64,564,120**	**77,733,129**
SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES		
I. PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	15,874,971	14,840,846
II. RENT, TAXES AND LIGHTING	2,169,252	2,080,310
III. PRINTING AND STATIONERY	207,735	240,394
IV. ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	44,384	175,630
V. DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	797,210	31,317
VI. DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES & EXPENSES	9,956	14,375
VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS)	119,997	140,323
VIII. LAW CHARGES	189,831	148,130
IX. POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC	398,960	339,158
X. REPAIRS AND MAINTENANCE	471,397	337,912
XI. INSURANCE	1,153,521	1,279,203
XII. OTHER EXPENDITURE	3,244,553	3,067,855
TOTAL	**24,681,767**	**22,695,453**

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

SCHEDULE – 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

17.1 BASIS OF ACCOUNTING

Bank's financial statements are prepared under the historical cost convention, on accrual basis of accounting, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to the extent applicable and generally the practices prevailing in the banking industry in India.

17.2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

17.3 INVESTMENTS

A Basis of Classification

Investments have been categorized as per guidelines of Reserve Bank of India (i) Held to Maturity (ii) Available for Sale (iii) Held for Trading and are disclosed in the accounts under six classifications at the value net of depreciation provision thereon.

B Valuation

Investments are valued as per Reserve Bank of India guidelines in the following manner:

Basis:

'Held to Maturity'

Investments held under this category are carried in books at their acquisition cost. Premium, if any, paid on acquisition is amortized using straight line method.

'Available for Sale' and 'Held for Trading'

These Investments are marked to market scrip wise. Depreciation/Appreciation for each of six classifications is aggregated; net depreciation, if any, for each classification is provided for, but net appreciation is ignored.

C Methodology

All investments of Bank are valued consistently on Average Cost Method. Market value of quoted securities in case of Investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is taken based on last closing rate of recognized stock exchange/s or price list of FIMMDA [Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India].

The value in case of unquoted securities and securities where market quotes are not available, is determined based on Prices / Yield to Maturity declared by FIMMDA [Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India] and Net Asset Value in case of units of Mutual Funds / SRs of ARCs / SCs/Venture Capital Fund and Net Book Value in case of Shares of Companies.

Treasury Bills, Commercial Papers, Certificate of Deposits. CBLO, Rural Infrastructure Development Funds and Investments including Share Capital Deposits in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

D INCOME RECOGNITION AND PRUDENTIAL NORMS

Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India, from time to time, as to Asset Classification of all Investments, Income Recognition and Provisioning on such Investments.

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction.

Profit on sale of investments under the category "Held to Maturity" is taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated to "Capital Reserve Account" whereas loss on sale of Investments is recognized in the Profit & Loss Account.

17.4 ADVANCES

A Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India, from time to time, as to Asset Classification, Income Recognition and Provisioning thereon. Accordingly, all advances are being classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss Assets.

B Advances are stated net of provisions for Non Performing Assets, provision in lieu of diminution in the fair value of Restructured Accounts, Balance in Sundries Account in respect of NPA accounts, DICGC/ECGC Claims received and held pending adjustment, part payment received and kept in Suspense Account.

C A general provision for Standard Assets is made in conformity with the prudential norms. Provision on Standard Assets and excess Provision on Sale of NPA accounts are included in 'Other Liabilities and Provisions' in Schedule 5 to the Balance Sheet.

D Recoveries in Non Performing Advances are first appropriated towards principal outstanding and surplus, if any, is recognized as income.

E In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC)/ Banks/ FIs / NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e. Book Value Less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is not being reversed but is kept for utilization to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to ARC/SC/ Banks/FIs/NBFCs.

Balance in the FITL Accounts in case of failed restructured cases is debited to the provisions for FITL] Accounts.

17.5 FIXED ASSETS & DEPRECIATION

A Fixed assets are stated at historical cost except wherever revalued**.**

B Premises also include cost of land in some of the properties where the same could not be segregated.

C Fixed Assets are depreciated under Straight Line Method on the basis of useful life prescribed under schedule-II of the Companies Act 2013 for the respective assets.

D Depreciation has been charged on Depreciable Amount after deducting residual value of the assets. Residual Value has been considered @ 5% of the original cost of each class of Asset.

E Depreciation on additions/sale/ deletion to fixed assets made during the year is provided at proportionately for the period of use of the assets.

F Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.

G Depreciation attributable to revalued portion, is charged to the Revaluation Reserve Account

H Computer Software Expenses are considered as Intangible Assets and are amortized over a period of five years, which is considered as useful economic life of such assets.

I Fixed Assets include Capital Work-in-Progress.

17.6 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment loss, if any, on Fixed Assets is recognised in accordance with AS 28 - Impairment of Assets, issued by ICAI and charged to Profit and Loss Account.

17.7 LEASE ACCOUNTING

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the Profit & Loss Account over the lease term in accordance with AS 19 – Leases, issued by ICAI.

17.8 NON BANKING ASSETS

Non Banking Assets are stated at cost.

17.9 REVENUE RECOGNITION

i Commission on Letters of Credit/ Bank Guarantees/ Government Business / Distribution of Insurance Policies/ Mutual Fund Products/ASBA; Locker Rent, Interest on Refund of Taxes, Dividend, Income on Units of Mutual Funds, Rental Income, and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

ii Interest/ Discount on Non-Performing Loans & Advances/ Investments is recognized to the extent realized as per the prudential guidelines of RBI.

iii Recoveries in Written Off Advances / Investments are being accounted for as 'Miscellaneous Income'.

17.10 RECOGNITION OF EXPENSES

i Pursuant to RBI Circular dated 22nd August, 2008, interest payable on matured and unpaid Term Deposits is provided on accrual basis on Saving Bank Rate on deposits matured on or after 22.08.2008.

ii Expenses on the issue of shares, bonds etc. are recognized in the year of incurrence.

iii Legal Expenses in case of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account.

iv Expenditure on Voluntary Retirement Scheme [VRS] is recognized in the year of payment.

17.11 EFFECTS OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATES

A Foreign Currency monetary items including outstanding forward exchange contracts in foreign currency are valued at the year-end on the rates issued by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) and the resultant profit/loss arising out of such revaluation is accounted for in the Profit & Loss Account.

B Foreign Currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost, are reported at the exchange rate on the date of transaction.

C Guarantees, letters of credit, acceptances, endorsements and other obligations in foreign currency are also revalued at the year-end on the rates issued by FEDAI for the purpose of Balance Sheet exposure.

D Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

17.12 EMPLOYEE BENEFITS

Gratuity, Pension and Leave Encashment payable on retirement; and other employee benefits are charged to Profit & Loss Account as per actuarial valuation as required by AS 15 [R] issued by ICAI.

17.13 TAXES ON INCOME

i Current Tax is provided using applicable tax rates on the amount worked out on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

ii Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred Tax Assets and Liabilities are measured using tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date.

17.14 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

A As per AS 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets issued by ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources is expected to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of obligation can be made.

B Contingent Liabilities are disclosed in a case when there is a present or possible obligation and it is not probable that an outflow of resources will be required to settle it.

C Contingent Assets are neither recognised nor disclosed.

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

SCHEDULE – 18

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

18.1 Reconciliation of entries under Inter Branch/ Inter Bank transactions, Nominal Account and old entries is an ongoing process. Balances with Reserve Bank/ Other Banks have been reconciled except certain entries which are under process of reconciliation. Consequential impact of pending reconciling items as stated above is not ascertainable. However provision there against has been made as per RBI guidelines.

18.2 Provision on standard assets has been given effect in the accounts according to revised RBI guidelines as under:

i. 0.25% of the outstanding in Farm Credit to Agriculture activities and small and Micro Enterprises (SME) Sectors.

ii. 1.00% of the outstanding in Commercial Real Estate [CRE] sector and also in cases where commencement date of operations is extended.

iii. 0.75% on advances to Commercial Real Estate-Residential Housing (CRE-RH) Sector.

iv. 2.00% of the outstanding in Housing Loans @ teaser rates.

v. 0.40% of the outstanding in all other advances [i.e. except 18.2 [i],[ii] [iii] and [iv] above]

vi. 5% for the period covering the period of moratorium allowed as per the restructuring package and 2 years thereafter, in restructured standard accounts.

vii. Higher provision has been made @ 10% and 15% on certain Standard Assets in compliance with the RBI directive.

viii. 5% for MSME borrowers availing benefit of GST

ix. Additional Provision against FCI exposure on Govt. of Punjab and Telangana as per RBI Directives

18.3 Classification of advances and provisioning there-against in case of 1022 unaudited branches have been incorporated as certified by the Branch Managers.

18.4 During the year, Bank has incurred loss of ₹ 1923.15 cr (Previous year ₹ 863.62 cr) which has been carried forward to Profit & Loss Account under Schedule-2 “Reserve & Surplus”. In view of this, Bank has not appropriated any amount to any of the Reserves including Capital Reserves.

18.5 Disclosures in terms of RBI guidelines are as under:

a. **Capital:**

During the financial year 2017-18,

1) Bank has issued 112,81,95,628 equity shares having face value of ₹ 10/- each to Government of India (GOI) at a price of ₹ 26.99 per share (including premium of ₹ 16.99 per share), on preferential basis in accordance with Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating to ₹ 3,045 cr.

2) Bank has issued 13,74,18,819 equity shares having face value of ₹ 10 each at a price of ₹ 29.20 per share (including premium of ₹ 19.20 per share), under Qualified Institutions Placement (QIP) in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 aggregating to ₹ 401.26 cr.

3) Bank had received Share Application Money pending allotment of equity shares, aggregating to ₹ 792.33 cr. in financial year 2016-17 against which the Bank has allotted 15,62,09,320 equity shares to Govt. of India, 4,48,65,702 equity shares to LIC of India and 52,06,977 equity shares to GIC of India, having face value of ₹ 10/- each at a price of ₹ 38.41 per share (including premium of ₹ 28.41 per share), on preferential basis in accordance with Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, during the financial year 2017-18 after receipt of approval from GOI, vide their letter F.No.7/38/2014-BOA dated 4th August 2017.

4) Bank has repaid borrowings towards Unsecured, Subordinated, Non-convertible Basel III compliant Additional Tier I bonds, aggregating to ₹ 1,400 cr. after exercising Regulatory Call Option.

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2018		As on 31.03.2017	
		Basel III	Basel II	Basel III	Basel II
i	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	8.81	-	7.24	-
ii	Tier 1 Capital Adequacy ratio (%)	8.81	7.39	9.05	7.97
iii	Tier 2 Capital Adequacy ratio (%)	2.28	4.31	2.34	4.10
iv	Total Capital Adequacy ratio (CRAR) (%)	11.09	11.70	11.39	12.07
v	Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	80.74%	80.74%	68.55%	68.55%
vi	Amount of equity capital raised (₹ in cr) including premium	3,446.26	3,446.26	1,199.33	1,199.33
vii	Amount of Additional Tier 1 capital raised of which				
	PNCPS:	NIL	NIL	NIL	NIL
	PDI:	NIL	NIL	NIL	NIL
viii	Amount of Tier 2 capital raised; of which Debt capital instrument (₹ in cr)	NIL	NIL	400	400
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	NIL	NIL	NIL	NIL

Bank has considered the Revaluation Reserve and Deferred Tax Asset for CET1 Capital as prescribed by RBI vide its circular No. DBR. BP.BC.83/21.06.201/2015-16.

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

b. **Investments:**

	Particulars		(₹ in cr)
1	**Value of Investments**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
	(i) Gross Value of Investments		
	(a) In India	38,039.56	40,189.77
	(b) Outside India	0.00	0.00
	(ii) Provisions for Depreciation		
	(a) In India	430.01	452.54
	(b) Outside India	0.00	0.00
	(iii) Net Value of Investments		
	(a) In India	37,609.55	39,737.23
	(b) Outside India	0.00	0.00

2.	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i) Opening balance	452.54	118.33
	(ii) Add: Provisions made during the year	218.54	334.21
	(iii) Less: Write-off during the year	0.00	0.00
	(iv) Less : Depreciation adjusted by reducing Book Value of Investment under AFS/HFT category shifted to HTM	226.32	0.00
	(v) Less : Write-back of excess provisions during the year	14.75	0.00
	(vi) Closing balance	430.01	452.54

i. **The category wise position of holding of "Investment Portfolio" is as under:**

(₹ in cr)

Categories	**31.03.2018**	**31.03.2017**
Gross Value of Investment		
A. Held to Maturity	25,459.05	25,872.85
B. Available for Sale	12,579.19	13,911.25
C. Held for Trading	1.32	405.67
Total	**38,039.56**	**40,189.77**
Less : Depreciation	430.01	452.54
Net Value of Investments	**37,609.55**	**39,737.23**

ii. **REPO Transactions (in face value terms):**

(₹ in cr)

Particulars	**Minimum outstanding during the year**	**Maximum outstanding during the year**	**Daily average outstanding during the year**	**Balance as on 31.03.18**
Securities sold under repo				
i. Govt Securities	100.00	800.00	58.56	800.00
ii. Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo				
i. Govt Securities	62.00	2,700.00	718.11	800.00
ii. Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

iii. **Non SLR Investment Portfolio:**

a. Issuer Composition of Non SLR Investment (As on 31.03.2018):

(₹ in cr)

Sl. No.	Issuer (1)	Amount (2)	Extent of private placement (3)	Extent of 'below investment grade' securities (4)	Extent of 'un-rated' securities (5)	Extent of 'un-listed' securities (6)
1	PSUs	2,303.25	1,995.20		0.00	0.00
2	FIs	1,031.77	996.78		0.00	1.20
3	Banks	97.17	67.50		0.00	0.00
4	Private Corporates	1,384.82	1,281.87		0.02	0.02
5	Subsidiaries/ Joint Ventures	19.33	19.33		18.28	18.28
6	Others	3,485.40	3,485.40		0.00	0.00
7	Sub Total	8,321.74	7,846.08		18.30	19.50
8	Less: Provision held towards depreciation	391.52				
	Total	**7,930.22**	**7,846.08**		**18.30**	**19.50**

b. Non-performing Non-SLR Investments:

(₹ in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
Opening balance	160.29	115.92
Additions during the year	2.51	45.77
Reductions during the year	1.28	1.40
Closing Balance	161.52	160.29
Total provisions held	151.77	141.42

Sale and Transfers to/ from HTM Category

i. The value of sales and transfer of securities to/from HTM category did exceed 5% of the Book Value of investments held in HTM category at the beginning of the year. Bank had sold securities having book value of ₹ 2,118.74 cr (8.19%) from HTM. Bank's HTM portfolio as of 1st April 2017 was ₹ 25,872.85 cr. Book value & Market value of HTM portfolio as on 31-03-2018 is ₹ 25,459.05 cr & ₹ 25,233.66 cr respectively. Book value is in excess by ₹ 225.39 cr from market value for which provision is not made, being the HTM portfolio.

ii. The Bank has amortized premium of ₹ 73.13 cr during the year (Previous year ₹ 62.15 cr) for securities classified under "Held to Maturity" category in terms of Accounting Policy as stated at para 17.3, and the said amount has been charged to Profit and Loss Account by reducing value of the respective securities to that extent.

iii. In accordance with the guidelines issued by RBI, the Bank has shifted securities from one category to another during the year. The consequential depreciation on account of shifting securities from "Available for Sale" and "Held for Trading" category to "Held to Maturity" category has been charged to Profit & Loss Account by reducing book value of these securities, amounted to ₹ 376.87 cr (previous year ₹ 10.21cr) out of the total sum of ₹ 376.87 cr an amount of ₹ 226.32 cr which was already provided as depreciation as on March 2017 has been adjusted from the account of provision and the balance of ₹ 150.55 cr has been adjusted as loss from profit and loss account.

iv The Bank has an investment of ₹19.33 cr (Previous year ₹ 19.33 cr) in one Regional Rural Bank (RRB) sponsored by the Bank. This includes Investment of ₹ 18.28 cr (Previous Year ₹ 18.28 cr) by way of Share Capital deposits, towards recapitalization of the RRBs. Investment has been valued at cost in accordance with the RBI guidelines.

v. In terms of RBI circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated 2nd April, 2018, Out of the Total Net Mark to Market Losses of ₹ 110.36 cr on AFS and HFT Investments, Bank has recognized ₹ 38.49 cr depreciation in the FY 2017-18 and Balance amount of ₹ 71.87 cr has been deferred to be recognized equally in subsequent three quarters

18.6 Derivatives:

a. Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

S No	Particulars	2017-18	2016-17
I	The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
II	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
III	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
IV	Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
V	The fair value of the swap book	NIL	NIL

b. Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

S No	Particulars	2017-18	2016-17
I	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
II	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March. (instrument wise)	NIL	NIL
III	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective".(instrument wise)	NIL	NIL
IV	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective".(instrument wise)	NIL	NIL

c. **Disclosures on risk exposure in derivatives:**

i. **Qualitative Disclosure**

The Treasury Policy & Derivative Policy of the Bank lays down the type of financial derivates instruments, scope of usages, approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits and counter party exposure limits besides delegated power for trading in the approved instruments.

Bank is exposed to credit risk, market risk, country risk and operational risk. Bank has risk management policies approved by the Board of Directors which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis. The Risk Management Department measures the financial risk for transactions through measurement tools such as MTM, VaR, Convexity and Modified Durations, and Sensitivity Analysis on a daily basis and Stress Testing, VaR Back Testing on a monthly basis. The reports are submitted to the Top Management which appraises the risk profile to the ALCO. The guidelines issued by RBI, FEDAI & FIMMDA from time to time are followed.

ii. Quantitative Disclosure

(₹ in cr)

Sr. No	Particulars	2017-18		2016-17	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount) a) For hedging b) For trading	25,946.69 19,234.97 6,711.68	NIL NIL NIL	29,756.08 19,714.74 10,041.34	NIL NIL NIL
(ii)	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)	(-)3.67	NIL	(-)708.73	NIL
	b) Liability (-)	6.80	NIL	737.21	NIL
(iii)	Credit Exposure	147.68	NIL	183.15	NIL
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	82.79	NIL	90.59	NIL
	a) on hedging derivatives	69.34	NIL	60.01	NIL
	b) on trading derivatives	13.44	NIL	30.58	NIL
(v)	Maximum of 100*PV01 observed during the year	117.71	NIL	114.00	NIL
	a) on hedging-	99.15		68.42	
	b) on trading	18.56		45.58	
	Minimum of 100*PV01 observed during the year	82.79	NIL	80.00	NIL
	a) on hedging	69.34	NIL	54.73	NIL
	b) on trading	13.44	NIL	25.27	NIL

1. Bank does not have the derivative transaction except Forward Contracts like Merchant Forward Contracts and Inter Bank Contracts done for Arbitrage, Funding and Merchant Transactions covering and Proprietary Trading activities.
2. Bank is calculating PV01 of outstanding Forward Exchange Contract on quarterly basis collectively on hedging and trading positions.

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

18.7 Asset Quality:

a. **Non Performing Assets**:

(₹ in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
i. Net NPA to Net Advances (%)	11.95	10.66
ii. Movement of NPAs (Gross)		
Opening Balance	12,618.73	8,560.49
Additions during the year	6,008.47	6,767.37
Reductions during the year	2,265.76	2,709.13
Closing Balance	16,361.44	12,618.73
iii. Movement of Net NPAs		
Opening Balance	7,735.12	5,230.47
Additions during the year	3,819.56	4,574.40
Reductions during the year	3,715.90	2,069.75
Closing Balance	7,838.78	7,735.12
iv. Movement of Provision for NPAs (Excluding provision on Standard Assets)		
Opening Balance	4,877.67	3,322.32
Add: Provisions made during the year	4,281.80	2,457.75
Less: Write off / write back of excess provisions during the year	679.39	902.40
Closing balance	8,480.08	4,877.67

b. **Details of Financial assets sold to Securitisation /Reconstruction Company for Asset Reconstruction:**

(₹ in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
i. No. of accounts	7	22
ii. Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	98.70	247.99
iii. Aggregate consideration	286.49	324.49
iv. Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
v. Aggregate gain over Net Book Value (NBV)	187.79	76.50

c. **Details of non-performing financial assets purchased/sold**

i Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
Aggregate outstanding	NIL	NIL
Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
Aggregate outstanding	NIL	NIL

ii Details of non-performing financial assets sold:

(₹ in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
No. of accounts sold	NIL	NIL
Aggregate outstanding	NIL	NIL
Aggregate consideration received	NIL	NIL

d. **Provision Coverage Ratio (PCR)**

Particulars	2017-18	2016-17
Provision Coverage Ratio	60.20%	50.56%

As on Balance Sheet Date Provision Coverage Ratio is 60.20% calculated as per RBI circular no. RBI2009-10/240 DBOD.No.BP.BC.64/21.4.048/2009-10 dated 01.12.2009. In terms of RBI circular no. DBOD.No.BP.BC. 87/21.04.048 /2010-11 April 21, 2011 on PCR, shortfall of ₹ 1,930.66 cr in Countercyclical Provisioning Buffer (Previous Year ₹ 3,041.43 cr), is to be built up by the Bank at the earliest.

e. **Additional Disclosure requirements relating to sale of non-performing assets (NPAs) to Securitisation Companies(SCs)/ Reconstruction Companies (RCs)**

As per RBI circular no. RBI/2014-15/508 DBR.No.BP.BC.78/21.04.048/2014-15 dated March 20, 2015, the details of sale of NPAs to SCs and RCs are as below:

(₹ in cr)

Particulars	Book Value of Investments in security receipts	
	2017-18	**2016-17**
Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	638.86	611.06
Backed by NPAs sold by other Banks/ financial institutions/non banking financial companies as underlying	NIL	NIL
Total	**638.86**	**611.06**

f. As per RBI circular no. RBI/2014-15/508 DBR.No.BP.BC.78/21.04.048/2014-15 dated March 11,2015, during the FY 2016-17, Bank has reversed an excess provision amounting to ₹ NIL (PY ₹ NIL) on account of sale of NPAs.

g. **Movement of Frauds**

(₹ in cr)

	2017-18		**2016-17**	
	Number	**Amount**	**Number**	**Amount**
Opening Balance	576	1,675.09	533	1,207.00
Add: Reported During the year	28	147.08	43	468.09
Less: Closed during the year	0	0.00	0	0.00
Closing Balance	604	1,822.17	576	1,675.09

h. Food Credit Exposure: Bank's exposure in food credit to Food Corporation of India (FCI) was aggregating to ₹ 568.97 Crs (PY ₹ 917.37 cr). Out of this, exposure to Government of Punjab (GoP) was ₹ 327.85 cr (PY ₹339.78 cr). There was a gap between outstanding Food Credit to GoP and Value of Stock and receivables for which neither GoP nor FCI was accepting liability. RBI vide their letter dated 12.04.2016 informed the Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance to make provision @ 15% by March 2017. Thereafter RBI vide their letter No DBR(BP) No 3992/21.04.048/2016-17 dated 03.10.2016 informed the Chairman that account will be eligible for up gradation and write back of provisions post January 2018, subject to satisfactory performance during this specified period. However, upon up gradation, as a matter of prudence, specific provision of 5% should be maintained by banks during the life of this restructured loan. Accordingly, Bank has made provision of ₹ 16.39 cr (PY ₹ 50.97 cr) @ 5% on its share of outstanding balance.

Further, as per Minutes of Consortium Meeting dated 27.03.2018, Lead Bank SBI informed that in case of Food Credit Exposure to Govt. of Telangana, due to absence of adequate value of stocks, GoT Food Credit account was considered as out of order by RBI and as such RBI has advised to maintain a prudential provision of 15% on the outstanding amount. Accordingly, Bank has made provision of ₹ 5.65 cr (PY Rs. NIL) @ 15% on its share of outstanding balance.

i. RBI vide its circular no DBR.NO.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12th February 2018, has issued revised framework on Resolution of Stressed Assets. In pursuance to the revised framework the bank has classified specific 12 accounts for ₹ 827.77 Crores as non performing and accordingly made provision towards such stressed accounts for ₹ 286.33 Crores. Impact in RBI Circular dated 12.02.2018 on resolution of Stressed Assets as on 31.03.2018 is as under:

(₹ in cr)

	No of A/c	Amount	Additional Provision due to revised guidelines
Accounts slipped to NPA due to revised guidelines.	12	827.77	212.23
Accounts remained Standard which were already implemented as on 12.02.2018.	3066	3,307.44	Nil

j. As per the RBI directions vide letter No. DBR.No.BP.BC.100/21.04.048/2017-18 dated February 07, 2018 for Relief for MSME borrowers registered under Goods and Services Tax (GST), 50 MSME borrower accounts (Loan outstanding amount of ₹ 51.14 Crs as on 31.03.2018) are eligible to be covered under provisions of relief, the Bank was required to make a provision of 5% i.e. ₹ 2.55 Crs. Accordingly provision of ₹ 2.55 Crs has been made during the quarter ending March 2018.

18.8 Provision for Standard Assets:

(₹ in cr)

Particulars	**2017-18**	**2016-17**
Provision for Standard Assets made during the year	(158.64)	51.11
Balance of Provision for Standard Assets as on the Balance Sheet Date	475.29	633.93

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

18.9 Business Ratios:

Particulars	**2017-18**	**2016-17**
i. Interest Income as a percentage to Working funds	7.38%	7.87%
ii. Non-Interest Income as a percentage to Working funds	0.96%	0.97%
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds	0.97%	1.07%
iv. Return on Assets	-1.59%	-0.67%
v. Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in cr)	13.25	13.69
vi. Profit per employee (₹ in lacs)	-14.13	-6.18

18.10 Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in cr)

Particulars	Day 1	2 to 7days	8 to 14 days	15 to 30 Days	31 Days to 2 Months	More than 2 Months and up to 3 Months	Over 3 Months and up to 6months	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 Year & up to 3 Years	Over 3 Years & up to 5 Years	Over 5 Years	Total
Deposits	174.13	1,662.97	1,478.06	2,398.51	3,394.91	6,433.19	11,375.74	20,917.44	25,246.03	14,010.19	19,038.96	10,6130.14
Borrowings	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	106.00	0.00	200.00	300.00	0.00	2,155.00	3561.00
Advances	198.84	1,310.16	1,435.90	727.23	1,951.87	1,369.51	4,102.88	3,295.83	24,134.49	6,442.51	20,612.29	6,5581.51
Investments	0.00	200.47	126.54	82.28	81.98	83.78	109.11	2,032.78	2,415.11	5,126.99	27,350.51	37,609.55
Foreign Currency Assets	62.72	74.44	31.29	75.01	184.48	516.26	280.47	8.68	0.00	0.00	0.00	1,233.34
Foreign Currency Liabilities	79.88	5.53	5.77	9.34	32.58	24.04	116.77	340.00	336.92	35.26	0.00	986.08

18.11 Exposures:

a. Exposure to Real Estate Sector:

(₹ in cr)

Category	**2017-18**	**2016-17**
a. Direct Exposure i. Residential Mortgages - Individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector - Others	 4,081.63 4,056.40	 3,297.87 3,752.21
Total	**8,138.03**	**7,050.08**
ii. Commercial Real Estate Lending secured by mortgages on commercial real estate (office building, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential building, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits	 719.19	 1,228.33
iii Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures a. Residential b. Commercial real estate	 0.00 0.00	 0.00 0.00
b. Indirect Exposure on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) - Fund Based - Non-Fund Based	 3,963.02 0.00	 2,508.73 0.00
Total Exposure to Real Estate Sector	**12,820.24**	**10,787.14**

b. Exposure to Capital Market:

(₹ in cr)

Sr. No.	Particulars	2017-18	2016-17
1	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	50.04	63.35
2	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPS), convertible bonds and convertible debentures, units of equity oriented mutual funds	0.09	0.05
3	Advances for any other purposes where convertible shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.18	0.07
4	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares /convertible bonds / convertible debentures /units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	0.00
5	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	0.00	40.00
6	Loans sanctioned to corporate against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
7	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
8	Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or units of equity oriented mutual funds	0.00	0.00
9	Financing to stockbrokers for margin trading	0.00	0.00
10	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	39.80	44.34
	Total Exposure to Capital Market	**90.11**	**147.81**

18.12 Risk Category wise Country Exposure:

a. In respect of Foreign Exchange transactions, where the Bank's net funded exposure computed as per the guidelines of the RBI with each country exceeded 1% of the total assets of the Bank, the Bank is required to make the provision. Since, Bank's net funded exposure in any country does not exceed 1% of total assets, no provision (Previous year NIL) is made.

(₹ in cr)

Risk Category*	Exposure (net) as on 31/03/2018	Provision held as on 31/03/2018	Exposure (net) as on 31/03/2017	Provision held as on 31/03/2017
Insignificant	258.12	0.00	311.96	0.00
Low Risk	162.12	0.00	195.77	0.00
Moderate Risk	8.36	0.00	12.37	0.00
High Risk	16.16	0.00	0.00	0.00
Very High Risk	0.00	0.00	0.25	0.00
Restricted	0.00	0.00	0.00	0.00
Off Credit	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**444.76**	**0.00**	**520.34**	**0.00**

b. Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2017-18, the Bank has not exceeded prudential credit exposure limit in respect of group/single borrower.

18.13 Unsecured Advances

(₹ in cr)

No.	Particulars	2017-18	2016-17
1.	Total Unsecured Advances as of 31.03.18	5,282.70	6,731.27
2 a	Out of which secured by intangible securities	0.00	0.00
2 b	Estimated Value of Such Collateral Securities (such as charge over the rights, licenses, authorization etc)	0.00	0.00
3	Other Unsecured Loans (1 – 2a)	**5,282.70**	**6,731.27**

18.14 Disclosure of penalties imposed by RBI

During the year RBI has imposed NIL penalty (P.Y. NIL).

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

18.15 DISCLOSURES AS PER ACCOUNTING STANDARDS (AS):

a. **Accounting Standard - 5 – "Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies"**

There were no material prior period income/expenditure items requiring disclosure under AS-5

b. **Accounting Standard - 9 – "Revenue Recognition"**

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy as stated at point no. 17.9.

c. **Accounting Standard - 10 – "Accounting for Fixed Assets"**

Premises does not include non-banking Assets acquired in satisfaction of claims of ₹ 9.86 cr (Previous Year ₹ 9.86 cr). Fixed Assets are depreciated under Straight Line Method on the basis of useful life prescribed under schedule-II of the Companies Act 2013 for the respective assets.

d. **Accounting Standard - 11 – "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates"**

Net income on account of exchange differences credited in the Profit and Loss account for the year 2017-18 is ₹ 45.43 cr (previous year ₹ 33.04 cr)

e. **Accounting Standard - 15 – "Employee Benefits"**

The following information is disclosed in terms of Accounting Standard issued by the ICAI.

No.	Particulars	2018	2017	2016	2015	2014
A	**PENSION PLAN**					
(i)	**Principal Actuarial Assumptions used**					
	Discount Rate	7.69%	7.50%	8.00%	8.00%	8.75%
	Rate of Return on Plan assets	7.45%	8.06%	9.00%	9.00%	9.00%
	Salary escalation	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
(ii)	**Change in Benefit Obligation:**					
	Liability at the beginning of the year	2,896.12	2,481.75	2158.66	1,917.94	1,761.94
	Interest Cost	211.14	175.55	161.01	144.85	149.98
	Current Service Cost	165.62	341.29	228.43	210.93	202.02
	Benefit paid	[300.88]	[282.22]	[292.09]	[214.78]	[190.88]
	Actuarial (gain)/loss on obligation	381.32	179.75	225.74	99.72	[5.12]
	Liability at the end of the year	3,353.32	2,896.12	2481.75	2158.66	1,917.94
(iii)	**Fair value of Plan Assets:**					
	Fair value at the beginning of the year	2,953.13	2,654.04	2,230.81	1,767.44	1,606.82
	Expected return	220.01	213.92	200.77	159.06	144.61
	Contributions	481.40	365.92	506.80	450.37	183.54
	Benefit Paid	[300.88]	[282.22]	[292.09]	[214.77]	[190.87]
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	8.60	1.47	7.75	68.71	23.34
	Fair Value at the end of the year	3,362.26	2,953.13	2654.04	2,230.81	1,767.44
(iv)	**Amount recognized in the Balance Sheet:**					
	Liability at the end of the year	3,353.32	2,896.12	2,481.75	2,158.66	1,917.94
	Fair value of Plan Assets at the end of the year	3,362.26	2,953.13	2,654.04	2,230.81	1,767.44
	Unrecognized Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80
	Amount Recognized in the Balance Sheet	8.94	57.01	172.29	72.15	[79.70]
B	**GRATUITY PLAN**					
(i)	**Principal Actuarial Assumptions used**					
	Discount Rate	7.75%	7.50%	8.00%	8.00%	8.75%
	Rate of Return on Plan assets	8.18%	8.78%	9.00%	9.00%	9.00%
	Salary escalation	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
(ii)	**Change in Benefit Obligation:**					
	Liability at the beginning of the year	332.45	311.88	280.30	277.76	311.12
	Interest Cost	23.86	21.63	16.77	20.39	25.85
	Current Service Cost	9.14	23.09	17.09	15.35	17.06
	Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Benefit paid	[49.19	[46.84]	[57.42]	[45.76]	[47.68]
	Actuarial (gain)/loss on obligation	[0.40]	22.69	55.14	12.56	[28.59]
	Liability at the end of the year	315.86	332.45	311.88	280.30	277.76
(iii)	**Fair value of Plan Assets:**					
	Fair value at the beginning of the year	332.84	277.61	302.97	309.82	276.03
	Expected return	27.23	24.37	22.72	27.88	24.84
	Contributions	33.66	75.84	16.23	0.00	57.10
	Benefit Paid	[49.19]	[46.84]	[57.42]	[45.77]	[47.68]
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	[4.38]	1.86	[6.89]	11.04	[0.47]
	Fair Value at the end of the year	340.16	332.84	277.61	302.97	309.82

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

No.	Particulars	2018	2017	2016	2015	2014
(iv)	**Amount recognized in the Balance Sheet:**					
	Liability at the end of the year	315.86	332.45	311.88	280.30	277.76
	Fair value of Plan Assets at the end of the year	340.16	332.84	277.61	302.97	309.82
	Unrecognized Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Unrecognized Transition Liability	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amount Recognized in the Balance Sheet	96.90	0.39	[34.27]	22.67	48.06

Amounts Recognized in Profit & Loss Account in respect of Gratuity and Pension plan for Current Year

(₹ in cr)

Sr no.	Particulars	Gratuity	Pension
(i)	**Actual return on Plan Assets**		
	Expected return on Plan Assets	27.23	220.01
	Actual gain/(loss) on Plan Assets	(4.38)	8.60
	Actual return on Plan Assets	22.85	228.61
(ii)	**Expenses recognized in the Income Statement:**		
	Current Service Cost	9.14	165.62
	Interest Cost	23.86	211.14
	Expected Return on Plan assets	(27.23)	(220.01)
	Actuarial (Gain) or Loss	3.98	372.72
	Transitional Liability Recognized	24.20	0.00
	Expenses Recognized in P&L	33.95	529.47

Details of Provisions made for various long term employee benefits are as follows:

(₹ In cr)

Sr. No.	Particulars	2017-18	2016-17
1	Pension	529.30	481.20
2	Leave encashment	(9.51)	7.46
3	Gratuity	33.95	41.18
4	Silver Jubilee	(0.01)	0.04
5	Resettlement	(0.19)	0.13
6	Leave Travel Concession	0.28	0.66
	TOTAL	**553.82**	**530.67**

i. Provision has been made for Employees Benefits viz; Pension, Gratuity, Leave Encashment and other Employees benefits in accordance with AS-15 on the basis of actuarial valuation.

ii. In terms of RBI Letter No. DBR.No.BP.9730 21.04.018//2017-18 dated 27th April, 2018, Out of the Total additional liability of ₹ 96.80 cr on account of enhancement in the gratuity limit as per the recent amendment in payment of gratuity Act (As per the Govt. of India notification dated 29.03.2018), Bank has recognized ₹ 24.20 cr in the FY 2017-18 and Balance amount of ₹ 72.60 cr has been deferred to be recognised equally in subsequent three quarters

f. Accounting Standard – 17 - "Segment Reporting"

As per the Reserve Bank of India revised guidelines on Accounting Standard -17, the Bank's Operations are classified into Primary Segment, i.e., the business segment comprising of "Treasury", "Corporate/ Wholesale Banking", "Retail Banking" and "Other Banking Operations", as follows:

PART A : Business Segments **(₹ In cr)**

Business Segment / Particulars	Treasury		Corporate/ wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Revenue	3,211.00	3,791.92	3,569.14	4,812.40	2,649.22	2,339.90	666.39	488.85	10,095.75	11,433.07
Result	602.56	625.73	(2,785.90)	(1,094.84)	(293.62)	(150.61)	404.55	369.52	(2,072.41)	(250.20)
Unallocated Expenses									1,106.34	1,025.15
Operating Profit									(3,178.75)	(1,275.36)
Income Taxes									(1,255.60)	(411.73)

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

Extraordinary Profit/Loss										
Net Profit									(1,923.15)	(863.63)
Other Information										
Segment Assets	43,794.66	46289.51	39877.13	44,612.88	26909.94	29199.74	5734.21	6120.82	116,315.94	126,222.95
Unallocated Assets									4543.86	3,307.57
Total Assets									**120,859.80**	**129,530.52**
Segment Liabilities	47654.43	50361.23	39394.47	43388.41	24307.52	27103.37	85.04	827.65	111,441.46	121,680.66
Capital Employed									9,202.80	7,685.15
Unallocated Liabilities									215.54	164.71
Total Liabilities									**120,859.80**	**129,530.52**

PART B : Geographical Segments **(Rs. In Cr)**

	Domestic		International		Total	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
Revenue	10,095.75	11,433.07	Nil	Nil	10,095.75	11,433.07
Assets	120,859.80	129,530.52	Nil	Nil	120,859.80	129,530.52

Notes:

1) Segment Results are after adjustment on account of Inter Segment Cost, which has been considered on the basis of Transfer Price mechanism decided by the Bank.
2) Assumed Inter Segment Assets, Liabilities and Revenue have been ignored.
3) Treasury Operations consist of entire treasury investment portfolio of the Bank.
4) Unallocated liabilities include Capital and Reserves.

g. Accounting Standard- 18 – "Related Party Transactions"

Items/ Related Party	Parent (as per ownershipor control)	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures #	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	Total
Borrowings	-	-	-	-	-	-
Deposit	-	-	644.50 (796.77)	-	-	644.50 (796.77)
Placement of deposits	-	-	-	-	-	-
Advances *	-	-	594.35 (342.72)	-	-	594.35 (342.72)
Investments	-	-	2.00 (2.00)			2.00 (2.00)
Non-funded commitments	-	-	-	-	-	-
Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-
Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-
Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-
Interest paid by DGGB	-	-	10.91 (6.91)	-	-	10.91 (6.91)
Interest received by DGGB (IBPC)	-	-	3.86 (7.14)	-	-	3.86 (7.14)
Interest Received by DGGB	-	-	44.93 (72.28)	-	-	44.93 (72.28)
Interest Received by DGGB on Tier II Bonds			0.18 (0.18)			0.18 (0.18)
Rendering of services*	-	-	-	-	-	-
Receiving of services*	-	-	-	-	-	-
Management contracts*	-	-	-	-	-	-

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(Figures in the Bracket are of previous financial year 2016-17)

* Out of ₹ 594.35 cr (Previous Year ₹ 342.72 cr), Dena Bank participation amount in IBPC is ₹ NIL (Previous Year ₹ 120.00 cr) issued by DGGB on risk sharing basis representing various loans to Priority Sector.

DGGB has participated in IBPC ₹ NIL (Previous Year ₹ 120.00 cr) issued by Dena Bank on risk sharing basis representing various loans to Non-Priority Sector.

Key Management Personnel

Name	Designation	Nature	Period	Amount (₹ in lacs)	Loan Amount (₹ in lacs)
Shri Ashwani Kumar	Chairman & Managing Director	Salary Emoluments & Incentives	01.04.2017 to 31.12.2017	21.23	NIL
Smt Trishna Guha	Executive Director	Salary Emoluments & Incentives	01.04.2017 to 31.08.2017	10.05	NIL
Shri Ramesh S Singh	Executive Director	Salary Emoluments & Incentives	01.04.2017 to 31.03.2018	23.31	19.77
Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi	Executive Director	Salary Emoluments & Incentives	09.10.2017 to 31.03.2018	11.05	NIL

h. Accounting Standard 20 – "Earnings per Share"

Earnings Per Share	31.3.2018		31.3.2017	
	Basic	Diluted	Basic	Diluted
EPS (₹)	[18.06]	[18.06]	[11.89]	[11.88]
Net Profit as per Profit & Loss Account Considered as numerator (₹ in cr)	[1,923.15]	[1,923.15]	[863.63]	[863.63]
Weighted average number of Equity share considered as denominator	1,064,904,587	1,064,904,587	726,218,673	726,783,829
Nominal value of share (₹)	10/-	10/-	10/-	10/-

I. Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements (CFS)"

The Bank is not having any subsidiaries, within the meaning of this Standard; therefore, this Accounting Standard does not apply.

j. Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income"

The Bank has complied with requirements of "AS-22 issued by ICAI and accordingly, deferred tax assets and liabilities are recognized.

The net balance of Deferred Tax Asset as on 31st March 2018 amounting to ₹ 2,975.52 cr (Previous Year ₹ 1,719.92 cr) consists of the following:

(₹ in cr)

	2017-18	2016-17
Deferred Tax Assets		
Provision for NPAs / Bad Debts	2,996.72	1,743.67
Leave Encashment	47.46	50.75
Expenditure disallowable under section 40(a)(ia)	0.00	0.09
Provision for FITL	42.81	57.15
Provision for NPV on restructured accounts	46.51	27.55
Total Deferred Tax Assets	3,133.50	1,879.21
Less: Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets including software	34.68	36.25
Amount of special reserve created for infrastructure u/s 36(1)(viii)	123.04	123.04
Expenditure disallowable under section 40(a)(ia)	0.26	
Total Deferred Tax Liabilities	157.98	159.29
Net balance of DTA shown in the Schedule 11 (Other Assets)	2,975.52	1,719.92

Based on the thorough review and on the expert advice of Bank's Tax Consultant, the Bank has estimated future taxable income against which timing difference arising on account of provisions for Bad & Doubtful Debts (NPA) can be realized and accordingly during the year 2017-18, the Bank has recognized deferred tax assets of ₹ 1,255.60 crores (cumulatively ₹ 2,975.52 crores assets as on 31/03/2018) in respect of the above on such timing difference based on reasonable certainty of availability of future taxable income against which such deferred tax assets can be realized.

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

k. Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

Consolidated Financial Statements have not been prepared due the reason stated in Note 18 (j) above. The Bank has made an investment in equity of Dena Gujarat Gramin Rural Bank of ₹ 19.33 cr (Previous year ₹ 19.33 cr) as at 31.03.2018. The same has been accounted for at Cost.

l. Accounting Standard - 24 – "Discontinuing Operations"

No operations have been discontinued in the Bank during the year.

m. Accounting Standard - 25 – "Interim Financial Reporting"

Bank has complied with this Accounting Standard

n. Accounting Standard - 28 – "Impairment of Assets"

In the opinion of the Management, there is no impairment to its assets.

o. Accounting Standard - 29 – "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"

i Movement of Provisions for Contingent Liabilities

(₹ In cr)

Particulars	Legal Cases / Contingencies
Total provision as on 31.03.2017	7.79
Provision during the year	3.38
Amounts used during the year	0.04
Reversed during the year	0.37
Balance as at 31st March 2018	10.76
Timing of Outflow / Uncertainties	Not ascertainable
Reimbursement Expected	Not ascertainable

ii. Item No's (I) to (V) of the Schedule - 12 of the Balance Sheet on contingent liabilities, reflect the various types of contingent liabilities categorized according to their nature. These amounts are estimated on the basis of documents related to the basic contracts or claims made. Outflow on account of these contingent liabilities would depend upon the outcome of disposal of litigations by the respective judicial authorities, execution of contracts, invocation of guarantees, devolvement of LCs, settlement of claims etc.

18.16 Details of Provisions and Contingencies debited to the Profit and Loss Account during the year:

(₹ in cr)

Sr. No	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	Provision for Non Performing Assets	4,281.80	2,457.75
(ii)	Provision for Income Tax/Wealth Tax	0.00	64.93
(iii)	Deferred Tax Liability /(Assets)(Net)	[1,255.60]	[476.66]
(iv)	Provision for Standard Assets	[158.64]	51.11
(v)	Provision for Sacrifice in NPV on restructured accounts	54.80	[76.70]
(vi)	Provision For FITL	[41.44]	[96.02]
(vii)	Provision for Depreciation on Investments	203.79	334.22
(viii)	Contingent liabilities	3.38	0.06
(ix)	Provision for unhedged foreign currency	4.37	[10.33]
(x)	Others	1.85	5.49
	Total	3,094.31	2,253.84

18.17 Amount of Provisions made for Income Tax /MAT during the year:

a. The Bank has recognized Income Tax liability of ₹ NIL cr [previous year ₹ 116.31 cr] on Book Profits in terms with Section 115JB of the Income Tax Act out of which MAT credit of ₹ NIL cr [previous year ₹ 51.38 cr] as MAT Credit entitlement u/s 115JAA of the Income Tax Act, 1961 has been recognized. The MAT credit entitlement is treated as an asset.

b. Amount of provision made for Income-tax during the year;

(₹ in cr)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Provision for Income-tax/Wealth Tax for the year	0.00	64.93
Add/Less: Provided for/(Written back) for earlier years	0.00	0.00
Net Amount	0.00	64.93

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

18.18 Premises include 1/3rd share in a property [SPBT College Mumbai] jointly owned by the Bank with Central Bank of India, as under:

(₹ in cr)

Bank's share	31.03.2018	31.03.2017
Cost	2.36	2.36
Accumulated Depreciation	1.18	1.14
Written Down Value	1.18	1.22

The property belonging to the Bank was revalued during the year 2016 and written down value of the revalued property as on 31.03.2018 is ₹ 76.01 cr (Previous Year ₹ 76.40 cr)

18.19 Floating Provision

(₹ in cr)

Particulars		31.03.2018	31.03.2017
(a)	Opening Balance in floating provisions account	NIL	NIL
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	NIL	NIL
(c)	Amount of draw down made during the accounting year	NIL	NIL
(d)	Closing balance in the floating provisions account	NIL	NIL

18.20 The advances covered by Bank/ Govt. Guarantee amounting to ₹ 2,119.52 cr [PY ₹ 1,711.30 cr][shown in Schedule – 9 Para B (ii)] include ₹ 1,197.78 cr [PY ₹ 786.69 cr] guaranteed by various State Governments for FY 2017-18.

18.21 Draw Down from Reserve

There are no draw down of reserves during the year 2017-18.

18.22 i) Customer complaints:

Sr No	Particulars	2017-18		
		General	ATM/ Debit Card/ Internet Banking	Total
a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	24	4471	4495
b)	No. of complaints received during the year	5,014	85,250	90,264
c)	No. of complaints redressed during the year	5,009	89,215	94,224
d)	No. of complaints pending at the end of the year	29	506	535

ii) Awards passed by the Banking Ombudsmen:

Sr	Particulars	2017-18
a)	No. of unimplemented awards at the beginning of the year	NIL
b)	No. of awards passed by Banking Ombudsmen during the year	NIL
c)	No. of awards implemented during the year	NIL
d)	No. of unimplemented awards at the end of the year	NIL

18.23 Disclosure of Letter of Comforts (LOCs) issued by the Bank

A total of 1,097 Guarantees/ Letter of Undertaking amounting to ₹ 1,486.43 cr (equivalent to USD 230.63 million) were issued in respect of Buyer's Credit during the period April 2017 to March 2018 (Previous Year ₹ 1,990.90 cr).

The outstanding Guarantees/ Letter of Undertakings as of March 31, 2018 stood at ₹ 391.92 cr equivalent to USD 60.21 million (Previous Year the same was ₹ 624.22 cr).

18.24 Bancassurance Business

During the F.Y. 2017-18, the Bank has earned commission income of ₹ 11.09 cr (including ₹ 1.84 cr income from PMJJBY & ₹ 0.29 cr from PMSBY (received as administrative expenses) as compared to ₹ 7.40 cr (including ₹ 1.66 cr PMJJBY income) during corresponding period of F.Y. 2016-17 from Bancassurance Business.

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

18.25 Concentration of Deposits

(₹ in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Deposits of Twenty Largest Depositors	6,090.67	11,501.50
Percentage of Deposits of Twenty Largest Deposits to Total Deposits of the Bank	5.74%	10.09%

18.26 Concentration of Advances

(₹ in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Advances of Twenty Largest Borrowers	9,487.37	13,669.76
Percentage of Advances of Twenty Largest Borrowers to total Advance of the Bank	11.22%	15.58%

18.27 Concentration of Exposures

(₹ in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Exposure of Twenty Largest Borrowers / Customers	16,357.54	19,329.85
Percentage of Exposure to Twenty Largest Borrowers/ Customers to Total Exposure of the Bank on Borrowers / Customers	14.40%	14.92%

18.28 Concentration of NPAs

(₹ in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Exposure to top four NPA Accounts	2,638.87	2,120.64

18.29 Sector wise Advances & NPA

(₹ in cr)

S No	Sector	2017-18			2016-17@		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1.	Agriculture & Allied Activities	13,346.75	2,157.28	16.16	13,043.89	1,677.04	12.86
2.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	5,066.23	1,666.21	32.89	5,939.01	1,244.29	20.95
3.	Services	5,831.44	1,070.50	18.36	6,519.12	686.53	10.53
4.	Personal Loans	4,644.96	212.80	4.58	3,515.79	152.39	4.33
	Subtotal (A)	**28,889.38**	**5,106.79**	**17.68**	**29,017.81**	**3,760.25**	**12.96**
B	**Non Priority Sector**						
1.	Agriculture & Allied Activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Advances to industries	22,974.07	10,660.71	46.40	21,546.88	7,796.78	36.19
3.	Services	638.95	166.48	26.06	2,169.17	410.92	18.94
4.	Personal Loans	25,707.89	2,624.39	10.21	26,637.81	2,484.61	9.33
	Subtotal (B)	**49,320.91**	**13,451.58**	**27.27**	**50,353.86**	**10,692.31**	**21.23**
	Less PWO	2,196.93	2,196.93	0.00	18,33.83	1,833.83	0.00
	Less IBPC	1,774.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (A+B)	**74,238.57**	**16,361.44**	**22.04**	**77,537.84**	**12,618.73**	**16.27**

- @Gross NPA Advances and Gross NPA Ratio for the Previous year (2016-17) are based on total advances i.e. priority as well as non priority advances.

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

18.30 Movement of NPAs

(₹ in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
Gross NPAs as on 1st April of particular year (Opening Balance)	12,618.73	8,560.49
Additions (Fresh NPAs) during the year	6,008.47	6,767.37
Sub-total (A)	18,627.20	15,327.86
Less:-		
(i) Upgradations	673.40	755.87
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	931.24	1,119.87
(iii) Technical/ Prudential Write-offs	560.00	665.00
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	101.12	168.39
Sub-total (B)	2,265.76	2,709.13
Gross NPAs as on 31st March of particular year (closing balance) (A-B)	16,361.44	12,618.73

(₹ in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at April 1	3,026.92	2,519.58
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	560.00	665.00
Sub-total (A)	3,586.92	3,184.58
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B)	108.77	108.05
Closing balance as at March 31 (A-B) #	3,332.36	3,026.92

Closing Balance is net of the resultant write off (The sacrifice incurred on account of settlement closure of prudentially written off accounts)

18.31 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs – (ref DBR.BP.BC.No. 63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017

(₹ in cr)

Sr	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	12,618.72
2.	Gross NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	13,016.48
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	397.75
4.	Net NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	7,735.11
5.	Net NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	7,773.10
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	37.99
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	4,877.67
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	5,237.43
9.	Divergence in provisioning (8-7)	359.76
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	(863.62)
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning	(1,223.38)

18.32 Overseas Assets, NPA & Revenue

(₹ in cr)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Assets (Nostro Balances and Depo Placements)	9.60	171.18
Total NPAs	-	-
Total Revenue	49.30	35.72

18.33 Bank has not sponsored any Special Purpose Vehicle.

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	

18.34 Disclosures Related to Securitisation

(₹ in cr)

S.No	Particulars			2017-18
1.	No of SPVs sponsored by the Bank for securitisation transactions*			NIL
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank			
3.	Total amount of exposures retained by the Bank to comply with MRR as on the date of balance sheet			
	a.	Off-balance sheet exposures		
		First loss		
		Others		
	b.	On-balance sheet exposures		
		First loss		
		Others		
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR			
	a.	**Off-balance sheet exposures**		
		i)	Exposure to own securitizations	
			First loss	
			Others	
		ii)	Exposure to third party securitisations	
			First loss	
			Others	
	b.	**On-balance sheet exposures**		
		i)	Exposure to own securitizations	
			First loss	
			Others	
		ii)	Exposure to third party securitisations	
			First loss	
			Others	

18.35 Credit Default Swaps

The Bank does not have any Credit Default Swap transaction during the period 01.04.2017 to 31.03.2018.

18.36 Intra Group Exposures

The Bank has one group entity i.e Dena Gujarat Gramin Bank which has availed overdraft facility against Fixed Deposit of ₹ 594.35 cr. Percentage of Intra Group exposure to total exposure of the Bank on borrowers/customers is 0.80%.

There is no breach of limits of intra-group exposure.

18.37 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

The details of Unclaimed liabilities amount transferred to DEAF during the year FY 2017-18.

(₹ in cr)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance of amounts transferred to DEAF	267.37	235.90
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	73.89	47.62
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	9.43	16.15
Closing balance of amounts transferred to DEAF	331.83	267.37

18.38 Unhedged Foreign Currency Exposure

Incremental Capital and provision requirements for Exposures are based on Circular No. DBOD.No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15.01.2014 and DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 03.06.2014 issued by Reserve Bank of India are as under: -

For the FY 2017-18, Based on available data, financial statements and the certification received from borrowers wherever received, the Bank has estimated and made an incremental provision of ₹ 4.37 cr (Previous Year ₹ 10.33 Cr reversal of provision) and capital requirement of ₹5.92 Cr (Previous year decrease in capital requirement of ₹ 5.10 Cr) towards Unhedged Foreign Currency Exposure.

18.39 Qualitative Disclosures around LCR

RBI has introduced LCR as per Basel –III guidelines to monitor the short term liquidity of Banks. The aim of LCR standard is to ensure that Bank maintains adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its Liquidity needs for a 30 days time horizon. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the Bank to survive until 30 days of the stress scenario by which time it is assumed that appropriate action can be taken.

The LCR is calculated by dividing the High Quality Liquid Assets with the total net cash out flows over the next 30 days calendar period. As per LCR guidelines net cash outflow is total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the next 30 days calendar horizon.

The HQLA includes, Cash including cash reserves in excess of CRR, government securities in excess of SLR over & above the mandatory SLR requirement, Government securities to the extent allowed by RBI under Marginal Standing Facility and marketable securities issued/ guaranteed by Sovereigns etc. All such assets must be available at all time to be converted into cash and should be unencumbered. Bank's HQLA consists of assets which are liquid or can be converted to liquid assets within short notice.

Under outflow the items taken in to account for calculation of LCR includes all types of deposits withdrawable within a period of 30 days, unutilized portion of CC/ OD and un disbursed portion of Loans and expected devolvement of LCs and invocation of Guarantees issued by Bank within 30 days period etc, which is calculated on the basis of past historical data.

Under inflow the items to be taken in to account for calculation of LCR includes interest and installments recordable in loans and advances in next 30 days period and lines of credit or any liquidity arrangements with other Banks, from where Bank can get funds to meet the liquidity stress. Banks funding sources are well diversified and concentration of funding sources are avoided.

Bank does not have any subsidiary/joint venture, hence consolidation is not required. As per RBI guidelines Banks are required to maintain minimum 90% LCR as of March 2018 and Banks LCR is 146.85%.

18.40 Liquidity Coverage Ratio

(₹ in cr)

		June 2017 quarter avg		**Sept 2017 quarter avg**		**Dec 2017 quarter avg**		**Mar 2018quarter avg**	
(Rs. in Crore)		Total Unweighted[8] Value	Total Weighted[9] Value (Average)	Total Unweighted[8] Value	Total Weighted[9] Value Average)	Total Unweighted[8] Value	Total Weighted[9] Value(Average)	Total Unweighted[8] Value	Total Weighted[9] Value(Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets		24,640.11		22,777.04		22,176.83		22,559.04
Cash Outflows									
2	**Retail deposits and deposits from small business customers, of which:**	**79,858.04**	**6851.69**	**78791.34**	**6,755.99**	**79328.48**	**6,805.20**	**80,296.54**	**6,890.31**
(i)	Stable Deposits	22,682.22	1,134.11	22,462.92	1,123.15	22553.17	1,127.66	22,786.93	1,139.35
(ii)	Less Stable Deposits	57,175.83	5,717.58	56,328.41	5,632.84	56775.31	5,677.54	57,509.61	5,750.96
3	**Unsecured Wholesale Funding , of which:**	**26,319.02**	**10,527.61**	**23,689.58**	**9,475.83**	**23118.85**	**9,247.54**	**22,291.27**	**8,916.50**
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-Operational Deposits (all counterparties)	26,319.02	10,527.61	23,689.58	9,475.83	23118.85	9,247.54	22,291.27	8,916.50
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**Secured wholesale funding**		0.00		0.00		0.00		0.00
5	**Additional requirement , of which**	**23,359.15**	**1,461.00**	**19,315.74**	**1,287.60**	**23199.46**	**1,616.48**	**22,132.76**	**1,409.63**

SHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	74.79	74.79	24.26	24.26	116.14	116.14	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	1,3149.70	10,49.84	9,107.95	812.33	12,989.33	1,197.53	11,676.76	1095.95
6	**Others contracted funding obligations**	**33.33**	**33.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7	**Others contingent funding obligation**	**10,101.32**	**303.04**	**10,250.19**	**517.67**	**10,094.00**	**302.82**	**10,456.00**	**313.68**
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**		**18,840.30**		**17,586.09**		**17,669.22**		**17,216.44**
Cash Inflow									
9	**Secured lending (e.g. Reverse Repo)**	**1,256.60**	**1,256.60**	**1,308.92**	**1,021.59**	**652.75**	**352.75**	**1,020.33**	**453.67**
10	**Inflows from fully performing exposures**	**4,503.67**	**2,616.86**	**2,581.10**	**1,465.63**	**2,597.44**	**1,870.75**	**1,728.22**	**1,129.42**
11	**Other Cash Inflows**	**0.00**	**0.00**	**138.63**	**138.63**	**213.33**	**213.33**	**266.24**	**266.24**
12	**Total Cash Inflows**	**5,760.27**	**3,873.46**	**4,028.66**	**2,652.85**	**3,463.53**	**2,436.83**	**3,014.79**	**1,849.33**
									Total Adjusted[10] Value
21	**TOTAL HQLA**		**24,640.11**		**22,777.04**		**22,176.83**		**22,559.04**
22	**TOTAL NET CASH OUTFLOWS**		**14,966.84**		**14,960.23**		**15,232.39**		**1,5367.12**
23,	**LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) (%)**		**166.24%**		**152.79%**		**145.94%**		**146.85%**

[8] Unweighted values have been calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows) accept where otherwise mentioned the circular and LCR template.

[9] Weighted values have been calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflow and outflow).

[10] Adjusted values have been calculated after the application of both (i) haircuts and inflow and outflow rates and (ii) any applicable caps (i.e. acp on level 2B and Level 2 assets for HQLA and cap on inflows)

18.41 Financial Inclusion:

Bank has been allotted total 6485 villages covering 2105 Sub Service Area (SSA) under Financial Inclusion for coverage by March 2018. Against target, 746 SSA have been covered through Brick & Mortar Branch and 1359 Sub Service Area (SSA) have been covered through BC model.

18.42 Aadhaar Enrolment under UIDAI:

Bank is a Non State Registrar of Unique Identification Authority of India (UIDAI). In 2nd phase, Bank has selected 79 Enrolment Agencies and has been carrying out Aadhaar Enrolment through various Enrolment Agencies. Bank has enrolled 10.59 cr approximately residents for Aadhaar Number as of March, 2018.

18.43 Priority Sector lending Certificate (PSLC) :

As per RBI circular no. RBI/2015-16/366 FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09.01/2015-16 dated April 7, 2016, the details of sale/purchase of amount of PSLCs (category wise) during the year 2017-18 are as under:

(₹ in Crs)

Category	FY 2017-18		FY 2016-17	
	Purchased	Sold	Purchased	Sold
PSLC General	900.00	0.00	2,050.00	300.00
PSLC Micro Enterprises	0.00	0.00	700.00	0.00
PSLC Agriculture	0.00	0.00	0.00	0.00
PSLC Small and Marginal Farmer	2,295.00	0.00	300.00	0.00
Total	**3,195.00**	**0.00**	**3,050.00**	**300.00**

18.44 Procurement from Micro, Small & Medium Enterprises

The procurements made by the Bank from various vendors during the financial year 2017-18 amounts to ₹ 88.71 cr (Previous Year ₹ 44.25 cr) Out of this procurement made from MSE amounts to ₹ 7.84 cr and out of which the procurements made from MSE unit owned by SC/STs entrepreneurs amounts to ₹ 1.48 cr. The details are being published on the website of the Bank for the benefits of MSEs

There are no Micro, Small and Medium enterprises to which the Bank owes dues, which are outstanding for more than 45 days as at March 31, 2018. This information as required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the **bank**

18.45 Note on Ind AS Implementation in Dena Bank:

In Pursuance to the roadmap for the implementation of Ind AS (Indian Accounting Standards) converged with IFRS (International Financial Reporting Standards) for scheduled commercial banks drawn up by MCA (Ministry of Corporate Affairs) notified on January 18, 2016, the Reserve Bank of India has issued notification on February 11, 2016 giving detailed instructions for the implementation of Ind AS by the banks.

The Bank has formed a Steering Committee headed by the Executive Director and comprising of four General for implementation of Ind AS. The proforma financials for the half year ended September 30, 2016 and for quarter ended June 2017 have been submitted by the bank to RBI. The officers of the bank have been imparted training on Ind AS from ICAI/NIBM (National Institute of Banking Management) etc.

The consultants have been appointed by the bank to guide the bank in implementation of Ind AS as per the prescribed time line.

However implementation of Ind AS has been deferred by RBI for one year as per RBI's Statement on Developmental regulatory Policies dated 05.04.2018.

18.46 Corporate Social Responsibility (CSR):

Since Bank has incurred losses during FY2015-16 & FY 2016-17, there is no allocation of fund for CSR activities in FY 2016-17 & FY 2017-18.

However, during current year Bank has incurred an amount of ₹ 2.55 crores under CSR for following activities;

(₹ in Crs)

Sr. No.	Activity	Amount Spent
1	Dena Rural Development Foundation (DRDF)-Corpus Fund	2.20
2	Construction of Dena RSETI building/s	0.35
	Total	**2.55**

18.47 Previous year's figures have been regrouped/reclassified/re-arranged, wherever necessary, to make them comparable with the current year's figures.

Ramesh S. Singh
Executive Director

Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi
Executive Director

Ashok Kumar Singh
Director

S. C. Murmu
Director

G Gopalakrishna
Director

Amit Chatterjee
Director

Dr. Yasho Verdhan Verma
Director

Rakesh Kumar
Director

A Bhadra
Asst General Manager

Pankaj Mittal
Dy. General Manager

Usha Ravi
General Manager

for, Ramesh C Agrawal & Co
Chartered Accountants

[R C Agrawal]
Partner
Mem. No. 070229
FRN 001770C

for, ABP & Associates
Chartered Accountants

[Prabhat Kumar Panda]
Partner
Mem. No. 057140
FRN 315104E

for, Kailash Chand Jain & Co
Chartered Accountants

[Sandeep K. Jain]
Partner
Mem. No. 110713
FRN 112318W

for, Sarda & Pareek
Chartered Accountants

[Niranjan Joshi]
Partner
Mem. No. 102789
FRN 109262W

Place : Mumbai
Date : 11.05.2018

CASH FLOW STATEMENT

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

(₹ in '000')

		Year Ended 31.03.2018		Year Ended 31.03.2017	
Part I - Cashflow from operating activities					
Net profit after tax			**(19,231,532)**		**(8,636,248)**
Add/ (Less) Non cash items and items considered seperately:					
1	**Depreciation on fixed assets**	797,210		31,317	
2	**Profit (-) / Loss (+) on sale of fixed assets**	6,046		3,841	
3	**Amortisation of premium paid on Investments**	731,282		621,465	
4	**Amortisation of software expenses**	91,968		81,531	
5	**Interest paid on long term loans**	439,9234		5,106,718	
6	**Provision & Contingencies (Other Than I/W /DTL)**	43,499,101		26,655,680	
7	**Provision for Income Tax & DTL**	(12,556,000)		(4,117,300)	
8	**Provision for Wealth tax**	0		0	
9	**Leave Encashment Actuarial valuation**	(9,5100)		7,4600	
10	**Provision for Sick Leave**	0		0	
11	**Prov. For Silver Jubilee Milestone Award**	(100)		400	
12	**Provision for LFC**	0		0	
13	**Provision for Resettlement service**	(1900)		1,300	
14	**Provision for Wage Revision**	600,000		0	
			37,471,741		**28,459,552**
Operating profit before Working capital changes			**18,240,209**		**19,823,304**
Adjustments for working capital changes :					
1	**(Increase)/Decrease in Investments**	18,507,560		(49,073,703)	
2	**(Increase)/Decrease in Advances**	26,565,006		73,726,686	
3	**(Increase)/Decrease in Other Assets**	5,031,000		992,512	
4	**Increase/(Decrease) in Deposits**	(78,126,250)		(34,881,929)	
5	**Increase/(Decrease) in Borrowings (Excl. Financing Activities)**	251,233		(13,104,488)	
6	**Increase/(Decrease) in Other Liabilities**	(7,356,899)	**(35,128,350)**	3,791,840	**(18,549,082)**
Cash Generated from operations			**(16,888,141)**		**1,274,222**
Income tax refund / (Direct tax Paid)			**(240,956)**		**(171,402)**
Net Cash flow from operating activities			**(17,129,097)**		**1,102,820**
Part II - Cashflow from investing activities					
Purchase of fixed assets (Incl. intangible)		(762,171)		(532,210)	
Sale of fixed assets		9,170		17,245	
Net Cash Used in Investment activities			**(753,001)**		**(514,965)**
Cash flow from operating and Investing activities			**(17,882,097)**		**587,855**

CASH FLOW STATEMENT

(₹ in '000')

	Year Ended 31.03.2018		Year Ended 31.03.2017	
Part III - Cashflow from financing activities				
Equity Share Capital raised (incl Share Premium)	42,385,921		4,459,999	
Share Application mony pending for allotment	(7,923,292)		7,923,292	
Bonds Issued Basel III Compliant AT-I Bonds	0		4,000,000	
Bonds Payment Lower Tier-II	0		(3,000,000)	
Basel III Compliant AT-1 Bonds	(14,000,000)			
Innovative Perpetul debt instrument(IPDI)	(1,250,000)		0	
Interest paid on long term loan	(4,399,234)		(5,106,718)	
Net Cash used in Financing activities		**14,813,395**		**8,276,573**
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents		**(3,068,702)**		**8,864,428**
Cash and Cash equivalents (Opening)	62,643,313		53,778,885	
Cash and Cash equivalents (Closing)	59,574,611		62,643,313	
Difference in opening and closing cash and cash equivalents		**(3,068,702)**		**8,864,428**

(Usha Ravi)
General Manager

(Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi)
Executive Director

(Ramesh S. Singh)
Executive Director

AUDITOR'S CERTIFICATE

We have examined the above Cash Flow Statement of Dena Bank for the year ended 31.03.2018. The statement has been prepared by the bank in accordance with requirements of the Listing Agreements (Clause 32) with Stock Exchanges & is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Audit Report of even date to the President of India.

for, Ramesh C Agrawal & Co
Chartered Accountants

[R C Agrawal]
Partner
Mem. No. 070229
FRN 001770C

for, ABP & Associates
Chartered Accountants

[Prabhat Kumar Panda]
Partner
Mem. No. 057140
FRN 315104E

for, Kailash Chand Jain & Co
Chartered Accountants

[Sandeep K. Jain]
Partner
Mem. No. 110713
FRN 112318W

for, Sarda & Pareek
Chartered Accountants

[Niranjan Joshi]
Partner
Mem. No. 102789
FRN 109262W

Place : Mumbai
Date : 11.05.2018

Registration of E-mail ID with the Bank

(For shareholders holding shares in physical form)

The Company Secretary

Dena Bank, Investor Relation Centre
Dena Corporate Centre,
C-10, G Block, Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai – 400 051.

Dear Sir,

I hereby request Dena Bank to register my following E-mail address for service of Notice of General Meetings, Audited Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report and other documents to me / us in electronic mode instead of physical mode:-

Folio No. ______________________________

Full Name of First / Sole Shareholder* ______________________________

Email ID (to be registered for the above purpose): ______________________________

Mobile / Phone No. ______________________________

Date: ____________ **Signature:** ______________________________

All fields are mandatory.

Note:

1. In case you are holding shares of the Bank in demat (electronic) form, the Bank proposes to send the aforesaid documents to you in electronic form, at the email address provided by you and which will be made available to us by your depository.
2. Shareholders are requested to keep the Bank informed of any change in their email ID, if shares are held in physical form and to their DP if shares held in demat (electronic) form.

NOTICE

देना बैंक
DENA BANK

NOTICE is hereby given that the Twenty Second Annual General Meeting of the Shareholders of Dena Bank will be held on Wednesday, 27th day of June, 2018 at 11.00 A.M. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J.V.P.D. Scheme, Near Cooper Hospital, Juhu Vile Parle (West), Mumbai - 400 056 to transact the following business: -

"To discuss, approve and adopt the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank, for the year ended 31st March, 2018, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

By Order of the Board of Directors
for DENA BANK

Place: Mumbai **(Amit Kumar)**
Date: 30 May, 2018 **Company Secretary**

NOTES:

1. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of 10 per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off date, i.e. Wednesday, 20th day of June, 2018 shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend and vote in the meeting.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIM / HER. The proxy form, in order to be effective must be received by the Bank at the place specified in the proxy form, not later than FOUR DAYS before the date of the Twenty Second Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on Friday, 22nd day of June, 2018.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him / her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited with the Company Secretary, Dena Bank, Investor Relation Centre, Dena Corporate Centre, 3rd Floor, C-10, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051 not later than FOUR days before the date of the Twenty Second Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on Friday, 22nd day of June, 2018.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry-Pass is annexed to this report. Shareholders / Proxy holders/ Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of the shareholder should state on the Attendance slip-cum-entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.

5. BOOK CLOSURE

The Register of the Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Thursday, 21st day of June, 2018 to Wednesday, 27th day of June, 2018 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting.

6. DIVIDEND

Board of Directors of the Bank has not recommended any dividend to shareholders for the FY 2017-18.

7. TRANSFERS

Share Certificates in case of physical holding along with transfer deeds should be forwarded to the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank.

8. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The unclaimed / unpaid dividend for the financial years 1996 - 97 to 1999 - 2000, 2006 - 07 to 2009 - 10 have been transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013.

Further, as per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account will be transferred to IEPF.

Therefore, those shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend for the financial years 2010-11 to 2014-15 are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of the duplicate dividend warrants.

The unclaimed / unpaid dividend for the financial year 2010-11 will be transferred to IEPF by July 24, 2018.

9. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders whose holding are in Electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address to their Depository Participant and not to the Registrar & Share Transfer Agents. Shareholders holding shares in Physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

M/s. Link Intime India Private Limited
Unit: Dena Bank,
C 101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West),
Mumbai, Maharashtra - 400083
Tel: 022 - 49186270
Tele- Fax: 022 - 49186060
E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

10. RECEIVE DOCUMENTS THROUGH E-MAIL BY REGISTERING YOUR E-MAIL ADDRESS

Regulation 36 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 permits a listed entity to send soft copies of the Annual Report to all those shareholders who have registered their email address for the purpose.

Further, as per Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 remote e-voting process will be mailed to shareholders through e-mail.

Shareholders who have not yet registered their e-mail id are requested to register the same with our R&T Agent, if holding the Bank's shares in physical form and with depository participant if holding the Bank's share in electronic form, so that all such

documents can be served upon them henceforth in electronic mode at the said Email address. For the sake of convenience a format for intimating e-mail details is attached as a part of the Annual Report.

11. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014; your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) as e-voting agency to provide the e-voting platform. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders / beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Wednesday, 20th day of June, 2018 being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

The facility for voting shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.

The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The instructions for Remote E-Voting are as under:

Members are requested to follow the instruction below to cast their vote through e-voting:

a. Open the following URL for e-voting: https://www.evoting.nsdl.com.

b. Enter the login credentials i.e. user id and Password. Your user ID is:

EVEN (108405) + Folio No (If shares are held in physical mode) / DP ID + Client ID (If shares are held in demat mode). If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing User ID and Password for Login.

c. Member may obtain a User ID and password for casting his / her vote by remote e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or by contacting NSDL at the toll free no.: 1800-222-990" providing the details such as Demat account no or Folio no, PAN no, etc.

NOTE: Shareholders who forgot the User Details/Password can use "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com.

d. After entering the details appropriately, click on "LOGIN".

e. Put User ID and Password and Click on login.

f. If you are logging in for the first time, Password Change Menu appears. Change the Password of your choice with minimum 8 digits / characters or a combination thereof. Please note the new Password for all the future e-voting cycles offered on NSDL e-voting Platform. It is strongly recommended not to share your Password with any other persons and take utmost care to keep your Password confidential.

g. Home page of "e-voting" opens. Click on "e-voting": Active voting cycles.

h. Select "EVEN (E-voting Event Number)" of DENA BANK. For an EVEN, you can login any number of times on e-voting platform of NSDL till you have voted on the resolution during the voting period.

i. Now you are ready for "e-voting" as "Cast Vote" Page opens.

j. Cast your vote by selecting appropriate option and click "Submit" and also "Confirm" when prompted.

k. Upon confirmation, the massage "Voting cast successfully" will be displayed.

l. Kindly note that vote once casted cannot be modified.

m. Institutional members (i.e. members other than individuals, HUF, NRIs, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG format) of the relevant board resolution / authority letter, etc. together with the attested specimen signature(s) of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through email at : Scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. You can also forward the documents at the Registrar's e-mail id enotices@linkintime.co.in

In case of any queries you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at "downloads" section of https://www.evoting.nsdl.com or contact by email at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Rajiv Ranjan, Unit: Dena Bank of M/s Link Intime India Private Ltd. on 022-49186000.

n. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile detail of the folio which may be used for sending future communication.

o. The remote e-voting period commences on Sunday, 24th day of June, 2018 (9.00 a.m.) and ends on Tuesday, 26th day of June, 2018 (5.00 p.m.). During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in demateralised form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 20th day of June, 2018, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once a vote is cast, the shareholder shall not be allowed to change or modify it subsequently.

p. The voting rights of the Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date.

q. Any person, who acquires shares of the Bank and become member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, 20th day of June, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

r. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

s. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

t. Those who do not opt for remote e-voting can cast their votes at the Voting to be conducted at the meeting on **Wednesday, 27th day of June, 2018** as per the procedure stated in the Explanatory Statement section of this Notice.

The Results of the e-voting shall be declared on or after the AGM of the Bank. The Results declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website i.e. www.denabank.com and on the website of NSDL i.e., https://www.evoting.nsdl.com within two days of the AGM of the Bank and also communicated to NSE/BSE.

12. Others:

a. Please note that, as an Economy measure, copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting. Hence, shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the venue of the meeting.

b. Shareholders may kindly note that no gifts/ coupons will be distributed at the venue of the meeting.

c. Shareholders are advised to avoid bringing bags/ brief cases/ tape recorders, cameras etc. as these items are subject to a security check and may not be allowed at the venue.

By Order of the Board of Directors
for DENA BANK

Place : Mumbai
Date : 30 May, 2018

(Amit Kumar)
Company Secretary

देना बैंक
DENA BANK

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No. (if not Demateralised)	DP ID No.	No. of Shares
	Client ID No. (if Dematerialised)	

I / We ____ resident/s of ____ in the district of _____________________in the state of __________________being a shareholder / shareholders of Dena Bank hereby appoint Shri / Smt. ____ resident of ____________________in the district of _________________ in the state of __________________ or failing him, Shri/Smt _______________________________resident of _________________________in the district of ____________________ in the state of ____________________ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of Dena Bank to be held on **Wednesday, 27th June, 2018** at 11:00 A.M. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J. V. P. D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056 and at any adjournment thereof.

Signed this __________day of____________2018

Revenue
Stamp
Re.1/-

____

Signature of first named / sole shareholder

Name:____

Address:____

____

____

____

Signature of Proxy

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Dena Bank.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Dena Bank, Investor Relations Centre, Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 with the not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5:00 p.m. on Friday, 22nd June, 2018.**
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank **shall be irrevocable and final**.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Dena Bank.

देना बैंक DENA BANK

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

TWENTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING

Date: Wednesday, 27th June, 2018 at 11:00 A.M.

Place : Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J. V. P. D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not demateralised)		**DP ID & Client ID** (If demateralised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

देना बैंक DENA BANK

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, "G" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

TWENTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING
Date: Wednesday, 27th June, 2018 at 11:00 A.M.

Place : Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J. V. P. D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
No. of Shares			
Regd. Folio (If not dematerialized)		**DP ID & Client ID** (If demateralised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The entry pass – Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/ Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate attendance slip- cum Entry pass-cum Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting.

DENA BANK

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, “G” Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

TWENTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING
Date: Wednesday, 27th June, 2018 at 11:00 A.M.

Place : Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers’ Training College, J. V. P. D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056

BALLOT PAPER PASS

(to be surrendered to the Polling counters to get Ballot Paper)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
No. of Shares			
Regd. Folio (If not dematerialized)		**DP ID & Client ID** (If demateralised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

देना बैंक DENA BANK

ECS MANDATE FORM

(For Payment of Dividend on Equity Shares held in Physical Form)

(Please furnish the detail in Block Letters)

The Company Secretary

Dena Bank, Investor Relation Centre
Dena Corporate Centre,
C-10, G Block, Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai – 400 051

Dear Sir,

FOLIO NO. :____________________

With reference to your Circular on ECS, I/We request you to remit dividend through the following method:

✓ Direct credit to my Bank Account through Electronic Clearing Services

Bank Name	
Branch Name & City Address	
Telephone No.	
Account No.	
Account Type	Saving( ) / Current( ) / Cash Credit ( ) / Overdraft ( )
Nine Digit Code Number of the Bank and Branch as appearing on MICR cheque issued by the bank	
IFSC Code	

(PLEASE ENCLOSE A CANCELLED CHEQUE OR PHOTOCOPY OF A CHEQUE)

First / Sole Shareholder's Name:

Address:

Telephone No.: **Mobile No.:**

DECLARATION

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete and incorrect information, I would not hold the Dena Bank responsible. I understand that the Bank also reserves right to send the dividend payable to me by a physical dividend warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that affect the payment of dividend through ECS, the account details provided above may be incorporated in the payment instrument.

Yours faithfully,

Place:

Date: **(Signature of the First / Sole Shareholder)**

Note: Those shareholders who hold equity shares of the Bank in Demat form shall receive the dividend warrant / get credit of dividend amount through ECS or otherwise, as per bank account detail and address with their respective depositories.

टिप्पणी/Notes

टिप्पणी/Notes

टिप्पणी/Notes

टिप्पणी/Notes

टिप्पणी/Notes

टिप्पणी/Notes

स्मरणीय पल
Memorable Moments

10.10.2017 को दादरा और नगर हवेली में श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री, भारत सरकार एवं श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, क्षेत्र महाप्रबंधक, गुजरात की उपस्थिति में मुद्रा प्रोत्साहन अभियान का आयोजन किया गया।

Mudra Protsahan Abhiyan was organized on 10.10.2017 in Dadra and Nagar Haveli in the presence of Mr. D. V. Sadanand Gowda, Minister of Statistics and Program Implementation, Government of India and Mr. Vikramaditya Singh Khichi, Field General Manager, Gujarat.

12.10.2017 को दमन और दीव में श्री अर्जुन राम मेघावल, केंद्रीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प, संसदीय मंत्रालय) एवं श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, क्षेत्र महाप्रबंधक, गुजरात, मुद्रा प्रोत्साहन अभियान का शुभारंभ करते हुए।

Mudra Protsahan Abhiyan was organized in Daman and Diu on 12.10.2017 and inaugurated by Shri Arjun Ram Meghwal, Union Minister of State (Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Parliamentary Affairs) and Shri Vikramaditya Singh Khichi, Field General Manager.

14.10.2017 को जामनगर में माननीय मनसुख एल. मांडविया, केंद्रीयमंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन, रसायन और उर्वरक) एवं श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, क्षेत्र महाप्रबंधक (गुजरात) की उपस्थिति में मुद्रा प्रोत्साहन अभियान का आयोजन किया गया.।

Mudra Protsahan Abhiyan was organized on 14.10.2017 in the presence of Hon'ble Mansukh L. Mandviya, Union Minister (Road Transport and Highways, Shipping, Chemicals and Fertilizers) and Shri Vikramaditya Singh Khichi, Area General Manager (Gujarat) at 14.10.2017.

दादरा और नगर हवेली में देना ग्रामीण स्वरोजगार शिक्षा संस्थान का उद्घाटन करते हुए श्री अश्वनी कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

Shri Ashwani Kumar, Chairman and Managing Director Inaugurating Dena Rural Self Employment Education Institute at Dadra and Nagar Haveli.

05.08.2017 को ठाणे अंचल की कलंगूट शाखा का उद्घाटन करते हुए श्री अश्वनी कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

Shri Ashwani Kumar, Chairman and Managing Director Inaugurating Kalangoot Branch of Thane Zone on 05.08.2017.

स्मरणीय पल
Memorable Moments

एस.पी.बी.टी. कॉलेज, मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2017

International Women's Day celebration at S.P.B.T. College, Mumbai, 2017

मुंबई सीमा शुल्क द्वारा आयोजित हॉफ–मैराथन के दौरान श्री अश्वनी कुमार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक।

Mr. Ashwani Kumar, Chairman and Managing Director and Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi, Executive Director during the Half Marathon organized by Mumbai Customs.

मुंबई सीमा शुल्क द्वारा आयोजित हॉफ–मैराथन के दौरान हॉर्निमन सर्किल, मुंबई स्थित देना बैंक के हेरिटेज बिल्डिंग के समक्ष श्री अश्वनी कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक सहित देना बैंक की टीम।

The team of Dena Bank including Shri Ashwani Kumar, Chairman and Managing Director and Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi, Executive Director in front of the heritage building of Dena Bank situated at Horniman Circle, during the Half-Marathon organized by the Mumbai Customs.

श्री अश्वनी कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं श्री रमेश एस. सिंह तथा डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक ने देना बैंक द्वारा आयोजित देना बैंक परिवार दिवस 2018 समारोह में भाग लिया।

Shri Ashwani Kumar, Chairman and Managing Director,
Shri Ramesh S. Singh and Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi, Executive Directors participated in Dena Bank Family Day function 2018 organized by the Bank.

08.03.2018 को प्रधान कार्यालय में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला लाभार्थी को ऑटो रिक्शा की चाभी प्रदान करते हुए श्री रमेश एस. सिंह, कार्यपालक निदेशक एवं डॉ. राजेश कुमार यदुवंशी, कार्यपालक निदेशक।

Shri Ramesh S. Singh and Dr. Rajesh Kumar Yaduvanshi, Executive Directors while giving the key of Auto Rickshaw to the female beneficiary on the occasion of International Women's Day organized in the head office on 08.03.2018.

DENA BANK

LAUNCHES

DENA

OMNI Channel POS Terminal

For Seamless Shopping Experience

Benefits:

- Multiple payment options for customers - Debit/Credit card, Bharat QR and UPI for making payment in a single POS Terminal
- A viable alternative to Debit/Credit Transactions in case the cards are not working
- Less MDR for merchants while receiving payments through UPI or BharatQR
- Incentive to Merchants and customers on UPI transactions done in Dena OMNI Channel POS Terminal
- No physical contact required for payment. Customers can seamlessly scan through their mobile and make the payments
- No security risks

देना बैंक
DENA BANK
(A Government of India Enterprise)
Trusted Family Bank
Dena hai to Bharosa hai.

DENA BANK
देना बैंक
(A Government of India Enterprise)
Trusted Family Bank

देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

Dena Corporate Centre, C-10, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

www.denabank.com